राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक: 04] पन्द्रहवीं विधान सभा के चौथे सत्र का उनतालीसवां दिवस [संख्या: 17

सोमवार,

02 मार्च 2020

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे

राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई)

(श्री सी.पी. जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष: प्रश्न, श्रीमती किरण माहेश्वरी।

राजसमन्द के राजस्व ग्राम खेतों का भागल को पटवार मण्डल आईडाणा में सम्मिलित करने की योजना

254. श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सरकार की एक ही ग्राम पंचायत के राजस्व ग्रामों को पटवार मण्डल में रखने के संबंध में क्या योजना है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या जिला राजसमंद की ग्राम पंचायत बामन टूंकड़ा तहसील राजसमंद का राजस्व ग्राम खेतों का भागल को पटवार मण्डल आईडाणा तहसील आमेट से पटवार मण्डल बामन टूंकड़ा में सम्मिलित करने के लिए ग्रामवासियों के आवेदन पत्र लंबित हैं? यदि हां, तो कित्तने? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त ग्राम खेतों का भागल को ग्राम पंचायत मुख्यालय के ही पटवार मण्डल में सम्मिलित करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राजस्व मंत्री (श्री हरीश चौधरी): (1) पटवार मण्डल का पुनर्गठन राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 30 एवं राजस्थान भू-राजस्व (भू.अ.) नियमावली, 1957 के नियम-1 के तहत किया जाता है। नियम की प्रति परिशिष्ट ''अ'' पर संलग्न है।

समय-समय पर प्रशासनिक आवश्यकताओं व भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए कुछ क्षेत्रों में पटवार मण्डल एवं पंचायत की सीमाएं एक की गई हैं।

(राजस्व मंत्री)

(2) जी नहीं। ग्रामवासियों के आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुए हैं, किन्तु जिला कलेक्टर राजसमंद द्वारा राजस्व मण्डल अजमेर के पत्र दिनांक 01.06.2015 के माध्यम से राजस्व ग्राम खेतों की भागल पटवार मण्डल आईडाणा तहसील आमेट को तहसील आमेट से हटाकर तहसील राजसमंद के पटवार मण्डल करेडा में सम्मिलित करने का प्रस्ताव भिजवाया गया था। उक्त सभी प्रस्ताव राज्य सरकार द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति को सुझाव हेतु प्रेषित किये गये। उक्त समिति के अध्यक्ष द्वारा 2018 में सरकार को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जिसमें सह सीमांत से संबंधित सुझाव नहीं है। उक्त प्राप्त रिपोर्ट पर केवल समिति के अध्यक्ष के हस्ताक्षर हैं, अन्य सदस्यों के हस्ताक्षर नहीं हैं। वर्तमान में उक्त समिति अस्तित्व में नहीं है।

वर्तमान में राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक प.5(64) सीओआई/सम/डीईएस/2019/पार्ट-1/1160 दिनांक 15.10.2019 द्वारा लेख है कि दिनांक 31.12.2019 के पश्चात् राज्य में जिलों, तहसीलों, कस्बों एवं ग्रामों के प्रशासनिक क्षेत्राधिकार सीमाओं में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाए, जब तक कि 2021 की जनगणना का कार्य पूर्ण नहीं हो जाता। अत: वर्तमान में प्रकरण के संबंध में कोई कार्यवाही किया जाना संभव नहीं है।

(3) प्रकरण फिलहाल राज्य स्तर पर परीक्षणाधीन है। प्रशासनिक आवश्यकताओं, ग्रामीणों की सुविधा व भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए यथा सम्भव प्रत्येक प्रकरण में गुणावगुण के आधार पर राज्य सरकार सीमाएं समान रखने के पक्ष में है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय अध्यक्ष जी, इन्होंने जो उत्तर दिया है, उसमें परिशिष्ट 'अ' पर अंकित है - पटवार हल्कों का निर्माण तथा परिवर्तन- 'भू-अभिलेख संचालक राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से प्रत्येक जिले के गांवों को समय-समय पर पटवार वृत्त में व्यवस्थित कर सकेगा तथा ऐसे वृत्तों की संख्या तथा सीमाएं परिवर्तित कर सकेगा'। यह बात इसमें इन्होंने साफ लिखी है और साथ-साथ इन्होंने जो अपने रिप्लाई में कहा है कि उच्च स्तरीय समिति के सुझाव हेतु प्रेषित किया गया, उस समिति की रिपोर्ट क्या आयी है? उस रिपोर्ट को माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगी।

श्री हरीश चौधरी (राजस्व मंत्री): पहला सवाल, कि क्या कर सकते हैं? बिलकुल कर सकते हैं। राजस्व विभाग पटवार हल्के की सीमाओं का परिवर्तन

(श्री हरीश चौधरी)

कर सकता है। चाहे वह ग्रामीण इकाई हो, ग्राम पंचायत उस इकाई के अनुरूप करे या किसी और तरह से करता है, राजस्व विभाग कर सकता है।

दूसरा, आपने कहा कि जो परमेश चन्द कमेटी की रिपोर्ट है, उसको टेबल किया जाए। मैंने पहले भी सदन को यह अवगत कराया है कि परमेश चन्द कमेटी की रिपोर्ट नहीं आयी है। रिपोर्ट तब आती है जब समस्त सदस्य उसके ऊपर हस्ताक्षर करते हैं। सिर्फ अध्यक्ष ने हस्ताक्षर करके दिया है, इसलिए वह रिपोर्ट अधूरी है। हम लोगों के पास अभी तक पूर्ण रिपोर्ट नहीं आयी है।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय अध्यक्ष जी, यह समझ से बाहर है क्योंकि इसमें इन्होंने लिखा है कि राज्य सरकार को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है। इन्होंने यह लिखा है। 2018 में अध्यक्ष द्वारा एक रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत की है। अब आप कह रहे हो कि उसमें दूसरे मैम्बर्स के हस्ताक्षर नहीं थे। या तो उसमें दूसरे मैम्बर्स नोट आफ डिसेंट डालें तो यह समझ में आता है कि उन्होंने कोई नोट आफ डिसेंट डाला है। उनके सिग्नेचर नहीं हैं अन्यथा क्या सिर्फ अध्यक्ष जी के ही सिग्नेचर होते हैं?

श्री अध्यक्ष: माननीय, मैं आपका प्रश्न सप्लीमेंट कर देता हूं। माननीय मंत्री जी, दो तहसीलें एक आमेट और एक राजसमन्द हैं। एक गांव दो तहसीलों में गया हुआ है। इनका प्रश्न है कि क्या एक तहसील में ला सकते हैं? सीधी-सी बात है।

श्री हरीश चौधरी (राजस्व मंत्री): अगर यह है तो बिलकुल ला सकते हैं।

श्री अध्यक्ष: बस, बात खतम। अगला प्रश्न, सुश्री दिव्या मदेरणा।

कन्या महाविद्यालयों से वंचित उप खण्ड मुख्यालय

255. सुश्री दिव्या मदेरणा (ओसियां): क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार प्रदेश के प्रत्येक उपखण्ड मुख्यालय पर राजकीय कन्या महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) प्रदेश में ऐसे कौन-कौनसे उपखण्ड मुख्यालय हैं जहां कन्या महाविद्यालय संचालित नहीं हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा (श्री भंवर सिंह भाटी): (1) वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(2) प्रदेश के उपखण्ड मुख्यालय, जहां कन्या महाविद्यालय संचालित नहीं हैं, उनकी सूची परिशिष्ट-01 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सुश्री दिव्या मदेरणा (ओसियां): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से दो प्रश्न पूछना चाहूंगी। क्या प्रदेश में जिन उपखंड मुख्यालयों पर कन्या महाविद्यालय नहीं हैं, अनेकों योजनाएं, चाहे देव नारायण, टाडा आदि योजनाएं के तहत क्या कोई और योजना या प्लान बनाने का सरकार विचार रखती है? दूसरी बात, हमने लिंग असमानता के आंकड़े देखे हैं। छात्रों से ज्यादा छात्राओं की संख्या है और हर जगह पर बालिका आगे बढ़ रही है, चाहे वह आई.पी.एस. हो, नासा हो, हर क्षेत्र में। इस संबंध में क्या स्पेशली कन्या शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार आगे कोई नीति बनाकर काम करने का विचार रखती है या नहीं?

श्री अध्यक्ष: मना कर दिया है, विचाराधीन नहीं है, मैडम।

प्रश्न संख्या 256

अगला प्रश्न। श्री पानाचंद मेघवाल।

कैंसर व मधुमेह रोग से पीड़ित व्यक्तियों के सुलभ उपचार की कार्ययोजना

256. श्री पानाचन्द मेघवाल (बारां-अटरू):- क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में कैंसर और मधुमेह बीमारियों के मामलों में प्रतिवर्ष बढ़ोतरी हो रही है? यदि हां, तो उक्त रोगियों का विगत तीन वर्षों का जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि प्रदेश के प्रत्येक जिले में कैंसर और मधुमेह रोग के उपचार की सम्पूर्ण व्यवस्था है? यदि हां, तो क्या-क्या? सरकार उक्त रोगों के सुलभ उपचार के लिए क्या-क्या प्रयास कर रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि प्रदेश में कैंसर रोग के सम्पूर्ण उपचार की व्यवस्था नहीं होने के कारण से बड़ी संख्या में रोगियों को अन्य प्रदेशों के अस्पतालों में रैफर किये जा रहे हैं? यदि हां, तो विगत पांच वर्षो में ऐसे कितने रोगियों को सरकार ने अन्य प्रदेशों के अस्पतालों में रैफर किया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) विगत पांच वर्षों में कैंसर और मधुमेह बीमारियों से प्रदेश में कितने लोगों की मृत्यु हुई है? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(स्थगित)

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न, श्री इन्द्राज गुर्जर।

विराटनगर के पर्यटन स्थलों का विकास

257. श्री इन्द्राज सिंह गुर्जर (विराटनगर): क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विगत पांच वर्षों में सरकार द्वारा विधान सभा क्षेत्र विराटनगर में पर्यटन विकास से संबंधित क्या-क्या कार्य कहां-कहां व कितनी राशि के कराये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र के पर्यटन, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक महत्व के पर्यटन स्थलों का विकास करने का विचार रखती है? यदि हां, तो किस-किस पर्यटक स्थल का विकास किये जाने की योजना है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त विधान सभा क्षेत्र में अनेक ऐसे स्थल हैं जिनमें महाभारतकालीन व मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष पाये गये हैं? यदि हां, सरकार उक्त स्थलों के पर्यटन विकास का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(4) क्या यह भी सही है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से प्राप्त सूचना के अनुसार विराटनगर में बीजक की पहाड़ी पर स्थित उत्खनित स्थल संरक्षित स्थल है? यदि हां, तो उक्त स्थल के संरक्षण एवं संवर्द्धन तथा विकास के लिए सरकार क्या योजना बना रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार इस क्षेत्र में स्थित अशोक शिलालेख, भीम की डूंगरी, बीजक पहाड़ी, केशवराय मंदिर आदि स्थलों का विकास करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व किस प्रकार तथा नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, पर्यटन (श्री गोविन्द सिंह डोटासरा): (1) विगत पांच वर्षों में विधान सभा क्षेत्र विराटनगर में राज्य सरकार द्वारा कुल राशि रु. 336.79 लाख के विकास कार्य कराये गये हैं, जिसका विवरण परिशिष्ट-"अ" पर संलग्न है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा कुल राशि रु. 22.2 लाख के विकास कार्य कराये गये हैं, जिनका विवरण परिशिष्ट-"ब" पर संलग्न है।

(2) विराटनगर विधान सभा क्षेत्र में विगत पांच वर्षों में स्वीकृत कार्यों का विवरण परिशिष्ट-"अ" पर उपलब्ध है। विभाग में विकास कार्यों के लिए बजट उपलब्धता एवं प्राथमिकता के आधार पर युक्तियुक्त निर्णय लिया जाता है।

(राज्य मंत्री, पर्यटन)

(3) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से प्राप्त सूचना अनुसार विराटनगर में बीजक की पहाड़ी पर स्थित उत्खनित स्थल संरक्षित स्थल है। उत्खनन के दौरान वहां पर मौर्यकालीन ईंटों से निर्मित गोलाकार स्तूप मिला है, जिसमें 26 लकड़ी के अष्टाकार स्तम्भ थे तथा साथ ही मठ के अवशेष भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को प्राप्त हुए हैं।

उक्त स्थल पर कराये गये विकास कार्यो का विवरण परिशिष्ट-"ब" पर उपलब्ध है।

(4) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से प्राप्त सूचना अनुसार विराटनगर में बीजक की पहाड़ी पर स्थित उत्खनित स्थल संरक्षित स्थल है। उत्खनन के दौरान वहां पर मौर्यकालीन ईंटों से निर्मित गोलाकार स्तूप मिला है, जिसमें लकड़ी के 26 अष्टाकार स्तम्भ थे तथा साथ ही मठ के अवशेष भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को प्राप्त हुए हैं।

उक्त स्थल पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा कराये गये विकास कार्यों का विवरण परिशिष्ट-"ब" पर उपलब्ध है।

(5) विराटनगर विधान सभा क्षेत्र में कराये गये कार्यों का विवरण परिशिष्ट-"अ" पर उपलब्ध है। बजट उपलब्धता एवं प्राथमिकता के आधार पर अन्य विकास कार्यों के लिए युक्तियुक्त निर्णय लिया जाएगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री इन्द्राज सिंह गुर्जर (विराटनगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या राज्य सरकार की किसी ऐतिहासिक क्षेत्र को पर्यटन क्षेत्र करने घोषित करने की कोई नीति है? यदि है तो क्या पर्यटन विभाग विराटनगर को पर्यटन केन्द्र घोषित करने का विचार रखता है? यदि नहीं है तो सरकार विराटनगर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्या उपाय करने की मंशा रखती है?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (राज्य मंत्री, शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, किसी भी स्थल को राज्य सरकार के द्वारा पर्यटन स्थल घोषित नहीं किया जाता है। पर्यटक की आवाजाही के कारण से वह स्वत: ही पर्यटन स्थल बन जाता है। अभी 500 लाख से भी ज्यादा के कार्य यहां पर चल रहे हैं। कुछ एक, बीजक की पहाड़ी में जो कार्य किया जाना था, वह दो साल तक जमीन का आबंटन या एनओसी में उलझा रहा। हमारी सरकार ने उस समस्या का समाधान कर लिया है। मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि 21 मार्च, 2021, जो कि उसकी कार्य पूरा करने की डैडलाइन है, तब तक पूरा कर दिया जाएगा।

श्री इन्द्राज सिंह गुर्जर (विराटनगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पर्यटन विभाग और माननीय मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इंटरप्रिटेशन सेंटर, जिसकी राशि 5.85 लाख रुपये है, उसके निर्माण कार्य की तिथि भी आपने बता दी है। मैं माननीय मंत्री महोदय ये पूछना चाहूंगा कि इसको संचालित करने के लिए विभाग अपने स्तर पर स्टाफ वगैरह लगाने की कोई मंशा रखता है या नहीं?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (राज्य मंत्री, शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य ने पूछा है, ये सारी व्यवस्थाएं होने के बाद हम लोग विभागीय नियमानुसार जो भी प्रक्रिया होती है, उसका पालन करते हुए इसके संचालन का प्रयास करेंगे। यह जिम्मेदारी लेते हैं।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न, माननीय सदस्य श्री बाबुलाल।

जनजाति क्षेत्र में संचालित प्रशासनिक सेवा हेतु प्रशिक्षण केन्द्र

258. श्री बाबुलाल (झाडोल): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि विभाग द्वारा जनजाति के विद्यार्थियों के लिए प्रशासनिक सेवा हेतु प्रशिक्षण केन्द्र चलाया जा रहा है? यदि हां, तो विगत पांच वर्षों में कितने छात्र व छात्राओं ने प्रशासनिक सेवा की परीक्षा में भाग लिया तथा कितने उत्तीर्ण हुए? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास (श्री अर्जुन सिंह बामनिया): जी हां। यह सही है कि टीआरआई के माध्यम से राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा हेतु कोचिंग का आयोजन किया गया। 5 वर्षों का विवरण निम्न अनुसार है:-

वर्ष 2015-16 में आर.ए.एस. (प्री.) में 70 जनजाति छात्र/छात्राओं को कोचिंग प्रदान की गई जिसमें 12 छात्र उत्तीर्ण हुए।

वर्ष 2015-16 में आर.ए.एस. (मुख्य) परीक्षा में 10 जनजाति छात्र/छात्राओं को कोचिंग प्रदान की गयी जिसमें से कोई छात्र उत्तीर्ण नहीं हुआ।

वर्ष 2016-17 में आर.ए.एस. (प्री.) में 136 जनजाति छात्र/छात्राओं को कोचिंग प्रदान की गई जिसमें 8 छात्र उत्तीर्ण हुए।

वर्ष 2016-17 में आर.ए.एस. (मुख्य) परीक्षा में 15 जनजाति छात्र/छात्राओं को कोचिंग प्रदान की गयी जिसमें से 1 छात्र उत्तीर्ण होकर साक्षात्कार उपरान्त चयनित हुआ।

वर्ष 2017-18 में आर.ए.एस. (प्री) परीक्षा हेतु 56 जनजाति छात्र/छात्राओं को कोचिंग प्रदान की गयी जिसमें 1 छात्र उत्तीर्ण हुआ। उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की सूची परिशिष्ट-"अ" पर संलग्न है।

(श्री बाबुलाल)

वर्ष 2018-19 एवं वर्ष 2019-20 में राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा की कोचिंग आयोजित नही हुई है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री बाबुलाल (झाडोल): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि आपने जो विवरण मुझे दिया है उत्तर में 2015-16 में 70 छात्र-छात्राओं ने प्रशिक्षण लिया, उसमें से प्री-एग्जाम में 12 छात्र उत्तीर्ण हुए। ऐसे ही 2016-17 में 136, उसमें से 8 उत्तीर्ण हुए। इसके बाद मैन में जो बैठे थे, 2016-17 में 15, छात्र उत्तीर्ण एक हुआ। ऐसे ही 2015-16 में 10 मैन एग्जाम में बैठे थे, उत्तीर्ण एक भी नहीं हुए। मैं जानना चाहता हूं कि आपके जो कोचिंग के अध्यापक हैं, उनका स्तर क्या है? ये जो कोचिंग के छात्र हैं, इनमें से मैन एग्जाम में केवल और केवल मात्र एक अभ्यर्थी पास हुआ है, इसका क्या कारण है?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री अर्जुन सिंह बामनिया (राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास): माननीय अध्यक्ष महोदय, जो वहां कोचिंग कराते हैं, उनको योग्यता के आधार पर रखा जाता है और उनकी समय पर जैसे ही विज्ञप्ति निकलती है, उसके आधार पर कोचिंग की जाती है, उनको पढ़ाया जाता है।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, क्या सरकार प्राइवेट कोचिंग से कोई एग्रीमेंट करके वहां कोचिंग करने की व्यवस्था रखती है जिससे वहां लड़के ज्यादा निकल सकें? अभी जो कोचिंग में आप लेक्चरर को लगाकर कोचिंग कर रहे हैं, कई प्राइवेट कोचिंग्स हैं, जिनकी सक्सेस रेट ज्यादा है। क्या प्राइवेट कोचिंग के लोगों से एग्रीमेंट करके वहां कोचिंग की व्यवस्था करें, जिससे ज्यादा बच्चे काम्पीटेटिव एग्जाम में निकलें।

श्री अर्जुन सिंह बामनिया (राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास): माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2019-20 में राजस्थान में अधीनस्थ सेवाओं और प्रतियोगिता हेतु विज्ञप्ति जारी नहीं हुई। माननीय अध्यक्ष महोदय, भारतीय प्रशासनिक सेवा हेतु विगत वर्ष प्रशिक्षण प्रदान नहीं किया गया। मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं आगामी समय में सरकार द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारम्भ किया जायेगा। इस संबंध में प्राइवेट जो भी कोचिंग सेंटर हैं, उनसे हम एमओयू करके कोचिंग करवायेंगे।

श्री अध्यक्ष: कटारिया जी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, आपकी और हम सबकी एक ही पीड़ा है लेकिन मंत्री महोदय या तो क्वेश्चन का पैरा पूरा पढ़ते नहीं हैं और उसके अनुसार उत्तर बनाते नहीं हैं। क्या यह सही है कि विभाग द्वारा जनजाति के विद्यार्थियों के लिए प्रशासनिक सेवा हेतु प्रशिक्षण केन्द्र चलाया जा रहा है? यदि हां, तो विगत पांच वर्षों में कितने छात्र-छात्राओं ने प्रशासनिक सेवा की परीक्षा में भाग लिया? अब दो प्रकार हैं, प्री भी है और उसके बाद फाइनल एग्जाम दो हैं। आपसे सूची तो पांचों साल की चाहिए। आप संख्या दे रहे हैं, एक बार 70 बच्चे बैठे थे, एक बार 136 बच्चे बैठे थे। इस सारी सूची के आधार पर आपको इसका बनाना था। बहुत ही मनपूर्वक यह रखा था कि हमारे ट्राइबल एरिये के बच्चे भी आरएएस बनें। इसके पीछे भावना थी और इसीलिए इस कोचिंग की व्यवस्था शुरू की लेकिन अपनी चार साल की उपलब्धि में केवल एक बच्चा क्लीयर कर पाया। क्या हमने जो इतना पैसा खर्च किया, उसका परिणाम केवल एक छात्र रहा? एक, और आपने यह दिया है कि 2018-19 और 2019-20 में इसकी कक्षाएं शुरू नहीं हुईं। ऐसी क्या मजबूरी थी? या तो बच्चे ही नहीं आए या आपने उसकी व्यवस्था नहीं की। किस कारण से क्लासेज लगी नहीं जो 2015 से लग रही थीं?

श्री अर्जुन सिंह बामनिया (राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास): माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ी पीड़ा के साथ में निवेदन करना पड़ रहा है कि 2018-19 में किसकी सरकार थी और ...(व्यवधान)...

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): सरकार किसी की भी हो, जो मेन अधिकारी वहां है, वह जिम्मेदार है। सरकारें तो आती रहेंगी, जाती रहेंगी।

श्री अर्जुन सिंह बामनिया (राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास): मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि जिस भी अधिकारी ने इसमें लापरवाही की है, उसके खिलाफ जांच करके कार्यवाही की जाएगी।

आगामी के लिए मैंने आपसे निवेदन कर दिया है कि 2020-21 में हम पूरी तरह से इसको, प्राइवेट सैक्टर की जो कोचिंग हैं, उनसे और जो भी हम कर सकते हैं, संघ लोक सेवा आयोग और राजस्थान लोक सेवा आयोग, दोनों की हम कोचिंग कराएंगे, मैं आपको आश्वस्त करता हूं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): मैं तो आपसे इतना ही जानना चाहता हूं कि सरकारें आएंगी और जाएंगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 2018-19 का और 2019-20 के ये दो बैच थे। ये दो बैच की क्लासेज नहीं लगी तो इसके लिए जिम्मेदार कौन था?

श्री अर्जुन सिंह बामनिया (राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास): मैंने आपको निवेदन किया कि 2018-19 में आपकी सरकार थी, उसमें कोचिंग नहीं हुई। 2019-20 में कोई परीक्षा का आयोजन नहीं हुआ। प्री परीक्षा का आयोजन होते ही हम कोचिंग कराते हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं..

श्री अध्यक्ष: मंत्री जी, एक मिनट सुनिए।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): मंत्री महोदय, 2018-19 के कागज और 2019-20 के कागज इस सदन की फ्लोर पर रख दो, उसके बाद बात करूंगा आपसे कि वास्तव में आपकी तरफ से कोई प्रयास भी हुआ या नहीं हुआ। ये दोनों ही सालों के जो भी प्रयास हुए उसके जो भी कागज आपके रिकार्ड पर हैं, वह हाउस की टेबल पर रख दें फिर उसके बाद प्रीविलेज मोशन मूव करेंगे।

अध्यक्ष: धन्यवाद। अलग ढंग से इस प्रश्न को लाएं। अगला प्रश्न, श्री कन्हैया लाल।

मालपुरा में नवीन राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय खोलने की कार्ययोजना

259. श्री कन्हैया लाल (मालपुरा): क्या तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) नवीन राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय खोलने के क्या मानदंड निर्धारित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र मालपुरा में नवीन राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा (डा. सुभाष गर्ग): (1) राजकीय क्षेत्र में नया अभियांत्रिकी महाविद्यालय खोलने हेतु राज्य सरकार के कोई मानदंड निर्धारित नहीं हैं। राजकीय क्षेत्र में नया अभियांत्रिकी महाविद्यालय खोलने का निर्णय, क्षेत्रीय आवश्यकताओं का गुणावगुणों के आधार पर आकलन करते हुए किया जाता है।

नया अभियांत्रिकी महाविद्यालय खोलने की प्रक्रिया व मानदंड अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली, भारत सरकार द्वारा निर्धारित है जो कि प्रति वर्ष अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा जारी Approval Process Hand Book में उल्लिखित होते हैं। आगामी सत्र 2020

(राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा)

-21 में खोले जाने वाले नये अभियांत्रिकी महाविद्यालयों की निर्धारित प्रक्रिया व मानदंड अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा जारी वर्ष 2020-21 Approval Process Hand Book का चैप्टर-। संलग्न है। (परिशिष्ट-1)

प्रदेश में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा नये अभियांत्रिकी महाविद्यालयों के निरीक्षण एवं मानदंडों के पूर्ण होने के बाद अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा जारी Letter of Approval प्राप्त होने के पश्चात् ही विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता प्रदान करने की कार्यवाही की जाती है।

(2) जी नहीं। मालपुरा जिला टोंक में आता है। टोंक जिले की निवाई तहसील में पूर्व से ही निजी जन सहभागिता योजनान्तर्गत एक अभियांत्रिकी महाविद्यालय संचालित है जिसमें गत तीन शैक्षणिक सत्रों में नामांकित छात्रों की संख्या शून्य है। (परिशिष्ट-2)

वर्तमान में विभाग के समक्ष विधान सभा क्षेत्र मालपुरा में नवीन राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय खोलने की कार्यवाही विचाराधीन नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री कन्हैया लाल (मालपुरा): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि लगभग 7 हजार विद्यार्थी 12वीं पास करके निकलते हैं। इनमें से 2 हजार से ज्यादा बच्चे इंजीनियरिंग कालेजों में जा रहे हैं और मालपुरा से जयपुर और निवाई बराबर पड़ता है, चाहे निवाई जाएं, तो आप वहां क्यों नहीं खोलना चाह रहे हैं, यह बताएं?

डा. सुभाष गर्ग (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि देश में तकनीकी शिक्षा की जो स्थिति है, उसको लेकर एआईसीटीई ने अभी एक कमेटी का गठन किया। उस कमेटी ने बिलकुल रिकमंड कर दिया और एआईसीटीई ने अप्रूवल कर दिया कि आगामी दो सत्रों में देश में कोई भी निजी क्षेत्र में अभियांत्रिकी महाविद्यालय नहीं खोला जाएगा।

अब बात दूसरी, मैंने जो निवाई का सर्वे करवाया उसमें 800 विद्यार्थी लगभग साइंस के होते हैं। इस वजह से मैं बताना चाहूंगा कि जो हमारे गवर्नमेंट आटोनोमस इंजीनियरिंग कालेज हैं, कुल जो कैपेसिटी हैं, 1271 है, एडमिटेड स्टूडेंट्स 1813 हैं।

(डा. सुभाष गर्ग)

मैं प्राइवेट की बताना चाहूंगा, 33420 सीट हैं और एडमिशन 10278 हो रहे हैं। इसलिए प्रदेश में हम यह कोशिश कर रहे हैं कि वर्तमान में जितने भी महाविद्यालय हैं, चाहे वह प्राइवेट सैक्टर में हैं या गवर्नमेंट सैक्टर में हैं, उनको रेगुलेट किया जाए, उनका इन्फ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया जाए, क्वालिटी एजुकेशन दी जाए, प्लेसमेंट, ट्रेनिंग पर ज्यादा जोर दिया जाए बजाय नये महाविद्यालय खोलने के।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न, रफीक खान।

उद्योग स्थापित करने के लिए एकल खिड़की योजना

260. श्री रफीक खान (आदर्श नगर): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार उद्योगों को विकसित करने के लिए नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कहां-कहां? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उद्योग लगाने हेतु एकल खिड़की योजना के तहत क्या-क्या प्रयास किए गए तथा कितने उद्योग उक्त योजना के तहत स्थापित हुए? विगत एक वर्ष में नई उद्योग नीति लाइसेंस पालिसी के तहत कितनी औद्योगिक इकाइयां लगी हैं? बिना कानून रूपांतरण के क्या RIICO एवं RFC से फंड दिया जा सकता है? यदि हां, तो किस प्रकार से? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उद्योग मंत्री (श्री परसादी लाल): (1) बजट घोषणा वर्ष 2019-20 में नवीन औद्योगिक क्षेत्र 11 ज़िलों में विकसित करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्रों की सूची परिशिष्ट "1" पर संलग्न है।

बजट घोषणा 2020-21 में नवीन औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने के लिए रीको द्वारा अलवर, चूरू, सीकर, जालौर, टोंक, बूंदी, भरतपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, नदबई (भरतपुर) एवं चाकसू (जयपुर) ज़िलों में औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किये जायेंगे एवं औद्योगिक दृष्टि से उपयुक्त भूमि के चिह्नीकरण हेतु सभी जिला कलेक्टरों को लिख दिया गया है।

(2) 1. प्रदेश में उद्योग लगाने और व्यवसाय के लिये सुगम वातावरण स्थापित करने हेतु एकल खिड़की (Single Window) योजना को प्रभावी बनाया जा रहा है। BRAP-2019 के अन्तर्गत नियमों के सरलीकरण के दिशा-निर्देश बनाये जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त, एकल खिड़की को अद्यतन

(उद्योग मंत्री)

किया जा रहा है ताकि यह निवेश अवसरों, सैक्टर्स, इन्वेस्टर लाग-इन, फार्म्स, दिशा-निर्देशों आदि की समुचित सूचना उपलब्ध करवा सकें। BRAP-2019 के दिशा-निर्देशों के अनुसार क्वेरी मैनेजमेन्ट सिस्टम को क्रियान्वित कर दिया गया है। इस हेतु एक व्यक्ति को विशेष रूप से सारे प्रश्नों का विवरण संधारित करने का दायित्व सौंपा गया है। इसके अतिरिक्त राज्य एवं स्थानीय निकायों द्वारा लगाये गये करों की दर/टैरिफ से संबंधित प्रासंगिक जानकारी को ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध करवा दिया गया है।

2. एकल खिड़की व्यवस्था को सुदृढ़ करना एक सतत प्रक्रिया है, इसमें नई सेवाओं को जोड़ा जा रहा है और सिस्टम से पुराने/अप्रचलित फार्म/सेवाओं को हटाया जा रहा है। अब तक इसमें 14 विभागों की 95 सेवाएं उपलब्ध हैं।

3. एकल खिड़की व्यवस्था के तहत उपलब्ध सुविधाओं का संभागीय मुख्यालयों में आयोजित गोष्ठियों में भी व्यापक प्रचार-प्रचार किया गया ताकि अधिक से अधिक लोग इनसे लाभान्वित हो।

4. एकल खिड़की व्यवस्था के तहत दिसम्बर, 2018 से 31 जनवरी, 2020 तक विभिन्न विभागों से अनुमति/स्वीकृति के लिये रुपये 39380 करोड़ के प्रस्तावित निवेश के 56938 आवेदन प्राप्त हुए। इसमें से रुपये 17837 करोड़ के प्रस्तावित निवेश के 15436 प्रस्तावों के लिये अनुमति जारी कर दी गई है।

5. दिनांक 04 मार्च, 2019 को राजस्थान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (स्थापना और प्रवर्तन का सुकरीकरण) अध्यादेश-2019 जारी किया जा चुका है।

6. तत्पश्चात् 17 जुलाई, 2019 को राजस्थान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (स्थापना और प्रवर्तन का सुकरीकरण) अधिनियम लागू किया गया है।

7. उपरोक्त अधिनियम के तहत राज उद्योग मित्र पोर्टल पर दिनांक 27.02.2020 तक एमएसएमई उद्यमों के कुल 3430 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें सूक्ष्म श्रेणी के 1233, लघु श्रेणी के 1376 एवं मध्यम श्रेणी उद्योगों के 821 आवेदन सम्मिलित हैं। इन सभी को एक्नालेजमेन्ट सर्टिफिकेट जारी किया जा चुका है।

भूमि के कानूनन रूपांतरण के बिना रीको लि. द्वारा नये

(उद्योग मंत्री)

एम.एस.एम.ई. एक्ट के प्रावधानों के तहत परियोजनाओं का गुणावगुण के आधार पर विवेचन कर सावधि ऋण स्वीकृत किया जा सकता है।

राजस्थान वित्त निगम इकाइयों की स्थापना हेतु रहन योग्य प्रतिभूति को रहन में रखकर ऋण उपलब्ध कराता है।

इस प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन एवं राज्य सरकार के राजस्व (ग्रुप-6) विभाग के परिपत्र क्रमांक: प.9(78)राज-6/2007/12 दिनांक 03.10.2017 की पालना में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी आदेश पर भी राजस्थान वित्त निगम द्वारा राज्य सरकार के आदेशों की पालना में ऋण उपलब्ध कराया जा सकता है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): खण्ड एक में आपने कहा कि 11 इंडस्ट्रियल एरिया विचाराधीन हैं। इनका अलाटमेंट कब तक शुरू हो जाएगा, अलाटमेंट की कार्यवाही कब तक शुरू हो जाएगी? आपने एकल खिड़की के लिए कहा कि यह आफिस चालू हो गया है, 14 विभागों की 95 सेवाएं उपलब्ध हैं, तो इसका आफिस कहां मेंटेन कर रहे हैं? सबसे प्रमुख बात है, जो इंडस्ट्री लगती है, उसमें लैंड यूज चेंज बहुत बड़ा इश्यू है, जो प्रोजेक्ट सब्मिट किया जा रहा है उसमें जमीन का आबंटन शामिल है? अगर जमीन का आबंटन शामिल नहीं है और कोई अपनी जमीन पर लगाना चाहता है तो वह जमीन बिना कन्वर्जन के मोरगेज की जा सकती है?

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, इतने प्रश्न पूछोगे तो गाड़ी आगे निकल जाएगी। माननीय मंत्री जी।

श्री परसादी लाल (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय, 11 क्षेत्र विकसित करने की घोषणा की थी, उसकी सूची माननीय सदस्य को दे दी गई है। सभी में मामला प्रक्रियाधीन है। कहीं जमीन मिल गई है, कहीं जमीन मिलने की कार्यवाही की जा रही है, कहीं विकसित कर रहे हैं। हम जल्दी ही उद्योगों के लिए विकसित करके आबंटन की प्रक्रिया शुरू करेंगे।

माननीय सदस्य का कहना कि रीको एवं आरएफसी से लोन की प्रक्रिया है, बिना कन्वर्जन के देंगे क्या? हमारा 2019 एमएसएमई एक्ट आया है, उसके बाद आरएफसी हो, रीको हो, सभी को सरकार की नीति के अनुरूप ऋण देना पड़ेगा। अगर किसी तरह की कोई शिकायत आएगी तो सरकार निश्चित रूप से कार्यवाही करेगी। एमएसएमई एक्ट के तहत कोई भी संस्था,

(श्री परसादी लाल)

कोई भी बैंक प्रतिबंधित है कि उसको ऋण दिया जाए, उसके अंतर्गत किसी तरह की कोई मनाही नहीं है।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): रहन योग्य भूमि, जिस जमीन पर उद्योग लग रहा है, वह बिना कन्वर्जन के मोरगेज की जा सकती है?

श्री परसादी लाल (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा जैसे प्रोजेक्ट के लिए जमीन आपकी है, वैसे एमएसएमई एक्ट में तीन साल तक, कोई भी उद्योग लगाने के लिए कन्वर्जन की आवश्यकता नहीं है। जब कन्वर्जन की आवश्यकता नहीं है तो रीको, आरएफसी को प्रोजेक्ट के लिए, जमीन के लिए नहीं, प्रोजेक्ट के लिए तो ऋण देना ही पड़ेगा। इस तरह की पाबंदी हमने विभाग में की है।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न, बलवान पूनियां।

प्रतिबंधित श्रेणियों की भूमि पर लोगों को बसाने हेतु आवासीय नियमन की योजना

261. श्री बलवान पूनियां (भादरा): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार राजस्थान काश्तकारी नियम, 1955 की धारा 16 में संशोधन कर प्रतिबंधित श्रेणियों की भूमि पर लोगों को बसाने के लिए आवासीय नियमन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

राजस्व मंत्री (श्री हरीश चौधरी): जी नहीं। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 में जिन श्रेणियों की भूमि को प्रतिबंधित किया गया है उन पर खातेदारी, आबंटन/नियमन नहीं किया जा सकता है। धारा 16 में वर्णित श्रेणियों की भूमियों में से चरागाह भूमि का वर्गीकरण परिवर्तन कर सिवाय चक दर्ज किया जाकर कृषि अथवा अकृषि प्रयोजन हेतु आबंटन किया जा सकता है। ऐसी भूमियों पर अतिक्रमण कर बसी आबादी के नियमन पर विभिन्न न्यायालयों के समय-समय पर पारित निर्णयों में प्रतिबन्धित भूमियों को अतिक्रमण से मुक्त किए जाने के निर्देश दिये हैं। केवल सार्वजनिक प्रयोजनार्थ व्यापक जनहित में ही ऐसे नियमन पर विचार किया जा सकता है। चरागाह भूमि के वर्गीकरण परिवर्तन की प्रक्रिया राजस्थान काश्तकारी

(राजस्व मंत्री)

(सरकारी) नियम, 1955 के नियम 7 में प्रावधित है। धारा 16 एवं नियम 7 की प्रति परिशिष्ट ''अ'' पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री बलवान पूनियां (भादरा): अध्यक्ष जी, सार्वजनिक प्रयोजनार्थ व्यापक जन हित में ऐसे नियमन किए जा सकते हैं, तो यह सार्वजनिक प्रयोजनार्थ क्या है? दूसरा, औद्योगिक प्रयोजन के लिए आबंटित भूमि में क्या आवासीय नियमन हो सकता है? अगर हो सकता है तो फिर किसानों के साथ भेद क्यों?

श्री हरीश चौधरी (राजस्व मंत्री): नियमों के अनुसार तो औद्योगिक भूमि के आबंटन में आवासीय नहीं हो सकता। अपवाद स्वरूप राजस्थान में ऐसे हुए भी हैं। अगर राजस्व ने रीको को औद्योगिक भूमि आबंटन के लिए किया हुआ है, तो नियम यह कहते हैं कि वह भूमि सिर्फ औद्योगिक के लिए ही होनी चाहिए पर राजस्थान में कई केसेज ऐसे हुए हैं।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): रीको के लिए राजस्व ने भूमि आबंटित कर दी, रीको उसको काम नहीं ले रहा, वहां आवासीय नियमन में लोग जमीन काम ले रहे हैं, उस पर सरकार का क्या कहना है?

श्री अध्यक्ष: वह उद्योग मंत्री जवाब देंगे। अगला प्रश्न। श्री शंकर सिंह रावत

ब्यावर में नवीन कन्या महाविद्यालय की स्थापना

262. श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि ब्यावर में सनातन धर्म राजकीय महाविद्यालय संचालित है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त महाविद्यालय के सभी संकायों में सीटें बढ़ाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार ब्यावर में नवीन कन्या महाविद्यालय खोले जाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा (श्री भंवर सिंह भाटी): (1) जी हां। संसाधनों की उपलब्धता एवं गुणावगुण के आधार पर यथासमय उक्त महाविद्यालय में सीटों की संख्या बढ़ाने पर विचार किया जा सकेगा।

(2) वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं, वहां बच्चों की संख्या चार हजार के करीब है। इतनी छात्र संख्या पूरे राजस्थान में कहीं नहीं होगी, उसको देखते हुए आप वहां कन्या महाविद्यालय खोलेंगे या नहीं खोलेंगे, क्या विचार है?

श्री भंवर सिंह भाटी (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): अध्यक्ष महोदय, वर्तमान में राजस्थान में 289 उपखण्डों में से 237 उपखण्ड मुख्यालयों पर राजकीय कन्या महाविद्यालय संचालित नहीं हैं। 53 उपखण्ड मुख्यालयों पर राजकीय कन्या महाविद्यालय संचालित हैं। गत वर्ष, 2019-2020 में 10 राजकीय कन्या महाविद्यालय बजट घोषणा में खोले गये। आगामी समय में भी, चूंकि बड़ी संख्या में ऐसे उपखण्ड हैं जहां कन्या महाविद्यालय नहीं हैं, तो माननीय मुख्य मंत्री महोदय के द्वारा अभी बजट घोषणा में भी राजस्थान में उपखण्ड मुख्यालयों पर नवीन महाविद्यालय खोले जाने की नीति की घोषणा की गई है। उसके अनुसार पिछले 2-3 सालों में जो कालेज खोले गये, उनमें संसाधनों की उपलब्धता पूर्ण करने का अभी सरकार के द्वारा कार्य करवाया जा रहा है। आगामी समय में मांग के अनुसार राजस्थान में नये कन्या महाविद्यालय खोले जायेंगे।

श्री अध्यक्ष: ब्यावर में तो कोई विचाराधीन है ही नहीं। उत्तर में कहा है कि वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, तो ब्यावर में तो कोई कन्या महाविद्यालय विचाराधीन नहीं है!

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): अध्यक्ष महोदय, एक ही सवाल पूछ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: एक मिनट रुकें, एक मिनट बैठें।

श्री भंवर सिंह भाटी (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): अध्यक्ष महोदय, अभी वर्तमान में नहीं है, लेकिन जो नीति बनाई गई है, उसमें संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार आगामी समय में राजस्थान में नये महाविद्यालय खोलने की बात कही गई है।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न, श्री धर्मनारायण जोशी।

उदयपुर में मौसमी प्रकोप से किसानों को हुए नुकसान का मुआवजा

263. श्री धर्मनारायण जोशी (मावली): क्या आपदा प्रबन्धन एवं सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री धर्मनारायण जोशी)

(1) विधान सभा क्षेत्र मावली, वल्लभनगर, उदयपुर ग्रामीण में दिसम्बर, 2018 से जनवरी, 2020 तक मौसमी प्रकोप से किसानों की फसलों को कितना नुकसान हुआ? पटवार सर्कल के अनुसार गिरदावरी रिपोर्ट सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त प्रभावित किसानों को कितना मुआवजा भुगतान किया गया? क्या किसानों का कोई भुगतान शेष है? पंचायतवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

आपदा प्रबंधन एवं सहायता (मास्टर भंवरलाल मेघवाल): (1) प्राकृतिक आपदा से दिसम्बर, 2018 (रबी संवत 2075) एवं जनवरी 2020 (रबी संवत 2076) में कोई खराबा नहीं हुआ है। वर्ष 2019 (खरीफ फसल 2076) में विधान सभा क्षेत्र मावली में 3954 हैक्टेयर, वल्लभनगर में 43520 हैक्टयर एवं उदयपुर ग्रामीण में 8294 हैक्टेयर, कुल 55768 हैक्टेयर फसलों का खराबा हुआ है, जिसका पटवार सर्कल अनुसार विवरण परिशिष्ट-"अ" पर संलग्न है।

(2) एस.डी.आर.एफ. नोर्म्स अनुसार 902 कृषकों को 29.22 लाख रुपये कृषि आदान अनुदान का भुगतान कर दिया गया है। भुगतान किये गये एवं भुगतान से शेष रहे किसानों का पंचायतवार विवरण परिशिष्ट-"ब" पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री धर्मनारायण जोशी (मावली): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि ये 902 किसानों को किस आधार पर, आपने क्या मापदण्ड तय करके मुआवजा दिया? मेरा पहला प्रश्न।

मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि मावली व वल्लभनगर, दोनों तहसीलें मिली हुई हैं। एक पंचायत में फसल का खराबा हुआ 35 परसेंट और उससे लगी हुई वल्लभनगर पंचायत में फसल खराबा हुआ 65 परसेंट। हमारे यहां फसल खराबा 3454 हैक्टेयर में हुआ है और वल्लभनगर में 43000 में हुआ है। कहां 3000 और कहां 43000, क्या बारिश एक क्षेत्र में नहीं हुई है और दूसरे क्षेत्र में हुई है? मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि तहसीलदार एक ही था, मैंने कलेक्टर से निवेदन किया।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न पूछें।

श्री धर्मनारायण जोशी (मावली): कलेक्टर ने वापस सर्वे कराया। उसके बाद भी नहीं बढ़ा। मेरी प्रार्थना है कि क्या हम वापस उसकी गिरदावरी करवाने की इच्छा रखते हैं और क्या आप उन किसानों को मुआवजा देने का आप इरादा रखते हैं?

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, गिरदावरी एक बार होती है। अब दुबारा गिरदावरी का सवाल ही नहीं उठता। चूंकि वही तहसीलदार है, वही कलेक्टर है, वही ए.डी.एम. है। जब एक बार गिरदावरी हो गई तो अब गिरदावरी का सवाल ही नहीं उठता। दुबारा क्यों गिरदावरी कराएंगे? अब फसल तो पहले ही चली गई। पहले संवत 2075 में चली गई, 2076 में चली गई। अब कैसे उसकी दुबारा गिरदावरी करवाई जा सकती है?

श्री अध्यक्ष: कटारियाजी।

श्री धर्मनारायण जोशी (मावली): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है।

श्री अध्यक्ष: एक बार बैठें। पहले कटारियाजी बोल लें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, इन्होंने जो चार्ट दिया है, उसको आपने देखा होगा। इसमें मावली में किसानों का जो खराबा हुआ वह 15122 किसानों का खराबा हुआ, उदयपुर ग्रामीण में 44246 किसानों का हुआ, वल्लभनगर में 114742, कुल 169110 लोगों का खरीफ, 2019, फिर बोल रहा हूं खरीफ, 2019, और अब तक 902 किसानों को पेमेण्ट हुआ है। कारण क्या है, जिसके कारण से और 169110 में से ये 209 सलेक्ट कैसे किये? इसका मतलब यह है कि खरीफ, 2019 के सारे राजस्थान के किसान आज भी आपदा राहत से सहयोग मिलने से वंचित हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): शेम।

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): शेम की आवश्यकता नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, मैंने पिछले 5 साल का रिकार्ड देखा। मई-जून से पहले कभी पैसा देना चालू ही नहीं हुआ। इस सरकार ने पहली दफा फरवरी के अन्दर यह पैसा देना चालू कर दिया और आज मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि बाकी जो काश्तकार हैं, उन काश्तकारों को आने वाले, चूंकि यह कलेक्टर द्वारा यहां पर भेजा जाता है और 31 मार्च तक सारा दे दिया जायेगा। यह मैं कह रहा हूं। कलेक्टर के द्वारा भेजा जाता है। माननीय नेता महोदय, आपने सारी

(मास्टर भंवरलाल मेघवाल)

चीजें पहले देखी हैं। मैं बहुत स्पष्ट बात कहना चाहूंगा कि मई-जून से पहले आज तक इतिहास में नहीं दिया गया है। यह पहली दफा फरवरी में चालू किया है, सम्भवतया 31 मार्च तक हर काश्तकार को पैसा दे दिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न, श्रीमती मीना कंवर।

श्रीमती मीना कंवर (शेरगढ़): प्रश्न, संख्या 264.

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): मैं ज्यादा इतिहास में नहीं जाता, आप पुराने, 2015 से लेकर अब तक खरीफ की कह रहा हूं, खरीफ फसल का आपदा राहत के तहत पैसा कब-कब, कितने-कितने किसानों को दे दिया? आप एक चार्ट सदन के पटल पर रख दो ताकि हमारे मन को संतोष हो जाएं कि जो आपने कहा है उसमें 100 परसेंट सच्चाई है।

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): अध्यक्ष महोदय, यह जो प्रश्न आपने दिया है, यह 2019-20 का है। आप चाहेंगे तो मैं सदन के पटल पर लाकर पूरा रख दूंगा, चिंता करने की जरूरत नहीं कि कब-कब क्या हुआ है?

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): मैं 2015 से ले करके 2019-20 तक, आप जो कह रहे हैं खरीफ की फसल का पेमेण्ट मई-जून में हुआ, अगले साल की मई-जून में, वह रिकार्ड आप यहां रख दो, 2015 से लेकर।

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): मैंने आपसे कहा न कि जब कहोगे तब ला करके मैं सदन के पटल पर रख दूंगा कि कब-कब दिया। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। (व्यवधान) माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

डा. सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर द्वारा बी.एससी. नर्सिंग (आयुर्वेद) कोर्स का संचालन

264. श्रीमती मीना कंवर (शेरगढ़): क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि डा. सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर द्वारा बी.एससी. नर्सिंग (आयुर्वेद) कोर्स वर्ष 2015-

(श्रीमती मीना कंवर)

16 में प्रारम्भ किया गया था? यदि हां, तो पाठ्यक्रम के विवरण वर्ष 2015-16 में अब तक प्रवेशित विद्यार्थियों का वर्गवार, वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त कोर्स प्रारम्भ करने से पूर्व विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा मान्यता प्राप्त कर ली गई थी? यदि हां, तो मान्यता आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें एवं नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि उक्त कोर्स विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) मान्यता/संबद्धन लिये बगैर प्रारम्भ कर दिया गया था? यदि हां, तो किन कारणों से? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त कोर्स बगैर मान्यता प्राप्त किये प्रारम्भ करने वाले दोषी अधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) उक्त कोर्स प्रारम्भ करने से लेकर अब तक डा. सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर द्वारा कोर्स को संचालित करने पर किस-किस मद में कितनी-कितनी राशि व्यय की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या सरकार बी.एससी. नर्सिंग (आयुर्वेद) के विद्यार्थियों के हित में उनकी डिग्री का परीक्षा परिणाम जारी करने से पूर्व विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) से मान्यता/सबंद्धन करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

राज्य मंत्री, आयुर्वेद (डा. सुभाष गर्ग): (1) जी हां। वर्ष 2015-16 में अब तक बी.एससी. नर्सिंग (आयुर्वेद) पाठ्यक्रम के अन्तर्गत नामांकित विद्यार्थियों की वर्गवार, वर्षवार सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। विश्वविद्यालय, राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय अधिनियम, 2002 की धारा 5 एवं धारा 18 के विभिन्न खण्डों में विहित प्रावधानान्तर्गत आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा पद्धति का कोई भी शिक्षण, प्रशिक्षण उपलब्ध कराने, उपाधियां-डिप्लोमा स्थापित करने, अनुमोदित पाठ्यक्रम अनुसार परीक्षाएं आयोजित करने व उपाधियां प्रदान करने हेतु अधिकृत है। तदनुसार, पाठ्यक्रम को प्रारम्भ करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) की मान्यता आवश्यक नहीं है, यू.जी.सी. की

(राज्य मंत्री, आयुर्वेद)

मान्यता की आवश्यकता केवल इस डिग्री को स्नातक डिग्री के समतुल्य बनाने हेतु आवश्यक है। इस सम्बध में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

श्रीमती मीना कंवर (शेरगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठें, बैठें। पूरा उत्तर सुन लें।

डा. सुभाष गर्ग (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा): (3) जी हां। विश्वविद्यालय, राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय अधिनियम, 2002 की धारा 5 एवं धारा 18 के विभिन्न खण्डों में विहित प्रावधानान्तर्गत आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा पद्धति का कोई भी शिक्षण, प्रशिक्षण उपलब्ध कराने, उपाधियां-डिप्लोमा स्थापित करने, अनुमोदित पाठ्यक्रम अनुसार परीक्षाएं आयोजित करने व उपाधियां प्रदान करने हेतु अधिकृत है। तदनुसार, पाठ्यक्रम को प्रारम्भ करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) की मान्यता/सबंधन आवश्यक नहीं है, यू.जी.सी. की मान्यता की आवश्यकता इस डिग्री को स्नातक डिग्री के समतुल्य बनाने हेतु आवश्यक है या नहीं, इस हेतु यू.जी.सी. से पत्राचार किया गया है।

(4) जी नहीं। क्योंकि पाठ्यक्रम को प्रारम्भ करने के लिए यू.जी.सी. की मान्यता आवश्यक है अथवा नहीं, इस हेतु यूजीसी से मार्गदर्शन प्राप्त करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(5) राशि व्यय का विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(6) जी हां। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 के अध्याय 4 अनुसार बी.एससी. नर्सिंग (आयुर्वेद) कोर्स की मान्यता/सम्बद्धता के क्रम में यूजीसी से मार्गदर्शन प्राप्त किया जा रहा है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्रीमती मीना कंवर (शेरगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय से पूछना चाहती हूं कि आप एक तरफ तो यू.जी.सी. की मान्यता की आवश्यकता नहीं है, बता रहे हैं और दूसरी ओर परीक्षा परिणाम जारी करने हेतु यू.सी.सी. से पत्राचार कर रहे हैं। अगर मान्यता समय पर नहीं मिली तो युवाओं के भविष्य का क्या होगा?

क्वेश्चन नम्बर दो, आयुष विभाग केन्द्र नहीं बनायेगा तो भविष्य में सुरक्षित कैसे रहेगा? बिना केन्द्र बी.एससी. की नर्सिंग के लिये युवाओं का भविष्य क्या होगा?

डा. सुभाष गर्ग (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा): माननीय अध्यक्ष

(डा. सुभाष गर्ग)

महोदय, मैं माननीय सदस्या को बताना चाहूंगा कि यूजी.सी. एक्ट 1956 के चैप्टर 4 में 22 सब-क्लाज है, जिसमें लिखा हुआ है “the right of conferring or granting degrees shall be exercised only by a University established or incorporated by or under a central Act, a Provincial Act, a State Act or an institution deemed to be a University under section 3 or an institution specially empowered by an Act of Parliament to confer or grant degrees.”

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक चीज यह बताना चाहूंगा कि कोई भी विश्वविद्यालय जो एक्ट के द्वारा स्थापित किया गया है, उसको यू.जी.सी. की जो लिस्ट है, उसके अनुसार कोई भी डिग्री देने के लिए वह अधिकृत है और यू.जी.सी. की जो लिस्ट है उसमें बी.एससी. नर्सिंग ऑलरेडी एप्रूव्ड है क्योंकि पहला बैच, यह पहली बार निकला है तो कुछ स्टूडेंट्स को प्राब्लम हुई जहां कि same जो equivalence वाली बात है तो संबंधित विश्वविद्यालय जहां भी जो स्टूडेंट एप्लाई करता है एडमिशन के लिए वह equivalence जो है, वह संबंधित यूनिवर्सिटी देती है फिर भी बच्चों की संतुष्टि के लिए मैंने खुद यू.जी.सी. में बात की है। यू.जी.सी. का यह कहना है कि बी.एससी. नर्सिंग (आयुर्वेद) आप डिग्री दे सकते हैं। क्लेरीफिकेशन मांग लिया जिससे कि यू.पी.एस.सी. को, आर.पी.एस.सी. को और इसके बाद संबंधित विश्वविद्यालयों को भी समतुल्यता के लिए लिख दिया जाएगा।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, 2015-16 में यह कोर्स चल गया और 2019 हो गया। यदि यह कोर्स यू.जी.सी. से एप्रूव नहीं है तो राजस्थान के बाहर तो कोई लड़का नौकरी कर ही नहीं पाएगा। यू.जी.सी. की जो मान्यता है, उसमें चार साल तक हम इसको equivalence के लिए नहीं कर पा रहे हैं।

डा. सुभाष गर्ग (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं फिर आपको यह बताना चाहूंगा कि यूजी.सी. की मान्यता जरूरी नहीं है।

श्री अध्यक्ष: तो फिर क्यों लिख रहे हैं?

डा. सुभाष गर्ग (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा): बिलकुल आवश्यक नहीं है।

श्री अध्यक्ष: फिर क्यों लिख रहे हैं हम?

डा. सुभाष गर्ग (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा): लिख इसलिए रहे हैं कि

(डा. सुभाष गर्ग)

क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ने एप्रोच किया तो क्लेरीफिकेशन हम ले लेते हैं कि भाई, यू.जी.सी. की जरूरत नहीं है।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, आप दुबारा चैक कर लें। यदि यू.जी.सी. से मान्यता नहीं होगी तो इस डिग्री के लड़के बाहर जाकर कहीं नौकरी नहीं कर सकेंगे। आप उसको चैक कर लें। यदि हमने विश्वविद्यालय खोला है तो बाहर का बच्चा भी पढ़ने के लिए आएगा और जब पढ़ने आएगा तो बाहर अपनी स्टेट में जाकर नौकरी करने जाएगा और जब यू.जी.सी. से एप्रूव नहीं होगा तो उस बच्चे को नौकरी नहीं मिलेगी।

डा. सुभाष गर्ग (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा): मैं सदन को यह आश्वस्त करता हूं कि डिग्री बिलकुल मान्य है मान्य ही रहेगी और फिर भी सदन की भावना को देखते हुए बाकी यह क्योंकि यह विभाग ने पत्राचार ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी, यह 2015 का कोर्स है, 2019 तक हम अभी तक लिख रहे हैं तो हम अभी यू.जी.सी. से यह भी नहीं कर पा रहे हैं कि भाई, यह कोर्स रिकोग्नाइज्ड है या रिकोग्नाइज्ड नहीं है?

डा. सुभाष गर्ग (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा): सर, कोर्स रिकोग्नाइज्ड है। मैं बिलकुल सदन में ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: किसके द्वारा? प्लीज, किसके द्वारा? This course is not recognized by UGC. Be clear about it. Please listen it very carefully. मंत्रीजी, यह एक यूनिवर्सिटी ने एक कोर्स प्रारम्भ किया, वह यूनिवर्सिटी के कोर्स के अंदर एप्रूव्ड है बाई यूनिवर्सिटी। This course is not recognized by UGC. आप जो लिख रहे हैं कोरेस्पांडेंस कि बी.एससी. नर्सिंग (आयुर्वेद) को बी.एससी. नर्सिंग माना जाए, यह आयुर्वेद से आप कोरेस्पांडेंस कर रहे हैं। वह कह रहे हैं कि आप यह कर सकते हो। पहले यू.जी.सी. से बी.एससी. नर्सिंग (आयुर्वेद) को बी.एससी. नर्सिंग के बराबर नहीं मानेंगे तो यहां के लड़के बाहर जाकर नौकरी नहीं कर पाएंगे, यह प्रश्न है।

डा. सुभाष गर्ग (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं फिर कह रहा हूं कि कोर्स को मान्यता है, इसको। यू.जी.सी. अलग से किसी भी कोर्स को मान्यता नहीं देती है। क्लेरीफिकेशन केवल equivalence के लिए दिया गया है कि भाई, बी.एससी. नर्सिंग आलरेडी उनकी लिस्ट में है।

श्री अध्यक्ष: Gentleman, what is equivalence? Equivalence का मतलब, इस डिग्री को दूसरे के समान माना जाए। अलग-अलग जगह यूनिवर्सिटीज को लिखकर भेजेंगे तो लड़के कहां डिग्री करने जाएंगे? यू.जी.सी. की equivalence से यह फायदा है कि थ्रूआउट यूनिवर्सिटीज जितनी भी हैं इंडिया में, उनको मान्यता मिल जाएगी। आप यू.जी.सी. से मान्यता लेने जाएंगे तो हर को मान्यता देनी पड़ेगी। आप इसको दिखवा लें और उसके बाद आप जवाब दें तो ठीक रहेगा।

डा. सुभाष गर्ग (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा): ठीक, सर।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री लाखन सिंह।

करौली शहर में पतंजलि को लीज पर दी गयी जमीन की जांच

265. श्री लाखन सिंह (करौली): क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि पूर्ववर्ती सरकार द्वारा करौली शहर में पतंजलि को करीब 400 बीघा जमीन लीज पर दी गई है? यदि हां, तो किस नियम व प्रावधान के तहत? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त को लीज पर दी गई जमीन की जांच कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, देवस्थान (श्री गोविन्द सिंह डोटासरा): (1) जी नहीं। पूर्ववर्ती सरकार द्वारा करौली शहर में पतंजलि को करीब 400 बीघा जमीन लीज डीड नहीं की गई है।

(2) जी नहीं।

श्री लाखन सिंह (करौली): माननीय अध्यक्ष महोदय, करौली मंदिर गोविंद देव के ट्रस्ट के लिए 18 अगस्त, 2016 को लीज डीड पतंजलि, हरिद्वार अजय आर्य के पक्ष में की गयी है और सरकार ने जो पैसा बकाया है, उसके लिए अभी भी नोटिस दिया है पतंजलि योग पीठ के अजय आर्य को 1 करोड़ 74 लाख 56 हजार 540 रुपये का और मुद्रांक पंजीयन शुल्क बकाया है। सम्पत्ति विवरण में सिंचित 33 एवं असिंचित 327 बीघा सहित कुल 360 बीघा जमीन है और सरकार इसका 12 परसेंट ब्याज भी मांग रही है। सरकार यह कह रही है कि हमें पता नहीं है।

श्री अध्यक्ष: आप प्रश्न पूछें। आपका प्रश्न क्या है?

श्री लाखन सिंह (करौली): क्या सरकार जो गरीब लोगों के घर उजड़े हैं, उनको वापस बसाने का काम करेगी और जिस तरह से अवैध कब्जा कर रखा है सिवाय चक पर और जो गौचर जमीन है और इसमें पांचना बांध के जो भराव क्षेत्र में आ गयी थी, वह जमीन भी उन्होंने पैसा दे दिया है, उस पर भी कब्जा कर रखा है, क्या सरकार उसको खाली करवाने का काम करेगी?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (राज्य मंत्री, शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो सवाल पूछा कि क्या सरकार के द्वारा इनको लीज दी गयी है तो मैंने यह जवाब दिया था कि सरकार के द्वारा कोई लीज डीड नहीं की गयी है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान लोक न्यास अधिनियम, 1959 की धारा 31 है, उसका जो (ख) है उसमें यह प्रावधान है कि अगर कोई एग्रीकल्चर लैंड है किसी ट्रस्ट के पास में तो वह पांच साल के लिए किसी को भी लीज पर दे सकती है, राज्य सरकार से उसकी अनुमति की आवश्यकता नहीं है। यह जो पतंजलि वाला ट्रस्ट है बाबा रामदेवजी का, इन्होंने लीज पर लेने के लिए कहा, फिर इन्होंने यह कहा कि, साहब, पचास साल के लिए लीज पर दो तो राज्य सरकार के पास में यह बात आई तो राज्य सरकार ने उसको नौ साल के लिए लीज पर देने की सहमति, स्वीकृति दे दी लेकिन चूंकि उनको तो पचास साल के लिए लेना था इसलिए विपक्ष मजबूत था, मुद्दे उठने स्वाभाविक थे इसलिए इस लीज को वापस प्रत्याहारित कर लिया गया और इनके द्वारा आगे नौ साल की भी उस स्वीकृति को वापस ले लिया गया। अब चूंकि, यह रजिस्टर्ड ट्रस्ट है इसलिए वह उसका विषय है, सरकार का इससे कोई विषय नहीं है।

प्रश्न संख्या 266

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न स्थगित।

धरियावद के जनजाति क्षेत्र में विकास हेतु आबंटित बजट का उपयोग

266. श्री गोतमलाल (धरियावद): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(1) क्या यह सही है कि जनजाति आदिवासी क्षेत्र में सरकारी सुविधाओं पेयजल, विकास, शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य जीवन स्तर, रोजगार, महिला बाल विकास, बैंकिंग सुविधाओं, कृषि सुधार योजनाओं, सड़क, विद्युतीकरण आदि में पिछड़ा हुआ है? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या उक्त क्षेत्र के लिए कौन-कौनसे सुधारात्मक उपाय प्रस्तावित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री गोतमलाल)

(3) क्या यह सही है कि विगत दो वर्षों में उक्त पर विधान सभा क्षेत्र धरियावद में जनजाति क्षेत्र के लिए आवंटित राशि का उपयोग संबंधित विभागों द्वारा पूर्ण रूप से किया गया है? यदि हां, तो भौतिक उपलब्धियां क्या रही व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(स्थगित)

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री वासुदेव देवनानी।

अजमेर में संस्कृत विद्यालयों व महाविद्यालय में विभिन्न संवर्ग के स्वीकृत रिक्त पदों को भरने की कार्ययोजना

267. श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): क्या संस्कृत शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में संस्कृत शिक्षा के प्रसार हेतु वर्ष 2018-19 में कितने नये विद्यालय व महाविद्यालय खोले गये? जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त शिक्षा के प्रदेश में विद्यालय व महाविद्यालयों में विभिन्न संवर्गों के कितने पद स्वीकृत हैं तथा उनमें से कितने पदों पर कार्मिक कार्यरत हैं व कितने रिक्त हैं? संवर्गवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) जिला अजमेर में संस्कृत शिक्षा के विद्यालय व महाविद्यालयों में उक्त संवर्गों के स्वीकृत, रिक्त व कार्यरत पदों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) विगत एक वर्ष में सरकार द्वारा संस्कृत शिक्षा के कितने विद्यालय व महाविद्यालय खोले गये? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) उक्त अवधि में सरकार द्वारा संस्कृत शिक्षा के कितने पद विज्ञापित किये गये व उनमें से कितने पद भरे गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, संस्कृत शिक्षा (डा. सुभाष गर्ग): (1) संस्कृत शिक्षा विभाग में वर्ष 2018-19 में नये राजकीय विद्यालय एवं महाविद्यालय नहीं खोले गये।

(2) प्रदेश के राजकीय संस्कृत विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का संवर्गवार संख्या विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(3) जिला अजमेर के राजकीय संस्कृत महाविद्यालयों एवं विद्यालयों में विभिन्न संवर्गो के स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(राज्य मंत्री, संस्कृत शिक्षा)

(4) वर्ष 2019-20 में संस्कृत शिक्षा में एक राजकीय शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय को आचार्य स्तर पर तथा 49 राजकीय प्रवेशिका विद्यालय को वरिष्ठ उपाध्याय स्तर, 10 उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय को प्रवेशिका स्तर पर एवं 6 प्राथमिक संस्कृत विद्यालयों को उच्च प्राथमिक स्तर पर क्रमोन्नत किया गया है तथा 5 नवीन राजकीय प्राथमिक संस्कृत विद्यालय खोले गये हैं। जिलेवार विवरण परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(5) वर्ष 2019 में राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा संशोधित विज्ञापन जारी कर प्राध्यापक विद्यालय के विभिन्न विषयों के 264 पदों के लिये प्रतियोगी परीक्षा हेतु विज्ञापन जारी कर आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये हैं। प्राध्यापक विद्यालय के अन्य 22 पदों की भर्ती हेतु कार्यवाही आयोग के स्तर पर प्रक्रियाधीन है।

वरिष्ठ अध्यापक के विभिन्न विषयों के 718 पदों के लिये राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा प्रतियोगी परीक्षा का परिणाम घोषित किया जाकर पात्रता जांच काउंसलिंग का कार्य किया जा रहा है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): माननीय अध्यक्ष महोदय, वरिष्ठ अध्यापक के कुल 3097 पद स्वीकृत हैं। 1617, 55 परसेंट पद खाली हैं। इसी तरह से प्राध्यापकों के भी 837 में से 495 पद खाली हैं। मेरा पहला प्रश्न यह है कि वरिष्ठ अध्यापक और प्राध्यापकों की यह अभ्यर्थना कब गयी थी, परीक्षा कब हुई, काउंसलिंग का काम कब शुरू हुआ और कब तक आप नियुक्ति दे देंगे?

इसी तरह से प्राध्यापकों में भी अभ्यर्थना कब गयी थी और कब तक इनको आप नियुक्ति दे देंगे, कब तक यह प्रक्रिया पूरी होगी?

डा. सुभाष गर्ग (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रधानाध्यापक प्रवेशिका विद्यालय के भर्ती का स्वीकृति का विवरण, 20.05.2016 को 42 पदों को भरने की स्वीकृति प्राप्त हुई उसके बाद 19.07.2018 को 58, कुल 100 पदों की भर्ती की स्वीकृति प्राप्त हुई जिसमें अभ्यर्थना भिजवाने का विवरण पत्र दिनांक 01.06.2016 द्वारा आयोग को अभ्यर्थना प्रेषित की गयी, फिर 11.12.2019 द्वारा आयोग के कुल 100 पदों की संशोधित अभ्यर्थना प्रेषित की गयी। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा दिनांक 24.10.2016 को 42 पदों के लिए विज्ञापन जारी और फिर प्राध्यापक विद्यालय शाखा अभ्यर्थना भिजवाने का विवरण, 13.12.2016 द्वारा आयोग

(डा. सुभाष गर्ग)

को प्रेषित किया गया, इसके बाद 17.12.2019 द्वारा आयोग को कुल 286 पदों की संशोधित अभ्यर्थना प्रेषित की गयी। विज्ञप्ति जारी करने का विवरण, राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा दिनांक 29.03.2018 को 125, 134 पद हेतु विज्ञापन जारी। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा दिनांक 01.06.2020 को 262 पदों हेतु विज्ञापन जारी, 286 पदों की संशोधित अभ्यर्थना में से शेष 22 पदों हेतु आयोग द्वारा विज्ञापन जारी किया जाना शेष है।

वरिष्ठ अध्यापक, दिनांक 14.03.2017 द्वारा आयोग को अभ्यर्थना प्रेषित, राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा दिनांक 29.03.2018 को विज्ञापन जारी कर दिनांक 27.02.2019 से 20.02.2019 तक चयन परीक्षा आयोजित की तथा दिनांक 22.11.2019 को 718 पदों का परिणाम जारी किया। प्रशासनिक विभाग के पत्र दिनांक 19.07.2018 द्वारा 177 पदों को भरने की स्वीकृति प्राप्त हुई जिसकी पालना में आयोग को 867, 690 प्लस 177 पदों की संशोधित अर्थना दिनांक 06.03.2019 को भिजवायी गयी, किन्तु आयोग ने वर्तमान भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद 177 पदों की अर्थना भिजवाने हेतु निर्देशित किया है।

शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड-थर्ड, अभ्यर्थना भिजवाने का विवरण पत्र दिनांक 11.12.2019 द्वारा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को 7 पदों की अभ्यर्थना प्रेषित, पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड-थर्ड पत्र दिनांक 11.12.2019 द्वारा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को 31 पदों की अभ्यर्थना प्रेषित, अध्यापक लेवल-फर्स्ट एवं द्वितीय परीक्षा के आयोजन उपरांत विभागीय स्तर से विज्ञापन जारी कर भर्ती की जानी प्रस्तावित।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न पूछें। आपका कांक्रीट प्रश्न क्या है?

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): मैंने कांक्रीट यह पूछा है कि यह सब पिछली सरकार की भी थी और इस सरकार की भी मंशा है क्या कि नये पदों को अभ्यर्थना भेजकर भरने की मानसिकता है या नहीं? एक तो मेरा यह प्रश्न है। दूसरा प्रश्न मेरा अजमेर से जुड़ा हुआ है। मेरे वहां पर कुण्ड गेट सावर का जो महाविद्यालय है, उसमें केवल एक ही व्याख्याता के भरोसे पूरा कालेज चल रहा है। क्या सरकार वहां पर कोई व्यवस्था करने का विचार रखती है? साथ ही अजमेर के 110 प्राध्यापकों में से 66 पद रिक्त हैं। इसके कारण विद्यार्थियों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है। क्या सरकार उनकी पढ़ाई को व्यवस्थित करने के लिये कोई व्यवस्था करना चाहती है? यदि हां, तो कब तक?

डा. सुभाष गर्ग (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा) माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि पूरी कार्ययोजना तैयार कर ली गयी है, जिसमें निश्चित रूप से 718 पद, जो मैंने आपको बताये थे, काउंसलिंग प्रक्रिया जारी है, उसमें आप भी जानते हैं, आप भी शिक्षा मंत्री रहे हैं। होता क्या है, सामान्य शिक्षकों की भर्ती भी साथ-साथ होती है। उसकी वजह से ज्यादातर टीचर्स सामान्य शिक्षक भर्ती में चले जाते हैं और पद खाली रहते हैं तो आर.पी.एस.सी. ने यह कहा है कि पहले सामान्य शिक्षकों की भर्ती कर ली जाए। उसके बाद इसकी काउंसलिंग की जाएगी।

दूसरा, जो आपने सावर का कहा, मैं माननीय अध्यक्ष को बताना चाहूंगा कि एक ही प्राध्यापक कार्यरत है और निश्चित रूप से अगले सत्र में सावर के कालेज में प्राध्यापकों की नियुक्ति कर दी जाएगी।

तीसरा कहा अजमेर जिले में, तो मैंने आपको बताया, क्योंकि, माननीय अध्यक्ष महोदय, 2008, 2015 और 2018 में जो सेवा नियमों में संशोधन किये गये, 2015 के बाद 2018 में स्कूल शिक्षा में सेवा नियमों में परिवर्तन किया गया, जिसकी वजह से आधे पद डी.पी.सी. के माध्यम से भरे जाते हैं, आधे पद सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाते हैं तो सीधी भर्ती से जैसे ही हमें आर.पी.एस.सी. से लिस्ट होती है, वहां अजमेर जिले के अधिकांश रिक्त पदों पर भर्ती कर दी जाएगी।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री फूल सिंह मीणा।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): मेरा एक छोटा-सा प्रश्न और है। साधारण शिक्षकों के 10 प्रतिशत ...(व्यवधान) क्या यह देंगे?

श्री अध्यक्ष: प्लीज आप बैठें। अगला प्रश्न।

कलड़वास (उदयपुर) के रीको एरिया के विस्थापित परिवारों को आवास आबंटन

268. श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में कलड़वास रीको एरिया को कब प्रारम्भ किया तथा उसमें कितनी जमीन आबंटित की गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार ने उक्त क्षेत्र में बसी हुई बस्ती व किसानों को मुआवजा देकर भूमि को खाली करवाकर कब्जा ले लिया है? यदि हां, तो कब? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री फूल सिंह मीणा)

(3) क्या सरकार उक्त क्षेत्र में बेघर हुए परिवारों को घर बनाकर देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कहां व कब तक? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उद्योग मंत्री (श्री परसादी लाल): (1) उदयपुर जिले में कलड़वास में कुल तीन औद्योगिक क्षेत्र भामाशाह कलड़वास, आई.आई.डी. सेन्टर, कलड़वास एवं कलड़वास विस्तार स्थापित किये गये हैं:-

(i) औद्योगिक क्षेत्र भामाशाह कलड़वास की प्रशासनिक स्वीकृति माह अक्टूबर, 1997 में जारी कर प्रारम्भ किया गया एवं इस औद्योगिक क्षेत्र में कुल 156.25 एकड़ भूमि आबंटित की गई है।

(ii) औद्योगिक क्षेत्र आई.आई.डी. सेन्टर की प्रशासनिक स्वीकृति दिनांक 20.06.1998 को जारी कर प्रारम्भ किया गया एवं इस औद्योगिक क्षेत्र में कुल 73.91 एकड़ भूमि आबंटित की गई है।

(iii) औद्योगिक क्षेत्र कलड़वास विस्तार की प्रशासनिक स्वीकृति 23.05.2011 को जारी कर प्रारम्भ किया गया एवं इस औद्योगिक क्षेत्र में कुल 70.19 एकड़ भूमि आबंटित की गई है। कलड़वास में स्थापित औद्योगिक क्षेत्रों का विवरण परिशिष्ट ''1'' पर संलग्न है।

(2) रीको द्वारा औद्योगिक क्षेत्र आई.आई.डी. सेन्टर, कलड़वास एवं भामाशाह कलड़वास राजकीय भूमि पर विकसित किये गये एवं इस भूमि पर रीको को आबंटन के पश्चात् कब्जा लेते समय कोई बस्ती बसी हुई नहीं थी।

वर्तमान में नया औद्योगिक क्षेत्र कलड़वास विस्तार कुल 234.835 (580.27 एकड़) हैक्टेयर भूमि पर स्थापित किया जा रहा है। इस 234.835 हैक्टेयर भूमि में से 225.605 हैक्टेयर अवाप्तशुदा निजी भूमि है एवं 9.23 हैक्टेयर राजकीय भूमि है। अवाप्तशुदा निजी भूमि के खातेदारों को 1024.09 लाख राशि का नकद भुगतान किया जा चुका है। मुआवजे की एवज में जिन खातेदारों द्वारा विकसित 25 प्रतिशत भूमि (20 प्रतिशत आवासीय एवं 5 प्रतिशत व्यवसायिक) के आबंटन हेतु आवेदन पत्र प्रेषित किये गये थे, ऐसे खातेदारों को नियमानुसार भूखण्ड का आबंटन किया जा रहा है। अवाप्तशुदा निजी 225.605 हैक्टेयर भूमि में से 174 हैक्टेयर भूमि का कब्जा निगम द्वारा प्राप्त कर लिया गया है। शेष रही 51.605 हैक्टेयर भूमि पर राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर का स्थगन आदेश प्रभावित होने के कारण कब्जा नहीं लिया गया है। कब्जा पत्रों की प्रति परिशिष्ट ''3'' पर संलग्न है। निजी भूमि के कब्जा पत्रों में यह उल्लेख किया गया है कि उपरोक्त भूमि के जिन

(उद्योग मंत्री)

आराजियात पर मकान निर्मित है, वर्तमान में खातेदार उनमें निवासरत होने के कारण इन मकानों को हटाया नहीं गया है एवं इस तरह की भूमि पर निर्मित मकानों का कब्जा बाद में लिया जायेगा।

कलड़वास में स्थापित औद्योगिक क्षेत्रों हेतु रीको को आबंटित/रीको द्वारा अवाप्त की गई भूमि का विवरण परिशिष्ट ''2'' पर संलग्न है।

(3) वर्तमान में रीको में ऐसी कोई नीति प्रचलित नहीं है जिसमें रीको को आबंटित अथवा रीको हेतु अवाप्तशुदा भूमि में पूर्व से बसी हुई बस्ती को आबंटन/अवाप्ति के फलस्वरूप बेघर हुए परिवारों को घर बनाकर स्थापित किया जाए।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक तो इस रीको एरिया के अंदर धर्मराज जी का मंदिर है, किसानों को तो शिफ्ट कर दिया मगर उस मंदिर का क्या आप स्थान छोड़ेंगे या उसको शिफ्ट करेंगे?

खण्ड तीन में आपने यह बताया है कि रीको एरिया में आज कोई भी किसान नहीं है। मगर आपको बताना चाहता हूं कि जब रीको नहीं बसा था उससे पहले से, 70 वर्षों से 13 किसान आज भी वहां पर बसे हुए हैं। उनकी सूची मेरे पास है। गूगल मैप का नक्शा भी है और वह 13 किसान, जो 12.11.2008 में रोडों का काम चल रहा था, तब उनको रीको द्वारा नोटिस दिया था। मेरे पास उसकी भी कापी है। उनको अभी तक न तो मकान दिया है, न उनको शिफ्ट करने की कोई व्यवस्था की है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय को पहले तो रीको वालों ने गलत जवाब दिया, मगर अब उन 13 किसानों को क्या आप शिफ्ट करेंगे या उनको वहीं पर स्थापित करने का विचार है? यदि हां, तो कब तक? नहीं तो क्यों?

श्री परसादी लाल (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने जवाब में बताया कि रीको की कोई नीति नहीं है। बेघर हुए लोगों को मकान देकर मुआवजा देने की जो नीति है या उनकी जमीन के बदले 25 प्रतिशत जमीन देने की जो पालिसी है उसमें उनके आवेदन ले लिये गये हैं। उनको वह जमीन उपलब्ध करा दी जाएगी और जो मुआवजा है, वह कमप्लीट हमने दे दिया है। माननीय उच्चतम न्यायालय का जो स्थगन है, उसके कारण हम उस पर कुछ कार्यवाही नहीं कर पा रहे हैं। न्यायालय का आदेश हटेगा तभी उस पर कार्यवाही कर पाएंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न, श्री मुरारी लाल।

दौसा व करौली में कृषि व सिवाय चक भूमि पर बसी हुई आबादी बस्तियों का नियमन

269. श्री मुरारी लाल (दौसा): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला दौसा एवं करौली के किन-किन स्थानों पर कृषि व सिवाय चक भूमि पर आबादी बसी हुई है? विधान सभा क्षेत्रवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त बस्तियों को आबादी भूमि में परिवर्तित कर नियमन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राजस्व मंत्री (श्री हरीश चौधरी): (1) जिला दौसा में जिन-जिन स्थानों पर कृषि/सिवाय चक भूमि पर आबादी बसी हुई है, उसकी विधान सभा क्षेत्रवार सूची तैयार कर परिशिष्ट-"अ" पर संलग्न है।

करौली जिले में कृषि/सिवाय चक भूमि पर बसी हुई आबादी के स्थानों की सूची विधान सभा क्षेत्रवार परिशिष्ट-"ब" पर संलग्न है।

(2) जी हां। इस संबंध में विभाग द्वारा परिपत्र दिनांक 26.05.2008, 10.01.2013, 07.09.2017 एवं राजस्व विभाग तथा ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग द्वारा संयुक्त रूप से जारी के पत्र क्रमांक एफ4(78)सिवाय चक/नियमन/विधि/पंरा/2017/1469 दिनांक 30.11.2017 जारी किये गये हैं। प्रकरणवार गुणावगुण के आधार पर निर्णय लिया जाता है। प्रति परिशिष्ट-"स" पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री मुरारी लाल (दौसा): माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसी कृषि भूमि, जो वर्षों पूर्व एग्रीमेंट द्वारा क्रय कर क्रेता द्वारा पक्का आवास बना लिया गया एवं उस पर आज तक काबिज है, इस काबिज कृषि भूमि पर भूमि स्वामी की सहमति के बिना एग्रीमेंट के आधार पर पट्टा देने का क्या विचार रखते हैं? दूसरा, जिस तरह से शहरों में अभियान चलाकर पट्टे बनाये जाते हैं, उसी तरीके से ग्रामीण क्षेत्र में पट्टा बनाने का विचार रखते हैं क्या?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी।

श्री हरीश चौधरी (राजस्व मंत्री): ग्रामीण क्षेत्र के अंदर की पट्टा बनाने की जो प्रक्रिया है उसके तहत बिल्कुल सरकार मंशा रखती है कि पट्टे बनाये जाएंगे और एग्रीमेंट के संदर्भ में नियमानुसार एग्रीमेंट के ऊपर भी पट्टे बनेंगे।

श्री अध्यक्ष: प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

(शेष तारांकित एवं समस्त अतारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया आगे देखें)

(12.00 बजे)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है:-

(1) श्री शंकर सिंह रावत, सदस्य की ओर से प्रधान खनिज फैल्सपार के बाहर जाने पर रोक होने के बावजूद भी राज्य से बाहर ले जाने से करोड़ों रुपये की राजस्व हानि से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(2) श्री प्रताप सिंह, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र छबड़ा में स्वीकृति के बावजूद भी सड़कों व पुलियाओं का निर्माण न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(3) श्री छगनसिंह, सदस्य की ओर से वर्ष 2009 में तृतीय श्रेणी शिक्षकों की पातेय वेतन के रूप में की गई पदोन्नति को डी.पी.सी. के द्वारा नियमित पदोन्नति करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(4) श्री बलवीर सिंह लूथरा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर के गांव 22 पीटीडी के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों द्वारा कथित रूप से 10वीं एवं 12वीं की छात्राओं के साथ दुष्कर्म का वीडियो वायरल होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(5) श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र केशोरायपाटन में पहाड़ों की तलहटी में बसे धार्मिक स्थानों को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किए जाने के सम्बन्ध में।

(6) श्री राजेंद्र राठौड़, सदस्य की ओर से बाड़मेर में पुलिस हिरासत में मौत के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा सत्र के दौरान विधान सभा को सूचना दिये बिना ही सहायता राशि दिए जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(7) श्री चन्द्रभान सिंह आक्या, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र चित्तौड़गढ़ में पुलिस प्रशासन द्वारा कथित रूप से अफीम व डोडा

(श्री अध्यक्ष)

चूरा के प्रकरणों में अनियमितता किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(8) श्री गुलाब चन्द कटारिया, सदस्य की ओर से पाठ्यपुस्तक मंडल से सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को पेंशन लाभ नहीं दिए जाने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर विचार किया जाए, अनुमति देने में असमर्थ हूं।

(9) श्री मोहन राम चौधरी, सदस्य की ओर से जवाहरलाल नेहरू राजकीय चिकित्सालय, नागौर में सोनोग्राफी की व्यवस्था न होने से गर्भवती महिलाओं को हो रही परेशानी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(10) श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी, सदस्य की ओर से अलवर जिले में मुण्डावर सहित अनेक स्थानों पर हुई तेज बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की फसलों को हुए भारी नुकसान का मुआवजा दिये जाने के सम्बन्ध में।

इस सम्बन्ध में और माननीय सदस्यों ने भी पाइंट आफ इंफोर्मेशन के माध्यम से सूचना दी है, सरकार 4 बजे इस बारे में स्टेटमेंट देगी।

उपरोक्त प्रस्ताव भी ऐसा नहीं है कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाये, अतः अनुमति देने में असमर्थ हूं, फिर भी माननीय सदस्य श्री मोहन राम चौधरी को उनके प्रस्ताव की विषयवस्तु पर दो मिनट बोलने का अवसर मिलेगा।

नियम 295 के अंतर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

(1) श्री संदीप शर्मा, सदस्य की ओर से कोटा शहर में बढ़ रहे औद्योगीकरण के कारण चम्बल नदी में बढ़ रहे प्रदूषण की समस्या का निराकरण करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(2) श्री गोपाल लाल शर्मा, सदस्य की ओर से माण्डलगढ़ रेलवे स्टेशन के सामने हाईवे पर स्थित कंजर बस्ती में चल रहे अवैध शराब के कारोबार में वैश्यावृत्ति पर अंकुश लगाए जाने के सम्बन्ध में।

(3) श्री जब्बर सिंह सांखला, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र आसीन्द के हुरड़ा में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में हो रही अनियमितताओं के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

(4) श्रीमती कृष्णा पूनियाँ, सदस्य की ओर से प्रदेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एक्ट की निष्कासन श्रेणी में से कृषि भूमि व आवासीय भवन की शर्त को हटाये जाने के सम्बन्ध में।

(5) श्री रामस्वरूप लाम्बा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र नसीराबाद में जैठाना बाईपास का कार्य पूर्ण करवाए जाने के सम्बन्ध में।

(6) श्री हाकम अली खां, सदस्य की ओर से प्रदेश के मदरसों में कार्यरत शिक्षा सहयोगियों तथा पंचायत सहायकों का मानदेय बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में।

(7) श्री पदमाराम, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र चौहटन में अनुसूचित जनजाति के किसानों को कृषि कनेक्शन देने में प्राथमिकता दिए जाने के सम्बन्ध में।

(8) श्रीमती अनिता भदेल, सदस्य की ओर से प्रदेश की फोरेंसिक साइंस लैबों में स्वीकृत 442 वैज्ञानिकों के पदों में से 214 पद खाली होने से महत्वपूर्ण जांचों के समय पर नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(9) श्रीमती संतोष, सदस्य की ओर से प्रदेश की कतिपय पंचायत समितियों में ग्राम पंचायतों के प्रथम चरण के चुनाव स्थगित किए जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(10) श्री लक्ष्मण मीणा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बस्सी से गुजरने वाले जयपुर-दिल्ली रेल के समानांतर जयपुर से बस्सी तक सैक्टर रोड बनवाये जाने के सम्बन्ध में।

(11) श्री संजय शर्मा, सदस्य की ओर से अलवर शहर के राजर्षि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय द्वारा पी.एचडी. एंट्रेंस टैस्ट समय पर आयोजित नहीं होने से विद्यार्थियों को हो रही परेशानी के सम्बन्ध में।

(12) श्रीमती मंजु देवी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र जायल में पेयजल समस्या का समाधान करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(13) श्री भरत सिंह कुन्दनपुर, सदस्य की ओर से प्रदेश में हथियार लाइसेंस प्रक्रिया का सरलीकरण किए जाने के सम्बन्ध में।

(14) श्री जगसी राम, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र रेवदर के ग्राम

(श्री अध्यक्ष)

अनापुरा, वासड़ा एवं गांधीनगर के विद्यालयों को क्रमोन्नत किये जाने के सम्बन्ध में।

(15) श्री वासुदेव देवनानी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र अजमेर उत्तर की कतिपय ग्राम पंचायतों में गैर आबादी भूमि को आबादी भूमि में परिवर्तित कर ग्रामीणों को राहत प्रदान किए जाने के सम्बन्ध में।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

माननीय सदस्यों के 295 के प्रस्ताव पढ़े हुए माने जाएंगे।

(नियम 295 के अंतर्गत पढ़ी मानी गयी विशेष उल्लेख की सूचनाओं के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

घोषणा

पर्ची के माध्यम से मुद्दे उठाये जाने की ऑनलाइन व्यवस्था का शुभारम्भ

मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता है कि परसों जिसका उद्घाटन कराया, उसके माध्यम से सदस्यों ने ऑनलाइन में काम करना और सूचना देने का जो किया, उसका मैं स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि और ज्यादा सदस्य इस ऑनलाइन के माध्यम से पर्ची में अपनी समस्या को उठाएंगे।

पर्ची

आज दिनांक 02.03.2020 को शून्यकाल में बोलने हेतु 22 प्रतियां प्राप्त हुई, जिनमें शलाका द्वारा चार पर्ची निकाली गईं, जो निम्नानुसार हैं:-

जो प्रथम सदस्य हैं, जो ऑनलाइन का विरोध कर रहे थे आज सबसे पहले उन्हीं की पर्ची खुली है।

(1) श्री रामलाल शर्मा, खाटूधाम जाने वाले पदयात्रियों के लिए लगाये जाने वाले भण्डारों पर सरकार द्वारा शुल्क लगाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(2) श्री हमीर सिंह भायल, लूणी नदी में प्रदूषित पानी आने से किसानों को हो रहे नुकसान के सम्बन्ध में।

(3) श्री ज्ञानचंद पारख, विधान सभा क्षेत्र पाली के कतिपय गांवों के

(श्री अध्यक्ष)

काश्तकारों द्वारा ऑनलाइन आवेदन किये जाने के बावजूद भी प्रधानमंत्री किसान निधि की राशि अभी तक नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

माननीय ज्ञानचंद जी पारख ने ही इसका उद्घाटन किया था और आप ही का लग गया इसमें।

(4) श्री संयम लोढ़ा, जोधपुर संभाग के भील, मीणा, गमेती व गरासिया आदिवासी समुदाय के उत्थान हेतु मारवाड़ आदिवासी विकास बोर्ड गठित किये जाने के सम्बन्ध में।

श्री मोहन राम चौधरी।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

नागौर के जवाहरलाल नेहरू राजकीय चिकित्सालय में सोनोग्राफी की व्यवस्था

श्री मोहन राम चौधरी (नागौर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे नियम 50 के तहत बोलने की अनुमति दी उसके लिए धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र नागौर में मात्र एक ही जिला चिकित्सालय जे.एल.एन. है जिसमें आसपास के करीब सौ गांवों से मरीज आते हैं और उनमें से करीब 70 रोगी ऐसे होते हैं जिनकी सोनोग्राफी जरूरी है। पिछले एक वर्ष में वहां केवल एकमात्र सोनोलोजिस्ट होने के कारण उन्होंने 8412 लोगों की सोनोग्राफी की है और उसमें कारण है कि महीने में 4 दिन तो छुट्टी रहती है और 4 दिन उनको सिलिकोसिस के लिए लगाया जाता है और एकाध छुट्टी हो जाती है अतः करीब 20 कार्य दिवस होते हैं। इस समय अधिकांश मरीज, जो भी वहां सोनोग्राफी के लिए जाएंगे, उनको एक महीने का समय देते हैं कि एक महीने बाद में आना।

महोदय, मुझे आपके द्वारा मंत्री जी से कहना है कि गर्भवती महिलाएं जिनको तकलीफ होती है उनको डाक्टर के पास जाने पर वह कहते हैं कि सोनोग्राफी कराओ और ऐसी स्थिति में वहां एक महीने का समय देने के बाद उनकी क्या हालत होती है? शहर से करीब पांच किलोमीटर दूर चिकित्सालय होने के कारण वहां से उनको टैक्सी करके शहर में जाना पड़ता है, वहां सोनोग्राफी कराना, वहां से रिपोर्ट लेना और पहले तो अस्पताल में लाइन में लगती है, फिर वहां लाइन में लगती है और वापस जाती है, तब

(श्री मोहन राम चौधरी)

तक डाक्टर घर चले जाते हैं, फिर उनको और डाक्टरों का घर ढूंढना पड़ता है। यानी पूरे एक दिन में वह पूरा इलाज भी नहीं ले पाते, यह स्थिति है। ऐसी स्थिति में हमारा यह निवेदन है कि अगर दो नये सोनोलोजिस्ट लगा दिये जाएं तो मरीजों का ठीक से इलाज हो सकता है।

अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके द्वारा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि मरीज को तकलीफ है उस समय इलाज मिल सके अन्यथा ये जो भी प्राइवेट संस्थाएं हैं जिन्होंने दुकानें खोल रखी हैं उसमें मरीज बहुत ज्यादा परेशान होता है और आर्थिक दृष्टि से भी लूटा जा रहा है, उसको बचाने के लिए सरकार दो नये सोनोलोजिस्ट लगाने की सरकार कृपा करें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री रामलाल शर्मा।

श्री रामलाल शर्मा: अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, इसमें करंट आता है और मेरा आरोप है कि सरकार की मेरी आवाज को बंद करने के लिए कोई साजिश है।

श्री अध्यक्ष: नहीं, आप ही के कारण करंट आता है।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

खाटूधाम पदयात्रियों के लिए आयोजित भण्डारों पर अधिरोपित शुल्क

श्री रामलाल शर्मा: अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे पर्ची के माध्यम से बोलने का अवसर दिया उसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

अध्यक्ष महोदय, 05.02.2020 को खाटू श्याम जी मेला कमेटी की बैठक होती है। उस बैठक की अध्यक्षता कलेक्टर, सीकर करते हैं। उस बैठक के अंदर तय किया जाता है कि जो लाखों पदयात्री आते हैं, इनकी सुविधा के लिए जो भंडारे आयोजित करते हैं, जो मेडिसिन कैंप का आयोजन करते हैं, उनसे 21 हजार रुपये शुल्क लिया जाएगा। उसके साथ में 11 हजार रुपये ग्राम पंचायत और नगरपालिका का सफाई शुल्क लिया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि इस तरीके से जो सेवा करने वाले लोग हैं, जो कि पदयात्रियों की सेवा करते हैं, प्रसादी वितरण का काम करते हैं, मेडिसिन कैंप के द्वारा मेडिसिन उपलब्ध कराने का काम करते हैं, ऐसे लोगों से 21 हजार रुपये, 11 हजार रुपये और फिर 21 हजार रुपये सफाई शुल्क लेना अनुचित है।

(श्री रामलाल शर्मा)

अध्यक्ष महोदय, इसी तरीके से 26.02.2020 को नगरपालिका खाटू श्याम जी ने श्री श्याम शक्ति मंडल की रसीद संख्या 87 काटी, जिसमें 21 हजार रुपये पंजीयन शुल्क और 11 हजार रुपये सफाई शुल्क लिया गया। इस तरीके से 32 हजार का शुल्क वसूल किया गया।

अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि क्या सरकार अजमेर में जियारत करने वालों से भी इसी प्रकार का शुल्क वसूल करती है? यहां लाखों लोगों की आस्था के केन्द्र के ऊपर कुठाराघात करने का काम करती है। सरकार इस फरमान को वापस ले। भण्डारे के द्वारा लाखों लोगों को जो सुविधाएं उपलब्ध कराने जाते हैं, उन श्रद्धालुओं की भावनाओं का कद्र करने का काम करें।

अध्यक्ष महोदय, अंतिम एक निवेदन करुंगा कि कल मॉरीशस के राष्ट्रपति पृथ्वीराज सिंह जी सामोद में वीर हनुमान मंदिर के दर्शन नहीं कर पाए।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, साइड ट्रैक न हों। साइड ट्रैक न हों। अंकित नहीं होगा।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): 000

श्री अध्यक्ष: रिकार्ड नहीं होगा। माननीय सदस्य, आप बैठें...(व्यवधान) आप बैठें। मदन दिलावर, प्लीज। कटारिया जी, I'll not allow it. बैठें आप प्लीज, रिकार्ड नहीं होगा। I'll name you, I'll name you.

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): 000

श्री अध्यक्ष: आप गलत परंपरा डाल रहे हैं। हर रोज का धंधा बना रखा है। सीनियर मैम्बर होते हुए भी ...(व्यवधान) कोई तकलीफ है क्या?

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): 000

श्री अध्यक्ष: क्या तकलीफ है? बाहर जाकर तकलीफ की बात करो। हाउस नियम से चलेगा। अपनी मर्जी से नहीं चलेगा। आप मन में आएं जब खड़े हो जाएं, बात करने लगें। श्री हमीर सिंह भायल।

लूणी नदी में प्रदूषित पानी से किसानों का नुकसान

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना): अध्यक्ष महोदय, पर्ची के माध्यम से बोलने का अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय, पश्चिमी राजस्थान में एक ही नदी, जो लूणी के नाम

(श्री हमीर सिंह भायल)
से मरु गंगा है, पश्चिमी राजस्थान के किसानों के लिए, पशु-पक्षियों के लिए जीवनदायिनी है। राजस्थान में उद्योग लगने चाहिए। मैं उद्योगों के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन पाली, जोधपुर और बालोतरा के उद्योगों से नदी में प्रदूषित पानी आ रहा है। सरकार ने नेहड़ा बांध पाली में बनाया था। यह किसानों की खेती को सिंचित करने के लिए बनाया था। वह पाली कपड़ा उद्योग का यार्ड बन गया है।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, गलत बात है।

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना): जोधपुर और पाली का प्रदूषित पानी वहां से रवाना होकर के लूणी होता हुआ, भांडु, सालूजा, ढींढच, मजल, रामपुरा, महेश नगर, कोटड़ी, लाल्या, रानी देशीपुरा, भानावास, गोदों का वाड़ा, समदड़ी, सिलोर, जेठंतरी, पारलू, कूपावास, लालाना, मांगला, कनाना, किटनोद, बालोतरा, जसोल, सिणधरी, पायला और गांधव तक जाता है। पहले नदी आई तो किसानों की फसल थोड़ी तैयार हुई। दूसरी और तीसरी पिलाई जब दी तो वह प्रदूषित पानी कुओं से निकलकर किसानों की लाखों बीघा जमीन की फसल खराब कर गया।

अध्यक्ष महोदय, आप तो बालोतरा, नाकोड़ा सब जगह ही पधारे हुए हो। यह पश्चिमी राजस्थान के किसानों के लिए जीवनदायिनी है। इसको मरु गंगा के रूप में जाना जाता था। अब पशु-पक्षी और किसानों की हालत खराब है। अगर इसको समय रहते नहीं सुधारा गया तो किसानों के लिए पीने का पानी नहीं बचेगा। कुओं से प्रदूषित पानी निकल रहा है इसलिए कैंसर जैसे रोग हो रहे हैं। किसानों की बुरी हालत हो गई है।

अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार को आपके मार्फत निवेदन करूंगा कि आप इसको दिखाएं। उद्योग चलें लेकिन किसानों को नुकसान नहीं हो। प्रदूषित पानी नदी में नहीं आए। इसकी व्यवस्था करें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री ज्ञानचंद पारख।

पाली के काश्तकारों को प्रधानमंत्री किसान निधि की राशि के भुगतान में विलम्ब

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रधान मंत्री जी ने किसानों को और बेहतर स्थिति में लाने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की घोषणा की। हम भी प्रदेश के किसानों की सूची दिल्ली भिजवा रहे हैं ताकि उनको जो राशि मिलने वाली है वह प्रधान मंत्री जी के माध्यम से मिल जाए। लेकिन उसमें एक टैक्निकल प्राब्लम आ रही है कि ऐसे राजस्व गांव, जो

(श्री ज्ञानचंद पारख)

शहरी क्षेत्र में विलीन हो गए और उनका नाम राजस्व ग्राम की सूची से हटकर के नगर परिषद् सीमा में हो गया, मेरे क्षेत्र के चार गांव मंडिया, मंडली, मानपुरा और कुनायता के किसान जो कि अब शहरी क्षेत्र में हैं, इनकी सूची इन्होंने ऑनलाइन कर दी। पटवारी ने ओके कर दी, इसके बाद जिला कलेक्टर के माध्यम से सूची राज्य सरकार के पास चली गई लेकिन राज्य सरकार ने जो सोफ्टवेयर तैयार किया है, उसमें कहीं टैक्निकल कमी रह गई, उसमें जो शहरी क्षेत्र में गांव विलीन हो गए हैं, वह राजस्व गांव की सूची से हट गए। आपका जो कालम है उसमें राजस्व गांव ही दर्शाया गया है।

आप जमाबंदी के आधार पर, गिरदावरी के आधार पर उस सोफ्टवेयर को थोड़ा करेक्ट करवा दें। शहरी क्षेत्र में जो किसान पात्र हैं, उनको भी प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि की राशि मिल जाए, इस हेतु मेरा माननीय कृषि मंत्री जी से निवेदन है। इससे शहरी क्षेत्र के किसानों का भी बहुत बड़ा कल्याण हो जाएगा। माननीय मंत्री महोदय, मुझे पता है कि आप बहुत ज्यादा रुचि लेते हो। किसानों के मामलों में आप बहुत ज्यादा गंभीर हैं। आप अगर अधिकारियों को थोड़ा निर्देश दे देंगे तो पूरे राजस्थान के जो लाखों किसान इससे वंचित रह रहे हैं, उनको यह लाभ मिल जाएगा।

श्री अध्यक्ष: श्री संयम लोढ़ा।

जोधपुर में आदिवासी समुदाय के उत्थान हेतु मारवाड़ आदिवासी विकास बोर्ड का गठन

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): अध्यक्ष महोदय, मैं जोधपुर संभाग के भील, मीणा, गमेती, गरासिया समुदाय की स्थिति के अध्ययन एवं उनके उत्थान के लिए मारवाड़ आदिवासी विकास बोर्ड के गठन का सुझाव देने के लिए आपकी आज्ञा से अपने विचार रख रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय, एकी आंदोलन में मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में भूला में सैकड़ों आदिवासियों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया था। अंग्रेजों के जमाने में भी अरणपुरा में एक छावनी होती थी जिसमें मीणा समुदाय के लोग बड़ी संख्या में कार्यरत थे। भारतीय सेना में भी मीणा रेजीमेंट थी। हमारे इलाके में बड़ी संख्या में भील, मीणा, गमेती समुदाय के लोग द्वितीय विश्व युद्ध तक में भाग लेने के लिए गए।

(श्री संयम लोढ़ा)

अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि आजादी के बाद से जोधपुर संभाग का भील, मीणा, गमेती, गरासिया आदिवासी समुदाय लगातार उपेक्षित हुआ है। सरकारी नौकरियों में उसका प्रतिनिधित्व लगातार कम होता गया है। शिक्षा में उसका स्तर लगातार गिरता गया है। बच्चों में कुपोषण के हालात बढ़ते गए हैं। उनमें रक्त की भी कमी बढ़ती गई है। एक दृष्टि से शिक्षा हो, चिकित्सा हो, हर क्षेत्र में इनको नुकसान उठाना पड़ा है।

अध्यक्ष महोदय, टीएसपी एरिया में भी सिरोही जिले की सिर्फ एक तहसील और कुछ गांव हैं। पाली जिले की एक तहसील के कुछ गांव सम्मिलित हैं। बाकी पूरा समुदाय पूरी तरह से उपेक्षित है। जनजाति परामर्शदात्री समिति बनी हुई है जिसने पिछले 17 साल से एक बार भी प्रयास नहीं किया कि जोधपुर संभाग के इन भील, मीणा आदिवासी समुदाय की स्थिति का अध्ययन करें और सरकार के सामने कोई इस तरह का ठोस सुझाव रखें जिससे कि उनका उन्नयन हो सके।

अध्यक्ष महोदय, हालात यह हैं कि पूरे जोधपुर संभाग से 70 साल के बाद भी एक आईएएस नहीं बना। एक आईपीएस नहीं बना। एक आईआरएस नहीं बना। एक भी सीधा आरएएस नहीं बना। एक सीधा आरपीएस नहीं बना। क्या इसके बाद भी सरकार का इस तरफ ध्यान नहीं जाना चाहिए कि जोधपुर संभाग के भील, मीणा आदिवासी समुदाय को कैसे हम आगे लाएं?

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से विनती करना चाहता हूं कि एक कोचिंग सैंटर पूरे जोधपुर संभाग में नहीं है। एकलव्य आवासीय विद्यालय मात्र एक आबू रोड में है। अन्य किसी स्थान पर भी नहीं है। हर जिला मुख्यालय पर राज्य सरकार अपने खर्चे से एकलव्य आदिवासी विद्यालय खोले। कोचिंग सेंटर खोले।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): एक मिनट में बात खतम कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: संक्षेप में बात करें। डिटेल में नहीं। बोर्ड की बात करें।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): 2015-16 में पूरे जोधपुर संभाग से 70 लड़के अपीयर हुए। पूरे जोधपुर संभाग का एक लड़का नहीं। 2015-16 की मेन में...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): अध्यक्ष महोदय, आप कोई डायरेक्शन दो।

श्री अध्यक्ष: आपको डायरेक्शन यही है कि आप बोलकर के बैठ जाओ।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आपके माध्यम से मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यानाकर्षण करना चाहता हूं कि तीसरी बार आप मुख्य मंत्री बने हैं। जोधपुर संभाग के हैं। जोधपुर संभाग के भील, मीणा, गमेती, गरासिया समुदाय का कल्याण करो। बोर्ड का गठन करो जिससे उनके हालात राजस्थान की जनता के सामने आ सकें। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: 131, श्री मेवाराम। (अनुपस्थित)

समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन।

श्री हेमाराम चौधरी।

समिति प्रतिवेदन

राजकीय उपक्रम समिति के प्रतिवेदन (क्र.सं. 1 से 9)

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजकीय उपक्रम समिति 2019-20 के निम्नांकित 9 प्रतिवेदनों का उपस्थापन करता हूं:-

(1) राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) वर्ष 2015-2016) से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2019-2020 का प्रथम प्रतिवेदन।

(2) राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) वर्ष 2015-2016) से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2019-2020 का द्वितीय प्रतिवेदन।

(3) राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) वर्ष 2015-2016) से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2019-2020 का तृतीय प्रतिवेदन।

(4) राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) वर्ष 2014-2015) से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति 2017-18 के 107वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक राजकीय उपक्रम समिति, 2019-2020 का चतुर्थ प्रतिवेदन।

(श्री हेमाराम चौधरी)

(5) राजस्थान राज्य खान एवं खनिज निगम लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) वर्ष 2014-2015) से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति 2017-18 के 108वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक राजकीय उपक्रम समिति, 2019-2020 का पंचम प्रतिवेदन।

(6) राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम (अंकेक्षण प्रतिवेदन (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) वर्ष 2014-2015) से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति 2017-18 के 109वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक राजकीय उपक्रम समिति, 2019-2020 का षष्ठम प्रतिवेदन।

(7) राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) वर्ष 2010-2011) से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति 2015-16 के 40वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक राजकीय उपक्रम समिति, 2019-2020 का सप्तम प्रतिवेदन।

(8) राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) वर्ष 2014-2015) से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति 2017-18 के 106वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक राजकीय उपक्रम समिति, 2019-2020 का अष्ठम प्रतिवेदन।

(9) राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन/प्रसारण निगम एवं जयपुर, जोधपुर एवं अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (अंकेक्षण प्रतिवेदन (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) वर्ष 2016-2017) से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति, 2019-2020 का नवम प्रतिवेदन।

श्री अध्यक्ष: याचिका का उपस्थापन।

श्रीमती सूर्यकांता व्यास। (अनुपस्थित)।

आय व्ययक अनुमान। अनुदान की मांगों पर विचार एवं मतदान।

श्री बुलाकीदास कल्ला।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 27-पेयजल योजना की प्रस्तुति

श्री परसादी लाल (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 27-पेयजल योजना के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 74,50,38,14,000/- (अक्षरे रुपये चौहत्तर अरब पचास करोड़ अड़तीस लाख चौदह हजार मात्र) तक की राशि प्रदान की जाए।

(मांग संख्या 27 पर प्राप्त कटौती प्रस्तावों के लिए कृपया परिशिष्ट-2 देखें)

मांग संख्या 38-लघु सिंचाई एवं भूमि संरक्षण की प्रस्तुति

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 38-लघु सिंचाई एवं भूमि संरक्षण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,32,02,87,000/- (अक्षरे रुपये एक अरब बत्तीस करोड़ दो लाख सत्यासी हजार मात्र) तक की राशि प्रदान की जाए।

(मांग संख्या 38 पर प्राप्त कटौती प्रस्तावों के लिए कृपया परिशिष्ट-3 देखें)

मांग संख्या 46-सिंचाई की प्रस्तुति

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 46-सिंचाई के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 46,05,41,64,000/- (अक्षरे रुपये छियालीस अरब पांच करोड़ इकतालीस लाख चौसठ हजार मात्र) तक की राशि प्रदान की जाए।

(मांग संख्या 46 पर प्राप्त कटौती प्रस्तावों के लिए कृपया परिशिष्ट-4 देखें)

श्री अध्यक्ष: मांग संख्या 38 रख दी? (व्यवधान)

श्री जितेन्द्र सिंह। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बिलकुल व्यवधान नहीं करना चाहता, फिर वही पुनरावृत्ति हो रही है। आज तीन-तीन मांगों पर बहस चालू हो रही है, पीएचईडी भी इसमें है, इर्रिगेशन भी है,

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

इर्रिगेशन में कितने कैनाल्स हैं, कितने चीफ इंजीनियर्स हैं, आप मुलाहिजा फरमाएं जरा।

श्री अध्यक्ष: आज साढ़े बारह बजे शुरू कर दी, आ जाएंगे। आपकी बात का काग्नीजेंस लिया है। माननीय डाक्टर जितेन्द्र सिंह।

मांग संख्या 27, 38 व 46 पर विचार

श्री जितेन्द्र सिंह (खेतड़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज आबो हयात, जलम् अमृतम्, पानी के ऊपर बहस है। हजारों साल पहले नास्त्रेदमस एक भविष्यवक्ता थे, उनकी करीब-करीब सारी भविष्यवाणियां सत्य निकलीं। नास्त्रेदमस ने कहा था there will be three world wars. दो वर्ल्ड वार हो गयी, माननीय अध्यक्ष महोदय, वह क्रिस्टल बॉल में देखते थे और प्रिडिक्ट करते थे कि आगे क्या होगा। नास्त्रेदमस ने क्रिस्टल बॉल को देखकर कहा, the earth is like a fire-ball. I am seeing third world war that will be fought for water. माननीय अध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से पूरे विश्व में यह अब समस्या सिर उठाकर खड़ी हो गयी है। विश्व में टोटल पानी है, that is about 1400 Million Cubic Kilolitres. हमारे शरीर के 75 प्रतिशत हिस्से में पानी है,

(12.23 बजे)

(श्री महेन्द्रजीत सिंह मालविया, सभापति, पदासीन)

In total water, 97.5 percent i.e. Seawater. Drinking water माननीय सभापति महोदय, 2.5 परसेंट है। That is in the shape of Glaciers or Sweet water Rivers, नदी और ये हैं। जो प्योर वाटर है वह पूरे विश्व में ही एक परसेंट है जो पीने के काम आ रहा है। माननीय सभापति महोदय, स्थिति यह हो रही है ड्रिंकिंग वाटर की ग्राउण्ड टेबल पानी के दोहन से नीचे चली गई तो दुनिया के बड़े-बड़े शहर इसके अंदर बिलकुल कगार पर हैं जहां जीरो वाटर टेबल होने वाला है। माननीय सभापति महोदय, हमारे कण्ट्री में चेन्नई हो चुका है, कोलकाता खुद हुबली पर बसा हुआ है उसमें वाटर क्राइसिस है और दुनिया के बड़े-बड़े शहरों में जीरो वाटर की पोजिशन हो रही हैं, जिनमें इस्ताम्बुल है, चाइना के अंदर पेइचिंग है, जकार्ता है, Indonesia, Los Angeles in USA, the water is going to zero. इस तरह से तेहरान और बहुत सारे कण्ट्रीज, केपटाउन, जो साउथ अफ्रीका की कैपिटल थी, उनका जीरो वाटर हो गया था लेकिन उन्होंने री-हार्वेस्टिंग करके

(श्री जितेन्द्र सिंह)

पोजिशन ठीक की। आस्ट्रेलिया ग्रीन से ब्राउन हो गया था। अब हमको सोचना है कि इस आबो हयात को किस तरह से प्रिजर्व करें, यह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है।

माननीय सभापति महोदय, इसका कारण है, पानी के कम होने का, that is global warming. जिस तरह से हम इस्तेमाल करते हैं, ओजोन लेयर में परफोरेशन हो जाता है, ओजोन लेयर से डाइरेक्ट इन्फ्रारेड रेज आती हैं, उनने पूरी धरती का वातावरण बदलकर रख दिया, बारिश बिलकुल कम हो गयी, उसके कम होने से ग्राउण्ड वाटर कम हो गया। अब यह महत्वपूर्ण बात हो गयी है कि उसको हम किस तरह से बचाकर रख सकते हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं राजस्थान के ऊपर आता हूं। राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है पूरे भारत के अंदर 10.4 percent land is of Rajasthan and साढ़े सात करोड़, पांच पोइंट पांच प्रतिशत और अकेला जैसलमेर इतना बड़ा डिस्ट्रिक्ट है कि पूरे केरल के बराबर है। इतने बड़े स्टेट में, जिसका क्षेत्रफल इतना हो उसके अंदर पानी को किस तरह से हम ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं, ले जा सकते हैं, यह बड़ी समस्या है। माननीय सभापति महोदय, जिस तरह से पानी का भारी दोहन हुआ है उसमें सबसे खतरनाक है कि पानी में फ्लोराइड 51 परसेंट, ग्राउण्ड वाटर में 51 परसेंट फ्लोराइड है, 92 परसेंट साल्टी वाटर है, नाइट्रेट है 64 परसेंट, ये स्थिति है राजस्थान के ग्राउण्ड वाटर की, 248 ब्लाक्स हैं और उनमें करीब 164 तो टोटली डार्क जोन में आ गये, बाकी बचे हुए 9 और 28 पार्शली है।

माननीय सभापति महोदय, अलार्मिंग सिच्युएशन है कि किस तरह से हम पानी को प्रिजर्व करें और पानी की बूंद-बूंद का इस्तेमाल करें, यह बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय है जो हमें देखना है।

माननीय सभापति महोदय, वर्ष 2008 में पानी के लिये हमारा 90 परसेंट शेयर भारत सरकार देती थी और 10 परसेंट स्टेट गवर्नमेंट देती थी। वर्ष 2008-13 में 25 हजार करोड़ रुपये के काम हुए। उसमें बहुत सक्सैसफुली काम हुए, बहुत बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स आये उस वक्त, हमारे माननीय डिप्टी चीफ व्हिप बैठे हैं, 3 हजार करोड़ रुपये का, मेरे बहुत से साथी बैठे हैं, जायको का प्लान बना उसमें करीब-करीब लाडनूं से लेकर नावां की कांस्टीट्यूएंसी तक सारा हमारे इंदिरा गांधी नहर का पानी आया। मैं समझता हूं कि यह छोटा कार्य नहीं था। जापान की जायको की टीम आई तो उन्होंने कहा, why we should select Nagaur और भी तो भारत के अंदर बहुत-सी समस्याएं हैं।

(श्री जितेन्द्र सिंह)

मानननीय सभापति महोदय, नागौर में एक है बांक पट्टी, वह एक पर्टिकुलर जोन है, जहां फ्लोराइड से डिफोर्मेटी है, महिलाएं खाना बनाकर खड़ी नहीं हो सकतीं। इसके फोटोग्राफ्स हमारे माननीय मित्र से मंगवाई थी, उन्होंने भेजी थी, हमारे मित्र रूपारामजी यहां अभी नहीं हैं, उन्होंने फोटोग्राफ्स भेजे थे। मैंने जापान वालों को वे फोटोग्राफ्स दिखाये कि यह पोजीशन है नागौर की बांक पट्टी की, उन्होंने तुरंत 3 हजार करोड़ रुपये मंजूर किये और नागौर उसके अंदर सारा कवर हो रहा है। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बहुत बड़ा काम किया है, माननीया सोनियाजी पधारी थीं, वहां कार्यक्रम शुरू हुआ और आखिर में नावां तक पानी पहुंचा तो मैं समझता हूं कि जिस तरह से उन्होंने किया है।

माननीय सभापति महोदय, भागीरथ का नाम यूं ही नहीं लिया जाता। सर गंगा सिंहजी जो हिज हाइनेस थे, उन्होंने सैकड़ों साल पहले विजन ले लिया था कि इन धोरों के अंदर कुछ नहीं होगा। उस वक्त ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उससे उन्होंने अटैचमेंट करके उस वक्त सौ साल पहले गंग नहर निकाली जिसके इंदिरा गांधी नहर पैरेलल आ गयी, पूरे हमारे राजस्थान की लाइफ लाइन बन गयी। माननीय सभापति महोदय, बहुत बड़े-बड़े ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट्स, 2008-13 के बीच आये, 3 हजार करोड़ का आपके नागौर का था। करीब 15 सौ करोड़ का माननीय हमारे स्पीकर साहब की कांस्टीट्यूएंसी भीलवाड़ा का था, रामलालजी साहब बैठे हैं, 15 सौ करोड़ में पूरा भीलवाड़ा टाउन, उसके पूरे विधान सभा क्षेत्र के गांव अधिकतर कवर हो रहे हैं But that is in the range. 2 हजार करोड़ रुपये का जयपुर में था। करीब साढ़े आठ सौ करोड़ का हमारे शिक्षा मंत्रीजी के विधान सभा क्षेत्र में फतेहपुर और लक्ष्मणगढ़ में था। सुजानगढ़ में साढ़े आठ सौ करोड़ रुपये का था। झुन्झुनूं के मेरे साथी बैठे हैं, 955 करोड़ झुंझुनूं में था, करीबन 1200 करोड़ भरतपुर में था और इस तरह से 2300 करोड़ रुपये का झुंझुनूं को फिर दिया। उदयपुरवाटी और सूरजगढ़ के लिए मुख्य मंत्री जी ने दिया। सभापति महोदय, यह बहुत बड़ा काम है। जब तक सैंट्रल गवर्नमेंट इसमें इंटरफियर नहीं करेगी, यह बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। विशेष तौर से राजस्थान में अभी भी जब तक सरफेस वाटर से सभी नहीं जुड़ेंगे, इस ग्राउण्ड वाटर से काम नहीं चलता। इन्दिरा गांधी नहर से करीब 11 जिले स्टार्ट हो जाते हैं हमारे झुंझुनूं से, लास्ट आलमोस्ट 50 परसेंट हमारे अमीन खां साहब, पूर्व मंत्री महोदय हेमाराम जी साहब तक जाता है, बाकी तो इनके नर्मदा रिवर आती है वहां। यह सारा काम

(श्री जितेन्द्र सिंह)

इस कैनाल से हो रहा है। नर्मदा से करीब दो जिले जुड़ रहे हैं, हमारे बाड़मेर और जालौर। हमारे बीसलपुर से चार डिस्ट्रिक्ट्स जुड़ रहे हैं। चम्बल से आठ डिस्ट्रिक्ट्स जुड़ रहे हैं।

सभापति महोदय, आपका स्वयं का क्षेत्र है, माही तो आपकी एक तरह से मां गंगा है फिर भी राजस्थान का सिर्फ 50 परसेंट एरिया जुड़ा है, 50 परसेंट आज भी, जितने ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स हैं अलवर से लेकर घूमते-घूमते करौली और सारे जितने आ गये, ईवन हमारे कोटा और झालावाड़ तक, वहां पानी की अभी भी समस्या है। सभापति महोदय, ब्रिटिश टाइम में अंग्रेजों ने निर्णय किया था कि पानी का क्या प्रोजेक्ट बनाया जाए कि इसमें ट्रांसपोर्टेशन हो जाए और पानी भी हो जाए। उस वक्त जो ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे, उन्होंने सारी नदियों को जोड़ने का कार्यक्रम बनाया था। इसमें पानी ड्रिंकिंग में, इर्रिगेशन में एण्ड ट्रांसपोर्टेशन में इस्तेमाल होगा, लेकिन पैरेलल फिर रेलवे का सब्जेक्ट आ गया तो फिर नदियों को जोड़ना ड्रोप हुआ और ब्रिटिश टाइम में रेलवे लाइन का इन्फ्रास्ट्रक्चर बना जो आज सारा है।

सभापति महोदय, अब नितांत आवश्यकता इस बात की है कि हम किस तरह से हमारे इस पानी को प्रिजर्व करें। माननीय मुख्य मंत्री जी ने वर्तमान बजट में आठ-नौ हजार करोड़ के करीब ड्रिंकिंग वाटर में दिये। साढ़े चार हजार करोड़ उन्होंने इर्रिगेशन के लिए दिये। यह सारा पैसा दिया है, लेकिन जब तक सैंट्रल गवर्नमेंट की एड, the Central Government shouldn't consider, माननीय लीडर आफ अपोजिशन बैठे हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि जो वाटर रिसोर्सेज के मिनिस्टर हैं, वे राजस्थान के हैं, आप स्वयं भी उदयपुर में विराजते हैं, वहां भी कितनी समस्या है, यह तो उस वक्त प्रिंसली स्टेट थी, जिन्होंने पानी दे दिया, वहां पर बना दिया, लेकिन वे सब चीजें लम्बी चलने वाली नहीं हैं।

सभापति महोदय, यह कोई एक कान्स्टीट्यूएंसी का मैटर नहीं है, हर एक के विधान सभा क्षेत्र का मैटर है, इसीलिए सैंट्रल गवर्नमेंट किस तरह से हमें एड दे और सबसे बढ़कर बात, जो जल संसाधन मंत्री हैं, वे राजस्थान के हैं, मैं माननीय लीडर आफ अपोजिशन से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस बारे में आप अपना व्यक्तिगत प्रभाव इस्तेमाल करते हुए राजस्थान के लिए कुछ करने का प्रयास करें।

माननीय सभापति महोदय, बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स में जो राजस्थान सरकार

(श्री जितेन्द्र सिंह)

ने चालू किये, माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने, ईस्टर्न राजस्थान का पूरा प्रोजेक्ट है जिसमें करीब 37 हजार करोड़ खर्च होंगे और ये जो सारी हमारी ऊपर की नदियां हैं, जिसमें अजमेर, टोंक, जयपुर, दौसा, करौली, अलवर, ये सारे के सारे कवर हो जाएंगे ईस्टर्न राजस्थान परियोजना में। यह बहुत ही कास्टली प्रोजेक्ट है। हमारे माननीय सदस्य भरत सिंह जी साहब नहीं हैं, उनकी कान्स्टीट्यूएंसी से लेकर आगे तक जाएगा।

ईसरदा डैम, ये दौसा से आने वाले साथी हमारे माननीय उद्योग मंत्री जी सामने विराजे हैं, इनके भी दौसा में पानी की भारी समस्या है। माननीय सभापति महोदय, चार बार चम्बल बैराज को खोलना पड़ा। इतनी वृष्टि हुई थी, इतना पानी आया था, जिसमें चार बार आपका बीसलपुर भर जाता। यह पानी सीधा बहता हुआ चम्बल से यमुना में चला गया। इसे रोकना होगा। इसे रोककर जो ईसरदा प्रोजेक्ट है, that will be for Dausa और मैं समझता हूं कि जो नियरबाई हैं, उनके लिए रहेगा यह।

धौलपुर लिफ्ट सिंचाई योजना, ये बड़े इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं। नवनेरा बैराज हमारी परियोजना है, जो तहसील, हमारे जो रिजर्व वाटर है बीसलपुर को भरने का, यह वहीं से इनका जो नवनेरा बैराज बनेगा, करीब 601 करोड़ का प्रोजेक्ट है यह और उससे यह बीसलपुर भरेगा। परवन की यह बहुत इम्पोर्टेंट बहूद्देशीय सिंचाई परियोजना है और इसका इर्रिगेशन में भी और हमारे पावर प्लांट्स में भी यूज हो रहा है।

माननीय सभापति महोदय, पहले सेठ, साहूकार और प्रिंसली स्टेट वाले कुएं, बावड़ी और यह सब बनाते थे। अशोक महान इसीलिए कहलाए कि जगह-जगह पानी के कुएं और बावड़ियां खोलीं। पानी इतना महत्वपूर्ण है कि इसको राज्य सरकार की पहली वरीयता है। मैं समझता हूं कि केन्द्र सरकार की जो भी हैल्प होगी हमारे प्रोग्राम्स बनाने में, मुख्य मंत्री जी ने कोई कमी नहीं रखी और 15 हजार लीटर तक का पानी एक महीने में उन्होंने फ्री आफ कोस्ट कर रखा है। उसके अंदर सबसे बड़ा मैं समझता हूं कि अब हमें इसके बारे में बहुत गम्भीरता से सोचना होगा।

माननीय सभापति महोदय, सबसे ज्यादा मैं समझता हूं कि जो महत्वपूर्ण परिचर्चा आज हो रही है इसे गम्भीरता से लेकर अभी राज्य सरकार ने भी दो हजार के करीब सोलर से चलने वाले ट्यूबवैल्स दिये और गत सरकार में बीस हजार तो हैंडपम्प थे और दस हजार ट्यूबवैल्स थे। सभापति

(श्री जितेन्द्र सिंह)

महोदय, मुझे स्वयं इजरायल जाने का मौका मिला। मुख्य मंत्री जी भी साथ थे। Israel was a place of sand dunes. पानी नाम की बून्द नहीं थी। अब अगर हमें संशोधन करना है, अब जरूरी यह हो गया है कि पानी को कैसे बचाएं, खर्च तो कर देंगे तो ये इम्पोर्टेंट चीजें हैं, मेरी तरफ से एडवाइस है, मुझे भी वक्त मिला था, जल मंत्री बनने का पीएचईडी मिनिस्टर का तो मैं समझता हूं कि हर एक व्यक्ति के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि पानी कैसे बचाया जाए। पानी को बचाना ही पानी का रेस्टोरेशन है।

माननीय सभापति महोदय, इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है वाटर हार्वेस्टिंग। मकान हैं आपके, टांके हमारे मंत्री महोदय, फार्मर मिनिस्टर बैठे हैं, अमीन खां साहब बैठे हैं। मैं इनके यहां गया तो इनके एक तालाब था जिसका नाम मेत्यानी तालाब, शिव में है और वहां पर पानी की बेरियां। पानी का महत्व तो ये जानें। यहां पर घी सस्ता है और पानी महंगा है। आप कल्पना कीजिए राजस्थान में कि अब हमें आवश्यकता है कि पानी के रेस्टोरेशन के लिए आम जागृति लायी जाए।

माननीय सभापति महोदय, सबसे पहले तो फ्लड इर्रिगेशन नहीं होना चाहिए। जिस तरह से मैंने इजरायल में खुद देखा, आप कल्पना नहीं कर सकते, एक-एक किलोमीटर लम्बे, गहरे उनके कुएं हैं। ऐसा गरम-गरम पानी निकलता है, मैंने स्वयं वहां देखा। यह अब जरूरी है कि इर्रिगेशन के पार्ट में ड्रिप और स्प्रिंकलर इर्रिगेशन हो और ग्रीन हाउसेस के रूप में करें। जो वाटर हार्वेस्टिंग है, हर एक घर का पानी अण्डरग्राउण्ड में बने, इसका इस्तेमाल आपने खेतों में किया भी है नरेगा के माध्यम से कि खेतों में भी वाटर हार्वेस्टिंग के पिट्स बनाये जाएं। पानी वहीं आकर सारा इकट्ठा हो।

माननीय सभापति महोदय, जो राज्य सरकार ने सबसे अच्छा कदम लिया है वह है 'घर-घर जल योजना'। मैं मंत्री था, हमारी जो फार्मर गवर्नर और उप मुख्य मंत्री कमला जी, वे हमारे खेतड़ी की बेटी हैं, वे एक बार आयीं और कहा कि डाक्टर साहब, मेरे यहां दो पंचायतों की जनसंख्या साढ़े तीन-तीन हजार है और उसे पानी चाहिए। 1998-2000 की बात है। माननीय सभापति महोदय, पीपीसी में लेकर दो को स्वीकृत करना पड़ा, लेकिन दो गांवों को पानी मिलने, न मिलने से नहीं होगा। माननीय मुख्य मंत्री जी ने व्यवस्था की है कि पूरे राजस्थान की जनता साढ़े सात करोड़ है, उसके घर के द्वार तक डायरेक्ट पानी ले जाया जाए, इसके लिए वे प्रयत्नशील हैं और फर्स्ट

(श्री जितेन्द्र सिंह)

राउण्ड में आठ लाख लोगों को कवर करने का प्रोजेक्ट शुरू हो गया। प्रोजेक्ट-ए में हमारे झुन्झुनूं से लेकर लास्ट तक वे सारे कवर हो रहे हैं। मैं समझता हूं कि हमारे मुख्य मंत्री जी की यह जो घर-घर पानी योजना है, निश्चित रूप से इसका बहुत बड़ा लाभ मिलेगा।

माननीय सभापति महोदय, मेरे खुद के विधान सभा क्षेत्र में एशिया का सबसे बड़ा ताम्बे का कारखाना है। वह आज पानी की कमी से जूझ रहा है। हमारी जो यमुना रिवर है, जिसके साथ हमारी ट्रीटी है, समझौता है, वह लास्ट नारनौल में आकर खतम होती है, वहां से हमारे झुन्झुनूं और विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी वगैरह शुरू होते हैं। सीकर, झुन्झुनूं के लिए नितांत आवश्यक है कि यमुना का हमारा शेयर हम लें। आलरेडी जो इंदिरा गांधी नहर का वहां पर ताजेवाला हैड पर पानी है वह भी पूरा नहीं मिल पाता तो यमुना का पानी हमारे पास आएगा। दूसरा, भरतपुर, कामां से आने वाले माननीय सदस्य बैठे हैं, वहां जो गुड़गांवा कैनाल है उस पर मुख्य मंत्री जी ने 70 करोड़ रुपये दिये हैं ताकि इन जिलों में इर्रिगेशन हो सके। सभापति महोदय, मैं समझता हूं कि ये बहुत सारी इम्पोर्टेन्ट चीजें हैं। जिसको कहते हैं कि पानी जीवन है इसलिए इसके लिए नितांत आवश्यकता है कि पानी को हम बचाएं और उसका संरक्षण करें।

आपने मुझे बोलने का वक्त दिया, मेरे पास जो भी बोलने के लिए था, मैंने कहा। मैं पुन: सभी साथियों से आग्रह करूंगा कि वे इसमें अपना पार्टिसिपेट करें। थैंक यू ।

श्री सभापति: श्री प्रताप सिंह जी।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): माननीय सभापति महोदय, मुझे मांग संख्या 27 व मांग संख्या 46 पर बोलने का अवसर दिया उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदय, जल के बिना जीवन की कल्पना करना कठिन है इसलिए यह जरूरी है कि प्रकृति के इस अनमोल उपहार पानी को व्यर्थ न जाने दें। केवल राजस्थान को ही अगर हम देखें तो राजस्थान का क्षेत्रफल देश में सबसे अधिक है। देश के कुल क्षेत्र की 7.6 प्रतिशत भूमि हमारे राजस्थान में है और मात्र 1.6 प्रतिशत पानी उपलब्ध है। राज्य में पानी की कम उपलब्धता, कमजोर मानसून का आना, रेगिस्तान का बड़े पैमाने पर होना, अत्यधिक दोहन, पृथ्वी का बढ़ता तापमान, सूखे का कारण, ये सब कारण जल संकट के हैं जिसकी वजह से राजस्थान में हमेशा ही जल संकट बना रहता है।

(श्री प्रताप सिंह)

मेरा आपसे निवेदन है कि इस जल संकट को दूर करने के लिए जिस प्रकार से मुख्य मंत्री जी ने निरोगी राजस्थान के लिए कल्पना की है उसी प्रकार से घर-घर पानी पहुंचे, इस प्रकार की व्यवस्था राज्य सरकार को करनी चाहिए। प्रदेश के कई हिस्सों में फ्लोराइड और खारे पानी की समस्या है। आर.ओ. प्लांट और सौर ऊर्जा आधारित डीफ्लोराइडेशन संयंत्र स्थापित करने के प्रयास करने चाहिए।

प्रदेश में भीषण गर्मी को देखते हुए पेयजल की समस्या वाले गांवों में, शहरी क्षेत्रों में टैंकर से पेयजल की योजना की वृहत् तरीके से व्यवस्था करनी चाहिए। मेरी मांग है कि प्रदेश में वृहत् और अन्य जल योजनाओं की कमी है, प्रदेश को जल संकट से उबारने के लिए वृहत् और लघु पेयजल योजनाएं बनानी चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा हमारे प्रधान मंत्री जी ने 2024 तक राजस्थान ही नहीं, पूरे देश में प्रत्येक घर में नल के द्वारा पानी पहुंचे, इस प्रकार की व्यवस्था की है, यह सपना संजोया है। उसमें हमारा स्टेट भी बढ़-चढ़कर कदम से कदम मिलाकर चले तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि 2024 तक राजस्थान के प्रत्येक घर में पानी पहुंच सकता है। माननीय सभापति महोदय, जल जीवन के अन्तर्गत राजस्थान को मौजूदा वित्तीय वर्ष में भारत सरकार से 1301.71 करोड़ रुपये एडिशनल सेफ वाटर के लिए 250 करोड़ रुपये दिये हैं, उनका भी पूरी तरह से उपयोग नहीं हो पाया है। वर्तमान में राज्य द्वारा इंगित जानकारी के अनुसार राज्य में लगभग 92 लाख 84 हजार ग्रामीण घर हैं जिनमें लगभग 11 लाख 65 हजार घरों में नल के कनेक्शन हैं और 81 लाख 19 हजार ग्रामीण घरों को कार्यशील घरेलू कनेक्शन से जोड़ने की आवश्यकता है। वित्तीय वर्ष में राज्य सरकार ने लगभग 16.5 लाख घरों को ही घरेलू नल कनेक्शन उपलब्ध कराये हैं। चूंकि निर्धारित लक्ष्य को साढ़े चार वर्षों में हमें पूरा करना है इसलिए उचित यह होगा कि इसका कार्य सम्पादन, इसकी योजना इस प्रकार की बनायें कि 2024 तक प्रत्येक घर में पानी पहुंच जाएग। राज्य को अगर नाबार्ड से, एडीबी से, विश्व बैंक से, एनडीबी आदि से सहायता की आवश्यकता हो तो भारत सरकार इसके लिए आपकी हर सम्भव मदद करने को तैयार है। यही नहीं, राजस्थान सरकार को वित्त वर्ष 2020-21 में वर्तमान वित्त वर्ष की तुलना में दोगुनी लगभग 2400 करोड़ रुपये उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही हम समय पर

(श्री प्रताप सिंह)

हमारी कार्य योजना को पूरी कर देते हैं तो यहां तक कहा है कि यह राशि बढ़ाकर 3 हजार करोड़ रुपये तक जा सकती है। पैसे की कमी नहीं है, राज्य सरकार को पेयजल को प्राथमिकता देनी चाहिए। मेरा आपसे निवेदन है कि इसके लिए हमको नदियों का पानी रोकना चाहिए। जल स्वावलम्बन योजना एक अच्छी योजना थी जो वसुंधरा जी के समय शुरू हुई थी और आपके लोगों ने भी इस योजना की तारीफ की थी, जो करीब-करीब समाप्त कर दी गई है। उससे कई एरिया में जो अण्डर ग्राउण्ड वाटर था, उसका लेवल भी बढ़ा था। मेरी आपसे मांग है कि उस योजना को फिर से चालू कराया जाए कि राजस्थान में जो ग्राउण्ड वाटर धीरे-धीरे समाप्त होता जा रहा है उसका निश्चित रूप से फायदा मिले।

माननीय सभापति महोदय, इसके साथ-साथ मैं मेरे छबड़ा क्षेत्र की भी बात करना चाहूंगा। छबड़ा में एक योजना बनी थी कछावन पेयजल योजना और दूसरी योजना बनी थी सिन्धु हृदय योजना। इन दोनों को पता नहीं किन कारणों से रोक दिया है। इसी के साथ एक और दो गांवों की योजना थी लाडपुरिया और सेतकलु, यहां पर फ्लोराइडयुक्त पानी है। इसके लिए आपको शीघ्र कोई न कोई योजना बनाकर इन दोनों गांवों के लिए पेयजल की व्यवस्था करनी चाहिए और इसके साथ-साथ कछावन और सिंधु हृदय योजना आपने रोक दी है। इनको भी शीघ्र चालू किया जाना चाहिए।

मैं आपको अर्ज करूं कि पिछली जनवरी में हैण्डपम्प मरम्मत के अभियान में लगे श्रमिकों को और जो वाहन आप किराये पर लेते हो उनको आज दिन तक पेमेंट नहीं मिला है। 2019 के माह अप्रैल, मई, जून, जुलाई से एक भी नये हैण्डपम्प या ट्यूबवैल की स्वीकृति नहीं की गई है। वर्तमान सरकार किस प्रकार से इस अभियान को, जो हमको 2024 तक घर-घर पानी पहुंचाना है, पूरा करेगी, मेरी समझ से परे हैं।

कई माननीय सदस्यों से बात भी होती है, आपने जो कंटींजेंसी प्लान बनाया है उसमें 50 प्रतिशत कटौती कर दी है। जहां पर चार जीपों की आवश्यकता है, 12 हैण्डपम्प मिस्त्रियों की आवश्यकता है, उसको घटाकर 1 और 6 कर दिया। इसी प्रकार से करीब-करीब राजस्थान के जितने भी एरिया हैं और जहां पर जरूरत है कंटींजेंसी प्लान बनाकर तुरन्त पानी पहुंचाने की, उसको आपने कम कर दिया है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि कंटींजेंसी प्लान को और बढ़ाएं, जनसंख्या बढ़ रही है, आबादी बढ़ रही है, पानी का दोहन बढ़ रहा है। उसको कम न करके कृपा उसको बढ़ाएं। इस प्रकार का मेरा निवेदन है।

(श्री प्रताप सिंह)

मैं आपको यह भी निवेदन करना चाहूंगा, जो पीएचईडी में कार्यरत कर्मचारी हैं उनकी मृत्यु हो गई है या रिटायर हो गये हैं, उनकी जगह पर किसी भी प्रकार की भर्ती नहीं की जा रही है। मात्र ठेके और डेली वेजेज के आधार पर लोगों को लगाकर काम लिया जा रहा है। मैं समझता हूं कि इससे राजस्थान की पेयजल की समस्या दूर नहीं हो सकेगी इसलिए आपको परमानेंट स्टाफ लगाना चाहिए। इस प्रकार का जो कार्यरत स्टाफ है, आपका रैगुलर या ठेके पर लगा हुआ स्टाफ है, वह परमानेंट करने के लिए हाई कोर्ट में भी गया है। हाई कोर्ट ने भी सरकार को उनको लगाने के निर्देश दिये हैं, पर आज दिन तक किसी प्रकार की नियुक्ति नहीं हुई है। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप हाई कोर्ट के आदेशों की पालना करेंगे और जो संविदाकर्मी हैं, निश्चित रूप से आप उनको परमानेंट करने की कोशिश करेंगे।

इसी के साथ-साथ, जो हमारी सरकार के समय हुआ। जहां अतिरिक्त ट्यूबवैल की जरूरत है, हैण्डपम्प खोदने की जरूरत है वहां स्कोर मॉडल पर अतिरिक्त मोटरों का प्रावधान किया था, इसमें जो पुरानी मोटरें हो जाती हैं, पानी का डिस्चार्ज कम करती हैं, उसकी जगह कम्पनी नई मोटर लगाती है और कुछ शेयर बिजली के खर्चे में से वह गवर्नमेंट को देती है, कुछ शेयर वह कम्पनी रखती है। मैं समझता हूं इससे काफी बचत हुई और हमारे समय में जोधपुर में इस योजना की शुरुआत हुई। इसको एक्सपेरिमेंट के तौर पर जोधपुर में चालू किया। मुझे बताते हुए खुशी है कि वहां के बिल में एक लाख रुपये की कमी हुई। इस प्रकार यह व्यवस्था थी, आपने इसको भी बंद कर दिया।

यही नहीं, राज्य के शहरों में जिस प्रकार से जनसंख्या बढ़ रही है, उस प्रकार से पाइप लाइन नहीं डाली जा रही है और पाइप लाइन कहीं डाल भी दी गई है तो उनका जुड़ाव नहीं कर रहे हैं, उनका मिलान नहीं कर रहे हैं, मिलान नहीं करने की वजह से कई जगह पानी की समस्या बनी हुई है।

मैं मेरे छबड़ा का ही उदाहरण दूं। हमारी सरकार के समय करीब 6 किलोमीटर की लाइन वहां पर नयी डली थी, मात्र वह इसलिए चालू नहीं हो पा रही है, उसका मिलान नहीं हो रहा है। हर शहर, गांव की आबादी बढ़ रही है। इसी प्रकार छीपाबड़ौद की स्थिति है। मैं आपको यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे यहां एक योजना बनी थी छबड़ा और छीपाबड़ौद को पानी देने के लिए, यह योजना किसी प्राइवेट ठेकेदार ने, जो जोधपुर से आते हैं, उनको इस

(श्री प्रताप सिंह)

योजना का काम मिला था और उन्होंने सारे नियम कानून ताक पर रखकर इस योजना का संचालन चालू कर दिया। न वहां पर किसी प्रकार का वाटर ट्रीटमेंट चालू किया है, नार्म्स के हिसाब से जितने कर्मचारी वहां पर लगने चाहिए थे, वे नहीं लगे हैं। मुझे जानकारी मिली है कि आज दिन तक वहां ट्रीटमेंट प्लांट चालू नहीं है और सीधे ही मटमैला पानी ल्हासी डैम से उपलब्ध कराया जा रहा है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा और मैं आपके अधिकारियों के निगाह में भी लाया हूं कि ल्हासी डैम से डायरेक्ट पानी सप्लाई कर रहे हो, इससे बड़ी बीमारी फैलने का खतरा है। हमारे यहां गर्मी के दिनों में इस बार जोंडिस के केस बढ़े, उसका सबसे बड़ा कारण यह मटमैला पानी है। इसलिए मेरा निवेदन है कि उस ठेकेदार को आप पाबन्द करें और जो आपकी शर्तें हैं, जो शर्तें आपने तय की थीं, उन शर्तों के हिसाब से उस प्लांट को चलवाएं।

माननीय सभापति महोदय, मुझे अभी-अभी जानकारी मिली है कि इस कछावन व सिंधु हृदय को आप परवन योजना में शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं और उसके लिए आपने सर्वे करने का काम, डीपीआर बनाने का काम किसी कम्पनी को दिया है। वह काम जिस गति से हो रहा है, मुझे नहीं लगता जब तक डैम पूरा हो जाएगा, यह सर्वे भी हो जाएगा। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि जो सर्वे चल रहा है, उसमें गांव तो सम्मिलित कर लिये हैं पर जो मजरें और ढाणियां हैं, वे शामिल नहीं की हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि ये मजरें और ढाणी भी धीरे-धीरे गांव का रूप लेती जा रही हैं इसलिए इनका भी सर्वे अभी से करवा लें और इनमें पेयजल पहुंचाने की व्यवस्था करें ताकि आने वाले समय में इन लोगों को किसी प्रकार की तकलीफ नहीं हो।

मैं आपको यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे क्षेत्र में और कई पहाड़ी इलाकों में 300 फीट पर पानी नहीं निकलता। विभाग के नार्म्स हैं कि हैण्डपम्प 300 फीट से ज्यादा नहीं खुदेगा, इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि वहां की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए आपका पैसा भी बर्बाद होता है, 300 फीट पर पानी भी नहीं निकलता है, इसलिए इस सीमा को बढ़ाया जाए और जहां पर आवश्यकता है, वहां पर तुरंत हैण्डपम्प लगाकर 300 फीट से अधिक की गहराई का हैण्डपम्प लगाकर पानी दिया जाए। इस प्रकार का मेरा निवेदन है।

इतना ही नहीं, आज राजस्थान का कोई इलाका इस प्रकार का नहीं है जो पानी की समस्या से अछूता है इसलिए जिस प्रकार से माननीय मोदी जी का सपना है कि 2024 तक हम राजस्थान ही नहीं, पूरे देश के घरों में जल

(श्री प्रताप सिंह)

जीवन मिशन के तहत नल का पानी पहुंचाएंगे, उसमें आप भी बराबर की भागीदारी निभाएं और आपका जो एक्सपेंडिचर है, वह भी जिस अनुपात में आप कर रहे हो, मुझे नहीं लगता कि आप उस काम को समय पर पूरा कर पाओगे।

(13.00 बजे)

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): इसके साथ-साथ, मैं आपका ध्यान सिंचाई की तरफ भी आकर्षित करना चाहूंगा।

श्री सभापति: समय हो गया, माननीय सदस्य।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): माननीय सभापति महोदय, अभी राजस्थान में वृहत् परियोजना के नाम से एक योजना चल रही है परवन सिंचाई योजना, सरकार तो बताती है कि उसका काम तीव्र गति से चल रहा है लेकिन स्थिति यह है कि आज के दिन और आज के पहले गर्मी के समय में भी, बरसात में तो बरसात आ जाती है, पानी आ जाता है, नदी में काम नहीं हो सकता, पर आज के समय में भी किसी प्रकार का काम नहीं हो रहा है, कोई मजदूर वहां पर काम नहीं कर रहा है। ठेकेदार को राज्य सरकार के द्वारा पेमेंट नहीं किए जाने की वजह से ठेकेदारों ने, जो भी वहां काम कर रहे थे, उन्होंने काम बंद कर दिया है, तो आप किस तरह से इसको समयबद्ध तरीके से पूरा करेंगे? आपकी जो गाइड लाइन है वह 27.5.2022 तक की है, मुझे नहीं लगता कि यह काम 2022 तक पूरा हो पाएगा।

इसके साथ-साथ, माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारा जो इलाका है इसमें ब्लैक काटन साइल है और जो स्प्रिंकलर से खेती की बात कर रहे हो, यह मेरी समझ से ब्लैक काटन साइल में वाएबल नहीं रहेगी। इसको भी आप एक बार और जांच करवा लें। यही नहीं जो हैड के गांव हैं...

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): बोलने तो दो साहब, अभी तो सिंचाई पर।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आपके उप नेता जी ने ही समय दिया है।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): 2 मिनट और बोलने दो, साहब। उप नेता तो बोल लेंगे। मेरा समय उप नेता के बोलने के समय में काट लेना।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): 20 मिनट दिए हैं।

श्री सभापति: 20 मिनट तो हो गए हैं न साहब, 21 मिनट हो गए। आपने ही लिखा है।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): जो हैड के गांव हैं, परवन सिंचाई परियोजना में जो हैड के गांव हैं उनको किसी भी प्रकार से उस योजना में शामिल नहीं किया है। जब आप फ़व्वारों के आधार पर पंप लगाकर जमीन सिंचित करना चाहते हो तो इन हैड के जो 12-15 गांव हैं इनके लोगों ने क्या कसूर किया है कि इनके सामने से पानी गुजरेगा और इनके खेतों को पानी नहीं मिलेगा। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि जो हैड के गांव हैं इनको निश्चित रूप से आप इस योजना में शामिल करें।

साथ ही मेरे क्षेत्र की बेदली, उतावली, फलिया, पचकुई और हिंगलोद ये मीडियम योजनाएं हैं, इनमें बनने के बाद आज तक किसी भी प्रकार से नहर मरम्मत का काम नहीं हुआ है पानी बेकार बहकर चला जाता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इन सभी मध्यम और लघु सिंचाई योजनाओं से जो नहरें निकली हैं, इनकी मरम्मत शीघ्र से शीघ्र आने वाले गर्मी के समय में कराएंगे।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अब समाप्त करें।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): इतना ही मेरा आपसे निवेदन है। आपने समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री गुरमीत सिंह कुनर।

श्री गुरमीत सिंह कुनर (करणपुर): आदरणीय सभापति जी, आज मांग संख्या 27, 46 और 38 पर आपने बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। पेयजल पूरे प्रदेश में समस्या है लेकिन गंगानगर जिला एक ऐसा भाग्यशाली जिला है जहां पर पानी की कोई कमी नहीं है। पानी की कमी आती है तो सिंचाई के पानी की और पीने का पानी हर जगह उपलब्ध है, लेकिन जब से पंजाब से आने वाला पानी दूषित आ रहा है तो बीमारियां बढ़ रही हैं, तो लोगों को शुद्ध पेयजल की आवश्यकता है। बहुत-सा काम हुआ और आगे काम होने वाले भी पैंडिंग हैं। बहुत सारे काम हैं लेकिन मैं उन कामों को यहां गिनाना नहीं चाहूंगा। जो सरकार के विचाराधीन काम हैं इनकी फाइलें सरकार के पास पड़ी हैं, उनकी स्वीकृति के लिए सरकार से आग्रह करूंगा कि उन फाइलों को निकालें और उन गांवों की पानी की समस्या को दूर करवाएं। जैसे मेरे निर्वाचन क्षेत्र में पदमपुर मंडी है, पुरानी मंडी है वहां पर पुरानी पाइप लाइनें हैं, सीमेंट की पाइप लाइनें गल गईं और अंतिम छोर पर जो लोग बसे

(श्री गुरमीत सिंह कुनर)

हुए हैं उन तक पानी नहीं पहुंचता है। वार्ड नंबर 12, 13, 14, 17, 18, 19 और 20 ऐसे वार्ड हैं जहां कितना भी पानी हो लेकिन उन वार्डों में पानी नहीं जाता है। वहां पानी का एक उच्च जलाशय प्रस्तावित है। माननीय मंत्री जी के विचाराधीन है, अगर उसमें टंकी का प्रावधान हो जाए तो वहां पानी मिल जाए। इसी तरह गजसिंहपुर मंडी है, नगरपालिका है, उसके वार्ड नंबर-5 में पानी की टंकी प्रस्तावित है। करणपुर मंडी में एक टंकी प्रस्तावित है। अगर वहां ये पानी की टंकियां बन जाएं, मंजूरी मिले तो वह जो बस्तियां बाद में बसी हैं वह सारी ऐसे तबके की बस्तियां हैं, वह गरीब लोग जहां बैठे हैं, उन तक पानी पहुंचना मुश्किल है, तो ये टंकियां अति आवश्यक हैं हमारे लिए।

कुछ गांव हैं जहां की स्कीमें आई हुई हैं, माननीय सभापति जी, आपके माध्यम से मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि गांव 1बी प्रथम, 54 जीजी, यहां क्षेत्रीय जल योजना के अंतर्गत एक स्कीम विचाराधीन है। ग्राम 34 एलएनपी, 36 एलएनपी, पहले भूजल से इस ग्राम पंचायत के लोगों को पानी मिलता था लेकिन अब समय के साथ-साथ पानी खारा हो गया, पीने योग्य नहीं रहा। वहां की जमीन लोगों ने दी है। छोटी-सी जल योजना है, अगर यह स्वीकृत हो जाए तो वहां के बाशिंदों को अच्छा पानी मिल सकेगा। ग्राम 1सीसी, ग्राम पंचायत चालणा, ब्लाक पदमपुर में 1सीसी, 16 बीबी, 13 बीबी यहां के गांव के लोगों ने निःशुल्क जमीन उपलब्ध करा दी, वह भी फाइल आपके पास विचाराधीन है। छोटी-सी स्कीम है। अगर आप इसको सैंक्शन दें तो बड़ी कृपा होगी। ग्राम पंचायत बड़ोपल करणपुर ब्लाक में है जहां पानी की बहुत समस्या है। इसकी भी स्कीम आपके पास विचाराधीन है, अगर वह स्वीकृत हो जाए तो हमारे ये मोटे-मोटे काम हैं इनकी आपकी स्वीकृति के बाद बहुत-सी राहत मिलेगी।

एक बात मैं और कहना चाहूंगा जो हमें, आपको भी लोग रोज तंग करते होंगे, जो जनता जल योजना में, माननीय स्वर्गीय भैरोंसिंह जी ने जब यह जनता जल योजना चालू की थी तो जल कर्मी रखे थे पानी छोड़ने वाले और बंद करने वाले, उनको आज कितने वर्ष हो गए, 4-5 हजार रुपये में धक्के खा रहे हैं। सरकार जैसे अनुबंध पर लगे और कर्मचारियों को पक्का करती है वैसे ही इनको पक्का करे और अगर पक्का नहीं करे तो कम से कम उनका कोई न्यायसंगत वेतन तो बढ़ाने की कृपा करें, ताकि वह भी अपने बच्चे पाल सकें। बहुत दुखी हैं। जब भी जाते हैं तो बोलते हैं कि क्या करें,

(श्री गुरमीत सिंह कुनर)

20 साल हो गए जाएं कहां। इस तरह उनकी समस्या पर अगर आप गौर करेंगे तो वह भी मन लगाकर काम करेंगे।

सिंचाई की बात करें, सिंचाई की हमारी तीन परियोजनाएं हैं आईजीएनपी, भाखड़ा और गंग कैनाल और तीनों ही परियोजनाओं का काम पिछले दिनों हमारी मीटिंग हुई, उसका काम प्रगति पर है, 70 दिन की बंधी ली जा रही है। बड़ी अच्छी बात है, 70 दिन नहीं हो, चाहे 75 दिन की होगी, तो भी काश्तकार राजी हैं। लेकिन मेरा निवेदन है कि आप विभाग के कामों में थोड़ी और तेजी लाएं कि जो काम हमने किसानों को कहा है कि हम 70 दिन में इतना करेंगे, वह काम पूरा कराएं तो बड़ी कृपा होगी। गंग कैनाल का जब मसला आता है, नहर बन गई लेकिन यह अब नहर की सफाई अंदर से कर रहे हैं, गंग कैनाल की बहुत सफाई होने वाली भी है लेकिन जो उसके 25-25 फीट के पटड़े हैं उन पर भी बहुत पेड़ आ रहे हैं। अगर उन पेड़ों को नहीं काटा जाता है, पटड़ों की मरम्मत नहीं होती तो हमारी मोनिटरिंग नहीं होती। एक बार तीन लोग इकट्ठे होकर हम भी गये, अधिकारी भी साथ थे, हमारी गाड़ी नहर के पास ही नहीं जा पाती तो हम उसकी रखवाली कैसे कर पायेंगे। सरकार की कृपा होगी अगर नहर के पटड़े बनाये ताकि किसान भी उसकी मोनिटरिंग कर सकें, अधिकारी भी जाएं तो देख सकें। 2-3 किलोमीटर दूर से पक्की सड़क पर जाकर वापस आ जाना, उस नहर में दिखता नहीं है।

हमारा एक सबसे पुराना मसला चल रहा है, मेरी एक ग्राम पंचायत है जीवनरेसर, पदमपुर में, उस गांव का बड़ा रोचक-सा किस्सा है कि जब गंग कैनाल का सर्वे हो रहा था तो किन्हीं कारणों से सर्वे टीम से उस गांव वालों की अनबन हो गई। नहर उस गांव से इतनी दूर से जा रही है जितना माननीय राठौड साहब बैठे हैं। लेकिन उस गांव को तोड़ मरोड़ कर ऐसा कर दिया कि उस गांव को सिंचाई का, पीने का पानी आज तक नहीं मिला। वाटर वर्क्स का पानी भी किसी और गांव से आ रहा है। कई बार वह लोग मरने तक भी आ गये, सरकार से मिल लिये, कुछ लीपापोती ऐसी होती है कि वह ठंडे हो जाते हैं, पानी उनको फिर नहीं मिलता। मेरा सरकार से आग्रह है कि जब हम सिंचाई का 1270 गांवों को पानी दे रहे हैं, 1270 आउटलैट हैं, एक और लग जाये, बड़ी नहर है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पूरा पानी देने की क्षमता नहीं है तो उनको थोड़ा पानी दे दें, बूंद-बूंद सिंचाई पर भी वह राज़ी हो जाएंगे। कम से कम उस कड़ी में जुड़ तो जाएं। 50-50 मील तक सारे गांव सिंचित हैं लेकिन

(श्री गुरमीत सिंह कुनर)

एक गांव वह रहा हुआ है। मेरा सरकार से निवेदन है कि उस गांव को पानी देने की योजना बनाएं।

पिछले कुछ साल पहले जो हमारे नहरी पटवारी थे, जब नहरों के अध्यक्ष बनाये, चुनाव हुए सारा जिम्मा नहर अध्यक्षों पर छोड़ दिया और उनको एक जल कर्मी रखने का फरमान जारी हो गया कि यह अपनी व्यवस्था के लिये, किसानों की पर्चियां बनाने के लिये अपना एक कर्मचारी रखें। वह भी अनुबंध वाले ही हैं, पढ़े लिखे लड़के पटवार करके आये हैं और 3-3 हजार में बैठे हैं। अब 6-6 महीने से उनको तनख्वाह नहीं मिली। वह रो रहे हैं। या तो हमें पक्का करो या कोई वाजिब तनख्वाह करो। मेरा विनम्र निवेदन है कि उनकी मांगों की ओर भी ध्यान दिया जाए ताकि वह भी अपना जीवनयापन कर सकें। जो हमारी छोटी-छोटी परियोजनाएं हैं, मैंने वही गिनाई हैं। माननीय मंत्री इन पर ध्यान देंगे और उनको सम्मिलित कराएंगे, बहुत-बहुत आभार होगा, धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री रामप्रताप जी।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 27, 46 और 38 पर आपने मुझे बोलने के लिये समय दिया, इसके लिये तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, सभापति महोदय, पर मुझे बीच में टोकना मत, मैं घबरा जाता हूं।

श्री सभापति: पहले हमारी भी सुन लो, 1 बजकर 14 मिनट पर आप बोलना प्रारम्भ कर रहे हैं और 15 मिनट बोलना है, आपके माननीय उप नेता जी ने लिखा है। अब आप भी बोलते रहो, मैं भी नहीं बोलूंगा।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): सभापति महोदय, राजस्थान की जीवनदायिनी नहर इंदिरा गांधी नहर परियोजना और भाखड़ा, गंग कैनाल, तीनों ही प्रोजेक्ट बहुत महत्वपूर्ण हैं। पूरे राजस्थान में पेयजल उपलब्ध कराने में इनका योगदान है। मैं इसके संबंध में सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार ने वर्षों से जर्जर पड़ी हुई राजस्थान कैनाल के लिये पैसा देकर और पिछली सरकार ने जो यह कार्य शुरू किया, इसको जल्दी से जल्दी पूरा कराएं। राजस्थान कैनाल की पानी की क्षमता वर्तमान में 10-11 हजार क्यूसेक्स की है, यह 18 हजार तक बढ़ सकती है। सभापति महोदय, मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना में प्रथम

(श्री रामप्रताप कासनियां)

चरण में बिना खर्चे के हजारों एकड़ भूमि पड़ी है, जिसमें सरकार को कोई खर्चा नहीं करना पड़ता और इतनी उपजाऊ जमीन है जिसको बढ़ा हुआ पानी दिया जा सकता है।

सभापति महोदय, इसी के बीच में मैं सरकार से एक निवेदन और करना चाहता हूं, वर्षों से डिमांड है, जब से राजस्थान कैनाल आई है तब से लेकर लोग लगातार मांग कर रहे हैं, मेरे विधान सभा क्षेत्र में सिंगरासर माइनर के नाम से एक प्रोजेक्ट था, जिसके लिये लगातार आंदोलन भी चला। मैं सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब पक्की नहर बन जाये, एक्सेस पानी हो जाये तो उसके लिये पानी रिजर्व करना चाहिये। वह योजना काफी वर्षों से ठंडे बस्ते में पड़ी है। मैं मानता हूं कि वहां वर्तमान में पानी नहीं है क्योंकि सब जगह अलग-अलग पानी की मांग है, यह तो मैं मानता हूं। परंतु पानी बढ़े और कहीं भी पानी न हो तो सर्वप्रथम उस नहर का अधिकार बनता है। सभापति महोदय, नहर गांवों के बीच में से निकलती है और उनको पीने के लिये ही पूरा पानी नहीं मिलता, बड़े ही खेद का विषय है। डैजर्ट एरिया है, वर्षा पर निर्भर है। वहां के लोगों की हालत बहुत ही दयनीय है। मैं सरकार से यह आग्रह करना चाहता हूं कि उस नहर के लिये पानी रिजर्व करे।

सभापति महोदय, इसके अलावा मैं सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो छोटे-छोटे माइनर हैं, पक्के खाले हैं, चाहे भाखड़ा के हों, चाहे गंग कैनाल के हों, चाहे इंदिरा गांधी नहर कैनाल के हों, उनको पक्का बनाया जाए और पक्का बनाने के साथ साथ गुणवत्ता का भी ध्यान रखें।

सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र में जो लिफ्ट नहर निकलती है, मैं पिछले दिनों काश्तकारों के कहने पर नहर पर गया, वहां मशीन, मोखे, आउटलेट बार-बार चेंज कर रहे थे। मैं सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि छोटी-छोटी बात को लेकर जब से नहर आई है तब से लेकर आज दिन तक उस रकबे में पानी लगता आ रहा है और सिंचाई अधिकारी कहते हैं सीसीए में कमांड नहीं है। सभापति महोदय, काश्तकार यह नहीं जानता कि सीसीए क्या है। उसको तो यह पता है कि नहर आई है तब से लेकर आज दिन तक लगातार पानी लगता आ रहा है। इस तरह के काश्तकारों का पानी नहीं काटा जाए, उनको पानी से वंचित नहीं किया जाए।

एक यह जो आउटलेट वाला पावर है, वह सरकार के पास है। एक चक से दूसरे चक में रकबा ट्रांसफर करना हो तो सरकार के पास आना पड़ता

(श्री रामप्रताप कासनियां)

है। पावर को केन्द्रीकरण मत करो, विकेन्द्रीकरण करो। मोनिटरिंग रखो, सारे अधिकारी चोर नहीं है। आप उनको आउटलेट चेंज करने की शक्ति और रकबा ट्रांसफर करने की शक्ति दो। यह छोटे छोटे काम हैं, इनके लिये काश्तकारों को जयपुर तक आना पड़ता है, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। मोन्टिरिंग करो, कोई अधिकारी गलती करता है तो उसको सज़ा दो पर इन छोटी-छोटी बातों के लिये, एक चीफ इंजीनियर तक को हर बात के लिये आपकी तरफ देखना पड़ता है, इसलिए यह जो छोटे-छोटे पावर हैं यह हकीकत में एसई को और मुख्य अभियंता को आपको देने चाहिए।

सभापति महोदय, टेल के ऊपर 10 हिस्सा पानी। मैं लिफ्ट की बात कर रहा था। फुलेजी माइनर, मालेर माइनर और मीरचंद माइनर का जिक्र कर रहा था। इन नहरों की टेल पर पानी पूरा नहीं पहुंचता है। इनके आउटलैट, अभी बीच फसल में उखाड़ रहे थे तो एक बार तो मैंने कहा कि आप फसल के बीच में से मत उखाड़ो, जो कुछ करना है बाद में कर लेना। सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि नहर की जो पटरियां हैं उनके ऊपर आज से 20-25 वर्ष पहले कार चलती थी। सिंचाई मंत्री जाते थे, मुख्य अभियंता या फिर कोई भी दौरा करते थे, वे अपनी पक्की सड़कों से बढ़िया थीं। क्या कारण है कि आज उन पर ट्रैक्टर ही नहीं चल पाता है? उसका कारण यह है कि देख रेख की कमी है। आधुनिक यंत्र उपलब्ध हैं। फिर आप कहेंगे पहले बेलदार बहुत थे। अब ज्यादा बेलदारों की जरूरत नहीं है। अब कम्प्यूटर किया हुआ आया है, वह आपके पांच बेलदारों के बराबर की एक वर्ष की तनख्वाह पर, वह 100 किलोमीटर पटरी तैयार कर देगा। पानी के पम्प हैं और जो कम्प्यूटर वाला किया हुआ है, उससे पटरियां बहुत साफ होती हैं। कोई अधिकारी मौका देखने जाए, कोई मंत्री जाए, हालात बड़े विचित्र हैं। यही हालत नहर के इर्द-गिर्द जो पौधे आपने लगा रखे हैं, जूलीफ्लोरा, विलायती कीकर, इसने नहरों का बेड़ा गर्क कर दिया। पूरे राजस्थान का बेड़ा गर्क कर दिया। सब माननीय सदस्य बैठे हैं, इस बात से सब परिचित हैं।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि नहर के किनारे इतनी बेशकीमती जमीन है। वहां पर फलदार पौधे लगाये जा सकते हैं, इनकम वाले पौधे लगाये जा सकते हैं। काम की लकड़ी टाली, देशी कीकर और बहुत से पौधे हैं। और नहीं तो कम से कम कैर लगा दें, खेजड़ी लगा दें। वहां पर आम भी होते हैं। मैं गारंटी देता हूं कि नहर के किनारे आम भी पैदा होते हैं। इतनी बढ़िया उपजाऊ जमीन है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। नहर का पूरा खर्चा, 10

(श्री रामप्रताप कासनियां)

साल बाद वह लकड़ी, जो मैं कहूं वह पेड़ लगाएं नहीं उठा दे तो मेरी नाक काट लेना। आपके पास इतनी जगह है, बहुत जगह है। (व्यवधान) मैं यह भी जानता हूं, आप बीच में चर्चा मत करो, बीच में मुझे डिस्टर्ब मत करो।

सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि छोटे-छोटे काम हैं, जिनकी तरफ अगर ध्यान दिया जाए तो इसमें ज्यादा खर्चा नहीं होने वाला है। पावर हर हालत में चीफ इंजीनियर और अधीक्षण अभियंता को दें, छोटे-छोटे कामों के लिए काश्तकार जयपुर तक घूम रहे हैं।

सभापति महोदय, इसके अलावा नहरों के अंतर्गत आपने जल वितरण समितियों के अध्यक्षों का चुनाव करके गांवों में जो इतनी बड़ी खाई पैदा कर दी है कि वहां पर जो अध्यक्ष है, वह न्याय करने के स्थान पर बदले की भावना से काम करता है। वह यह सोचता है कि अमुक आदमी ने मुझे वोट नहीं दिया। वह कोई हरिशचन्द्र नहीं है, राजनीतिक आदमी है। अध्यक्ष बन गया, उसको कुछ शक्तियां मिल गयीं पानी वितरण करने की। बारी काटने आदि की सब पावर उसको दे दी है, तो वह कोई हरिशचन्द्र नहीं है, राजनीतिक आदमी है। इस व्यवस्था से मैं सहमत नहीं हूं। जैसे पीएच.ई.डी. के अंदर जनता जल योजना से बेड़ा गर्क हो गया है, उसी तरह से आपकी नहरों का बेड़ा गर्क होता जा रहा है। सभापति महोदय, जिन लोगों ने पुराने समय में, 1975 से पहले लिफ्ट से पानी 100 फिट ऊपर लगा दिया, उसका पानी आप नहीं काट सकते हैं, चाहे सीसीए में कमांड हो या अनकमांड हो, इसका कोई मतलब नहीं है। सरकार के आदेश हैं। उसके बाद समय-समय पर दो-तीन बार आदेश और निकले हैं। शायद 1990 में निकले हैं, मैं एग्जेक्ट तारीख नहीं बता पाऊंगा, मैं इतना विद्वान नहीं हूं। 1995 के अंदर शायद दो-तीन बार ऐसे आदेश निकले हैं कि आज से पहले जिनके पानी लग गया, उनकी बारियां नहीं काटी जाएं। जब आप आउटलेट का ड्राइंग डिजाइन करते हो तो उस रकबे का काउंट ही नहीं करते, तो यह अन्याय है। सभापति महोदय, अब मैं ज्यादा इस पर नहीं बोलूंगा।

पेयजल पर, पी.एच.ई.डी. की जितनी भी स्कीमें हैं, करोड़ों रुपये खर्च करने के बाद भी, बड़े ही खेद का विषय है कि करोड़ों रुपये खर्च होने के बाद भी आज दिन तक गांवों के लोग प्यासे हैं। मैं मेरे क्षेत्र का उदाहरण देता हूं। टिब्बी क्षेत्र की बात करता हूं। वहां चार-चार दिन के अंतराल से पानी मिलता है। बार-बार मोटरें जल जाती हैं। बार-बार पाइप का लीकेज हो जाता है। यह

(श्री रामप्रताप कासनियां)

आपने बंदर के हाथ में उस्तरा देने वाली कहानी कर दी है। आपने नगरपालिका और ग्राम पंचायतों को जो पाइप लाइन डालने का काम दे दिया, इससे बहुत बेड़ा गर्क हो गया है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इतने घटिया किस्म की पाइप, जैसे उदाहरण के तौर पर 375 रुपये मीटर 4 इंच की पाइप आती है, जो बढ़िया चलती है जबकि वे वहां पर 100 रुपये वाली लाकर डाल देते हैं। एन.ओ.सी., मेरे जैसे नेता दिलवाने में दो मिनट लगाते हैं। एनओसी मिल जाती है और वे पाइप डाल देते हैं, बाद में उसमें पानी चला कि नहीं चला, अगर कोई ए.ईन., जे.ईन. टैस्ट करने जाए और उसके पास विधायक का सपोर्ट है तो वह घर बैठे कहीं कह देगा, पाइप पास। इस पर भी रोकथाम लगनी चाहिए। ठेकेदारों के माध्यम से जो कार्य करवाया जाता है, मेरे क्षेत्र में रत्तासर और चाड़सर गांव हैं, वहां जो काला पाइप आता है, जिसे सूंड वाला बोलते हैं, वह छह महीने से वहां पर पड़ा था, पड़े-पड़े वह आपस में क्रैक हो गया। वह पाइप अब गांवों में लगे तो परिणाम क्या होंगे? पानी थोड़े ही चलेगा।

मेरा सरकार से यह निवेदन है कि आपके जो हैल्पर हैं, गांवों में स्कीमों का भट्ठा बिठाने में सबसे बड़ा योगदान उस कर्मचारी का है। चाहे चीफ इंजीनियर प्रयत्न कर ले, चाहे अधीक्षण अभियंता, चाहे अधिशासी अभियंता कुछ भी कर ले, यदि उसकी नीयत नहीं हो तो कोई न कोई बहाना बनाकर गांव को पानी से वंचित कर देता है। मैं सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि सर्दियों के मौसम में यह हालत है तो आगे गर्मियां आने वाली हैं, मैं सरकार को समय रहते हुए चेताना चाहता हूं कि आप गर्मियों के लिए अलग से कोई व्यवस्था करें। अभी अधिशासी अभियंता, अधीक्षण अभियंता सब कह रहे हैं कि हमारे पास तो 20 फिट की पाइप ही नहीं है। अगर कोई लीकेज हो जाए और एक पाइप की जरूरत हो तो हाथ खड़े कर देते हैं कि पैसा नहीं है। यह पैसा कहां गया? मेरी समझ में नहीं आया कि पूर्ववर्ती सरकार के समय में, हमारी ये पानी वाली बाई बैठी हैं, कभी भी इन्होंने पैसे के लिए मना नहीं किया। यह डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है कि आपका बजट कम कर दिया। केन्द्र सरकार से जितना मिलना चाहिए वह मिल रहा है और आपके पास जो है, वह है तो आप कंजूसी क्यों कर रहे हैं? यह पैसा कहां खतम कर दिया।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): सभापति महोदय, मैं सरकार से

(श्री रामप्रताप कासनियां)
यह निवेदन करना चाहता हूं कि समय रहते हुए मैं विरोध में इसलिए यह नहीं कह रहा हूं, मैं आपको चेता रहा हूं कि मेरे क्षेत्र में हकीकत में पानी की प्राब्लम है। अगर उसकी ओर आपने ध्यान नहीं दिया तो, कल्ला साहब, आपको लोग उस रास्ते से नहीं निकलने देंगे, यह मैं आपको आज भी कह देता हूं।

श्री सभापति: धन्यवाद, विराजिए। श्री पृथ्वीराज जी।

श्री पृथ्वीराज (टोडाभीम): माननीय सभापति महोदय, आपने बोलने की इजाजत दी, उसके लिए धन्यवाद। मैं सिंचाई पर बोलना चाह रहा हूं। सिंचाई में करौली जिले के टोडाभीम उपखण्ड में एक भोपर एनिकट स्वीकृत हो गया। स्वीकृत हुए साल भर हो गया, इसके टेंडर नहीं हो रहे हैं। पैसा स्वीकृत नहीं हो रहा है। दूसरा, नादौती तहसील में भावराला एनिकट से सारा पानी बह जाता है। इसको दो मीटर ऊंचा बनाने के लिए प्रस्तावित है। पैसा भी वहां एक्सईएन के पास सेविंग का बचा हुआ है और उसकी स्वीकृति नहीं होने से वह टेंडर नहीं हो रहे हैं।

पानी पर, मेरे सभी माननीय सदस्य इंदिरा गांधी कैनाल पर बोल रहे हैं। अब चूंकि पूर्वी राजस्थान में कोई इंदिरा गांधी कैनाल तो है नहीं। वहां पर चम्बल-सवाई माधोपुर-नादौती पेयजल की 2013 में 408 करोड़ की योजना स्वीकृत हुई थी, 408 करोड़ खर्च भी हो गये। चूंकि इसमें नादौती तहसील में एक भी गांव में पानी नहीं पहुंचा है और उसमें सात तहसील, सात पंचायत अभी बकाया रह रही हैं, इनको उनसे जोड़ा ही नहीं है।

तीसरा, मेरे यहां उपखण्ड कार्यालय टोडाभीम, 2014 में स्वीकृत हो चुका है। मंत्री जी से मिलते हैं तो कहते हैं कि फाइनेंस में भेजेंगे। मेरे यहां स्वीकृत हो चुका है, इसको फाइनेंस में भेजने की जरूरत ही नहीं है। मेरे यहां तो केवल शिफ्ट होना है। जो कहीं ओर लगा है, उसको शिफ्ट करना है, क्योंकि वह 2015 में बनास के लिए प्रोजेक्ट जयपुर में आया था, उसके लिए यहां जयपुर में शिफ्ट किया गया था, इसलिए मेहरबानी करके मेरी मंत्री से विनती है कि उसको केवल शिफ्ट करना है। उसमें फाइनेंस की कोई जरूरत नहीं है।

मेरे यहां से हिंडौन में अधिशासी अभियन्ता बैठता है जो करीब 80 किलोमीटर दूर है। हमेशा लोग परेशान होते हैं। मेरा बस इतना ही कहना है। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री राजवी साहब।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): सभापति महोदय, मांग संख्या 27 पेयजल और 46 सिंचाई पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आभार प्रकट करता हूं। पिछले सत्र में भी इंडस वाटर ट्रीटी के संबंध में मैंने अपने विचार व्यक्त किए थे। मेरे खयाल से देश को जितना नुकसान इंडस वाटर ट्रीटी के कारण हुआ है और इतना नुकसान करने वाली कोई भी बात नहीं है।

सभापति महोदय, इराडी ट्रिब्यूनल के बाद में 17.17 एमएएफ पानी मानते हुए, 8.6 एमएएफ राजस्थान का हिस्सा बना। उसमें 52.52 परसेंट जब हमको मिलता है तो 8.6 के हिसाब से 0.6 एमएएफ कंजम्पटिव यूज के लिए पंजाब को दिया। कितनी ही बार आपने प्रयास किया कि वह 0.6 एमएएफ पानी जो उधर जा रहा है, वह वापस लेकर आ जाएं। कोशिश की, पत्र लिख दिया लेकिन कोई सारगर्भित चर्चा नहीं की। धारा 370 हटने के बाद, मंत्रीजी, आपको तो शायद ध्यान होगा 40 हजार क्यूसेक्स पानी जो पाकिस्तान जा रहा था, उस पर तत्कालीन गवर्नर साहब ने और पंजाब के मुख्य मंत्री ने, क्योंकि अन-डिवाइडेड पंजाब के आधार पर वह समझौता हुआ था, वह पानी अब देश में यहां पर राजस्थान को उसमें 52.52 परसेंट अपना हिस्सा मिलेगा तो लगभग मेरा मानना है कि 40 परसेंट एक्स्ट्रा पानी हमको और मिलने लग जाएगा। लेकिन इंदिरा गांधी फीडर जब तक पूरी रिपेयर नहीं हो जाएगी, कोरियन कंपनी को जो टेंडर दिया था, वह जब तक कमप्लीट नहीं हो जाएगा, तब तक हम 10-11 हजार क्यूसेक्स पानी से ज्यादा लेने की स्थिति में नहीं हैं। वह पानी होते हुए भी हम नहीं ले पाएंगे, यह थोड़े कष्ट की बात है। 17.17 एमएएफ पानी, मंत्रीजी, आप बताएंगे, इराडी ट्रिब्यूनल के अवार्ड के बाद में कितनी बार चला? एक बार, सरप्लस हो इतना था ही नहीं, तो 0.6 एमएएफ पानी पंजाब अभी तक हमारा कैसे ले रहा है? कम से कम आप सरकार की तरफ से यह तो बात उठाएं।

अभी तक भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड, जो कि केन्द्र के अधीन होना था, मेरे खयाल से मोरारजी भाई के टाइम पर, जब वह प्रधान मंत्री थे, उस फाइल में आज भी टाइप किया हुआ नोटिफिकेशन इसके लिए तैयार पड़ा है, लेकिन जब तक कान्करेंट लिस्ट में वाटर रिसोर्सेज को नहीं डालेंगे संविधान के संशोधन के बाद, तब तक हर राज्य में अपने-अपने हिस्से के पानी को लेकर ये विवाद चलता रहेगा। मैं तो आशा करता हूं कि आप जैसे विद्वान यहां पर बैठे हैं। आप तो प्रोफेसर रहे हैं और मुख्य मंत्रीजी तीसरी बार मुख्य मंत्री बने

(श्री नरपत सिंह राजवी)

हैं, केबिनेट में बैठकर तय करें कि कम से कम विधान सभा से प्रस्ताव जाए कि इस वाटर रिसोर्सेज को कान्करेंट लिस्ट में डालें ताकि कोई ऐसा ट्रिब्यूनल एस्टब्लिश्ड हो जिसके आधार पर जल्दी निर्णय हो जाए। पिछली सरकार के समय एक केस भी किया हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, उस रैफरेंस को अभी तक टच भी नहीं किया है।

सभापति महोदय, इर्रिगेशन की स्थिति क्या है? दो तिहाई भाग तो राजस्थान में वर्षा पर निर्भर करता है खेती का, 1 परसेंट ही, 1.2 परसेंट पानी सरफेस वाटर है। वह भी हाड़ौती और पैरेलल रिवर एक चम्बल है और कालीसिंध है, वह ट्रिब्यूटरी है। 15 परसेंट तक ही इर्रिगेटेड एरिया है। अब साथ में कृषि की मांग रखी नहीं है। कृषि की मांग पर अगर होता, आप मध्य प्रदेश को देखें, मध्य प्रदेश में ग्रोथ रेट 3 परसेंट बढ़कर अब 18 से 25 परसेंट के बीच में है, एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट। गुजरात की 12 परसेंट से 15 परसेंट। मैंने भी मुख्य मंत्रीजी को पत्र लिखा था, पोस्ट हार्वेस्ट टैक्निक, हम पिछड़े हुए हैं, मध्य प्रदेश ने उसमें खूब प्रगति की है। वेयरहाउसिंग में सहयोग करना चाहिए। आपकी वेयरहाउसिंग पॉलिसी आई, उसमें नान-कूलिंग और कूलिंग दोनों का रखा है। दस हैक्टेयर तक किसानों को उसमें रिलीफ दी है। कन्वर्जन कामर्शियल एक्टिविटी और कन्वर्जन, इसके कारण से सिर्फ छोटे रेवेन्यू के कारण से राजस्थान को पिछड़ाकर रख लें, यह कोई समझदारी की बात नहीं है। अभी 28.12 लाख हैक्टेयर में से 15 परसेंट की अगर कल्चरेबल कमांड एरिया में होगा तो डवलपमेंट करना, विकसित होना संभव नहीं है।

वर्ष 2020-21 में आपने 4557 करोड़ रुपये की राशि बजट में प्रावधान की है, जो 2 परसेंट है। इस 2 परसेंट की इन्क्रीज से अगर आप अपने घर में जो डोमेस्टिक हैल्प है, उसको भी रखना चाहें तो वह भी साल भर तक नहीं निभा सकते। आप कौन-सी कैनाल, कौन-सा सिस्टम डवलप कर लेंगे? केन्द्र से आप सहायता मांग रहे हैं, लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि 8th फाइनेंस कमीशन के बाद में कितनी ही बार राज्य सरकारों ने डिविजेबल पूल का दायरा बढ़ाने के लिए और ज्यादा राशि बढ़ाने का कहा। आज 42 परसेंट डिविजेबल पूल में से है तो सैन्ट्रल स्पोन्सर्ड स्कीम्स ही बंद कर दीं। इसलिए तो 10 हजार 300 करोड़ रुपये आपको कम मिल रहे हैं। मैचिंग ग्रांट, जो आपके सैन्ट्रल स्पोन्सर्ड स्कीम्स में मैचिंग ग्रांट है, वह आप मैचिंग ग्रांट दे ही नहीं रहे। वह साथ में नहीं देंगे तो आप उसको यूज नहीं कर

(श्री नरपत सिंह राजवी)

पा रहे हैं। फाइनेंशियल एक्यूमेन सिर्फ यूज में या डिमांड्स में नहीं है। उसको आप्टिमम यूटिलाइजेशन आप करें। बोर्डर एरिया डवलपमेंट के लिए, लेकिन उस क्षेत्र के बारे में कतई विचार नहीं किया गया। अभी खेतड़ी से आने वाले माननीय सदस्य फर्मा रहे थे ओवर एक्सप्लोयटेड ब्लाक्स 185 हैं 295 में से और क्रिटिकल स्टेज है 33 की। दस साल बाद में अधिकांश एरिया में आपको पीने का पानी उपलब्ध नहीं होगा। इन नहरों का पानी पीने के लिए ही उपयोग में ले पाएंगे, यह स्थिति राजस्थान की बनी हुई है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं इर्रिगेशन के लिए आपने सोलर पैनल की, पम्प लगाने की बात कही। पिछले साल 25000 का टारगेट था, उसका टेंडर हो गया क्या? अभी तक आप वही फाइनल नहीं कर सके और आपका फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता जा रहा है। इस आधार पर काम करके, आप गरीब को गणेश मानकर काम नहीं कर रहे हैं, देश का नुकसान हो रहा है, राज्य का नुकसान हो रहा है। चंबल घाटी, भाखड़ा नांगल यह वृहत् परियोजनाएं हैं, इसमें तो आप केन्द्र पर ही डिपेंड करेंगे।

मैं तो सिर्फ जलदाय विभाग, पेयजल पर आपसे निवेदन करना चाहूंगा। सभी माननीय सदस्य अपने-अपने क्षेत्र में पेयजल समस्या के समाधान के लिए अपनी व्यवस्था रखते हैं। आपसे निवेदन भी करते हैं, लेकिन आपके अधिकारी आपकी मानते हैं क्या? एमएलए लेड, उसका कोई नहीं, जिला परिषद् के माध्यम से एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन निकलती है, आपके ही डिपार्टमेंट का यह सकुर्लर है कि 15 दिन में टीएस के लिए सब्मिट हो जाना चाहिए। 15 दिन में सब्मिट नहीं हो तो क्या पनिशमेंट है, कभी किसी को किया है क्या? मैंने आपको पत्र भी लिखा है, ध्यान आकर्षण करने के लिए लिस्ट भी दी है। तीन-तीन महीने तक टी.एस. के लिए लिखकर नहीं देते हैं, ऐसे अधिकारियों को दंडित किया जाना चाहिए।

मैंने आपसे एक टंकी के बारे में निवेदन किया कि गुणवत्ता लाइये, जांच करवाई, सब-स्टैण्डर्ड निकला, आपने उसके बाद एक जांच और दे दी। उस अधिकारी को जांच दी जिस अधिकारी का पद ही रिक्त है। आपको कवर अप करना है वह अलग बात है, लेकिन आपके पास दो फाइलें ऐसी भी पड़ी हैं, जिसमें उस अधिकारी को आप दंडित कर सकते हैं, उसको आप रोक कर बैठे हैं। भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना है तो फाइल को रोक कर बैठना अन्याय

(श्री नरपत सिंह राजवी)

है। निर्णय करें, सरकार को अगर दंडित नहीं करना है तो वह भी निर्णय करें लेकिन गुणवत्ता में कसर रही तो शिकायत भी करेंगे और आगे भी उस चीज को ले जाएंगे। आपने समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री रामलाल जी जाट।

श्री रामलाल जाट (माण्डल): सभापति महोदय, मांग संख्या 46, 27, 38 पर मेरे विचार रखने के लिए आपकी अनुमति का स्वागत करता हूं। इस बार मुख्य मंत्री जी ने सिंचाई, लघु सिंचाई, भूमि संरक्षण पर प्राथमिकता से बजट रखा। माननीय सदस्य, गांवों से, शहरों से, जहां से भी आते हैं, सबको पानी की बहुत आवश्यकता है। आज नदियों को जोड़ने की बात आ रही है, भारत सरकार भी इसके बारे में चर्चा करती है। कई पर्यावरणविद् इसका विरोध भी करते हैं, कई इंजीनियर इसका समर्थन कर रहे हैं लेकिन इसको राजनीतिक रूप में कई बार देखा गया, इसलिए यह योजना हमेशा आगे से आगे बढ़ती गई।

आज से सौ-डेढ़ सौ साल पहले, ब्रिटिश इंजीनियर, जैसा डा. जितेन्द्र साहब ने कहा, आर्थर कॉटर ने कावेरी कृष्णा नदी को जोड़ने की बात सौ-डेढ़ सौ साल पहले कही थी। उस समय के प्रोजेक्ट को रेलवे लाइन से जोड़ने के हिसाब से, उस समय पर्यावरण की भी इतनी आपत्ति नहीं थी, इस योजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। 1945 में केन्द्रीय जल बोर्ड का निर्माण हुआ था, डा. खौसला ने इस प्रोजेक्ट को हाथ में लिया। एक कमेटी का गठन किया गया। डा. के एल राव ने पाइंट टू पाइंट पटना से गंगा को कावेरी से जोड़ने की चर्चा की थी। सभापति महोदय, मैं आपके सामने इसलिए जिक्र कर रहा हूं कि आज इसका राजनीतिक फायदा नहीं लेते हुए, सभी लोग सर्वसम्मति से निर्णय लेकर, भारत सरकार के सहयोग से आगे बढ़े, तो आने वाले समय में पानी की कमी नहीं रहे, पानी बचाने के उपाय भी हो सकते हैं, आपस में नदियां जोड़ी जा सकती हैं, इसलिए आपके सामने रख रहा हूं।

माननीय सभापति महोदय, 1980 में प्रोफेसर दस्तूर जो एक पायलट थे, तत्कालीन प्रधान मंत्री जी ने 1980 में स्टडी कराई, उस समय 30 प्रोजेक्ट निकलकर आए। उसमें नदियों को जोड़ने की चर्चा के साथ ही बजट प्रावधान की भी बात आई थी लेकिन धीरे-धीरे वह योजना ठंडे बस्ते में चली गई। आने वाली सरकारों ने राजनीतिक रूप में वोट लेने के अलावा, उसको आगे बढ़ाने का काम नहीं किया। माननीय सभापति महोदय, मुझे खुशी है कि आज वापस

(श्री रामलाल जाट)

एक नदी से दूसरी नदी को जोड़ने की चर्चा आई। मोहन लाल जी सुखाड़िया राजस्थान के पहले मुख्य मंत्री थे तब उन्होंने मेवाड में एक सपना देखा था, उस समय गुजरात में जो पानी जा रहा था माही डैम के माध्यम से, उदयपुर कैनाल के माध्यम से उसको जोड़ने का काम किया। नंदसागर होते हुए मातृकुंडिया मेजा बांध, भीलवाड़ा तक पानी पहुंचाने की कैनाल उस समय ही बना चुके थे। यह उसी का परिणाम है कि नदियां जोड़ने का काम आदरणीय मोहन लाल जी सुखाड़िया ने किया।

उसी तरह राजस्थान के मुख्य मंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी, पिछली बार मुख्य मंत्री बने तब भी उन्होंने एक नारा दिया पानी बचाओ, बिजली बचाओ, सबको पढ़ाओ, वृक्ष लगाओ, लेकिन राजनीतिक नारे के रूप में इसे देखा गया और आज जब आवश्यकता आई तो हम सब लोग चर्चा कर रहे हैं। मारवाड़ के लोगों से ज्यादा पानी की समस्या को कोई नहीं जान सकता। आज से नहीं आदिकाल से वह लोग इस पानी को बचाकर, टांके बनाकर, संचय करके पानी का उपयोग करते आ रहे हैं। जानवरों के लिए भी साल भर के पानी का इंतजाम करते हैं। यह सारी चीजें हमारी प्रकृति के अंदर समावेश है, अगर इंजीनियर्स इस ओर सही ढंग से काम करें तो आगे कदम बढ़ाए जा सकते हैं।

आज हम लोग विश्व जल दिवस मनाते हैं। आज प्राकृतिक संसाधनों, ग्रेनाइट, मार्बल, तेल, सबमें अमूल्य चीज अगर कोई है तो वह पानी है। हीरे, जवाहरात, सोने से बढ़कर है। व्यक्ति, जीव-जंतु सब पानी के माध्यम से ही जिंदा हैं। अगर पानी के संरक्षण का काम नहीं किया गया तो आने वाली पीढ़ी हमें दोष देगी। कई माननीय सदस्य आज इस मांग पर अपने अच्छे-अच्छे सुझाव देकर, चर्चा कर रहे हैं, यह कारगर साबित होगा। राजस्थान का जो सपना माननीय मुख्य मंत्री जी ने देख रखा है उसमें अपन आगे बढ़ सकेंगे।

माननीय सभापति महोदय, आज सिर्फ पृथ्वी ग्रह ही ऐसा है जिस पर जल है। बाकी कई ग्रह, जहां अमूल्य पदार्थ हैं लेकिन पानी नहीं होने की वजह से वहां व्यक्ति निवास नहीं कर पा रहे। इस पृथ्वी को बचाने के लिए, जल के लिए सब लोग मिलकर काम करेंगे तो निश्चित रूप से हम आगे बढ़ पाएंगे। विश्व दिवस के ऊपर आंकड़े बताते हैं कि यह पृथ्वी आज 70 परसेंट पानी से घिरी हुई है, जिसमें लगभग 97 परसेंट पानी खारे पानी से भरा हुआ

(श्री रामलाल जाट)

है। अगर इस पानी को भी इंजीनियर टैक्नीकली सही ढंग से करेंगे, इसके लिए कई कमेटियां भी बनती हैं लेकिन भारत सरकार इसमें सहयोग करेगी तो ही यह चीज संभव हो पाएगी। पौने दो परसेंट बर्फ के रूप में है। आज पर्यावरण खराब होने की वजह से ग्लेशियर पिघल कर आ रहे हैं, इससे भी आने वाले समय में पानी की कमी होगी। 0.75 परसेंट पानी जमीन की सतह में है, उसका दोहन ट्यूबवैल, हैण्डपम्प के माध्यम से कर रहे हैं लेकिन रिचार्ज नहीं करने की वजह से जमीनी स्तर के पानी में कमी आती जा रही है, आने वाले समय में उसमें भी परेशानी आएगी। माननीय सभापति महोदय, 0.5 परसेंट पानी आज नदियों और झीलों में है। इस पानी को अपन पी रहे हैं और उद्योग धंधे भी चल रहे हैं, बिजली के कारखाने भी लगे हुए हैं। अगर री-साइकल के माध्यम से सही करें तो हम पानी बचा सकेंगे।

माननीय सभापति महोदय, आज राजस्थान में सात करोड़ से ज्यादा पापुलेशन है। जल ही जीवन है। पानी बचने से ही पूरा विश्व बचेगा। इसलिए आज पूरी दुनिया विश्व जल दिवस मनाती है। मैं मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, उस समय इन्होंने पानी बचाने का नारा दिया, खिलाफ के लोगों ने मखौल उड़ाया, लेकिन वह इस चीज पर अडिग रहे, टांके बनाकर, उस समय यह कम्पल्सरी किया गया कि जितनी सरकारी बिल्डिंग बनेगी, प्राइवेट कालोनी बनेगी, छत का पानी, वाटर टैंक के माध्यम से री-चार्ज करने के लिए इकट्ठा किया जाएगा। उस समय यह प्रावधान किया गया। मंत्री जी बैठे हैं, मैं निवेदन करूंगा उस चीज को वापस हाथ में लें। जितनी बिल्डिंग बन रही है, चाहे ग्राम पंचायत स्तर पर हो, प्राइवेट कालोनाइजर्स कालोनी काटते हैं, उन चीजों को वापस देखेंगे तो पानी बचाने में बहुत अच्छा काम होगा, एक संदेश जाएगा।

इसके साथ ही आज सबसे बड़ी दु:ख की बात है कि पूरी दुनिया में 80 परसेंट जो लोग हैं, वैश्विक जल स्तर का जो दोहन कर रहे हैं, जिस तरीके से आज री-साइकिलिंग नहीं हो रहा है और उद्योगों की वजह से जो पानी कैमिकलयुक्त हो रहा है, उस पानी को अच्छे जल स्रोतों में छोड़ा जा रहा है। कई नदियों में वह पानी जा रहा है। कपड़े की कई फैक्ट्रियों का जा रहा है। कई बार लॉ एण्ड आर्डर की भी दिक्कत हो रही है। अगर उस पानी का ट्रीटमेंट करके उन नदियों में छोड़ा जाए तो जो शुद्ध पानी है, वह इस पानी से खराब नहीं हो। माननीय सभापति महोदय, यह व्यवस्था भी हमें इस समय देखनी पड़ेगी।

(श्री रामलाल जाट)

इसके साथ ही, इन चीजों में कई, जैसे कुएं हैं, बोरवैल हैं, पेड़ लगाने का काम है, री-साइकिलिंग का काम है, इन सब चीजों को, माननीय सभापति महोदय, डा. जितेन्द्र सिंह साहब ने निवेदन किया था कि वे इजरायल जाकर आये हैं। आज इजरायल, आस्ट्रेलिया, सिंगापुर ऐसे कन्ट्री हैं जो आज पानी के 'न' की मात्रा होते हुए, हमसे भी आगे ग्रोथ कर रहे हैं। वहां एग्रीकल्चर की ग्रोथ आगे हो गई है, इंडस्ट्री की ग्रोथ वहां आगे हो रही है। वे हर चीज में आगे हो रहे हैं। इसके पीछे वहां के इंजीनियर, वहां की सरकार की ऐसी नीतियां, अच्छे निर्णय हैं। इसकी बदौलत वह चीज हो पा रही है। क्यों न हम उन चीजों को केवल देखने के साथ-साथ ही यहां लागू करें। एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में राजस्थान के अलग-अलग एरिये में करें, तो निश्चित रूप से ये सब चीजें यहां पर भी सम्भव हो पाएंगी। हालांकि उनके साथ ही, मैं तो मारवाड़ का उदाहरण आपको दे ही रहा था कि इजरायल और आस्ट्रेलिया से भी ज्यादा खराब स्थितियां मारवाड़ की हुआ करती हैं। अपने जो जीव-जंतु हैं, जिसमें ऊंट है, वह भी अपने पानी का सात दिन का स्टोरेज एक साथ रखता है। सात दिन तक भी, दस दिन तक भी पानी नहीं मिले फिर भी वह जिंदा रहता है। उसके पीछे प्रकृति ने भी उसको वह चीज दी है, ईश्वर ने भी, मालिक ने भी उसको बनाया है तो वे चीजें, मारवाड़ से ज्यादा बढ़कर, जो रेगिस्तानी एरिया है, उस चीज को ध्यान में रखते हुए अगर पालिसी बनाएंगे, नीति बनाएंगे और उसको क्रियान्वित करेंगे तो निश्चित रूप से राजस्थान में पानी की कोई कमी नहीं रहेगी।

इसके साथ ही, माननीय सभापति महोदय, मैं आपको एक चीज बताऊं, जैसे भीलवाड़ा में चम्बल परियोजना, जो 10-15 साल तक रेलगाड़ी से वहां पानी लाया जाता था। वहां के जल स्रोत, जो सबसे बड़ा मेजा बांध था, वह सूखने के कगार पर था। बरसात की कमी की वजह से पानी पूरा नहीं मिल पाता। भीलवाड़ा बड़ा कस्बा था। उस चीज को ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्य मंत्रीजी ने 2009 में, जब 2008 में मुख्य मंत्री बनते ही पहला बजट आया, उसमें उन्होंने 1000 करोड़ रुपये की प्रोजेक्ट योजना, जो भैंसरोडगढ़ से बूंजरकलां, आरौली होती हुई भीलवाड़ा तक के लिये लेकर आये थे। माननीय सभापति महोदय, आज मुझे इसलिये कहना पड़ रहा है कि अपने इंजीनियर साहब, मैं उन पर सवाल नहीं उठाता हूं लेकिन उनको, या तो उच्च अधिकारी को कह नहीं पाते या सरकार उच्च अधिकारियों की बात सुन नहीं पा

(श्री रामलाल जाट)

रही है, जो प्रोजेक्ट आपने बनाया वह 2016-17 तक पूरा होना था। वित्तीय स्वीकृति हो गई, प्रशासनिक स्वीकृतियां हो गईं। अलग-अलग फेज में, अलग-अलग तहसीलों का उसमें पूरा प्रोग्राम दिया गया, लेकिन उसमें उन्होंने ढाणियां, मजरे छोड़ दिये, जो हैबिटेशन के नाम पर उतने के उतने ही रेवेन्यू विलेज, केवल रेवेन्यू विलेज में ही वह पानी पहुंचाया गया है। सभापति महोदय, कहीं हालात यह हैं कि एक रेवेन्यू विलेज से दूसरे रेवेन्यू विलेज में कोई मगरा या ढाणी आ रही है, पूरा भीलवाड़ा जिला अलग-अलग क्षेत्र की बस्तियों में बसा है, कहीं मगरा एरिया है, कहीं थोड़ा-बहुत रेगिस्तानी पार्ट भी है, कहीं गहराई भी है, कहीं फोरेस्ट भी है, तो उसके बीच में जो रेवेन्यू विलेज नहीं है, हैबिटेशन वाले छोटे से गांव हैं, उन गांवों को नहीं जोड़ा गया। उनकी डी.पी.आर. भी हमने बनाई। माननीय सभापति महोदय, मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि उसमें आपका जवाब भी आया कि अभी इस बजट में, जो उसके बाद 199 नये रेवेन्यू विलेज बने हैं, 1316 ढाणियां हैं, उनको जोड़ने का आपने इसमें प्रावधान नहीं किया है जबकि आपकी इतनी बड़ी योजना पहले ही है। पिछली सरकार द्वारा पूरा पैसा नहीं देने की वजह से जो डेढ़ हजार करोड़ की योजना थी, वह ढाई हजार करोड़ पर चली गई। प्रोजेक्ट की कोस्ट बढ़ गई और आप फिर इन ढाणियों को नहीं जोड़ रहे। समय रहते ही इनको नहीं जोड़ा गया तो यह कोस्ट बढ़ती जायेगी और आने वाले समय, गर्मियों में लॉ एण्ड आर्डर की प्राब्लम होगी और उन पाइप लाइनों को लोग जगह-जगह तोड़ेंगे, जिसमें आपको पुलिस का सहयोग लेना पड़ेगा। इसलिये मेरा निवेदन है कि चाहे हम विधायक कोष से दें, डी.एम.एफ.टी. फंड के माध्यम से जोड़ें या सरकार अपने संसाधन से इसमें पैसा देकर जिले की जो रेवेन्यू विलेज के अलावा ढाणियां हैं, उन गांवों को इसमें जोड़ने का प्रयास करें।

इसके साथ ही, माननीय सभापति महोदय, इसमें जो पैसे की कमी आ रही है, उसको भी आपने बजट में, जब यह योजना 2017 तक पूरी होनी थी, अब यह 2020-21 में जाकर पूरी होगी, 900 करोड़ रुपये की इसमें पेंडेंसी चल रही है, उसका भी आप ध्यान में रखते हुए इस योजना को जोड़ेंगे तो बाकी गांवों को पूरा पानी मिल पायेगा। आपने इस योजना में बूंदी जिले के हिण्डौली और राजसमन्द की भीम विधान सभा को उस समय इस योजना में जोड़ा था। मैं इससे नाराज नहीं हूं। आपने जोड़ा, और जोड़ें। उसे भले ही आप जोधपुर ले जाएं, वहां जालौर तक ले जाएं, बाड़मेर तक जाएं तो भी कोई

(श्री रामलाल जाट)

प्राब्लम नहीं है लेकिन आपको इस योजना में, जब भीलवाड़ा जिले की पापूलेशन को देखते हुए जोड़ा, 2030 के बाद 2045 तक की क्या पापूलेशन होगी, उसके आधार पर यह योजना बनी है। उस डिजाइन से ये पाइप डले हैं। आप उन गांवों को जोड़े बगैर ही दूसरे गांवों को जोड़ रहे हैं तो नई पाइप लाइन डालने का एलान करें, उसके साथ में जोड़ें या उन पाइप लाइन को बड़ी करें ताकि भीम और हिण्डौली के गांव भी वंचित नहीं रहें, वे जिले भी पूरा पानी पी सकें तो माननीय सभापति महोदय, इस योजना के बारे में मेरा यही निवेदन है।

इसके साथ ही कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं आपके माध्यम से कहूंगा। मेरे से पहले बोलने वाले कई सदस्यों से वे चीजें आ चुकी हैं। जब हम विधायक की हैसियत से डैम का पानी छोड़ने वाली कमेटी में जाते हैं तो वहां की सबसे बड़ी दिक्कत होती है, विलायती बबूल की वजह से कई जगह कीड़े-मकोड़ों से दरारें पड़ करके बांध नहीं भरने की वजह से नहरें काफी खराब हो चुकी हैं। आज का किसान भी उस समय के किसान की तरह नहीं रहा। सोसायटी में हर जगह गिरावट आई है, उसमें भी गिरावट आई है। मैं यह नहीं कह सकता हूं कि हमेशा अधिकारियों की कमी रहे लेकिन अधिकारी भी उस समय टेंडर करके नहरों की रिपेयरिंग करने के लिये सोचते हैं तो जब खेत में पानी जाने के लिये नहर में पानी छोड़ा जाता है तो उससे एक-दो महीना पहले कोई रिपेयरिंग नहर की नहीं हो पाती। जब पानी यूं ही छोड़ा जाता तो सिवाय बर्बादी के अलावा कुछ नहीं हो पाता इसलिये माननीय मंत्री महोदय, उस योजना के माध्यम से ऐसी व्यवस्था करें कि पानी छोड़ने से एक महीने-पन्द्रह दिन पहले किसी योजना के माध्यम से, टेंडर की प्रक्रिया इतनी जटिल है कि जब वे नहर छोड़ते हैं तो जे.सी.बी. लगाकर थोड़ा-बहुत खुरच देते हैं। इससे किसान को पूरा फायदा भी नहीं मिल पाता और पानी भी वेस्ट जाता है। हम देखते ही रहते हैं लेकिन कुछ कर नहीं पाते हैं। इसलिये आपसे मेरा यही निवेदन है कि इस चीज पर भी आप ध्यान दें।

इसके साथ ही सबसे बड़ी योजना, जल जीवन, जो घर-घर जल ले जाने वाली योजना है, मैं मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद दूंगा कि राजस्थान में 16 जिलों में भीलवाड़ा जिले को भी लिया। उसमें सदन में प्रतिपक्ष के नेता विराजे हुए हैं, उनसे भी निवेदन करूंगा कि पानी पर सभी का हक बनता है तो सर्व सम्मति से प्रस्ताव पारित करें। पहले की तरह, जो मनमोहन सिंहजी की

(श्री रामलाल जाट)

सरकार थी, जब उसमें 90:10 का रेशो था, 90 भारत सरकार का और 10 राज्य सरकार का, अब इन्होंने 50:50 का रेशो कर दिया। (व्यवधान) वाहवाही तो कर रहे हैं। पानी के लिये हम भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि पानी की योजना बनाये, जो सरकार किसी की हो, हम उसकी खिलाफत नहीं कर रहे हैं लेकिन इस योजना में जो बजट में कटौती की, कम से कम उस योजना में वापस जोड़ा जाये तो राजस्थान के तमाम घर उस योजना से जोड़े जा सकते हैं। हालांकि इसमें आपने फिर भी प्रयास करते हुए इस बजट में, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने इन 16 जिलों को लिया, जिसमें भीलवाड़ा जिला भी है, मैं उसके लिये धन्यवाद भी दूंगा। माननीय मंत्री महोदय विराजे हुए हैं, इसमें चम्बल योजना से जो पानी पहुंच चुका, वहां पर आप घर-घर में पानी पहुंचाने का काम करें, तो भीलवाड़ा में माण्डल, करेड़ा है, आसीन्द, हुरड़ा है, रायपुर है, सराड़ा है, कोटड़ी, माण्डलगढ़, जहाजपुर, सारे हैं, इस योजना में इनको भी लें, प्रायोरिटी से लें। जैसा भी आप, बजट के साथ में, लेकिन पहली प्राथमिकता में उन गांवों को लें ताकि घर-घर वह पानी पहुंच सके। यही चीज कहने के लिये, माननीय सभापति महोदय, मैंने इस डिमांड में भाग लिया था।

इसके साथ ही, इस बार मैं आपसे और निवेदन करूंगा, जनता जल योजना की स्थिति बहुत दयनीय है। निश्चित रूप से इसके बिजली के बिलों को जमा कराने में बड़ी दिक्कत आती है। इस चीज के लिये भी सभी माननीय सदस्य कह रहे हैं। इस चीज में भी आप ध्यान रखते हुए, मैं तो आपसे निवेदन करूंगा कि दो सौ ही माननीय सदस्य हैं, अगर एक-एक सदस्य को बुलाकर आप तमाम वे चीजें पूछें और उन्हीं का समावेश इस बजट में करें, पानी की तो निश्चित रूप से गांव में कोई दिक्कत नहीं रहेगी, यह मैं गारंटी से इस सदन में कह सकता हूं। यह आज से ही नहीं है। यह शुरू से ही होती आ रही है। इस चीज को आप निश्चित रूप से ध्यान में लेंगे तो पानी की भी कमी नहीं रहेगी और बचाने का काम भी रहेगा।

लाल बहादुरजी शास्त्री जब प्रधान मंत्री थे, उस समय अनाज की बड़ी दिक्कत थी तो एक दिन व्रत रखकर उस काम को किया करते थे कि यहां गेहूं नहीं है। वह समय भी था। आज की नई युवा पीढ़ी इस चीज को जानती नहीं है। उस समय भी इस देश की सबसे बड़ी समस्या अनाज की थी। हरित क्रांति बाद में आई, उससे पहले ही इस समस्या का अंत किया तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि पानी से हम मर ही जाएंगे, लेकिन इसको बचाकर, अगर आज से

(श्री रामलाल जाट)

ही शुरुआत करें तो निश्चित रूप से इस पानी को बचाने के जो तरीके हैं, तो वह दिन नहीं आये कि किसी आदमी को पानी के लिये भी व्रत रखने पड़ जाएं। यह चीज आप ध्यान में रखेंगे तो इस योजना का भी फायदा होगा, सरकार की गाढ़ी कमाई का पैसा, किसानों का, मजदूरों का, उद्योगपतियों का, टैक्स का जो पैसा आ रहा है वह सही ढंग से लग पायेगा। आपने समय दिया, उसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

(14.00 बजे)

श्री सभापति: श्री खुशवीरसिंह।

श्री खुशवीरसिंह (मारवाड़ जंक्शन): माननीय सभापति महोदय, धन्यवाद कि आपने मुझे चर्चा में बोलने के लिए अवसर प्रदान किया।

माननीय सभापति महोदय, मैं मेरी बात प्रारम्भ करूंगा, हमारे क्षेत्र में एक बहुत प्रचलित दोहा है, ''सौ सांडिया, सौ कर्जना, पूत सपूत दोय, मौत आए तो भर मार जै, पण मेह बिन नहीं।''

इसका अर्थ आप समझ गये होंगे? माननीय मंत्री महोदय बहुत अच्छी तरह से समझ गये। माननीय सभापति महोदय, इस पृथ्वी पर यह कहते हैं कि जल की धारा राजा भगीरथ के अथक प्रयासों के बाद में आयी है और आज के विज्ञान ने उसको साबित कर दिया है। अंतरिक्ष के अंदर वैज्ञानिकों ने खोज लिया है कि प्रचुर मात्रा में पानी है और जिसे हम अमृत कहते हैं, वह अमृत क्या है? माननीय सभापति महोदय, वह अमृत वह ही है जो असुरों और देवताओं के बीच में समुद्र मंथन हुआ था और उसमें सबसे पहले जो निकला वह अमृत, वह मीठा पानी था जो हमारी सतह पर पूरे जल का एक प्रतिशत भी मुश्किल से होगा। इस अमृत को हम किस तरह से बचाएं, वही हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए कि हम जल का संरक्षण किस तरह करें।

माननीय सभापति महोदय, मैं प्रधान था तब सरकार की तरफ से इजरायल गया था और वहां पर हमने जल संरक्षण का काम देखा और किस किफायत के साथ में लोग पानी को बचाते हैं, खेती के लिए किस तरह वहां पर फ्लड इर्रिगेशन अपराध है। बूंद-बूंद या स्प्रिंकलर इर्रिगेशन सिस्टम ही है और हमने एक और चीज भी वहां पर एक स्थान पर खड़े होकर देखी। यरूशलम शहर के पूर्व में खड़े होकर जब हमें यह दिखाया गया कि एक तरफ बिलकुल नैकेड हिल्स थीं और जब हमें यह कहा कि आप पश्चिम की तरफ घूमकर देखो तो उसी क्षितिज पर से तो हमें हिमाचल जैसा पेड़ों से हरा भरा

(श्री खुशवीरसिंह)

यरूशलम शहर दिख रहा था, तो हमने कहा कि यह अंतर क्यों है? कहा कि साहब, यहां पर पेड़ हैं इसलिए 800 एम.एम. बारिश होती है और यहां इधर 20 से 40 एम.एम. बारिश होती है, क्योंकि वहां पर पेड़ कटे हुए हैं इसलिए हमने यह एक स्थान रखा है लोगों को दिखाने के लिए कि वृक्षों से कितना फायदा होता है।

माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा और धन्यवाद देना चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने और माननीय मंत्री महोदय ने एक देश में जो दोहरा कानून था और मैं मेरे चुनाव के अंदर, चुनाव प्रचार में मेरा चुनाव चिन्ह भी कलश था, मटकी थी, मैं यही बात हर भाषण में कह रहा था कि एक देश में दोहरा कानून, आपके शहरों के अंदर तो 24 घंटे पानी, सभी व्यवस्थाएं और दूसरी तरफ हम यह कह रहे हैं कि हमें गांवों से शहरों की ओर पलायन रोकना है तो यह एक दोहरी बात संभव हो नहीं सकती और माननीय मुख्य मंत्री महोदय और मंत्री महोदय, आपको जितना धन्यवाद दूं उतना कम है कि आपने इस दोहरे कानून को एक किया, समानता दी है। इसके लिए आप बधाई के पात्र हो कि गांवों में भी घर-घर नल योजना में, जो 4 हजार की जनसंख्या की बाध्यता इन्होंने कर दी थी, उसको आपने समाप्त कर दिया। मंत्री महोदय, आप बधाई के पात्र हो।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को कुछ सुझाव निवेदन करना चाहूंगा कि कम से कम एक शुरुआत की जाए पश्चिमी राजस्थान में। हमारी जवाई पेयजल योजना जो है और जवाई बांध का उस वक्त निर्माण हुआ था, उस वक्त जनसंख्या अलग थी और आज की जनसंख्या अलग है और मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहूंगा, यह पेयजल और सिंचाई पर बहस शुरू करने से पहले उस महान व्यक्ति का भी नाम लेना चाहूंगा जिन्होंने इस रेगिस्तान को नखलिस्तान में बिना संसाधन तब्दील करके दिखाया। आज भी हम कल्पना नहीं कर सकते लेकिन उस वक्त उन्होंने किया। आज हम केवल मात्र बातें ही करते हैं, इतनी मशीनरी हो गयी, आज मशीनी युग है और वह हैं महाराजा गंगासिंहजी बीकानेर के अलावा कोई कल्पना नहीं कर सकता, उनकी यहां तक कल्पना थी कि बीकानेर तक एक पोर्ट बनाया जाए और कच्छ से होता हुआ चैनल बनाकर वहां तक पोर्ट लाया जाए और कई लोग मेरे पास में कुछ दिन पहले आये और उन्होंने कहा कि साहब, जालौर तक यह पोर्ट बना है, हमें यह सरकार की तरफ से दे दें तो हम

(श्री खुशवीरसिंह)

बनाने के लिए तैयार हैं क्योंकि उसका सी-लेवल जो है, वह बिलकुल बराबर है। संभव हो सकता है, उस वक्त उस व्यक्ति ने यह कल्पना की थी। रियासतकालीन जो बांध सीमित संसाधनों में बने, चाहे जयसमन्द है, चाहे राजसमन्द है, जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, आप पश्चिमी राजस्थान और राजस्थान के अंदर कहीं पर भी देख सकते हैं लेकिन आज हम यह बात करते हैं।

माननीय सभापति महोदय, अभी विकसित राष्ट्रों की हम बात करें तो आस्ट्रेलिया में एक वर्ष से लगातार जंगल जल रहे हैं। एक वर्ष से लगातार जंगल में आग लग रही है। वह बुझा नहीं पाये, बुझा नहीं पाये और वह अपने आपको विकसित राष्ट्र कहते हैं। जल का संरक्षण करना, यह हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है और इसके लिए जवाई पेयजल और जवाई सिंचाई योजना के लिए मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जवाई का हमारा फर्स्ट फेज, सैकण्ड फेज, थर्ड फेज, क्लस्टर-फोर, जैतारण तक पानी दिया है गहलोत साहब ने। माननीय मुख्य मंत्री गहलोत साहब को जितना धन्यवाद दें, उतना ही कम है लेकिन जवाई पुनर्भरण की आवश्यकता है और उसके साथ-साथ में मैं यह चाहूंगा कि जवाई सिंचित क्षेत्र है वहां पर आप स्प्रिंकलर सिस्टम से अनिवार्यत: चाहे सरकार की कुछ राशि लग जाए लेकिन पानी के लिए कोई राशि बड़ी बात नहीं हो सकती है तो आप जवाई सिंचित क्षेत्र के अंदर स्प्रिंकलर सिस्टम से नर्मदा की तर्ज पर वहां पर कर दें तो हमें पानी पीने को भी मिल जाएगा अन्यथा वहां पर कई स्थितियां पैदा हो चुकी हैं। इससे दो-तीन वर्ष पहले उसके लिए कई झगड़े हो चुके हैं।

माननीय सभापति महोदय, यह जे.जे.एम., जनता जल मिशन के लिए गहलोत साहब ने एक बात रखी कि केन्द्र सरकार से हम सब मिलकर यह अनुरोध करें कि राजस्थान को 50 प्रतिशत, जो भौगोलिक परिस्थिति से राजस्थान किस तरह से है, आप और हम यह बहुत अच्छी तरह से जानते हैं लेकिन बड़ा दु:ख होता है कि जब कई माननीय सदस्य यह बात करते हैं, गहलोत साहब ने यह कहा कि हम सब मिलकर केन्द्र सरकार से यह आग्रह करें कि राजस्थान को 90 प्रतिशत दिया जाए क्योंकि यहां पर रेगिस्तान भी है, पहाड़ी क्षेत्र भी है, विषम भौगोलिक परिस्थितियां हैं लेकिन कई माननीय सदस्यों ने इसका विरोध किया। मुझे यह बड़ा दु:ख होता है। पहले हमारा प्रदेश है, आज जिस क्षेत्र से जीतकर जाते हों, हमारे 25 सांसद गये हैं, 25 सांसद भारतीय जनता पार्टी के सत्ता पक्ष के दिल्ली में विराजमान हैं। (व्यवधान) वक्त आ जाएगा, चिंता मत करो, जनता बुलवा लेगी।

(श्री खुशवीरसिंह)

मानननीय सभापति महोदय, 25 सांसद, इतनी तो क्षमता है, मुझे मालूम है कि वह इतने क्षमतावान हैं, आपके सांसद ऐसे-वैसे नहीं हैं, वह क्षमतावान हैं और अपनी क्षमता दिखाएंगे, अगर एक सांसद एक-एक प्रतिशत बढ़ा दे तो 50 की जगह 75 प्रतिशत अगर सहयोग केन्द्र सरकार का दिलवा दे तब जानेंगे कि साहब, 25 सांसदों ने कुछ किया और एक प्रतिशत नहीं बढ़ा पाएंगे तो फिर सांसद रहने का हमें अधिकार ही नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, यह दलगत राजनीति से ऊपर उठकर पेयजल और सिंचाई की बात चल रही है। मैं भी राजीव गांधी फाउंडेशन से जुड़ा रहा हूं। मैं श्रीमती सोनियाजी गांधी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि वर्ष 1999 से मैंने मेरे क्षेत्र में राजीव गांधी फाउंडेशन के माध्यम से छोटे-छोटे एनिकट्स का निर्माण करवाया और जहां पर कुओं का जलस्तर बिलकुल खतम हो चुका था, हमारे वहां पर ओपन वैल्स हैं, ट्यूबवैल्स सक्सेस नहीं हैं और वहां पर हमने एनिकट्स का निर्माण करवाया और निर्माण करवाने के बाद में आप वहां पर पधारें तो आपको हाथ से उन कुओं से पानी भरकर पिलाने की मैं बात कहता हूं, वहां पर उस क्षेत्र में इतना जल स्तर बढ़ गया, मैं आपको यह दिखाऊंगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सोनिया गांधीजी को, कि उन्होंने मुझे कहा कि आपने जितनी भी जल संरचनाएं करवायीं राजीव गांधी फाउण्डेशन के माध्यम से, वहां हमने एक जल-संसद का गठन किया है और हमारी जल-संसद इतनी सक्रिय है, उसका प्रतिफल आपने देख लिया कि मुझ जैसे व्यक्ति को निर्दलीय जिताकर भेज दिया है। यह उस जल-संसद का प्रतिफल है और हर पांच वर्ष में एक बार मैं जल मेले का आयोजन करता हूं। मेले बहुत सारे होते हैं, माननीय सभापति महोदय, लेकिन जल मेला क्षेत्र में पहली बार सुना है और उसके माध्यम से लोगों को हम जल साक्षरता के प्रति जागृत करते हैं। मंत्री महोदय से मैं निवेदन करना चाहूंगा आपके माध्यम से कि अब जरूरत है हमें जल साक्षरता मिशन अभियान चलाना चाहिए। यह हमने प्रारम्भ कर रखा है, मेरे क्षेत्र से मैंने।

माननीय सभापति महोदय, इसके साथ ही मैं एक सुझाव और देना चाहूंगा। हमारे जितने भी सरोवर हैं, उन सरोवरों के संरक्षण के लिये सरोवर संरक्षण प्राधिकरण का गठन किया जाए। अभी मैंने भी यात्रा की थी 'गंगा बचाओ यात्रा' और मैक्सिको से अवार्ड विनर राजेन्द्र सिंहजी के साथ में, जल

(श्री खुशवीरसिंह)

संरक्षण के लिये मैं उनसे 2000 से जुड़ा हुआ हूं। हम इस यात्रा को आगे बढ़ाएं। मैं चाहूंगा कि जल सरोवर संरक्षण प्राधिकरण का गठन किया जाए। मंत्री महोदय, मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि अल्प समय में आपने इतनी सारी स्वीकृतियां, इतनी विपरीत परिस्थितियों में बजट की आपने जो स्वीकृतियां जारी की हैं, उसके लिये तो आप बधाई के पात्र हैं। निश्चित रूप से बड़ी-बड़ी योजनाएं पेयजल के लिये आपने की हैं। मेरे क्षेत्र की आपको बताने की आवश्यकता नहीं है लेकिन मेरे क्षेत्र की कुछ समस्याएं हैं, उनके बारे में मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा।

माननीय मंत्री महोदय, मारवाड़ विधान सभा क्षेत्र में जवाई पेयजल योजना क्लस्टर फर्स्ट और क्लस्टर सैकण्ड, अब उसमें विडम्बना यह हुई कि हमारे इंजीनियर्स, आई आई टी, आई.टी. वहां से आये और हमने किया लेकिन आज वह योजना तकनीकी तौर पर विफल है। जो सी.डब्ल्यू.आर. उनको बनाना था, वह हमारी भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए बनाना चाहिए। आप पानी नीचे से ऊपर लिफ्ट कर रहे हो। अगर ऊपर आप हैड बना देते और ऊपर का हैड अगर हमें मिल जाता, अरावली की तलहटी में जो गांव है, वहां से तो आपकी बिजली सप्लाई बिलकुल जीरो होती। ग्रेविटी से हमें पानी मिल जाता, पेयजल उपलब्ध हो जाता। मंत्री महोदय, आज वह पानी नहीं मिल पा रहा है। वहां पाइप फट रहे हैं। वहां जो डिजाइन हुई है, उस डिजाइन को आपको वापस दुरूस्त करना पड़ेगा और क्लस्टर फर्स्ट, क्लस्टर सैकण्ड के बीच में 41 गांवों को छोड़ दिया। जब मैंने पूछा कि आपने 41 गांवों को कैसे छोड़ा तो मेरे सामने कहानी ही दूसरी आयी। लेकिन हकीकत यह थी कि फर्स्ट वालों ने सोचा सैकण्ड में ले लिया जाएगा और सैकण्ड वालों ने सोचा कि फर्स्ट में ले लिया होगा। कयास लगा लिया और कयास में 41 गांव छोड़ दिये गये और मुझे यह कह रहे हैं कि साहब, वहां पानी की उपलब्धता है तो जे.जे.एम. से आप कैसे जोड़ोगे फिर वहां पर पानी की उपलब्धता है तो? आपने डी-फ्लोराइडेशन प्लांट कैसे लगाए हैं? मंत्री महोदय, आपने मेरे वहां डी-फ्लोराइडेशन के प्लांट स्वीकृत किये, हैण्डपम्प स्वीकृत किये हैं आपने, सोलर पम्प सैट स्वीकृत किये हैं और पाइप लाइन के लिये और अभी काफी बजट दिया है, उसके लिये तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। बहुतबहुत धन्यवाद आपको।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री खुशवीरसिंह (मारवाड़ जंक्शन): माननीय सभापति महोदय, दो मिनट में मेरी बात समाप्त करना चाहूंगा। मैं मेरे क्षेत्र की बात निवेदन करना चाहूंगा। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि मारवाड़ विधान सभा के क्लस्टर फर्स्ट और सैकण्ड और जो छूटे हुए 155 गांवों को इस जे.जे.एम. में शामिल करें।

एक अन्तिम बात कहकर मेरी बात समाप्त करूंगा कि जब मैं पिछली बार विधायक था तो मुझे याद है, मैं सुमित्रा सिंहजी को भी याद करूंगा, उन्होंने मुझे बुलाकर अपने चैम्बर में कहा कि यह बहुत बढ़िया बात कही और बात यह थी कि चम्बल का पानी, माननीय सभापति महोदय, आज जब मैं देख रहा था तो चम्बल का जो सी-लेवल है, समुद्र तल से ऊंचाई है वह 606 मीटर है और हमारे भीलवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य यहां विराजमान हैं, मैंने उस समय मांग की थी कि भीलवाड़ा होते हुए हमारे अरावली और पाली की नदियों में पानी डाल दिया जाए, जो चंबल की बाढ़ का पानी है और भीलवाड़ा में सी-लेवल से ऊंचाई 431 मीटर है, इस प्रकार 200 मीटर का अंतर है और आपके वहां से हमारे यहां पन बिजली भी हमें उपलब्ध हो सकती है अगर वह पानी यहां लाया जाए तो। इसके लिये मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि मंत्री महोदय, सर्वे के लिये आप इसमें डी.पी.आर. के लिये कुछ बजट का प्रावधान रखें ताकि यह एक वरदान साबित हो सकता है जो बाढ़ का पानी बहकर व्यर्थ चला जाता है और ग्रेविटी से हमें पानी प्राप्त होगा।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री खुशवीरसिंह (मारवाड़ जंक्शन): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने के लिये समय दिया, उसके लिये आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री हमीर सिंहजी।

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना): माननीय सभापति महोदय, आज पेयजल, सिंचाई और लघु सिंचाई मांग संख्या 27, 46 और 38 पर कटौती प्रस्ताव पर बोलने का आपने मौका दिया, धन्यवाद।

मैंने माननीय मुख्य मंत्रीजी एवं वित्त मंत्रीजी के बजट भाषण को बड़े गौर से पढ़ा। मारवाड़ी में कहते हैं-'वाच-वाच ने फिर वाचियो। मुझे आंकड़ों के इस भ्रमजाल में सीमावर्ती, मरुस्थलीय और पिछड़े जिले बाड़मेर और उसकी भोली जनता, जिसने कांग्रेस पार्टी को उनके झूठे वादों पर भरोसा करके 7 में से 6 विधायक जिताये, वह अपने आपको ठगा हुआ-सा महसूस कर रही है और पछता भी रही है। हर समय एक रिफाइनरी प्रोजेक्ट को दिखाकर, हर

(श्री हमीर सिंह भायल)

रिफाइनरी पर तो एक ही विशेष जाति या बाहर के लोगों का कब्जा है। आम आदमी ने सोचा था कि 45 हजार करोड़ का प्रोजेक्ट आया है तो स्थानीय जनता और युवाओं को रोजगार मिलेगा, परंतु वास्तविकता कुछ और ही है। इसी प्रकार भारत माला प्रोजेक्ट पर किसानों को मुआवजे के नाम पर भी नाममात्र की राशि दी जा रही है। इसमें भाई-भतीजावाद हो रहा है। आज किसान आन्दोलन कर रहे हैं। उनको मुआवजा नहीं मिल रहा है और वह आफिसों के चक्कर काटते फिर रहे हैं। प्रदेश में बाड़मेर में आग लगी हुई है। प्रदेश में कई जगहों पर लड़ाई-झगड़े हो रहे हैं। गरीब और अबलाओं पर अत्याचार किया जा रहा है। कानून नाम की आज कोई चीज नहीं है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में लोगों को पीने के पानी की तकलीफ है। माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि 2003 की स्कीम पोकरण-फलसूण्ड, जोकि आज दिन तक बाड़मेर के 580 गांवों में पेयजल उपलब्ध होना था, बालोतरा तक पानी आ गया, जिस दिन 7 तारीख को विधान सभा के वोट पड़े थे उस दिन से सिवाना इस परियोजना से 103 गांव, 78 गांव सिणधरी के और 15 गांव नर्मदा से सिणधरी के हैं, वह उस दिन से कार्य बंद पडा है। 10 किलोमीटर सिवाना के लिये जो पाइप लाइन है, वह बंद पड़ी है और यह स्थिति बनी हुई है कि सर्दी के अंदर 20 से 25 दिन में पानी मिल रहा है और इस स्थिति से जितने भी पानी के स्थानीय सोर्स थे, वह सारे सूख चुके हैं और आज यह स्थिति है तो गर्मी में क्या हालत होगी? आज की तारीख में भी 14 माह हो गये, उस प्रोजेक्ट में एक फीट भी पाइप नहीं लगा। सिर्फ सिणधरी के लिये 7 तारीख के इलेक्शन से पहले 500 मीटर पाइप लाइन लगनी थी, वहां सिणधरी कस्बे से लगाकर टाकूबेरी धने की ढाणी से लगाकर आज की तारीख में जो स्थिति है, माननीय सभापति महोदय, वहां पर 25 दिन से पानी नहीं मिल रहा है। इस स्थिति को अपन गर्मियों में किस तरह से सुदृढ़ करेंगे? आज भी इस पूरे प्रोजेक्ट में एक अस्थायी एक्स.ई.एन. लगा हुआ है। इसके अलावा कोई कार्य नहीं हो रहा है। ऐसी स्थिति हो गयी। इसके बाद में माननीय सभापति महोदय, मंत्री महोदय हमारे प्रभारी भी हैं, मैंने मंत्रीजी को निवेदन किया कि वहां कुछ भाग ऐसा है कि वहां पर हैण्डपम्प से सुविधा हो सकती है। एक बार नहीं, 10 बार देने के बाद में भी आज दिन तक क्या पता, मैं एक भारतीय जनता पार्टी का विधायक हूं इसलिए या मंत्रीजी भूल गये, इसलिए एक भी हैण्डपम्प की स्वीकृति अभी तक जारी नहीं की गयी। मेरा निवेदन यह था कि सिवाना और सिणधरी की नाजुक स्थिति में विभागीय योजना बनाकर, जो

(श्री हमीर सिंह भायल)

चीज सूख चुकी है, तो वहां पर आप पानी की व्यवस्था किस तरह से करेंगे, यह मेरा मंत्रीजी से और सरकार से निवेदन रहेगा।

मेरा एक निवेदन यह रहेगा कि सिवाना और समदड़ी दोनों नगरपालिका थीं, सरकार ने अब ग्रामीण क्षेत्र में पानी के बिल की राशि को फ्री कर दिया है तो हमारे नगरपालिका तो 1992 में हट गई थी सिवाना और समदड़ी, वहां के जितने भी रहवासी हैं, उनके साथ में यह भेदभाव क्यों? माननीय मंत्री महोदय, अधिकारियों को कहकर इनको जल्दी से जल्दी ग्रामीण क्षेत्र में लेकर ग्रामीण क्षेत्र की तरह सिवाना और समदड़ी में लाने की व्यवस्था करें।

हैंडपम्पों की स्वीकृति दिलवाएं। सिवाना में इतना बड़ा भूभाग होने की वजह से अधिशासी अभियंता कार्यालय हो, पादरू में कनिष्ठ अभियंता का पद स्वीकृत करवाकर मोनिटरिंग सही रूप में की जा सके।

माननीय सभापति महोदय, सिवाना बाड़मेर का एक कश्मीर की तरह था, भूजल इतना ऊपर था कि लाखों बीघा में खेती होती थी और आज की स्थिति यह हो गई, मेरे खुद के साढ़े चार सौ बीघा में खेती होती थी, पिछले आठ साल से एक बीघा में भी नहीं हो रही पीने के पानी की तकलीफ की वजह से। पहाड़ी क्षेत्र है, फोरेस्ट है और पहाड़ी क्षेत्रों की वजह से वहां चैकडैम और छोटे एनिकट बनें। जैसे मेरे नानेरी बांध है, उसकी गये समय में स्वीकृति हो गई थी, 2013 से 18 में 38 करोड़ के काम हुए, मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वहां तेलवाड़ा बांध की स्वीकृति हो चुकी थी, नानेरी डैम की हो चुकी थी, उनकी स्वीकृति पहले हो गई थी और कार्य शुरू नहीं हुआ तो मेहरबानी करके उसको भी कराने की कोशिश करें।

हेमावास और जवाई बांध जिस समय में बना था, हेमावास का जो सर्वे हुआ था, हेमावास की सर्वे का तखमीना सिवाना विधान सभा में रातड़ी, अर्थण्डी, खंडप, सिवाली, सेवाली, कमो का वाड़ा, सांवरडा, ये गांव भी इस सर्वे में साथ थे, जो अधिशेष पानी सिंचाई के ऊपर जो बचत पानी होता है वो वैसे ही नहरों में या दूसरी जगह खाली भूमि में डाला जाता है, वो पानी अगर सिवाना विधान सभा में दिया जाए तो किसानों के लिए और पीने के लिए उपयोगी होगा।

गुढ़ामालानी से जो नर्मदा की नहर है, हमारे क्षेत्र में 15 रेवेन्यू विलेज उस स्कीम से हैं, पड़ौस में बाड़मेर साइड में पानी आ गया और इधर गुढ़ामालानी में आदरणीय हेमाराम जी साहब के एरिया में आ गया और मेरे

(श्री हमीर सिंह भायल)

जो 14-15 गांव रेवेन्यू विलेज हैं वो नर्मदा नहर से वंचित हैं, इसको चालू करवाने का मैं निवेदन करूंगा कि मंत्री जी इस पर भी ध्यान देकर ये चालू करवाएं।

एक मेरा निवेदन रहेगा कि जैसे सिवाना में पोकरण-फलसूंड योजना का हेंडल पाइंट, जो पानी स्टोरेज का 40 परसेंट काम हुआ है और जो कान्ट्रैक्टर था वो काम छोड़कर चला गया। मैं खुद लखनऊ जाकर फोरेस्ट की एन.ओ.सी. के लिए, एस.आर. जो 103 गांवों को पानी पहुंचाने के लिए हैं उसके लिए दो बार लखनऊ जाकर सैक्रेटरी साहब को मिलकर, वो एन.ओ.सी. आए हुए एक साल हो गई पर अभी तक कान्ट्रैक्टर से काम ही चालू नहीं हुआ। सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि वो दस किलोमीटर पाइप लाइन भी लग गई तो भी 103 गांवों में जब तक वो एस.आर. नहीं बनेगी तब तक पानी नहीं पहुंचेगा और 90 परसेंट एस.आर. बनी हुई है, दो साल पहले ही एस.आर. बनी हुई है, पाइप लाइन लगे हुए पड़े हैं, पानी नहीं पहुंचेगा तो उनकी भी जर्जर स्थिति होगी।

सभापति महोदय, मंत्री महोदय को एक निवेदन करूंगा कि फोरेस्ट एरिया की वजह से भारत सरकार राजस्थान सरकार का जोइंट सर्वे कैम्पा फंड की तरफ से पूरे एनिकट बनाने के लिए हल्देश्वर से लगाकर अरावली श्रृंखला में हुआ था और उसकी डीपी.आर. भी 150 करोड़ की बनी थी, मेहरबानी करके इसको लागू करें तो सिवाना को राहत मिल सकती है।

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें।

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना): माननीय सभापति महोदय, एक निवेदन और करूंगा। माही बांध का 23 टीएमसी पानी गुजरात को नहीं दिया जाए, गुजरात में नर्मदा का पानी पहुंच चुका है। माही बांध लेवल कैनाल हमारी सरकार ने स्वीकृत कर पूरे 2000 करोड़ रुपये दिये थे, वर्तमान सरकार इसको चालू कराए। भूंगड़ा कैनाल को पूर्ण करवाकर वहां की जनता को भी राहत दिलाएं।

माननीय सभापति महोदय, आपने बोलने का अवसर दिया। जल ही जीवन है, जल सा जीवन, जल्दी ही जल जाओगे अगर न बची जल की बूंदें, कैसे प्यास बुझाओगे, नाती पोते खड़े रहेंगे राशन की कतारों में, पानी पर से बिछेंगी लाशें लाखों और हजारों में। धन्यवाद।

श्री सभापति: आपने हमारे माही के लिए बोल दिया, इसलिए भी धन्यवाद। माननीय हरीश चन्द्र जी मीना।

श्री हरीश चन्द्र मीना (देवली-उनियारा): धन्यवाद, सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 27, मांग संख्या 46 और मांग संख्या 38 पर बोलने का मौका दिया।

महोदय, जैसा कि आप जानते हैं कि राजस्थान की सबसे प्रमुख समस्या अगर कोई है तो पेयजल की समस्या है, इससे राजस्थान का पूरा भूभाग प्रभावित है और जैसा माननीय सदस्यों ने बताया कि इसके अभाव में जनता को तरह-तरह की दिक्कतें आ रही हैं।

महोदय, पानी की पेयजल की बात तो चल रही है पर हमारे प्रदेश में जल वितरण की कोई नीति नहीं है। अब नीति के अभाव में क्या होता है कि तरह-तरह की अनियमितताएं होती हैं, भेदभाव होता है, पक्षपात होता है। पहले तो सरकार यह करे कि हमारी आबादी के हिसाब से प्रति व्यक्ति आवश्यकता कितनी है, कोई कैलकुलेट करे कि ड्रिंकिंग वाटर के लिए इतनी तो हमारी आबादी है, इतनी उसकी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन आवश्यकता है फिर जो उपलब्ध पानी है उसका वितरण किया जाए। नीतियों के अभाव में यह पक्षपात कि इस क्षेत्र को दे दिया, उसको दिया उसको नहीं दिया, वह होता है और लोगों को तकलीफ होती है तो मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि राजस्थान के लिए जल वितरण की कोई योजना बनाई जाए। इसके लिए कोई कमेटी गठित करें, जो भी प्रक्रिया है वह प्रक्रिया करें पर हमको पता होना चाहिए कि हमको पानी मिलेगा तो किस नीति के तहत मिलेगा और कितना मिलेगा। नीति के अभाव में पक्षपात होता है।

सर, जैसे कि आप जानते हैं कि राजस्थान का पीने के पानी का सबसे बड़ा जल स्रोत बीसलपुर में है जो मेरे निर्वाचन क्षेत्र में है। सर, बड़ी खुशी का विषय है कि बीसलपुर का पानी अजमेर भी पहुंच गया, जयपुर भी पहुंच गया, किशनगढ़, ब्यावर, भीलवाड़ा, दौसा सब जगह पहुंच गया पर मेरे अब तक समझ में नहीं आया, मुझे इस विधान सभा का सदस्य बने हुए डेढ़ साल हो गया कि देवली-उनियारा की जनता को कब मिलेगा? कोई इन्होंने पाप किया है, कोई अन्याय किया है? अगर नहीं किया तो उनके साथ यह पक्षपात क्यों?

सर, मैं उदाहरण बताता हूं। 24.08.2011 को 542 करोड़ रुपये की एक योजना स्वीकृत हुई थी जिसमें देवली और उनियारा नगरपालिका समेत 358 गांवों को बीसलपुर की योजना से जोड़ा जाना था। सर, आज के दिन भी सिर्फ 220 गांवों को ही जोड़ा गया है बाकी गांव अभी भी वंचित हैं। योजना

(श्री हरीश चन्द्र मीना)

स्वीकृत है, बजट में प्रावधान है पर क्या कमी है? मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि अविलम्ब गर्मियों से पहले इसको जोड़ें ताकि हमारे लोगों को पीने के पानी की व्यवस्था हो सके। पानी भी है, आवश्यकता भी है।

सर, इसी तरह से बहुत सारी पंचायतें हैं, बहुत बड़ी-बड़ी पंचायतें हैं जिनमें एक-एक में 8 से 10 हजार की आबादी है, देवड़ावास, पोकरावास, घाड़, निवारिया, राजकोट, सांवतगढ़, पनवाड, बनेठा, फुलेता, सूंथड़ा, बिलोता, पाटोली, उखलाना, पचाला, सोप, आमली, पाएगा इत्यादि, ये बड़े-बड़े कस्बे हैं जिनकी आबादी 10 हजार के आसपास है, इन कस्बों के लिए भी अभी तक पानी की कोई व्यवस्था नहीं है तो मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि इनके लिए भी एक योजना बनाई जाए।

सर, इसके अतिरिक्त वहां एक क्षेत्र है जो बीसलपुर बांध के डूब में है, जो गांव उसके डूब में आ गए, 21 गांव हैं, योजना 21 गांवों के लिए बनी हुई है पर अभी तक सिर्फ 10 गांव उस योजना से जुड़े हैं तो मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि बघेरा पंप हाउस से बघेरा-हिसामपुर-नासिरदा परियोजना के अंतर्गत पानी दिया जा रहा है, शेष गांव अभी वंचित हैं। उनमें मुख्य रूप से हिसामपुर, मालेड़ा, डाबर कला, बीजवाड़ व रतनपुरा है, सर, इन पंचायतों को भी इस योजना से अविलम्ब जोड़ा जाए ताकि लोगों को इस योजना का लाभ मिले।

सर, इसी तरह थांवला ग्राम के लिए पां करोड़ की लागत से पेयजल योजना बनाई गई थी पर अभी तक उसकी स्वीकृति नहीं मिल पाई है, उसकी स्वीकृति सरकार के पास पैंडिंग है, विभाग ने भेज दी है, यहां लंबे समय से पैंडिंग है। मैं मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि इसको स्वीकृत कराएं।

सर, जो मेरा विधान सभा क्षेत्र मुख्यालय है उनियारा, उनियारा शहर की पाइप लाइन आज से 50 साल पहले डाली गई थी। शहर बढ़ गया। पाइप लाइनें पुरानी हो गई। आबादी बढ़ गई। मेरा आग्रह है कि इस पाइप लाइन को बदलें। इसका सरकार के पास प्रस्ताव आया हुआ है। नई पाइप लाइनें डाली जाएं। जो नई आबादियां बसी हैं, जहां पर गरीब लोग रहते हैं, मजदूर लोग रहते हैं या अल्पसंख्यक बस्तियां हैं, ईदगाह आदि में पाइप लाइन के अभाव में पानी की सप्लाई नहीं हो रही है। शहर में जहां पानी की सप्लाई हो रही है वहां पाइप लाइन क्षतिग्रस्त हो चुकी है। लोगों के पास पानी नहीं पहुंच रहा है। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि इन मौहल्लों का विशेष ध्यान दिया जाए।

(श्री हरीश चन्द्र मीना)

सभापति महोदय, सरकार से एक और आग्रह है कि गर्मी के पहले-पहले जितने हैण्डपम्प खराब पड़े हैं, बंद पड़े हुए हैं, उनको अभियान चलाकर के ठीक कराएं। उनके बारे में हमें भी बता दें ताकि जब हम क्षेत्र में जाएं तो लोगों को बता दें कि इस तारीख तक यह खराब पड़े हुए हैण्डपम्प चालू करा दिए जाएंगे। पहले ऐसी व्यवस्था होती थी, आजकल वह बंद है। किस कारण से बंद है, मुझे पता नहीं।

सभापति महोदय, सिंचाई की मैं बात कहूं। बीसलपुर बांध से पीने के पानी के अलावा सिंचाई भी होती है। उसकी दो नहरें वेस्ट बैंक और राइट बैंक हैं। बहाव क्षेत्र में जो गांव हैं, उनको वंचित करके, लिफ्ट करके मालपुरा, जहां उसका कोई लेना-देना नहीं है बीसलपुर का, उसके गांवों में सिंचाई का पानी पहुंच गया लेकिन उनियारा के गांव इससे वंचित रह गए। मैं मानता हूं कि यह बहुत बड़ा अन्याय है। इसमें राजनैतिक षड्यंत्र हुआ है। वहां के लोग हो सकता है, किसी वर्ग के हों, किसी जाति के हों, मुझे बहुत ज्यादा पता नहीं, लेकिन उस क्षेत्र के साथ जाति के आधार पर अन्याय किया गया है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि बीसलपुर का पेयजल और सिंचाई का पानी पहले वहां की जनता को दिया जाए अन्यथा यह वैसा हो जाएगा, जैसा आपके करौली जिले में हो रहा है। वहां एक पांचना बांध है। उसे सरकार ने बनाया था। सिंचाई के लिए बनाया था। उससे सिंचाई हुई भी थी लेकिन 15 साल से बंद पडा हुआ है। चाहे सरकार की नीतियां थीं, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, इन्होंने उसे पानी का बांध तो रखा नहीं, जातियों को लड़ा दिया। अब 15 साल से वह बांध बंद है। उसका एक बूंद पानी बाहर नहीं जा रहा है। लोगों को ऐसे लड़ाएं नहीं। कृपया इसमें न्याय करें। जो भी उचित है, जिसका हक है, उसको मिले। ऐसी मेरी सरकार से प्रार्थना है। सभापति महोदय, अन्यथा जो लोगों को करना है वह तो करेंगे ही। फिर किसी को बुरा लगेगा कि सड़कों पर आ रहे हैं, यह कर रहे हैं, वह कर रहे हैं। मैं आग्रह करूंगा कि बीसलपुर बांध की नहरों में देवली, उनियारा के कई गांव वंचित हैं, जिनमें से मुख्य रूप से चंदवाड़, सतवाड़ा, कनवाड़ा, बड़ौली, बुरांई इत्यादि।

इसके अतिरिक्त बीसलपुर बांध के कमांड क्षेत्र में होने के बावजूद भी, मैं परसों का किस्सा बताता हूं, परसों विधान सभा नहीं थी, मैं अपने क्षेत्र में गया था। वहां एक ग्राम पंचायत फुलेता है। फुलेता का एक ग्राम बालापुरा है।

(श्री हरीश चन्द्र मीना)

मैं गया तो गांव वालों ने मेरे सामने कुछ कागज पेश किए कि हमारे यहां सिंचाई का बिल आया है यह कैसे जमा कराएं? मैंने कहा कि आपने पानी लिया, जमा कराओ। उन्होंने कहा कि हमें नहर बता दो। उस गांव में नहर ही नहीं है। वहां पिछले 50 साल से एक बिस्वा भी पिलाई नहीं हुई। बिल दिया गया तो मैंने एस.ई. इर्रिगेशन से बात की। उन्होंने कहा कि बात यह है कि हमें तो कलेक्टर ने टार्गेट दिया है कि पानी हो या नहीं हो, तुम तो पैसे वसूल कर लो। ऐसा अन्याय तो मत करो। पानी दे दो, आपको जो लेना है ले लो लेकिन बिना नहर के, बिना पानी के, बिना सिंचाई के आप सिंचाई का टैक्स ले रहे हो। यह अन्याय बर्दाश्त नहीं होगा।

सभापति महोदय, मैं मंत्री जी से चाहूंगा कि जब भी वे जवाब दें तो उसमें स्पष्ट करें कि उनियारा पंचायत समिति में फुलेता पंचायत के गांव बालापुरा के लोगों को सिंचाई का नोटिस कैसे मिला? यह मेरा सरकार से आग्रह है।

सभापति महोदय, इसी तरह से ईसरदा बांध है। इस बांध का कुछ क्षेत्र मेरे इलाके में आता है और कुछ क्षेत्र सवाई माधोपुर में है। लाभ उससे दौसा का भी होगा। वह काफी सालों से निर्माणाधीन है, इस बांध को अविलंब बनाया जाए, पूरा किया जाए। सरकार इसको प्राथमिकता दे ताकि वहां के लोगों को पीने का तथा सिंचाई का पानी उपलब्ध हो। वहां पर्याप्त पानी है।

सभापति महोदय, कल्ला साहब जो माननीय मंत्री हैं, उनसे मेरे व्यक्तिगत संबंध हैं। बहुत मीठे आदमी हैं, मीठी-मीठी बातें करते हैं। मेरी अंत में उनसे प्रार्थना है कि जैसी आप बातें करते हो, देवली-उनियारा समेत राजस्थान के लोगों को मीठा पानी भी पिला दें ताकि हमारी जनता बच जाए। आपने बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति: श्रीमती रमीला खड़िया।

श्रीमती रमीला खड़िया (कुशलगढ़): सभापति महोदय, आपने मुझे पेयजल के ऊपर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूं कि पिछली सरकार में, 2008-2013 में माही कैनाल की सर्वे हो चुकी थी लेकिन वह अभी तक चालू नहीं की गई है। माही डैम का पानी गुजरात नर्मदा तक पहुंचा रहा है लेकिन यह पानी राजस्थान को क्यों नहीं दिया जा रहा है?

(श्रीमती रमीला खड़िया)

सभापति महोदय, कुशलगढ़ और घाटा क्षेत्र बिजली, पानी और सड़कों की दृष्टि से काफी पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। घाटा क्षेत्र में 21 पंचायतें हैं। वहां लोग पीने के पानी के लिए भी दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। छोटे-छोटे बच्चे एक मटका, डिब्बा लेकर के 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर दूर तक जा रहे हैं। इसी तरह की स्थिति हमारे हाथियादिली गांव में है।

सभापति महोदय, मैं कहना चाहती हूं कि अपर हाई कैनाल से कुशलगढ़ विधान सभा में सज्जनगढ़, डूंगरा, कसारवड़ी, गांगड़ तलाई तक पानी पहुंचाया जाए। इससे हमारे काश्तकार एवं जनता काफी लाभान्वित होंगे। हमारा पानी गुजरात तक जा रहा है तो वही पानी राजस्थान को क्यों नहीं मिले। हमारा लगता हुआ ही एरिया है, कुशलगढ़ को इससे पानी दिया जाए। हमें इसके लिए बजट दिया जाए जिससे कि हमारे सूखा प्रभावित इलाके लाभान्वित हो सकें।

सभापति महोदय, इसी तरह से खैरदा तालाब है, उसकी नजर टूटी-फूटी है, इसका भी बजट दिया जाए। यहां एक कोडादरा तालाब है, बियापाड़ा तालाब है, कुंडिया डैम है, इसको कांग्रेस सरकार ने बनाया था। इसके लिए हमारे मुख्य मंत्री अशोक गहलोत जी आए थे, उसका शिलान्यास किया था। उस समय मालवीय जी हमारे कैबिनेट मंत्री थे। स्वर्गीय खड़िया जी प्रधान थे। उस समय 25 लाख की लागत से वह डैम बना था। आज की तारीख में उसकी नहरें बिलकुल कच्ची हैं। मैं मांग करती हूं कि जो कच्ची नहरें हैं, उनको पक्का किया जाए। उसको बजट दिया जाए।

सभापति महोदय, इसी तरह से बियापाड़ा का जो तालाब है वह काफी वर्षों से बना हुआ है, उसकी नहरें भी कच्ची हैं। किसानों को लाभ नहीं मिल रहा है, उसका पानी खेतों में नहीं पहुंच रहा है तो बिलकुल खेती करने की बात तो दूर है पर इनके घरों में और जो बियापाड़ा का तालाब है, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगी कि बियापाड़ा का तालाब है जो पाडा तक जाता है, आज की तारीख में वहां के किसान बहुत दुखी हैं।

इसी तरह से मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूंगी कि एक काम जो हमारे एल एण्ड टी द्वारा चलाया जा रहा है, वह काम बिलकुल घटिया चल रहा है। सड़क के बिलकुल किनारे उनके पाइप गाड़े जा रहे हैं एक मीटर के लगभग गाड़ कर, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगी कि तत्काल प्रभाव से उसकी जांच की जाए। जो टांके बनाये जा रहे हैं, उनकी न तो तराई

(श्रीमती रमीला खड़िया)

कर रही हैं और एकदम ऐसा घटिया काम कर रहे हैं, कम से कम यह सदन में बताएं, क्या उसका बजट था और किस तरह से वह काम हो रहा है, किस क्वालिटी का हो रहा है। मैं कहना चाहूंगी कि सरकार के माध्यम से उसकी जांच की जाए, जांच अधिकारी को वहां लगाया जाए, वहां बिलकुल घटिया काम हो रहा है। जो पाइप डाल रहे हैं बिलकुल सड़क के किनारे गाड़ रहे हैं। जो टांके बन रहे हैं, उनमें तराई भी नहीं हो रही है। कौनसी सीमेंट काम में ले रहे हैं, कौनसे पत्थर लगा रहे हैं, कौन काम कर रहा है, इसका कोई धणी-धोरी नहीं है। मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूंगी कि सरकार एल एण्ड टी का जो काम चल रहा है उसकी जांच करे और जो अधिकारी हैं उनके बारे में तत्काल प्रभाव से सदन में बताने की मांग करती हूं। मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री सभापति: श्रीमती संतोष।

विशेषाधिकार हनन प्रश्न

सत्र के दौरान मेड़ता व भोपालगढ़ से आने वाले माननीय सदस्यों को पुलिस के समक्ष उपस्थित होने का नोटिस

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय सभापति महोदय, मैं सदन के अंदर विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव रखना चाहूंगा।

माननीय सभापति महोदय, हम लोग यहां एक विशेषाधिकार के नाते आते हैं, जन प्रतिनिधि के नाते आते हैं। अनेकों अध्यक्षीय व्यवस्थाओं में और इसके साथ-साथ नियमों के नियम 157, 159 और 160 में यह प्रावधान किया है कि जब कभी भी विधान सभा का सत्र आहूत रहता है, विधायकों से सम्बन्धित कोई बैठक भी आहूत नहीं की जाती है। अफसोस इस बात का है कि मेड़ता से आने वाली माननीय सदस्या और भोपालगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य, इनको एक मामले के अंदर, एक आंदोलन हुआ था, बंजारों के मकान टूटे थे नागौर के अंदर, दोनों माननीय सदस्य वहां थे। उस समय, माननीय सभापति महोदय, पुलिस की हिमाकत देखिये, इनको एक नोटिस के जरिये तलब किया गया है। मैं उस नोटिस को पढ़ना चाहता हूं। 'उक्त प्रकरण में आरोपी श्री पुखराज गर्ग पुत्र भूराराम गर्ग, जाति गर्ग, उम्र 61 साल, निवासी मकान गुलाब नगर, खेमे कुएं के पास, जोधपुर, पुलिस थाना, शास्त्री नगर, विधायक भोपालगढ़ से अनुसंधान करना शेष है। आरोपी', मतलब दोनों

(श्री राजेन्द्र राठौड)

माननीय सदस्यों को आरोपी कहते हुए यह कहा है कि 'आप 02.03.2020 को कैम्प सर्किट हाउस, नागौर पर आईओ, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, सीआईडी सीबी, रेंज अजमेर के समक्ष उपस्थित हों।'

माननीय सभापति महोदय, मैं समझता हूं कि इससे बड़ा विशेषाधिकार हनन कोई हो नहीं सकता। सदन चल रहा है, हम आज जनता के प्रतिनिधि के तौर पर इस सदन के अंदर अपनी बात कहना चाहते हैं और राजस्थान पुलिस की हिमाकत देखिये, इस प्रकार का नोटिस जारी करते हुए हमारे माननीय सदस्यों को पाबन्द करना चाहते हैं। हम इस पर बोलें नहीं, चर्चा नहीं करें। मेरा निवेदन है कि मैं सदन के अंदर विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव मूव करना चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि नियमों में शिथिलता देते हुए इस विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव पर सदन विचार करे।

माननीय सभापति महोदय, मामला छोटा नहीं है, यह लगातार हो रहा है। कभी सदन के अंदर इस बात को लेकर बात करनी पड़ती है कि विधायकों को, जो जनता की अदालत में पराजित लोग हैं, वे कुर्सियों पर विराजते हैं, हम चुने हुए लोग टुकुस्टुकुर कर देखते रहते हैं। हमारी विचारधारा दो हो सकती हैं, हम दो अलग-अलग दलों से आ सकते हैं पर इसी प्रकार के विशेषाधिकार हनन की पुनरावृत्ति होती रही तो मैं समझता हूं कि आज हर कोई जो भी माननीय सदस्य है वह जनता के बीच में जाता है, आंदोलन भी करता है, जनता के उस आंदोलन में मुकदमे भी दर्ज होते हैं पर यह पहला उदाहरण है, बंजारों के मकान टूटे, माननीय दोनों विधायकों ने विरोध किया और पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और पुलिस ने आज इस नोटिस को इनके घरों पर चस्पा किया है। इनका जो निवास स्थान है, जहां पर ये रहते हैं, वहां पर चस्पा करके इनको भगोड़ा करार करते हुए यह नोटिस जारी किया है। माननीय सभापति महोदय, यह छोटी बात नहीं है।

श्री सभापति: आप विराजो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय सभापति महोदय, मैं चाहूंगा कि आपकी अनुमति से इस विशेषाधिकार हनन के प्रस्ताव में आप नियमों में शिथिलता देते हुए माननीय सदस्यों को भी सुनें। माननीय सभापति महोदय, इस पर सभी लोगों ने हस्ताक्षर किये हैं। आपने जो नियमों में प्रावधान किये हैं कि विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव की सूचना देने के पश्चात् दस लोग नाम पुकारने पर खड़े होंगे। यह सारा सदन, यह सारा सदन खड़ा है प्रतिपक्ष का, आप गिन लीजिये।

श्री सभापति: आप विराजो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): इस प्रकार की बात अगर सदन चलते हुए होगी तो निश्चित रूप से आपके और हमारे अधिकारों का हनन होगा इसलिये मुझे आपके संरक्षण की आवश्यकता है। इसलिये मैं चाहूंगा कि आप माननीय सदस्यों के विशेषाधिकार हनन के प्रस्ताव पर आप विचार करें और सदन चर्चा करे।

श्री सभापति: विराजो।

श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर): माननीय सभापति महोदय, इस प्रकरण में थोड़ा-सा आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री सभापति: विराजो। आपकी बात सदन में आ गयी। (व्यवधान) कोई अंकित नहीं होगा। आप विराजो।

श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर): 000

श्री सभापति: माननीय मंत्रीजी।

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): माननीय सभापति महोदय, चूरू से आने वाले माननीय सदस्य ने विशेषाधिकार हनन का जो प्रश्न उठाया है, सबसे पहले तो प्रश्न काल के बाद में जब अध्यक्ष महोदय यहां पर उपस्थित थे तो उनके सामने इनको मामला उठाना चाहिये था। यह कोई कमेटी नहीं बुलायी गयी है, अभी इन दिनों में विधान सभा चल रही है तो कमेटी के बारे में इन दिनों में कोई कमेटी नहीं बुलायी जाए ताकि माननीय सदस्य यहां पर विधान सभा में उपस्थित हो सकें। यह विधिक मामला है। विधिक मामलों में पर्याप्त निर्देश जारी हैं, उनके पास हैं या नहीं हैं, क्या जानकारी है, उन्होंने एक विधिक कार्यवाही के अनुसार कार्यवाही की है तो यह पूरा मामला, आपको जो भी नोटिस मिला है, क्या कार्यवाही हुई है, माननीय सभापति महोदय, आपके अवलोकनार्थ रख दें, फिर अध्यक्ष महोदय मैरिट के आधार पर उस पर फैसला कर दें। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय सभापति महोदय, विशेषाधिकार हनन के प्रस्ताव नियम और प्रक्रियाओं में जो नियम दिया है उसका नियम 158 अगर पढ़ लेते तो मैं समझता हूं कि प्रश्न काल के बाद ही मैंने मामला उठाया है और मैंने प्रार्थना की है, चूंकि सदन चल रहा है इसलिये विशेषाधिकार समिति के माध्यम से यह मामला माननीय अध्यक्ष के माध्यम से नहीं जा सकता, सदन सर्वोपरि है, नियमों में व्यवस्था है इसलिये मैंने आपसे प्रार्थना की है और आपसे विशेष अनुग्रह किया है, साथ में शिथिलता

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

चाही है कि विशेषाधिकार हनन के प्रस्ताव पर सदन विचार करे। सदन इस पर सोच- विचार करे क्योंकि आज सदन चल रहा है इसलिये विशेषाधिकार समिति के पास यह जा नहीं सकता और 2 तारीख को आप यह नोटिस देखें, इसमें माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्रीजी, यह नोटिस दिया गया है, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, सीआईडी, सीबी, रेंज, अजमेर।

श्री रमेश चन्द मीना (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय सभापति महोदय, जिस विशेषाधिकार की ये चर्चा कर रहे हैं, विशेषाधिकार के हनन में यह आता नहीं है। यह सदन का समय खराब कर रहे हैं। इनके समय में धौलपुर एमएलए के साथ में इन्होंने क्या किया, वह भी बताओ न?

(14:47 बजे)

(श्री सी.पी. जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी चूरू से आने वाले माननीय सदस्य ने नियम 158 का जिक्र किया, मैं उसको पढ़कर सुनाना चाहता हूं। 'जो सदस्य विशेषाधिकार प्रश्न उठाना चाहे, वह उसकी लिखित सूचना उस दिन की बैठक प्रारम्भ होने से पूर्व जिस दिन प्रश्न उठाने का विचार है, सचिव को देगा।' यह इन्होंने नहीं दिया। यदि उठाया गया प्रश्न किसी दस्तावेज पर आधारित हो तो सूचना के साथ वह दस्तावेज भी संलग्न करे। यह फोर्मेलिटी भी आपने पूरी कर दी? प्रश्न काल से पहले करके दी? तो उसके बाद में तो आपको प्रश्न काल के तुरन्त बाद ही करना चाहिए था।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, अध्यक्ष की तरफ देख कर कहें। आपस में क्रोस नहीं, जो भी देखना है अध्यक्ष की तरफ देखकर बोलें। हां बोलें।

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने मामला पहले तो यह उठाया कि कमेटी वगैरह बुला नहीं सकते। यह सही है, आपका निर्देश है और सरकार के भी निर्देश हैं कि कोई भी कमेटी वगैरह जिस समय विधान सभा आहूत हो जाए उसके बाद नहीं बुलानी चाहिये किन्तु इन्होंने एक विधिक नोटिस, जो पुलिस ने दिया है, उसके बारे में जिक्र किया है तो उसके बारे में आप अध्ययन कर लें और अध्ययन करके यदि वह इल्लीगल हो तो आप कोई कार्यवाही करें और यदि लीगल नोटिस है और कोई अपराध के बारे में गठित हुआ है तो उसके बारे में आप उचित निर्देश जारी कर सकते हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, क्या प्रिविलेज है?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन यह कर रहा था कि मेड़ता से आने वाले माननीय सदस्य और भोपालगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य को एक नोटिस मिला है और नोटिस में यह लिखा है कि ''आरोपी पुखराज, इनको आज तारीख को, जब आज सदन में ये भाग ले रहे हैं अभी मांगों पर बोलेंगे। 2 मार्च को कैम्प, सर्किट हाउस, नागौर में, आईओ, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, सीआईडी, सीबी के समक्ष उपस्थित हों। यहीं बात हो जाती तो कोई बात नहीं थी, उसके बाद इनके गृह निवास पर इनको 'भगोड़ा' करार देने के लिये नोटिस चस्पा कर दिया। माननीय सदस्य यहां सदन के अंदर भाग ले रहे हैं और वहां पुलिस भगोड़ा करार करने के लिये नोटिस चस्पा करती है। यह विशेषाधिकार हनन है, माननीय अध्यक्ष महोदय, इनका विशेषाधिकार है सदन के अंदर अपनी बात करने का और मैं निवेदन करूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने इसलिये माफी चाही थी पहले और मैंने नियमों में शिथिलता की प्रार्थना भी की थी कि इस पर 12 सदस्यों के हस्ताक्षर किये हुए हैं। मेरा आपसे आग्रह है, अगर यह पुनरावृत्ति हो जाएगी, अध्यक्ष महोदय, आपने बड़ी-बड़ी परम्पराएं और विधान सभा में नये इतिहास लिखने का काम किया है कई इन्हीं चीजों को प्रारम्भ करके, यदि आप हमारी रक्षा नहीं करेंगे तो कौन करेगा?

यह मामला बहुत पुराना था। आज से सात-आठ महीने पहले का। बंजारों की बस्ती पर अतिक्रमण के नाम पर पुलिस ने बुलडोजर चलाया। दोनों माननीय सदस्य वहां उसका विरोध कर रहे थे। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। कोई नोटिस नहीं दिया गया, कोई पूछताछ नहीं और जब ये यहां सदन में आ गये तो इनके घरों पर चस्पा करके इस प्रकार की कार्यवाही की है। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि आप एक बार माननीय सदस्या की बात सुनें। ये भागी-भागी फिर रही हैं। ये अपने घर नहीं जा सकतीं। अध्यक्ष महोदय, मैंने इनकी आंखों में आंसू देखे हैं, इसीलिए मैंने यह मुद्दा रखा है। आप इनकी हालत देखिए। आप इन्हें एक बार मौका दे दें।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्या, आपको कुछ बोलना है?

श्रीमती इन्दिरा देवी (मेड़ता): अध्यक्ष महोदय, हमारे घर पर रात में नौ बजे वे पुलिसवाले आये। नौ बजे मैं तो घर पर थी ही नहीं। बच्चों को धमकी दी कि मैं आपको बंद कर दूंगा, आपकी मम्मी को दिखाएं। बच्चों ने कहा कि मम्मी हैं ही नहीं, गांव गयी हुई हैं। पुलिस वाले बच्चों को इस तरह

(श्रीमती इन्दिरा देवी)

धमकी दे रहे हैं। मैं सरकार से कहना चाहती हूं कि क्या पुलिस को ऐसा अधिकार है कि एक एमएलए से ऐसे बात की जाए? जो बंजारा की घटना हुई तो उस घटना के वास्ते मैंने कोई गलत सलाह नहीं दी। सही सलाह के वास्ते हम गये। आज जब विधान सभा चल रही है तो पुलिस वाले इस तरह से घर पर आकर धमका रहे हैं तो मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहती हूं कि इस सम्बन्ध में कार्यवाही होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष: श्री पुखराज।

श्री पुखराज (भोपालगढ़): अध्यक्ष महोदय, 24 अगस्त को राजस्थान हाई कोर्ट के आदेशानुसार बस्ती तोड़ने का कार्यक्रम चल रहा था। हम लोग वहां गये। हमारे वहां जाने का उद्देश्य यह नहीं था कि जो कार्यवाही हो रही है उसमें व्यवधान डाला जाए। हाई कोर्ट के आदेशानुसार मकान तोड़े जा रहे हैं, वह ठीक है, लेकिन हम वहां इसलिए गये थे कि ये गरीब लोग जो बैठे हैं, करीब 280 मकान थे उनके लिए कोई अस्थायी व्यवस्था की जाए टैंट की, पानी की। जो बूढ़े-बुजुर्ग, बच्चे हैं, उनके लिए टैंट वगैरह की कोई अस्थायी व्यवस्था के लिए निवेदन करने हेतु मैं वहां गया था। जैसे ही हम लोग वहां पहुंचे, एसडीएम ने लाठीचार्ज का आदेश दिया।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगा, हम दोनों सदस्य उस क्षेत्र के लिए बिलकुल नये थे। हम वहां ग्रामीणों को बिलकुल नहीं जानते थे। हमने किसी को कोई सम्बोधन नहीं किया। हमने ग्रामीणों के साथ किसी तरह की कोई बात नहीं की। ये कैसे कह सकते हैं कि हमने राजकीय कार्य में बाधा डाली? उसके बाद जब हम यहां विधान सभा में हैं, पुलिस के सिपाही झूठा मुकदमा दर्ज करके पिछले चार दिन से हमारे घरों पर जा रहे हैं, घर पर नोटिस चस्पा कर रहे हैं, घर वालों को धमका रहे हैं। मेरे यहां सरकारी क्वार्टर सी-6 जालूपुरा है, यहां भी आये शाम को। मैंने उनसे कहा, सदन चल रहा है। सदन 13 तारीख तक रहेगा। उसके बाद आप जब भी बुलाएंगे, जहां भी बुलाएंगे, हम आ जाएंगे लेकिन उन्होंने कहा, नहीं, हम तो ड्यूटी कर रहे हैं। हमें आदेश दिया गया है। आप चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, वर्ना हम कार्यवाही कर रहे हैं। इस तरह से हमें धमकाया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं सरकार से निवेदन करना

(श्री पुखराज)

चाहूंगा, क्या यहां सदन में उपस्थित रहना जरूरी है या वहां जाना जरूरी है? नम्बर एक। नम्बर दो, मैं समझता हूं, एफआईआर एक कानूनी प्रक्रिया है। एफआईआर किसी भी आदमी के विरुद्ध हो सकती है लेकिन एफआईआर दर्ज होना आरोप सिद्ध होना नहीं है। इन्होंने इसमें लिखा है कि ये आरोपी हैं, यह बिलकुल गलत लिखा है और बिलकुल हमारी बेइज्जती करने के लिए, हमें धमकाने के लिए पुलिस इस तरह का दबाव बना रही है।

श्री अध्यक्ष: श्री नारायण बेनीवाल।

श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर): माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत पुरानी 24 अगस्त, 2019 की घटना है। बंजारा समाज के लोगों पर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा बेदखली की कार्यवाही चल रही थी। एक तरफ तो आर्टिकल 21 यानी मूलभूत अधिकारों की बात होती है, दूसरी तरफ बिना उन लोगों के पुनर्वास की व्यवस्था करे, जो सौ-सौ साल से वहां जमे बैठे हैं, उनके मकान तोड़ दिये गये। उसकी समझाइश के लिए हमारे दोनों माननीय सदस्य वहां मौके पर पहुंचे। इन्हें एसडीएम ने धक्के दिये। अनुसूचित जाति की गालियां दीं।

मंत्री महोदय, आप जो विधिक कार्यवाही बता रहे हैं, 24 अगस्त, 2019 को एफआईआर लोज होती है और उसके बाद 19 फरवरी, 2020 को दलित उत्पीड़न करणूं की घटना होती है और 24 फरवरी, 2020 को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, सीआईडी, सीबी रेंज, अजमेर से नोटिस जाता है और 25 को नागौर पुलिस अधीक्षक का कोतवाली में नोटिस जाता है कि इनके घरों में नोटिस चस्पा करके इन्हें पकड़ें। चूंकि पुखराज जी परसों की जो बाड़मेर की घटना थी, दलित उत्पीड़न जीतू खटीक का जो मामला था, उसे उठाने के लिए गये। अब आप एक तरफ दलित उत्थान की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ हमारे दोनों दलित विधायकों पर दादागीरी कर रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, लोकतंत्र के लिए इससे शर्मनाक घटना हो नहीं सकती कि एक पुलिस निरीक्षक स्तर का व्यक्ति एक माननीय सदस्य के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करे जो आज तक नहीं हुआ। यह कोई पक्ष-विपक्ष का मामला नहीं है। यह माननीय सदस्यों का मामला है, क्योंकि आप लोग भी कभी इधर बैठेंगे और मान-सम्मान तो सभी का एक जैसा है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार में बैठे लोगों से यही कहूंगा कि आप 72 साल से दलित उत्पीड़न की जो झूठी बातें कर रहे हैं, कृपा

(श्री नारायण बेनीवाल)

करके इस चीज से ऊपर उठें और दलितों के उत्थान की जो बात कर रहे हैं, बाबा साहेब और गांधी जी की जो बात कर रहे हैं, इन पर आप खरा उतरें। इस प्रकरण को बहुत गम्भीरता से लेते हुए ऐसे एकदो अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करना बहुत अपेक्षित है। इससे समाज में एक बहुत बड़ा मैसेज जाएगा। मैं आपके माध्यम से सरकार में बैठे लोगों से यह निवेदन करूंगा कि इस प्रकरण में तुरंत उचित कार्यवाही कराएं।

अध्यक्ष महोदय, हमारे दोनों माननीय सदस्यों ने एसडीएम के खिलाफ भी एफआईआर की, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं हुई। उसके बाद अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार की जो विधान सभा की कमेटी है, उसके हस्तक्षेप के बाद 32 दिन के बाद एसडीएम के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। उसमें भी दोनों एमएलएज के बयान लिये बगैर एफआर लगा दी गयी। इससे बड़ी घटना कोई हो नहीं सकती। आपके माध्यम से मेरा यही निवेदन है कि इस मामले को त्वरित संज्ञान में लेकर दोषी अधिकारी-कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही अमल में लायी जाए। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती किरण माहेश्वरी।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय अध्यक्ष जी, वास्तव में इस तरह की जो घटनाएं सदन में आ रही हैं, उन पर सरकार बिलकुल संवेदनशीलता नहीं रख रही है। दो माननीय सदस्य, छह महीने पुरानी बात है, कोई अगर कहीं किसी तरीके का अतिक्रमण हटाने के लिए भी पुलिस आती है तो सेव करने के लिए कोई भी जनप्रतिनिधि सामने आता है कि इनका ध्यान रखें, कहीं न कहीं इन्हें विस्थापित करें, इनका पुनर्वास करें, इन्हें फिर से मकान दें। यह तो सहज है कहना, लेकिन उसे राजकीय कार्य में बाधा बताकर आरोपित सिद्ध करना, कंटीन्युअसली तीन बार इनके पास में नोटिसेज आना।

29 तारीख को जो नोटिस आया, वह थानाधिकारी दे रहा है कि आप आरोपी हैं और आपको तुरंत यहां पर पेश होना है। जब सदन यहां पर चल रहा है, उसे पता है कि ये यहां हैं और दो तारीख को पेश होने की बात कर रहे हैं जो कि आज है। इस प्रकार से किसी भी पुलिस कर्मचारी की हिम्मत हो जाती है कि वह थानाधिकारी एक एमएलए को, दोनों एससी कैटेगरी से आने वाले एमएलएज को, दो अनुसूचित जाति के लोगों को इस प्रकार से धमकाना, प्रताड़ित करना, यह वास्तव में पूरे सदन के लिए बहुत शर्म की बात है।

हम सब माननीय सदस्य यहां जीतकर आये हैं। हमें इस चीज को

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

सोचना होगा। हम जनता की आवाज उठाएंगे और जनता की आवाज उठाने में अगर कहीं कानून को हमने तोड़ा है तो उसके लिए बैठकर बातचीत की जा सकती है, लेकिन यहां पर तो कहीं कानून तोड़ा भी नहीं है और उसके बाद में इन्हें इस प्रकार से प्रताड़ित करना और जो हमारी माननीय सदस्या, जिन्हें बोलने में भी यहां कई बार माननीय अध्यक्ष जी का संरक्षण मिलता है, तब अपने प्रश्न को अच्छे तरीके से पूछती हैं, वे हिम्मत कर रही हैं कुछ बोलने की।

इस प्रकार से उनके बच्चों को डराना-धमकाना, यह वास्तव में बहुत शर्म की बात है। ऐसे अधिकारी जो इस प्रकार का कृत्य करते हैं, जो हमारे जनप्रतिनिधि ही नहीं, निर्दोष लोगों को भी ऐसे डराते-धमकाते हैं। ये जो इतने बजरी के माफिया घूम रहे हैं, इन्हें तो पकड़ने की पुलिस को फुर्सत नहीं है। उनके खिलाफ तो पुलिस कोई कार्यवाही कर नहीं सकती और ऐसे लोगों को जहां पर राजकीय कार्य में बाधा के छह महीने पुराने केस को आज लाकर उसे जीवित करना चाहती है। माननीय अध्यक्ष जी, यह वास्तव में बहुत शर्म की बात है। इस पर माननीय सदस्यों को आपका संरक्षण मिलना चाहिए। धन्यवाद।

(15.00 बजे)

श्री अध्यक्ष: कल्ला साहब।

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, चूरू से आने वाले माननीय सदस्य ने विशेषाधिकार का जो प्रश्न उठाया था, न तो इन्होंने पहले कोई नोटिस दिया, न इन्होंने कोई पूर्व सूचना दी और न ही कोई दस्तावेज प्रस्तुत किये। इसमें मूल रूप से विशेषाधिकार का जो प्रश्न उठाया गया, वह इस वक्त अनुचित है। डिबेट चल रही है। इन्हें प्रश्न काल से पहले आपको नोटिस देना चाहिए था। उससे सम्बन्धित दस्तावेज देने चाहिए थे। मैं घटना की मैरिट और डी-मैरिट में नहीं जाना चाहता, लेकिन मुख्य रूप से जो बात सामने आई है, हाई कोर्ट के आदेश की पालना के लिए प्रशासन वहां गया हुआ था। अब अपने यहां न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका, ये तीन प्रमुख संविधान के स्तम्भ हैं। न्यायपालिका यदि आदेश दे और उसकी क्रियान्विति नहीं दें तो फिर किसकी जिम्मेदारी है? उसमें जो भी केस बना है, निश्चित रूप से ये यदि उनसे आगे की डेट मांग लें कि हम विधान सभा के कार्यों में व्यस्त हैं, हम आगे की तारीख में आ जाएंगे तो निश्चित रूप से उसको मान लिया जाएगा और उनको आगे की तारीख मिल जाएगी लेकिन जो

(श्री बुलाकी दास कल्ला)
लीगल प्रोसेस है, उसके अनुसार तो हम सबको ही चलना पड़ेगा, कानून की बाध्यता सब पर है। अब केस मैरिट पर है, डी-मैरिट पर है, यह डिसाइड करने का काम सम्बन्धित लोगों का है, न्यायपालिका का है। कार्यपालिका अपना काम करती है, न्यायपालिका अपना काम करती है लेकिन कुल मिलाकर यह बात सही है कि अभी विधान सभा चल रही है और विधान सभा के चलते हुए ये लोग यहां व्यस्त हैं तो इनको यह लिखकर दे देना चाहिए कि 13 या 15 तारीख तक विधान सभा के बाद में जो भी हमसे पूछताछ करनी है, आप कर लें। यह लिखकर दे दें, सरकार मंजूर कर लेगी और प्रशासन को मंजूर करना पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष: श्री रमेश मीना जी। एक सैकण्ड।

श्री रमेश चन्द मीना (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा तो इतना-सा निवेदन है कि सबसे पहले तो उप नेता ने सवाल किया है वह नियमों में इसलिए नहीं आता कि जिनके साथ जो घटना हुई है, सबसे पहले प्रार्थना पत्र माननीय अध्यक्ष, सचिव के माध्यम से आना चाहिए था, उसके बाद वे उस पर विचार करने के लिए समय देते, तो सबसे पहले जो आपने मुद्दा उठाया है वह अलग विषय है। सबसे पहले तो जिनके साथ घटना हुई है वे निवेदन करते, उसको स्वीकार करना, नहीं करना, आगे की चर्चा, बाद की बात है, तो यह विषय अभी बनता ही नहीं है। पिछली बार, पिछले कार्यकाल में मैं भी 11 बजे गया तो उसको माननीय अध्यक्ष कैलाश जी ने अमान्य कर दिया था कि आप समय पर नहीं आये। फिर नैक्स्ट डे मैं गया और मेरी प्रार्थना स्वीकार की जिस पर यहां चर्चा हुई।

श्री अध्यक्ष: राठौड़ जी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अध्यक्ष महोदय, मैं सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं। नियमों के नियम 160 विशेषाधिकार प्रश्न उठाने की रीति- अध्यक्ष महोदय, इसमें लिखा है, ''परन्तु यह भी कि यदि अध्यक्ष का विषय की अविलम्बनीयता के सम्बन्ध में समाधान हो जाये तो वह प्रश्नों के निबटाये जाने के बाद बैठक के दौरान किसी भी समय विशेषाधिकार प्रश्न उठाये जाने की अनुमति दे सकेगा।'' इन्हीं नियमों की शिथिलता के साथ, चूंकि आपका जैसा प्रजातांत्रिक मूल्य का रक्षण करने वाला अध्यक्ष अगर आसन पर बैठा हो, इसी आधार पर शिथिलता के नाम पर मैंने यह विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव दोनों माननीय सदस्यों की तरफ से रखा है।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय कह रहे थे कि कानून अपना काम करेगा, मैं उसके मैरिट पर जाना ही नहीं चाहता, मामला क्या है, पुलिस के अनुसंधान का मामला है, पर यह सबको मालूम है और यह जिसने नोटिस दिया है, पुलिस थाना कोतवाली, थानाधिकारी ने। क्या थानाधिकारी इतने अनपढ़ हैं? उनको मालूम नहीं कि राजस्थान की विधान सभा का सत्र 24 जनवरी से चल रहा है? माननीय सदस्य बार-बार पुलिस को कह रहे हैं कि हम विधान सभा में व्यस्त हैं, पर यहां उनके घर के बाहर नोटिस चस्पा कर रहे हैं और फिर उसकी भाषा में आरोपी लिख रहे हैं। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, आप हमारी रक्षा करें। आपके अलावा जाएं तो कहां जाएं, आप ही के पास आकर हम अपनी बात कह सकते हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, जो विषय माननीय सदस्य ने उठाया है उसकी गम्भीरता मैं स्वीकार करता हूं। क्योंकि एक विधायक जो चुनकर आता है और वह विधायक अपने कर्तव्य के निर्वहन करने में यदि कानून का उल्लंघन भी करता है तो सभी विभाग के अधिकारियों को यह मालूम है कि जब विधान सभा चलती है तब हम न केवल मीटिंग बुलाने के लिए उनको डिबार करते हैं लेकिन यदि हम उनको इसलिए कि आपके खिलाफ कोई केस रजिस्टर है इसलिए आप विधान सभा की कार्यवाही में भाग न लें और वहां हाजिर हों, यह निश्चित तौर पर जो हमारे निर्देश हैं उनका उल्लंघन है।

जहां तक प्रिविलेज का सवाल है, माननीय मंत्री जी ने ध्यान आकर्षित किया। यह बात सही है कि जो नियम और प्रक्रिया है उस नियम और प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए पर इसमें यह भी है कि किसी विशेष परिस्थिति में हम इसको रिलैक्सेशन दे सकते हैं। जो माननीय सदस्या हैं वो पहली बार एक ऐसे समाज से हैं, वलनरेबल समाज से, जिसने हिम्मत कर, चुनाव लड़कर इस सदन में आने की हिम्मत की और अपनी बात कहने का उन्होंने साहस किया है। इसलिए, मैं समझता हूं कि यह सरकार के, क्योंकि यह एक बार नहीं, पहले भी सदन से यह कहा गया है कि जब-जब भी सदन की कार्यवाही हो, तब मीटिंग नहीं होनी चाहिए। यह जानकारी होने के बाद भी एक माननीय सदस्य को, जिस तरह का उन्होंने वर्णन किया, उनके घर पर पुलिस जाए, इसका मतलब है कि सदन की कार्यवाही से उसे वंचित करने का प्रयास किया जा रहा है। यदि वह वहां जातीं तो सदन की कार्यवाही में नहीं आ सकतीं,

(श्री अध्यक्ष)

इसलिए मैं समझता हूं कि जो प्रश्न उठाया है, उस प्रश्न के सम्बन्ध में क्या वर्शन है, सरकार का वर्शन आने के बाद मैं निर्णय करूंगा कि इसको किस स्टेज पर प्रिविलेज कमेटी के साथ रैफर किया जाए या हाउस में डिस्कस किया जाए। मैं स्वयं चाहता हूं कि नये सदस्यों को यह समझने की आवश्यकता है और नये सदस्यों के माध्यम से सरकार के पूरे तंत्र को समझने की आवश्यकता है कि यदि विधान सभा में किये गये निर्णय को, विधान सभा द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन नहीं होता है तो यह संसदीय लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है।

इसलिए मैं अपेक्षा करूंगा कि सरकार अपने विभाग के अधिकारियों को, चाहे वह पुलिस का विभाग हो, चाहे और कोई विभाग हो, जो निर्देश विधान सभा के कार्यालय से गये हुए हैं कि जब तक विधान सभा चले तब हम विधान सभा में भाग लेने के लिए सदस्यों को वंचित नहीं करें। यह जो प्रयास इस रैफरेंस के माध्यम से हुआ है उसको दुबारा रीईटरेट करें और जिस अधिकारी ने यह जानते हुए कि विधान सभा चल रही है और विधान सभा चलने के बाद विधान सभा के सदस्य को इस तरह का नोटिस दिया है, मैं समझता हूं कि कल्ला साहब, मैं इससे सहमत नहीं हूं कि वे लिखकर दे देते कि हम बाद में आ जाएंगे, यह आ जाएंगे, यह ओनस उसका नहीं है, यह ओनस सरकार का है। सरकार का ओनस है कि सरकार यह जानते हुए एमएलए को लिखकर देती है तो कहीं हमारी सदन के प्रति अवमानना की भावना नहीं हो, यह सरकारी कर्मचारियों में मैसेज नहीं जाना चाहिए। इसलिए मैं सोचता हूं कि चर्चा यहां समाप्त की जाए और जो आपने बात उठाई है उसमें सरकार का वर्शन लेने के बाद निश्चित तौर पर इसके सम्बन्ध में कोई निर्णय दूंगा।

चर्चा में आगे वाद-विवाद में भाग लेंगे। सुश्री रीटा चौधरी। अच्छा, बोल चुके? श्रीमती सन्तोष।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 27, 46 एवं 38 पर विचार

श्रीमती संतोष (अनूपगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 27 पेयजल, 46 सिंचाई और 38 लघु सिंचाई एवं भूमि संरक्षण पर मैं अपने विचार व्यक्त कर रही हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, अनूपगढ़, घड़साना, रावला की

(श्रीमती सन्तोष)

गम्भीर पेयजल स्थिति को देखते हुए हमारी पूर्ववर्ती सरकार में जनता जल योजना के तहत अनूपगढ़ विधान सभा क्षेत्र के 33 गांवों को पेयजल समस्या से मुक्ति दिलाने हेतु इस योजना से जोड़ना प्रस्तावित था। इसके लिए सितम्बर, 2018 में निविदाएं जारी कर दी गई थीं। दिसम्बर, 2018 के विधान सभा चुनाव के कारण चुनाव आचार संहिता का बहाना बनाकर पहले निविदाओं को रोका गया और उसके उपरांत इन योजनाओं को नई सरकार ने ठण्डे बस्ते में डाल दिया। 2019-20 में मेरे प्रयास करने के उपरांत भी इन योजनाओं की दुबारा निविदाएं जारी नहीं हुई। उक्त योजनाओं का बजट भी उपलब्ध था, उसके उपरांत भी इन योजनाओं की क्रियान्विति नहीं की गई, इसलिए इन योजनाओं को शीघ्र ही करवाया जाए ताकि आने वाली गर्मी में ग्रामीणों को पेयजल मिल सके।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र की ग्राम पंचायत 18PK ग्राम छह के सहित ऐसे कई ग्राम हैं जहां मिनी वाटर वर्क्स बीएडीपी द्वारा स्वीकृत कराने के बावजूद ग्रामीण पेयजल के लिए परेशान हो रहे हैं और अधिकारी जान-बूझकर योजना को निरस्त करने में लगे हुए हैं। घड़साना नई मण्डी में सखी रोड पर मगर सिंह कालोनी एक आवासीय कालोनी है और उसमें पेयजल के लिए ग्रामीणों को परेशानी हो रही है। इसको भी मुख्य वाटर वर्क्स की लाइन से जोड़ने का कहते हैं तो विभागीय अधिकारी टालमटोल करते हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, राजकीय हैण्डपम्प की स्थिति भी आपसे छिपी हुई नहीं है। हैण्डपम्प मरम्मत के नाम पर केवल खानापूर्ति हो रही है। बहुत-सी जगह हैण्डपम्पों में पानी नहीं है लेकिन फिर भी मरम्मत के नाम पर बिल उठाये जाते हैं। जमीनी जल की स्थिति नीचे जाने के कारण हैण्डपम्पों में या तो पानी नहीं है और यदि पानी है तो उस जगह के हैण्डपम्प खराब ही रहते हैं। खराब हैण्डपम्पों का विभागीय स्तर पर सर्वे कराया जाना चाहिए जिससे वास्तविक स्थिति का पता लगाया जा सके।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में अधिकतर जगहों पर वाटर वर्क्स की हालत खराब है और पाइप लाइनें भी टूटी हुई हैं, जैसे 4LM ग्राम है। ऐसे और भी कई ग्राम हैं। अधिकतर वाटर वर्क्स में फिल्टर हैं ही नहीं और जो हैं वे खराब ही रहते हैं। जनता गन्दा पानी पीने को मजबूर है और इस गन्दे पानी से आये दिन बीमारियां बढ़ रही हैं। जनता को शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने हेतु वितरण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण करें व वितरण

(श्रीमती सन्तोष)

लाइन की पुरानी जीर्ण-शीर्ण पाइप लाइनों को बदलने का कार्य जल्द करें। ग्रामीण क्षेत्रों में घरों में शुद्ध जल उपलब्ध करवाना सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए।

(15.07 बजे)

(श्री महेन्द्रजीत सिंह मालविया, सभापति, पदासीन)

माननीय सभापति महोदय, हम बात करते हैं सिंचाई की, राजस्थान की मरुधरा की जीवनदायिनी कही जाने वाली इंदिरा गांधी नहर परियोजना पर प्रदेश के करोड़ों लोगों का जीवन आश्रित है। केवल मात्र मेरे विधान सभा क्षेत्र ही नहीं, बल्कि समूचे बीकानेर संभाग का किसान वर्ग इंदिरा गांधी नहर परियोजना द्वारा उपलब्ध सिंचाई जल के सहारे अपने भविष्य का ताना बाना बुनता है। इंदिरा गांधी नहर की मरम्मत और री-लाइनिंग के लिए 23 मार्च से 70 दिन की बंदी प्रस्तावित है। इस बंदी के दौरान किसानों की फसल उत्पादन में एक सिंचाई पानी नहीं मिलने से तैयार फसल भी खराब हो जाएगी और अगली फसल भी प्रभावित होगी इसलिए, मेरे किसान भाइयों को नहर बंदी से पूर्व एक सिंचाई पानी और दिया जाए। इंदिरा गांधी नहर परियोजना में फसल चक्र के आधार पर सिंचाई पानी का रैगुलेशन चार में से दो समय चलाकर, किसान हित को देखते हुए करना चाहिए। जन प्रतिनिधि आईजीएनपी के चीफ से बात करते हैं तो उनका कहना होता है कि मैंने रैगुलेशन तय कर दिया है जबकि डैम में पूरा पानी हो तो भी जान बूझकर टालमटोल कर दिया जाता है। बैठक के लिए कहते हैं तो चीफ साहब किसानों को कहते हैं कि जन प्रतिनिधि को आपात बैठक में बुलाना आवश्यक नहीं है। अनूपगढ़ शाखा की वितरिकाओं का पुनरुद्धार का कार्य बंदी के दौरान हो रहा है। अभी निर्माण चल रहा है लेकिन निर्माण कार्यों में ली गई सामग्री घटिया होने के कारण, अभी से ही नहर में दरारें आ गई हैं।

सभापति महोदय, गुणवत्ता के लिए निर्माण में सैम्पल सर्वे किया जाना चाहिए जिससे कि इस नहर निर्माण पर हो रहे भ्रष्टाचार को रोका जाए और जिन जगहों पर नहर में दरारें आ गई हैं, पुन: ठीक कराई जाएं। इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाए।

माननीय सभापति महोदय, पंजाब के किसानों की जमीन में उपजाऊ क्षमता कम होती जा रही है। धीरे-धीरे राजस्थान में भी ऐसी स्थिति होती जा रही है। हमारी मिट्टी खराब हो रही है, अनियंत्रित रासायनिक खाद, जरूरत से

(श्रीमती सन्तोष)

ज्यादा कीटनाशक का छिड़काव एवं भू-संसाधनों का जमकर दुरुपयोग किये जाने से पंजाब जैसी स्थिति राजस्थान में न हो, इसके लिए किसानों को जागरुक करने की आवश्यकता है। विभागीय अधिकारियों पर भी जिम्मेदारी डाली जाए कि वे किसानों को बताएं कि किसान कैसे अपनी भूमि को सुरक्षित रखें और कैसे ज्यादा उपजाऊ बनायें। धन्यवाद।

श्री सभापति: सुश्री रीटा जी।

सुश्री रीटा चौधरी (मण्डावा): ''रहिमन पानी राखिये, बिन पानी सब सून। पानी गये न ऊबरे, मोती, मानुष चून''। सभापति महोदय, आपने मुझे अनुदान की मांगें 27, 46 और 38 पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदय, योजनाबद्ध विकास के 60 वर्षों के बाद भी राजस्थान की आधारभूत संरचना भारत के और राज्यों के मुकाबले बहुत पिछड़ी हुई है। अभी भी राज्य में कृषि योग्य भूमि का दो तिहाई हिस्सा वर्षा पर निर्भर करता है। जिस तरीके से पर्यावरण में, वायुमण्डल में चेंजेज आये हैं, ये एक सोचनीय विषय है, चिंता का विषय है। एक तरफ कहीं सूख पड़ता है, वहीं उसी समय दूसरी तरफ कहीं बाढ़ की स्थिति बनी रहती है। चाहे केन्द्र की सरकार हो, चाहे राज्य की सरकार हो, सभापति महोदय, पेयजल हमेशा प्रायोरिटी पर रहता है। हर सरकार द्वारा बहुत सा बजट उसके लिए आबंटित होता है, लेकिन योजनाएं बनते-बनते और धरातल पर आते-आते, उन योजनाओं की स्थिति बद से बदतर हो जाती है और उनमें बहुत सारी कमियां नजर आने लगती हैं।

सभापति महोदय, मैं बहुत से उदाहरण यहां देना चाहूंगी। पिछली सरकार के अंदर तत्कालीन मुख्य मंत्री वसुन्धरा जी एक बहुत अच्छी योजना लेकर आई थीं, मुख्य मंत्री जल स्वावलंबन योजना और उस योजना का उद्देश्य था कि बारिश के पानी को सहेजना, एक-एक बूंद को सहेजना ताकि जरूरत पड़ने पर उसको काम में लिया जा सके पेयजल और सिंचाई के लिए। सभापति महोदय, जिस उद्देश्य से वह योजना धरातल पर लाई गई थी, लाने की कोशिश हो रही थी, उस योजना में बहुत कमी रही।

मैं गांवों में जाती हूं, अपने विधान सभा क्षेत्र में जाती हूं, बहुत सारे इलाकों में जाती हूं। टांकों का निर्माण हुआ, बावड़ियों की मरम्मत हुई, उनको नया रूप दिया गया, लेकिन सिर्फ लीपने-पोतने का काम हुआ, भ्रष्टाचार का

(सुश्री रीटा चौधरी)

बहुत बोलबाला रहा। आज इस सदन में जब हमारे मंत्री महोदय यहां पर बैठे हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगी कि जब वे रिप्लाई दें तो इसको भी वे चर्चा में लें। भ्रष्टाचार जिन अधिकारियों ने, जिन कर्मचारियों ने किया, जहां-जहां पंचायतों में भ्रष्टाचार हुआ, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए क्योंकि जनता की गाढ़ी कमाई को योजना के अंदर काम में लिया गया था और बहुत सारी गैर सरकारी संस्थाओं का योगदान था। ऐसी स्वयंसेवी संस्थाओं का, कारपोरेट्स का, धार्मिक संस्थाओं का भी उसमें योगदान था। यह सोचने का एक विषय है।

दूसरा, मैं कहना चाहूंगी मेरे विधान सभा क्षेत्र में और मैं जिस जिले से आती हूं, झुंझुनूं जिले से, वह डार्क जोन का क्षेत्र है। सभापति महोदय, 2012-13 में, उस समय हमारे माननीय मुख्य मंत्री गहलोत जी ने और हमारे जलदाय मंत्री जितेन्द्र सिंह जी ने बहुत बड़ी योजना झुंझुनूं जिले को दी 'कुम्भाराम लिफ्ट परियोजना', यह 3600 करोड़ रुपये की एक वृहत् परियोजना थी। सभापति महोदय, इसका शिलान्यास हुआ खेतड़ी के अंदर और इसका जो मेन प्रोजेक्ट था, वह मलसीसर, मेरे विधान सभा के अंदर था, डैम बनाने का, 2013 में सरकार चली गई और जो योजना तीन साल के अंदर बननी थी उसमें पांच साल लग गये। 2018 के अंदर तत्कालीन मुख्य मंत्री जी झुंझुनूं दौरे पर थीं, संवाद-सम्मेलन करना चाह रही थी। झुंझुनूं जिले में पांच साल के अंदर ऐसा कोई काम नहीं था, जो वे आतीं और उसका उद्घाटन करतीं।

सभापति महोदय, आनन-फानन के अंदर 'कुम्भाराम लिफ्ट परियोजना' के डैम का निर्माण किया। जब उसका उद्घाटन हुआ, उसके कुछ दिन बाद वह पानी से भरा गया, डैम खुल गया और तकरीबन 3700 मिलियन लीटर पानी वेस्ट चला गया। एक बहुत बड़ी खामी उसके अंदर रही। सभापति महोदय, सरकार चली गई, नई सरकार आई लेकिन उस ओर ध्यान नहीं दिया गया।

मैं कहना चाहती हूं जब हम योजनाएं बनाते हैं तो मोनिटरिंग पर ध्यान क्यों नहीं देते हैं। चाहे आप कम बजट की योजनाएं लेकर आएं, कम क्षेत्र के लिए योजनाएं लेकर आएं लेकिन उस क्षेत्र से, उस योजना से संबंधित अधिकारी-कर्मचारी, उनको मॉनिटरिंग करनी चाहिए। ये इसलिए हुआ मोनिटरिंग के अभाव के अंदर और भ्रष्टाचार का खेल वहां खेला गया जिसकी वजह से एक बहुत बड़ी योजना, जो झुन्झुनूं जिले के लोगों की पीने के पानी की प्यास बुझा सकती थी, वह आज तक अधरझूल के अंदर है।

(सुश्री रीटा चौधरी)

सभापति महोदय, आपके माध्यम से कहना चाहूंगी कि 1994 के अंदर यमुना जल को लेकर पांच राज्यों में समझौता हुआ था। उस समझौते को 25-26 साल बीत गये। हमारे ताजेवाला हैड पर राजस्थान को 3198 क्यूसेक्स पानी आबंटित हुआ था जो सिंचाई और पेयजल के लिए चूरू को, झुन्झुनूं को और सीकर को मिलना था। माननीय सभापति महोदय, पिछली जो सरकार थी, उस समय केन्द्र में भी भाजपा की सरकार थी। हाई कोर्ट के निर्देश के अनुसार उस पर आनन-फानन में काम हुआ, कमेटियों का गठन हुआ और तत्कालीन मुख्य मंत्री जब झुन्झुनूं चूरू आई थीं, तब उन्होंने वहां घोषणा भी की थी कि जल्दी ही यमुना का पानी सीकर, झुन्झुनूं और चूरू को मिलेगा। सभापति महोदय, आज मंत्री महोदय यहां बैठे हैं, जब वो रिप्लाई दें तो हम झुन्झुनूं के लोग, सीकर के लोग और चूरू के लोग सुनना चाहेंगे कि इस यमुना जल का जो समझौता हुआ था वह बात कहां तक पहुंची है और उसमें आगे सरकार क्या करना चाहती है।

पेयजल की समस्या बहुत बड़ी समस्या है और सिंचाई की भी। हम जब यहां पर शेखावाटी की बात करते हैं और कांटली नदी की बात न हो, यह हो नहीं सकता। कांटली नदी जो खंडेला से आती है, सीकर, झुन्झुनूं और चूरू के बार्डर तक कभी जाती थी। बारिश के पानी की नदी थी और उस नदी की स्थिति यह हो गई कि काफी वर्ष हो गए इस नदी के पानी को देखे हुए और पिछले साल जो बारिश हुई थी तो यह नदी आई जरूर और बहुत उफान पर आई लेकिन सीकर तक सिमट कर रह गई।

बहुत से प्रधानमंत्री हुए सभापति महोदय, मैं नाम लेना चाहूंगी, जिनकी हम लोग चर्चा भी करते हैं, लोग भी पसंद करते थे अटल बिहारी वाजपेयी जी को और उनकी एक योजना थी, उनकी एक परिकल्पना थी कि भारत देश के अंदर अगर हमें पानी से लड़ाई लड़नी है, भयावह स्थिति नहीं हो राज्यों की, तो उन्होंने नदियों को जोड़ने की परियोजना की परिकल्पना की थी। आज हमें जरूरत है और यह परिकल्पना उनकी नहीं 161 साल पुरानी है, तब ब्रिटिश राज के अंदर व्यापार के लिए इसकी परिकल्पना की गई थी लेकिन आज धरातल पर इसकी आवश्यकता है, सभापति महोदय। पानी जो व्यर्थ बहकर चला जाता है, चाहे वह चंबल नदी हो हमारे राजस्थान के अंदर, चाहे ब्राह्मणी नदी लो, ईरान लो, मांगनी लो, भीमलत लो, मेज लो, जब बारिश होती है तो ये उफान पर आती हैं और इनका पानी व्यर्थ बहकर चला जाता है।

(सुश्री रीटा चौधरी)

इसके लिए हमें योजना बनानी पड़ेगी, जिससे आने वाले टाइम में हम खेती के लिए सिंचाई के रूप में और पीने के योग्य पानी को काम में ले सकें, क्योंकि आने वाला टाइम बहुत मुश्किल है। पेयजल की समस्या बहुत गहराती चली जाएगी, जिस तरीके से जमीन के अंदर पानी नीचे जा रहा है और हम लोग सरफेस वाटर के ऊपर निर्भर होते जा रहे हैं। जब नदी की बात आती है तो यहां पर एक बात कहना चाहूंगी, 'जख्म सूखा और धरा को हरा होना चाहिए, पानी आंखों से नहीं नदियों से बहना चाहिए।'

सभापति महोदय, मैं बात करना चाहूंगी हमारे माननीय मुख्य मंत्री अशोक जी गहलोत की। जब इनका पिछला कार्यकाल था तो इन्होंने एक नारा दिया जो बहुत प्रचलित हुआ करता था, उसको दोबारा लोगों के बीच में लेकर के आए, 'पानी बचाओ, बिजली बचाओ और सब को पढ़ाओ' और जब यह नारा वह दे रहे थे किताबों में हर जगह स्लोगन के रूप में तो हमारे विपक्ष के साथी बहुत हंसी उड़ाते थे कि बचाओ और मांगने की आदत इनकी पुरानी है। हम उस समय उस महत्व को नहीं समझते थे लेकिन आज हम इस महत्व को समझेंगे और आने वाले टाइम के अंदर समझेंगे। जिस तरीके से पानी सहेजने की जरूरत है, जिस तरीके से पानी का दोहन हो रहा है, सभापति महोदय, चाहे हम मिट्टी का दोहन ले लें, जंगलों का दोहन ले लें, पहाडों और नदियों का दोहन ले लें, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन ले लें, उसको रोकने की आवश्यकता है। हमारे यहां पर अधिकारीगण भी बैठे हुए हैं, हमारे मंत्रीगण भी बैठे हैं इसके ऊपर हमें कड़े फैसले लेने होंगे और इस तरीके से योजनाएं धरातल पर आएं ताकि जो पैसा बजट के अंदर आबंटित होता है वह सही हाथों में, सही जगह पर, सही समय पर पहुंच सके।

सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहूंगी कि हमारी आने वाली पीढ़ी जब हम से पूछेगी कि हम 200 जन प्रतिनिधि विधान सभा में भेजते हैं, 25 सांसद संसद में भेजते हैं नियम बनाने के लिए, योजनाएं बनाने के लिए और गांव और ढाणी में बैठे लोगों को राहत पहुंचाने के लिए, तो उस समय हमारे पास जवाब नहीं होगा।

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्या।

सुश्री रीटा चौधरी (मण्डावा): आज जरूरत है इस चीज की कि हमारे यहां पर प्राकृतिक संसाधनों का दोहन हो रहा है उसको क्रिमिनल आफेंस के अंदर हम लें और सख्त से सख्त कार्यवाही उन पर करें, तभी आने वाले समय

(सुश्री रीटा चौधरी)

के अंदर हम हमारी प्राकृतिक संपदा, जिसमें पानी ही सबसे अहम रहता है, एक नंबर पर रहता है, उसको सहेज सकेंगे, उसकी एक-एक बूंद को काम में ले सकेंगे।

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्या।

सुश्री रीटा चौधरी (मण्डावा): सभापति महोदय, मैं, अंत में, एक लाइन कहकर अपनी बात खतम करूंगी। मैं हमारे मुख्य मंत्री जी का और हमारे जलदाय मंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहूंगी कि उन्होंने घर-घर पानी की योजना के अंतर्गत मेरे मंडावा विधान सभा क्षेत्र के अंदर योजना दी है। उन्होंने 138 करोड़ रुपये मंजूर किए। बहुत सारे ट्यूबवैल, टंकियां वगैरह दीं। 'इस दुनिया के हैं देवता तीन, बचा लो जल, जंगल और जमीन', इन्हीं शब्दों के साथ, सभापति महोदय, मैं आपका आभार प्रकट करती हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री राजकुमार गौड़।

श्री राजकुमार गौड़ (गंगानगर): धन्यवाद, सभापति महोदय, आपने मुझे अनुदान की मांग संख्या 27, 46 और 38 पर बोलने का मौका दिया। राज्य सरकार के लोकप्रिय मुख्य मंत्री जी ने सिंचाई परियोजनाओं के लिए, पेयजल योजनाओं के लिए बहुत-बड़ा बजट दिया है, निश्चित रूप से यह राजस्थान में विकास की गति को और तेज करेगा। जहां तक पानी का सवाल है, मेरे से पूर्व तमाम वक्ताओं ने पानी के ऊपर चिंता व्यक्त की। पानी की समस्या के बारे में बताया और राजस्थान को जितनी पानी की महत्ता का मालूम है उतना शायद दूसरे प्रदेशों को नहीं होगा। आज से नहीं, बहुत वर्षों से पानी को देवता मानते हैं, हम देवता मानकर पूजते हैं। अभी मेरे से पूर्व बहिन जी कह रही थीं, 'रहिमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। पानी गए न ऊबरे मोती, मानुष चून।' यह पानी का महत्व बताता है। यह आदमी के लिए विनम्रता की बात करता है। गुरु ग्रंथ साहिब में कहा गया है, 'पवन गुरु, पानी पिता, माता धरती महान' जब-जब भी महापुरुषों ने बात की, पानी को पूजने की बात की। इससे हम समझ सकते हैं कि आज पानी का कितना महत्व है।

आजादी के समय की बात करें तो उस समय राजस्थान में पानी कहां था। आजादी के बाद कितनी महत्वपूर्ण योजनाएं बनीं। आजादी के तुरंत बाद जो योजना हमारे जिले में आती है, भाखड़ा के माध्यम से पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उस समय भाखड़ा नांगल डैम बनाया और मैं सोचता हूं कि कितनी बड़ी लंबी सोच थी कि देश को कैसे आगे ले जाना है। उससे पूर्व की

(श्री राजकुमार गौड़)

अगर मैं बात करूं तो गंगानगर, हनुमानगढ़ जिला, आगे इंदिरा गांधी कैनाल तो अब जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर तक पहुंच गई, 1927 में अंग्रेजों का राज था। बीकानेर रियासत के महाराजा गंगा सिंह जी थे। 1927 में उन्होंने योजना बनायी कि बीकानेर डिविजन में, जिसमें गंगानगर भी शामिल है पंजाब से एक कैनाल लाई जाए और उससे इस एरिया को हरा-भरा किया जाए। अंग्रेजों का शासन, परमिशन मिलनी बड़ी मुश्किल। यंत्र तंत्र कोई था नहीं, मशीन थी नहीं, आदमियों के माध्यम से, ऊंटों के माध्यम से उस योजना को मूर्त रूप दिया और वहां जो मजदूर जाते थे काम करने के लिए तो सभापति महोदय, मुश्किल थी कि उनको पीने का पानी कैसे मिले तो उसके लिए उस गंग कैनाल के साथ-साथ एक नाला और लाया गया कि उनको पीने के लिए पानी मिले और 1927 में गंगानगर में महाराजा गंगा सिंहजी की कृपा से गंग कैनाल बनी। मैं सोचता हूं इससे बड़ी कोई बात हो नहीं सकती। आज गंगानगर को गंग कैनाल के माध्यम से पानी मिल रहा है, भाखड़ा के माध्यम से पानी मिल रहा है, इंदिरा गांधी कैनाल के माध्यम से पानी मिल रहा है। यह कांग्रेस की सरकार थी। मेरे कुछ मित्र कह रहे थे कि 70 साल में क्या हुआ, इस 70 साल में वह हुआ जो पंडित नेहरू और इंदिरा गांधी ने किया था। उन्हीं की आज देन है कि यह बड़ी-बड़ी योजनाएं हमारे यहां हैं।

मैं राजीव गांधी जी को भी याद करना चाहूंगा, नोहर और भादरा के मेरे साथी बैठे हैं, जब गंगानगर जिला एक ही हुआ करता था तो मैंने वहां देखा है, पीने को पानी था नहीं, खारा पानी होता था, नहा नहीं सकते थे। लोग कहा करते थे कि इस इलाके में कौन भागीरथ होगा जो पानी लायेगा और कांग्रेस के लोग कहते थे वह भागीरथ राजीव गांधी होगा जो इस एरिये में पानी लायेगा। उस एरिये में सावा लिफ्ट योजना बनी, हो सकता है पूरा पानी अभी नहीं मिल रहा हो, पर बहुत बड़ा एरिया उससे प्रभावित हुआ और पानी मिल रहा है। यह कांग्रेस के नेताओं की सोच थी, कांग्रेस के लोग ऐसा काम करना चाहते थे। मैं जिन तीन योजनाओं की बात कर रहा हूं, राज्य सरकार ने अभी इंदिरा गांधी कैनाल की सफाई की बात की है। मैं मंत्री जी को कहना चाहूंगा कि आपने यह बहुत बड़ा काम हाथ में लिया है। 70 दिन की बंदी की बात हम कर रहे हैं, जिसमें 40 दिन हम पीने का पानी देंगे, 30 दिन की पूरी बंदी रखेंगे। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इन 70 दिनों में अच्छा काम हो। बहुत पुरानी नहर हो गई है और जब अच्छा काम हो जाये व री-लाइनिंग

(श्री राजकुमार गौड़)

हो जायेगी तो निश्चित रूप से इसमें हम लोगों को ज्यादा पानी मिलेगा। इसके लिये मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप इस तरफ अधिकारियों को कह कर पूरे समय में अलग-अलग ठेकेदारों को काम देकर, मंत्री महोदय, अलग-अलग बुर्जियों का अलग-अलग ठेकेदारों को काम देकर समयावधि में काम पूरा कराएं और गुणवत्ता पूर्वक काम कराएं, ऐसा मेरा आपसे निवेदन है।

महोदय, आईजीएनपी के बाद मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि फिरोजपुर फीडर की मरम्मत के लिये, उसकी डीपीआर के लिये बहुत समय से आपसे बात कर रहे हैं। मैं मुख्य मंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहूंगा कि आप दो बार पंजाब गये। पंजाब के मुख्य मंत्री जी से आपने बात की। पंजाब के मुख्य मंत्री जी ने आश्वासन दिया कि हम जल्दी ही फिरोजपुर फीडर के पुनर्निर्माण के लिये डीपीआर बनायेंगे। मंत्री महोदय, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि यह काम कितना प्रगति पर है, कब तक इसकी डीपीआर बन जायेगी और डीपीआर बनने के बाद कब यह काम शुरू हो जायेगा? जिस दिन यह डीपीआर बन गई और यह काम बन गया, उस दिन से हम लोगों को जो गंग कैनाल में पानी में उतार चढ़ाव आता है, वह बंद हो जायेगा और हम लोगों को पूरा पानी मिलेगा।

महोदय, मैं आपका ध्यान इस ओर भी आकर्षित करना चाहूंगा कि अप्रैल माह में गंग कैनाल की सफाई के लिये भी बंदी की योजना सरकार ने बनाई है। सिंचाई विभाग ने, जिला प्रशासन ने 4 अप्रैल से 25 अप्रैल तक बंदी की बात की है। पंजाब के एरिये में जो हमारी नहर है, गंग कैनाल का निर्माण 1927 में महाराजा गंगा सिंह जी ने किया और उसके बाद 2000 आते-आते ही यह नहर बिलकुल टूटफूट गई थी। लोग कहने लग गये थे कि यह गंगानगर का इलाका उजड़ जायेगा और फिर भी वह कहते थे कि कौन वह महान व्यक्ति होगा जो इस कैनाल को ठीक करायेगा, री-लाइनिंग करवायेगा। मैं मुख्य मंत्री अशोक गहलोत जी को बधाई देना चाहता हूं कि जब प्रथम बार आप मुख्य मंत्री बने तो सन् 2000 में आपने 446 करोड़ रुपया देकर गंग कैनाल का पुनर्निर्माण करवाया। उसी की वजह से आज गंग कैनाल भरी है। दूसरी बार जब मुख्य मंत्री बने वह 446 करोड़ रुपया 775 करोड़ हो गया। 775 करोड़ रुपये लगाकर उस नहर का पुनर्निर्माण कराया। मंत्री महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि अब समय आ गया है कि पंजाब क्षेत्र में जो एरिया है, 45 आरडी से लेकर खखा हैड तक, इसकी पुन: सफाई योजना और

(श्री राजकुमार गौड़)

पुनर्निर्माण योजना पंजाब सरकार को कराना है। मुझे जैसा ज्ञात हुआ है कि पंजाब सरकार ने 2 करोड़ 10 लाख की योजना आपको भेजी है। मैं चाहूंगा कि इसी मार्च माह में वह पैसा स्वीकृत होकर पंजाब को चला जाये जिससे हमारी गंग कैनाल की मरम्मत भी हो जाये। उसकी सफाई कराना भी बहुत जरूरी है। सफाई होने के बाद आज जो हम 2000 से 2200 क्यूसेक्स पानी ले रहे हैं, वह पानी हम 2500 क्यूसेक्स से ज्यादा लेने लग जायेंगे और उससे हम लोगों को फायदा होगा।

मंत्री महोदय, मैं आपसे एक बात और कहना चाहूंगा, धन्यवाद भी देना चाहूंगा कि पंजाब सरकार ने करीब 6 माह पूर्व हम लोगों से करीब-करीब एक करोड़ रुपया बीकानेर कैनाल को साफ करने के लिये मांगा था। माननीय मुख्य मंत्री जी ने एक सप्ताह में 98 लाख रुपया पंजाब सरकार को भेज दिया था। उसमें कई कारण हैं, उसमें वहां की पोलिटिक्स इन्वाल्व है, कुछ उसमें कोर्ट का केस भी है। हमारा वह 98 लाख रुपया भेजा हुआ पंजाब सरकार के पास वैसा ही पड़ा है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि मुख्य मंत्री जी अपना प्रभाव यूज करते हुए उस कैनाल को भी साफ कराएं। हम वहां देखने के लिये गये थे, उस कैनाल को हम देखकर आये। मुझे प्रसन्नता हुई जब मैंने वहां मुख्य मंत्री जी का शिलान्यास करा हुआ पत्थर देखा कि इस नहर को 446 करोड़ रुपये से ठीक करा रहे हैं। पंजाब सरकार कह रही है कि हम बीकानेर कैनाल के साथ दूसरी कैनाल बनाकर पानी देंगे। उस पर जो भी सरकारी स्तर पर हो, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप उसको जल्दी करने की कोशिश करें जिससे हम लोगों को फायदा मिले।

गंगानगर जिले में, हनुमानगढ़ जिले में सबसे बड़ी कोई समस्या है तो वह पानी की समस्या है, सही डिस्ट्रिब्यूशन न होने की समस्या है। जब-जब भी किसानों के बड़े आंदोलन हुए हैं तो वह पानी के लिये हुए हैं। आंदोलनों की अगर मैं बात करूं तो 2003-08 में जब प्रदेश में भाजपा की सरकार थी, घड़साना-रावला में किसान पानी मांग रहे थे, नोहर-भादरा के मेरे साथी बैठे हैं, मालूम है कि क्या किया हमारे साथ में। उस समय गोली चली, पांच लोग मरे। आज भी हम उस बात को भूल नहीं पाते। जब हम पानी मांगते हैं तो हमें गोली मिलती है। दुबारा मौका आया 2013-18 तक, पुन: भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। तत्कालीन माननीय मुख्य मंत्री जी पदमपुर से गंगानगर आ रही थीं, किसानों ने कहा कि गंगा घर आ रही है,

(श्री राजकुमार गौड़)

मुख्य मंत्री जी आ रही हैं। सड़क पर जाकर ज्ञापन देना चाहा कि हमें पूरा पानी नहीं मिल रहा है, हमारी नहरों की हालत अच्छी नहीं है। उनका ज्ञापन लेना तो दूर रहा, आज भी उन लोगों पर केस हैं, लोगों पर डंडे बरसाये गये, लोगों की लातें तोड़ी गईं। मंत्री महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि गंगानगर, हनुमानगढ़ जिले के लोगों की नहीं, पूरे बीकानेर डिविजन की बात करना चाहूंगा क्योंकि पानी की बहुत आवश्यकता है और यह सिंचाई का पानी मिलेगा तो राजस्थान तो मजबूत होगा ही, गंगानगर जिला आपके पूरे प्रदेश का पेट नहीं, देश के और राज्यों का भी पेट भरने के लायक बन जायेगा। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इन योजनाओं की आप घोषणा करें और जल्दी से जल्दी इसमें काम हो।

पीने के पानी की बात की, केन्द्र सरकार को हम लोगों ने निवेदन किया, मुख्य मंत्री जी ने निवेदन किया। मैं भाजपा के सभी साथियों से दुबारा कहना चाहूंगा कि आप भी कोशिश कीजिए, अपने मैम्बर्स आफ पार्लियामेंट को कहिए, जितना ज्यादा पैसा आयेगा, राजस्थान में अभी भी बहुत इलाका है। हम याद करें आज से 40 साल पहले और आज को, तो बहुत अंतर आया है। जिन रास्तों पर हम जा नहीं सकते थे, अगर 20 साल पहले की बात करूं तो गंगानगर से बीकानेर जाने में सुबह से शाम तक लग जाते थे, टीले आ जाते थे, बसों पर धक्के लगाते थे, आज चार घंटे में बीकानेर जाकर वापस आ सकते हैं, तो बहुत तरक्की हुई है कोई कमी नहीं है। कल्ला जी भी जब बीकानेर जाते होंगे तो देखते होंगे, बड़े-बड़े टीले हैं, जंगल हैं, फव्वारा चल रहा है, गेहूं और सरसों लगी हुई है यह सरकार के कारण ही है। सरकार इसी तरह काम करे जिससे पीने का पानी मिल सके।

महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि हमारे यहां तो पानी की तीन योजनाएं हैं परंतु उसके बावजूद भी आज भी ढाणियों में पानी नहीं है। ढाणियों में पानी कैसे दें, माननीय मुख्य मंत्री जी ने पिछले कार्यकाल में एक योजना बनाई थी, 5-5 ढाणियों में बिजली के लिये कनेक्शन दिये थे। मंत्री महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि उसी तरह से सरकार इसकी कोई बड़ी योजना बनाये। एक गांव में आदमी बैठा है, ढाणी में बैठा है, वह देखता है कि मेरे 500 मीटर की दूरी से पाइप लाइन जा रही है और मुझे पानी नहीं मिल रहा तो निश्चित रूप से वह हम लोगों पर भी दबाव बनाता है और हम आप पर दबाव बनाते हैं। इस तरह की योजना बनाई जाये जिससे लोगों को ढाणी में पानी मिले...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री राजकुमार गौड़ (गंगानगर): सर, दो मिनट। मैं स्वच्छ पानी के लिये आपसे फिर निवेदन करना चाहूंगा कि मैं कई बार कह चुका हूं कि पंजाब से जो पानी आ रहा है वह बहुत गंदा पानी आ रहा है, जहरीला पानी आ रहा है, यूरिया का पानी आ रहा है, चमड़े का पानी आ रहा है, उस पानी को किसी तरह से बंद कराएं। मेरी लगातार प्रिंसिपल सैक्रेटरी, जल संसाधन से भी बात होती है, वह भी काफी कोशिश कर रहे हैं। मुख्य मंत्री जी पंजाब जाकर बात करके आये हैं। मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि आप इस काम को जल्दी हाथ में लेकर इस काम को जितना जल्दी पूरा करा देंगे, उतने लोग बच जायेंगे वरना लोग काल के ग्रास बन रहे हैं, कैंसर फैल रहा है। उस गंदे पानी से जिसे पंजाब के ट्रिब्यूनल ने कहा कि इससे तो नहाया नहीं जा सकता, वह पानी हमारी नहरों में पीने के लिये आता है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अब समाप्त करें।

श्री राजकुमार गौड़ (गंगानगर): मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप इस पर तत्परता दिखाते हुए इस जहरीले पानी को बंद करें।

माननीय सभापति महोदय, कई मुद्दे थे, आपने फिर भी मुझे बोलने का समय दिया। एक बात कहकर मैं अपनी बात खतम करना चाहूंगा। इसके साथ-साथ कृषि महाविद्यालय की हमने मांग की है। हमारा कृषि प्रधान जिला है। सरकार अगर एक कृषि महाविद्यालय खोल दे तो मैं बहुत आभारी रहूंगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी।

श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा): सभापति महोदय, मांग संख्या 27, 46 व 38 पर चर्चा हो रही है। माननीय सभापति महोदय, पानी जीवन के लिए बहुत अमूल्य चीज है। पानी के बिना कुछ भी नहीं है। वेदों, पुराणों, शास्त्रों, कुरान में पानी के महत्व को समझा है। उस समय से चाहे हिंदू समाज हो या मुस्लिम समाज हो, हिंदुओं में निर्जला ग्यारस के रोज लोग पानी की बूंद तक नहीं गटकते, रोजे में लोग पानी की बूंद नहीं गटकते हैं। पानी की जो महत्ता है, उसके ऊपर शास्त्रों में पूरी चीज दर्शायी हुई है। पानी पर तरह-तरह के दोहे सभी कह रहे थे। मेरा तो यही निवेदन है:-

"पानी है तो प्राण है, थोड़े पानीदार बनो।

बिन पानी सब रूखा-सूखा, शीतल जल-सी धार बनो,

(श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी)

बूंद-बूंद को रखो बचाकर, काम सभी के ये आएगी
मछली से भी कोमल काया, बिन पानी के मर जाएगी।
पानी को पूजा है हमने, जल के देव जगाये हैं
गंगा जी में नहा-नहाकर, सारे पाप भगाये हैं,
पानी है तो हरा-भरा, मत ईर्ष्या और लाचार बनो,
बिन पानी सब रूखा-सूखा, शीतल जल-सी धार बनो।
प्रकृति रूठ रही हमसे, पानी दूर हुआ जाता है,
मानव के असीम लालच में, हाथ खींच रहा दाता है'।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): धन्य हो, कविराज।

श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा): ...(व्यवधान) राठौड़ी है। आप तो राठौड़ हो और मेरी राठौड़ी है।

श्री सभापति: माननीय कैलाश जी, माननीय सदस्य, राठौड़ साहब तो आपका समय खराब करेंगे।

श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा): ये राठौड़ी करते हैं, पानी पर भी करते हैं।

श्री सभापति: अपने मत करो।

श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा): माननीय सभापति महोदय, हमारे बुज़ुर्गों ने यह कहा है कि 'आओ, बैठो, पीओ पानी, ये तीन चीज मुफ्त में आनी' लेकिन मुख्य मंत्री जी अशोक गहलोत जी से पहले यह मुफ्त में नहीं आ रही थीं, इसका पैसा वसूल किया जा रहा था। अशोक गहलोत जी ने आते ही उस बात को सार्थक किया है और राजस्थान में पीने के पानी के बिलों को मुफ्त किया है। यह बड़ा सराहनीय कदम मुख्य मंत्री जी और मंत्री जी ने लिया है।

पीने के पानी के लिए गत वर्ष मेरे क्षेत्र में जो हालात थे, मेरे क्षेत्र में जिले में सबसे कम बारिश हुई थी और कम बारिश से पीने के पानी की तकलीफ थी कि गांव में पांच-छह किलोमीटर तक पानी नहीं था। उस वक्त मैंने माननीय मंत्री महोदय को निवेदन किया। मंत्री महोदय ने चाहे गंगापुर कस्बा हो, चाहे रायपुर ब्लाक हो, चाहे सहाड़ा ब्लाक हो, आपने हैण्डपम्पों की व्यवस्था की। आपने तुरंत पाइप लाइनों की व्यवस्था की और नये नलकूप खोदे और जनता को पानी पिलाने का काम किया। इसके अलावा भी ट्रकों के टैंकरों

(श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी)

से पानी लाया गया। क्षेत्र की जनता को पानी पिलाने के लिए सरकार ने करोड़ों रुपये लगाए लेकिन एक भी आदमी को पानी की वजह से कोई परेशानी नहीं होने दी। इसके लिए मैं मुख्य मंत्री जी और मंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं।

मुझे सौभाग्य मिला जब हमारे अध्यक्ष महोदय भारत सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री थे। उस वक्त महाराष्ट्र के पूना में पूरे देश की पानी की एक सेमिनार हुई थी। उसमें राजस्थान के भीलवाड़ा जिले से एक विधायक यानी मुझे जाने का मौका मिला। हर प्रदेश से एक-एक कलेक्टर और प्रिंसिपल सैक्रेटरी गये थे। उसमें हम लोगों ने भाग लिया। वहां पर पानी की चर्चा पर हम लोगों ने राजस्थान की तरफ से जो प्रजेंटेशन दिया, उसके तहत राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के सहाड़ा विधान सभा क्षेत्र के रायपुर ब्लाक को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में भारत सरकार ने चुना और राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल जल सुरक्षा प्लान के तहत वहां पर फर्स्ट फेज में 8 ग्राम पंचायतों को उन्होंने टोंटी से पानी देने की प्लानिंग की, उसमें हर घर को टोंटी से पानी मिले, इसके लिए यह पायलट प्रोजेक्ट है। उसमें 8 पंचायतों में 11 गांव थे, देबरिया, परबती, दियास, पचोतरा का खेड़ा, खारनिया, मांडका खेड़ा, राली खेड़ा, लाठीया खेड़ा, डांगड़ा, नया खेड़ा और जोड़लिया, इन गांवों में, स्कीमें कमप्लीट हुई थीं। उसमें सबसे बड़ी चीज यह है कि छोटे-छोटे गांवों में पहले 4 हजार से कम की आबादी पर सरकार ने ऐसे नार्म्स बना रखे हैं कि पाइप योजना लागू नहीं होती थी लेकिन उस पायलट प्रोजेक्ट के तहत इन छोटे गांवों में यह पायलट प्रोजेक्ट योजना चालू हुई। इस पायलट प्रोजेक्ट योजना में भी जो सबसे बड़ी चीज हुई, वह यह हुई कि उनके ऊपर बिजली के कनेक्शन नहीं है, इस पायलट प्रोजेक्ट के अंदर सारे सौर ऊर्जा से इस योजना को चालू किया गया। सात साल हो गये, आज भी वह योजना सुचारु रूप से चल रही है। 11 गांवों में चल रही है। सौर ऊर्जा के कारण न तो उनको बिल भरना पड़ता है, सिर्फ गांव का आदमी चलाता है और गांव वाले पीते हैं। छोटे-छोटे कस्बे हैं। दूसरी तरफ राजस्थान की जनता जल योजना है। राजस्थान की जनता जल योजनाओं की जो हालत है, वह माननीय सदस्य अभी-अभी बता रहे थे कि सभी योजनाओं के कनेक्शन कट चुके हैं। बिल नहीं भर पा रहे, पंचायतें बिल नहीं भरती हैं और अव्यवस्था फैली हुई है और गांवों को पानी के होते हुए भी महरूम होना पड़ रहा है।

मंत्री जी, मेरा आपसे निवेदन है कि जैसी मुख्य मंत्री जी की भावना

(श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी)

है, बजट 2020 में भी मुख्य मंत्री जी ने सौर ऊर्जा के नलकूप लगाने का जो आह्वान किया है, मैं यह कह रहा हूं कि राजस्थान की जितनी भी जनता जल योजना है उनको सौर ऊर्जा आधारित कर दिया जाना चाहिए ताकि लोगों को पानी मिले और किसी को बिजली का बिल नहीं भरना पड़े। बिजली का बिल नहीं भरना पड़ेगा तो ये योजनाएं भी आराम से चल पाएंगी। योजनाओं के चलने के साथ-साथ इसमें किसी तरह की लागत या खर्चा नहीं आएगा, जो लागत आएगी एक बार आएगी।

माननीय सभापति महोदय, हमारे साथी रामलाल जी ने चंबल की योजना की बात की। मैं उनकी सारी बात का तो समर्थन करता हूं। मेरे क्षेत्र के हालात भी ये हैं कि मेरे क्षेत्र में 1431 किलोमीटर की पाइप लाइन सप्लाई होनी थी और बिछनी थी, उसमें से 1073 किलोमीटर की पाइप लाइन अभी तक पहुंची है और 835 किलोमीटर की लाइन बिछी है। अभी करीब-करीब आधा काम बाकी है। इस कार्य को गति दें और गति देने के साथ ही समयबद्ध तरीके से इस कार्य को पूर्ण करें और बजट दें।

दूसरा, मेरा एक निवेदन है कि जितने भी चंबल के गांव हैं, चाहे गंगापुर हो, ओटड़ा हो, सहाड़ा हो, पोस्तल हो, हमीरगढ़ हो, रायपुर हो, बोराड़ा हो, इनमें सारी पूर्व की जो पाइप योजना है वे 50-50 साल पुरानी योजनाएं हैं। 50 साल पुरानी योजनाओं में स्थिति यह है कि कहीं तो 63 एमएम की लाइन है, कहीं 100 एमएम की लाइन है, कहीं 150 एमएम की लाइन को मैन लाइन बना रखी है। मेरा यह निवेदन है कि उस वक्त की आबादी और आज की आबादी को देखते हुए इनका अपग्रेडेशन होना चाहिए। गांव की जो लाइनें हैं, वे सब चेंज हो। चेंज होने के बाद चम्बल के पानी से वे कनेक्शन द्वारा सप्लाई करें

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा): मेरा एक निवेदन है। मेरे क्षेत्र में देवेन्द्र सागर से गाडरबाला फीडर पूर्व में मुख्य मंत्रीजी ने स्वीकृत की थी और सरकार बदलने के बाद उसमें यह आपत्ति लग गई थी कि कोई ओएनजीसी की पाइप लाइन जा रही है। इसके बाद ओएनजीसी से किसी ने सम्पर्क नहीं किया। उस पर आधे से ज्यादा काम हो चुका है, आधा काम जो बाकी है, अगर उस फीडर का काम हो तो किसानों को लाभ मिले। दो लिफ्ट इर्रिगेशन योजनाएं हैं, पीताखेड़ा और रामा, वे लिफ्ट इर्रिगेशन योजनाएं, दस परसेंट पैसा

(श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी)
इन काश्तकारों ने जमा कराया और 90 परसेंट पैसा सरकार ने दिया, अगर उस योजना में भी सोलर पम्प की व्यवस्था हो जाए तो काश्तकारों की ये योजनाएं जो बंद पड़ी हैं, चालू हो सकती हैं।

सभापति महोदय, जल जीवन की जो बात चल रही है, 50-50 परसेंट की बात कर रहे हैं। मैं आपसे यह निवेदन करूं कि पूर्व में जो पायलट प्रोजेक्ट के तहत काम हुए थे उसमें एससी/एसटी के रेवेन्यू विलेज और अल्पसंख्यक के रेवेन्यू विलेज, इसमें 100 परसेंट पैसा यूपीए सरकार ने राजस्थान के सभी गांवों में दिया था। 90 परसेंट नहीं, 100 परसेंट। आप पता कर लें, रिकार्ड उठाकर देख लें। अभी हालत यह है कि 50 परसेंट पैसा राजस्थान की भौगोलिक परिस्थिति को देखते हुए, भारत सरकार को यह चाहिए कि जो पूर्व में पायलट प्रोजेक्ट में 90 परसेंट राशि देकर इसकी शुरुआत यूपीए सरकार में हुई थी, उसी तर्ज पर ये जल जीवन मिशन को चालू करें तो सफलता की सीढ़ियां चूमेगा।

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा): राजस्थान का हर घर टोंटी से पानी पीएगा। धन्यवाद, सभापति महोदय।

श्री सभापति: श्रीमती कल्पना।

श्रीमती कल्पना देवी (लाडपुरा): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 27 पेयजल, मांग संख्या 46 सिंचाई और मांग संख्या 38 लघु सिंचाई एवं भूमि संरक्षण पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। आज हर व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकता है कि उनको शुद्ध पेयजल मिले परंतु दु:ख की बात है कि आज भी हमारे क्षेत्र में कई लोग इस मूलभूत सुविधा से वंचित हैं। मैं चाहती हूं कि लाडपुरा की जनता को सब मूलभूत सेवाएं मिलें, जिनके वे हकदार हैं। इसी भावना को मन में रखते हुए मैं आज आपके माध्यम से अपने क्षेत्र लाडपुरा की पेयजल एवं सिंचाई की व्यवस्था और मांग सदन में रखना चाहती हूं।

हमारे संविधान के तहत पानी राज्य का विषय है, स्टेट सब्जेक्ट। इसका आनरशिप, मैंटीनेंस इन सबके अधिकार राज्य को हैं। केन्द्र सरकार फाइनैंशियल और टैक्निकल असिस्टेंस जरूर देती है और देती आई भी है। केन्द्र सरकार ने 2009-10 और 2014-15 के बीच में 72,841.99 करोड़ राज्य को दिये हैं और 2014-15 और 2018-19 के बीच में 1,60,169.31

(श्रीमती कल्पना देवी)

करोड़ राज्य को दिये हैं। अब 5 परसेंट बढ़ाकर उपलब्ध कराया है। इसका मतलब पिछले वित्त वर्ष से इस बार राज्य को 2400 करोड़ ज्यादा मिलेंगे। वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्र में केवल 13 प्रतिशत घरों में घरेलू नल कनेक्शन हैं। इसका मतलब अभी तक लगभग 87 प्रतिशत घरों में नल के कनेक्शन नहीं हैं। इन सब घरों को घरेलू कनेक्शन से जोड़ने की आवश्यकता है। आशा है कि राजस्थान सरकार आने वाले दिनों में जल जीवन मिशन के तहत समस्त ग्रामीण परिवारों के लिए नल-जल योजना को इम्प्लीमेंट कर घरेलू कनेक्शन के माध्यम से सुरक्षित एवं पर्याप्त मात्रा में पेयजल उपलब्ध कराएगी।

लाडपुरा विधान सभा क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल की कई योजनाएं बनी थीं। उनके फिर नाम बदले गये हैं, उनका बजट बदला गया। अब आलरेडी जो योजना चल रही है, वह है बोराबास मंडाना पेयजल योजना और एक और योजना जिसकी मैं बात करना चाहती हूं, वह है नोनेरा पेयजल योजना। इसकी 601 करोड़ की योजना बनी है जिसके अंतर्गत लाडपुरा विधान सभा क्षेत्र के 26 गांवों को पेयजल देना प्रस्तावित है। अभी तक इस योजना को क्रियान्वित नहीं किया गया है। इसमें एक बहुत जरूरी बात है, क्योंकि इन 26 गांवों में से 13 गांव ऐसे हैं जिसमें पानी पीने लायक भी नहीं है, इस योजना को शीघ्र क्रियान्वित करना बहुत जरूरी है।

अब मैं शहर की बात करूं तो कोटा शहर के लाडपुरा विधान सभा के डीसीएम, रायपुरा, थेकड़ा, श्रीराम नगर, प्रेम नगर, इंदिरा गांधी नगर, बाम्बे योजना, कंसुआ रायपुरा, छावनी, कोटड़ी, पूनम कालोनी तथा सोगरिया क्षेत्र में पेयजल की बहुत समस्या है। यहां की कुछ कालोनियों में तो पाइप लाइन भी नहीं बिछायी गई है। इसके कारण ग्रीष्मकाल में पेयजल की समस्या बहुत बढ़ जाती है और इन क्षेत्रों में टैंकर से पानी पहुंचाया जाता है। इन समस्त क्षेत्रों में पेयजल की आपूर्ति हेतु सम्पूर्ण क्षेत्र में पाइप लाइन बिछाएं। सम्पूर्ण क्षेत्र में सुचारु रूप से पानी पहुंचाने का प्रबन्ध किया जाए। लाडपुरा में ऐसे 35 गांव भी हैं जो अब नगर निगम सीमा में जोड़े गये हैं। परंतु इन्हें शहरी जल स्रोत से पेयजल उपलब्ध नहीं हो रहा है। शहरी एकीकृत पेयजल योजना के तहत शहर के कुछ क्षेत्र स्मार्ट सिटी में आते हैं और कई कालोनियां, खासकर जो नई बनी हैं, वह अमृत योजना में आती हैं। इन सब कालोनियों में भी अभी तक, कई कॉलोनियों में पाइप लाइन तक नहीं बिछायी गई है। शहर के प्रेम नगर, डीसीएम, रायपुरा एवं बोरखेड़ा में भारी संकट को दूर करने के लिए मेरा

(श्रीमती कल्पना देवी)

आपके माध्यम से मंत्रीजी से निवेदन है कि एक फिल्टरेशन प्लांट इस क्षेत्र में लगाया जाए और अकेलगढ़ से रॉ वाटर यहां दिया जाए।

अब मैं सिंचाई पर बोलना चाहती हूं। आपके माध्यम से मंत्रीजी से कहना चाहती हूं कि पिछले बजट में भी मैंने इन सब समस्याओं का जिक्र किया था लेकिन एक भी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। मैं इन सब समस्याओं को फिर से दोहराना चाहती हूं। उम्मीद है कि मंत्रीजी शायद इस बार समस्या का समाधान निकालें। मेरे विधान सभा क्षेत्र में मंडाना क्षेत्र है जो कि डार्क जोन डिक्लेयर्ड है। इस क्षेत्र में भू-जल स्तर इतना नीचे गिर गया है कि 700 फिट से 1000 फिट तक नीचे पानी है। यहां पानी का और कोई सोर्स नहीं है, केवल एकमात्र सोर्स चंबल नदी है। इस कारण से बहुत-बहुत सालों के प्रयास के बाद पेयजल तो पहुंचाया गया लेकिन सिंचाई का पानी अभी तक नहीं मिला है। अगर यहां सिंचाई का पानी उपलब्ध कराएंगे तो किसानों के जीवन में बहुत खुशहाली आएगी और वहां के रहन-सहन में असर पड़ेगा। पूरे क्षेत्र में इसका लाभ मिलेगा।

मैं आपके माध्यम से फिर एक बार किशनपुरा लिफ्ट योजना और बालापुरा लिफ्ट योजना के बारे में भी बताना चाहती हूं। इन दोनों लिफ्ट योजनाओं में जो सीमेंट की पाइप लाइन है, वह टूटी हुई है, इनको नयी पाइप लाइन देने की बहुत जरूरत है। इसके अलावा जो यहां मोटर चलती हैं, इनकी बिजली की दरें बहुत ज्यादा आ रही हैं। अभी जो किसान 8 रुपये प्रति यूनिट दे रहे हैं, अगर आप इन मोटर पर सोलर के पैनल लगा दें तो इनका पर-यूनिट खर्चा 8 रुपये से घटकर 2 रुपये हो जायेगा, जिससे किसान को बहुत लाभ मिलेगा।

अब हम डैम के बारे में बात करें। माननीय सभापति महोदय, इस बरसात में हम सबने देखा है कि अच्छी बरसात के कारण सभी डैम में पानी की आवक काफी हुई है। पहले हम सबको खुशी हो रही थी कि सबके बांध भर रहे थे, परंतु ये खुशी बहुत जल्दी चिंता में बदल गई क्योंकि बांधों में कुछ ज्यादा पानी आने लगा। आपने भी सुना होगा कि गांधी सागर के टूटने की भी चिंता थी। मेरा आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से निवेदन है कि बांधों के रख-रखाव पर ध्यान दिया जाए ताकि ऐसी कोई चिंता या हादसा आगे न हो।

इसी क्रम में मैं नहरों की बात करना चाहती हूं। माननीय मुख्य मंत्री ने हमारे पूर्व सांसद के आग्रह पर नहरों के लिए 1274 करोड़ स्वीकृत किए थे

(श्रीमती कल्पना देवी)

परन्तु आज भी नहरों की स्थिति काफी खराब व जर्जर है। मेरे क्षेत्र में आलनिया डैम है, नहर के माध्यम से सिंचाई का पानी दिया जाता है। यह नहर जर्जर व खराब स्थिति में है तथा टूटी हुई है। जो हमारे टेल एंड के गांव हैं वहां पर पर्याप्त पानी नहीं पहुंच पा रहा है क्योंकि बीच में ही पानी व्यर्थ बह जाता है।

(16.00 बजे)

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें।

श्रीमती कल्पना देवी (लाडपुरा): एक मिनट। चंबल नदी की सिंचाई के लिए दो मुख्य नहर कोटा में भी हैं। चंबल की दायीं मुख्य नहर शहरी इलाक़े से होकर गुजरती है। नहर की दीवार की ऊंचाई कम है, जिसकी वजह से आए दिन हादसे होते रहते हैं। अभी दो जनवरी का भी हादसा हुआ, जिसमें दो लोगों की जान गई। आज तक उनकी बाडी भी नहीं मिली।

माननीय सभापति महोदय, अंत में मैं एक गम्भीर विषय पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। ग्राम गंगाई चाके, यह रंकपुर पंचायत में पड़ता है, यह चंबल नदी के किनारे स्थित है, पानी के कटाव से यहां की सड़क कभी भी कट सकती है। मैंने स्वयं प्रशासन को इस बारे में कई बार जिक्र किया लेकिन ट्रांसफर हो जाते हैं और फिर मुझे उनको अवगत कराना पड़ता है। इस विषय पर मैंने प्रशासन को पत्र भी लिखा है, परन्तु अभी तक इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा मंत्री जी से आग्रह करना चाहती हूं कि अधिकारी इस पर विशेष ध्यान दें, यह बड़ा इश्यु है इसको नैग्लैक्ट नहीं करें।

श्री सभापति: माननीय सदस्या, समाप्त करें।

श्रीमती कल्पना देवी (लाडपुरा): सरकार इन सब मांगों पर गंभीरता से विचार करे और मेरे क्षेत्र की जनता की उम्मीदों को नजर अंदाज नहीं करे। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: ओलावृष्टि से हुए नुकसान के मुआवजे के संबंध में माननीय सदस्यों को दो-दो मिनट बोलने का वक्त दिया जा रहा है। श्री मंजीत सिंह।

शासकीय वक्तव्य

ओलावृष्टि से किसानों की फसलों को नुकसान का मुआवजा

श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): आदरणीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूं।

(श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी)

29 फरवरी की रात को अलवर ज़िले में करीब-करीब हर एक विधान सभा क्षेत्र में तेज बारिश के साथ ओले गिरने की भी घटना हुई। मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र की बात करूं, तो कोई भी ऐसी पंचायत नहीं है जिसके अंदर फसल को नुकसान नहीं हुआ हो। संडे अख़बार में भी पत्रिका कहता है, बेर और लड्डू के आकार के ओले गिरे। सभापति महोदय, जब लड्डू और बेर के आकार के ओले गिरे, मैं किसान परिवार से आता हूं, मेरा मानना है कि वहां फसलों को बहुत नुकसान हुआ होगा, सरकार को संडे को ही अपनी तरफ से वक्तव्य जारी करके किसान को राहत पहुंचाने का काम करना चाहिए था, परन्तु सरकार ने नहीं किया।

सभापति महोदय, मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र के लोगों व किसानों की मांग पर सरकार से कहना चाहूंगा कि जल्दी से जल्दी एक टीम गठित की जाए। उस टीम को प्रत्येक गांव में भेजकर गिरदावरी रिपोर्ट तैयार की जाए। ताकि किसानों को जो नुकसान हुआ है, उसका फायदा उन्हें मिल सके, उनको मुआवजा मिल सके, किसान को राहत पहुंचाई जा सके। आपने बोलने का मौका दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्रीमती शकुन्तला जी।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): सभापति महोदय, उसी दिन 29 फरवरी को शाम को पहले बारिश आई और उसके बाद ओले आए। ओले आए वह 100 से 150 ग्राम के थे, जिसकी वजह से गेहूं व सरसों की फसल लेट गई। यह अभी नहीं दिखेगा। सभापति महोदय, मेरा अनुरोध है कि आप निर्देशित करें, जिस पेड़ पर ओले गिर गए, तीन-चार दिन बाद सरसों की फसल में धोलिया लग जाएगा और सारी सरसों की फसल नष्ट हो जाएगी। आलनपुर से बानसूर तक चाहे माजरा, हरसौला, मलुआ, रायली, बगुकावास, देवसन, बाबरिया, माजरा ढाकोड़ा, अनेक गांव हैं जो इस बेल्ट के हैं, उनमें सरसों व गेहूं का बहुत अधिक नुकसान हुआ है। इनकी गिरदावरी करा कर उनको तुरंत मुआवजा दिया जाना चाहिए।

श्री सभापति: सुश्री रीटा जी।

सुश्री रीटा चौधरी (मण्डावा): सभापति महोदय, 29 फरवरी की रात बरसात के साथ हुई ओलावृष्टि से मलसीसर व झुन्झुनूं तहसील गांव के किसानों की अच्छी पैदावार होने की उम्मीद टूट गई। मेरे विधान सभा क्षेत्र में

(सुश्री रीटा चौधरी)

एक विशेष पट्टी है जिसमें आठ से नौ गांवों में सरसों, गेहूं, चने की फसल में भारी क्षति हुई है। तकरीबन 156 हैक्टेयर में से 131 हैक्टेयर में सरसों का नुकसान हुआ है।

सभापति महोदय, यहां आपदा प्रबंधन मंत्री जी बैठे हुए हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगी कि जल्दी से जल्दी इसकी रिपोर्ट मंगवाई जाए और मुआवजा दिलवाया जाए। हमारे मण्डावा विधान सभा क्षेत्र पर ओलों की बहुत कुदृष्टि रहती है, किसानों को मुआवजे से राहत पहुंचे, यही निवेदन है।

श्री सभापति: श्री गिर्राज मलिंगा जी।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): माननीय सभापति महोदय, 29 तारीख को ओलावृष्टि हुई, उससे काफी नुकसान हुआ है। सरसों, गेहूं की फसल में लागत कम लगती है लेकिन आलू की फसल है, उसमें बहुत लागत लगती है। वह नुकसान ऐसा होता है कि वह किसी को दिखता नहीं है। आलू जमीन के नीचे होता है, वह पानी से खराब हो जाता है, तो उसकी सर्वे कैसे होगी। पटवारी तो जाकर ऊपर से देख आएंगे। जमीन के अंदर आलू ज्यादा बरसात होने के कारण खराब हो गया। सरसों या गेहूं की फसल है, पटवारी ज्यादा तो कुछ जानते नहीं हैं, ऊपर से गिर गया है उसकी सर्वे तो कर लेंगे लेकिन जो नीचे गिर गया है, नीचे पानी खेत में भरा हुआ है बरसात के कारण जो गलन हो रही है, उसका सर्वे बहुत अच्छे तरीके से होना चाहिए। मेरे विधान सभा क्षेत्र के लिए तो मैं कह ही रहा हूं लेकिन मेरे विधान सभा क्षेत्र के अलावा भी पूरे ज़िले की यही स्थिति है। पूरे प्रदेश में इतने बड़े ओले कहीं नहीं गिरे जितने धौलपुर में गिरे।

श्री सभापति: धन्यवाद। संयम लोढ़ा जी। श्री रोहित बौहरा। माननीय मंत्री जी।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): सभापति महोदय, धौलपुर ज़िले में व मेरे विधान सभा क्षेत्र में ओलावृष्टि हुई है, उसकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। मेरे विधान सभा क्षेत्र की करीब दस पंचायतें इससे प्रभावित हो चुकी हैं। गेहूं की 100 परसेंट फसल नष्ट हो चुकी है। आलू की बुवाई हुई थी, आलू सड़ जाएगा, इतने बड़े-बड़े ओले थे। इतने पानी के बाद आलू सड़ जाएगा। मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है, वहां से गिरदावरी भी हो गई है, लेकिन आलू की गिरदावरी करना किसी के लिए भी बहुत मुश्किल काम है। मैं

(श्री रोहित बौहरा)

यह चाहूंगा कि इसमें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के आदमी लगें, जो देखकर आएं। आलू की फसल नष्ट हो गई है, उस पर तुरंत मुआवजा दिया जाए। जब तक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और पटवारियों का समन्वय नहीं होगा तब तक इसकी गिरदावरी प्रोपर नहीं हो पाएगी। सरसों वह गेहूं की फसल तो आपको ऊपर दिख जाती है लेकिन आलू फसल नीचे है, वह नहीं दिखती। हमारे यहां सबसे बड़ा नुकसान आलू की फसल में, गेहूं की फसल में, सरसों की फसल में हुआ है।

सभापति महोदय, आपके माध्यम से मेरी माननीय मंत्री महोदय से विनती है कि इसकी गिरदावरी तुरंत करवाई जाए। इसमें एक समन्वय एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का और पटवारियों का स्थापित कराया जाए, ताकि किसानों को उनकी खराब फसल का ज्यादा से ज्यादा मुआवजा दिया जाए।

श्री सभापति: माननीय मंत्री जी।

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय सभापति महोदय, प्रदेश में दिनांक 29.02.2020 को हुई ओलावृष्टि से फसल खराबे की जिलों से प्रारम्भिक सूचना प्राप्त हुई है, प्रारम्भिक। जिला अलवर, भरतपुर, झुन्झुनूं, धौलपुर, बारां से खराबे की सूचना प्राप्त हुई है। जिला अलवर की तीन तहसीलों, अलवर, नीमराना, रामगढ़ के 14 गांवों में 33 से 50 प्रतिशत तक खराबे की सूचना प्राप्त हुई है।

जिला धौलपुर की बाड़ी तहसील के 6 गांवों की 33 से 50 प्रतिशत तक खराबे की प्रारम्भिक सूचना प्राप्त हुई है। जिला भरतपुर की 3 तहसीलों, नदबई, कुम्हेर, रूपवास के 51 गांवों में 33 प्रतिशत से कम खराबे की प्रारम्भिक सूचना प्राप्त हुई है। जिला झुन्झुनूं की दो तहसीलें झुन्झुनूं एवं मलसीसर के 7 गांवों में 33 प्रतिशत से कम खराबे की प्रारम्भिक सूचना प्राप्त हुई है। बारां के शाहबाद तहसील के 3 गांव 33 प्रतिशत से कम खराबे की प्रारम्भिक सूचना प्राप्त हुई है। वर्तमान में गिरदावरी का कार्य जारी है जिसका समय 05 मार्च तक निर्धारित है। खराबे की वास्तविक स्थिति गिरदावरी सम्बन्धी रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही ज्ञात हो पाएगी। गिरदावरी रिपोर्ट में 33 प्रतिशत या इससे अधिक फसल खराबा प्राप्त होने पर एस.डी.आर.एफ. नोर्म्स के अनुसार कृषि आदान अनुदान देय होगा।

(मास्टर भंवरलाल मेघवाल)

माननीय सभापति महोदय, चूंकि यह 29 तारीख को अचानक रात के समय और अचानक पूरे प्रदेश के कई जिलों के अन्दर ओलावृष्टि हुई, उसके बाद में एक दिन बचा है, एक तारीख, इतने में सारी गिरदावरी एक दिन में और सारा आंकलन भी एक दिन में नहीं हो सकता। मैंने मेरे विभाग के अधिकारियों को, हमारे प्रमुख शासन सचिव महोदय को कहा है कि राजस्थान में जहां-जहां जिन जिलों में ओलावृष्टि हुई है, उनको पुन: अच्छी तरह से, क्योंकि एक दिन के अन्दर गिरदावरी हो नहीं सकती, एक दिन में पटवारी देख नहीं सकते, चार-चार पंचायतों में एक-एक पटवारी है, ऐसी स्थिति में 5 तारीख तक तो रेगुलर गिरदावरी है, लेकिन आप इसको अच्छी तरह से देखें ताकि किसान को उसका मुआवजा मिल सके।

दो नम्बर, आलू की फसल, यह बात सही है कि आलू की जो फसल है वह जमीन के अन्दर होती है और जैसा हमारे माननीय सदस्यों ने कहा है कि वहां खेत के अन्दर पानी पड़ा है, उसकी गिरदावरी कैसे सम्भव है। यह 5 मार्च की बात नहीं है, इस बात के निर्देश दिये जाएंगे, चाहे सरसों की, आपने जैसा कहा, माननीय शकुन्तलाजी और बाड़ी तथा राजाखेड़ा से आने वाले सदस्यों ने कहा है कि अन्दर वाली और ऊपर से जो खेजड़ी उगी है उनकी, तो इसकी पूरी जानकारी कर दी जाएगी, समय दिया जायेगा, कोई जरूरी नहीं है कि पांच मार्च तो केवल रैगुलर गिरदावरी की है। समय और दिया जायेगा, क्योंकि ओलावृष्टि से नुकसान हुआ है तो मैं आपको कहना चाहूंगा और विश्वास दिलाना चाहूंगा कि 5 मार्च के बाद भी, चाहे दो-तीन-चार और दिन लगें, पूरी गिरदावरी करवाई जाएगी।

राजस्थान में पटवारियों की यह परम्परा पड़ी हुई है कि कम से कम नुकसान दिखाया जाये, जो किसानों को नुकसान हुआ है उसको कम दिखाया जाये। यह पुराने समय से आदत पड़ी हुई है। पहले 75 प्रतिशत से ऊपर देते थे, फिर उसके बाद 50 प्रतिशत से ऊपर वालों को देते थे। अब मैंने तय कर दिया कि राजस्थान में एक साथ जितना नुकसान हुआ है, वह 33 प्रतिशत से ऊपर जितने हैं, उनको मुआवजा राशि दी जाये। इसके लिये पुन: कलेक्टर्स को इस बात के लिये पाबन्द किया जायेगा कि अच्छी तरह इसको देख करके इसकी पुन: गिरदावरी कराई जाए।

श्री सभापति: श्रीमती शकुन्तलाजी।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 27, 38 व 46 पर विचार

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): सम्माननीय सभापति महोदय, कटौती प्रस्ताव की मांग संख्या 27-पेयजल योजना, 46-सिंचाई, 38-लघु सिंचाई एवं भूमि संरक्षण बहुत ही महत्त्वपूर्ण विषय आज की चर्चा पर हैं। चाहे पेयजल की योजना हो, चाहे सिंचाई हो, चाहे भूमि का संरक्षण हो, सबका एक-दूसरे से सम्बन्ध है, क्योंकि जल ही तो है, जो बन नहीं सकता। चाहे कितने ही वैज्ञानिक आविष्कार हो गये लेकिन आज तक जल बनाने का ऐसा कोई आविष्कार नहीं हुआ, या ऐसा नहीं है कि जिसे हम पकड़ लें। वर्तमान में सिर्फ नदी और बावड़ियों का नाम रह गया कि यह फलां नदी है, यह फलां नदी है लेकिन नदियों का सारा का सारा पानी सूख गया। पेयजल एक महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि आगे आने वाले समय में इस विषय पर गम्भीरता से सोचने की आवश्यकता है।

सभापति महोदय, अपन समझें कि एक पी.एच.ई.डी. विभाग ही अकेला इस समस्या का समाधान कर सकता है, सच्चाई में, वास्तव में अगर पेयजल की समस्या से निजात पानी है तो पी.एच.ई.डी. विभाग, वन विभाग, पंचायती राज विभाग, राजस्व, खनिज, ये सब मिल करके एक संयुक्त बैठक करें क्योंकि यह गम्भीर विषय है और एक-दूसरे से ये सब जुड़े हुए विभाग हैं। जब तक कि बैठ करके इनकी एक संयुक्त बैठक नहीं होगी तब तक इसका समाधान नहीं निकाला जा सकता क्योंकि खनिज के कारण उनकी भी वैध हों या अवैध खानें हों, एक सीमा होती है कि वे कहां तक उसकी खुदाई कर सकते हैं। कितनी भी कर रहे हैं, कितने भी पहाड़ों को खोद रहे हैं, तो इस तरह से पानी का जल स्तर घटता जा रहा है। जहां पर पानी का भराव क्षेत्र है, चाहे पहाड़ों की तलहटी में हो, बीच में हो, जो बह करके सारा पानी वेस्ट चला जाता है, उसके लिये नदियों को मनरेगा से योजना में गहरा करवाया जाये, एक-दूसरे को जोड़ा जाये। अगर ये नदियां जुड़ी हुई होतीं और गहराई होती तो बीसलपुर का पानी बह करके वेस्ट नहीं जाता। सभापति महोदय, जितनी भी पुरानी बावड़ियां हैं, वे कचरे से भरी हुई हैं। वे भर कर बंद हो गई हैं, पंचायती राज से उनकी सफाई करवाने की आवश्यकता है। जो पुराने बांध हैं, एनिकट हैं, जो टूटे हुए हैं जिनकी दीवार टूटी हुई है उनकी मरम्मत करने की आवश्यकता है। बांध और एनिकट के जो गेट खुले हुए हैं, उनको ठीक करने की आवश्यकता है।

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

सभापति महोदय, जो हमारे अधिकारी हैं, इन सबको, ये सारे विभाग बैठ करके चाहे जमीन अब्दुल रहमान हो, वन क्षेत्र हो, कस्टोडियन हो, गोचर हो, सिवाय चक हो, आपस में बातचीत करके अगर पानी का बांध बनाने जा रहे हैं, हम तालाब बनाने जा रहे हैं किसी भी योजना के तहत, चाहे सिंचाई योजना में, तो सारे आपस में एक-दूसरे के नक्शे और पट्टे ले करके आ जाएंगे कि आप यहां नहीं बना सकते, यह इस तरह की जमीन है। आप यहां पर नहीं बना सकते। यह पुराने जमाने में बन गया तो बन गया, अब यह वापस इसकी किस्म चेंज हो गई है। कब चेंज हुई, किसने चेंज की, किसके कहने से वह बदली गई, तो यह इस तरह का सुधार नहीं होगा, आपस में बैठ करके समझौता नहीं करेंगे तो इस तरीके का नहीं होगा।

सभापति महोदय, सबसे बड़ा सवाल यह है कि उसी नदी के किनारे, उसी किस्म की भूमि में अगर कोई बहुत बड़ा होटल खोल रहा है या कोई विदेशी फैक्टरी लग रही है तो उसको लगाने के लिये तो किस्म चेंज हो जाती है लेकिन जल, जो आज की महती आवश्यकता है, उसको तालाब बनाने के लिये, एनिकट, बांध बनाने के लिये हमारे पास में उसमें शिथिलता बरतने का नहीं है तो ऐसी जगह, जहां पानी का भराव है, सर्वे करवा करके जब तक पुराने समय की तरह बांध और एनिकट बनाने की, यह बड़े दु:ख की बात है कि आज तक, जो पहले के इंजीनियर थे, वे कैसे बनाते थे, वह गांव वाले खुद बना लेते थे, लेकिन वहां एक-दूसरे का टकराव नहीं होता था। जब तक पानी भरेगा नहीं तब तक भूमि का जल स्तर ऊंचा नहीं उठेगा, अपन चाहे कितनी ही बोरिंग कर लें, कितनी ही पाइप लाइन लगा लें। लोग पलायन कर रहे हैं। सारे लोग कैम्पर से पानी मंगवा रहे हैं। मेरे बानसूर विधान सभा क्षेत्र में भी ऐसा हो रहा है। अधिकतर क्षेत्रों में बहुत ही समस्या है।

पिछली बार भी मैंने जितनी बार भी मांगें कीं, चाहे हैण्डपम्प स्वीकृत किये हों, पूरे 5 साल में हैण्डपम्प नहीं लगाये गये, पूरे पांच वर्ष में जबकि घोषणा यह कर दी थी कि हम सभी विधायकों को देंगे लेकिन पूरे पांच वर्ष में नहीं लगे, और फोटो, कागज, आंकड़ों में पिछली बार एक नम्बर पर सरकार रही थी लेकिन धरातल पर कुछ भी हुआ नहीं। चाहे कितनी ही योजना चलाई इन्होंने, जल स्वावलम्बन हो, सारी हों।

मैं अभी मंत्री महोदय का धन्यवाद करूंगी कि जिस जगह आवश्यक था, थ्री-फेज बोरिंग प्रेमपुरा हुई, बबेड़ी हुई और अजबपुरा, झीड़ा, यह पांच-सात

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

जगह जो भी दस बोरिंग हुई थी, उसमें बोरिंग हो गई लेकिन यह विभाग की तरफ से क्या कर रहे हैं कि बोरिंग एक ने कर दी है, टेंडर दूसरे को लगा रहे हैं। अभी फिर उसकी निविदा निकलेगी, फिर वह होगा, ऐसी प्रोसीडिंग करते-करते 6 महीने हो जाएंगे, पूरी गर्मी निकल जाएगी। आप कौनसे नियमों को देखते हैं? कम से कम यह तो देखें कि गांव में पानी नहीं है तो वहां पर उसको टेंडर देना, उसका बदलना, उसकी अदला-बदली करना, एक आदमी को दें, उसकी रिपोर्ट लें कि इतने दिन में यह काम होना है लेकिन आलसी की तरह बैठ करके इस तरीके से प्रेमपुरा की बोरिंग का अभी तक कनेक्शन नहीं हुआ। यह इस तरीके के जो पैंडिंग काम हैं, आपने स्वीकृत कर दिया, आपके यहां से सारी चीजें पहुंच चुकी हैं। बजट चला गया है तो फिर क्यों इस तरीके की देर हो रही है? जो ये गांव हैं, कुछ ऐसे गांव हैं जहां पर पानी दूर है और पाइप लाइन भी कुछ है और कुछ थोड़ी-बहुत सौ-दो सौ मीटर या फुट की वजह से, जिस गांव को पानी नहीं मिल रहा है। सिर्फ और सिर्फ व्यवस्था के लिए, आप सबकी यह जो व्यवस्था है वह नीरसतापूर्ण व्यवस्था है। अगर आप उसी पानी को तरीके से वितरित कर दें, दो घंटे उधर, एक घंटा उधर, एक घंटा उधर तो वह पूर्ति हो सकती है लेकिन एक बार अगर चलाकर छोड़ देंगे, अगर पाइप टूट रहा है तो टूटे, उसका खराब हो गया तो जो भी बोल्ट लगाते हैं तो हो गया तो हो गया। यह गेट वाल्व टूट गया, वहां पर एक दस-बीस रुपये की वजह से कई-कई दिनों तक गांव वालों को पानी नहीं मिलता है। अब नारायणपुर में जैसे पानी है तो लीलामढा में नहीं है, तुर्कियावास स्कूल में पानी नहीं है, टेकला की ढाणी में पानी नहीं है तो वह लीलामढ़ा के पास में कोई बोरिंग करके और उससे पाइप लाइन बिछाकर उन गांवों में पानी आसानी से पहुंच सकता है लेकिन उस विषय को यह गंभीर बना देते हैं। यह बड़ी सोचनीय बात है।

जैसे अब अजबपुरा में भी वही पानी है और बोरिंग भी है लेकिन वह पानी कई दिनों से पहुंच नहीं रहा है और जब हम फोन करते हैं तो वह वहां जाकर पानी पहुंचाते हैं तो जो ऐसी अव्यवस्था है उसको आपको सुधारने की जरूरत है।

मंत्री महोदय, नारायणपुर में भी यही हाल हो रहा है तो वहां पर जो ऊपर पानी नहीं पहुंच रहा है, वहां पर कम से कम आपके जो कर्मचारी हैं, जो नीचे वाले कर्मचारी हैं उनको आप यह निर्देशित करें कि आपको पानी की

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

व्यवस्था किस तरीके से करनी है और आप उसकी रिपोर्ट लें। यह नहीं कि कागज पर ही चिट्ठी लिखकर भेज दी और वह कागज चलेगा और उसका जवाब आ जाएगा। कृपया, आप कागज नहीं चलाएं, आप इंसानियत के नाते, आप जिस पद पर बैठे हैं, आदमी की पद से शोभा नहीं होती है, उसके कर्मों से उसकी शोभा होती है तो कम से कम इस पानी के लिए तो, यह इतना आपका धर्म भी है और आपका यह कर्म भी है तो इसमें तो आप तरीके से यह करें। जब वहां पर पानी है, पाइप लाइन है, सिर्फ उसको सुचारु रूप से चलाने की आवश्यकता है।

मंत्री महोदय, अगर आप थोड़ा-सा इसमें इनको, जो अधिकारी, कर्मचारी निष्क्रिय बैठे हैं, उनको आप सक्रिय रहने के लिए निर्देशित करेंगे तो यह सारी समस्या से, गर्मी के आने से पहले जैसे हाजीपुर में बोरिंग हो चुकी है, देवसन में बोरिंग का पानी जा रहा है लेकिन वह पाइप लाइन टूटने के कारण से नहीं पहुंच पा रहा है। यह मिश्रों का मोहल्ला है, बानसूर में एक खारिया की ढाणी है, खारीबास जो बामनवास काकड़ में पड़ता है तो वहां पर पाइप लाइन भी बिछा दी है, लेकिन पानी नहीं पहुंच रहा है। मालोड़ी है, जो नारायणपुर के पास है, बानसूर में एक शिव कालोनी है, मीणों का मोहल्ला व वाल्मीकि मोहल्ला, वहां पर पाइप लाइन भी बिछी हुई है तो जब हम कहते हैं तो दो-चार दिन चालू हो जाता है और फिर पता नहीं क्या ऐसी मुसीबत आ जाती है। लुहार वाला है, काली पहाड़ी, कल्याणपुरा, बाईवाला, हमीरपुर, हमीरपुर में पानी है, पाइप लाइन है लेकिन उसमें जो एस.सी. मोहल्ला है, ऊपर अगर आप पाइप लाइन बिछा दें तो वहां ऊपर तक उसका पानी पहुंच जाएगा मोहल्लों में, सिर्फ आपको व्यवस्था करने की जरूरत है और व्यवस्थित तरीके से यह करेंगे तो आपकी सजगता से गर्मी में परेशानी नहीं आएगी।

जनसंख्या की जो लिबरल नीति, मंत्री महोदय, सरकार ने यह घोषणा की है उसके लिए सरकार बहुत-बहुत ही धन्यवाद की पात्र है क्योंकि इससे हजारों गांव और हजारों बड़ी पंचायतें जुड़ेंगी, क्योंकि यह लकीर खिंची हुई थी और उस लकीर को, मंत्री महोदय, आपने तोड़ने का काम किया, यह बहुत ही सराहनीय है, तो अब इसे तुरंत लागू करवाने की जरूरत है। सर्वे करवाकर जो बड़ी पंचायत है, जो नियम पूरे करती है जैसे बड़े गांव हैं, यह बबेरा है, ईसरा का बास, गुंता, शाहपुर दो बड़ी पंचायतें हैं, माजरा डाकोड़ा है, ढाकला, चोढ़ाणिया, जयसिंहपुरा छींड है, कटारिया का बास है, धामला का बास,

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

रतनपुरा, बालावास, अधिरा, मैडा, तालवास, उखलेड़ा, यह भग्गू का बास, बाबरिया, रायली, आलनपुर, माजरा रावत, काकरिया, केरपुरा, मालेरा, मेहर की ढाणी, जोगियों की ढाणी, मालोड़ी, यह जो जगह मैंने बतायी हैं, यह आपस में एक जगह पर बोरिंग होकर पांच-पांच गांव जुड़ सकते हैं और थोड़ी-थोड़ी इनकी दूरी है, ज्यादा नहीं है। अगर आप इनका सर्वे जल्दी से जल्दी करवा लें और हमें निर्देशित करें तो हम भी इनके साथ जाने को तैयार हैं लेकिन यह सर्वे करने को तो चले, आगे तो सरके और सबसे ज्यादा अब बजट पानी पर ही खर्च करने का है।

एक पी.एच.ई.डी. विभाग को जब भी हम यह कहते हैं कि साहब, वहां पर हैण्डपम्प ठीक करना है या कोई कुछ खराबी है तो वह लोग गाड़ियों की परेशानी बताते हैं कि मैडम, हमारे पास गाड़ी नहीं है, हम इतनी दूर गांव में कैसे जाएंगे? मंत्री महोदय, यह हमारा भला करें या नहीं करें परंतु आप इनको गाड़ी देकर फिर निर्देशित करें कि अब अगर कोई शिकायत आएगी तो सीधा ही बड़ी कार्यवाही करो जिससे कि आगे काम चल पड़े।

जहां पर जल स्तर ऊंचा है वहां पर 20 से 30 घर की जो ढाणियां हैं, 50 घर की ढाणियां हैं, वहां पर हमें हैण्डपम्प जल्दी से जल्दी स्वीकृत किये जाएं, ए.ईएन. और जे.ईएन. से आप रिपोर्ट मंगवा लें, हम उनको दे देंगे तो वह स्वीकृति करके जल्दी से जल्दी हैण्डपम्प लग जाएं तो गर्मी के आने से पहले यह सुचारु रूप से काम चालू हो जाएगा।

एक सड़क के बारे में निवेदन करना चाहूंगी कि पी.एच.ई.डी. विभाग जो पाइप लाइन बिछाता है, माननीय सभापति महोदय, वह सड़क जो नई बनी है, करोड़ों रुपये की सड़क बनी है, उसको बीच में से जे.सी.बी. से तोड़कर यह पाइप लाइन बिछा देते हैं, तो यह कहां का न्याय है? वह या तो उस सड़क को दुबारा बनाये और सड़क को नहीं बनाये तो तोड़े नहीं, ऊपर से पाइप लाइन बिछाये। अभी हाल ही में मेरे बानसूर में भी कुछ गली मोहल्ले ऐसे हैं जिनकी सड़क तोड़ दी, रायली गांव में जो 70 साल बाद मैंने रोड बनायी 50 लाख की और उस रोड को जे.सी.बी. से तोड़ दिया। मंत्री महोदय, आप इनको कम से कम यह तो बताओ कि सड़क तोड़ दी तो या तो ऊपर लाइन बिछा दो और अगर तोड़ी है तो दुबारा से सड़क बनाएं। पूरे गांव को वापस कीचड़ में धकेल दिया तो इस तरीके के काम आपका विभाग नहीं करे। आप इनको यह निर्देशित करें कि सड़क तोड़े नहीं और अगर तोड़े तो फिर उसको बनाएं।

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

खरवा, पाली बुर्जा, इस क्षेत्र में ज्ञानपुरा साइड में पीने का पानी बिलकुल खारा है। वहां पर आर.ओ. प्लांट या सर्वे करवाकर जहां-जहां पर खारा पानी है, वहां पर आर.ओ. प्लांट लगाएं और जहां पर अच्छा पानी है नदी में बिलाली के पास वहां से उनकी सप्लाई हो सकती है क्योंकि वहां पर पाइप लाइन भी बिछी हुई है और जो ढाणी ऐसी है, जहां पर सिंगल फेज बोरिंग या सौर ऊर्जा लगा सकते हैं, जो पहाड़ी एरिया है, खरकड़ी बुर्जा, खटीकान और मेड की ढाणी, ऐसे जो मेरा पहाड़ी एरिया है, उसमें सौर ऊर्जा के प्लांट लगाने का कष्ट करें, जिससे बोरिंग से गर्मी आने से पहले लोगों को राहत मिल जाए।

बानसूर में एनिकट और यह बांध बनाने के लिए, यह ऐसी जगह है जहां गांवों में सड़कें टूट जाती हैं पानी के बहने से, पानी के भरने से तो ऐसी चीजों का यह सर्वे करवाकर जो-जो एरिया ऐसे हैं, जैसे खारिका बास का बड़ा बांध वहां पर बन सकता है और एक मोहन जोहड़ा है, जो हाजीपुर में है, उसमें भी अपन बहुत बड़ा एक बांध बना सकते हैं। रामपुर है, कल्याणपुरा है, एक झीड है, हरसोरा से आगे और धीरपुर से पहले, झीड का बांध है, बहुत बड़ा पानी का भराव क्षेत्र है नांगलहेड़ी है और पुराना भर्तृहरि है, जहां पर पानी बहुत बहता है और बेरावास है बढ़ाना की बाल, यह ढाणी है, सबलपुरा है, बबेड़ी रामतलाई है और मुण्डावरा में भोजपुरी है, एक कूल का कुंड है, वहां पर भी पानी बहता है और वह वैसे ही वेस्ट निकल जाता है। लेकड़ी है, विजयपुरा है, खरकड़ी खुर्द, जयसिंहपुरा छींड, ऊपर पूरे हमीरपुर को यह पानी मिल सकता है अगर वहां पर वह बांध बन जाए या गहरा हो जाए तो यहां पर बांध और एनिकट बनाने की आवश्यकता है।

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): अलवर जिला पूरा डार्क जोन घोषित है। चम्बल का पानी, माननीय सभापति महोदय, पिछली सरकार ने उसको सरकाया ही नहीं जरा-सा भी, हलचल ही नहीं करी, अलवर को चम्बल का पानी मिलने की आवश्यकता है। उस योजना को जो करोड़ों रुपये की योजना है उसे लागू करें और सिलीसेढ़ से जो नहर अलवर, कम्पनी बाग़ तक जा रही है, सिलीसेढ़ तिराहे से पहले नहर टूटी पड़ी है। मंत्री महोदय, आप इसकी जांच कराएं। सिलीसेढ़ की नहर जो अलवर जा रही है, सिलीसेढ़ का पूरा पानी वहां बीच में तिराहे से पहले उमरेन से आगे टूटी हुई है, बहुत पानी बह रहा है। जहां पर पानी है उसकी तो कद्र ही नहीं है।

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

मानीय सभापति महोदय, पिछली सरकार में यह जो नीरसता आयी हुई है अधिकारियों, कर्मचारियों में तो कम से कम ऐसी चीजों की यह तुरंत मरम्मत करें।

श्री सभापति: समाप्त करें। माननीय सदस्या, समाप्त करें।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): माननीय सभापति महोदय, यह अति महत्वपूर्ण विषय है। मंत्री महोदय, अब इनको आप सुचारु रूप से व्यवस्थित करने के लिए चालू करें जिससे पानी की व्यवस्था हो सके। धन्यवाद।

श्री सभापति: अमृतलालजी मीणा।

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर): माननीय सभापति महोदय, मुझे मांग संख्या-27 पेयजल, मांग संख्या-46 सिंचाई एवं मांग संख्या-38 लघु सिंचाई एवं भूमि संरक्षण पर बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद दूंगा।

माननीय सभापति महोदय, जो बात मैं कहूंगा इस सदन में सच बात कहूंगा। माननीय सभापति महोदय, आपके पीछे यह लिखा हुआ है कि- ''सभा में या तो प्रवेश न किया जाए और यदि प्रवेश किया जाए तो वहां पर स्पष्ट और सच बात ही कही जाए क्योंकि यहां पर न बोलने से या गलत बोलने से दोनों ही स्थितियों में मनुष्य पाप का भागी होता है।'' बानसूर से आने वाले एम.एल.ए. साहब ने बोला, 2019-20 का बजट आपने पेश किया और 2020-21 का बजट पेश किया लेकिन हमारे जो जनजाति क्षेत्र हैं, पहाड़ी क्षेत्र हैं, ट्राइबल क्षेत्र हैं, ईमानदारी से वहां पर एक भी हैण्डपम्प नहीं दिया। वह बजट कहां गया, यह पता नहीं लगा। आपके कहां दिक्कत आ रही है? हमारे सदन के मुखिया और नेता, वित्त मंत्री भी वही और सिंचाई मंत्री भी वही, इसके बाद भी अगर बजट की कमी आती है तो हमें सोचना पड़ेगा।

माननीय सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से यह कहना है कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो पूर्व मुख्य मंत्री वसुन्धरा जी ने माही के लिये पानी का 2 हजार करोड़ रुपये का प्रस्ताव मंजूर किया था, क्योंकि नर्मदा का पानी खूब आ गया। वह पानी वापस हमारे उदयपुर के जयसमंद झील को भरना, डायवर्ट करके नागलिया डैम से होकर, जाखम का पानी बहकर कडाणा और गुजरात के समुद्र में जाता है, उस पानी को रोककर जयसमंद को भरना और भरकर उस क्षेत्र के जितने भी गांव हैं चाहे वह

(श्री अमृतलाल मीणा)

उदयपुर पेयजल की बात हो, सलूम्बर की बात हो, लसाड़िया हो, उदयपुर कुराबड़, भिण्डर, वल्लभनगर, मावली और चित्तौड़गढ़ तक भी ले जाएं, इतना पानी है, पूरा समुद्र है।

दूसरी बात मैंने यह कही थी कि यह प्रोजेक्ट 450 करोड़ रुपये का है, सर्वे कराकर सरकार के पास विचाराधीन है। बजट भी जारी कर दिया लेकिन सरकार आज तक शुरू नहीं कर पायी है।

(16.30 बजे)

(श्री ज्ञानचंद पारख, सभापति, पदासीन)

दूसरा, मेरा यह कहना है कि उदयपुर में मेरे विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में 93 गांव, जो जयसमंद की परिधि में हैं, 72 गांव सलूम्बर के हैं और 21 गांव लसाड़िया के हैं, वह बिलकुल पानी से टच हैं, 100 और 200 मीटर की दूरी पर हैं और उसके लिये 110 लाख की राशि डी.पी.आर. बनाने के लिये मंजूर हुई थी और अभी तक शुरू नहीं कर पाये हैं।

तीसरी बात मैं यह कहना चाहूंगा कि सलूम्बर नगरपालिका क्षेत्र को शुद्ध पेयजल हेतु प्रस्तावित योजना को लागू करना था और योजना के अन्तर्गत 550 लाख, उसमें पुरानी पाइप लाइन सुधारना, दुरुस्त करना, चार जलाशयों की टंकियों का निर्माण करना था, उसकी स्वीकृति भी आ गयी लेकिन इसके बाद कार्य शुरू नहीं हो पाया है। जयसमंद से उदयपुर जो पानी जाता है, उसकी पाइप लाइन बहुत पुरानी है, उसको सुधारने की जरूरत है, नये पाइप सैंक्शन करने की जरूरत है ताकि उदयपुर और आस-पास के बड़ोदरा हो, अमरपुरा हो, उदयपुर को शुद्ध पानी मिल सके।

माननीय सभापति महोदय, मेरा यह भी कहना है कि देवेन्दा एनिकट सराड़ा तहसील में है और उसमें 27 गांवों को सराड़ा क्षेत्र के एरिये के लिये शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करनी थी और उसका प्लान भी बना है, योजना भी बनी है। सराड़ा है, चावंड है, केजड़ है, सुरकंडखेड़ा आदि-आदि गांवों के लिये है, उसको शुरू किया जाए। सोम कमला अम्बा बांध इटालीखेड़ा से डगार में जो 14 आस-पास के गांव हैं, सोम कमला अम्बा बिलकुल नजदीक है, वह भी राज्य सरकार के पास विचाराधीन है।

माननीय सभापति महोदय, टी.एस.पी. क्षेत्र में जनसंख्या का जो मामला है, वहां कोई मापदण्ड नहीं है। बहुत दूरदराज है, वहां हैण्डपम्पों की जरूरत है। हैण्डपम्प देने की बहुत सख्त जरूरत है। मेरा पी एच ई डी मंत्रीजी

(श्री अमृतलाल मीणा)

से निवेदन है, हमारे उस क्षेत्र को जहां भी जरूरत है, शहरी क्षेत्र में आज बीसलपुर का जो पानी आ रहा है, उसकी मेहरबानी उदयपुर जिले को ही है, क्योंकि पानी वहीं से ही आ रहा है और इसी प्रकार सोम कमला अम्बा की जो नहरें हैं, उसका पैसा 119 करोड़ मंजूर हुआ और अभी करीब 40 करोड़ तक के आस-पास काम हो गया है। मेरे जयसमंद झील की सारी छोटी कैनालें हैं, बड़ी कैनालें हैं, माइनर हैं, धोरे हैं और उनके लिये 147 करोड़ 70 लाख की स्वीकृति, जिसमें 40 परसेंट काम हुआ और वहां भी ठेका था और विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से पूरा घटिया काम हो रहा है। न नहरों का काम सही हो रहा है, न धोरों का हो रहा है। नहर के ऊपर न तो पुलिया बन रही हैं और साइड पटरी भी नहीं बन रही है। ऐसी स्थिति विभाग के अधिकारियों की लापरवाही से हो रही है।

माननीय सभापति महोदय, मैं एक बहुत बड़ी बात कहूंगा कि कई बार जलदाय विभाग में जो समस्या आती है, जनता जल योजना के अन्तर्गत जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के द्वारा, जलदाय विभाग द्वारा प्रदेश में छोटे-बड़े मजदूरी करने वाले ठेकेदार समयावधि प्रकरण के कारण हजारों ठेकेदारों के प्रकरण वित्त कमेटी में जयपुर चीफ इंजीनियर के मार्फत 10-15 वर्षों से अटके हुए हैं। अंतिम बिल का भुगतान भी नहीं हो पाता, इसी कारण जनता व अन्य कार्यों पर विपरीत असर पड़ता है। समयावधि के अनुसार प्रकरण की पैनल्टी फिक्स और प्रकरण वित्त कमेटी को भेजे जाते हैं, यह सही नहीं है। ऐसे समयावधि के प्रकरण की कार्यवाही जिला स्तर पर एस.ई. या खण्ड स्तर पर एक्स.ईएन. लेवल पर निस्तारण किया जाए ताकि समय पर लोगों को सही व्यवस्था मिल सके।

माननीय सभापति महोदय, मेरा आपसे यही निवेदन है कि पूर्व में सुनारका माता एनिकट आसपुर का हो, चाहे मूलेश्वर एनिकट सराड़ा में हो, चाहे गुढ़ा एनिकट सराड़ा की बात हो, कई एनिकटों की प्रशासनिक एवं वित्तीय मंजूरी मिली थी, लेकिन सरकार ने अभी तक इन कार्यों के कार्यादेश जारी नहीं किये हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि जितनी भी कैनालें हैं, आप व्यवस्थित करें चाहे वह माही डैम की हो, सोम कमला अम्बा की हो, जयसमंद झील की हो, जाखम डैम की हो, उदयसागर की हो, केजड़ की हो, हरचंद तालाब की हो, थूरघाटी की नहरों का सुदृढ़ीकरण नहीं करेंगे, निर्माण नहीं करेंगे तब तक उस क्षेत्र के लोगों को फायदा नहीं होगा।

(श्री अमृतलाल मीणा)

माननीय सभापति महोदय, मेरा एक निवेदन और है कि जयसमंद नहरों के कार्यों के लिये पूर्व भाजपा सरकार में 147 करोड़ 70 लाख की स्वीकृति मिली थी। उसका कार्य भी शुरू हो गया और दो वर्षों से नहरों का कार्य चल रहा है। कार्य की गुणवत्ता नहीं है और ठेकेदार, संबंधित अधिकारी, अधीक्षण अभियंता, उदयपुर, अधिशासी अभियंता सलूम्बर और सहायक अभियंता की भूमिका संदिग्ध है। इनकी मिलीभगत से काम सही नहीं हो पा रहा है। जयसमंद झील का कार्य धीमी गति से कराया जा रहा है। जो निर्माण कार्य वर्तमान में हो रहा है, वह बिना गुणवत्ता के हो रहा है। झील से निकलने वाली आर.एम.सी., एल.एम.सी. नहरों का लेवलीकरण और घाटियों की कटिंग भी नहीं हो पा रही है। इसके अलावा नहरों की साइड सर्विस रोड को करना था, वह भी नहीं हुआ। सभी गेटों का रिनोवेशन का कार्य भी करना था, वह भी नहीं हुआ। इसके साथ ही तुलसीनाका से भैंसों के नामला के बीच नालों के ऊपर दो पुलों का निर्माण करना था, वह भी आज की तारीख में नहीं हुआ है। जयसमंद की पाल पर पेड़-पौधों को हटाना था, क्योंकि वह मानव निर्मित झील है, विश्व की सबसे मीठे पानी की झील है और उसको सही करना था, लेकिन वह नहीं किया। जयसमंद झील से निकलने वाली बड़ी नहरें, मुख्य नहरें, छोटी नहरें, माइनर नहरें, धोरे, छोटे धोरे और सुदृढ़ीकरण के लिये पुराना प्लास्टर तोड़कर नया प्लास्टर करना था, माननीय सभापति महोदय, वह नहीं किया और पुराने प्लास्टर पर ही नया प्लास्टर चढ़ा दिया। अधिकारियों और ठेकेदारों के बीच यह स्थिति बनी है। वहां पर तराई भी नहीं करते हैं और नीचे लेवल पर जो गिट्टी करनी थी, उसको भी नहीं किया है।

माननीय सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि किसानों को आज की तारीख में परेशानी हो रही है, खेती खराब हो रही है, खेत खराब हो रहे हैं। जयसमंद से भभराना तक की मुख्य नहर का कार्य भी नहीं किया जा रहा है। कैनालों के ऊपर पुलियाओं का निर्माण भी नहीं हो रहा है और नयी पुलियाओं का निर्माण करना था, वह भी नहीं हो पा रहा है। बजट के हिसाब से अभी तक 40 प्रतिशत निर्माण कार्य किया गया है और 60 प्रतिशत बाकी है। दो वर्ष का समय हो चुका है।

इसके अलावा गोमती नदी है, जामरी नदी है, एक टीडी नदी है और सोम नदी है, वहां पर रेती का खनन हो रहा है तो वहां जीरो लेवल के एनिकट

(श्री अमृतलाल मीणा)

बनाये जाएं ताकि वहां वाटर लेवल ऊपर रहे, कुओं का पानी का स्तर ऊपर रहेगा, हैण्डपम्पों में रहेगा और रिचार्ज होगा। यह मेरा आपसे निवेदन है।

माननीय सभापति महोदय, इसके साथ एक बात और कहना चाहूंगा कि यह जितने भी पुराने तालाब हैं या बावड़ियां हैं, जो खण्डहर के रूप में हैं, उनके लिये सरकार सोचे, मंत्रीजी सोचे, मुख्य मंत्रीजी सोचें कि उनका जीर्णोद्धार हो ताकि रिचार्ज होकर क्षेत्र में जनता को पानी मिल सके। 30 और 35 वर्ष पुरानी जितनी भी पाइप लाइन है, चाहे वह जयसमंद से उदयपुर की हो, चाहे जयसमंद से सलूम्बर की हो, चाहे जयसमंद से सराड़ा की हो, चाहे सोम-कमला -अम्बा से आसपुर की हो, उन पाइप लाइनों को बदलना बहुत जरूरी है।

माननीय मंत्री जी, मेरा आपसे पुनः निवेदन है कि इस वर्ष आप हमें सौ-सौ, दो सौ-दो सौ हैण्डपम्प अवश्य दें। आज आपको घोषणा करनी चाहिए क्योंकि आप शहरी क्षेत्र में रहते हैं, आपके पानी की तो राजस्थान नहर आ रही है लेकिन हमारी पानी की स्थिति बहुत खराब है। यहां पर 75 परसेंट विधायक जो ग्रामीण क्षेत्र से चुन करके आ रहे हैं उनके बहुत भारी समस्या है आप बजट आबंटन करें। पिछली बार आपने हमें दस-दस सोलर पनघट दिए थे लेकिन डेढ़ साल हो गया है अभी तक उसके ऊपर सोलर पनघट का ढांचा नहीं लगा है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अब आप समाप्त करें।

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर): धन्यवाद, सर।

श्री सभापति: श्रीमती मीना कंवर।

श्रीमती मीना कंवर (शेरगढ़): माननीय सभापति महोदय जी, मैं सदन के माध्यम से सर्वप्रथम माननीय मुख्य मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने सभी वर्गों के हितों को ध्यान में रखते हुए आज तक का सबसे अच्छा बजट पेश किया है। साथ ही मेरे विधान सभा क्षेत्र की ट्रोमा सेंटर की वर्षों की मांग थी जिसको उन्होंने पूर्ण किया है, जिसके लिए मैं और मेरा पूरा क्षेत्र, जनता माननीय मुख्य मंत्री महोदय का तहे दिल से आभार प्रकट करते हैं।

मैं, माननीय सभापति महोदय का ध्यान मेरे विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में पेयजल सम्बन्धी समस्याओं की ओर दिलाना चाहूंगी।

(श्रीमती मीना कंवर)

फर्स्ट यह है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के 50 प्रतिशत से भी ज्यादा क्षेत्र असिंचित यानी नोन-इर्रिगेटेड क्षेत्र हैं जिसमें अधिकांश जगह जमीन में पानी नहीं है। कुछ जगह पानी है तो खारा है जो पीने योग्य नहीं है। मेरा निवेदन है कि वृहत् हिमालय जल योजना आरडी 134 व आरडी 159 के तीसरे चरण की पाइप लाइन वीटीसी पाइंट व गाय व अन्य जानवरों हेतु बनाई जाने वाली पानी की खेळियों का कार्य गुणवत्तापूर्वक नहीं हो रहा है, न ही अच्छी क्वालिटी की निर्माण सामग्री उपयोग में ली जा रही है। मैं महिला विधायक हूं, मेरे द्वारा कई बार हिमालय परियोजना के अधिकारियों को इस बारे में अवगत कराने पर भी उनके द्वारा कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से जलदाय मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगी। क्या यह सदन शेरगढ़ की जनता को पानी की समस्या से निजात दिला पायेगा? यदि हां, तो क्या ऐसे अधिकारी-कर्मचारियों के रहते हुए कार्य समय अवधि में पूर्ण नहीं होता है, इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सदन कार्यवाही करेगा?

वृहत् हिमालय पेयजल योजना आरडी 159 के फिल्टर प्लांट गंगाणी व जियाबेरी में होने वाली पानी की सप्लाई पीएचईडी के अधिकारियों की देखरेख में होती है। उनके द्वारा पिछले 8 महीनों से समय पर सप्लाई नहीं होने के कारण मेरे विधान सभा क्षेत्र के गांवों बावली, भाटेलाई, आगोला, डाडनिया, भानगढ़ सिहादा, जाटी भांडू चारणी भांडू, सोहित्रा आदि में पानी नहीं पहुंच पा रहा है, इसके कारण ग्रामीणों को एक एक-एक हजार रुपये देकर पानी के टैंकर डलवाने पड़ते हैं।

माननीय सभापति महोदय, पीएचईडी के अधिकारी अपने काम के प्रति इतने लापरवाह हैं कि गंगाणी व जियाबेरी फिल्टर प्लांट के खराब पम्पों को मेरे बार-बार आग्रह करने पर एक वर्ष में बदला गया। संवेदक व अधिकारियों की मिलीभगत से पानी की सप्लाई समय पर नहीं होने के कारण लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

मैं जिस विधान सभा क्षेत्र से आती हूं वहां ज्यादातर नौजवान सेना में व अन्य रोजगार के लिए भारत देश के अन्य प्रदेशों में रहते हैं, इस कारण मेरी माताओं-बहिनों को पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए दर-दर भटकना पड़ता है। सभापति महोदय जी, मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है कि दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करते हुए मेरी शेरगढ़ की जनता को जीवन

(श्रीमती मीना कंवर)

की मूलभूत आवश्यकताओं में से पानी जैसी समस्याओं से निजात दिलाने की कृपा करें। मेरी शेरगढ़ की जनता आपका आभारी रहेगी।

मंत्री जी ने पिछले साल पानी पर काफी बजट दिया, उसके लिए भी मैं मंत्री महोदय जी को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहती हूं। धन्यवाद देती हूं सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

श्री सभापति: धर्मेंद्र कुमार।

श्री धर्मेन्द्र कुमार (पीलीबंगा): आदरणीय सभापति जी, आपने मुझे मांग संख्या 46, 27 और 38 पर बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं।

सभापति जी, मैं सदन का और सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं जो हमारा पानी 0.6 एमएएफ है आज तक पंजाब ने हमको नहीं दिया, जिसके कारण से हमारा बहुत भूभाग सिंचित क्षेत्र से रह गया और पेयजल से भी रह गया, इसलिए मैं मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि चाहे सदन में प्रस्ताव पास करना पड़े और चाहे कैसे भी करें, हमारे हक का पानी हमें पूरा मिलना चाहिए ताकि हमारी जो पेयजल की समस्या है उसका निदान हो सके।

इसके साथ-साथ बीबीएमबी, भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड सब कुछ हमारा है फिर भी हमें उसमें बैठने का अधिकार नहीं है। अधिकारीगण बैठे हैं उनको पूछना, पंजाब में जाते हो तो आपको बाहर बैठना पड़ता है और पानी भी हमारे को उनसे भीख मांग करके लेना पड़ता है जबकि हमारा अधिकार वहां सुरक्षित है। दुःख इस बात का है कि 1965 के बाद में जब भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड का चयन हुआ था उसमें राजस्थान अपना हक सही ढंग से नहीं रख सकता और उसमें खाली बात कह करके ही अपनी बात कर सकता है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि इंदिरा गांधी नहर बनने के बाद जो कर्मचारी थे वह रिटायर हो गये और उसके पटड़े की और नहर की स्थिति यह हो गई कि वहां पर चलना-फिरना मुश्किल हो गया है। बरसात के टाइम में यदि उसमें कटाव आ जाता है तो कोई संभालने वाला नहीं है। पहले बेलदार होते थे जो नहर का रखरखाव करते थे और संभालते थे, उन बेलदारों की वहां नियुक्ति की जाए और नहर की समय-समय पर देखभाल की जाए।

हाल ही में मेरे विधान सभा क्षेत्र में रावतसर ब्रांच टूटी थी जिसके कारण से बहुत-सी कनक बिजी हुई थी जो रकबा खराब हो गया और पीबीएन

(श्री धर्मेन्द्र कुमार)

नहर भी टूटी थी परंतु सबसे बड़ी बात है कि जहां नहर टूटी वहां फसल तो बर्बाद हो गई, खराब हो गई, पर आगे काश्तकारों को जो पानी की जरूरत थी वे भी पानी से वंचित हो गये। मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि यदि नहर टूटती है तो उन काश्तकारों का पानी उनको सुरक्षित रूप से वापस मिलना चाहिए। नहर क्यों टूटी है? नहर कर्मचारियों और अधिकारियों की गलती के कारण टूटी है। रावतसर ब्रांच हाल ही में टूटी थी और कनक का जो रकबा खराब हुआ है, मंत्री महोदय, उनको क्लेम मिलना चाहिए क्योंकि वे लोग उस उम्मीद से बैठे थे पर आज वो कनक बर्बाद हो गई है। यह जो रावतसर ब्रांच नहर टूटी है इसका पिछली साल निर्माण हुआ था, यह एक सोच का विषय है और अब वापस उन्होंने शुरू किया है, भ्रष्टाचार व्यापक है, मंत्री महोदय, उसका पिछले साल निर्माण हुआ था और अब की बार 15 दिन पहले टूटी है।

इसके साथ-साथ मैं आपका ध्यान मेरे विधान सभा क्षेत्र की सेम समस्या की ओर दिलाना चाहता हूं। पिछली सरकार ने 39 करोड रुपये सेम और सिल्ट की सफाई के लिए दिये थे, काम प्रगति पर था, परंतु इस सरकार ने न तो पिछले बजट में और न इस बजट में पांच पैसे डाले और जो योजना चली हुई थी, जो भूभाग जलमग्न था वह खाली हो गया था, आज काश्त होने लायक हो गया परंतु सरकार के द्वारा द्वारा समय पर विद्युत बिल न भरने के कारण योजना का कनेक्शन कट रहा है। मंत्री महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि जब इतना भूभाग खाली हो गया और 40 सालों से लोग पीड़ित थे उस सेम के निदान के लिए कुछ तो करिये, मैं आपको हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं। इस चीज से हम बहुत दुखी हैं यह सेम हमारे लिए अभिशाप बना हुआ है। पिछली सरकार ने किया था पर आपने कुछ नहीं किया। उसकी सिल्ट सफाई और जो पुलिया ऊंची है उसको नीचा करने के लिए आप पैसे दें ताकि वहां काम चले और काश्तकार अपनी खेती कर सके। जो भूमि बंजर है, बहुत बड़ा भाग जो काश्त योग्य हो गया है आज बंजर पड़ा है। जिन काश्तकारों के 40 सालों से कुछ नहीं हुआ और वह काश्तकार मजदूरी करने लग गया और आज वह जमीन की तरफ देख कर रो रहा है क्योंकि उस जमीन में लवणीय पानी ऊपर आ गया और मिट्टी भुरभुरी हो गई जिसके कारण से फसल नहीं हो सकती। मेरा आपसे निवेदन है कि सेम पीड़ित काश्तकारों को भूमि सुधार के लिए कुछ सहायता करो ताकि वे अपना पेट भर सके, अपनी जमीन संभाल सकें और अपने बच्चों की शादी-ब्याह सही ढंग से कर सकें, नहीं तो, साहब,

(श्री धर्मेन्द्र कुमार)

रिश्ते होने बंद हो गये। यह हकीकत बात कह रहा हूं। उस भूमि को बंजर भूमि के सुधार के लिए कुछ पैसे उपलब्ध कराएं ताकि उस क्षेत्र में काश्तकार अपना काम कर सके।

मेरा आपसे निवेदन है कि भाखड़ा और गंग कैनाल मेरे विधान सभा क्षेत्र में है, पिछली सरकार ने पक्के खाले बनाए थे आपने बंद कर दिये। जो खाले बंद पड़े हैं, जो वंचित रह गये हैं उनको वापस बनाने के आदेश फर्माएं। मेरा आपसे निवेदन है कि इंदिरा गांधी नहर में 30-40 साल पहले भैरोंसिंह जी के टाइम में पक्के खाले बने थे, आज वे जर्जर हो गए हैं और एकदम खराब हो गए हैं। उनका भी पुन: निर्माण करने की व्यवस्था करें ताकि क्षेत्र में व्यवस्था सही ढंग से हो सके।

सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में घग्घर नदी का बहाव क्षेत्र है। जब पानी आ जाता है तो 5-10 गांव अलग-थलग पड़ जाते हैं। उनको मंडी में आने के लिए बहुत दूर से आना पड़ता है। 29 एसटीजी से पीलीबंगा, ढूढाणा से अमरपुरा राठान, पूनियावाला चक से भैंरूसरी रावतसर, इनमें काजवे की जरूरत है, ताकि 40-40 किलोमीटर की दूरी से न जाकर के नजदीक से निकला जा सके। घग्घर नदी में आवागमन बंद हो जाता है। इससे काश्तकारों को बड़ी परेशानी होती है।

सभापति महोदय, इसी प्रकार से इंदिरा गांधी नहर का निर्माण 1965 में हुआ था, तब इन पर पुल बने थे। आप नहर का पुन: निर्माण करवा रहे हो। इसके साथ-साथ डबली-टिबी, मोध नगर, 84 आरडी, खेतावाली ढाणी, 99 आरडी, खोड़ा 108 आरडी के पुल क्षतिग्रस्त हैं। 84 का पुल तो इतना बंद हो गया है कि बाहर से काश्तकारों को फसल लाने के लिए 30-40 किलोमीटर दूरी से रावतसर आना पड़ता है। आप जब नहर का निर्माण करवा रहे हो, रावतसर से जब हनुमानगढ़ जाते हैं तो लखवाली पर, वह पुल भी 1965 में बना था। वहां मेगा हाईवे का निर्माण हो गया है। इतने भारी-भरकम व्हिकल वहां पर चल रहे हैं जिसके कारण से कभी भी हादसा हो सकता है। नहर के पुन: निर्माण के साथ-साथ इन पुलों का भी निर्माण कराया जाए। जीडीसी, जो मेरे विधान सभा क्षेत्र में घग्घर डायवर्जन चैनल है, उसका पुल भी क्षतिग्रस्त है, उसको भी बनाया जाए।

सभापति महोदय, इसके साथ-साथ मैं मंत्री महोदय से एक ओर

(श्री धर्मेन्द्र कुमार)

निवेदन करना चाहता हूं कि हरियाणा राज्य हमारे नजदीक है। भाखड़ा का पानी हमारे यहां आता है। ओटू हैड के मार्फत से आता है। जो हमारा अंतरराज्यीय जल समझौता है, उसके तहत हमारे पानी पर उन्होंने अतिक्रमण कर रखा है। ओटू के अंदर इतनी बड़ी व्यवस्था कर ली है कि जो हमारा पानी आता था, उसको रोक लेते हैं। जब वह डूबते हैं तो अचानक छोड़ते हैं, जिससे हमारे भी नुकसान होता है। हरियाणा में घग्घर नदी के पास शहर भी हैं, फैक्ट्रियां भी हैं। उन्होंने पिछले दिनों इतना गंदा पानी छोड़ दिया जिसके कारण से भयंकर बीमारी फैल गई, फसलें भी बर्बाद हो गई। उस गंदे पानी को भी रोका जाए।

सभापति महोदय, इसके साथ ही मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना में पिछली बार काम करवाया था। मैं खुद 99 आरडी पर गया था पिछली बार। पानी आने से 2 दिन पहले गया था। 99 आरडी पर ठेकेदार काम कर रहा था। मैंने मसाला उठाया, देखा, हाथ में आ गया। फिर भी मैंने उससे कुछ नहीं कहा। मैंने उससे कहा कि जो आप काम कर रहे हो, यह काम कितने दिनों में पक्का हो जाएगा? कितने दिनों में आपकी सीमेंट स्ट्रैंथ लेगी? उसने कहा कि हमने इसमें कैमिकल डाल दिया है।

मंत्री महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना हमारी जीवनदायिनी परियोजना है। हम तो वैसे ही बर्बाद हो चुके हैं। जो ठेकेदारों ने काम किए हैं, उनकी जांच कराई जाए। 3 दिन पहले उन्होंने मसाला डाला और 3 दिन बाद में उसमें पानी आ गया। क्या इतने दिनों में सीमेंट पकाव में आ गई? क्या उसकी स्ट्रैंथ आ गई? ऐसे आनन-फानन में किया गया था। अब जो आप टेंडर कर रहे हो, उसमें भी समय सीमा निर्धारित की जाए। पिछली बार आनन-फानन में टेंडर किए गए जिससे ठेकेदार ने पानी आने के साथ-साथ ही काम किया था। वह काम उचित नहीं किया। वह हमारे हित का नहीं है। उससे अच्छा परिणाम नहीं निकलेगा।

सभापति महोदय, इसके साथ ही मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं कि पीलीबंगा शहर में पीबीएन नहर है। शहर के अंदर एक योजना बनी है। पीबीएन नहर से पानी उस योजना के लिए चाहिए। जो योजना बन रही है, उसके लिए पानी की जरूरत भी है। शहर भी बड़ा हो गया है। पीबीएन नहर से शहर के पीएचईडी विभाग को पानी दिया जाए।

इसके साथ ही मैं मांग संख्या 27 में निवेदन करना चाहता हूं कि

(श्री धर्मेन्द्र कुमार)

रावतसर कस्बे में पेयजल हेतु नहर से पानी आता है। वह पानी खुले रूप से आता है। उसके पास खेत भी हैं। उसमें लोग शौच करके हाथ धोते हैं। उसके कारण से हमें गंदा पानी पीना पड़ता है। उस पानी को ढंक दीजिए ताकि हमारे शहर को स्वच्छ पानी मिल सके। पानी हमारे पास है फिर भी ट्यूबवैलों से फ्लोराइड पानी हमें दिया जाता है। आप हनुमानगढ़ जिले में इसकी जांच कराएं कि कितने वाटर वर्क्स में फ्लोराइड पानी दिया जा रहा है? वह पानी 5 पीपीएम से ज्यादा फ्लोराइड का है। ऐसे पानी को बंद करके नहर के पानी की सप्लाई की जाए।

सभापति महोदय, इसी के साथ-साथ मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि गोलूवाला, रामपुरा, रंगमहल, अमरपुरा ढाणी, 12 पीबीएम, 14 पीबीएम, 16 पीबीएम, 5 एसटीबी, सुन्दर सिंह वाला यह पीलीबंगा खंड के हैं। 9 एएम, 10 केआरडी, भांखड़ावाला, 22 एजी, सरदारपुरा, 8 केएम, बुधवालिया, नेहरा वाली ढाणी, बिजानिया वाला, रावसर और 14 जेआरके की वाटर वर्क्स की स्कीम बनी हुई है, आपके यहां पैंडिंग पड़ी हुई है। अब वह 93.33 लाख की है, वह भी स्वीकृत की जाए।

इसके साथ-साथ रावतसर में सहायक अभियंता, कनिष्ठ अभियंता नहीं हैं। तकनीकी कर्मचारी भी नहीं हैं। पीलीबंगा ग्रामीण क्षेत्र में एक ग्रामीण ए.ईएन. की पोस्ट भी सृजित की जाए ताकि सही ढंग से पानी की व्यवस्था हो सके।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपणी योजना जिसकी जनक मेरी विधान सभा क्षेत्र है। आप झुन्झुनूं, चूरू की बात करते हो। पानी ले जाओ, हमें कोई एतराज नहीं है। जहां योजना हमारे बनी थी, उन गांवों में से भी जो शेष बच गए हैं, उनमें पानी नहीं दे रहे हैं। ऊंचाई वाले एरिये में पानी नहीं पहुंच रहा है। आपणी योजना एशिया की सबसे बड़ी योजना है। इसमें सुधार करके, इतना शुद्ध पेयजल है, जो मिनरल वाटर मिलता है, भैरोंसिंह जी के टाइम में वह योजना बनी थी।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री धर्मेन्द्र कुमार (पीलीबंगा): सभापति महोदय, एक मिनट। मैं कनक्लूड ही कर रहा हूं।

श्री सभापति: हां, एक मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री धर्मेन्द्र कुमार (पीलीबंगा): सभापति महोदय, मैं निवेदन करना

(श्री धर्मेन्द्र कुमार)

चाहता हूं कि यह रायका वाली ढाणी, लालपुरा, रामपुरा कीकरालिया, जेबीडी, 2 सी.एल.ड़ी. बचे हुए गांवों में पानी की व्यवस्था की जाए।

इसके साथ ही मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ढाणी क्षेत्र में भी पानी की व्यवस्था करें। ढाणी क्षेत्र में लोग जो पानी पीते हैं, उससे कैंसर भी होता है। हनुमानगढ़ जिले में और मेरे विधान सभा क्षेत्र में 40 परसेंट लोग ढाणियों में रहते हैं, उनको आप शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की व्यवस्था करें। आपने मुझे समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिन्द।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महेन्द्र चौधरी (सरकारी उप मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय 8 बजे तक के लिए बढ़ा दिया जाए।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि सदन का समय 8 बजे तक के लिए बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय 8 बजे तक बढ़ाया गया।

श्रीमती निर्मला सहरिया।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 27, 38 व 46 पर विचार

श्रीमती निर्मला सहरिया (किशनगंज): सभापति महोदय, आपने मांग संख्या 27-पेयजल, 46-सिंचाई एवं 38-लघु सिंचाई पर मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदय, मैं किशनगंज विधान सभा से आती हूं, वहां पर पेयजल की ज्यादा ही समस्या है। हैण्डपम्प भी लगाते हैं तो 700-800 फीट तक चले जाते हैं। हैण्डपम्प चलते नहीं हैं। वहां पर मोटरें ही सक्सेस हैं। मैं मांग करती हूं कि वहां अधिक से अधिक हैण्डपम्प स्वीकृत करें।

मेरे विधान सभा का उपखंड शाहबाद सहरिया बहुल क्षेत्र है, वहां पर अन्य समाजों द्वारा इनको पानी नहीं भरने दिया जाता है। उनकी मटकियों को फोड़ दिया जाता है। इनके लिए भी आप अलग से टंकियों की व्यवस्था करें। छोटी-छोटी टंकियों की व्यवस्था की जाए।

(श्रीमती निर्मला सहरिया)

सभापति महोदय, शाहबाद एरिये से अधिकतर मजदूर लोग पलायन कर जाते हैं। वहां पर पानी नहीं है। अगर पानी नहीं तो जीवन नहीं। शाहबाद क्षेत्र में केराई बांध का निर्माण करवाएं। यहां हमारी सरकार है और हमारे मुख्य मंत्री जी संवेदनशील हैं। मेरे एरिये से सटा हुआ मध्य प्रदेश है। वहां के मुख्य मंत्री जी से बात करके इसका निर्माण कराएं। मेरा एरिया एमपी बोर्डर से लगा हुआ है। हम जब भी बांध की मांग करते हैं तो मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री जी मना कर देते हैं। वह परमिशन नहीं देते हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय एवं मुख्य मंत्री महोदय से मांग करती हूं कि मेरे एरिये में केराई बांध का निर्माण कराएं। मेरे किशनगंज विधान सभा क्षेत्र में छेत्री घाट है, उसका भी निर्माण कराएं। मैं कहना चाहती हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में पेयजल की ज्यादा ही समस्या है। दस गांव ऐसे हैं जहां दिसम्बर में ही पानी खतम हो जाता है। दिसम्बर में ही दूसरे गांवों में पानी लेने जाना पड़ता है। मैं चाहती हूं कि वहां आस पास जितनी भी नदियां हैं उन नदियों पर छोटे-छोटे एनिकट बना दिये जाएं, वहां बरसात के समय जितना पानी आता है वह बहकर निकल जाता है, इन एनिकटों के माध्यम से जिन आठ-दस गांवों में पानी की समस्या है, इससे जल स्तर ऊपर आ जाएगा और इनके पीने के पानी की समस्या साल्व हो जाएगी।

(17.00 बजे)

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहती हूं कि हमारे यहां गणेशपुरा, खांखरा, सूण्डा के पास एक एनिकट का निर्माण करवाएं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से मांग करना चाहती हूं कि हमारे यहां रातेही बांध बिलकुल डैमेज हो गया है, टूट चुका है, इसका निर्माण नये तरीके से कराएं। इस बाँध को थोड़ा बड़ा करवा दिया जाए ताकि मेरे क्षेत्र में जो सहरिया महाकुम्भ मेला भरता है तो उस समय पानी की जो परेशानी आती है वह नहीं आयेगी। वहां से जो नदी निकलती है उसका पानी रातेही बांध की ऊंचाई बढ़ने पर अधिक रुक सकेगा, इससे वहां पर जो पानी की समस्या आती है वह नहीं आयेगी।

माननीय सभापति महोदय, हमारे बारां जिले में मेरे विधान सभा क्षेत्र को भी पेयजल स्कीम से जोड़ा गया है, इसमें मेरा पूरा एरिया लिया है इसके लिये मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहती हूं।

माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिये आपको बहुत-बहुत धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री हरेन्द्र निनामा।

श्री हरेन्द्र निनामा (घाटोल): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 27, 46 और 38 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र घाटोल जिला बांसवाड़ा से आता हूं, जिसके अंदर एल एण्ड टी कम्पनी के द्वारा पिछले कई वर्षों से पेयजल के लिये एक वृहत् परियोजना चल रही है, जिसमें टंकियां भी बन गयी हैं, पाइप लाइन भी डल गयी है। मेरे विधान सभा क्षेत्र के पीपलखूंट पंचायत समिति क्षेत्र में 30 पंचायतें प्रतापगढ़ जिले में लगी हुई हैं जो पूरा ही नोन कमाण्ड क्षेत्र है और पूरा ही एसटी बहुल क्षेत्र है, वहां पर इन पेयजल योजनाओं को शीघ्र से शीघ्र चालू किया जाए।

आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि वृहत् परियोजना मेरे विधान सभा क्षेत्र से लगी हुई तीस पंचायतों, हमारे टीएडी मंत्रीजी का छोटी सरवन का एरिया भी उसी में पड़ता है, कुशलगढ़ का एरिया भी उसी में पड़ता है, वहां पर 2200 करोड़ की लागत की जो वृहत् परियोजना है उसे शीघ्र से शीघ्र पूरा कराया जाए। इसका बहुत सारा काम मौके पर पूरा हो गया है और बहुत सारा काम बाकी भी है।

माननीय सभापति महोदय, पेयजल के लिये मेरा निवेदन है कि घाटोल के अंदर पानी की कोई कमी नहीं है। गंदोड़ा कस्बा जो पंचायत समिति बनने वाला था मगर किन्हीं राजनीतिक परिस्थितियों से वह पंचायत समिति तो नहीं बन पाया लेकिन मेरा निवेदन है कि दो किलोमीटर पास ही बेणेश्वर के पास आठ करोड़ रुपये की लागत से एक बहुत बड़ा एनिकट बना हुआ है, उस बेणेश्वर एनिकट के नाम से एक परियोजना लागू की जाए, पेयजल योजना लागू की जाए और गंदोड़ा, मोटा गांव और इस वांगड़ पटरी कहते हैं मेरे इस क्षेत्र में ठेठ संधूजी के गड़ा तक, अगर वहां से इस परियोजना को लागू करके 18 पंचायतों में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था होती है तो वहां की जनता को राहत मिलेगी। गंदोड़ा में गंदे पानी की टंकी बनी हुई है, बार-बार अधिकारियों को शिकायत करने पर भी, माननीय मंत्रीजी, इस तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है। हमारी पूर्व सरकार के समय में इस टंकी के ऊपर करोड़ों रुपये खर्च किये लेकिन विभाग ने अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया है, इस पर ध्यान दिया जाए, ऐसा मेरा निवेदन है।

माननीय सभापति महोदय, घाटोल के अंदर हरो बांध है, उसमें राज्य सरकार और स्थानीय लोगों के समझौते से हरो डैम का पानी 14 मीटर तक

(श्री हरेन्द्र निनामा)

गेज रखने का तय किया गया है, वहां पर पेयजल के लिये योजना लागू की जाए ताकि घाटोल बाजार और आस पास की 25 पंचायतों को पेयजल की योजना मिल सकती है।

माननीय सभापति महोदय, भारत के प्रधान मंत्री माननीय नरेन्द्र मोदीजी को भी मैं धन्यवाद देता हूं और आपको भी धन्यवाद देता हूं कि आप भी घर-घर नल योजना लागू करने का विचार रखते हैं। देश के प्रधान मंत्रीजी 2024 तक हिन्दुस्तान के पूरे गांवों तक पेयजल योजना के लिये पानी देने का विचार रखते हैं तो ऐसी परिस्थिति में हमारे देश, हमारे राज्य और घाटोल क्षेत्र में जनता को शुद्ध पेयजल योजना मिले। गत समय, वसुन्धराजी के समय में देलवाड़ा गांव और सेनावासा गांव, दोनों गांवों के अंदर एक बड़ी पेयजल योजना स्वीकृत की गयी थी। आज की तारीख में उस योजना में करीब-करीब 95 प्रतिशत काम पूरा हो गया है और विभाग के अधिकारियों से मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि विभाग के अधिकारियों को पाबन्द करके देलवाड़ा और दोनों जगह पेयजल योजना शीघ्र से शीघ्र चालू की जाए।

माननीय सभापति महोदय, सिंचाई परियोजना के लिये माही बांध जब बना, यह हमारे उदयपुर संभाग का सबसे बड़ा बांध है। मेरा निवेदन है कि उदयपुर संभाग के इतने बड़े डैम में जो पेयजल के लिये योजना, पिछली सरकार ने पीपलखूंट के मेरे कामटिया से लगाकर केलामेला, बोरी, थारणा, मोरवाणिया, पीपलखूंट, जैतलिया और धरियावद तक की सीमा तक के लिये पीपलखूंट हाई लेवल कैनाल के लिये 2200 करोड़ रुपये की योजना बनायी गयी थी, डीपीआर बनायी गयी थी, जिसमें विभाग को 700 करोड़ रुपये सरकार ने जमा भी करवा दिये लेकिन वह योजना आज ठण्डे बस्ते में बंद पड़ी है। माननीय सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि इस हाई लेवल कैनाल पीपलखूंट को शीघ्र से शीघ्र चालू किया जाए।

माही डैम से हमारे दो कैनाल निकलती हैं, आरएमसी और एलएमसी, जिसके अंदर आरएमसी कैनाल हमारे घाटोल विधान सभा क्षेत्र में निकलती है जो 72 किलोमीटर लम्बी है, जो गढ़ी विधान सभा क्षेत्र के टेल के गांवों तक पानी सप्लाई देती है। गये टाइम वसुन्धराजी ने 165 करोड़ रुपये स्वीकृत किये थे जिसमें एलएमसी और आरएमसी, इन दोनों कैनालों पर पेवर पद्धति से काम हुआ, लेकिन इससे सब माइनर निकली हैं, जैसे आरएमसी से भामारोड माइनर निकली है, माही डैम मुख्य से भूंगड़ा कैनाल निकली है उस भूंगड़ा

(श्री हरेन्द्र निनामा)

कैनाल के रैस्ट हाउस के पास एक हाई पावर की मोटर लगाकर सोमपुर की घाटी में पानी डालकर खमैरा कैनाल जो निकाली है और उस खमैरा कैनाल का काम शुरू हुए करीब 12 साल होने जा रहे हैं लेकिन कौनसी कम्पनी, कौनसे ठेकेदार, कब कितना-कितना काम करके चले जाते हैं उनका अता-पता नहीं। उस कैनाल के लिये भी करोड़ों रुपये खर्च हुए हैं। भूंगड़ा कैनाल में लास्ट गांव कानड़ा पड़ता है, आखरिया गांव पड़ता है, बोरपी, कैरन गांव पड़ता है, डूंगर पंचायत पड़ती है, मुड़ासेल गांव पड़ता है, लेकिन आज की तारीख में उस कैनाल की हालत इतनी खराब है, जर्जर हालत है कि किसानों द्वारा जो फसल बुवाई की जाती है, वहां टेल के गांवों के खेत में पानी नहीं पहुंच पाता है।

माननीय सभापति महोदय, ऐसी परिस्थिति में मेरा आपसे निवेदन है, सदन के माध्यम से निवेदन है कि इतने बड़े प्रोजेक्ट के बारे में मैं पुन: याद दिलाना चाहता हूं कि इससे भैरोंसिंहजी शेखावत के समय में माही डैम से सागवाड़ा कैनाल की शुरुआत की थी, वह काम तो शुरू हुआ लेकिन बीच में आपकी सरकार आ गयी, उसने सागवाड़ा कैनाल का नाम बदलकर भीखा भाई कैनाल कर दिया। मैं आपका स्वागत करता हूं। भीखा भाई हमारी उस वांगड़ पटरी में आदिवासियों के मसीहा थे, बहुत अच्छे नेता थे, इसका नाम आपने भीखा भाई कैनाल कर दिया लेकिन मेरा आपसे निवेदन है कि मैं कल ही उस क्षेत्र में जाकर आया हूं वह कैनाल आगे तक बनकर तैयार है लेकिन उसको रेजिंग करने की आवश्यकता है। जिसको नहरों वाली वितरिका कहते हैं, जो माही को क्रोस करके भीखा भाई कैनाल सागवाड़ा और डूंगरपुर के आधे इलाके में पानी देने के लिये तैयार है।

माही डैम में हमारे पानी की कमी नहीं है। शेखावत जी के टाइम में डूंगरपुर को पानी दें, बांसवाड़ा के नोन कमाण्ड क्षेत्र जो बाकी हैं, उसकी सर्वे कराकर पानी दें। मेरे आरएमसी जो निकलती है वहां पर लाम्बा घाटा के अन्दर लिफ्ट लगाएं, अमर तुंग के अन्दर लिफ्ट लगाएं, सरला के अन्दर लिफ्ट लगाओ, कंठाव के ऊपर सूखे एरिया में लिफ्ट लगाओ, हमारे बांध बांसवाड़ा में आरएमसी-एलएमसी का यही रवैया है। मेरी बहन रमीला जी खड़िया कुशलगढ़ से आती हैं, उन्होंने बात उठायी थी। हाई लेवल की सर्वे हुई है अभी कुशलगढ़ क्षेत्र में। खेड़ा धरती का नाम भी लिया था, जहां पर सूखा इलाका है तो वहां पर भी कुशलगढ़ में भी पानी दिया जाए और अन्य जिलों में भी दिया जाए। माही डैम में कोई कमी नहीं है। मैं यह बता सकता हूं कि

(श्री हरेन्द्र निनामा)

इस साल इतनी बारिश हुई कि माही डैम जैसे पंद्रह बांध और होते तो भी भर जाते। माही बांध में सोलह गेट लगे हुए हैं। माही बांध को बांधने के बाद पहली बार दस गेट खोले गये। आठ-आठ, दस-दस घंटे तक गेट खोले गये तो गुजरात में कितना पानी गया होगा? जो 23 टीएमसी पानी की शर्तें पूरी हुई थीं, वे तो इसीलिए पूरी की गयी थीं कि गुजरात को पानी देंगे, लेकिन जब कडाणा डैम का निर्माण करने की बात आयी थी तो कडाणा की जब सर्वे हुई, वह कडाणा की सर्वे आ रही थी राजस्थान की सीमा में और वहीं राजस्थान की सीमा में बांसवाड़ा जिला आधा डूबता था। जहां बांसवाड़ा की जनता ने विरोध किया तो तत्कालीन प्रधान मंत्री जी ने उनके वित्त मंत्री के रूप में मोरारजी देसाई, जो कि कैबिनेट मंत्री थे, उनको बांसवाड़ा और डूंगरपुर भेजा। जन प्रतिनिधियों से सलाह-मशविरा करने के बाद में उनके द्वारा मोरारजी देसाई के माध्यम से हमारे माही डैम का शिलान्यास किया गया जो बांसवाड़ा के लिए वरदान सिद्ध हुआ। आज हरियाली ही हरियाली है। अनाज की कोई कमी नहीं है, लेकिन कैनालों की व्यवस्था करने में जरूर कमी है।

सभापति जी, मेरा सरकार से आग्रह है कि पानी की मांग हम दूसरे जिले से नहीं कर रहे हैं। दूसरे जिले से हम पानी बांसवाड़ा में नहीं डलवाना चाहते। पानी पर्याप्त है, लेकिन व्यवस्थाओं की कमी है। उन व्यवस्थाओं की कमी की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए मैं कहना चाहता हूं कि लम्बे समय से आपके कार्यकाल में इतना बड़ा बांध बना हुआ है, उसके चीफ इंजीनियर का पद आपके द्वारा, आपके राज में खतम कर दिया गया था। इतने बड़े प्रोजेक्ट की देखरेख कौन करेगा? स्टाफ की कमी है, संसाधनों की कमी है। इतने बड़े डैम की सुरक्षा के लिए वहां पर पुलिस थाने की व्यवस्था नहीं है। मात्र तीन-चार सिपाही वहां लगे रहते हैं। कोई आतंकवादी वहां घुसकर विस्फोट कर दे तो हमारा बांसवाड़ा जिला तो आधा वैसे ही डूब जाएगा। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि इस माही डैम की सुरक्षा के लिए मौके पर पुलिस थाना भी खुलवाया जाए और इन सारी कैनालों की मरम्मत की जाए। कृषि विभाग के मंत्री जी बैठे हैं यहां।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अब आप समाप्त करें।

श्री हरेन्द्र निनामा (घाटोल): बस एक बात कहकर खतम करूंगा। बांसवाड़ा जिले में माही की वजह से मक्के की खेती इतनी होती है, जिसका

(श्री हरेन्द्र निनामा)

कृषि विभाग उदाहरण है। बांसवाड़ा ही नहीं, राजस्थान ही नहीं, पूरे देश में मक्का उत्पादन में बांसवाड़ा के किसान एक नम्बर पर हैं। यह आंकड़ा बताता है और यह कृषि मंत्री जी के विभाग के अधिकारी बताते हैं। किसानों और विभाग के अधिकारियों का इतना बढ़िया तालमेल है लेकिन, कृषि मंत्री जी आज एक मांग मैं जरूर करना चाहता हूं कि हमारे वहां कृषि विभाग में बहुत सारे पद तो आपने भरे हैं लेकिन ग्राम सेवक से लेकर ग्राम सहायक तक कृषि अधिकारियों के पद आज भी खाली पड़े हैं, उन पदों को भरा जाए। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

श्री सभापति: श्री गिर्राज सिंह।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या-27, 46, 38 पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। सभापति महोदय, पानी की समस्या हमारे यहां है, जो हमारा विधान सभा क्षेत्र है वह पूरा डांग एरिया है। धौलपुर की, करौली की एक-सी स्थिति है पानी की। सभापति महोदय, पानी की समस्या के लिए अभी तक कोई ऐसी योजना नहीं बनी है, न तो गांव के लिए बनायी गयी है और न शहर के लिए बनायी गयी है, जिससे कि पानी की समस्या का समाधान हो सके।

सभापति महोदय, जब गर्मियां आती हैं, अब आप देख लीजिएगा, होली के बाद हमारे यहां के जो गांव हैं वे सभी गांव खाली हो जाएंगे। घरों में एक-एक, दो-दो आदमी मिलेंगे, औरतें मिलेंगी, इसके अलावा कोई नहीं मिलेगा। जो मवेशी हैं, वे सभी उत्तर प्रदेश में चली जाती हैं, यमुना के किनारे जहां पानी की व्यवस्था है वहां चली जाती हैं। गांव सभी खाली रहते हैं।

सभापति महोदय, मैं मंत्री जी से मांग करता हूं कि हमारा जो डांग एरिया क्षेत्र है, इसके लिए कोई ऐसी योजना बनायी जाए, जिसमें पीने के पानी की कुछ व्यवस्था हो सके। सभापति महोदय, बाड़ी कस्बे में 2011 की जनगणना के हिसाब से करीबन 62721 की जनसंख्या है। अभी तक हमारे यहां पानी की जो पाइप लाइन चल रही है, वह 1969 से चल रही है, न तो अभी तक कोई पाइप लाइन बदली गयी है न कोई नयी टंकी लगायी गयी।

सभापति महोदय, पानी की जो समस्या है, राज्य सरकार के जो नियम हैं, उसमें हर व्यक्ति को सौ लीटर पानी उपलब्ध कराने की योजना है।

(श्री गिर्राज सिंह)

मेरे यहां तो मात्र 46 लीटर पानी ही हर व्यक्ति को मिल रहा है। सभापति महोदय, मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि बाड़ी के लिये कोई स्कीम बनकर आयी है, वह हम लोगों ने आपके पास भिजवा दी है। उसके लिए मैं मंत्री जी से निवेदन कर रहा हूं कि इसे आप इसी बजट घोषणा में शामिल करें और जो नयी कालोनियां बनी हैं, इनमें पानी के लिए नयी पाइप पाइनें बिछायी जाएं और टंकी की व्यवस्था करायी जाए।

सभापति महोदय, मेरे कुछ गांव हैं, इनकी भी स्कीम बनकर आयी है मंत्री जी के यहां। उनके लिए चार-चार, पांच-पांच किलोमीटर तक कोई पानी की व्यवस्था नहीं है। बाड़ी बाजार से पानी जाता है चार किलोमीटर दूरी से। कोई ट्रैक्टर से लेकर जाता है, कोई बैलगाड़ियों से लेकर जाता है। मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि खानपुर और बिजौली गांव की जो डीपीआर बनकर आयी है, इसकी इसी बजट में घोषणा की जाए।

सभापति महोदय, जल जीवन मिशन योजना के तहत स्कीमों को सैंक्शन करवाकर हमने बाड़ी से प्रपोजल बनवाये डीपीआर के कार्य, मंत्री जी के पास पड़ी है, मंत्री जी इन पर भी ध्यान दें।

सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में बारह हजार हैण्डपम्प हैं, इनकी देखरेख के लिए सरकार की कोई भी योजना नहीं है। दो महीने के लिए अभी जिनकी गाड़ी लग जाएंगी और दो महीने में, मतलब एक साल की ये व्यवस्था कर दें कि एक साल में फिर कोई हैण्डपम्प न तो खराब होंगे और न किसी को कोई पानी की जरूरत पड़ेगी। जो यहां पर बैठे हैं, इन लोगों को भी मैं जानता हूं कि ये सिर्फ दो महीने पानी पीते हैं। बाकी दस महीने पीने के लिए पानी कहां से आएगा? मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जो पुरानी परम्परा आपने, हमारे सामने वालों में यही था और इधर भी यही चल रहा है शुरू से लेकर अब तक। सभापति महोदय, पानी की जरूरत तो बारह महीने ही पड़ती है। आप दो महीनों के लिए सिर्फ हैण्डपम्पों के लिए विशेष अभियान चला देते हैं और जिनकी मरम्मत कर देते हैं। यह तो है नहीं कि दो महीने में गर्मी में हमें पानी की जरूरत है और सर्दी में पानी की जरूरत नहीं होती है। मैं मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि बारह महीने आपके मिस्त्री चलने चाहिए। बारह महीने आपकी गाड़ी गांव में घूमनी चाहिए। यह नहीं है कि आप दो महीने के लिए चला दें और उसके बाद आपके जेईएन-एईएन सभी के पद खाली पड़े हैं। सभापति महोदय, वे जाकर कह देते हैं कि हमारे तो अब

(श्री गिर्राज सिंह)

अभियान खतम और अब हैण्डपम्प नहीं बनाएंगे। सभापति महोदय, जब अपन पानी नहीं पिला सकते हैं तो क्या मतलब है? मैं मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि आप क्या करें, क्या नहीं करें पर ये आपकी जो गाड़ियां हैं ये गाड़ियां 12 महीने चलनी चाहिए। लोगों को तो नहाने के लिए रोजाना पानी चाहिए, पीने के लिए रोजाना पानी चाहिए, मवेशियों के लिए रोजाना पानी चाहिए, गर्मियों में ही अलग से थोड़े चाहिए। गांव में न तो कोई इतने कूलर है कि ज्यादा पानी चाहिए। जो सर्दी में चाहिए वही पानी गर्मी में चाहिए इसलिए, सभापति महोदय, 12 महीने इनकी गाड़ी रहनी चाहिए और चलनी चाहिए। मंत्री जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि या तो यह है कि मैं जानता हूं कि विधान सभा में बोलने से किसी पर कोई फर्क नहीं पड़ता है तो फिर यहां बोलने की जरूरत ही नहीं है। मैं तो यही महसूस कर रहा हूं लगभग 11 साल हो गये।

मेरे यहां एक 44 गांव की योजना है। सभापति महोदय, दो साल का टेंडर हुआ था कि दो साल में कार्य पूरा कराया जाएगा। दो साल के बाद 11 साल हो गये, आज तक उस फर्म ने कोई काम भी नहीं किया है और जो योजना है वह वैसे के वैसे पड़ी है। मैं आपसे भी दो-तीन बार कह चुका हूं, पहले सामने वालों से भी कह चुका हूं। सामने वालों ने ध्यान नहीं दिया पर अब मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कम से कम आप तो इस पर ध्यान दें कि यह योजना अधूरी पड़ी है और 44 गांवों के लिए पीने के लिए पानी है और वे कहां से पानी पी रहे हैं, यह तो मुझे ही मालूम है, आपको तो किसी को मालूम नहीं है। सभापति महोदय, मैं मंत्री जी से मांग करता हूं कि इन 44 गांवों का आज ही मुझे जवाब चाहिए कि कब तक तो यह काम पूरा होगा, होगा या नहीं होगा, यह भी आप मुझे बता दें क्योंकि मुझे रोजाना बार-बार डिपार्टमेंट के चक्कर लगाने पड़ते हैं, आपके चक्कर लगाने पड़ते हैं, कहीं आपके अधिकारियों के चक्कर लगाने पड़ते हैं, कहीं जिले में जाकर जिले वालों के चक्कर लगाने पड़ते हैं तो रोजाना के ये चक्कर काटने बंद हो जाएंगे इसलिए, मंत्री जी, आज ही इस पर जवाब दें।

सभापति महोदय, कुछ सिंचाई की बात है। सिंचाई के लिए, सभापति महोदय, जो पहले तालाब बने हैं, हमारे यहां रामसागर है, एक पार्वती डैम है, एक उर्मिला सागर है, एक तालाबशाही है। सभापति महोदय, ये तालाब राजा-महाराजाओं के बने हुए हैं। मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि करीबन इनको 100-100, 200-200 वर्ष हो गये हैं और तालाब में जो मिट्टी आती है उस मिट्टी से वे तालाब भर चुके हैं इसलिए उनकी दुबारा से खुदाई की जाए।

(श्री गिर्राज सिंह)

सभापति महोदय, चम्बल लिफ्ट योजना है, हमारे यहां जो चार बांध हैं, पार्वती डैम, रामसागर, उर्मिला सागर, तालाबशाही, इनसे निकलने वाली नहरें माइनर हैं और वे कच्ची हैं। सभापति महोदय, उनमें कुछ पक्की हो गईं, कुछ कच्ची पड़ी हैं और वे कच्ची नहरें टूट जाती हैं। अब नहर टूटने के बाद में सरकार तो उनको कोई मुआवजा देती नहीं है और उनकी जो फसल है वह ज्यादा पानी होने के कारण से खराब हो जाती है। इसलिए मंत्री जी से निवेदन है कि चारों बांधों की जो नहरें हैं इनको पक्की करायी जाएं, माइनर हैं उनको पक्का कराया जाए। अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं तो जो किसान का नुकसान हो रहा है उसका जिम्मेदार और कोई नहीं, अपना डिपार्टमेंट है और जिस डिपार्टमेंट के आप मंत्री बने हैं उस डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी बनती है। किसान का क्या दोष है? उसकी फसल तो बर्बाद हो गई। एक साल उसने तैयारी की, उसने पूरी लागत लगा दी और लागत लगाने के बाद में पूरी मेहनत और पूरा पैसा बर्बाद होने के बाद में वह नहर टूट जाती है और उसका पूरा खेत खतम हो जाता है इसलिए, सभापति महोदय, मैं मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि आप इस कार्य की व्यवस्था करें।

सभापति महोदय, कुछ एनीकट हैं, मैंने पहले भी मंत्री जी से निवेदन किया है कि हमारे यहां जो नदी है उसका पानी वैसे ही बहकर उत्तर प्रदेश में चला जाता है और यमुना नदी में चला जाता है और अभी कोई काम में नहीं आ रहा है। सभापति महोदय, जो पानी हमारे यहां से व्यर्थ बह रहा है उसके लिए एक एनिकट तो हाजीपुर में सैपऊ महादेव मंदिर के कोठरी गांव के पास, ब्राह्मणी नदी सरमथुरा रोड, ब्राह्मणी नदी संतनगर के पास उमरेह रोड पर एनीकट बनाया जाए, एक रवैई गांव के पास एनिकट बनवाया जाए।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अब आप समाप्त करें।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): सभापति महोदय, थोड़ा-सा और बचा है।

श्री सभापति: नहीं, एक मिनट में अपनी बात को आप समाप्त कर दें। जितना हो जल्दी कह दें आप।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): सभापति महोदय, जहां पर एनिकट बने हैं उनके पानी के लिए, सिंचाई के लिए पहले 100 करोड़ रुपये के करीब के एनिकट बने हैं मेरे विधान सभा क्षेत्र में 2011 में। सभापति महोदय, मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जो 100 करोड़ रुपये की लागत लग चुकी है तो इनके लिए कोई ऐसी योजना बनायें कि जो एनिकट बने हुए हैं वहां पर

(श्री गिर्राज सिंह)

सिंचाई के कार्य की व्यवस्था करें। सभापति महोदय, एनिकटों के निर्माण के लिए हमारे पास काफी जगह है। इनके अलावा भी हमारा पूरा एरिया डांग क्षेत्र है तो काफी जगह पर एनिकट हैं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें अब आप।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): मैं मंत्री जी से मांग करता हूं कि एक टोटरी गांव के पास सरकार की 3-4 हजार बीघा जमीन भी पड़ी है, सभापति महोदय, यहां पर सिंचाई के लिए एक तालाब बनाया जाए, यह काफी अच्छी जमीन है। सभापति महोदय, जो हमारा पानी उत्तर प्रदेश की तरफ चला जाता है और जो चम्बल में बहकर पानी जा रहा है, वहां पर भी एनिकट बने।

श्री सभापति: अब आप समाप्त करें। श्री अर्जुन लाल जीनगर। अब आपका अंकित नहीं होगा। श्री अर्जुन लाल जीनगर।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): 000

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आपका अंकित नहीं होगा। बैठें आप।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): 000

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): माननीय सभापति महोदय, आज सदन में मांग संख्या 27 पेयजल, मांग संख्या 46 सिंचाई और मांग संख्या 38 लघु सिंचाई एवं भूमि संरक्षण पर चर्चा हो रही है। मैं धन्यवाद देता चाहता हूं कि पानी की बचत के लिए और अण्डर ग्राउण्ड वाटर को ऊंचा लाने के लिए हमारी सरकार के मुख्य मंत्री जी ने महती योजना प्रारम्भ की थी जल स्वावलम्बन अभियान। उसके माध्यम से भूमि का जल धीरे-धीरे ऊपर आने का काम किया है, लेकिन इस बार इस बजट में क्या रखा है, क्या नहीं रखा है, गोलमाल कर रखा है। जल संसाधन विभाग ने सिंचाई के क्षेत्र में इस बार 4 हजार 557 करोड़ 87 लाख रुपये का बजट रखा और पिछले बार इन्होंने 4 हजार 675 करोड़ रुपये का रखा जो इस साल कम कर दिया, यह देखने की बात है तथा और भी बजट कम कर रहे हैं। पेयजल के अन्दर 2019-20 में 8 हजार 445 करोड़ था, इस बार जरूर इन्होंने 8 हजार 794 करोड़ 51 लाख रुपये का बजट रखा है। सरकारें बजट तो बनाती हैं और स्कीमों में बजट भी लाती है लेकिन अधिकारियों की कार्यशैली कहें या सरकार की मोनिटरिंग की कमी कहें, इस कारण से बजट 100 परसेंट की जगह 50 परसेंट ही खर्च हो पाता है, आज यह देखने की स्थिति पैदा हो रही है।

(श्री अर्जुन लाल जीनगर)

पानी का सदुपयोग हो और पानी किस प्रकार से उपयोग में ला सकें इस बात को सोचने की आज आवश्यकता है। पानी है तो जीवन है और जीवन के लिए पानी जरूरी है। यह पानी ईश्वर की देन है, धरती के अण्डर ग्राउण्ड से आएगा या फिर ईश्वर की कृपा से मानसून से आएगा। पानी किसी फैक्ट्री में पैदा नहीं हो सकता है और पानी का सदुपयोग करें तो सारा काम हो सकता है। वास्तव में पानी का दोहन बहुत ज्यादा हो गया है इस कारण से हम इस पानी की कद्र नहीं कर रहे हैं। पानी की कद्र देखनी हो तो मारवाड़ क्षेत्र में जाइए जहां पर बूंद-बूंद को इकट्ठा करके टांकों में भरकर वर्ष भर काम में लिया जाता है। यहां देखने योग्य बात है। लोग यह समझते हैं कि पानी खूब है, पैट्रोल बहुत महंगा हो सकता है, लेकिन पैट्रोल से प्यास नहीं बुझाई जा सकती है, खेती नहीं की जा सकती है। पानी की जगह पानी ही काम आएगा, पानी में बहुत बड़ी शक्ति होती है। भारत के संस्कारों में, भारत की संस्कृति में जल को देवता माना है और जल को देवता मानकर ही वे खर्च करते थे। रहीमदास जी ने भी कहा है ''रहिमन पानी राखिये, बिन पानी सब सून, पानी गये न ऊबरे, मोती, मानुष चून''। मोती का पानी चला जाए तो मोती, मोती नहीं रहेगा। मनुष्य को पानी नहीं मिले तो मनुष्य का जीवन नहीं रहेगा और चून के अंदर से पानी निकाल दिया जाए तो चून का कोई महत्व नहीं रहेगा। रहीमदास जी ने कहा और हमारे संस्कारों में भी पानी की बहुत बड़ी महत्ता है। इसको समझने की आवश्यकता है।

जहां-जहां पर भी नदी नालों के अंदर हमको आवश्यकता महसूस होती है या पानी इकट्ठा हो सकता है, वहां पर छोटे चैक डैम, नदी, नाले को बांध करके सिंचाई परियोजना बनाई जा सकती है, उनको बनाने की आवश्यकता है। राजस्थान प्रदेश में खुशहाली के लिए किसानों को खेती के लिए पानी मिल सके, यह बहुत जरूरी है। जनता के स्वास्थ्य को ध्यान में रखने के लिए शुद्ध पानी हमारे जीवन को मिल सके, यह हमको देखने की आवश्यकता है।

प्रदेश में कभी-कभी अच्छा मानसून आता है तो किसानों और जनता के चेहरे खिल जाते हैं और कभी-कभी मानसून कमजोर होता है तो लोगों के चेहरे मुरझा जाते हैं। यह हमको देखने की आवश्यकता है। हम सब चाहते हैं कि वर्षा ऋतु में हमको जो पानी मिलता है, उसको हम इकट्ठा करें। मुख्य मंत्री वसुन्धरा जी ने जो जल स्वावलम्बन योजना प्रारम्भ की थी, उसी का परिणाम

(श्री अर्जुन लाल जीनगर)

है कि आज अण्डर ग्राउण्ड वाटर हमको अच्छा मिल रहा है। राजस्थान में जनसंख्या बढ़ रही है, पानी का दोहन बढ़ रहा है। पहले जब हम छोटे थे तो नदी के अंदर नहाने जाते थे, तालाब में नहाने जाते थे, शौचालय नहीं थे, तो एक लीटर पानी से सारा काम चल जाता था। नहाने के लिए भी ज्यादा पानी नहीं चाहिए, तालाब में डुबकी लगाकर आ जाते थे। लेकिन आज एक छोटे से परिवार के लिए भी हमेशा दो सौ लीटर, तीन सौ लीटर पानी की आवश्यकता होती है, पानी का दोहन बहुत ज्यादा हो रहा है।

आज हम नदियों को खोद रहे हैं। अवैध बजरी का खनन कर रहे हैं। बजरी जैसे-जैसे खोदी जा रही है, वैसे-वैसे पानी अंदर जा रहा है। अण्डर ग्राउण्ड वाटर को बचाने के लिए या तो बजरी पर पूरे रूप से बैन लगा दिया जाए, अवैध खनन नहीं हो, जो पत्थरों के पहाड़ हैं, उनसे बजरी बनाई जाए, जिससे कारखाने भी लगेंगे, रोजगार भी मिलेगा और बजरी की समस्या का समाधान भी होगा।

आज हम गांवों के अंदर देखते हैं। पांच-पांच सौ फीट और हजार फीट तक बोरिंग करते हैं, कभी-कभी सूखे भी निकलते हैं। आज पानी की स्थिति बड़ी खराब है और उद्योग धंधे इतने लग गये हैं, उद्योगों में इतना पानी काम आता है। आज मेरे क्षेत्र के अंदर हिंदुस्तान जिंक दरीबा लगा हुआ है, पानी का इतना दोहन होता है जिसकी कोई हद नहीं है। छोटे-छोटे केमिकल के कारखाने लगे हैं, वहां भी पानी की आवश्यकता होती है, पानी का दोहन बहुत करते हैं तथा उसमें से निकलने वाले अपशिष्ट और दूषित पानी को वापस बोरिंग के माध्यम से धरती के अंदर डाल देते हैं। आज वहां के आस-पास के इलाकों के अंदर जहरीला पानी निकलता है, फ्लोराइडयुक्त पानी हो गया है। इस बात को हमको देखने की आवश्यकता है।

एक बार मैं हिंदुस्तान जिंक के आस-पास के गांवों का दौरा कर रहा था तो एक व्यक्ति ने मुझे बुलाकर कहा कि साहब, विराजिए, चाय बनाते हैं, तो उन्होंने कहा, चाय यहीं बना लेते हैं। बिना आग के, दूध लाये, पानी लाये, दोनों को मिक्स किया, चाय की पत्ती नहीं डाली और दूध और पानी को हिलाया और दूध फट गया। ऐसा जहरीला पानी हमारे क्षेत्र के अंदर है। मैं चाहूंगा कि अपशिष्ट पदार्थ पैदा करने वाली जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं उन पर रोक लगाई जाए। जिन इलाकों के अंदर ऐसे कारखाने लगे हुए हैं वहां पर

(श्री अर्जुन लाल जीनगर)

सीएसआर मद से शुद्ध पेयजल की व्यवस्था कराने की जिम्मेदारी उन कारखानों को देने की आवश्यकता है।

मेरे क्षेत्र में पिछली सरकार ने कई आर.ओ. लगाये लेकिन वर्तमान सरकार में उन आर.ओ. को ठीक करने वाला भी नहीं है। मैंने कई बार शिकायत की है लेकिन उन आर.ओ. को अभी तक ठीक नहीं किया जा रहा है।

मेरे क्षेत्र में कई छोटी-छोटी जनता जल योजनाएं चालू हैं। उन जनता जल योजनाओं के बिल इतने भारी हो रहे हैं। अब आप देखें हैं सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य भी बोलें, प्रतिपक्ष के सदस्य भी बोलें कि बिजली के बिल बहुत भारी हैं। बिजली और पानी का महकमा एक ही मंत्री जी के पास है। दोनों विभागों में तालमेल नहीं है, तालमेल नहीं होने के कारण, इधर बिजली के कनेक्शन काटे जाते हैं, पानी से लोग मोहताज हो रहे हैं। मेरा आग्रह है जितनी भी जनता जल योजनाएं हैं, वहां पर सोलर पैनल लगाये जाए, सोलर की मोटरें डाली जाएं ताकि यह बिजली के बिल का झंझट खतम हो जाए। मंत्री जी से आग्रह करेंगे ये काम हो जाए ताकि लोगों को शुद्ध पेयजल मिल सके।

मेरे क्षेत्र में शुद्ध पानी के लिए मातृकुंडिया बांध है, कपासन बांध है, भोपालसागर बांध है, बड़गांव बांध है। इन सब बांधों के अंदर पीने के लिए पानी आरक्षित करने की आवश्यकता है। घोसुंडा डैम हमारे क्षेत्र में है। हमने पिछली सरकार में योजना बनाई थी राशमी, कपासन, भोपालसागर, भदेसर, चित्तौड़ को शुद्ध पेयजल घोसुंडा डैम से मिल जाए। हिंदुस्तान जिंक का यह डैम है, वह पानी लेता है। डैम तो सरकार का है लेकिन हिंदुस्तान जिंक को रख-रखाव के लिए दे रखा है और पानी के लिए, वे भी पानी लेते हैं। दरीबा के अंदर भी घोसुंडा का पानी जा रहा है, पाइप लाइन लगी हुई है। मेरा आग्रह है कि हिंदुस्तान जिंक से भी सीएसआर मद में पैसे लेकर के गांव के अंदर और पूरे उपखण्ड में और विधान सभा क्षेत्र में शुद्ध पानी पहुंचाया जाएगा तो ठीक रहेगा।

नदियों का पानी इतना दूषित हो गया है, जिसकी कोई हद नहीं है। मेरा आग्रह है कि अनोपपुरा, दरीबा, कोटडी, जाश्मा, उसरोल ये ऐसे गांव हैं जो हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड दरीबा के आस पास के, बीलिया व नगरी चित्तौड़ हिन्दुस्तान जिंक के पास में है, यहां पर इतना दूषित पानी हो गया है कि वहां

(श्री अर्जुन लाल जीनगर)

पर जन-जीवन बिलकुल जहरीला पानी पी रहा है। ऐसी स्थिति हमारे सामने आ रही है। मेरा सरकार से आग्रह है जब पानी मिल जाएगा, तब जाकर के हमारा जीवन आगे बढ़ पाएगा। शुद्ध पानी मिले, चाहे आर.ओ. के माध्यम से हो, चाहे मीठे जल का स्रोत बनाकर के हमको पानी मिल सके, तभी सारा काम होने वाला है।

सिंचाई के लिए मेरा इतना ही आग्रह है। मेरे क्षेत्र की कई महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, जैसे बड़गांव बांध है, भोपालसागर बांध है, जाश्मा बांध है, धमाणा बांध है, मातृकुंडिया बांध है, डिंडोली बांध है, उंचिया बांध है, ऐसे छोटे-मोटे कई एनिकेट वगैरह, जो बनास नदी पर बने हैं, उन परियोजनाओं के रख-रखाव के लिए भी और उनकी जितनी भी आवक है उन आवक को भी पक्की करवाने की आवश्यकता है। ये जितने भी बांध बनाये वे बनास नदी से फीड होते हैं और बनास नदी में जब-जब भी अधिक पानी आता है तो वहां से फीड करने वाली जो छोटी-छोटी नहरें हैं, उन फीडर्स को मरम्मत करवाने की आज आवश्यकता है। मैं मंत्री जी से मांग करूंगा कि उन फीडर्स को दुरुस्त करा दे ताकि पानी अधिक मिल सके।

मेरा आग्रह है, मेरे क्षेत्र में बहुत बड़ा मातृकुंडिया बांध है। जब मैं आठ-दस साल का था तब उसका निर्माण प्रारम्भ हुआ। 50 साल पहले यह बांध बना, उस समय उसकी लागत थी 25 करोड़ रुपया। ये 1280 एमसीएफटी भराव क्षमता का बनाया, मातृकुंडिया को मेवाड़ का हरिद्वार कहते हैं। मातृकुंडिया बांध, बनास नदी पर बनाया गया, 54 किलोमीटर लम्बी मेजा फीडर बनाकर, मेजा बांध को फीड कर रही है। मुझे बड़ा गुस्सा भी है तत्कालीन सिंचाई मंत्री पर और तत्कालीन अधिकारियों पर कि उन्होंने राशमी क्षेत्र के लिए, जहां पर बांध बन रहा है, राशमी क्षेत्र के लिए बांध का एक बूंद पानी आरक्षित नहीं किया गया। क्या दोष था उन लोगों का उस समय जो हमारे क्षेत्र के लिए एक बूंद पानी आरक्षित नहीं किया और सारा का सारा पानी भीलवाड़ा ले गये। सभापति महोदय, मेरा इतना आग्रह है कि जो 50 एमसीएफटी पानी हमने लड़ झगड़कर 1993 में, जब शेखावत साहब मुख्य मंत्री थे, उस समय मैंने लड़ाई करके, सदन में नियम 131 के माध्यम से प्रस्ताव लाकर के 50 एमसीएफटी पानी मातृकुंडिया बांध का बनास नदी में रिचार्ज करने के लिए छुड़वाने का आग्रह किया था, वह पास हो गया। इस बार

(श्री अर्जुन लाल जीनगर)

हठधर्मिता के कारण, मैंने मुख्य मंत्री जी को पत्र लिखा, लेकिन 50 एमसीएफटी पानी बनास नदी को रिचार्ज करने के लिए नहीं छोड़ा गया है। मैं यह चाहता हूं कि ऐसा प्रबंध किया जाए कि 50 एमसीएफटी पानी नदी के अंदर छोड़ा जाए और बनास नदी के ऊपर जो मातृकुंडिया का बांध बना है, मेरे क्षेत्र में बना हुआ है, इस बांध के पानी का उपयोग राशमी क्षेत्र के लोगों के लिए होना चाहिए। भीलवाड़ा के पेयजल के लिए जो पानी मातृकुंडिया बांध से ले जाते हैं। पेयजल हेतु सारा पानी अब भीलवाड़ा के लिए चम्बल से आ रहा है...

श्री सभापति: माननीय, एक मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): जब भीलवाड़ा में चम्बल का पानी आ गया है, तो वहां क्या जरूरत है इसलिए उस मातृकुंडिया बांध के पानी को मेरे क्षेत्र को दिया जाए, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं और 50 एमसीएफटी पानी मेरे क्षेत्र के लिए बनास नदी को रिचार्ज करने के लिए दें। एक निवेदन और है कि जो मातृकुंडिया का डैम है वह अभी क्षतिग्रस्त है, वहां की नहरें और वहां की पाल अभी क्षतिग्रस्त हैं, पानी वेस्टेज होता है, सीपेज होता है। लोगों की सैकड़ों बीघा जमीन खराब हो जाती है इसलिए उसका पूरा प्रबंध करके सीपेज के पानी को नदी में डालने का काम करें।

आपसे मेरा एक ही निवेदन है कि मेरे क्षेत्र के अंदर कुछ पेयजल योजनाएं हैं, उनकी टंकियां जर्जर पड़ी हुई हैं। रेवाड़ा की, पहुना की और अकोला की, यह बस्ती क्षेत्र में है और बस्ती क्षेत्र की टंकियां जर्जर हैं। विद्यालय के पास गांव के बीच में बनी हुई हैं। कभी भी गिर सकती हैं। मैंने मंत्री जी से कई बार आग्रह किया है कि उन पर पूरा बजट दे करके उन टंकियों को गिरा करके नई टंकियां बना दें ताकि हादसा होने से भी बच जाएगा और लोगों को अच्छा पानी भी मिले, इसके लिए उसमें पानी भी भर सकते हैं।

श्री सभापति: धन्यवाद, माननीय सदस्य।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): अंत में एक निवेदन और है, मेरे क्षेत्र में लुहारिया एक बहुत बड़ा बांध है। उसको हमने जन सहयोग से, हमारे सांसद महोदय और हमने मिलकर खुद ने काम करके उस फीडर की 20 किलोमीटर की आवक को ठीक करवाया है लेकिन उसको पक्का करवा देंगे तो वह पानी वेस्टेज नहीं होगा और सारा पानी बांध में जाएगा। यह मैं निवेदन

(श्री अर्जुन लाल जीनगर)

करना चाहता हूं। यह जितनी छोटी-छोटी आवक है बनास नदी की और बनास नदी के ऊपर मैंने 11 एनिकट बना रखे हैं। ईश्वर की कृपा रही कि इस बार पूरी की पूरी नदी भरी हुई है और पानी की कोई कमी नहीं है, लेकिन मातृकुंडिया के हमारे हक के पानी से जो अधिकारी हमको वंचित रख रहे हैं, मेरा मंत्री महोदय से आग्रह है कि हमारे हक का पानी हमको मिले। यदि हमारे हक का पानी हमको नहीं मिलेगा तो आने वाले समय में जनता में भारी रोष रहेगा, यही मैं आग्रह करना चाहता हूं।

श्री सभापति: आप बैठें, माननीय सदस्य।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): आपने समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री महेंद्रजीत सिंह मालविया।

श्री महेन्द्रजीत सिंह मालविया (बागीदोरा): माननीय सभापति महोदय, मुझे आपने मांग संख्या 27, 46 और 38 पर बोलने का मौका दिया, धन्यवाद। वैसे तो मैं बोलना नहीं चाहता था लेकिन आज इच्छा हो गई क्योंकि मैं दक्षिणी राजस्थान से आता हूं और दक्षिणी राजस्थान को चेरापूंजी कहते हैं। राजस्थान का सर्वाधिक पानी बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, प्रतापगढ़ और हमसे लगा हुआ पूरा कोटा डिवीजन, जो मध्य प्रदेश से लगा हुआ है और आसपास में भारी जंगल और नदी और नाले हैं और भगवान की ऐसी कृपा है कि भौतिक संसाधन इतने दिए हैं और उसी का दोहन एनिकट के रूप में, तालाब के रूप में, बिजली घर के रूप में, चैक डैम के रूप में आपने और हम सबने किया है और इसी का परिणाम है कि आज धरती का भूगोल बदला है, इंसान की तकदीर बदली है। मैं ट्राइबल क्षेत्र से हूं गरीबी क्या होती है, पानी का मूल्य क्या होता है, अनाज क्या होता है, भुखमरी क्या होती है, इसको बहुत करीब से जाना है।

मैं अपनी बात को माही डैम से शुरू करता हूं। कई सालों पहले हमारी सरकार ने एक सपना देखा होगा कि वर्षों से माही का पानी बहकर समुद्र में जा रहा है, उसको रोका जाए और उस पानी को रोका। मैं जब कालेज के अंदर विद्यार्थी था तब तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने उस कैनाल का, माही के दोनों कैनाल का, लैफ्ट और राइट दोनों कैनाल का बटन दबाकर शुभारंभ किया था। सभापति जी, उससे पहले बांसवाड़ा को लोग बहुत हीन भावना से देखते थे बल्कि इस तरह से भी लोग कहते थे कि अगर किसी को

(श्री महेन्द्रजीत सिंह मालविया)
सजा देनी है, काले पानी की सजा देनी है तो उसका ट्रांसफर कर दो बांसवाड़ा में या डूंगरपुर में। आज वह बांसवाड़ा का स्वरूप बदल चुका है। एक बार कोई अधिकारी या नेता बांसवाड़ा में आ जाता है तो वापस अपने क्षेत्र में जाने का नाम नहीं लेता है। मुझे इस बात को कहते हुए गर्व है कि बांसवाड़ा में उस माही के वरदान की वजह से, हमारी जीवन रेखा की वजह से 12 महीने मक्का का उत्पादन हो रहा है, 12 महीने। आज भी बांसवाड़ा में अगर हम जाकर के देखते हैं तो ऐसा लगता है कि बरसात का मौसम है। आखिर में यह परिवर्तन कहां से आया, किसने किया? आज सदन में जितने भी हमारे माननीय सदस्य बोले हैं इन तमाम सदस्यों ने, चाहे हमारे क्षेत्र का हो, चाहे बाहर के क्षेत्र का हो सबने माही का नाम लिया है, जाखम, सोम कमला अम्बा का नाम लिया है, जयसमंद डैम का नाम लिया है, देवास परियोजना का नाम लिया है, भाखड़ा नांगल, गांधी सागर का नाम लिया है और जितने भी नाम लो, उतने कम हैं। यहां पर हम नाम नहीं ले पाएंगे इतने नाम हैं। इंदिरा गांधी नहर का नाम लिया है। माही राजस्थान के अंतिम दक्षिणी भाग में है और वहां पर पहले जो चीफ इंजीनियर थे वह चले गए और पोस्ट को खतम कर दिया। एडिशनल चीफ की पोस्ट खतम कर दी, अब मात्र एसई के भरोसे माही है। माही का पानी इतना है, अगर सही में यह विभाग इस बात को समझ ले, यहां बैठे हैं उनमें मैं समझता हूं कि एकाध ने भी माही को देखा कि नहीं देखा होगा, माही को देखा भी नहीं होगा।

मैं ईमानदारी से पूरे सदन को इस बात से अवगत कराता हूं, यहां हमारे सीनियर कटारिया साहब बैठे हुए हैं। जो मध्य प्रदेश से पानी बहकर आता है और बांसवाड़ा में एक बूंद पानी नहीं गिरता है, पूरा का पूरा कैचमेंट हमारा मध्य प्रदेश का है और मध्य प्रदेश के पानी गिरने की वजह से हमें माही के 14 में से 14 गेट खोलने पड़ते हैं और जब गेट खोलते हैं तो डैम भी हिलता है और जमीन भी हिलती है और लोग भी कांपते हैं। आज 50 साल हो गए इस डैम के पानी के, यह माही के जितने बड़े अधिकारी, सरकार चाहे इधर की हो चाहे सरकार उधर की हो, कभी किसी ने इस बात की तरफ ध्यान नहीं दिया कि जो हम पानी छोड़ रहे हैं उस पानी को हम किसी भी तरह से उठाकर प्रतापगढ़ में छोड़ दें तो वह पानी अलवर, भरतपुर और हरियाणा तक जा सकता है, दिल्ली तक जा सकता है पानी। विभाग अगर इस बात को नहीं समझ सकता तो मैं कोई इसका स्टूडेंट तो नहीं हूं, मैं तो आर्ट्स का स्टूडेंट हूं

(श्री महेन्द्रजीत सिंह मालविया)

लेकिन जो डाउनस्ट्रीम में आपका पानी जा रहा है वहीं पर आप बिजली का उत्पादन करो और उस बिजली के उत्पादन से वहीं पम्प लगाओ और पम्प लगाकर उस पानी को प्रतापगढ़ में रख दो, इसके बाद में डाउनस्ट्रीम खाली फ्लो से पानी, ग्रेविटी से पानी जाने वाला है। सभापति जी, मैं सदन से कहना चाहता हूं कि इसके बदले क्या होता है कि पूछते हैं कि माही के गेट कब खुलने वाले हैं। पता लगा लेते हैं कि कितना हुआ, 280 हुआ या 281 हुआ, चलो अब माही के गेट खुले हैं, इसको देखने के लिए जा रहे हैं। इसलिए नहीं जाते कि वहां जाकर उसको कैसे किया जा सकता है। मैं सदन के माध्यम से, सभापति जी, आपके माध्यम से सरकार को और हमारे मंत्री जी को कहना चाहता हूं कि पिछली सरकार में मंत्री था, तब भी मैंने इस बात को कैबिनेट में रखा था कि उसका सर्वे तो करवाओ, सर्वे करके उस पानी को उठाओ। आज जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर वहां पर दो-दो, तीन-तीन साल तक पानी नहीं गिरता है, उस पानी को मात्र 2 महीने उठा लो, 3 महीने उठा लो और प्रतापगढ़ में डाल दो तो रास्ते में पड़ने वाले नदी, नाले, खेत, खलिहान सब लबालब हो जाएंगे। इतना ही कर दो आप। मैं समझता हूं कि आज मेरी बात उठाई जा रही है और विभाग के तमाम अधिकारी वहां पर हैं और मंत्री जी तो मैं जैसे बोलने के लिए उठा और पता नहीं कहीं उठकर चले गए।

मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि आप इसकी कमेटी बनाओ। आप उच्च अधिकारियों की कमेटी बनाओ कि इस पानी को हम उठा कर यहां क्यों नहीं डाल सकते हैं और जब मंत्री जी जवाब दें तो इस बात को कहने की कोशिश करें। नहीं समझ में आये तो मंत्री जी को अलग से अधिकारी उनसे चर्चा करें कि वह व्यक्ति यह बात क्या कह रहा है। इसको समझने की कोशिश करो।

अभी हमारे सदस्य ने अपर कैनाल और अपर हाई लेवल कैनाल की बात कही है, जब भी अधिकारियों से पूछा जाता है कि हम यह कैनाल निकालना चाहते हैं तो अधिकारी कहते हैं कि हमारे पास पानी कहां है। मैं उनसे कहना चाह रहा हूं कि आपके पास पानी नहीं है, मैं मान लेता हूं, लेकिन जो अपर लेवल कैनाल है और हाई लेवल जो दोनों के कैनाल हैं, जब हम पानी को गेट खोलकर निकालते हैं, उस पानी को अगर गेट खोलकर नहीं निकाल सकते हो तो अपर कैनाल और हाई लेवल कैनाल से उस कैनाल के माध्यम से निकाल दो, क्योंकि जो हमारा डैम भरा जा रहा है वह तो मध्य प्रदेश के पानी

(श्री महेन्द्रजीत सिंह मालविया)

से भरा जा रहा है। अगर इन दोनों कैनाल से पानी को हम इस रास्ते से निकालते हैं तो अपर हाई लेवल कैनाल में, यह हमारे टीएडी मंत्री जी बैठे हैं, उनका बांसवाड़ा विधान सभा क्षेत्र है, यहां बैठी हुई कुशलगढ़ की विधायक, उनका विधान सभा क्षेत्र, मेरा विधान सभा क्षेत्र और जो 23 टीएमसी पानी गुजरात बार-बार मांगता है, उस 23 टीएमसी पानी को आप गेट खोलकर मत दो। वह मेरे बागीदोरा विधान सभा क्षेत्र के माध्यम से सीधा फतेहपुरा-संतरामपुर होकर 23 टीएमसी पानी गुजरात के किसान को सीधा दे दो, लेकिन यह काम तो करना नहीं हमको। इसके लिये दिमाग कौन लगाये। मुझे कहते हुए दुख भी है, खुशी भी है, एक सवा साल पहले हम वहां बैठे थे और वहां वाले यहां बैठे थे, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, इसी सदन में लास्ट बजट में माननीय मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की कि मैं अपर हाई लेवल कैनाल के लिये 2 हजार करोड़ रुपये की घोषणा करती हूं और उसके साथ ही इन्होंने घोषणा की कि सज्जनगढ़ और गांगड़ तलाई से जो अनास नदी बहकर जा रही है, उस अनास नदी पर कमला डैम बनाने के लिये भी मैं 2 हजार करोड़ की घोषणा करती हूं। यहां हमारे अधिकारी बैठे हुए हैं। आज आप हमको समझाएंगे कि जो डैम बना रहे हैं उसमें कैनाल भी निकाल रहे हो और जिस कैनाल के माध्यम से पानी पीने वाला है वह जमीन तो पूरी डूबी जा रही है तो फिर आप कैनाल किसके लिये निकाल रहे हो, आप डैम किसके लिये बना रहे हो? चलते हुए सदन में इसका विरोध हुआ, हम सड़कों पर चले गये। एक ओर हम कडाना में डूब गये, दूसरी तरफ हम माही डैम में डूब गये, तीसरा 2 हजार करोड़ का सोम कमला डैम बनाकर दो पंचायत समिति डुबा रहे हो। चलते हुए सदन में उस डैम बनाने की घोषणा को वापस लिया। यह किन अधिकारियों ने उनको सलाह दी, उन्होंने वापस घोषणा कर दी कि जो अनास नदी मध्य प्रदेश से बहकर आ रही है, उस नदी पर श्रीजोम डैम बना दिया जाये। हमको खुशी होगी कि छोटे-छोटे डैम बना दो, इसके लिये हम कोई काम कर लेंगे। न तो उस तालाब का कोई ठिकाना हुआ, न श्रीजोम डैम का ठिकाना हुआ।

पिछले बजट में स्वर्गीय हरिदेव जी जोशी, जिनके लिये हम जितना भी कहें उतना कम है, उनके नाम पर आनंदपुरी कैनाल मंजूर हुई। उसके लिये बजट में घोषणा भी हुई लेकिन आज उस बजट का दूसरा सत्र हो गया क्योंकि इसी पर मांग हो रही है, आज तक एक रुपया हमको नहीं मिला। मैं अधिकारियों से भी कहना चाहता हूं और मंत्री जी से भी कहना चाहता हूं कि

(श्री महेन्द्रजीत सिंह मालविया)

हरिदेव जोशी जी के नाम पर भी सरकार पैसा नहीं देना चाहती है क्या? भीखा भाई आजादी से पहले अंग्रेजों के जमाने में किस परिस्थिति में पढ़ाई-लिखाई करके वह आदमी आगे बढ़ा, वांगड़ राजस्थान का नाम ऊंचा किया, अंग्रेजों के जमाने में भी वह हमारे मजिस्ट्रेट बने, उनके नाम कैनाल भीखा भाई रखी है, उसका भी कोई ठिकाना नहीं, कम से कम 10 साल हो गये, अशोक गहलोत साहब के समय में हुआ। पिछली पांच साल की सरकार में एक पत्थर भी नहीं लगाया। आखिर आज यह स्थिति क्या हो गई है? इसी तरह से जाखम का डैम है, कमला आम्बा डैम है, और भी छोटे-छोटे डैम हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं यहां पर एक बात और कहना चाहता हूं और जो बात मैं कह रहा हूं उसमें सच्चाई है। मैंने अमरीका का ज्वार और बाजरा खाया है, इस माही डैम में क्वालिटी कंट्रोल में मैंने 11 रुपये में लेबर के रूप में काम किया है और काम करते हुए मैंने 11 रुपये का भुगतान लिया है। मेरे खुद के गांव में नागपुरा का डैम है, जिसमें सवा रुपये में मैंने जो तगारा होता है, उस समय तगारा तो नहीं होता था, बांस की लकड़ी का बनता था, वह मैंने सिर पर उठाया है। आज बांसवाड़ा में 25 लाख टन गेहूं का उत्पादन हो रहा है और मक्का का कोई हिसाब-किताब नहीं, सोयाबीन का कोई हिसाब-किताब नहीं, दलहन का कोई हिसाब-किताब नहीं, फल सब्जियां कितनी पैदा हो रही हैं, उसका कोई हिसाब-किताब नहीं, लेकिन जो माही की नहरें जर्जर हुई हैं, जितना पानी माही की नहर में जा रहा है, उससे ज्यादा सीपेज, पानी नाले में बहकर जा रहा है। कभी-कभी मन यह करता है कि इसकी वीडियोग्राफी बनाई जाये और सरकार को बताई जाये, लेकिन यह अधिकारी तो ऐशोआराम का काम करते हैं। आफिस भी वहां से तोड़कर ले आये, उदयपुर में बैठ रहे हैं, बाकी जयपुर में बैठ रहे हैं। वहां पर बेलदार या कोई बाबू जवाब देता है, वह जवाब सदन में आ रहा है, फिर हमारा कहां से भला होगा। और सच्चाई की कोई बात कहता है तो जो कहने वाला है उसकी मौत है। मैं कह रहा हूं अगर वह 25 लाख टन गेहूं वहां पैदा हो रहा है, कोटा पूरा भरा पड़ा है, सवाई माधोपुर पूरा भरा पड़ा है, एक मिनट के लिये कह दो कडाना भी नहीं है, माही डैम भी नहीं है, जाखम भी नहीं है, एक डैम नहीं है तो वापस अमरीका के पास जाना पड़ेगा, वापस हमको वह धान खाना पड़ेगा। कुछ तो हमारे दिमाग में, जेहन में रहनी चाहिये। मुझे बहुत दुख होता है, जब हम उधर थे तो हम बांहें चढ़ाकर आते थे, हम इधर आ गये तो वह बांहें चढ़ाकर

(श्री महेन्द्रजीत सिंह मालविया)

आ रहे हैं। जो सच्चाई है उसको स्वीकार करो। कौन सही है, कौन गलत है, कोई स्वीकार करने को तैयार ही नहीं है। माननीय मंत्री जी, इसलिए मेरी मांग रहेगी, मैं आगे और बात कहूंगा तो बहुत कड़वी लगेगी, सबको कड़वी लगेगी, जो 23 टीएमसी पानी हम गुजरात को दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? तत्कालीन सरकारों ने समझौता किया था कि जिस दिन गुजरात में नर्मदा का पानी चला जाएगा उस समय यह समझौता खतम हो जायेगा और उसके बाद भी अगर राजस्थान पर कर्जा रहता है तो वह कर्जा गुजरात गवर्नमेंट को दे देंगे लेकिन पानी हम ले लेंगे। आज इस पर कोई भी बात क्यों नहीं करना चाहते हैं? जब वहां पर गुजरात की सरकार कोई भी काम करती है तो राजस्थान सरकार को पूछ रही है क्या और हम इनको दुनिया भर का पानी छोड़ रहे हैं, लेकिन यह काम हम करना नहीं चाहते हैं। इसलिए, माननीय मंत्री जी, 23 टीएमसी पानी उसको छोड़ो, बागीदोरा, बांसवाड़ा, कुशलगढ़, जितने भी हमारे सूखे क्षेत्र हैं, जमीनें हमारी गई हैं, हमारे परिवार के आधे धरियावद में रह गये, आधे मध्य प्रदेश में गुना में चले गये, आज उस डैम की वजह से एक भाई दूसरे भाई से मिल नहीं सकता और हमारे घर के लोग भूखे मर रहे हैं। सरकार का इस ओर ध्यान जाना चाहिये, ऐसा मेरा मानना है।

भूंगड़ा कैनाल हमने दिया था, जिसके भी 8-9 साल हो गये, अभी तक ठिकाना नहीं है। मैं यहां पर एक दूसरी बात कहना चाहता हूं और माननीय मंत्री जी और पूरा सदन इस बात को सुन रहा है। इस सदन में 60 से 70 एससी, एसटी के लोग बैठे हुए हैं, लेकिन क्या है कि आधे इधर बैठे हैं, आधे उधर बैठे हैं। मैं उठा हूं तो यह विरोध करने लग जाएंगे, यह उठेंगे तो यह विरोध करेंगे, सच्चाई पर तो एक हो जाओ, सही बात का तो साथ दो। मैं यह कहना चाहता हूं कि आपका संविधान बोलता है, आपका कानून बोलता है, आपकी घोषणाएं हैं कि राजस्थान स्टेट के टोटल बजट का 13 परसेंट पैसा टीएसपी क्षेत्र में अनुसूचित जाति, जनजाति क्षेत्र में खर्च होगा। यह कानून की व्यवस्था है और जब कानून की व्यवस्था है तो मैं खाली एक डिपार्टमेंट का सिम्पल-सा उदाहरण दे रहा हूं, माननीय मंत्री जी, आपको 2020 में आपके टोटल बजट का 8794 करोड़ रुपया आदिवासी समाज को देना चाहिये, यह कानून की व्यवस्था है।

माननीय मुख्य मंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि अन्य किसी राज्य के रूल्स रेगुलेशन को कैबिनेट में लाकर उसको कानून का दर्जा दिया

(श्री अर्जुन लाल जीनगर)

कि जो डिपार्टमेंट खर्चा नहीं करेगा उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जायेगा। वह बात आज कहां चली गई? आज सिंचाई में भी टीएसपी क्षेत्र में आपको 4 हजार करोड़ देना चाहिये। राजस्थान के टोटल बजट के 13 परसेंट की मैं बात करूंगा तो हम तो कम पढ़े-लिखे लोग हैं, हमको तो आंकड़े भी याद नहीं रहते हैं, हम गिन भी नहीं सकते इतना पैसा हमारा है, वह पैसा आज जा कहां रहा है? साथियों, आज आजादी को 70 साल हो गये, सब अच्छे से भाषण करते हैं। कोई भी प्रोजेक्ट बनाना है तो सबसे पहले यह देखते हैं कि एससी, एसटी के लोग हैं या नहीं हैं, अच्छा हैं, बीपीएल हैं या नहीं हैं, हैं, एपीएल हैं कि नहीं हैं, बस फाइल कमप्लीट हो गई क्योंकि बीपीएल मिल गये, एपीएल मिल गये, आदिवासी हरिजन मिल गये, इसलिए काम तो हो गया पक्का और पैसा आ गया फिर आप दूर हो जाओ, फिर पास मत आओ। क्या हो रहा है इस सदन में, मैं देख रहा हूं कि डेली हमारे टीएडी मिनिस्टर पर पड़ रहे हैं। (व्यवधान) जब मैं बोल रहा हूं तो आप चुप रहो। सदन में डेली मंत्री जी पर पड़ रहे हैं। पैसा मंत्री जी के घर में है क्या? उसके लिये पूरा केबिनेट क्यों नहीं सोचता, हमारे सब लोग क्यों नहीं बात करते? जितने होस्टल चाहिए, उतने खुलेंगे, जहां कोचिंग स्कूल की आवश्यकता है, वहां पर हो जायेगी। लेकिन वह तो हमको करना नहीं, बीमारी तो पकड़नी नहीं है, बातें करते जाओ कि बीमार पड़ गया, बीमार पड़ गया, माथे पड़ोगे तो आदमी बीमार ही पड़ेगा।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अब आप समाप्त करें।

श्री महेन्द्रजीत सिंह मालविया (बागीदोरा): मैं तो बोलने वाला आदमी हूं, आप यहां पर शांति रखो। मेरे लिये आप कम से कम समय का राइडर मत लगाओ। मेरे क्षेत्र में पारीकामा तालाब है, मोटीटेमी तालाब है, रतनपुरा एनीकट है ...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समय का राइडर आपकी पार्टी के मुख्य सचेतक जी ने जो सूची दी है, उसमें लगा हुआ है, इसलिए आप एक मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री महेन्द्रजीत सिंह मालविया (बागीदोरा): माननीय मंत्री जी, इन एनीकटों को आप मंजूर करें। इसके तमाम तकमीने मैं मुख्य मंत्री जी को भी प्रेषित कर चुका हूं और आपको भी कर चुका हूं। ठीक कह रहे हैं मैं जो खुद व्यवस्था देता हूं, मैं खुद ही अगर व्यवस्था का उल्लंघन करूंगा तो ठीक नहीं रहेगा। जो मैंने संक्षेप में बोला है, सारगर्भित बोला है, बात में दम है, मैं सबसे

(श्री महेन्द्रजीत सिंह मालविया)

निवेदन करना चाहता हूं कि मेहरबानी करके सच्चाई का साथ दो। इन गरीबों का भला कैसे हो सकता है, उसके ऊपर चिंतन करो, मनन करो।

श्री सभापति: धन्यवाद, माननीय सदस्य, अब आप बैठें। श्री गुरदीप सिंह।

(18.00 बजे)

श्री महेन्द्रजीत सिंह मालविया (बागीदौरा): मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा। सहरिया के लिए हम इतने समय से कानून बना रहे हैं। गेहूं दे रहे हैं, तेल दे रहे हैं, घी दे रहे हैं। क्या हमने कभी कोशिश की कि इसमें कितने तालाब व एनिकट हो सकते हैं? इसी तरह से हम झाड़ोल की बात करते हैं। झाड़ोल में आज भी गांव के लोगों को कई दिक्कतें हैं। उसके लिए हम नये-नये कानून बनाते जा रहे हैं। कानून तो मत बनाओ, भगवान ने जो सम्पत्ति दी है, भगवान ने जो भौगोलिक परिस्थितियां बनायीं, वहां पर तालाब व एनिकट बनाइये और उसको सक्षम करिये। वह सक्षम हो जाएगा तो कभी भी सरकार के सामने हाथ नहीं फैलाएगा। मैं इस अवसर पर यही कहना चाहता हूं। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

श्री सभापति: श्री गुरदीप सिंह।

श्री गुरदीप सिंह (संगरिया): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 27, 46 व 38 पर आपने बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं एक ऐसे विषय पर बोलना चाहता हूं जो आम किसान से जुड़ा हुआ है और यह पूरे राजस्थान का मुद्दा है। राजस्थान सिंचाई एवं जल निकास अधिनियम, 1955 के नियम 11 में विद्यमान उप नियम 2, 3, व 4 में राज्य सरकार द्वारा दिनांक 17 मई, 2010 को एक अधिसूचना जारी की थी। राजस्थान राज्य की सिंचाई प्रणाली में दिनांक 17 मई, 2010 से पूर्व राजस्थान सिंचाई तथा जल निकास अधिनियम 1955 के नियम 11 में विद्यमान उप नियमों की प्रदत्त शक्तियों के अनुरूप निकायों की जलीय संरचना की अधिकृत आकार व अवस्थाओं या नहर के माध्यम से जल वितरण के लिए स्थापित प्रक्रिया में परिवर्तन करने के लिए अधिशासी अभियंता, अधीक्षण अभियंता के समकक्ष थे, जिसके कारण किसान के मोगों में संशोधन भूमि स्थानांतरण आदि, अधिशासी अभियंता, अधीक्षण अभियंता के स्तर पर ही हो जाते थे। दिनांक 17 मई, 2010 को राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना

(श्री गुरदीप सिंह)

जारी कर उक्त अधिनियमों में संशोधन किया गया है कि जल संरचनाओं की आकृति, आकार, अवधि या नहर के माध्यम से जल वितरण के लिए स्थापित प्रक्रिया में राज्य सरकार के आदेश के बिना कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि 17.05.2010 को जो नियम बना था, उसे विदड्रा करें, जिससे आम किसान को राहत मिले। वे छोटे-छोटे किसान हैं, आउट लेट ठीक कराना है, खालों का काम है, पक्के काम हैं, जहां उसे भूमि इस चक से उस चक में करवानी है तो उसे यहां सैक्रेटेरियट में बार-बार चक्कर लगाने पड़ते हैं। गरीब किसान यहां तक नहीं पहुंच पाता है। वे लोग हजारों की संख्या में हमारे पास आते हैं और हमें यहां सैक्रेटेरियट के अंदर चक्कर लगाने पड़ते हैं। अगर आपको अपने एक्स.ईएन. और एस.ई. के ऊपर भरोसा नहीं तो फिर यह काम कैसे चलेगा? इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूं कि जो 17 मई, 2010 का आपने फैसला दिया है, उसे वापस लिया जाए।

भाखड़ा क्षेत्र की नहरों में 1872 क्यूसेक्स पानी के लिए 1966 में मोतीलाल कमेटी गठित की गयी थी और उसने अपनी रिपोर्ट दी। उसके बाद वह ठंडे बस्ते में चली गयी। उसके बाद 90 के दशक में हमारे यहां विधायक हेतराम कामरेड साहब बने, उन्होंने यहां पर मांग उठायी, फिर वह फाइल री-ओपन हुई और उसके बाद फिर ठंडे बस्ते में चली गयी। मैं मांग करता हूं कि भाखड़ा क्षेत्र के लिए जो मोतीलाल कमेटी ने सिफारिश की थी, उसके अनुसार हमें 1872 क्यूसेक्स पानी मिलना चाहिए। उस फाइल को री-ओपन करके उस पर गौर करना चाहिए। मैं मंत्री महोदय से रिक्वेस्ट करता हूं कि जब आप अपने भाषण का रिप्लाई दें तो मोतीलाल कमेटी की जो सिफारिश है, जो आपकी सरकार ने कमेटी गठित की थी, उसका रिप्लाई जरूर दें।

उसके बाद इंदिरा गांधी और भाखड़ा क्षेत्र एवं गंग कैनाल के अंदर जो पक्के खाले थे, उनमें गंग कैनाल के अंदर भी काम हुआ और हमारे भाखड़ा के अंदर सिर्फ एक साल 2017-18 में काम हुआ, उसके बाद सरकार चेंज हो गयी। डेढ़-दो साल से वह काम बंद पड़ा है। हमें सिंचाई के लिए खालों की बहुत आवश्यकता है। पक्के खाले भी चालू करवाए जाएं। मेरे क्षेत्र के अंदर दो पंचायतें ऐसी हैं, डबली खुर्द और डबली कलां, जो कि सेम से ग्रस्त हैं, वहां पर 38 सालों से 8-8 फुट पानी, जो इंदिरा गांधी कैनाल है, उसका सेम पानी है। वहां पर सरकार ने एक परमिशन दी थी कि उसके सेम का जो पानी है, वह नहर में डाल सकते हो।

(श्री गुरदीप सिंह)

मेरे यहां जो आरडी 19, बायीं तरफ लगे पम्प स्टेशन के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं, उसके अंदर एक सोसाइटी बनाकर कनेक्शन लिया था और उसका बिल किसान भरते थे। उसके बाद उनकी जगह सरकार खुद बिल भर रही है। मैं यह मांग करता हूं कि जो बिल है वह 9 रुपये यूनिट का आ रहा है, किसान भर नहीं पा रहे हैं, उनका लाखों का बिल हो रहा है। या तो वहां पर सोलर सिस्टम लगाकर इंतजाम किया जाए या लाइट फ्री की जाए। 38 साल से किसान कर्जे में डूब रहे हैं, उनकी यहां फसल नहीं हो रही है। जब मोटर चलती थी तो पानी कम हो गया था। जब मोटर बंद हो गयी तो पानी का भाव फिर बढ़ने लग गया। सीपेज अभी वहां पर बहुत ज्यादा हो रही है।

आप जो सोलर सिस्टम, जो मोटरें दे रहे हैं, जो पम्प दे रहे हैं, जो अभी ड्रिप व फव्वारे की बात हो रही थी। अभी आदरणीय डाक्टर साहब बता रहे थे कि इसे फव्वारे पर ले आओ। हमारे यहां जो बीमारी खड़ी हुई है, हमारे यहां पर एक ही कंपनी है जिससे सोलर, फव्वारे और ड्रिप का सामान ले रहे हैं, उसे ही अधिकृत कर रखा है, उसने लूट मचा रखी है। जैसे डिग्गी सिस्टम बना हुआ है, उसके अंदर सोलर मोटर लगा रखी है। मोटर खराब हो गयी है, पम्प खराब हो गया, तीन-तीन चार-चार महीने उसको कमप्लेंट करते हैं, वे ठीक करने के लिए नहीं आते हैं। एक ही कंपनी है, उसी की दादागीरी चल रही है। इसलिए यहां पर अन्य कंपनियों को काम दिये जाएं ताकि कम्पीटिशन से हमारे यहां पर अच्छा काम हो सकें, हमें अच्छी क्वालिटी के पम्प मिल सकें, हमें अच्छी क्वालिटी के फव्वारे मिल सकें, हमें अच्छी कम्पनी के ड्रिप सिस्टम मिल सकें।

हमारे वहां बाग लगे हुए हैं। मेरी चौथी मांग है कि मेरे क्षेत्र के अंदर भाखड़ा और गंग कैनाल में बाग लगे हुए हैं, उनमें 70 दिन की बंदी आ रही है। बाग में फ्रूट भी हैं, किन्नू के बाग हैं। हमारे यहां खेतों में डिग्गियां बनी हुई हैं। पीने के लिए 2 हजार क्यूसेक्स पानी चलेगा। मेरी मांग है कि जिन चकों में बाग़ लगा हुआ है, उनमें पानी की व्यवस्था विभाग से करवाएं ताकि हमारे बाग़ पल सकें। बाग़ के अंदर जो डिग्गियां बनी हुई हैं, वे डिग्गियां भरवा दी जाएं तो उससे जो 70 दिन की बंदी होगी, उसके अंदर बाग़ बच सकेंगे, नहीं तो बाग़ उजड़ जाएंगे। किसान ने बड़ी मेहनत करके अपने बेटे की तरह उसको पाला है। अगर इतनी गर्मी के अंदर उसको पानी नहीं मिला तो वे बाग जल जाएंगे।

(श्री गुरदीप सिंह)

उसके अलावा मेरे यहां पीएचईडी में, संगरिया शहर में सिंचाई विभाग की भूमि जलदाय विभाग को स्थानांतरित करने बाबत। मेरे संगरिया के अंदर जहां पर वाटर वर्क्स बना हुआ है, सभापति महोदय, मंत्री जी मेरी बात नोट करें। संगरिया शहर के अंदर जो वाटर वर्क्स बना हुआ है, उसके पास ही 25 बीघा जमीन है, उस पर सिंचाई विभाग की कालोनी बनी हुई थी। कालोनी के अंदर क्वार्टर्स वगैरह और एसडीओ का आफिस था और जे.ईएन. वगैरह बैठते थे, एक रैस्ट हाउस भी था। आज वह खंडहर की अवस्था में हैं। क्वार्टर्स गिर चुके हैं और रैस्ट हाउस भी गिर गया है। उसमें सिर्फ एसडीओ का आफिस चल रहा है। वह 25 बीघा जमीन है, अगर आप जलदाय विभाग को दे दें, दोनों डिपार्टमेंट आपके पास ही हैं, अगर आप जलदाय विभाग को दे दें तो हमारे वहां पर पानी की व्यवस्था ठीक हो जाएगी। हमारा जो संगरिया वाटर वर्क्स है, वह सिर्फ आठ दिन पानी दे सकता है, 8 दिन से ज्यादा को उसमें स्टाक नहीं हो सकता है। इतना बड़ा शहर है। अगर आपकी मेहरबानी हो जाए, वह 25 बीघा जमीन पी.एच.ई.डी. विभाग को स्थानांतरित कर दें, जो कि वाटर वर्क्स की स्कीम बढ़िया स्कीम बन जाएगी और हमारे शहर को पानी मिल सकेगा।

मेरे क्षेत्र में वाटर वर्क्स बने हुए हैं, उनमें जो 60 परसेंट वाटर वर्क्स हैं, उनमें फिल्टर नहीं हैं, डिग्गियां खराब हो चुकी हैं। उनकी हालत बहुत खराब है। कुछ नई स्कीमें आपके पास आयी हैं, जैसे सूरेवाला, दौलतपुरा, मसीतावाड़ी, सिलवाला, तलवाड़ा, टिब्बी, वाटर वर्क्स की और कुछ ढाणियों की स्कीमें भी हैं 25 एमपी, 27 एमपी, 6 बीजीपी और भी ढाणियों की स्कीमें भी बनकर आयी हैं, आपकी मेहरबानी हो जाए और लोगों को पीने के लिए पानी मिल जाए।

मेरे क्षेत्र में 30 परसेंट ढाणियों में लोग बसे हुए हैं। मेरे कुछ एरिया में सेम आ गयी थी, गांव नीचे ही थे। टीलों पर जाकर लोगों ने कालोनियां बसायीं। वे ढाणियों में बसे हुए हैं, उनको पीने के लिए पानी दिया जाए। अब जैसे गर्मी आ जाएगी तो पानी की बहुत ज्यादा प्रोब्लम है।

तीसरी जो सबसे बड़ी समस्या हमारे यहां पर हैं, जो शहर और गांवों में कालोनियां काटकर चले गये, उन्होंने पी.एच.ई.डी. विभाग को पैसे जमा नहीं करवाये। वहां उन कालोनियों के अंदर पीने का पानी नहीं है। जो कालोनियां काटी हैं, उनको रैगुलर कर दें और पानी के पाइप डाल दें तो जो लोग उन कालोनियों में बसे हुए हैं, उनको पीने को पानी मिल जाए। मेरे से पहले गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य जी ने मांग रखी थी।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अपनी बात समाप्त करें।

श्री गुरदीप सिंह (संगरिया): हमारे यहां पंजाब से जो गंदा पानी आ रहा है, उस पानी को किसी न किसी तरीके से रोकने का काम करें ताकि हमारे जो दस जिलों के लोग पानी पी रहे हैं, वे कैंसर से बच सकें। सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री कान्ति प्रसाद।

श्री कान्ति प्रसाद (थानागाजी): आदरणीय सभापति महोदय, आपने मांग नम्बर 27 पर मुझको बोलने का मौका दिया। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे यहां जो पुरानी स्कीमें बनी हुई हैं चाहे वह जनता जल योजना हो, चाहे हैण्डपम्प स्कीम हो या और बड़ी स्कीम हो, सबकी हालत खराब है क्योंकि पाइप लाइन टूटी हुई पड़ी है, कहीं मोटर खराब हुई पड़ी है। मेरा आपसे यह निवेदन है कि सबसे पहले उन पुरानी योजनाओं को आप संभालें ताकि लोगों को पीने के लिए पानी मिले। दूसरा, हर गांव में जो बड़े कस्बे हैं, उन सब कस्बों की हालत यह है कि लोगों ने जगह-जगह पाइप लाइन तोड़ रखी है, खेती कर रहे हैं, लोगों को पीने के लिए पानी नहीं मिलता है। अगर आप कानून में कोई संशोधन करें ताकि वहां के विकास अधिकारी को या एसडीएम को कोई पावर हो, उन पावर्स के तहत वे एफ.आई.आर. दर्ज करवाएं और समस्याओं का समाधान करवाएं।

दूसरी, मेरी समस्या यह है कि जल जीवन योजना के अन्तर्गत नई स्कीमें बनेंगी तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे यहां 62 गांव माडा के हैं। पूरे थानागाजी विधान सभा क्षेत्र में 62 गांव माडा के हैं। उन जनजाति बहुल क्षेत्रों में, मेरे को किसी से पता चला है कि जन-भागिता भी इसमें शामिल है। वह इस स्थिति में है कि देने लायक है नहीं, आप उन पर बिना जन-भागिता के इन स्कीमों को जल्दी से जल्दी स्वीकृत करवाएं। गर्मी का समय आ रहा है, उन लोगों के पीने के लिए पानी नहीं है।

तीसरा, वहां की जो मोटी समस्या हमारे सामने आ रही है कि उन स्कीमों के बिजली के बिल जमा नहीं है और बिजली वाले बार-बार, वह सिंगल फेज स्कीम हो, चाहे पम्प वाली स्कीम हो, उनके कनेक्शन काट देते हैं। वह स्कीमें गरीब एससी/एसटी के लोगों के बीच में हैं। उन लोगों को दस-दस दिन तक पीने के लिए पानी नहीं मिलता है। इसलिए जिम्मेदारी डालें कि वह पैसा चाहे पंचायत समिति जमा कराए परंतु उन गरीब लोगों को पानी मिलना चाहिए।

माननीय मंत्री जी, आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि एक वाटर शेड

(श्री कान्ति प्रसाद)

की स्कीम चल रही है। वह भी पानी को लेकर चल रही है। इस वाटर शेड की स्कीम से हमारे इलाके में सिवाय भ्रष्टाचार के अलावा कोई काम नहीं है। अगर इस स्कीम को आप बंद भी कर दें तो शायद बढ़िया है क्योंकि जनता का पैसा तो बचेगा। उस पैसे को कहीं और जगह लगाएं ताकि जनता के काम आए अन्यथा हमारा यह सारा पैसा बेकार जा रहा है। अगर आप इसकी जांच करवा कर देखें, मैं तो निवेदन करना चाहूंगा कि वाटर शेड के जो भी काम हो रहे हैं, मौक़े पर आप कमेटी बनाकर जांच करवा दें ताकि भ्रष्टाचार कम हो और जनता का पैसा बचे और यह पैसा कहीं दूसरी जगह काम आए।

मांग संख्या 38 की बात चल रही है। मेरा क्षेत्र भी पूर्वी राजस्थान में है। राजस्थान की पूर्वी राजस्थान कैनाल योजना जो बन रही है, मेरे ख्याल से इससे पानी तो बरसों बाद आएगा। उस क्षेत्र में हमारे सरिस्का अभयारण्य है, जानवर हैं, उन जानवरों के पीने के लिए पानी नहीं है। जमवारामगढ़ अभयारण्य भी है। हरियाणा के पास में यमुना कैनाल जो आ रही है, अगर उससे आप हमको जुड़वा दें तो मेरे ख्याल से बहरोड़ हो, बानसूर हो, चाहे कोटपूतली हो, चाहे थानागाजी हो, इन पूरे इलाकों को फायदा मिल सकता है। सभापति महोदय, मैं तो आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यही मांग करता हूं। जय भारत जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री इन्द्राज गुर्जर।

श्री इन्द्राज सिंह गुर्जर (विराटनगर): सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 27, 46, 38 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। आज सदन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर बहस हो रही है। आने वाले समय में और आज के समय में सबसे ज्यादा अगर संघर्ष किसी चीज के लिए होना है तो वह पानी के लिए होना है। जैसा कि काफी माननीय सदस्यों ने बताया, पेयजल की बहुत बड़ी समस्या है। सिंचाई के पानी की बहुत बड़ी समस्या है। गवर्नमेंट काफी प्रोजेक्ट चलाने का काम भी कर रही है। जब यमुना के पानी से जोड़ने की बात आती है तो सीकर और झुंझुनूं को जोड़ने की बात आती है। जब बनास की बात करते हैं तो दौसा तक आकर रुक जाती है। यह बड़ी विडम्बना है कि हम राजधानी के जिले में होते हुए भी, जयपुर जिला और जयपुर ग्रामीण का कहीं नाम नहीं आता है।

सभापति महोदय, आज जयपुर जिले के विराटनगर, कोटपूतली, शाहपुरा, जमवारामगढ़, यह पूरा एरिया ड्राई हो चुका है। पीने के पानी की बहुत बड़ी समस्या है। गर्मी के समय में इस बात को लेकर बड़ी मारा-मारी रहती है।

(श्री इन्द्राज सिंह गुर्जर)

जैसा कि मुझे ज्ञात है कि यमुना जल समझौते के तहत यमुना के फ्लड का जो पानी है, उससे हमारे राजस्थान को पानी मिलना था लेकिन किन्हीं कारणों से, सरकार की उदासीनता मानो या हमारे राजनेताओं की उदासीनता मानो कि आज वह पानी हम लोगों को नहीं मिल पा रहा है। हम लोगों के 40 किलोमीटर की दूरी पर हरियाणा शुरू हो जाता है। नांगल चौधरी विधान सभा क्षेत्र हमारे नजदीक पड़ता है। आज से दस साल-पन्द्रह साल पहले जब उस इलाके में हम जाते थे तो हमारा इलाका हरा-भरा था, वह इलाका सूखा पड़ा था। आज हम जब उस इलाके में जाते हैं, आज उस इलाके में, वहां नहरों का पानी बारिश के समय में ओवरफ्लो होता है, एक ऐसी स्कीम सरकार ने बनाई कि जब पानी ओवरफ्लो होता है, प्रत्येक गांव के जोहड़ में एक-एक हजार फीट के बोरवैल करवाकर उस फ्ल्ड का पानी उसमें छोड़ देते हैं। धीरे-धीरे वह पानी रिचार्ज हो गया, आज वहां शानदार सिंचाई की व्यवस्था है और पेयजल की शानदार व्यवस्था है। मुश्किल से हम लोगों से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। जो हमारा क्षेत्र हरा-भरा हुआ करता था, आज वह ड्राई होने की स्थिति आ गई। हम लोगों के गर्मी के समय में पीने के पानी की बहुत बड़ी समस्या है।

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से मांग करता हूं कि जब यमुना से आप सीकर, झुंझुनूं को जोड़ने की बात कर रहे हैं तो कम से कम जयपुर ग्रामीण के साथ यह अन्याय न करें। पिछले दिनों एक प्रश्न के उत्तर में भी आपने कहा था कि झुंझुनूं को इससे जोड़ने की स्कीम चल रही है। झुंझुनूं को आप जोड़ रहे हैं सीकर को आप जोड़ रहे हैं, कुम्भाराम लिफ्ट परियोजना से उन जिलों को जोड़ रहे हैं, भरतपुर तक पानी आ रहा है, दौसा तक पानी आ रहा है तो फिर जयपुर ग्रामीण को कहां का पानी लाकर देंगे? यह जयपुर ग्रामीण में हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। शाहपुरा में देखो, आज पीने का पानी नहीं है। हमारे विराटनगर से पानी आ रहा है शाहपुरा कस्बे में। विराटनगर कस्बे में पानी नहीं है, आज बांध के वहां से चार-चार, पांच-पांच किलोमीटर दूर बोरिंग करवाकर हम लोग पानी लेकर आ रहे हैं। आने वाले समय में पीने के पानी की बहुत बड़ी समस्या आने वाली है। मेरा मानना है कि कम से कम दो-तीन साल सब बातों से ध्यान हटाकर पूरा बजट अगर पानी के ऊपर लगाया जाए और पीने के पानी की अगर समुचित व्यवस्था की जाए तभी हमारे लोग अच्छा जीवन-यापन कर पाएंगे, अच्छी प्रोग्रेस कर पाएंगे, वर्ना आने वाले समय में पीने के पानी की बहुत बड़ी समस्या आने वाली है।

(श्री इन्द्राज सिंह गुर्जर)

सभापति महोदय, अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, थोड़े दिनों बाद शुरू हो जाएगा। जैसे गर्मी आती है तो वैकल्पिक व्यवस्था के लिए हम लोग टैंकरों की व्यवस्था करते हैं। टैंकरों में चोरी रोकने के लिए जलदाय विभाग ने जीपीएस सिस्टम भी लगाया है लेकिन एक बड़ी समस्या उसको लेकर भी है। टैंकर की जो रेट जलदाय विभाग देता है, कोई भी ठेकेदार उस रेट में पानी डालने को तैयार नहीं है। हम लोग जन-प्रतिनिधि इस बात का दबाव अधिकारियों पर लगाते हैं कि टैंकर भिजवाइए। टैंकर का ठेकेदार कोई सप्लाई करने को तैयार नहीं होता। फिर उसमें चोरी की संभावना बढ़ती है तो क्यों नहीं आप मार्केट रेट के हिसाब से उन टैंकरों को पैसा दें ताकि समुचित टैंकर की व्यवस्था हो। जब 500 रुपये टैंकर लेते हैं 200 रुपये उसको दे रहे हैं तो कहीं न कहीं चोरी की गुंजाइश उसमें बढ़ेगी या फिर पानी समय पर नहीं जाएगा। मेरी आपसे मांग है कि मार्केट रेट के हिसाब से टैंकरों की व्यवस्था करें ताकि हम लोग जब डिमांड करें तो उस समय क्षेत्र में पानी की समुचित व्यवस्था हो।

सभापति महोदय, अभी हमारे क्षेत्र में काफी गांव ड्राई हैं लेकिन आस पास के गांव ऐसे भी हैं, जहां पानी की व्यवस्था है। जल जीवन मिशन के तहत काफी स्कीम बनी हैं और विधान सभा के माध्यम से, सदन के माध्यम से मैं हमारे विपक्ष के साथियों से भी निवेदन करता हूं कि पानी की व्यवस्था सबको चाहिए, पानी सबको चाहिए और केन्द्र के जल संसाधन मंत्री हमारे राजस्थान के हैं। हम सब लोग मिलकर उनसे मांग करें कि जल जीवन मिशन के तहत 90 प्रतिशत पैसा केन्द्र सरकार दे और 10 प्रतिशत पैसा राज्य सरकार दे ताकि हमारी ज्यादा से ज्यादा स्कीमें सैंक्शन हों, लोगों के पीने के पानी की व्यवस्था हो।

सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र विराटनगर के ग्राम वरवाडा, रामसिंहपुरा, अमलोदा यह ऐसे गांव हैं जहां तीन-तीन, चार-चार किलोमीटर दूर से पानी लेकर आते हैं। छापड़ा कलां, छापडा खुर्द, गोविंदपुरा, धाभाई, चौबारा, महड, झौदुला, नाथावाला, अनेक ऐसे गांव हैं जहां पीने के पानी की बहुत बड़ी समस्या है। जल जीवन मिशन के तहत, इनके प्रपोजल हमने तैयार करवाए हैं। मैं मंत्री महोदय को बताना चाहता हूं कि जनता जल योजना स्कीम है हमारी काफी पंचायतें इससे जुड़ी हुई हैं। पिछले साल-दो साल से जेजेवाई को कोई बजट अलाट नहीं हुआ है, इस कारणवश हम लोग उन गांवों में पीने के

(श्री इन्द्राज सिंह गुर्जर)

पानी की व्यवस्था नहीं कर पाए। या तो उस स्कीम को बदलने का काम करें या उस स्कीम को जल जीवन मिशन के तहत लाने का काम करे या उस स्कीम के तहत हम लोगों को पैसे अलाट करें ताकि हम लोग उन गांवों में पीने के पानी की व्यवस्था करवा सके। गर्मी का मौसम शुरू होने वाला है। हम सड़कें अच्छी बना सकते हैं, हास्पिटल में डाक्टर पहुंचा सकते हैं, स्कूलों में टीचर लगवा सकते हैं, सब काम अच्छा कर दिया लेकिन पीने का पानी गांवों में अच्छी तरह से नहीं दे पाए तो करा कराया सब काम चौपट हो जाता है।

मैं आपसे निवेदन करता हूं कि सरकार को सारे काम छोड़कर पीने के पानी पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इस देश में आने वाले समय में जल युद्ध होना है। पीने के पानी की बहुत बड़ी समस्या आने वाली है। अभी महेन्द्र मालविया जी बता रहे थे, समय रहते हम लोग नहीं चेते तो समस्या होगी। नदियों को जोड़ने का काम नहीं किया। आपने पिछले साल देखा, सुना होगा कि बनास नदी में इतना पानी बहकर चला गया। अगर बनास नदी के पानी को लिफ्टिंग करके रामगढ़ बांध को भरने का काम किया जाता, विराटनगर, शाहपुरा तक पानी ले जाने का काम किया जाता, बांधों को भरने का काम किया जाता तो आज हमारा एरिया हरा-भरा एरिया होता। पानी बहकर ओवरफ्लो होकर चला गया। चम्बल में इतना पानी ओवरफ्लो होकर चला गया, उसके ऊपर हम लोगों को ध्यान देने की आवश्यकता है। पानी बचाने का काम हम लोगों को करना पड़ेगा। पक्ष और विपक्ष को एकजुट होकर इस काम को करना पड़ेगा। आने वाला समय पानी के लिए बहुत खराब होने वाला है।

गर्मी के मौसम में, सुबह से शाम तक, पानी के अलावा कोई फोन नहीं आते। इस मोहल्ले में पानी नहीं आ रहा, वह बोरिंग सूख गई, वह हैण्डपम्प सूख गया। सुबह से शाम तक फोन पर एक ही जवाब देना पड़ता है, पानी, पानी, इसके अलावा कोई जवाब नहीं है। जन प्रतिनिधियों के हालात इस मामले में कोई बहुत अच्छे नहीं हैं। यह सबके हालात हैं, मेरे अकेले के ही नहीं हैं। शाहपुरा से आने वाले आलोक जी बेनीवाल बैठे हैं, इनके यहां मेरी विधान सभा से पानी जाता है। पिछले दिनों गांव वालो ने पंगा कर दिया कि हम पानी नहीं ले जाने देंगे। कस्बे को पानी चाहिए, गांव वाले कह रहे हैं कि हमारे गांव का पानी है, हम शाहपुरा में नहीं ले जाने देंगे, इस बात को लेकर रोज झगड़े होते हैं। क्यों नहीं हम सरकार का एक बड़ा बजट इस बात पर लगाएं कि 40-50 किलोमीटर की दूरी पर, जहां हमारे पास यमुना का पानी

(श्री इन्द्राज सिंह गुर्जर)

आ रहा है, हम लोग उस पानी को लेकर आएं। बनास नदी में हर बार पानी वेस्टेज जाता है लिफ्टिंग सिस्टम से इन बांधों को भरने का काम करें। चंबल के पानी को लिफ्टिंग से ज़िलों में लाने का काम करें ताकि आने वाले समय में हमारा किसान खुशहाल हो, गरीब, मजदूर आदमी पानी को लेकर खुशहाल हो।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अब आप समाप्त करें।

श्री इन्द्राज सिंह गुर्जर (विराटनगर): सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से मांग करता हूं कि जब भी यमुना, बनास के पानी की ऐसी कोई स्कीम बने तो जयपुर ग्रामीण को आप भूलने का काम ना करें।

राजधानी में होने के साथ-साथ हमारी यह विडम्बना भी है कि जयपुर ज़िले के जयपुर ग्रामीण को राजधानी का जिला मानते हुए, बाकी सब ज़िलों को स्कीम से जोड़ देते हैं लेकिन जयपुर ग्रामीण को नहीं जोड़ते हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जयपुर ग्रामीण पर भी इस मामले में ध्यान दें। सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री फूल सिंह मीणा।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 27, 46 और 38 पर बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में पानी की भारी समस्या है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से आग्रह करता हूं कि पेरीफेरी एरिया, जो पंचायतें हैं, पानी से त्राहि-त्राहि करती हैं लेकिन उनको पानी नहीं मिलता। हमारा देवास का पानी आता है वह जिन्स में जाता है, जिन्स मेल्टर में जाता है उसका टाइम पीरियड 2020 में खतम हो रहा है। हमारी पेरीफेरी की पंचायतें हैं उनमें पानी के लिए पूर्व सरकार ने देवास के आस पास की यूआईटी की कालोनियां बनी हुई हैं, क्रमश: नाकोड़ा नगर, नाकोड़ा नगर प्रथम, नाकोड़ा नगर द्वितीय, तृतीय। नाकोड़ा नगर पूर्व में रकमपुरा, आदर्श नगर, सौभाग्य नगर, गायत्री नगर, जनकपुरी आदि कालोनियों के अलावा भी, पूर्व मुख्य मंत्री वसुन्धरा राजे जी ने मेघावास के 1700 क्वार्टर्स बनवाए थे, उनको पानी की व्यवस्था के लिए मैं पूर्व सरकार को धन्यवाद देता हूं कि पांच करोड़ रुपये की उन्होंने घोषणा की थी, उसमें सवा करोड़ रुपये दिए थे कि इन कालोनियों के लिए

(श्री फूल सिंह मीणा)

कोई न कोई व्यवस्था करें। 46 करोड़ रुपये की पहले घोषणा की थी, फतेहसागर से पानी लाने की योजना बनाई, वह पूरे शहर को क्रोस करके आना था, इतने नुकसान की वजह से उसको बंद किया, फिर दूसरी जगह से पानी लाकर उन कालोनियों को दिया। मंत्री महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी तक मेघावास कालोनी को भी पानी नहीं दिया। ऐसी क्या सरकार है? जो पैसा यूआईटी ने दिया, सरकार का एक पैसा नहीं लग रहा था, उसके बावजूद भी उनको पानी नहीं दिया। मंत्री महोदय, पीएचईडी विभाग इतना ढीला काम कर रहा है, यह सरकार नहीं करने दे रही या हमारे अधिकारी कर्मचारी नहीं करना चाहते, यह आप ही बता सकते हैं।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि मेघावास कालोनी के क्वार्टर्स बनाए थे, आनन-फानन में पंचायत के चुनाव से पहले उनको चाबियां दे दीं, मगर आज भी उनमें पानी की व्यवस्था नहीं है। बिलकुल खाली पड़ी है। लोग कहते हैं कि हमसे पैसे ले लिए लेकिन पानी व लाइट की व्यवस्था हमारे पास नहीं है। उनको पूर्व सरकार ने आशियाना बनाकर दिया, पानी की वजह से वह आज किराये के मकान में भटकते फिर रहे हैं। मंत्री महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि पानी की व्यवस्था की है, उसकी पर्याप्त सुविधा उनको दिलवाने का प्रयास करें।

सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय से यही कहना चाहता हूं कि पूर्व में मेरी विधान सभा में 14 सोलर प्लांट, हमारी पनघट योजना में दिए थे, आज वहां खड्डे खुदे हुए हैं मगर उनमें अधिकारी इंस्ट्रूमेंट नहीं लगा रहे। सौर ऊर्जा का प्लांट लगाकर पनघटें चालू करनी थीं, सवा साल हो गया, आज तक चालू नहीं हुई। अभी तक अधिकारियों की नींद नहीं खुल रही है।

सभापति महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि बड़ी का तालाब, ग्राम पंचायत बड़ी है, उसमें 06 गांव पड़ते हैं, उसका पानी भरपूर भरा हुआ है, उस पानी को शहर में लाने के लिए पाइप लाइन बिछा दी मगर बड़ी के 06 गांव त्राहि-त्राहि कर रहे हैं। आंदोलन किया, धरना प्रदर्शन किया, उसके बाद कलेक्टर महोदय ने कहा कि हम इनको भी पानी देंगे। मगर उसकी क्या कार्य योजना बनी है? आपके माध्यम से मैं मांग करता हूं कि उन 06 गांवों को पानी दिलाया जाए। बड़ी का तालाब से शहर पानी पीएगा तो हमारी पंचायत के गांव क्यों नहीं?

मंत्री महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि बड़ी का तालाब का

(श्री फूल सिंह मीणा)

पानी फिल्टर प्लांट की तरह है। जो पानी इतना स्वच्छ है, इसको भरने के लिए नांदेश्वर चैनल का पानी डायरेक्ट ग्रेविटी से आ सकता है, इसकी डीपीआर भी बनाई थी मगर वह डीपीआर कहां है, इसका पता नहीं है।

जैसा मेरे पहले वक्ताओं ने कहा कि पानी भर जाता है और वह समुद्र में जाता है, ऐसे ही पिछोला झील और फतेहसागर भरने के बाद, नांदेश्वर चैनल का पानी डायरेक्ट नदी के द्वारा समुद्र में जाता है, उसको रोककर बड़ी का तालाब भरने का इंतजाम किया जाए। यहीं नहीं, हमारे कौडियात के ऊपर एक एनिकट के द्वारा ग्रेविटी से बड़ी के तालाब को भर सकते हैं, इसका भी इंतजाम किया जाए।

सभापति महोदय, अलसीगढ़ देवास-प्रथम का एक डैम बना हुआ है। मंत्री महोदय, मैं मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं, मालवियाजी, आप मंत्रीजी से बात कर रहे हैं, मंत्रीजी का ध्यान नहीं है। मैं कहना चाहता हूं, देवास का जो प्रथम फेज है, अलसीगढ़ का डैम है, 34 फीट भराव क्षमता उसकी कैपेसिटी है, उसका दरवाजा टूटा हुआ था, गेट को ठीक नहीं कर पाये और वह 34 फीट पानी व्यर्थ बहकर चला गया। अधिकारी नींद ले रहे हैं। इन अधिकारियों को मैंने गत बजट सत्र में क्वेश्चन के मार्फत पूछा था कि यह दरवाजा ठीक करवा दो। मेरे को जवाब मिला कि ठीक हो गया। मगर आज देखो, पूरा का पूरा डैम खाली हो गया। यही नहीं, नांदेश्वर चैनल की भराव क्षमता 24 फीट है। 24 फीट के अन्दर अगर उसको रोककर हम पानी देना चाहें तो गर्मी के दिनों में उदयपुर को पानी मिल सकता है। सभापति महोदय, अगर उसके गेट लगा दें, मंत्री महोदय, उसके कोई खर्चा नहीं, केवल गेट लगाकर पानी रोक दें, उस डूब क्षेत्र में आने वाले किसानों को मुआवजा भी दे दिया मगर उस पानी को रोकने की पहल क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या चक्कर है? मंत्री महोदय, उस पानी को रोक कर हमारे शहर को पानी देने के लिये, गर्मी के लिये स्टोरेज करना चाहिए।

मंत्री महोदय, आपको बताना चाहता हूं कि पंचायत तितरड़ी, जिसको राजसमन्द से पानी देते हैं, और फिल्टर प्लांट लगा रखा है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): जयसमन्द से।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): हां, जयसमन्द से, सॉरी।

जयसमन्द से पानी देते हैं और फिल्टर प्लांट लगा रखा है, आज उसके अन्दर कम से कम 80 परसेंट आबादी बढ़ गई है। उस फिल्टर प्लांट के

(श्री फूल सिंह मीणा)

अन्दर पानी की कमी है। वह पानी, हमने अधिकारियों से बात की थी, अगर फिल्टर प्लांट की कैपेसिटी बढ़ा देते हैं तो जयसमन्द से आने वाला पानी, हम उनको दे सकते हैं। इसलिये यह योजना भी बनायें। हमारी तितरड़ी यू.आई.टी. की पैरीफेरी की पंचायतों में जो कालोनियां बनी हुई हैं उनको भी पानी मिल सके। मंत्री महोदय, आपके माध्यम से मैं मांग करता हूं कि हमारे देवास के थर्ड और फोर्थ फेजेज हैं, उनका न तो गत बजट में हमारे को पैसा दिया, न इस बजट में पैसा दिया। सुखाड़ियाजी ने यह योजना बनाई। इतने पारदर्शी थे कि पानी की समस्या आने वाली है और उन्होंने यह योजना बनाई। इस योजना के लिये मैं धन्यवाद देता हूं कि पूर्व में गुलाबजी भाई साहब के प्रयास से, अशोकजी गहलोत साहब ने भी पैसे दिये। वसुन्धराजी ने पूरा उस बजट को देकर, फर्स्ट और सैकण्ड को चालू कर दिया। इससे हमारे गत वर्ष में पानी की समस्या तो आई मगर उसकी वजह से थोड़ी कम आई। मगर यह थर्ड और फोर्थ के अन्दर इस बजट में मैं मांग करता हूं कि उसके अन्दर डी.पी.आर. बनाकर अगर उसको करेंगे तो हमारा उदयपुर ही नहीं, पूरे मेवाड़ को पानी मिलेगा और वह व्यर्थ समुद्र में जाने वाले पानी को रोककर हमारे को देंगे तो बहुत अच्छा हो जायेगा।

सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं मांग करता हूं कि हमारे जो एनिकट बने हुए हैं, पूर्व मुख्य मंत्री वसुन्धरा राजेजी ने जो मुख्य मंत्री जल स्वावलम्बन योजना बनाकर हमारे पानी की ग्रेविटी बढ़ाने के लिये, लेवल ऊपर लाने के लिये एक ऐसी बढ़िया योजना बनाई, उसके माध्यम से हमारे को गर्मी में इतनी पानी की किल्लत थी, फिर भी हमारे हैण्डपम्प में पानी था, ओपन कुओं में पानी था। मगर आज उस योजना को पता नहीं कहां रोक दिया। अगर आप उसका भी, जैसे भामाशाह कार्ड का नाम चेंज करके उसको चालू किया, वैसे नाम चेंज करो तो करो मगर ऐसी योजना को बंद मत करो। जैसे हमारे गौरव पथ को आपने चेंज किया, विकास पथ किया, वैसे अगर आपकी मंशा हो, इस योजना का भी नाम चेंज करना चाहें तो हमारे को कोई एतराज नहीं है मगर गरीब जनता को राहत प्रदान करें।

श्री सभापति: माननीय सदस्य।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): सभापति महोदय, दो मिनट।

श्री सभापति: नहीं, दो मिनट नहीं। आप अपनी बात अब एक मिनट में समेटें।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): सभापति महोदय, मैं यह मांग करता हूं कि हमारे आदिवासी एरिया के अन्दर, जो ट्राइबल एरिया है, उनके अन्दर जो हमारी जनता जल योजना है, मेरे से पहले वक्ताओं ने भी कहा और मैं भी कह रहा हूं कि इसको सौर ऊर्जा से जोड़कर लाइट के बिल को बंद करें, ताकि हमारी आम जनता को, पंचायत का जो बजट आता है, उसको विकास के रूप में लगा सकते हैं। विशेष करके जो हमारे बहुत सारे एनीकट टूटे हुए हैं, काया पंचायत का आमन्द्री तालाब टूट गया। उसका पानी रुकता नहीं है, उसको विशेष करके बांधकर उस पंचायत को ही नहीं, वहां के वाटर लेवल को बढ़ाने का काम करें।

श्री सभापति: धन्यवाद, माननीय सदस्य, बैठिये।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): सभापति महोदय, आपने बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री नारायण बेनीवाल।

श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 27 पेयजल योजना, 38 सिंचाई, 46 लघु सिंचाई एवं भूमि संरक्षण पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिये आपको धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, अभी पूर्व वक्ताओं ने इन सारे प्रस्तावों पर अपने-अपने इलाके की समस्याओं से सदन को अवगत कराया।

रहिमन पानी राखिये, बिन पानी सब सून।

बिन पानी न ऊबरे मोती, मानुष चून।।

आपने मुझे बहुत ही गम्भीर मुद्दे पर आज सदन में चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया। हमारी संस्कृति में नदियों, पेड़ों, भूमि का सर्वोच्च स्थान है।

माननीय सभापति महोदय, पूर्व में जो भी बजट घोषणाएं हुईं, उनके अन्दर सौ हैण्डपम्प या सिंगल-फेज सोलर के जो ट्यूबवैल प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में दिये गये, उसमें हमारे क्षेत्र में ही नहीं, अधिकतर विधायक यहां बैठे हैं, यह योजना सिरे नहीं चढ़ पाई। इसके अलावा हमारे क्षेत्र में रामकी और एस.पी.एम.एल. कम्पनी की परियोजनाएं जो खींवसर विधान सभा और नागौर विधान सभा में चल रही हैं, उसमें जो काम 2016-17 में पूरा होना था वह पूरा नहीं हुआ। टंकियां बन गईं तो कहीं पाइप लाइन नहीं बनी। जहां पाइप लाइन हो गई, वहां टंकियां नहीं बनीं, इसलिये मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि इसके बारे में, क्योंकि बहुत बड़ी परियोजना है और जनता की गाढ़ी

(श्री नारायण बेनीवाल)

कमाई के हजारों करोड़ रुपये लगाकर आपने, एक शासन-प्रशासन की यह भावना है कि प्रत्येक व्यक्ति तक जल जैसी चीज पहुंचे लेकिन कहीं न कहीं मैं इसमें प्रशासनिक उदासीनता की भी बात करूंगा, जिसके कारण प्रत्येक व्यक्ति को पेयजल के कारण परेशानी उठानी पड़ रही है।

सभापति महोदय, हमारे क्षेत्र में कई जगह पहले गांवों में लाइनें बिछा दीं, अब गांव के कनेक्शन काट दिये उसके उपरांत भी गांवों में पानी के बिल आ रहे हैं और जो कम्पनियां संचालन, संधारण का जो कार्य कर रही हैं, उनको बहुत बड़ा पेमेंट भी मिल रहा है। ऐसे मामले में पारदर्शिता के लिये आप जरूर कोई न कोई ठोस आदेश शासन की तरफ से जारी करवाएं।

माननीय सभापति महोदय, जब तक घर-घर जल कनेक्शन न हो, मैंने पहले भी एक बार सदन के माध्यम से अवगत कराया था कि गांव में हाइड्रेंट की व्यवस्था आप कर दें, चूंकि सरकार ने कई योजनाओं के अन्दर घर-घर के अन्दर टांके बना रखे हैं, अब 500 घरों की बस्ती है, वहां आपने दो टूंटी लगा दी तो हमारे तो पुरखे ही घड़ों को सिर पर रखकर पानी लाते थे, तब हजारों करोड़ रुपये लगाकर वापस वही सिर पर घड़े रखकर पानी लाना पड़े तो फिर मैं यह सोचता हूं कि आज 72 साल के बाद हम विकास की बहुत बड़ी-बड़ी बातें यहां सदन में भी करते हैं, तो कहीं न कहीं यह बातें कल्पनाओं से परे हैं।

(18.39 बजे)

(श्री जितेन्द्र सिंह, सभापति, पदासीन)

इसलिये ऐसी परियोजना में त्वरित कार्यवाही कराकर जब तक घर-घर, हमारे माननीय प्रधान मंत्रीजी की भी एक बहुत बड़ी योजना है कि हम प्रत्येक घर के अन्दर नल से कनेक्शन देंगे, जब तक उसको मूर्त रूप नहीं दे सकते, तब तक प्रत्येक गांव में हाइड्रेंट लगाने का आप जरूर कष्ट करें ताकि कोई भी व्यक्ति 50 रुपये देकर, वहां से टैंकर भर कर ले जायेगा। उससे उस समिति को भी आय होगी और वे बिल भी जमा करा देंगे और कनेक्शन भी नहीं कटेंगे।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी का ध्यान इस ओर आकर्षित कराना चाहूंगा कि जहां भी पेयजल की योजनाएं चलीं, उन गांवों के अन्दर पूरे गांव के सी.सी., ब्लाक्स और सड़कें, सारी की सारी तोड़

(श्री नारायण बेनीवाल)

दीं। उसके ऊपर भी कोई ठोस कार्ययोजना बने। हम बड़ी मुश्किल से आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाते हैं। एक दिन एक विभाग सड़क बनाता है और दूसरे दिन दूसरा विभाग उस सड़क को तोड़कर पाइप लाइन डाल देता है, उसकी वापस से मरम्मत नहीं हो पाती है, तो कहीं न कहीं सारे विभागों के आपस में सामंजस्य की बहुत बड़ी कमी है और उससे बहुत बड़ा धन भी सरकार का व्यय होता जा रहा है और लोगों में विभागों के बारे में नकारात्मकता भी उत्पन्न हो रही है, तो मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करूंगा कि इसके लिए भी कोई ठोस कार्ययोजना बने।

माननीय सभापति महोदय, डी.पी.आर. के नाम से चाहे विभाग कोई सा हो और विशेषकर जो पानी, बिजली के मामले हैं, इनके अंदर डी.पी.आर. पर बहुत बड़ा पैसा खर्च होता है। कोई न कोई एनजी.ओ. या डी.पी.आर. बनाने वाली कम्पनियों को बहुत बड़ा पैसा दिया जाता है और फिर बजट की कमी बताकर उस डी.पी.आर. को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है, तो कहीं न कहीं ऐसी कार्ययोजना बने कि डी.पी.आर. पर बहुत बड़ा पैसा खर्च नहीं हो। आप उसी परियोजना की डी.पी.आर. बनाओ जिस परियोजना की वित्त विभाग से सैंक्शन होने की उम्मीद हो ताकि सरकारी धन का दुरुपयोग भी नहीं हो।

माननीय सभापति महोदय, अभी कई माननीय सदस्यों ने यह बात कही कि घग्घर फ्लड और ऐसी जब बाढ़ की स्थिति आती है या जब वर्षा ज्यादा होती है तब पानी बहकर व्यर्थ चला जाता है, तो इसके लिए कोई न कोई ठोस कार्ययोजना बने कि उस पानी का हम संग्रह कैसे करें? यदि हम हमारे नागौर जिले की बात करें तो इंदिरा गांधी नहर का सिंचाई के लिए भी बहुत पहले सर्वे भी हो चुका था, माननीय मंत्री महोदय, मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि ऐसा व्यर्थ बहकर जो पानी पाकिस्तान जा रहा है, पानी भी जा रहा है और हम उनको पैसा भी दे रहे हैं, हमारी सरकार, चाहे राज्य की सरकार हो चाहे वह केन्द्र की सरकार को, वह पानी कैसे डाइवर्ट होकर जोधपुर और नागौर की तरफ आये और सिंचाई के साधन बढ़ें ताकि हमारे जो किसान भाई हैं, उनकी हालत को हम सुधार सकें।

माननीय सभापति महोदय, पिछली बार की माननीय गहलोतजी की जो सरकार थी उस समय रूफटाप वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, जो सरकारी दफ्तर है, उनके प्रत्येक के अंदर बहुत बड़ा पैसा खर्च किया कि रूफटाप वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम से उस विभाग के लिए पानी की जो जरूरत है, वह कहीं न

(श्री नारायण बेनीवाल)

कहीं उससे पूरी हो। पैसा भी लगाया और आपने सारा सिस्टम भी बना दिया लेकिन आज तक पांच लीटर पानी का भी कोई सरकारी कार्यालयों के अंदर उसका उपयोग नहीं हो रहा है तो मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करूंगा कि ऐसी योजनाएं जो एक बार, चाहे सरकार किसी की भी हो, आखिर में कहीं न कहीं हमारी जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा है, उसका सदुपयोग कैसे हो? यह जो जितने भी वाटर हार्वेस्टिंग के सिस्टम, जो पूर्ववर्ती सरकारों में बनते आये हैं उनको आप रैगुलर करें, उस पर आप ऐसी कार्य योजना बनाएं।

माननीय सभापति महोदय, हमारे नागौर जिले के जो समस्त तालाब थे जो बहुत कठोर जमीन थी, उसमें मनरेगा के तहत उन तालाबों की अत्यधिक खुदाई के कारण से सिल्टिंग होकर एक जो पक्का तल का जो निर्माण हो जाता था, उसके बाद इन लोगों ने नरेगा में उन सब तालाबों को, वहां के जो अफसर लोग हैं, वह ढंग से उस परिस्थिति को समझ नहीं पाये और सारी सिल्टिंग टूटने से हालात यह हुए कि सारा का सारा पानी एक-दो महीने में सोख जाता है। जो तालाब बारह महीने भरे रहते थे, उन तालाबों की यह हालत हुई कि अति दोहन से वह सिल्टिंग टूटा और पानी दो महीने के अंदर ही पूरा का पूरा जमीन के अंदर चला जाता है तो मैं यह निवेदन करूंगा कि मनरेगा में जो कार्य चल रहा है, उसमें जब नाड़ी-तालाबों की खुदाई हो, उसके अंदर इन सब चीजों का बहुत बड़ा ध्यान रखना है क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमारे पुरखे कोई विज्ञान के बारे में नहीं जानते थे या इस सिस्टम के बारे में नहीं जानते थे, वह भी बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। उन लोगों ने सिल्टिंग करके और ऐसे नाड़ी-तालाब हम लोगों को दिये कि इनको संजो कर रखना, क्योंकि उनको भी यह पता था कि जब जिन-जिन भविष्यवक्ताओं ने भविष्यवाणियां कीं कि तीसरा महायुद्ध जब कहीं पर होगा तो तीसरे महायुद्ध में कहीं न कहीं पानी की बहुत बड़ी भूमिका होगी तो इसके ऊपर आपको कोई ठोस कार्य योजना बनाने की बहुत बड़ी आवश्यकता है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र की मूंडवा व मेड़ता पंचायत समिति, मेरे विधान सभा क्षेत्र में चार पंचायत समिति लगती है तो मूंडवा और मेड़ता पंचायत समिति में एस.पी.एम.एल. कम्पनी ने वहां पर परियोजना का काम शुरू किया लेकिन अब पता नहीं कि कहां पर वह कम्पनी है और कहां पर उसके काम करने वाले हैं? अब उनसे पूछो तो यह कह रहे हैं कि रैगुलर पी.एच.ई.डी. वालों

(श्री नारायण बेनीवाल)

से बात करो और रैगुलर वालों से पूछो तो कहते हैं कि कम्पनी वालों से बात करो। और तो और, माननीय सभापति महोदय, मंत्री महोदय से मैं यह निवेदन करूंगा कि उस कम्पनी ने ठेके और आगे सबलेट कर दिये पांच-छह जगह पर और उनका कोई अता-पता नहीं है। एक तरफ तो हम प्रत्येक व्यक्ति तक जल पहुंचाने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ ऐसी बड़ी कम्पनियां जो बड़ी-बड़ी बातें करके और सरकार को अपनी योजनाओं में उलझाकर बहुत बड़ा पैसा लेकर जब यहां से चली जाती हैं तो ऐसी कम्पनियों को ब्लैक लिस्ट किया जाए और उनसे, अपनी पूरी ऊर्जा अपन इस तरफ लगाएं कि प्रत्येक व्यक्ति तक पानी कैसे पहुंचे?

माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र की ही नहीं, पूरे जो माननीय सदस्य बैठे हैं, एक जनता जल योजना की जो स्थिति है, उस पर कहीं न कहीं ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय, Please, conclude earliest.

श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर): सर, दो ही मिनट। जनता जल योजना जो है, उस पर मोनिटरिंग की भी आवश्यकता है और जनता जल योजना में जो लोग लगे हुए हैं दस, बारह, पन्द्रह साल से, जो उस पर पम्प चला रहे हैं उन लोगों के नियमितीकरण के लिए भी कोई न कोई ठोस आश्वासन माननीय मंत्री महोदय दें।

इसके अलावा खींवसर में बंद पड़े नलकूपों को पुन: चालू करने की आवश्यकता है और हम हर व्यक्ति के लिए कुछ न कुछ तो कर ही रहे हैं लेकिन, माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह भी निवेदन करूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में जहां काफी रेगिस्तानी इलाका भी है वहां पर वन्य जीवों हेतु भी पेयजल की बहुत बड़ी आवश्यकता है। हम लोग जब भी वहां जाते हैं तो गांवों में सब लोग यह कहते हैं कि कहीं पर होदी बनाओ ताकि जो वन्य जीव हैं, वह भी पानी पीकर अपना जीवन बचा सकें।

इसके अलावा आर.ओ. प्लांट और डी-फ्लोराइड संयंत्र, मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान इस तरफ आकर्षित करूंगा कि आर.ओ. प्लांट और डी-फ्लोराइड संयंत्र जहां पर लगाये हैं उनके अंदर एन.जी.ओ. और विभाग ने मिलकर बहुत बड़ा भ्रष्टाचार किया है। हालांकि, मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूं, बाकी इस व्यवस्था के ऊपर सोचने की बहुत बड़ी जरूरत है कि जनता की गाढ़ी कमाई इस पर खर्च कर रहे हैं तो इस पर कहीं न कहीं आप बहुत

(श्री नारायण बेनीवाल)

अच्छी मोनिटरिंग करके ध्यान दें और खींवसर क्षेत्र के प्रत्येक गांव और ढाणियों में इंदिरा गांधी नहर परियोजना के तहत प्रत्येक व्यक्ति तक जल कैसे पहुंचे, इसको सुनिश्चित करने का मैं मंत्रीजी से आश्वासन चाहूंगा।

इसके अलावा मृदा स्वास्थ्य के ऊपर भी, जहां पर हमारी लवणीय जमीन है वहां पर कई जगह पर, जिप्सम पहले सरकार जो भू-संरक्षण के नाम से उपलब्ध कराती थी, उसमें भी बहुत बड़ी कटौती कर दी तो उसमें ऐसी कोई व्यवस्था बने कि हमारी जमीन भी उपजाऊ रहे और जल, जंगल और जमीन इन तीनों चीजों पर अपने को मेन टार्गेट करके हम सबका यह प्रयास होना चाहिए कि राजस्थान का प्रत्येक व्यक्ति पानी के लिए उसके दिल में कहीं दर्द नहीं हो। इन सब बातों के लिए हमें ठोस कार्ययोजना की जरूरत महसूस हो रही है। माननीय सभापति महोदय, आपने इन मुद्दों पर मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, आभार।

श्री सभापति: श्रीमती सफिया जुबेर।

श्रीमती सफिया जुबेर (रामगढ़): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 27, 46 और 38 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करती हूं।

आधारभूत पंच तत्वों में से एक जल हमारे जीवन का आधार है। जल के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है इसीलिए बहुत से कवियों ने, बहुत से शायरों ने जल के ऊपर बहुत सी कविताएं लिखी हैं और राजस्थान में तो बहुत से गीत होते हैं जो जल के बारे में हमारी महिलाएं खास तौर से गाती हैं।

मैं धन्यवाद देना चाहूंगी माननीय मुख्य मंत्रीजी को और हमारे जल संसाधन मंत्रीजी को कि जिन्होंने मेरे विधान सभा क्षेत्र में पानी की बहुत अधिक योजनाएं दी हैं, जिसकी वजह से मेरे विधान सभा क्षेत्र में काफी हद तक पानी की समस्या खतम हो गयी है लेकिन फिर भी कुछ न कुछ कमी कहीं रह जाती है और वह सबसे बड़ी है कि पड़ौस में आपने चम्बल का पानी पहुंचा दिया है लेकिन हमारे यहां, मेरा विधान सभा क्षेत्र जो एकदम एडजोइनिंग है, वहां पर नहीं आया है।

चम्बल का पानी जिला भरतपुर की तहसील नगर के गांवों में उपलब्ध हो रहा है जबकि अलवर जिले की तहसील गोविंदगढ़ के ग्रामों में भी उसी

(श्रीमती सफिया जुबेर)

प्रकार के पेयजल की समस्या है जैसे कि तहसील नगर में है, जहां पर हाई फ्लोराइड है, पानी का लेवल बहुत ज्यादा नीचे है फिर भी अलवर जिले की तहसील गोविंदगढ़ के गांवों को चम्बल का पानी उपलब्ध नहीं कराया गया। काफी गांव तो ऐसे हैं जो चारों तरफ से भरतपुर के गांवों से घिरे हुए हैं, वहां पर तो पानी आ रहा है और बीच में हमारी विधान सभा क्षेत्र का एक गांव है तो वहां यह पानी उपलब्ध नहीं हो रहा है तो माननीय सभापति महोदय, पानी की सीमाएं तो राष्ट्र एवं प्रदेश भी नहीं रोक सकते हैं तो आपने जिले की सीमाओं को क्यों बंधक बना रखा है? आप इस चम्बल के पानी को अलवर जिले की तहसील गोविंदगढ़ में भी उन गांवों में जरूर उपलब्ध कराएं जहां पर इसकी सख्त जरूरत है।

बहुत सुबह से पानी पर यह चर्चा हो रही है और पानी की समस्या सिर्फ राजस्थान की ही नहीं पूरे देश की है। विश्व में हमारा देश जनसंख्या के हिसाब से दूसरे नम्बर का है और इसलिए ज्यादा परेशानी यहां पर आ रही है। वैसे तो धरती पर देखिये 70 प्रतिशत पानी है लेकिन इसमें से सिर्फ 2 प्रतिशत पानी ही पीने योग्य होता है और उसमें भी एक प्रतिशत पानी हमें मिलता है, एक प्रतिशत तो जमा हुआ है, वह भी पर्यावरण में इतना फर्क आ गया, जिसकी वजह से यह पानी के ग्लेशियर पिघल-पिघलकर आ रहे हैं तो मुझे यह लगता है कि आगे जाकर यह परेशानी भी आएगी और पानी की समस्या का बहुत अधिक कारण यह भी है कि हमारा अरबनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोपर नहीं रहा है। हमने जो बेसिक प्राब्लम थी उनको फेस ही नहीं किया और अंधाधुंध हम करते चले गये। नगरों की बात करें तो आप देखिए कि खास तौर पर अभी बात आ रही थी एस.सी., एस.टी. की प्राब्लम्स हैं तो यह सच्चाई है। जो हमारे कस्बे हैं, वहां पर जो एस.सी. मौहल्ला होता है, मैंने आम तौर पर देखा है कि गर्मियों में प्राब्लम वहीं पर आती है बाकी मौहल्लों में नहीं आती है। हर बार गर्मी आयी तो लोग बोलते हैं, मैडम, हमारे तो पानी नहीं आ रहा। मुझे लगता है कहीं-न-कहीं अधिकारी इसमें गड़बड़ करते हैं कि दूसरे मौहल्लों में पानी ज्यादा दे देते हैं और इस मौहल्ले का ध्यान नहीं रखते तो मैं खास तौर पर सबसे कहूंगी, सभी अधिकारी यहां मौजूद हैं, आप इस बात का खास तौर पर ध्यान रखें कि सबको बराबर में आप लेकर चलें।

अब हम बात करेंगे अलवर जिले की, क्योंकि समय सीमा में बंधा

(श्रीमती सफिया जुबेर)

हुआ है। मैं चाहूंगी कि गुडगांवा कैनाल जो भरतपुर तक आ गयी है, इस बार बजट में शायद उसको और एक्सटेंड किया जा रहा है तो अगर सरकार चाहे तो गुडगांवा कैनाल को नरेगा में प्लस जितना वहां की पंचायतों से पोसिबल हो पाएगा प्लस जितना एम.एल.ए. कोटा है और जन सहयोग से इस कैनाल को हम चाहें तो अलवर जिले में भी ला सकते हैं। मुझे लगता है अगर आपको 2010 की वाटर पालिसी को प्रोपर तरीके से इम्प्लीमेंट करना है तो आपको बेनिफिशरीज और स्टेट, दोनों को इसमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, तभी यह संभव हो पाएगा।

माननीय सभापति महोदय, इसके अलावा अलवर बहुत डार्क जोन में आ गया है। सिर्फ एक-दो ब्लाक ही हैं, जहां पानी की समस्या नहीं है वरना पूरा जिला लगभग डार्क जोन में है लेकिन फिर भी वहां पर वाटर बेस इंडस्ट्रीज अभी भी चल रही हैं। खास तौर पर दादर गांव में एक वाटर बेस इंडस्ट्री है, जहां पर कोल्ड ड्रिंक बनायी जा रही हैं और वहां पर इतने बड़े-बड़े बोरिंग कर रखे हैं कि बाकी सभी गांवों के बोरिंग सूख गये हैं। दादर गांव में एक अजीब-सी प्राब्लम आ गयी है। वह गांव ग्रामीण क्षेत्र में आता है और वहां पर लोगों को बहुत अधिक कैंसर हो रहा है। मुझे लगता है कि उनका जो वेस्टेज वाटर है, वह सीधा जमीन में डाल रहे हैं जिसकी वजह से अंडरग्राउंड वाटर पोल्यूटेड हो गया है तो मुझे लगता है एक कमेटी बनाकर मंत्रीजी को इसकी जांच करवानी चाहिए और वाटर बेस इंडस्ट्री को तो आपको बंद ही कर देना चाहिए। मल्टीनेशनल कंपनी पेप्सी के प्लांट्स चल रहे हैं। जब हम पीने का शुद्ध पानी उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं तो यह रंगीन पानी पिलाने की हमें कहां जरूरत आ रही है। मुझे लगता है कि सरकार को प्रेक्टिकल डिसीजन लेने चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, इसके अलावा हमारे यहां डैम्स हैं। अलवर में बहुत सारे डैम्स हैं। राजा-महाराजाओं ने काफी सारे डैम्स बनाये थे। उन्होंने दूरदृष्टि रखते हुए उस समय में इतने बड़े-बड़े काम किये, जिसकी वजह से आज भी पानी की कुछ समस्या कम है। हमारे यहां सिलीसेढ़ डैम है, जयसमंद डैम है, जिनमें कभी डीसिल्टिंग ही नहीं की गयी है। वह एकदम लेवल में आ गये हैं। बारिश का पानी आता है, लेकिन उसमें पानी स्टोर करने की कैपेसिटी बहुत कम हो गयी है और जो उसका ओवरफ्लो है, उसके रास्ते में भी होटल बना दिये गये हैं। इससे वह जल्दी भर जाता है क्योंकि मिट्टी भर गयी है तो

(श्रीमती सफिया जुबेर)

क्यों नहीं नरेगा में सिलिसेढ़ का बांध है, चाहे जयसमंद बांध है, उनको हम खाली करने का काम करें ताकि पानी प्रोपर तरीके से उनमें स्टोर किया जाए। जयसमंद में तो बड़े-बड़े बोरिंग हैं, वह फटाफट पानी नीचे खींच लेते हैं और डेढ़ महीने में डैम एकदम खाली हो जाता है। इसके बारे में भी कमेटी बननी चाहिए कि जो हमारे डैम्स हैं, इनके कैचमेंट एरिया में, इनके ओवरफ्लो के रास्ते में बिना परमिशन के किस-किसने होटल बना लिये हैं, यह रेवेन्यू डिपार्टमेंट क्या करता है, पटवारी क्या करते हैं, क्यों ध्यान नहीं देते हैं और हमारे अलवर में इसके जो संबंधित ए.ईएन., जे.ईएन. हैं, वह क्या कर रहे हैं, उनको दिखता नहीं है क्या? जब भी बारिश होती है, सब भागकर सिलीसेढ़ जाते हैं। दोनों तरफ होटल बना दिये, अब पानी के बहने का रास्ता ही खतम हो गया है।

माननीय सदस्या शकुन्तला जी सही कह रही थीं, वह सिलीसेढ़ की नहर इतनी डैमेज हो गयी है कि सारा पानी लीक होकर आधे रास्ते में ही नहर खतम हो जाती है। पूर्ववर्ती सरकार ने एक करोड़ की एक दिन उसकी सैंक्शन निकाली थी। पता नहीं वह एक करोड़ रुपया कहां लगा दिया, कुछ पता ही नहीं चला। उस पैसे की जांच होनी चाहिए कि एक करोड़ रुपया कहां चला गया? वहां तो सारा पानी लीक हो रहा है, वहां पर पहुंच ही नहीं पा रहा है। नहर तो पूरे शहर तक आती है लेकिन पानी तो 25 प्रतिशत इलाके में पहुंच पा रहा है। उसमें भी सिलीसेढ़ बांध का पानी, बेसिकली यह डैम किसानों के लिये बनाया गया था कि उनकी खेती बढ़िया होगी लेकिन वह मछली पालन के इतने बड़े-बड़े ठेके दे देते हैं कि वह पानी खोलने ही नहीं देते हैं। चाहे आदमी प्यासा मर जाए, चाहे किसानों की फसल सूख जाए, लेकिन वह डैम के गेट तो खोलेंगे ही नहीं क्योंकि वह मछलियां मर जाएंगी। माननीय सभापति महोदय, हम मछलियों की चिंता करें या इंसानों की चिंता करें? इसका जो बेसिक परपज है, वह तो उसमें साल्व हो ही नहीं रहा है।

माननीय सभापति महोदय, मुझे लगता है पानी के बारे में जितनी भी बात की जाए, उतनी कम है। इसमें अवेयरनैस फैलाने की जरूरत है। आज पानी की बर्बादी खूब होती है। मैं अक्सर देखती हूं कि गर्मियों में भी लोग आधे-आधे घंटे अपनी गाड़ियों को धोते हैं। सब महिलाएं अपने बरामदे को धोती हैं। यह यहीं होता है? आप विदेश में जाएंगे तो लंदन में 100 पौण्ड का चालान कर देते हैं। अगर आप गर्मियों में गाड़ी को पाइप से धो रहे हैं तो

(श्रीमती सफिया जुबेर)

चालान होगा। यह भी वह तब करते हैं जब उनको सामने पता होता है कि इस साल बारिश कम होने वाली है, तो पहले से प्रिकोशन ले लेते हैं लेकिन हमारे यहां ऐसा सिस्टम नहीं है। हम लोग गाइडलाइंस से बंधे हुए हैं, रूल्स में बंधे हुए हैं, हमारे अधिकारी लोग तो बस हैण्डपम्प आ गया, चलो लगा दो। पानी आये तो आये, नहीं तो नहीं आये। हम पैसा देते हैं सरपंचों को, सरपंचों को क्या मालूम कि कहां पानी है, कितना पानी है, कैसे लगेगा? अगर इन सरपंचों को भी आप पानी की व्यवस्था करने में लगा रहे हो तो हमारे यह जो वाटर एक्सपर्ट हैं, यह क्या करेंगे, इंजीनियर्स क्या करेंगे? मुझे लगता है जितना पैसा हम ग्राम पंचायतों में पानी के लिये देते हैं, वह तो बंद ही कर देना चाहिए। इसके लिये हर गांव के लिये पानी की योजना बननी चाहिए कि पूरे गांव के सभी लोगों को पानी कैसे उपलब्ध कराया जाए, उसका एक प्लान बनना चाहिए और उसी प्लान के तहत, चाहे किसी कोटे में हो, वहीं पर पानी का पाइंट होना चाहिए और कहीं संभव नहीं है तो वहां पर हैण्डपम्प मत लगाओ। आप वहां पर जमीन को भी क्यों खोद रहे हो? वहां पर आप टैंकरों से पानी दो। गर्मियों में आम तौर पर देखा गया है, टैंकरों के पैसे भी सरकार बहुत कम देती है।

श्री सभापति: माननीय सदस्या, प्लीज समाप्त करें।

श्रीमती सफिया जुबेर (रामगढ़): लेकिन इसकी कोशिश करनी चाहिए। इंदिरा जी ने सही कहा कि यह पैसे बहुत कम देते हैं जिसकी वजह से यह प्राब्लम आती है, तो जहां पानी नहीं है, वहां पर आप टैंकरों से पानी की सप्लाई करें लेकिन यह सुनिश्चित करें कि किसी को भी पानी की कमी से परेशान नहीं होना पड़े। मैं उम्मीद करती हूं अभी मंत्रीजी जवाब देंगे तो कम-से-कम मेरी विधान सभा में तो चंबल का पानी देने की व्यवस्था करने की जरूर हां करेंगे। धन्यवाद।

श्री सभापति: सभी माननीय सदस्यों से मेरा नम्र निवेदन है कि अभी करीब 35-40 वक्ता बाकी हैं और माननीय मंत्री महोदय को तकरीबन 9.30-10.00 बजे से पहले अपनी रिप्लाई देनी है तो प्लीज स्पेसिफिक जो कांस्टीट्यूएंसी की प्राब्लम हो, उनको हाई-लाइट करें और उनको रिपीट न करें। माननीय श्री संयम लोढ़ा।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, मुझसे पहले बहुत-से माननीय सदस्यों ने बहुत उपयोगी सुझाव दिये और जिनके माध्यम

(श्री संयम लोढ़ा)

से मैं समझता हूं सरकार लाभान्वित होगी और सरकार के माध्यम से आम जनता भी लाभान्वित होगी।

'जल ही जीवन है' और 'पानी बचाओ' यह आह्वान हमारे सामने समय-समय पर आता रहा है लेकिन हम इनको अपना नहीं सके। यह सिर्फ दीवारों पर लगे हुए एक नारे की तरह दम तोड़ता हुआ दिखता है। पानी का उपयोग बढ़ा है, पानी का दोहन बढ़ा है और पानी का संरक्षण लगातार कमजोर होता गया है। मैं समझता हूं कि चुनौतीपूर्ण हालात में सरकार को एक दृढ़ इच्छा शक्ति और एक नये नजरिये के साथ आना चाहिए। किस आधार पर आप अपनी सारी योजनाएं बना रहे हैं, मैं तो समझ नहीं पाता और आपके यह दस्तावेज भी जो आपने उपलब्ध कराये हैं, वे भी मैंने देखे हैं, यह कोई बहुत उत्साह पैदा नहीं करते।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान के पास खेती योग्य भूमि है 13.68 प्रतिशत, जनसंख्या है देश की 5.67 प्रतिशत, पशुधन है 11 प्रतिशत और सरफेस वाटर है 1.16 प्रतिशत और ग्राउंड वाटर है 1.70 प्रतिशत और टोटल आकलन करें तो 10 प्रतिशत भूमि है और एक प्रतिशत पानी है। इस सबके बीच में लगातार दम तोड़ती हुई हमारी योजनाएं हैं। हमने पहले शुरुआत में कुओं को पक्का किया और कुओं से डोरी के जरिये पानी खींचने की व्यवस्था की, फिर हैण्डपम्प ले आए, फिर हैण्डपम्प पर प्लांट ले आये। अरबों रुपये खर्च होते गये और सारी व्यवस्थाएं समय के साथ दम तोड़ती गयीं, क्योंकि हमने पानी के संरक्षण का काम नहीं किया। माननीय सभापति महोदय, आज राजस्थान के 172 ब्लाक ओवर एक्सप्लाइटेड हैं, 25 क्रिटिकल हैं और 20 सेमी-क्रिटिकल हैं, मात्र 24 ब्लाक ऐसे हैं जो सेफ हैं और 2 में सेलिन वाटर हैं।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान सरकार 2010 में वाटर पालिसी लेकर आयी। आपने वाटर रिसोर्स विजन दिया 2045 का, लेकिन हुआ क्या? इंदिरा गांधी कैनाल का पानी आप खेती के लिये देने की सोच रखते थे, क्या हुआ? आपको बीच में छोड़ना पड़ा। पूर्व माननीया मुख्य मंत्री थीं, उन्होंने जल स्वावलम्बन के कार्यक्रम भी दिये, फोरवाटर कांसेप्ट भी दिये। कभी आपने आकलन करने की कोशिश की कि जिन संरचनाओं का निर्माण आपने फोरवाटर कांसेप्ट में किया था, क्या हुआ उनका? किस आधार पर बने? माननीय सभापति महोदय, डिजाइन कहीं की, खसरा नंबर कहीं का, निर्माण

(श्री संयम लोढ़ा)

कहीं पर, भुगतान कहीं पर और 2017 की अतिवृष्टि के अंदर फोरवाटर कांसेप्ट में अब अगर आपकी कहीं भी एक संरचना खड़ी हो तो माननीय मंत्रीजी, आप बता देना। वह पानी जहां आपने इकट्ठा किया, बहकर तो गया ही गया, माननीय सभापति महोदय, हजारों बीघा जमीन को नदी के अंदर तब्दील कर दिया और आपके गलत क्रियान्वयन के वजह से उस किसान का भला तो कुछ हुआ नहीं, किसान की भूमि बर्बाद हो गई, जो दो-दो, तीन-तीन लाख रुपये बीघा मूल्य की भूमि थी वह कौड़ियों के भाव में आकर के खड़ी हो गई। इतना बड़ा नुकसान आपने किसान का किया।

(19.00 बजे)

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे जो इंटर स्टेट एग्रीमेंट हैं, गंग कैनाल, भाखड़ा, नर्मदा, रावी, यमुना, माही, चंबल, भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड में आपको पूर्णकालिक सदस्यता अभी तक मिली नहीं। यमुना जल आबंटन समझौता है, 25 साल बाद भी ताजेवाला हैड से खुद के हिस्से का पानी हम ले नहीं पा रहे। नाथूराम जी मिर्धा के वक्त समझौता हुआ था कि नर्मदा का पानी जब गुजरात के खेड़ा जिले में पहुंच जाएगा तो माही ब्यास का बचा हुआ पानी सिरोही, जालौर और बाड़मेर जिले को मिलेगा, क्या हुआ? तीन साल पहले वो नर्मदा का पानी खेड़ा जिले में पहुंच गया, आज इस पर कोई बात करने को तैयार नहीं है और वो पानी, जो राजस्थान को मिलना चाहिए था वो गुजरात में सुजलाम सुफलाम के नाम से नई योजना बनाकर के यूज कर लिया, हम वहीं के वहीं खड़े हैं। अभी जो प्रोजेक्ट बना करके भेजे, यह जवाई पुनर्भरण का भेजा, उसके अंदर कोई प्रगति नहीं है। ईस्टर्न एरिया का आप जो इतना बड़ा प्रोजेक्ट लेकर के आये हैं, कहीं ना कहीं तो मैं हमारे प्रतिपक्ष के सदस्यों से भी अनुरोध करना चाहूंगा कि भारत सरकार को भी आगे आना पड़ेगा। कभी राजस्थान के अंदर सिंचाई परियोजनाएं भारत सरकार ने शत-प्रतिशत पैसा देकर भी क्रियान्वित कीं, 90 प्रतिशत पैसा देकर के भी क्रियान्वित की हैं, 75 प्रतिशत पैसा देकर भी क्रियान्वित की हैं। आज जो स्टेट की माली हालत है, अगर हम सारे लोग सोचते हैं कि स्टेट में ये काम होने चाहिए तो स्टेट की हालत तो है नहीं। प्रतिपक्ष के नेता को, सदन के नेता को जा करके और अब तो राजस्थान के ही जल शक्ति मंत्री भी हैं, प्रयास करना चाहिए जिससे यह जितने प्रोजेक्ट हमारे पैंडिंग है वो पूरे हों। माउंट आबू सालगांव परियोजना, साल का 26 लाख, 28

(श्री संयम लोढ़ा)

लाख टूरिस्ट आता है, कई बार ऐसी स्थिति बनी कि पानी की कमी के कारण वहां स्कूल खाली करानी पड़ी, टूरिस्ट को रोकना पड़ा और अब महामहिम राज्यपाल भी ग्रीष्मकालीन राजधानी में वहां जाएंगे, पिछले वाले तो गये नहीं। आपने अनुदान की मांगों पर आज यहां चर्चा प्रस्तुत की है। सालगांव की परियोजना कितने समय से आपके पास लंबित पड़ी है? 2 साल से भी ज्यादा समय हो गया, बहुत प्रसन्नता होती यदि आप उसको स्वीकृत करते।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा नर्मदा, सांचौर, धोरीमन्ना, गुडामालानी और चौहटन, आपने 2220 डिग्गियां बनाई हैं, कोई जिम्मेदार आदमी जा करके देखता है कि उन 2220 डिग्गियों में से कितनी चालू हो पाई हैं? एक हजार डिग्गियां मौके पर किसानों के लिए कोई काम नहीं आ रही और, माननीय सभापति महोदय, टेल तक आपका पानी नहीं जा रहा और मार्च के अंदर यह प्रोजेक्ट खतम होने वाला है। भारत सरकार से आपको सौ करोड़ रुपया लेना था, आप अभी तक नहीं ले पाये तो मैं आपसे विनती करूंगा कि माननीय मंत्री महोदय अति व्यस्त हैं, बड़े-बड़े महकमे हैं लेकिन आपके समय निकाले बिना जो मौके के हालात हैं उससे न तो सरकार अवगत होगी और आप अधिकारियों के भरोसे छोड़ोगे तो वही हालात हैं जो मैंने आपको निवेदन किये।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा बत्तीसा नाला सिंचाई परियोजना, 213 करोड रुपये का काम है, 2 साल पहले इसका कार्यादेश हो गया। मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री महोदय जवाब दें कि आपने उसमें कितना काम किया? जितना खर्चा आपको 2019-20 में करना चाहिए था, कितना पैसा खर्च किया? मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आपने मात्र 19 फ़ीसदी पैसा उस प्रोजेक्ट में खर्च किया। कब तो वह बांध पूरा होगा, कब इन रास्तों के गांवों को और इन शहरों को पेयजल योजना नए सिरे से जुड़ करके वो पैसा उनको मिलेगा?

अब आप योजना बनाते हैं, जवाई बांध जो पश्चिमी राजस्थान की एक बहुत महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजना है, वहां से आप पानी सौ-सौ किलोमीटर दूर ले जाने का प्लान कर रहे हैं। 10 साल में से 6 साल तो उसमें पूरा पानी भरता नहीं, अब किस आधार पर आप सौ-सौ किलोमीटर दूर की परियोजनाएं बना रहे हैं? और जितनी एम.सी.एफटी. बांध की कैपेसिटी है, क्या पी.एच.ई.डी. ने उसमें पानी का रिजर्वेशन किया इन सबके लिए? बिना

(श्री संयम लोढ़ा)

रिजर्वेशन किये मनमर्जी आप योजना पर योजना बनाये जा रहे हैं और हालात ऐसे बन रहे हैं कि जहां योजनाओं को लिंक कर रहे हैं वहां भी आप 72 घंटे से पहले पानी नहीं दे पा रहे हैं तो फिर समझ में नहीं आता इस तरीके की बेसलैस, बिना किसी दिशा की योजनाओं का निर्माण किसलिए कर रहे हैं?

पिछले साल आपने आदेश किया, 2013 में तत्कालीन सिंचाई मंत्री ने आदेश किया एक सर्वे का, जवाई बांध से जो स्टेट टाइम का, अंग्रेजों के टाइम का समझौता हुआ था, जिसके दस्तावेज नहीं मिल रहे थे और बाद में दस्तावेज मिले, 11 गांवों के सर्वे का, 10 किलोमीटर दूर 11 गांव हैं, उनको आप सिंचाई का पानी नहीं दे रहे, आपके पास में सर्वे आकर पड़ा हुआ है, आप उसमें पैसा स्वीकृत नहीं कर रहे। जो जवाई नदी के मात्र 10 किलोमीटर किनारे बसे हुए गांव हैं, इनको आप लाभान्वित नहीं कर रहे। माननीय सभापति महोदय, जवाई पुनर्भरण योजना पर अगर आप आगे बढ़ते हैं तो पाली, सिरोही, बाड़मेर इन सभी जगह के किसान हजारों की तादाद में लोग बाहर जा रहे हैं, गुजरात, महाराष्ट्र सब जगह जा करके बैठे हुए हैं, इन सबको यहां पर काम मिल सकेगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि यह जल संरक्षण का काम हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता पर होना चाहिए और महाराष्ट्र इसका बैस्ट एग्जाम्पल है जिसने जल संरक्षण के अंदर सबसे बेहतरीन काम किया है और हमारे लिए सबसे ज्यादा प्रसन्नता की बात यह है कि वहां पर जो एन.जी.ओ. सरकार के साथ मिलकर यह काम कर रहे हैं वह सब मूल रूप से राजस्थानी हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी को पिछले साल उन्होंने राजस्थान में भी इन सारी वाटर बाडी का संरक्षण खुद करने का प्रपोजल दिया कि हम यह व्यवस्था देखेंगे, इसका संचालन हम सब करेंगे, अभी तक आपने उसमें कोई आदेश जारी नहीं किया। भारतीय जैन संघ जो संस्था बनी हुई है, इसने पूरे महाराष्ट्र के अंदर यह काम किया है और जो-जो लोग उस संस्था से जुड़े हुए हैं यह करने के लिए अपने-अपने क्षेत्र के सौ-सौ गांव वो खुद लेने को तैयार हैं। मैं आपके माध्यम से विनती करूंगा कि सरकार इस पर सोचे जिससे राजस्थान के अंदर इस काम को आगे बढ़ाया जा सके।

अब आपने यह जो दस्तावेज हमें उपलब्ध कराया है, माननीय मंत्री जी, निराशा पैदा करता है। ग्रामीण क्षेत्र में आपने जो कार्य पूर्ण किये हैं,

(श्री संयम लोढ़ा)

2018-19 में किये थे 6030 और अभी मात्र 2688 और शहरी क्षेत्र में 2018-19 में थे 913 काम पूरे हुए और इस बार मात्र 475, हम अटक गए हैं।

आपने यह प्रगति विवरणिका उपलब्ध कराई है, माननीय मंत्री जी, मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। माननीय मंत्री जी, नगरीय पेयजल योजनाओं में आपके पास अवेलेबल था 1 लाख 2 हजार 583.87 लाख और खर्चा कितना किया मात्र 55 हजार लाख। इसी तरीके से ग्रामीण पेयजल योजनाओं में आपके पास अवेलेबिलिटी थी 3 लाख 91 हजार 535 लाख और खर्चा कितना किया, मात्र 2 लाख 14 हजार 532 लाख तो आपके विभाग हर दृष्टि से नाकारा दिख रहे हैं।

मैं वृहत् पेयजल योजनाओं की आपकी हालत बताऊं, यह तो शायद हमारे माननीय सदस्यों ने पढ़ा नहीं होगा और पढ़ेंगे तो चकित रह जाएंगे कि क्या हालात हैं। चंबल-सवाई माधोपुर-नादौती पेयजल योजना प्रथम चरण, मुख्य ट्रांसमिशन पाइप लाइन डालने के कार्य हेतु कार्यादेश दिनांक 23.09.2005 को लागत रुपये 269.30 करोड़ का जारी किया गया था। उक्त परियोजना के कार्य पूर्ण करने की अवधि तीन वर्ष रखी गई थी लेकिन परियोजना कार्य में विलम्ब होने के कारण अभी प्रगतिरत है। कहां 2005 और कहां आप 2020 में खड़े हैं, क्या हालात हैं आपके?

आप दूसरा लीजिए, चंबल-धौलपुर-भरतपुर पेयजल परियोजना प्रथम चरण, क्या है, इस परियोजना की संशोधित स्वीकृति पीपीसी 2013 द्वारा 548.68 करोड़ की जारी की गई और आप नीचे दिसम्बर, 2019 तक का क्या ब्यौरा दे रहे हैं, परियोजना के इस भाग पर दिसम्बर, 2019 तक कुल 389.13 करोड़ रुपये व्यय किये जा चुके हैं, 6 साल के अंदर भी वहीं के वहीं। 6 साल के बाद भी पूर्णता नहीं। अभी, मंत्री जी, चाइना के अंदर यह कोरोना वायरस आया। सभापति महोदय, आप तो स्वयं चिकित्सक हैं, 10 दिन के अंदर चाइना ने 1000 बैड का हास्पिटल बनाकर खड़ा कर दिया। किस ढर्रे पर हम 21वीं सदी में अपने डिपार्टमेंट को चला रहे हैं? टैक्नोलोजी आ गई, हर चीज आप बैठे-बैठे देख सकते हैं। आपके अधिकारी सुबह से शाम तक वीडियो कांफ्रेंसिंग करते रहते हैं। क्या करते हैं वीडियो कांफ्रेंसिंग के अंदर? 6-6 साल तक आपकी योजनाओं के यह हाल बने हुए हैं। इन वीडियो कांफ्रेंसिंग को आप बंद कराइए। पूरे दिन समय बर्बाद करते हैं। नीचे के अधिकारियों का भी समय बर्बाद होता है। एक्स.ईएन., एस.ई., वह कहते हैं साहब वीडियो कांफ्रेंसिंग है।

(श्री संयम लोढ़ा)

वह वहां आकर बैठ जाता है, फील्ड में जा नहीं पाता है। कोई 15 दिन में एक दिन आप इस वीडियो कांफ्रेंसिंग के लिए रखो। जिस सैक्रेटरी को वीडियो कांफ्रेंसिंग करनी है, उस दिन लगे पड़े रहो, कर लो वीडियो कांफ्रेंसिंग जिस डिपार्टमेंट की भी करनी है। पूरे महीने ही क्या वीडियो कांफ्रेंसिंग कर रहे हैं?

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि अब यह चंबल धौलपुर-भरतपुर पेयजल योजना, प्रथम चरण भाग द्वितीय, इस परियोजना के अंतर्गत नला भरतपुर से कुम्हेर, नगर, डीग, कामां, पहाड़ी तक स्वच्छ जल पाइप लाइन बिछाये जाने की स्वीकृति हेतु 311.49 करोड़ की पीपीसी की बैठक दिनांक 28.08.2012 को जारी की गई। अब क्या स्थिति है? कार्य की अत्यंत धीमी प्रगति के कारण यह कार्यादेश 22.02.2014 को रिसाइंड कर शेष कार्यों के लिए दिनांक 19.01.2016 को आदेश जारी किया गया, जिसका कार्य प्रगति पर है। आज तक प्रगति पर है।

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): पिछली सरकार का था।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): मैं व्यक्तिगत रूप से सरकारों पर दोषारोपण नहीं कर रहा हूं। वही मशीनरी है। हम उस मशीनरी के अंदर कोई उत्साह पैदा नहीं कर पा रहे हैं। हमारे 15 महीने के बाद भी अगर उसमें कोई प्रगति आई हो तो बताएं।

सभापति महोदय, मैं पर्सनली कई आफिसर्स से रिक्वैस्ट कर चुका कि स्पीड बहुत स्लो आई है। समय ही नहीं मिलता। आप यह तो तय करो कि आपके विभाग के जो प्रमुख लोग हैं, यह राजस्थान में जाएं, जिलों के अंदर जाएं, ज्यादा नहीं तो महीने के अंदर 2 बार तो किसी न किसी जिले को विजिट करें जिससे भौतिक रूप से उनको पता पड़ सके कि हमारा विभाग कहां खड़ा है। अरबों रुपया आप जनता के लगा रहे हो। जब तक पूरा पैसा खर्च होता है, तब तक उसकी सार्थकता खतम हो जाती है।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि चंबल धौलपुर-भरतपुर पेयजल योजना, प्रथम चरण, भाग द्वितीय क्लस्टर, इस परियोजना की स्वीकृति पीपीसी द्वारा 190 दिनांक 30.05.2013 में 720.31 करोड़ की जारी की गई। हालात क्या हैं? योजना पर दिसम्बर, 2019 तक 339.05 करोड़ व्यय किये जा चुके हैं। 6-6 साल में भी आधा पैसा खर्च हुआ।

अभी एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि जिनको आप ठेका देते हो,

(श्री संयम लोढ़ा)

वह आगे ठेका दे देते हैं और फिर भाग जाते हैं। प्रोफिट शेयरिंग की भी कोई लिमिट है। मेन ठेकेदार अलग परसेंटेज शेयर कर रहा है, उसके नीचे वाला अलग कर रहा है, फिर आपके अधिकारी नीचे कर रहे हैं। इससे योजना दम नहीं तोड़ेगी तो क्या करेगी? हम किस दौर में खड़े हैं? हम तकनीक के दौर में खड़े हैं। भूमंडलीकरण के दौर में खड़े हैं। पूरी दुनिया एक बाजार बन चुकी है, उस दौर में खड़े हैं। क्या आज कोई भी अच्छी चीज मैक्सिको में मिलती है, तो हमारा व्यापारी वहां से यहां लाकर नहीं देता है? हमें क्या जरूरत है कि हम ऐसे नाकारा लोगों को काम दें? मैं समझता हूं कि विभाग को यह जो अपना तरीका है काम का, यह बदलना चाहिए।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप बहुत वरिष्ठ हैं। Kindly take short time.

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): मैं तो सिर्फ सुझाव ही दे रहा हूं। सभापति महोदय, मैं अब आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि यह कुछ फीगर्स हैं मेरे खुद के जिले के। माननीय मंत्री जी आपको 2019-20 में 83 डी-फ्लोरीडेशन यूनिट सिरोही में एस्टेब्लिश करनी थी, आप कितनी कर पाए? मात्र 20 कर पाए। 10 नए सोलर नलकूप लगाने थे, कितने कर पाए? जीरो। 15 नए नलकूप आपको खुदवाने थे, कितने खोद पाए? पांच। यह क्या है? सभापति महोदय, पूरा का पूरा साल निकल जाए। आपने एस.ई रैंक के आफिसर बैठा रखे हैं। 2-2 एक्स.ईएन. बैठा रखे हैं। 15 नलकूप 12 महीनों में नहीं खोद सके। आपका कलेक्टर मानिटरिंग कर रहा है।

मैं माननीय मंत्री जी से इतना ही निवेदन करूंगा कि आने वाले वक्त में आपका विभाग रॉ-वाटर और फिल्टर वाटर इन दोनों का फर्क करे। अगर आपने हर जगह फिल्टर वाटर यूज करने की मेंटलिटी लोगों में विकसित की तो हम तबाह हो जाएंगे, राजस्थान तबाह हो जाएगा। राजस्थान के पास पानी नहीं है।

यह सोच तो हमें हमारे बच्चों और सभी में बनाना ही पड़ेगा कि नहाने का पानी क्या है, टायलेट का पानी क्या है और पीने का पानी क्या है? आज हम उस चुनौतीपूर्ण स्थिति में आकर के खड़े हो गए हैं कि अगर हम पुरानी मानसिकता में नहीं आए तो राजस्थान खाली करना पड़ेगा। यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह आपके विभाग के आंकड़े कह रहे हैं।

सभापति महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन

(श्री संयम लोढ़ा)

करूंगा कि हमारे जिले की जो योजनाएं आपके पास पैडिंग हैं, सिरोही पेयजल योजना डेढ़ साल से, जिसकी डीपीआर आपके पास बनी हुई पड़ी है, जिसकी प्रशासनिक स्वीकृति हो गई थी, भारत सरकार के निर्देशों के कारण अब आप उसमें कुछ संशोधन कर रहे हो। बत्तीसा नाला में 213 करोड़ रुपये आलरेडी खर्च हो रहा है, कृपा करके इस योजना की जल्दी ही भारत सरकार से स्वीकृति कराएं। मैं माननीय जल शक्ति मंत्री जी से भी मिला हूं। उन्होंने भी मुझे यह कहा कि राजस्थान सरकार प्रस्ताव तो भेजे। मैं इसलिए आपके माध्यम से प्रार्थना करता हूं कि कृपा करो। बहुतबहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: मेरा सभी माननीय सदस्यों से आग्रह है कि करीब 35 स्पीकर्स हैं, मेरी हंबल रिक्वैस्ट है कि शार्ट टाइम रखें। 5-5 मिनट में पर्सनली अपने निर्वाचन क्षेत्र की जो प्राब्लम हैं, उनको हाई लाइट कर दें। माननीय श्री सुभाष पूनिया।

श्री सुभाष पूनिया (सूरजगढ़): सभापति महोदय, पेयजल, सिंचाई और वाटर शैड पर कई विद्वान सदस्यों ने अपने-अपने महत्वपूर्ण सुझाव दिए। आपने अभी आसन से आदेश दिया है कि मैं प्रदेश की बात नहीं करूं, मेरे विधान सभा क्षेत्र की बात करूंगा।

श्री सभापति: नहीं, आप कर सकते हैं।

श्री सुभाष पूनिया (सूरजगढ़): कम ही बोलूंगा। सभापति महोदय, सूरजगढ़ विधान सभा क्षेत्र में जल स्तर काफी नीचे चला गया है। उसके लिए पानी का अत्यधिक दोहन जिम्मेदार है। जब तक पानी रिचार्ज नहीं होगा, तब तक हम इस समस्या से बाहर नहीं निकल सकते।

पूर्ववर्ती सरकार ने वाटर रिचार्ज के लिए मुख्य मंत्री जल स्वावलंबन अभियान के माध्यम से हमारे क्षेत्र में और इस राजस्थान प्रदेश में जो काम करवाए, उससे वाटर लेवल बढ़ा था। यह आंकड़े बताते हैं। अगर यह योजना दुबारा चालू की जाए तो निश्चित रूप से हमारे विधान सभा क्षेत्र में इसका फर्क पड़ेगा।

सभापति महोदय, जो कैचमेंट एरिया था, उसमें अतिक्रमण हो गए। हम उनको खाली नहीं करा सके। इसमें प्रशासन की उदासीनता और कभी-कभी राजनीति भी आड़े आ जाती है कि अतिक्रमण हटाने से अपने वोट खराब हो जाएंगे। जो कैचमेंट एरिये में अतिक्रमण हैं, अगर उनको हटाया जाए तो पानी का लेवल बढ़ेगा। पुरानी व्यवस्था से निश्चित रूप से जल स्तर बढ़ेगा।

(श्री सुभाष पूनिया)

सभापति महोदय, आपको तो मालूम है, आप तो जलदाय मंत्री भी रहे हैं, पानी में बहुत अच्छा काम किया था। कुम्भाराम लिफ्ट योजना की घोषणा तो हो गई लेकिन सूरजगढ़ विधान सभा क्षेत्र में एक इंच काम भी नहीं हुआ। दो बार एक जापानी कंपनी जायका नाम की, जरूर गई है।

मेरे से पूर्व वक्ता नारायण जी बेनीवाल बता रहे थे कि डीपीआर के नाम से करोड़ों रुपये खर्च कर देते हैं लेकिन होता कुछ नहीं है। इस तरह की योजनाएं जब बनाएं तो डीपीआर उसकी ही बनाएं जिसकी वित्तीय स्वीकृति हो। अपने पास पैसा हो तो डीपीआर बनवाएं अन्यथा सरकार के क्यों करोड़ों रुपये बर्बाद करते हो?

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि अब मैं कुम्भाराम लिफ्ट योजना के बारे में चाहूंगा कि इस काम को भी हाथ में लिया जाए और सूरजगढ विधान सभा क्षेत्र में इस पानी को पहुंचाने का प्रयास करें तो निश्चित रूप से हमारा विधान सभा क्षेत्र जो पूरा का पूरा डार्क जोन है, हमें फायदा होगा, यह भी मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा।

माननीय सभापति महोदय, रही यमुना के जल की बात, 1994 से हम एक ही बात सुन रहे हैं कि यमुना का पानी आयेगा। हमारे पूर्व नेताओं ने भी इसके लिये प्रयास किये हैं लेकिन आज तक कभी तो ताजेवाला हैड की बात होती है, कभी पूर्ववर्ती सरकारों ने भी प्रयास किये कि झुंझुनूं और सीकर को यमुना का पानी मिलेगा ताकि किसान को खेत में पानी मिले, सिंचाई की सुविधा मिले और आज सूरजगढ़ विधान सभा क्षेत्र से तो किसान पलायन कर रहा है। माननीय सभापति महोदय, आपको तो ध्यान है कि सूरजगढ़ विधान सभा क्षेत्र इस जिले का सबसे बड़ा विधान सभा क्षेत्र है। सूरजगढ़ विधान सभा क्षेत्र के चार विधान सभा क्षेत्र तो हरियाणा के लगते हैं, भुवाणा ब्लाक के कम से कम तीस गांव, अब ज्यों ही, एक महीने बाद गर्मी स्टार्ट होगी तो वहां टैंकर से पानी लाते हैं और टैंकर से भी हरियाणा से पानी लाते हैं, इससे बुरी बात अपने विधान सभा क्षेत्र के लिये क्या होगी? राजस्थान प्रदेश इतना बड़ा प्रदेश और हरियाणा से अपन पानी मांग कर लाते हैं, मैं जहां तक समझता हूं कि इस विधान सभा क्षेत्र के लिये न्याय नहीं होगा, यह भी मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा।

माननीय सभापति महोदय, जनता जल योजना की जहां तक बात है, इसमें जितने भी ट्यूबवैल हैं, उनमें एसएफसी और एसएफसी का पैसा मिलता

(श्री सुभाष पूनिया)

है। सरपंच क्या करते हैं कि जो पैसा मिलता है, उसके या तो खरंजे बना देते हैं या नाली बना देते हैं। बिल उनका जमा होता नहीं, बिल जमा नहीं होता तो उनका बिजली का कनेक्शन कट जाता है और बिजली का कनेक्शन कटे तो आपको मालूम है कि फिर पानी कहां से आये? मैं चाहूंगा कि जनता जल योजना सरकार अपने हाथ में ले और पीएचईडी ही इसको चलाने का काम करे, यह भी मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा। घर-घर जल योजना जो सभी घरों में पानी दिया जाएगा, इस तरह की योजना भी अगर आप चालू करें तो निश्चित रूप से सूरजगढ़ विधान सभा क्षेत्र में लोग जो पलायन कर रहे हैं, उनका पलायन रुकेगा।

माननीय सभापति महोदय, दूसरा निवेदन है कि आरओ प्लांट जितने भी लगे हैं, सूरजगढ़ विधान सभा क्षेत्र में, पता नहीं उनके कौन तो ठेकेदार हैं, न तो वो फोन उठाते हैं, सारे के सारे नाकारा पड़े हैं, इसलिये मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से कहना चाहूंगा कि वह भी जांच करवाकर पुनः चालू करवाये जायें। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिन्द।

श्री सभापति: माननीय श्री जगदीश चन्द्र।

श्री जगदीश चन्द्र (सादुलशहर): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

आपने समय सीमा तय कर दी है, so it would be much better that I'll start from my constituency. सादुलशहर विधान सभा क्षेत्र हिन्दुस्तान के आखिरी छोर पर है और सबसे ज्यादा पानी की समस्या, हम तो समुद्र के पास हैं फिर भी पीने के पानी की समस्या हमारे यहां है। सादुलशहर विधान सभा क्षेत्र के जहां तक वाटरवर्क्स की स्थिति है वह आपके माध्यम से मैं मंत्रीजी से निवेदन करना चाह रहा हूं। सादुलशहर के अंतिम छोर पर स्थित वार्ड नम्बर 16 और 17 में उच्च जलाशय के निर्माण एवं वितरण प्रणाली के सुधार हेतु योजना स्वीकृत कराने के बाबत। ग्राम 18 जीजी, जोधेवाला, क्षेत्रीय योजना के अंतिम छोर पर होने के कारण उक्त ग्रामों हेतु अलग से योजना स्वीकृत करने बाबत मैं निवेदन करना चाहता हूं। जल योजना 1 एमएल कालूवाला, जो कि भूजल स्रोत से बेनिफिटेड है, हेतु नहरी क्षेत्र की योजना स्वीकृत कराने बाबत निवेदन करना चाहता हूं। क्षेत्रीय जल योजना 33

(श्री जगदीश चन्द्र)

एएमपी, कलवासिया, 9 केआरडब्ल्यू, करड़वाला, 22 केएसडी, गदरखेड़ा हेतु 24 घण्टे डेडिकेटेड पावर फीडर की स्वीकृति बाबत निवेदन करना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान का गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर जिला, तीनों के तीनों जिले नहरी पानी से इर्रिगेटेड हैं। राजस्थान सरकार ने पूरे राजस्थान में पीएचईडी के माध्यम से करीब दस योजनायें शुरू कर रखी हैं। मैं मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाह रहा हूं कि बहुत लिमिटेड साधन के बावजूद भी पीएचईडी पर फोकस किया गया है तो निश्चित रूप से राजस्थान में इसका फायदा होगा। सबको पता है कि पानी की मात्रा कितनी है और कितनी इर्रिगेशन की लैंड हमारे पास है। पानी तो बढ़ नहीं सकता तो पानी का स्रोत या तो जमीन है या बरसात है या नदी और नाले हैं। पानी का जिस तरह से हमारे पास सोर्सेज हैं, बीस साल के बाद आबादी तो बढ़ जायेगी लेकिन पानी बढ़ने वाला नहीं है, यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। राजस्थान में पीएचईडी ने करीब 8,794 करोड़ 51 लाख रुपये की परियोजनाओं का प्रावधान किया हुआ है। यह बहुत अच्छी बात है पर जिन हालात में हमें पीएचईडी मिला है, वह किसी से छिपा हुआ नहीं है। वहां जेईएन नहीं हैं, एईएन नहीं हैं, एक्सईएन नहीं हैं, हैल्पर नहीं हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि कम से कम स्टाफ की तो पूर्ति करें। जितना स्टाफ हमारे पास है उससे तो काम चले, इसलिये मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं।

माननीय सभापति महोदय, जल जीवन योजना है उसमें पचास-पचास परसेंट का हिस्सा है। राजस्थान सरकार का 50 परसेंट हिस्सा है, केन्द्र सरकार का 50 परसेंट हिस्सा है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे सामने वाले साथी बैठे हैं, 90:10 की योजना के माध्यम से यह काम होता तो हम लोग इसको ज्यादा कर पाते। राजस्थान सरकार की आर्थिक स्थिति आपके सामने है, इसलिये मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं।

मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी का धन्यवाद करना चाह रहा हूं कि इंदिरा गांधी कैनाल, गंग कैनाल और भाखड़ा कैनाल, जिनकी चर्चा हमारे साथियों ने की है, 3,200 करोड़ रुपये देकर कम से कम री-लाइनिंग का काम तो शुरू हुआ, 17 किलोमीटर का जो एरिया है जो पंजाब से हमारा है कम से कम उस पर काम हो गया है, बाकी 44 किलोमीटर का काम अभी चल रहा है। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि पैसा तो हमने सैंक्शन कर दिया है और जिस

(श्री जगदीश चन्द्र)

तरीके से पंजाब सरकार की जो नीति है वह भी सरकार इस बात को जानती है। मंत्रीजी आप अधिकारियों को निर्देशित करें कि पैसा दे दिया तो वह पैसा ठीक तरीके से लग जाए और जिस तरीके से भ्रष्टाचार की जो खबरें आ रही हैं, जो काम हमने शुरू किया है मेहरबानी करके, लगाम लगायें, नहीं तो पैसा भी लग जाएगा और हमारा पर्पज भी हल नहीं हो पायेगा। 70 दिन की बंदी तो कर रहे हैं, उस बंदी का पर्पज भी हल होना चाहिये। यह मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं।

माननीय सभापति महोदय, जिस तरीके से हनुमानगढ़ और गंगानगर में जो जल वितरण प्रणाली है, जो अध्यक्षीय व्यवस्था कर रखी है वह सारा का सारा पालिटिसाइज कर दिया गया है, वे राजनीतिक आधार पर फैसले करते हैं कि किस किसान की बारी काटनी है, किस किसान को पानी की बारी देनी है। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाह रहा हूं कि या तो इनकी पावर खतम करें या कोई न कोई ऐसी व्यवस्था बैठायें कि कम से कम किसान को, जिसकी बारी हो उसको अपना हक तो मिले और जो फैसले माननीय न्यायालय के माध्यम से किये जाते हैं उनकी भी कम्प्लायंस नहीं हो रही है, कम से कम ऐसा जरिया तो निकालें कि उनकी कम्प्लायंस तो हो, अध्यक्ष चाहे तो किसी की बारी बनती है और अध्यक्ष नहीं चाहे तो किसी की बारी नहीं बनती है। इनकी पावर खतम करके कम से कम बारी की पावर जो कंसर्न एक्सईएन है या एईएन है उसको दी जाए, यह मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं।

माननीय सभापति महोदय, पिछली सरकार में जो सिंचाई मंत्री थे, हमारे क्षेत्र से थे लेकिन जो नहरी कालोनी है, जहां पर इरिगेशन डिपार्टमेंट के लोग बसते थे और नहरों की मेंटीनेंस का काम होता था, हजारों बीघा जमीन बंजर कर दी गयी, उन कालोनियों को बर्बाद कर दिया गया। इसका कोई न कोई रास्ता निकाल कर उनका पुनर्वास करें ताकि हमारे डिपार्टमेंट के लोग वहां रहें या उन कालोनियों को दूसरे डिपार्टमेंटों को हैंडओवर करें ताकि हम उनसे काम ले सकें।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि राजस्थान में पिछली सरकार में सीएडी के माध्यम से गंगानगर और हनुमानगढ़ में जो खाळे बनने चाहिये थे वे खाळे बहुत कम बने हैं। खासकर भाखड़ा क्षेत्र और गंग कैनाल के क्षेत्र में खाळे नहीं बन पाये, गंगानगर में जो

(श्री जगदीश चन्द्र)

दफ्तर था उसको शिफ्ट करके, उठा करके बीकानेर लेकर चले गये। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि जो दफ्तर ले गये उसको वापस हनुमानगढ़ में लायें ताकि सीएडी के पैंडिंग खाळें हैं वे हमारे बनें। मेरा आपसे निवेदन है कि भाखड़ा नहर की पहले भी मैंने चर्चा की सदन में, जो 1872 क्यूसेक्स पानी की जो हमारी योजना थी जो मोतीलाल कमेटी रिपोर्ट्स हैं, कम से कम भाखड़ा क्षेत्र में एक मुरब्बे में 25 बीघे में से 6-7 बीघा ही हम लोग काश्त कर सकते हैं, कृपा करके उस पर भी फोकस करके उसका समाधान करना चाहिये। यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, यह कागज मेरे पास में है। इस कागज के माध्यम से 13 केसेज सुप्रीम कोर्ट में पैंडिग हैं, 13 केस, कुछ पंजाब सरकार ने सूट फाइल कर रखे हैं, कुछ हरियाणा ने फाइल कर रखे हैं, एक सूट राजस्थान सरकार ने फाइल कर रखा है। एक समझौता 24 जुलाई, 1985 में हुआ था, हरचन्द सिंह लोंगेवाल जो तत्कालीन अकाली दल के प्रेसीडेंट थे, इराडी ट्रिब्यूनल का जब गठन किया गया, जब तीनों स्टेट के शेयर के डिस्ट्रीब्यूशन की बात थी, उस समय पंजाब के जो हालात थे, पंजाब के हालात का मैं बखान करना चाह रहा हूं, स्टेट के अंदर तत्कालीन जो सरकार थी वह अकाली दल की थी और पंजाब में सरेआम कत्लेआम हो रहा था और उस दौरान हमारे प्रधान मंत्री राजीव गांधी और संत हरचंद सिंह लोंगेवाल के बीच में वाटर शेयर का एक समझौता हुआ था। मैं आपके माध्यम से स्वर्गीय डा. विश्वनाथ तिवारी मैम्बर राज्य सभा का धन्यवाद करना चाह रहा हूं कि इसमें मीडिएशन करके उन्होंने यह समझौता कराया, जिसमें राजस्थान के पानी का शेयर तय किया गया।

अभी राजवी साहब बोल रहे थे, 0.6 एम.ए.एफ. पानी का जो हिस्सा है, उसके पीछे भी कोई कारण है। अभी तक सुप्रीम कोर्ट में मामला पैंडिंग है। पांच साल आपकी सरकार थी, अगर आपकी सरकार सुप्रीम कोर्ट में ढंग से पैरवी करती तो शायद उसका कोई फैसला हो सकता था। आज 13 मामले पैंडिंग हैं। ये 13 मामले कब से पैंडिंग हैं? दो-तीन मामले जो डिस्पोजल पर हैं, उनकी भी पैरवी केन्द्र सरकार ढंग से नहीं कर पा रही है। जहां तक भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड की बात है, बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि केन्द्र में राजस्थान के जल संसाधन मंत्री हैं, क्यों इस बात की पैरवी नहीं करते कि राजस्थान में बीबीएमबी में हमारा नुमाइंदा हो ताकि हम अपनी बात लोगों के बीच में रख सकें।

(श्री जगदीश चन्द्र)

सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि पानी का जो इश्यू है, वह बहुत भयंकर है। जिस तरीके से आये दिन आंदोलन होते रहते हैं, कम से कम उस पर विचार करके हनुमानगढ़ और गंगानगर की जो जमीन है, वह टोटली नहर पर डिपेंडेंट है। हमारे यहां जमीन के पानी की कोई व्यवस्था नहीं है और आये दिन पानी के लिए झगड़े होते रहते हैं। 1927 के बाद में अगर किसी सरकार ने ठीक से पानी की पैरवी की है तो तत्कालीन सरकार ने की है।

मुझे याद है 1998 में जब माननीय गहलोत साहब मुख्य मंत्री बने थे और गंग कैनाल की जो स्थिति थी, वह भी आपके सामने थी। 446 करोड़ रुपये देकर गंग कैनाल की सफाई का काम उन्होंने कराया और री-लाइनिंग का काम कराया, उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाह रहा हूं। मेरा आपसे निवेदन है कि जो बीकानेर कैनाल है, जो काफी दिनों से बंद पड़ी हुई है और पंजाब सरकार की नीयत भी वहां ठीक नहीं है। अगर बीकानेर गंग कैनाल ठीक होती है तो जो पाकिस्तान में पानी जा रहा है, कम से कम उस पानी को रोकने में हम सक्षम होंगे और हमारी जो बची हुई योजनाएं हैं, बची हुई जमीन है उसे हम इर्रिगेट करने में कामयाब होंगे। यह मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं।

माननीय सभापति महोदय, हमारे कुछ डिस्प्यूट्स हरियाणा के साथ भी हैं। हरियाणा के हांसी और बुटाना की जो नहर है, जब केन्द्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब से यह कहा कि एसवाईएल नहर का हम निर्माण करेंगे, पंजाब सरकार ने रिजोल्यूशन पास किया और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को भी मानने से मना कर दिया, क्योंकि पंजाब के लीडर्स ने कहा कि अगर एसवाईएल नहर बनती है तो पंजाब बंजर हो जाएगा। क्यों नहीं राजस्थान ढंग से पैरवी करता सुप्रीम कोर्ट में ताकि जो बचा हुआ शेयर है वह हमें मिल सके? ज्यादा लम्बी बात नहीं कहता। आपने बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।

श्री सभापति: माननीय श्री पुखराज गर्ग।

श्री पुखराज (भोपालगढ़): माननीय सभापति महोदय, आज आपने मांग संख्या-27, 38 और 46 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और आभार।

माननीय सभापति महोदय, आज बहुत महत्त्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो

(श्री पुखराज)

रही है- जल, जो सबसे महत्त्वपूर्ण है, कहते हैं- 'जल ही जीवन है' और 'जल है तो कल है'। मैं विशेषकर मेरे भोपालगढ़ विधान सभा क्षेत्र के बारे में बोलूंगा। वहां जो जल स्तर है, वह काफी नीचे चला गया है और जो लोकल सोर्सेज हैं वे लगभग 70 परसेंट बंद हो चुके हैं।

भोपालगढ़ विधान सभा क्षेत्र में पानी का जो मुख्य स्रोत है, वह वो प्रोजेक्ट है जो मीठे पानी के लिए बना है। उसी पर पीने के पानी के लिए लोग निर्भर हैं। अब प्रोजेक्ट की बात करें तो उस प्रोजेक्ट में, जो इतना महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, आम जनता को गांव-ढाणी तक पानी पहुंचाने की जिनकी जिम्मेदारी है, उस प्रोजेक्ट में मात्र एक एक्सईएन काम कर रहा है। उनके पास न तो एईएन है, न जेईएन है और न ही हैल्पर है। जिस कम्पनी को इन्होंने मेंटीनेंस का ठेका दे रखा है, वह इतनी भ्रष्ट है कि खुद उस कम्पनी के कर्मचारी लोगों के साथ मिलकर अवैध कनेक्शन कर देते हैं, अवैध टांके भरवाते हैं और यहां तक कि अवैध सिंचाई करवाते हैं। ऐसी कम्पनी के भरोसे इन्होंने मैंटीनेंस का काम और वह पानी जो जनता तक पहुंचाना है और जो एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, वह काम उनके हाथों में सौंप रखा है।

मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह मांग करना चाहूंगा कि अगर हम जनता के प्रति जवाबदेह हैं, पानी देना चाहते हैं तो सबसे पहले उस प्रोजेक्ट में एईएन, जेईएन और बाकी रिक्त स्टाफ की पोस्टिंग करें। दूसरा, जो जनता जल योजना है, यह बिलकुल फेल है, इसका कोई औचित्य नहीं है, कोई भी मानिटरिंग नहीं है। न तो कोई वीडियो मोनिटरिंग करता है और पीएचईडी वालों से बात करें तो वे सीधे सरपंच की तरह बात करते हैं। सरपंच के पास कोई संसाधन नहीं हैं, कोई मैन पावर नहीं है।

मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स नये आये हैं। नहरी पानी आया है, वह तो बाद की बात है। जो पानी अवेलेबल है, प्रोजेक्ट के द्वारा जो हमारे विधान सभा क्षेत्र में आया हुआ है उस पानी को जनता तक पहुंचाने और जो अंतिम छोर पर ढाणी पर लोग बैठे हैं, उन तक पहुंचाने के लिए इस जेजेवाई स्कीम को बंद करके वापस पीएचईडी को हैण्ड ओवर की जाए। तीसरा, जो जेजेवाई के अन्दर है, जितने भी सोर्सेज-ट्यूबवैल वगैरह हैं, उनमें से चालीस परसेंट फेल हो चुके हैं। मैं चाहूंगा कि जो ट्यूबवैल फेल हो गये हैं, उनकी जगह जहां पर पानी है वहां पर ट्यूबवैल खुदवाकर लोकल सोर्सेज को डवलप किया जाए।

(श्री पुखराज)

यही हालात भोपालगढ़ के हैं। जो रैगुलर सब-डिविजन है, भोपालगढ़ विधान सभा में एईएन आफिस के अन्दर एक ही जेईएन है। मैं समझता हूं, एक जेईएन के हिसाब से अगर सरकार यह सोचे कि हम पूरे विधान सभा क्षेत्र की जनता जो ढाणी पर बैठी है, टेल एण्ड पर बैठी है, उसको अगर हम सुचारु पानी दे रहे हैं तो मैं समझता हूं यह जनता के साथ एक धोखा है और हम यहां जो बातें कर रहे हैं, सब फालतू हैं।

नैक्स्ट मांग, जिस पर हम बात कर रहे हैं- लघु सिंचाई और सिंचाई की, भोपालगढ़ में पानी का जल स्तर बहुत नीचे चला गया है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि भोपालगढ़ में बहुत सारे सोर्सेज हैं छोटे-छोटे एनिकट डवलप करके बांध बनाया जा सकता है। बहुत सारा पानी है जो वेस्ट नालों के जरिये आगे जा रहा है। हमारे वहां नाड़सर गांव में एक बांध है, उसे डवलप करें। बहुत सारा कैचमेंट एरिया है, उससे सिंचाई भी होगी और आसपास के ट्यूबवैल्स का पानी भी रीचार्ज होगा। छोटे-मोटे एनिकट बनाकर भी पानी इकट्ठा किया जा सकता है, जिससे वे ट्यूबवैल जिनमें पानी नहीं है, उनमें सीपेज के जरिये रीचार्ज हो सके। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि जो हैण्डपम्प दे रहे हैं, जो जल स्रोत नीचे चला गया है, आज भी ट्यूबवैल 800-900 फीट खोदते हैं, तब जाकर पानी अवेलेबल होता है, मैं समझता हूं कि यह हैण्डपम्प के लिए जो 300 फीट की सीमा रखी है, इसे बढ़ाया जाए और हैण्डपम्प वहीं खोदे जाएं जहां पानी के चांसेज हों, पानी की अवेलेबिलिटी हो। सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

सूचना

जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में कोरोना वायरस से ग्रसित विदेशी पर्यटक का भर्ती होना

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, पाइंट आफ इन्फोर्मेशन। सभापति महोदय, अभी-अभी दूरदर्शन पर समाचार चल रहे हैं कि एसएमएस में एण्ड्रो कार्लो, एक इटली से डेलीगेशन आया था। उसमें से बाकी सब लोग तो आगरा चले गये और ये आपके यहां भर्ती हुए। पहले जब भर्ती हुए तब

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

कोरोना वायरस का इनका टैस्ट आपने कराया जो कि नैगेटिव आया। आज जब दुबारा टैस्ट हुआ तो पोजीटिव आया। मंत्री महोदय, जिससे पूरा विश्व चिंतित है, आप सदन को अवगत कराएं, क्या यह वास्तव में सही बात है या कोरी अफवाह है?

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय सभापति महोदय, चूरू से आने वाले माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उठाया है, बीस टूरिस्ट इटली से आये थे और उनमें से 29 तारीख को यहां रामाडा होटल में एक टूरिस्ट, जिनको संदिग्ध अवस्था में एसएमएस अस्पताल में भर्ती किया गया था, उनकी जांच की गई। पहले उनको इमरजेंसी आईसीयू में भर्ती किया गया, उसके बाद उनको मेडिकल आईसीयू में किया गया और जांच के अन्दर निगेटिव रिपोर्ट आई। दो दिन बाद उनकी स्थिति में और गिरावट आई तो फिर यहां पर उनकी जांच की गई। जांच में यहां की जो लोकल रिपोर्ट है उसके हिसाब से उन्होंने कहा कि यह पोजिटिव हो सकता है। क्योंकि दो दिन के अन्तराल में अलग-अलग तरीके की रिपोर्ट आई है तो हमने उसको पूना की वायरोलोजी लैब में टैस्टिंग के लिए, क्रास वैरिफिकेशन के लिए भेजा है। हमको उसका इंतजार करना चाहिए, लेकिन एसएमएस अस्पताल प्रशासन को निर्देश दिये जा चुके हैं कि इस मरीज को आप आइसोलेशन में रखें, जो-जो इनके टच में आए हैं उनकी पूरी स्क्रीनिंग की जाए चाहे डाक्टर्स हों चाहे नर्सिंग स्टाफ के लोग हों और जो पेशेंट्स इन दोनों वार्डों, इमरजेंसी आईसीयू और मेडिकल आईसीयू में इस दौरान भर्ती रहे हैं, उनकी भी पूरी स्क्रीनिंग की जाए। मैं सदन में आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को और पूरे प्रदेश की जनता को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। इन 20 में से 19 लोग आगरा की तरफ से निकले हैं, उनकी भी स्क्रीनिंग के लिए हम सम्पर्क में हैं और इटालियन एम्बेसी को सरकार द्वारा इस पूरे मामले के बारे में लिखा जा चुका है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, यह साधारण बात नहीं है।

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): पाइंट आफ इन्फोर्मेशन के ऊपर बहस या क्रास क्वेश्चन नहीं हो सकते, यह सदन की परम्परा नहीं है।

श्री सभापति: माननीय डिप्टी लीडर आफ अपोजिशन, इट इज माई हम्बल रिक्वैस्ट।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अगर यह डिस्कशन की बात नहीं है तो मैं तो बैठ जाऊंगा, पर, सभापति महोदय, छोटी बात नहीं है। मैं कह रहा हूं कि

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

उनका पोजिटिव आया है, कोरोना पोजिटिव आया है तो आप छिपाना क्यों चाहते हो? राजस्थान के लोगों को अवेयर कराओ ताकि लोग अपनी प्रिकोशंस रखें।

श्री सभापति: यह गम्भीर विषय है। माननीय डिप्टी लीडर आफ अपोजिशन.....

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): चूरू से आने वाले माननीय सदस्य बेईमानी कर रहे हैं। मैंने इनको बुलाया, मैंने ही इनको यह मामला बताया है।

श्री सभापति: ये हैल्थ मिनिस्टर रहे हुए हैं।

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): और ये ही मेरे से सवाल कर रहे हैं, मैं इनका जवाब दे रहा हूं। सरकार अगर संवेदनशील नहीं होती, माननीय सदस्य, आप वहां बैठे थे राजवी साहब के पास, मैंने आपको यहां बुलाया, मैंने अपनी चिन्ता से आपको अवगत कराया। सरकार अगर चिन्तित नहीं होती तो यह सब चीज कैसे करती? इसलिए आप निश्चिंत रहें, पूरी स्थिति नियंत्रण में है और हम लोगों ने उनको आइसोलेशन में रखने के लिए कहा है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): पोजिटिव आया या नहीं आया?

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): मैंने अभी आपको कहा न। माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय पूर्व चिकित्सा मंत्री को अभी न्यौता दे चुका हूं। मैं जाने को तैयार हूं और ये खुद मेरे साथ चलें, अपनी आंखों से देख लें, अपन उस मरीज से मिलकर भी आएं। अगर आपको मंजूर हो तो मैं तो तैयार हूं।

श्री सभापति: माननीय, श्री बिहारीलाल विश्नोई। प्लीज। डिप्टी लीडर आफ अपोजिशन हैल्थ मिनिस्टर रहे हैं, गवर्नमेंट इज वैरी सीरियस अबाउट इट। सर, आप खुद हैल्थ मिनिस्टर रहे हैं, ये हैल्थ मिनिस्टर रहे हैं, ये हैल्थ मिनिस्टर बोल रहे हैं और मैं खुद डाक्टर हूं तो डरने की जरूरत नहीं है। माननीय श्री बिहारीलाल विश्नोई।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 27, 46 और 38 पर विचार

श्री बिहारीलाल (नोखा): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 27 पेयजल, 46 सिंचाई और 38 लघु सिंचाई एवं भूमि संरक्षण पर बोलने का आपने समय दिया, उसके लिए आपको धन्यवाद।

(श्री बिहारीलाल)

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके मार्फत सीधा मेरे विधान सभा क्षेत्र की महत्वपूर्ण पेयजल परियोजना की बात पर आता हूं। माननीय मंत्री जी विराजे हैं, माननीय मंत्री जी भी नोखा की इस महती समस्या से, लगातार बरसों बरस की इस प्यास से वाकिफ हैं कि नोखा की धरती के नीचे से 2008 में नागौर तक पानी पहुंचाने के लिए पिछली वसुन्धरा जी की सरकार ने प्रयास किया व नागौर को पानी पहुंचाया, नोखा की धरती के नीचे से पानी गया और उसी वक्त 2008 के बजट में प्रावधान किया कि नागौर लिफ्ट के सैकण्ड फेज में 374 करोड़ रुपये का प्रावधान से नोखा के 137 गांव, कोलायत के 9 गांव और दो शहर नोखा और देशनोक को इससे जोड़ा जाएगा। आपके पांच साल निकल गये। फिर कांग्रेस के राज में 2013 के अंतिम बजट में वह परियोजना 399 करोड़ के नाम से वापस आई और वह भी शुरू नहीं हो पाया और फिर पांच साल निकल गये। अभी माननीय मुख्य मंत्री जी और आदरणीय कल्ला जी मुकाम नोखा की पवित्र धरती पर पधारे थे और लाखों लोगों की उपस्थिति में, बरसों-बरस पुरानी नोखा की प्यास कैसे बुझे, उस बात को सरकार के समक्ष रखा। उस ऊर्जावान धरती से प्रेरणा लेकर आये तो निश्चित तौर से 27 तारीख को बजट रिप्लाई में माननीय मुख्य मंत्री जी ने उस परियोजना के रिवाइज डीपीआर की यहां घोषणा की, उसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का, आदरणीय कल्ला जी का नोखा के निवासियों की तरफ से धन्यवाद करता हूं।आज आपके माध्यम से एक मांग करता हूं कि इस रिवाइज डीपीआर बनाने की आपने घोषणा की है, उसको तुरन्त से लागू करिये, उसको बनाइये। इसमें जो 137 गांव नोखा के, 9 गांव कोलायत के, दो नोखा और करणी माता का शहर देशनोक भी इसमें जुड़ा है तो अब जब आप जल जीवन मिशन में ही इसको लेकर जोड़ रहे हैं तो उसमें प्रत्येक ढाणी को, क्योंकि नोखा में छितराई हुई आबादी की बहुत सी ढाणियां हैं उन ढाणियों को इसमें जोड़ते हुए एक-एक घर तक नल से जल पहुंचाने की केन्द्र सरकार की योजना है और उसकी सहभागिता से इस परियोजना को लागू कर रहे हैं तो नोखा की एक भी ढाणी, एक भी व्यक्ति इससे वंचित नहीं रहे। उस परियोजना में, डीपीआर जो बने उसमें उन सब ढाणियों को भी सम्मिलित करने का आपसे आग्रह करते हैं।

माननीय मंत्री जी, इस योजना को धरातल पर लागू करने में हम उम्मीद करते हैं कि आप इस योजना को द्रुत गति से लागू करेंगे। फिर भी इसको धरातल पर आने में कई वर्ष लग जाएंगे तो तब तक जो योजना जल

(श्री बिहारीलाल)

जीवन मिशन में हमारी पांचू की, ढींगसरी की, धावरिया की, काहिरा की, पिथरासर की, हिंयादेसर की, सिंजगुरु और अणकीसर की, ये कई योजनाएं आपके पास पड़ी हैं तो उनको स्वीकृत करने का काम करिये ताकि तब तक जनता को प्यासा नहीं रहना पड़े और इस समस्या से निजात मिले।

माननीय मंत्री जी, बहुत से ट्यूबवैल फेल हो गये तथा और ट्यूबवैलों की गांवों में जरूरत है, वह योजनाएं, स्कीमें भी आपके पास पड़ी हैं और साल भर से बीकानेर जिले में ट्यूबवैल के टेंडर नहीं हुए हैं तो वे टेंडर करवाइये और हमारे नोखा के गांवों में, जहां पानी की समस्या और स्कीमें बनी पड़ी हैं उनको लागू करने का काम करिये। जनता जल योजना का भी यहां पर जिक्र आया। बीकानेर जिले के सैकड़ों लोग, जो पंचायत के मार्फत 500 रुपये में ट्यूबवैल चलाते हैं वे हाई कोर्ट से भी जीतकर आ गये हैं, उनकी फाइल भी यहां फाइनेंस में पड़ी है, उसको भी क्लीयर करवाइये और उन सैकड़ों लोगों के साथ न्याय करिये। जब कोर्ट ने उनको कह दिया कि मिनिमम मजदूरी इनको मिलनी चाहिए फिर भी 500 रुपये के लिए भी वे मोहताज हैं, मिनिमम मजदूरी तो दूर की बात रही। हाई कोर्ट के निर्णय की जो फाइल यहां फाइनेंस में पड़ी है उसको निपटाने का काम माननीय मंत्री जी करेंगे, ऐसा मैं आग्रह करता हूं।

मैं मेरे शहर की बात कहना चाहूंगा। नोखा शहर में जो पेयजल विभाग, पीएचईडी है उसको 2013 में सरकार ने नगरपालिका के अधीन दे दिया। नगरपालिका में इस तरह का काम है कि अभी फरवरी में जलदाय विभाग के कनेक्शन बिजली विभाग ने काट दिये और 9 करोड़ रुपये से ज्यादा का बकाया है। माननीय मंत्री जी, जब एक-दो कनेक्शन काटे गये, वहां भी नगरपालिका में ऐसी अव्यवस्था है कि कट भी जाए तो वे जनरेटर की वजह से और वहां भी कोई कमाई का जरिया ढूंढ़ लेंगे, लेकिन आपके एमडी ने तुरन्त जुड़वा दिये और जब किसान का कोई कनेक्शन 50 हजार रुपये के लिए भी कट जाता है तो किसान का ट्रांसफार्मर उतार लिया जाता है और 9 करोड़ रुपये आपके बिजली महकमे के पैंडिंग पड़े हैं फिर भी दुबारा कनेक्शन जोड़ दिये गये। नगरपालिका साधन सम्पन्न है, नगरपालिका व्यर्थ के कामों में पैसे लगा रही है और इतना महत्वपूर्ण काम है उसमें नहीं। कल ही अगर बिजली महकमे ने कनेक्शन काट दिये तो पूरे शहर में पानी के लिए त्राहि-त्राहि मच जाएगी और आगे गर्मी का मौसम आ रहा है। माननीय मंत्री जी,

(श्री बिहारीलाल)

मेरा आग्रह है कि आपके पास दोनों महकमे हैं तो नगरपालिका को भी पाबंद करिये कि जो आपका बिजली का बकाया है वह भरे और नगरपालिका सक्षम नहीं है तो आपकी सरकार मदद करे पर हमारे नोखा शहर को इस समस्या से छुटकारा दिलाइये। पुन: आपसे गुजारिश करते हैं कि इस कांट्रेक्ट को खतम करते हुए क्योंकि नोखा में यह प्रयोग बुरी तरह फेल हुआ है और जहां भी हुआ है वहां सब जगह फेल हुआ है, पुन: आप अपने इस महकमे को नगरपालिका से निकालकर अपने मातहत कीजिये और नोखा की इस व्यवस्था को सुचारु कीजिये।

माननीय सभापति महोदय, बीकानेर से विधायक के रूप में आता हूं और वहीं से माननीय मंत्री महोदय आते हैं। बीकानेर में कहा जाता है कि "ऊपर अल्लाह नीचे कल्ला"। यहां सदन में भी ऐसा लग रहा है कि "सरकार अल्लाह के भरोसे और सदन कल्ला के भरोसे"। अब सिंचाई की बात पर आएंगे तो सिंचाई मंत्री जी नहीं हैं, तो वह भार भी कल्ला जी पर ही है, वह जवाब भी कल्ला जी को देना पड़ेगा तो निश्चित तौर पर सदन कल्ला जी के भरोसे है।

इन्दिरा गांधी नहर फीडर की 18500 क्यूसेक्स की क्षमता है परन्तु 1955 में पंजाब ने छल-कपटपूर्वक 15000 क्यूसेक्स के गेटों का निर्माण कराया। आदरणीय कटारियाजी यहां विराजे हुए हैं, 2011 में पीएसी की बीबीएमबी के साथ जो मीटिंग हुई, कटारियाजी ने पीएसी का नेतृत्व कर पूरे नहरी क्षेत्र का दौरा किया और उसमें बीबीएमबी ने वादा किया कि हम 3500 क्यूसेक्स का लम्बित जो गेट पड़ा है उसको बनाएंगे पर अभी तक भी वह नहीं बना है। माननीय मंत्री महोदय, रावी, व्यास व सतलज, इनके वितरण, प्रबन्धन, रखरखाव का जिम्मा बीबीएमबी का है, लेकिन पंजाब सरकार ने आज तक माधोपुर, रोपड़, हरिके एवं फिरोजपुर हैडवर्क्स का नियंत्रण बीबीएमबी को नहीं सौंपा है, जो कि गैर कानूनी है। पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 के अनुच्छेद 79 में प्रावधान है कि इन चारों हैडवर्क्स का नियंत्रण इसी बीबीएमबी के पास होना चाहिए।

री-मोडलिंग, अभी आप नहरबंदी करने जा रहे हैं। नहर को स्ट्रैंथन करने का काम करेंगे, तो इस नहर को इतनी मजबूती प्रदान की जाए कि इसकी क्षमता 20 हजार क्यूसेक्स तक हो, 5 हजार क्यूसेक्स जो हमारा बचा है उस 5 हजार क्यूसेक्स की अलग से अंडरग्राउंड पाइप लाइन आईएनजीपी फीडर तक लाई जाए। आप जो एक्स्ट्रा पानी पाकिस्तान की तरफ छोड़ते हैं

(श्री बिहारीलाल)

उस पानी को सूरतगढ़, घग्घर, अनूपगढ़ शाखा तक लाया जा सके और किसानों का भला हो सके।

माननीय सभापति महोदय, तीसरी जो 38 नम्बर मांग है। लघु सिंचाई 2018-19 में निर्मित जल हौज, खेत तलाई और डिग्गियों का भुगतान अभी तक नहीं हुआ है। बीकानेर जिले में सबसे ज्यादा खाजूवाला में, मेरे क्षेत्र में भी पूरे बीकानेर जिले में करोड़ों का भुगतान बकाया पडा है। 2018-19 का नहीं, 2019-20 में आपने लक्ष्य नहीं दिया और 2019-20 में एक भी डिग्गी का निर्माण नहीं किया। अब आगामी वित्तीय वर्ष में आप प्रावधान करते हैं तो 2019-20 के लक्ष्यों को भी इसमें शामिल करें और 2018-19 की डिग्गियों का भुगतान करने की मेहरबानी करें।

सभापति महोदय, माननीय गुरुदेव मास्टर भंवरलाल जी मेघवाल यहां से चले गये। जो आपदा राहत मंत्री हैं, 29 तारीख को ओलावृष्टि से राजस्थान के पूर्वी जिलों में फसलों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ और माननीय सदस्यों ने उस पर चिंता जाहिर की। मंत्री जी ने जवाब भी दिया कि आलू की फसल का नुकसान हुआ है। आलू की फसल जमीन के अंदर होती है। हमारा ज्ञानवर्धन हुआ, साथ-साथ यह भी बता देते कि...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, सब्जैक्ट से बाहर नहीं जाएं।

श्री बिहारीलाल (नोखा): खराब आलू की फसल। माननीय सभापति जी, इतना ज्ञानवर्धन और कर देते, आलू की खराब फसल से सोना बनाया जा सकता है क्या, इतना भी हमें बता देते। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीय श्री अमित चाचाण।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महेन्द्र चौधरी (सरकारी उप मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आज की अनुदान की मांगें पारित होने तक बढ़ा दिया जाए।

श्री सभापति: क्या आप पक्ष में हैं?

(स्वीकृत)

सदन का समय अनुदान की मांगें पारित होने तक बढ़ाया गया।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 27, 46 और 38 पर विचार

श्री अमित चाचाण (नोहर): धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 27, 46 और 38 पर बोलने का मौका दिया। माननीय सभापति महोदय, नोहर और भादरा के मेरे 29 गांव ऐसे थे जिनके चारों तरफ पानी पहुंच गया था लेकिन वह असिंचित क्षेत्र बारानी रहे। पूर्ववर्ती सरकार के समय काफी आंदोलन हुए, टंकियों पर सात-सात दिन तक 200 फीट की ऊंचाई पर किसान वहां पर बैठे रहे, हजारों की संख्या में किसानों ने आंदोलन किया लेकिन पूर्ववर्ती सरकार ने समस्या को दूर करने की बात तो दूर रही, उनसे वार्ता करना भी उचित नहीं समझा। मैं धन्यवाद देता हूं हमारे मुख्य मंत्री जी को कि उन्होंने पहले ही बजट में उन 29 गांवों को सिंचित करने के लिए डीपीआर बनाने की घोषणा की और वह डीपीआर 306 करोड़ रुपये की बनकर आई, 200 क्यूसेक्स पानी की आवश्यकता अधिकारियों ने दर्शायी। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि उस डीपीआर को आगे बढ़ाते हुए 306 करोड़ रुपये मंजूर करते हुए उन 29 गावों को सिंचित करने का काम करें।

दूसरा कुठाराघात भाजपा सरकार ने 2005 में किया जब साहवा लिफ्ट से सूई ब्रांच का निर्माण करवाया जाना था। उस सूई ब्रांच का निर्माण 45 किलोमीटर का होना था और उसमें से 18 माइनर निकलनी थीं लेकिन, जब रावला-घड़साना का आंदोलन हुआ, जब किसानों पर गोलियां चलीं तो भाजपा सरकार ने 2005 में उस सूई ब्रांच का 25 किलोमीटर तक ही निर्माण करवाकर उसको बंद करवाया दिया गया। उस टाइम 80 हजार हैक्टेयर भूमि को सिंचित करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन 25 किलोमीटर बनने के तहत 14 हजार हैक्टेयर ही भूमि सिंचित हो पाई, बाकी 66 हजार हैक्टेयर भूमि को असिंचित कर दिया गया। माननीय सभापति महोदय, उसमें नोहर के 16 गांव, सरदारशहर के 18 गांव, लूणकरणसर के 10 गांव आते हैं। आज भी वहां के किसान यह सपना देख रहे हैं क्योंकि, उनके समय ऐसा कुठाराघात किया गया कि बनती नहर के, निर्माण को रोककर जब बंद कर दिया गया तो वास्तव में उन किसानों के सपने चकनाचूर हो गये और वह 66 हजार हैक्टयेर भूमि असिंचित रह गई। मैं आपके माध्यम से सरकार से विनती करना चाहता हूं कि आप उस निर्माणाधीन सूई ब्रांच का निर्माण पूर्ण करवाकर उन किसानों को राहत दी जाए।

(श्री अमित चाचाण)

इसके अलावा, माननीय सभापति महोदय, एक एटा सिंगरासर, इतना बड़ा आंदोलन हुआ, इंदिरा गांधी नहर के सबसे नजदीक वह गांव होते हुए भी, उनको आज तक पानी नहीं दिया जा रहा है। उसमें भी तीन गांव, 54 गांव हमारे नोहर, सूरतगढ़ और लूणकरणसर के आते हैं। किसानों ने हजारों की संख्या में, जिसमें महिलाएं भी शामिल थीं, पिछले कई वर्षों तक आंदोलन किया, यहां तक कि थर्मल का घेराव करने का भी काम किया, फिर भी उस सरकार ने न तो उनसे वार्ता की, न कोई समस्या का समाधान करने का प्रयास किया। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि उन तीनों तहसीलों को फायदा मिले और 54 गांव के किसानों को राहत मिल सके, इसके लिए भी सरकार कोई उचित कार्यवाही करने का प्रयास करे।

इसके अलावा, सभापति महोदय, मैं एक ऐसी बात आपको बताना चाहता हूं कि सदन में हर बार बात होती है बजरी माफिया की, हर बार बात होती है भू-माफिया की, हर बार बात होती है शराब माफिया की, लेकिन किसानों के घर उजाड़ने वाले जो काम कर रहे हैं, जो पानी माफिया नोहर और भादरा क्षेत्र में पनपा हुआ है, शायद उसकी तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि सिद्धमुख नहर की रसलाणा वितरिका, जिसके टेल पर मेरे 27 गांव रहते हैं, लेकिन बड़ी विडम्बना की बात है, नहर बनने के 15 साल बाद भी मेरे टेल के किसानों को पानी नहीं पहुंचा। उन 27 गांव के किसानों के आंख में तो पानी आ रहा था लेकिन उसके खेत में पानी नहीं पहुंचा। मैंने भी पिछले 12 महीनों से लगातार वहां के प्रशासनिक अधिकारियों, सिंचाई अधिकारियों को कुंभकर्णी नींद से जगाने का प्रयास किया लेकिन वे कुंभकर्णी नींद से नहीं जागे क्योंकि पूर्व में राजनीतिक संरक्षण उनको मिल रहा था, वहां के अधिकारियों की मिलीभगत थी, राजनीतिक उदासीनता की वजह से मेरे टेल तक पानी नहीं पहुंच रहा था। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इतिहास में शायद पहली बार हुआ होगा कि कोई विधायक सात रात और आठ दिन उस नहर किनारे तंबू लगाकर बैठा हो, सर्द रातों में बैठा हो, क्योंकि उसका टेल का किसान पानी लगाये और वह पानी चोरी रोकने का काम करे। मैं आपको बताना चाहता हूं, माननीय सभापति महोदय, तंबू में बैठने की वजह से उन 27 गांवों में 15 साल बाद पानी पहुंचा। ऐसा काम मैंने मेरे किसानों के लिए किया है।

मैं आपके माध्यम से सरकार को चेताना चाहता हूं कि हमें उन

(श्री अमित चाचाण)

नियमों में संशोधन करना होगा। जो पुराने नियम चल रहे हैं, चोरी माफियाओं पर नकेल कसनी होगी जिससे कि हजारों किसानों के चूल्हे उजाड़ने का जो काम कर रहे हैं, वहां का पानी माफिया, अपने खेत में लगाने के लिए नहीं बल्कि अंडरग्राउंड लाइन ले जाकर, हजार रुपये घंटे और आठ सौ रुपये घंटे पानी बेचने का काम करते हैं। ऐसे प्रभावशाली लोग बगैर राजनीतिक संरक्षण के, बगैर जन प्रतिनिधियों की मिलीभगत के, बगैर प्रशासनिक अधिकारियों की मिलीभगत के यह संभव नहीं हो पाता। मैं आपसे संरक्षण चाहता हूं कि उन पर नकेल कसी जाए जिससे मेरे 27 गांवों को लगातार, निरंतर पानी मिलता रहे।

माननीय सभापति महोदय, मेरे 117 गांव आपणी योजना से लाभान्वित होते हैं। आपणी योजना जब स्कीम बनी, 2011 की जनगणना के आधार पर बनी लेकिन आज 2020 चल रहा है, आबादी बढ़ी है, जनसंख्या बढ़ी है। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं, बढ़ती आबादी को देखते हुए उन व्यवस्थाओं को भी सुधारा जाए।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कन्क्लूड करें, प्लीज।

श्री अमित चाचाण (नोहर): एक मिनट। माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में दो ब्लाक लगते हैं, एक को डीडीपी घोषित किया गया तो दूसरे को नोन-डीडीपी। डीडीपी ब्लाक के अंदर 70 लीटर प्रति व्यक्ति नि:शुल्क दिया जाता है, जिसके अंदर मेरे 65 गांव आते हैं। 52 गांव नोन-डीडीपी में आते हैं, जिनको प्रति व्यक्ति 40 लीटर ही नि:शुल्क दिया जाता है। ये ऐसा भेदभाव क्यों? एक ही विधान सभा में, समीपवर्ती गांव में एक 70 लीटर फ्री ले रहा है और दूसरे गांव का 40 लीटर फ्री लेता है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि एकरूपता बनाते हुए सभी गांवों को 70 लीटर नि:शुल्क उपलब्ध कराया जाए। जो हमारे वंचित गांव हैं उनको घर-घर पेयजल योजना से जोड़ा जाए जिससे कि हम आम व्यक्ति तक पानी पहुंचा सकें। हम सब मानते हैं कि जल ही जीवन है, जल ही कल है। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

श्री सभापति: माननीय श्री बलजीत यादव।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): धन्यवाद, माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 27, 46, 38 पर बोलने का मौका दिया। सभापति

(श्री बलजीत यादव)

महोदय, मांग पर चर्चा से पहले मैं एक बार सरकार का ध्यान मेरे अलवर जिले में हुई ओलावृष्टि की तरफ कराना चाहता हूं। 29 तारीख को ओलावृष्टि से फ़सलें बर्बाद हो गईं, सरकार किसान को जल्द से जल्द मुआवजे की व्यवस्था कराएं।

सभापति महोदय, देश आजाद हुआ तब से लेकर आज तक सब लोग चिंता कर रहे हैं। सर, मेरी आंख में कुछ गिर गया था।

श्री सभापति: प्रोब्लम है, इनके थोड़ा आई प्रोब्लम है।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): सभापति महोदय, सब लोग चिंता करते हैं कि किसान के लिए सिंचाई के पानी की व्यवस्था की जाएगी, पेयजल की अच्छी व्यवस्था की जाएगी। लेकिन देश को आजाद हुए 70 साल से ज्यादा हो गये, इसके बावजूद किसान की जमीन से पानी सूख गया और रो-रोकर किसान की आंख का पानी भी सूख गया लेकिन किसान की चिंता सरकारों ने नहीं की, सरकारों की उदासीनता कहिए, किसान की, गरीब की उपेक्षा कहिए या गलत नीतियां कहिए, उसके कारण टैक्स से ली हुई जनता की खून पसीने की कमाई को भ्रष्टाचारी लूट ले गए, भ्रष्ट अधिकारी लूट ले गए, ठेकेदार लूट ले गए लेकिन हुआ कुछ नहीं।

(20.00 बजे)

सभापति महोदय, चूंकि आज समय का अभाव है, मुझे भी कहा गया कि समय का अभाव है, मैं आपके माध्यम से कुछ बातों पर सरकार का ध्यान आकर्षण करवाना चाहता हूं। सभापति महोदय, मैं गांव में रहता हूं इसलिए मैं बताना चाहता हूं कि गांव में किसान स्वयं के पैसे से भी बोरिंग करवाता है तो मैं थोड़ा बताना चाहता हूं कि आपने सरकारी रेट रख रखी है बीएसआर की जो 960 रुपये मीटर के हिसाब से उसको चार्ज दिया जाता है, टेंडर की इन्होंने एक रेट रख रखी है और वही अगर सरकार यूनियनबाजी की गुंडागर्दी खतम कर दे तो 450 रुपये के अंदर बोरिंग करने के लिए कोई भी तैयार है, यानी आधी रेट में। वही पाइप, पानी सूख जाता है कुछ दिनों में तो ड्राई हो जाती है आपकी की हुई बोरिंग और उसमें आप कहते हो कि आईएसआई मार्का का आप लगाते हो, लोहे का पाइप जो 3000 रुपये का पड़ता है और किसान आईएसआई मार्का का ही प्लास्टिक का पाइप लगाता है, उसके कास्ट आएगी सोलह सौ रुपये। अब आप अंदाजा लगाइए कि कितना पैसा वेस्ट हो रहा है। कुछ दिनों में ही वह सूख जाती है। आप करते हैं 3 फेज की बोर, सभापति

(श्री बलजीत यादव)

महोदय, अब जमीनों में पानी ऐसा नहीं रहा कि वह नीचे से कोई बहता हुआ पानी चल रहा हो। वह ब्लाक में अलग-अलग पानी बचा हुआ है। थ्री फेज की बोरिंग करते हैं तो एक साल बाद उस पानी को खींच लेते हैं, वह ड्राई हो जाता है फिर उसका प्रपोजल बनता है कि इसको 100 फीट दूर किया जाए, 200 फीट दूर किया जाए। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि आप सिंगल फेज की जो बोरिंग है वह करिए तो गांव में अलग-अलग मोहल्ले में अगर वह बोरिंग करेंगे तो एक तो रेट आपके यह मानकर चलिए 33 प्रतिशत ही आएगी और वह 4 साल चलेगी। अगर एक साल 3 फेज चलती है, तो कॉस्ट भी कम आएगी और पानी भी ठीक से मिल पाएगा और पानी ठीक से अलग-अलग मोहल्लों में पहुंच भी पाएगा।

उसके साथ ही आपके मार्फत मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करवाना चाहता हूं कि आप 8 इंच बोर करते हैं लेकिन 8 इंच बोर की आवश्यकता नहीं है। मैं भी किसान का बेटा हूं। किसानी भी करता हूं। आप 6 इंच के बोर में 15 KW तक की मोटर 3 फेज चला सकते हैं, अगर यह करेंगे तो डेढ़ लाख रुपये का प्रत्येक बोर पर आपको फायदा होगा लेकिन वह नहीं किया जा रहा है। मुझे नहीं पता क्यों नहीं किया जा रहा है।

एक जो यह स्वजलधारा योजना और जो यह जेजेवाई है, इसमें पंचायतों में अगर कोई बोरिंग ड्राई हो जाती है तो प्रपोजल भेजा जाता है तो उसको कहा जाता है कि आप सेंटर की योजना जेजेएम उसमें प्रपोजल बनाकर भिजवाइये। मंत्री महोदय, आप इस बारे में सोचिये कि डेढ़ से दो करोड़ रुपये का वह प्रपोजल बनता है और उसमें बनाकर टंकी बनाओ हवाई, एक जगह आबादी रह नहीं रही, कोई ढाणी बस गई, कुएं पर रहने लग गए, जगह-जगह बस गई, उसमें 40 परसेंट भी आप देंगे दो करोड़ में तो यहां से 80 लाख रुपये आपके चले जाएंगे और उससे 10 परसेंट से 20 लाख जनता से लेने पड़ेंगे। उसकी बोरिंग सूखी है तो आप यह देखो कि उतने पैसे में तो आप कितनी बोरिंग करवा सकते हो, तो सेंटर को यहां से यह लैटर लिखकर भिजवाया जाए कि जो बूस्टिंग सिस्टम है उससे डायरेक्ट सप्लाई दे, टंकी बनाने की जरूरत नहीं हो तो वह बना करके भेज दे। सेंटर की इतनी हैवी योजना बनाने का मतलब क्या है? या तो वह चाहते हैं कि इस देश को बर्बाद ही कर दें और या यह चाहते हैं कि यह हो ही नहीं कुछ भी, तो मुझे समझ में नहीं आता है कि ये आईएएस वैसे तो बड़े ज्ञानी बन जाते हैं लेकिन वहां कहां

(श्री बलजीत यादव)

मर जाते हैं सब के सब। किसी को छोटी-छोटी बातें समझ में नहीं आ रहीं कि इतनी भारी-भारी क्यों बना दी है, पर बनाए जा रहे हैं सारी की सारी, फिर कहते हैं कि पैसा नहीं है। अब कोई किसी से बात करो, कि साहब, सिंचाई के लिए पानी ले आओ, यमुना का ले आओ, चंबल का ले आओ या बांध से गेट खोले जा रहे हैं उस पानी को ले आओ, यूज़ कर लो। पंजाब से पानी पाकिस्तान जा रहा है, कश्मीर से पानी पाकिस्तान जा रहा है लेकिन कोई नहीं रोकना चाहता है। सभापति महोदय, इन सड़कों पर इतना पैसा खर्च कर दिया देश आजाद हुआ तब से लेकर अब तक के लिए कि यह सड़कें सोने की बन जातीं, अगर उस पैसे को जोड़ें तो सोने की हो जातीं। तो 10 साल, 15 साल कोई मर नहीं जाएंगे पहले भी बिना सड़क हम चलते थे, बंद करके केन्द्र सरकार एक बार इस किसान, मजदूर जनता की चिंता करे। ईमानदारी से करे, केवल घड़ियाली आंसू बहा करके नाटक नहीं करें। यहां करो, चाहे लोकसभा में करो, एक बार प्रैक्टिकली सोचें कि पानी की व्यवस्था करें.नहीं तो सब कुछ खतम हो जाएगा।

मेरे क्षेत्र में डार्क जोन है, सभापति महोदय, पर हंसी की-सी बात लगती है कि किसान पीने के लिए बोरिंग करता है तो तोड़ने के लिए पुलिस वाले चले जाते हैं कि बोरिंग नहीं कर सकते हो, डार्क जोन है और वहां बीयर फैक्ट्रियां हैं, वे कितने पानी का दोहन कर रही हैं वहां पर बड़ी-बड़ी बोरिंग लगाकर। उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ रहा है तो वे बीयर फैक्ट्रियां वहां ले जाओ जहां पर पानी हो। बिहार में बाढ़ आती है, सभापति महोदय, तो बाढ़ के लिए बजट दिया जाता है, उसी वक्त सूखा पड़ा रहता है। महाराष्ट्र लो, राजस्थान लो, उस पानी को वहां क्यों नहीं यूज़ किया जाए? नदियों को जोड़ने की बात अटल बिहारी वाजपेयी जी ने की थी लेकिन नदियों को जोड़ने की सिर्फ बात ही रह गई। अब वह कुछ नहीं हो रहा है तो एक बार मैं यह चाहता हूं कि ठीक से सोचकर इस गरीब किसान के पैसे को बचाओ या लूटमार कमीशनखोरी चल रही है, दलाली चल रही है कि सारा ठेका छोड़ दो। अब वह कहते हैं कि हमारी तो रेट है, मैं कहता हूं मुझे दे दो मंत्री जी आधे पैसे में मैं करवा दूंगा, राजस्थान में जहां-जहां सबमर्सिबल करते हो 50 प्रतिशत पैसे में मैं करवा दूंगा आपकी सारी सबमर्सिबल, फिर पता नहीं क्यों नहीं सरकार ऐसा कुछ कर सकती। कोई जो विपक्ष में होता है वह ज्ञानी बन जाता है कि साहब, आप ऐसा नहीं कर रहे हो, सत्ता में आता है तो फिर वह कहता है कि नहीं,

(श्री बलजीत यादव)

हम ठीक कर रहे हैं, वह ठीक कर रहे हैं। मैं समझ नहीं पा रहा हूं जनता को भ्रमित कर रहे हैं, हम यहां सदन में सिर्फ इसलिए अपनी बात रख देते हैं कि जनता राजी हो जाएगी कि बहुत अच्छी बात रखी है लेकिन प्रैक्टिकली भी कोई कुछ हो तो सही। इस जनता को कब तक लुटने-पिटने देंगे? आजाद देश को कराया है, सभापति महोदय, लेकिन किसी को हमें अंदाजा नहीं है, सुख-चैन से जी रहे हैं, पता नहीं कितने लोग फांसी पर लटके, कुछ के नाम जानते हैं, अनगिनत नींव की ईंट बन गए, मर गए, बर्बाद हो गए और इस सपने के साथ उन्होंने कि हमारी आने वाली जो पीढ़ियां हैं वह सुख से रहेंगी, हमारा देश है वह विकसित होगा, सब लोगों को मान सम्मान मिलेगा, सुविधा मिलेगी लेकिन हम कर कुछ नहीं पा रहे हैं। कभी-कभी हमें लगता है कि यहां आकर भी बोलते हैं, बोलने के बाद कितनी गंभीरता से सरकारें उन बातों को लेती है। सिर्फ सुन लिया, उसको हंसी में उड़ा दिया।

इसलिए मंत्री जी, आप भले आदमी है, मैं तो आपसे यही रिक्वैस्ट करना चाहता हूं कि एक बार राजस्थान की जनता के दर्द को महसूस करें और जो एक-एक रुपया टैक्स दे रहा है उसको महसूस करें। यह मिडिल क्लास लोग हैं इनकी कमर तोड़ने पर लगी हुई हैं। सारी सरकारें आती हैं, कोई नीचे वाले की चिंता करता है, कोई ऊंचे वाले की तो यह बीच वाला कहां मरे। कभी इस मिडिल क्लास की भी कर लो वह अपने मान-सम्मान, स्वाभिमान को बचाने के लिए प्रतिदिन जी रहा है, प्रतिदिन मर रहा है। वह कोशिश कर रहा है कि मैं ईमानदारी के साथ जी करके मेरा जीवन निकाल दूं लेकिन सरकारों ने जैसे तय कर लिया हो कि तेरे को चोर बनाकर छोड़ेंगे, तेरी इज्जत को लूट कर छोड़ेंगे, तुझे ईमानदारी से हम जीने नहीं देंगे, ऐसा कोई तय कर लिया हो। कुछ नहीं करना चाहता निकम्मा आदमी है, तेरी चिंता कर लेंगे, कोई लुटेरा आदमी है उसकी चिंता कर लेंगे लेकिन मेहनतकश गरीब, मजदूर जो इज्जत से कमा कर खा रहा है, उसकी कोई चिंता नहीं करेंगे।

अब मैं आज कह रहा हूं और मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि कुछ नहीं होगा। कुछ होगा नहीं, मैं कह रहा हूं कि 50 प्रतिशत पैसे में बहरोड़ का एमएलए कह रहा है कि मैं करवा कर दूंगा आपकी सारी बोरिंग लेकिन एक यह नीति बनानी है हमको ही, लेकिन नहीं बनेगी। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आधे पैसे में, सभापति महोदय, सिंगल फेज बोरिंग है, सिंगल फेज बोरिंग मोहल्ले-मोहल्ले में आज करना है, एक कानून बनाना है। हमें भेजा है कानून

(श्री बलजीत यादव)

बनाने को, नीति बनाने को लेकिन नहीं बनाएंगे। पता नहीं क्यों नहीं बनाएंगे? ये कौन रोकता है, सारी सरकारों को कौन रोकता है, मैं समझ ही नहीं पा रहा हूं। इसलिए मेरा निवेदन है, आपका बड़प्पन है मुझे इतना टाइम दे दिया। मैं सिर्फ आपसे यह रिक्वैस्ट करूंगा कि एक तो मेरे वहां पर यह जो बीयर फैक्ट्रियां हैं, या तो सरकार इनको अन्यत्र शिफ्ट करे और अन्यत्र न करे तो वहां पर अब डीएमआईसी आ गई, इतनी सारी इंडस्ट्रीज आ रही हैं, पानी का दोहन कर रही हैं, भूजल वहां खतम होता जा रहा है तो वहां जो पिछले दिनों चंबल से पेयजल की व्यवस्था थी उसमें जल्द से जल्द की जाए ताकि लोगों को पानी मिले। गांव के गांव सूख गए, लोग बर्बाद हो गए, लोग डरने लग गए कि हमारा होगा तो होगा क्या। लोग आ-आकर हमें कहते हैं कि आपको एमएलए बनाकर भेजा था, कुछ तो करवाओ। हमें इतनी-इतनी बात कहकर शर्मिंदा करते हैं मंत्री जी, कि इतनी सी बात भी समझा नहीं सकते कि सिंगल फेज की बोरिंग है तो यह पड़ेगी तीन लाख रुपये में और 3 फेज कर रहे हो वह 10 लाख में पड़ रही है, तो कहते हैं कि सरकार को इतनी-सी बात भी नहीं समझा पा रहे क्या? अब हम कैसे बताएं कि हम क्यों नहीं समझा पा रहे हैं और किसान कर रहा है, वह कर रहा है चार लाख में।

श्री सभापति: माननीय सदस्य।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): बस मैं खतम कर रहा हूं 30 सैकण्ड में। सभापति महोदय, कोई भी जो किसान है, मोस्टली जो जानते होंगे 3 फेज की बोरिंग 4 लाख में कर रहा है, वही मेरे बहरोड में 4 लाख में सब जगह हो रही है और आपके पीएचईडी वाले कितने में करेंगे दस लाख में तो मेरी समझ में नहीं आता कि 4 और 10 लाख में कितना फर्क है। वह पैसा किसका है? वह उसी जनता का है तो वह किसान यह चाहता है कि मेरा पैसा टैक्स से लिया, या तो कुछ सही करो नहीं तो फिर चाकू-छुरी लेकर रोड पर निकल लेगी जनता। मंत्री जी, रोक नहीं पाएंगे फिर। फिर सब कहेंगे लूटो, मारो, कोसो, क्योंकि चोर आईएएस लूट रहे हैं चोर नेता लूट रहे हैं तो जनता कहेगी हम भी क्यों पीछे रहें। ले चाकू-छुरी निकल लो, अपने बच्चों का पेट पालना है। क्या करेंगे? फिर संभाल लेना कानून व्यवस्था। कुछ नहीं संभलेगी किसी से, कुछ नहीं संभाल पाओगे आप। इसलिए मैं चाहता हूं सरकार उनकी चिंता करे नहीं तो मेरी बात आज मैं फिर कह रहा हूं, बार-बार कह रहा हूं, एक बार उस कौटिल्य चाणक्य ने कही थी नंद वंश से कि सुधर जाओ, नहीं तो जनता

(श्री बलजीत यादव)

उठाकर फेंक देगी। मैं कह रहा हूं हमारे कपड़े फाड़ के रख देगी जनता। इस राजस्थान में क्रांति होगी अगर इसके ऊपर गहनता से सरकारों ने नहीं सोचा तो और हम नहीं करेंगे, सभापति महोदय, इस्तीफा देकर निकलेंगे कि या तो सुनें और नहीं सुनें तो ऐसे नहीं जाएंगे कि बोलो और भाषण छपवा दो अखबार में। सरकार सुधार करे, नहीं करे तो ईंट से ईंट बजा देंगे चाहे कोई भी सरकार हो, यह आप ध्यान में रख लो क्योंकि जनता ने अंग्रेजों को भगा दिया तो चोलाधारी नेताओं की औकात क्या है? जो कुछ नहीं कर पायेगी, यह जनता खुद निकलेगी, खुद चला लेगी अपने आप अपने ढंग से, इसलिए मैं आशा करता हूं कि सरकार उनकी चिंता करेगी। धन्यवाद, सभापति महोदय।

श्री सभापति: श्री छगनसिंह राजपुरोहित।

श्री छगनसिंह (आहोर): माननीय सभापति महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे मांग संख्या 27 पेयजल योजना, मांग संख्या 38 लघु सिंचाई एवं भूमि संरक्षण, मांग संख्या 46 सिंचाई परियोजना पर बोलने का अवसर दिया। आज पूरे दिन पेयजल व सिंचाई की मांग पर चर्चा हो रही है। हमें आजाद हुए 75 वर्ष हो गये लेकिन आज भी पेयजल के लिये पूरा सदन, चाहे वह पक्ष के माननीय सदस्य हों या विपक्ष के हों, उन्होंने चिंता जाहिर की है कि वास्तव में पानी की बहुत ज्यादा समस्या है। बहरोड़ से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा है कि अगर पानी की समस्या का समाधान नहीं कर पाये तो क्यों? सड़क तो बना लेंगे, सड़क कुछ समय के लिये नहीं बनाएं तो कोई बात नहीं लेकिन जब तक पानी की समस्या का समाधान नहीं करेंगे, सभी जगह पीने का पानी नहीं पहुंचायेंगे, सिंचाई के लिये पानी नहीं पहुंचायेंगे तो हम जीवन कैसे जीयेंगे, क्योंकि जल ही जीवन है।

आज यह चिंता किसी ने की है तो वह हमारे जन हितैषी प्रधान मंत्री ने जनता जल मिशन के तहत सबको घर-घर, हर ढाणी तक कैसे पानी पहुंचे, इसकी उन्होंने चिंता जाहिर की है। लेकिन मैं सुन रहा हूं पक्ष वाले विधायक कह रहे हैं कि 90 परसेंट भारत सरकार दे और 10 परसेंट राज्य सरकार दे, ऐसा क्यों सोच रहे हैं आप? आप ऐसा सोचें कि 50 परसेंट तो वह दे रहे हैं, 50 परसेंट ही हमें देना है, दोनों मिलकर काम करेंगे तो यह समस्या जरूर समाप्त होगी। अगर पानी पिलाना है तो हमें बड़ा सोचना है। अगर आपने यही कहा कि 90 परसेंट देना है, केन्द्र सरकार अगर वह नहीं देगी तो यह योजना लागू ही नहीं होगी और लागू नहीं हुई तो अगले साल वापस पेयजल की मांग

(श्री छगनसिंह)

पर यह की यह समस्या रहेगी। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि पेयजल की समस्या के समाधान के लिये जनता जल मिशन वाली योजना को आप अपने स्तर पर लागू करें। 50 परसेंट केन्द्र सरकार दे रही है, 50 परसेंट आप दें जिससे वास्तव में इस समस्या का समाधान हो सके।

मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र आहोर की बात करना चाहूंगा। वहां पर वास्तव में पेयजल की बहुत भारी समस्या है। वहां पर जमीन में पानी है ही नहीं तो जल स्रोत है ही नहीं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में नर्मदा का एफआर और ईआर प्रोजेक्ट है। एफआर क्लस्टर तो सैंक्शन है, उसका कार्य प्रगति पर है। एक प्रश्न के जवाब में उन्होंने कहा है कि हम 2020 तक पानी दे देंगे लेकिन ईआर क्लस्टर भी सैंक्शन कर दें, मेन प्रोजेक्ट तो सैंक्शन हो गया लेकिन ईआर क्लस्टर अगर आप सैंक्शन कर देंगे तो पूरे जालोर जिले में पेयजल की समस्या समाप्त होगी और आगे 20 साल तक पानी की समस्या नहीं आएगी। जब तक यह ईआर क्लस्टर योजना लागू नहीं होती तब तक हमारे जिन गांवों में बहुत भारी समस्या है, ऐसे गांव हैं हरजी, नोरवा, बरवा, घाणा, भवराणी, रायथल, ओडवाड़ा, बागरा, सियाणा, डूडसी, सुमेरगढ़खेड़ा, कानदर आदि गांवों में आप ट्यूबवैल व हैण्डपम्प दें, सोलर पम्प दें जिससे आने वाली गर्मी में राहत मिल सके। मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि आप इन गांवों में जरूर ट्यूबवैल सैंक्शन करें। इसी प्रकार से अमुक गांवों में एसआर टंकियां नहीं हैं, उच्च जलाशय की टंकियां नहीं हैं जैसे भेटाला, कानदर, हरजी, शंखवाली, घाणा, अगवरी, बिछावाड़ी, ऐसे गांव हैं जहां उच्च जलाशय नहीं होने से वहां पानी की आपूर्ति सही तरीके से नहीं हो रही है। वहां पर आप कृपा करके उच्च जलाशय के लिये सैंक्शन दें।

मेरे विधान सभा क्षेत्र आहोर में पाइप लाइन डाली हुई है, वह करीब 30 वर्ष पुरानी पाइप लाइन है, वह पूरी तरह से बुर गई है जिससे पानी की आपूर्ति सही तरीके से नहीं होती है। मंत्री जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इन पाइप लाइनों के लिये बजट सैंक्शन करके जहां-जहां वास्तव में आवश्यकता है, वहां पाइप लाइन स्वीकृत कराएं।

इसी प्रकार से जवाई बांध पुनर्भरण की चर्चा हो रही थी। सिंचाई के साथ-साथ पेयजल की भी आवश्यकता है। पहले जहां भी प्राकृतिक बहाव होता

(श्री छगनसिंह)

था, नदियां चलती थीं, वहां गांव बसा करते थे। हमारे साथ बहुत बड़ी विडंबना हुई, हमारा पूरा जालौर जिला जवाई नदी के किनारे बसा हुआ था लेकिन पानी की आवश्यकता के लिये जवाई बांध बनाया गया, अच्छी बात थी जवाई बांध बनाया। उस समय जोधपुर में पानी की आवश्यकता थी तो जोधपुर को पानी देने के लिये बनाया गया लेकिन नुकसान यह हुआ कि हम जो बहाव क्षेत्र में बैठे थे, जहां प्राकृतिक बहाव था, उनके किनारे जो गांव बसे हुए थे, उन गांवों में पानी के जल स्रोत नलकूप और कुएं थे, उनमें अब पानी खतम हो गया है। अब वहां पीने के लिये पानी है ही नहीं। मैं निवेदन करूंगा कि जिस प्रकार से सबकी चिंता है, भले ही जालौर जिले के विधायक हों, भले ही सिरोही जिले के विधायक हों, भले ही पाली जिले के विधायक हों, सभी की चिंता है कि आप जवाई पुनर्भरण योजना को लागू करें, डीपीआर बनाकर भेजें। वास्तव में इन तीन जिलों की यह बड़ी समस्या है, जवाई बांध जीवनदायिनी नदी भी है। अगर यह जवाई बांध पुनर्भरण हो गया तो वास्तव में इन तीन जिलों की बहुत बड़ी समस्या समाप्त होगी। मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जवाई बांध का पुनर्भरण हो जाए तो उसका कुछ हिस्सा नदी में छोड़े जिससे जो किनारे बसे हुए गांव हैं, उनमें कुएं रीचार्ज हो जाएं, कुएं रीचार्ज होंगे तो वह फ्लोराइड मुक्त हो जायेंगे तो हमारे किसानों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी वरना आज की स्थिति यह है पलायन होने की वजह से वहां की आबादी 20-30 परसेंट रही है, बाकी सब बाहर चले गये हैं। मैं निवेदन करूंगा कि ऐसे क्षेत्र में जवाई बांध पुनर्भरण वाली योजना लागू करें। आपको लगता है कि नदी में 10 परसेंट पानी डालना है या 20 परसेंट डालना है, उतना ही करें तो इससे 100-200 गांवों को फायदा मिलेगा।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री छगनसिंह (आहोर): लघु सिंचाई योजना के तहत मैं निवेदन करूंगा कि कटकेश्वर महादेव मंदिर के पास एनिकट बना हुआ है। कुछ नहीं करना है, केवल उसको रिपेयर करना है। इसी प्रकार से धूमड़ा माताजी के पास एनिकट बना हुआ है, उसको भी रिपेयर करना है। महिलावास में भी एक एनिकट बना हुआ है, उसको भी रिपेयर करना है। अगर इन तीनों एनिकटों को रिपेयर कर देंगे तो मुझे विश्वास है कि उस क्षेत्र के आस-पास के 10-15 गांवों में जल स्तर बढ़ जाएगा, पीने के पानी की समस्या थोड़ी बहुत समाप्त होगी।

(श्री छगनसिंह)

इसी प्रकार से भैंसवाड़ा डाइवर्जन बना हुआ है, पूर्ववर्ती वसुन्धरा राजे जी की सरकार ने पिचिंग कार्य किया है। मैं चाहूंगा कि जो बाकी का पिचिंग कार्य है उसको भी स्वीकृत करें ताकि आमजन को भी फायदा मिले और इससे वहां के 25-30 गांवों को फायदा होगा। मंत्री महोदय, आप विराजे हुए हैं, आप दयालु हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र पर कृपा रखेंगे तो मुझे विश्वास है कि मैंने आहोर की जो भी समस्या बताई है, उनको आप जरूर स्वीकृत करेंगे। जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री भरत सिंह कुन्दनपुर।

श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (सांगोद): माननीय सभापति जी, मांग संख्या 46, 38 और 27 पर बहुत संक्षिप्त में अपनी बात रखूंगा। आपके आसन के पीछे लिखा हुआ है जो भी कहा जाए, स्पष्ट कहा जाए, सच कहा जाए, मैं यही कोशिश करूंगा।

लगभग तीन दशक पहले जब मैं प्रथम बार विधान सभा का सदस्य बना था तो पानी की चर्चा करते हुए मैंने पीड़ा व्यक्त की थी कि राजस्थान में 10 प्रतिशत भू-भाग है और 1.16 सरफेस वाटर है और इस सरफेस वाटर का भी बहुत बड़ा हिस्सा आज भी 2020 में बहकर चला जाता है। यह बात लगभग 30 साल पहले जब हवामहल में उस समय विधान सभा थी, तब मैंने कही थी। आज मैं वापस खड़ा हुआ हूं, वही बात दोहराऊं, मेरी पीड़ा, जिस प्रकार की पीड़ा, बागीदौरा से जो हमारे माननीय सदस्य आये थे, उन्होंने अपने क्षेत्र के लिए चेरापूंजी कहकर उल्लेख किया और अपनी बात कही। झालावाड़ और कोटा क्षेत्र भी उसी प्रकार का है। वह भी चेरापूंजी है मगर मैं चेरापूंजी का विश्लेषण अभी अलग तरह से आपके समक्ष करूंगा। हमारे साथ पिछले सालों में चीरा लगाकर पानी की पूंजी लूटी है। चेरापूंजी है और चीरा लगाकर पूंजी लूट ली है।

30 साल पहले काली सिंध नदी जो मध्य प्रदेश में शुरू होती है और मेरे विधान सभा क्षेत्र के पीपल्दा सुमेल में चंबल नदी में जाकर मिलती है, मेरे गांव से यह नदी तीन किलोमीटर दूर है। हम मांग कर रहे थे कि काली सिंध नदी का पानी रोका जाए और बांध बने। मुझे खुशी है कि जब 2009 में माननीय मुख्य मंत्री जी ने बजट भाषण में यह घोषणा की कि हम भंवरासा के यहां काली सिंध नदी पर बांध बनाएंगे, 400 करोड़ रुपये स्वीकृत किये। मैं यहां बैठा था, मैंने टेबल ठोकी, मैंने कहा चलो, भंवरासा बांध बनेगा, हमें सिंचाई का पानी मिलेगा। इस भंवरासा बांध का पूरा पानी सांगोद और कनवास तहसील के गांवों को मिलना था। मुझे खुशी है कि 2009 में शुरू किये गये

(श्री भरत सिंह कुन्दनपुर)
उस बांध का फर्स्ट फेज 2014 में पूरा हुआ। बांध का निर्माण पूरा हो गया, पानी रोक दिया गया। 2013 में चुनाव हुए हम चुनाव हार गये। मैं कोई चुनाव का रोना रोने के लिए यह बात नहीं कह रहा हूं, मगर चुनाव के बाद जो सरकार आयी तो यह भंवरासा बांध जिसका 2014 में फर्स्ट फेज कमप्लीट हो गया और 400 करोड़ रुपये सिंचाई विभाग ने नहीं दिये थे। बांध सिंचाई विभाग का था, लेकिन पैसे थर्मल से आये थे पर हमें तो आम खाने थे, गुठली थोड़े ही गिननी थी। हमने कहा, थर्मल देगा, हमारा पानी तो सुरक्षित रहेगा। यह बांध पूरा बना, पूरा पैसा थर्मल का है। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं, ताकि यह सदन में रिकार्ड में आ जाए कि यह थर्मल प्रोजेक्ट को सरकार किसी दिन बेचेगी। जब भैंस बिकेगी तो जो सांकल है, वह भी बिक जाएगी। फिर हम कहां जाएंगे? पहला काम सिंचाई विभाग यह करे कि इस बांध का मालिक बने, वे 800 करोड़ रुपये जो थर्मल ने लगाए हैं, वे लौटाए और कम से कम बांध का मालिक बने।

मैं चित्तौड़ का प्रभारी मंत्री था। वहां पर हिंदुस्तान जिंक का घोसुण्डा बांध बना। राजस्थान सरकार का पैसा लगा। जब माइन्स बेची तो वह बांध चला गया, उसका एक बूंद पानी उस क्षेत्र को नहीं मिलता है। लोग-बाग़ तरसते हैं। इस काली सिंध का पानी जिसके लिए हम वर्षों से सपना देख रहे थे और पानी मिलने वाला था, वह पानी रुक गया। द्वितीय चरण का काम, 2014 से 2020, मुख्य मंत्री जी वहां की, उस बांध से एक बूंद पानी डाउन स्ट्रीम नहीं छोड़ा गया। यह हमारा राइपेरियन राइट्स था। पानी का अधिकार था और उससे सांगोद को एक बूंद पानी सिंचाई और पेयजल हेतु नहीं छोड़ा गया और भंवरासा बांध के द्वितीय चरण के लिए 700 करोड़ रुपये चाहिए, सैकण्ड फेज का काम पूरा हो जाएगा। उस बांध के पानी का उपयोग नहीं है। यह राजस्थान में पहला बांध नहीं है। एक तरफ तो लोग मांग कर रहे हैं कि हमारे यहां पर बांध बने। मैं बात कर रहा हूं कि बांध बना, इस राजस्थान में, जहां पैसे की कमी है, साधन की कमी है। एक बांध नहीं, एक और उदाहरण है, पांचना। पांचना बांध में 13 साल से पानी रुका हुआ है, असक्षम व्यवस्था की वजह से, जो भी सिंचाई मंत्री रहे हैं, उनको अंदर झांकना पड़ेगा। या तो वे इस पद पर रहें और इन बांधों से पानी छोड़ें। राजस्थान के अंदर एक बांध पांचना बना हुआ है, जिसके पानी का उपयोग नहीं। भंवरासा बना हुआ है, उसके सैकण्ड फेज का काम क्यों नहीं किया? सैकण्ड फेज में अगर काली सिंध

(श्री भरत सिंह कुन्दनपुर)

का बांध बनता है तो झालरापाटन के 15-16 गांव डूबते हैं और गांव डूबते हैं तो चुनाव लड़ने वाला भी डूबता है। इसलिए बांध क्यों बनाएं? काली सिंध के जितने गांव सिंचित होने थे, हम नदी के किनारे बैठे हुए हैं। एक बेहूदी, बदतमीजी की, पैसे का दुरुपयोग किया। एक योजना बनायी गयी कि परवन का पानी काली सिंध में डालेंगे और काली सिंध से उसको लिफ्ट करेंगे। 80 किलोमीटर से पानी इसमें डालेंगे। काली सिंध में तो खुद में ही पानी है, ऊपर बांध है। हम वहां बैठे हुए हैं।

पेयजल योजना, हम कह रहे हैं कि इस नदी से पीने का पानी दीजिए। कोटा संभाग में मुश्किल से 20 प्रतिशत से भी कम गांवों को सरफेस वाटर मिलता है। सब ट्यूबवैल से पानी निकाल रहे हैं। सभापति महोदय, जब देश आजाद हुआ था राजस्थान में 4 लाख हैक्टेयर जमीन पर सिंचाई होती थी, आज 38 लाख हैक्टेयर में सिंचाई हो रही है। मगर इस सिंचाई में बहुत बड़ा योगदान उन किसानों का है जो बिजली का बिल भर रहे हैं और जमीन से पानी निकालकर सिंचाई कर रहे हैं। इस सिंचाई में जो किसान बिजली से पानी पिलाता है और जो सरकारी पानी, मैं सरकारी जंवाई कहूंगा, जो सरकारी योजनाओं से बहता हुआ पानी लेता है, उसमें कहीं भी समानता बनाइये। कहीं उसमें कार्डिनेट करिये कि उसमें जो बिजली खर्चा आता है और बहता हुआ पानी है, उसमें कहीं तालमेल हो।

मैं एक बात और कहूंगा। मैंने कहा था कि मैं बहुत संक्षिप्त में कहूंगा। यह जस्टिस नहीं है, यह कटौती प्रस्ताव, एक मंत्री, ये तो सिंचाई विभाग के मंत्री भी नहीं हैं। मैं माननीय मंत्री जी कल्ला साहब से पूछ रहा था कि सिंचाई मंत्री कौन है? हमारे हाड़ौती में कहावत है- बड़े घर बेटी दे, मिलबा का सांसा। मैं प्रधान मंत्री जी को इस बात के लिए सदन में बधाई दूंगा कि उन्होंने जो जल शक्ति मंत्रालय बनाया, कल जल शक्ति मंत्री जी कोटा पधारे थे। मैंने सोचा कि नोनेरा बांध देखने जाएंगे। मैंने सोचा था कि भंवरासा जाएंगे लेकिन वे किसलिए आये, मुझे पता नहीं। अगली बार आएंगे तो हमारे जो सदस्य हैं, वे उनको ले जाएं और नमूना दिखाएं कि किस प्रकार से भंवरासा से पानी नहीं जा रहा है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि भंवरासा बांध पूरा नहीं हुआ है। नोनेरा बांध पर उतनी राशि खर्च कर रहे हैं। माननीय सभापति जी, मैं जानना चाहूंगा कि मान लीजिए कि वह बांध पूरा हो गया, दो साल के अंदर वह बैराज पूरा हो गया है, उसके पानी का उपयोग किस प्रकार से होता है?

(श्री भरत सिंह कुन्दनपुर)
उसके पानी के उपयोग की योजनाएं ही नहीं हैं, उसके पानी का उपयोग हो सकता है तो सिर्फ पेयजल के लिए हो सकता है। इन्होंने कहा है कि पेयजल के लिए जोड़ेंगे, मगर पेयजल के बारे में एक पैसा उस बांध के लिए नहीं दिया।

हमारे यहां हरिपुरा की योजना है। एक हरिपुरा गांव है, जो काली सिंध पर बसा हुआ है। उसी काली सिंध पर बसे हुए गांवों को वहां से जहां काली सिंध बह रही है, वहां पर योजना बनाने के लिए हमने बात की थी। वहां से पानी नहीं देकर, काली सिंध 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम पानी ले जाकर उस क्षेत्र को पानी देने की बात कर रहे हैं। इतने बेहूदे तरीके से यह हो रहा है।

जो सिंचाई हो रही है, माननीय सभापति जी, परवन की पूरी सिंचाई में स्प्रिंकलर से सिंचाई होगी। हमारे पूरे क्षेत्र में चंबल से सिंचाई होने वाली है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में 12 हजार ट्यूबवैल के कनेक्शन हैं। मैं सिंचाई विभाग वालों से पूछना चाहूंगा कि उस सिंचाई में और अभी जो सिंचाई हो रही है, उसमें एक बिस्वा जमीन नहीं है जो असिंचित है। जो सरकार योजना बना रही है सिंचित जमीन को सरकारी साधन से सिंचित करने की, अगर स्प्रिंकलर ही देने थे तो किसानों को ऐसे ही बांट देते। फर्स्ट फेज का काम पूरा नहीं हुआ। 30 प्रतिशत काम पूरा हुआ है। सरकारी सूचना के अनुसार 2022 में फर्स्ट फेज का काम पूरा होगा। सैकण्ड फेज का अता-पता नहीं है। ठेकेदारों को करोड़ों का काम दे दिया। किसानों की फसल को खोदकर वे ठेकेदार अपना भुगतान उठा रहे हैं। सरकार ने जवाब दिया है कि 2021 में सैकण्ड फेज पूरा हो जाएगा। अभी तो फर्स्ट फेज का पता नहीं है। यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि मेरे क्षेत्र में पहले ऐसी सिंचाई योजना बनायी है जहां नहर बन गयी लेकिन आज तक पानी नहीं आया है। मैं मंत्री जी से चाहूंगा कि, मंत्री जी, इन कटौती प्रस्ताव के जवाब तो आ जांएगे, पहले भी आते रहे हैं, मेरा आपको सुझाव है कि जो सारे कटौती प्रस्ताव दिये हैं, उनमें हर संभाग स्तर पर एमएलए के साथ अधिकारियों की मीटिंग करके चर्चा करें। यह परिपाटी केवल इसी में नहीं, हर कटौती प्रस्ताव में, जिसमें आदमी इतना चिंतन करके दे रहा है। मैंने पहले भी कहा है कि अंकित सब हो रहा है, क्रियान्वित नहीं हो रहा है। आपको धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीय श्री सुरेश टाक।

श्री सुरेश टाक (किशनगढ़): धन्यवाद, सभापति महोदय, आज मुझे मांग संख्या 27, 38 और 46 पर बोलने का मौका दिया। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा माननीय मंत्री महोदय और माननीय अध्यक्ष महोदय को। आज विधान सभा का नजारा कुछ अलग-सा है। बहुत सारे अधिकारी यहां बैठे हैं और इस डिपार्टमेंट के मुखिया यहां बैठे हैं, यह सबसे बड़ी और सबसे अच्छी बात है। सदन भी आज पूरा है। यह पानी पर चर्चा हो रही है और सब लोगों को होना भी चाहिए। सबसे बड़ा विषय है। जनता के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय है और हम सब लोग यहां हैं। यह हमारे लिए और हमारी जनता के लिए बहुत बड़ी बात है। अब बारी मंत्री महोदय की है कि क्रियान्विति किस तरह से करते हैं? हम कैसे जनता के सपनों को पूरा कर सकते हैं?

सबसे पहले मैं माननीय मंत्री महोदय को धन्यवाद दूंगा। मैं मेरी विधान सभा से शुरू करूंगा। समय बहुत कम है बहुत-से लोगों को बोलना है। आपने मेरे दो गांव को घर-घर कनेक्शन योजना में जोड़ा है और दोनों ही महत्वपूर्ण योजनाएं हैं और बहुत आवश्यकता थी। कम से कम तीन हजार ग्रामीणों को घर में कनेक्शन मिलेगा। यह एक तीन करोड़ की योजना है और एक दो करोड़ की योजना है। इसके लिए मेरी किशनगढ़ विधान सभा की जनता की तरफ से आपका बहुत-बहुत आभार, बहुत-बहुत धन्यवाद। एक नया गांव, पाटन, डीडवाना, नलु, जिलोनिया में नई पाइप लाइन के लिए आपने 83 लाख रुपये स्वीकृत किए हैं, इसके लिए भी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। चार नलकूप आपने किशनगढ़ शहर में दिए, इसका धन्यवाद।

एक बड़ी योजना जो 2016-17 से चल रही है, मैं आपका ध्यान उस पर आकर्षित करना चाहूंगा। बहुत महत्वपूर्ण योजना है 127 करोड़ रुपये की योजना है जो शहरी जल प्रदाय योजना के नाम से है। शहर में पूरी लाइन नई बिछ रही थी 587 किलोमीटर की और 15 कुछ जलाशय का निर्माण होना था। 14 का निर्माण पूरा हो गया। एक का हो रहा है क्योंकि जगह का डिस्प्यूट था और वह पीडब्ल्यूडी की जमीन में बन रही है। मेरा एक निवेदन है आपसे, जनता को राहत देने के लिए यह योजना बनी थी, इतनी बड़ी राशि की यह योजना है, माननीय मंत्री महोदय, महत्वपूर्ण बात है, 127 करोड़ रुपये की योजना है और इसके पीछे मकसद था किशनगढ़ शहर के लोगों को प्रेशर के साथ पानी मिले और समय के साथ मिले इसीलिए, नहीं तो पानी पहले भी आ रहा था और पानी अब भी आ रहा है, लेकिन स्थिति अब उलट हो गई। स्थिति उलट इतनी हो गई कि शायद पहले पानी ज्यादा अच्छे तरीके से आ

(श्री सुरेश टाक)

रहा था, आज पानी बिलकुल नहीं आ रहा। सबसे बड़ा नुकसान यह हुआ कि 587 किलोमीटर की लाइन डलने से पूरा शहर तहस-नहस हो गया। पूरी सड़कें खतम हो गईं। 15 करोड़ रुपये डिपार्टमेंट ने पीएचईडी को ट्रांसफर किये, सड़क बनाने के लिए जिसको कोई अनुभव नहीं, जहां कोई टेक्नीशियन नहीं, कोई सड़क बनाने की जानकारी नहीं रखता, उसी को 15 करोड़ रुपये दे दिये और पूरा शहर खुदा पड़ा है। आज मेरे शहर की स्थिति ऐसी है कि लोग वहां मास्क लगाकर चल रहे हैं, दुकानदार परदे लगाकर बैठे हैं और दिन में कम से कम पांच टैंकर पानी के छिड़क रहे हैं तब जाकर कहीं थोड़ी मिट्टी कम उड़ रही है। स्थिति इतनी विकट हो रही है कि सरकार पर जनता का गुस्सा है और वह इस बात से है कि आपने रोड तुड़वा दिये, उसके बाद भी पानी पूरा नहीं आ रहा है। ये जो पाइप लाइन डली है यह गुणवत्तापूर्ण नहीं है। इसकी जांच कराएं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि यह 2016-17 की योजना है और अब यह टेल एंड पर है, कमप्लीट होने वाली है परंतु जनता को पानी नहीं मिल रहा है। किसी भी वार्ड में पानी नहीं जा रहा है। बजाय लाइन डालने के अगर प्रति वार्ड में उच्च जलाशय बना दिये जाते और उसी लाइन से पानी दे दिया जाता तो शायद ज्यादा अच्छा होता, 100 करोड़ भी बचते और जनता भी परेशान नहीं होती। आज जनता खून के आंसू रो रही है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इसकी उच्च स्तरीय जांच कराएं कि इसमें जो पाइप यूज किये गये हैं वह गुणवत्तापूर्ण हैं या नहीं? जो सड़क बन रही है, वह ठीक तरीके से बन रही है या नहीं?

मैं इसी के साथ निवेदन करना चाहूंगा कि आपको मैंने प्रस्ताव दिये हुए हैं, बहुत सारे प्रस्ताव दिए हैं। दस सोलर आधारित सिंगल फेज स्वीकृत करने के लिए मैंने आपसे निवेदन किया था, यह बहुत आवश्यक है और यह जरूर करना है क्योंकि मेरे वहां पानी की उपलब्धता है। अभी बारिश अच्छी हुई है। जमीन में पानी की उपलब्धता है, 9 ओपन वैल की मैंने आपको योजना दी हुई है, मेरा आपसे निवेदन है, मेरी जनता की तरफ से निवेदन है कि इसको आप स्वीकृत कराएं। शायद आपने उसको मार्क भी कर दिया था, विभाग में भी भेज दिया परंतु थोड़ी-सी मानिटरींग आप करवा लें तो यह सारे काम हो जाएंगे।

मेरे बहुत सारे गांव हैं जिनमें जेजेएम में आपको प्रस्ताव भेजे हुए हैं। देवपुरी, ढाणी पुरोहितान, सिरोंज, गागुन्दा, भामोलाव, सान्दोलिया, झिरोता,

(श्री सुरेश टाक)

त्योद, बुहारू, खातोली, चिताखेड़ा, तिलोनिया, नलु, मुण्डोती, पाटन, बरना, टीकावड़ा, मुण्डोलाव, डिंडवाडा, सिलोरा, मण्डावरिया, चुरली, पेडीबाटा, भोज्यावास, गोदियाना, तोलामाल, भगवंतपुरा, डबरेला, बरौल, मनोहरपुरा, कांसी, ढसूक, मांडयावरखुर्द, किशनपुरा, बालापुरा, पचीपला, गुन्दली। ये ऐसे गांव हैं जो 2 हजार से ऊपर की जनसंख्या है और जनता जल मिशन या जिस योजना में भी ये आ रहे हैं, इनमें प्रस्ताव हमने आपको भिजवाए हुए हैं और आपसे मैंने मार्क करवाकर आपने डिपार्टमेंट को भेज भी दिए हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि इन कार्यों को आप प्राथमिकता दें ताकि हम आने वाली गर्मियों में लोगों को पानी पिला सकें। आप तो धार्मिक आदमी हैं और आपको अच्छी तरह से पता है कि पानी पिलाने से कितना धर्म होता है। हमारे लिये खुशनसीबी है कि डिपार्टमेंट आपके पास है और आप अच्छी तरह से इस बात को समझते हैं कि कम से कम हमें जनता को पानी की उपलब्धता तो करा सकें।

मैं आपसे एक निवेदन और करूंगा कि 2000 सौर ऊर्जा चलित नलकूप आपने नई टंकी निर्माण का हाथ में लिया है। इसके लिए मैं 10 नलकूल की आपसे मांग करूंगा कि कम से कम मेरे विधान सभा क्षेत्र में 120 नलकूप आप स्वीकृत करवाएं।

मैं नवाचारों के लिए भी धन्यवाद् दूंगा आपको, सरकार को और माननीय मुख्य मंत्रीजी को। आपने 4 हजार से अधिक का जो राइडर था, उसको समाप्त करके कहीं न कहीं जनता को एक बहुत बड़ी राहत दी है। नई नीति के अंतर्गत स्टेट लेवल स्कीम जो सैंक्शनिंग कमेटी द्वारा घर-घर सम्मन देने की 48 पेयजल परियोजनाएं स्वीकृत की हैं, उसमें अजमेर भी शामिल है, इसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, प्लीज कन्क्लूड।

श्री सुरेश टाक (किशनगढ़): जी सर, कर रहा हूं। मैं एक निवेदन आपसे और करना चाह रहा हूं। आपने किशनगढ़ शहर और ग्रामीण, गर्मियां आने वाली हैं, मैं यह चाहूंगा कि शहर के लिए और ग्रामीण क्षेत्र के लिए अलग-अलग हैण्डपम्प स्वीकृत कराएं, ट्यूबवैल स्वीकृत करा दें ताकि आने वाले दिनों में गर्मी में लोगों को परेशानी न हो। बहुत सारे गांवों में लाइनें कमप्लीट डली हुई हैं परंतु आज स्थिति देखते हैं तो वहां की जीएलआर की स्थिति इतनी खराब है कि कभी जीवन में पानी गया भी नहीं होगा उस

(श्री सुरेश टाक)

जीएलआर में और वह टूट-फूट कर खतम हो गई हैं। अननेसेसरी पैसा वेस्ट हो रहा है और हम जनता को राहत नहीं दे पा रहे हैं। मेरा निवेदन है, आप भी संवेदनशील हैं। हमारे मुख्य मंत्री जी पूरी तरह से प्रयासरत हैं कि हम जनता को ज्यादा से ज्यादा फायदा दें। उसी क्रम में मैं यह चाहूंगा कि आज जब आप रिप्लाई दें तो किशनगढ़ के लिए कुछ न कुछ आप दें। एक, मैंने जो मांग की है जांच के लिए, जांच आप हर हाल में कराएं। वैसे मैंने माननीय मुख्य सचिव महोदय को दे दिया। प्रिंसिपल सैक्रेटरी साहब को भी मैं देकर आ गया। इस जांच के पैर लग जाएं ताकि तात्कालिक समय में जो अधिकारी थे, उनको पता लगे कि गलत काम करने से क्या होता है?

दूसरा, एक निवेदन और करना चाहूंगा कि अजमेर में बड़े अधिकारी बैठते हैं। पिछली बार भी कलेक्टर साहब की मीटिंग में मैंने बोला था, जो वहां एसई साहब बैठते हैं या एडिशनल चीफ बैठते हैं, आप एक बार किशनगढ़ आकर मीटिंग लें, वहां पता करें, हमारी समस्याओं को सुनें, मेरे साथ बैठें, अधिकारियों के साथ बैठें लेकिन आज तक 14 महीने में उन्होंने ज़हमत नहीं उठाई कि वह अजमेर से चलकर किशनगढ़ आ जाएं। कम से कम ऐसे अधिकारियों को आफिस से बाहर निकलने के लिए बताएं। थोड़ा आफिस से बाहर निकले। आज पूरा स्टाफ यहां बैठा हैं और वह लोग अजमेर से चलकर किशनगढ़ नहीं आ सकते तो फिर हम कैसे राहत दे पाएंगे?

एक मेरा निवेदन है, स्टाफ के लिए। जो स्टाफ वहां स्वीकृत है, आधा भी नहीं है। आज जो स्थिति है स्टाफ की, वह बहुत दयनीय है। मेरे 9 में से केवल 4 अभियंता वहां लगे हुए हैं, 5 की रिक्तता है और ग्रामीण क्षेत्र में भी इसी तरह 7 की पोस्ट खाली है। इतनी बड़ी योजना वहां चल रही है, पानी भी लीकेज हो रहा है, गांव में भी पानी देना है, शहर में भी पानी देना है, 48 घंटे में वाटर सप्लाई करनी है, बिना स्टाफ के यह नहीं हो सकता।

दूसरा, आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि काम करने की एक सीमा होती है। सारी समस्याओं की सबसे बड़ी जड़ अवैध कनेक्शन हैं। इनको अधिकार दिए जाएं, इनको पुलिस फोर्स दी जाए और ऐसी टीम गठित की जाए जो गांव-गांव जाकर अवैध जल कनेक्शन काटे ताकि लोगों को पानी मिले।

श्री सभापति: माननीय सदस्य।

श्री सुरेश टाक (किशनगढ़): जो ताकतवर लोग हैं, उन्होंने सीधा डायरेक्ट लाइन से पानी ले रखा है और गरीब आदमी के घर तक पानी नहीं

(श्री सुरेश टाक)

पहुंच रहा है। आपसे मेरा निवेदन है कि पूरा स्टाफ दें और उनको ताकत भी दें, पुलिस फोर्स भी दें ताकि वे कनेक्शन काटकर लोगों को पानी पिला सकें। आपने समय दिया, धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीय श्री बलवीर सिंह लूथरा।

श्री बलवीर सिंह लूथरा (रायसिंहनगर): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 27, 46, 38 पेयजल योजना, सिंचाई एवं लघु सिंचाई एवं भूमि संरक्षण हेतु बोलने का अवसर प्रदान किया, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

सबसे पहले मैं आपके माध्यम से सरकार को कहना चाहता हूं कि भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड में हमारे राजस्थान प्रदेश को प्रतिनिधित्व करने वाला फिलहाल कोई नहीं है। इस वजह से जल वितरण के समय, जब हमारा कोई प्रतिनिधि वहां मौजूद नहीं होगा तो राजस्थान प्रदेश को उसके हिस्से का पूरा पानी कैसे मिलेगा? वहां पर मौजूद सदस्य अपने हिसाब से जल का वितरण कर लेते हैं और राजस्थान के किसान को उसके हिस्से का पूरा पानी नहीं मिलता। आपसे मेरा आग्रह है कि बोर्ड में अपना सदस्य नियुक्त किया जाए। अंतरराज्यीय समझौते के तहत 0.6 एमएएफ (मिलियन एकड़ फिट) जो हमारे हिस्से का पानी तत्कालीन समय से बाकी छोड़ा था, वह भी हमें अभी तक नहीं मिल रहा। यह पानी इसलिए छोड़ा गया था कि उस वक्त आईजीएनपी का सिस्टम पूरी तरह से कम्प्लीट नहीं हुआ था, निर्माण कार्य चल रहा था। वर्तमान में आईजीएनपी का सिस्टम लगभग कम्प्लीट हो चुका है। अब हमारे हिस्से का पूरा पानी दिलवाया जाए।

दूसरी बात, आईजीएनपी नहर निर्माण के समय आईजीएनपी नहर की क्षमता 18500 कयूसेक्स तय की गई थी। इस प्रकार हरिके बैराज पर आईजीएनपी की क्षमता 18500 क्यूसेक्स है। अभी हरिके बैराज पर 6 हैड गेट, पानी डिस्चार्ज गेट बने हुए हैं। इनकी पानी विदड्रा करने की क्षमता है मात्र 14500 क्यूसेक्स, शेष 4000 क्यूसेक्स के लिए अभी तक हरिके बैराज पर पानी निकासी के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। नहरों के पुन: निर्माण एवं मरम्मत के पश्चात् 14500 क्यूसेक्स से ज्यादा पानी का प्रवाह नहीं हो सकता। इसके लिए वहां अतिरिक्त हैड गेट बनाने की आवश्यकता है। उस वक्त पानी निकासी के लिए जो गेट बनाए गए थे वह 14500 क्यूसेक्स पानी निकासी के लिए ही बनाए गए थे। 4000 क्यूसेक्स पानी का प्रोविजन आगामी वर्षों में बढ़ती जरूरत के अनुसार पेयजल एवं बारानी भूमि को सिचिंत करने

(श्री बलवीर सिंह लूथरा)

के लिए किया गया था। इसके लिए एक अतिरिक्त गेट बनाने का प्रावधान प्रस्तावित था। नहरों की खस्ता हालत होने की वजह से अभी आईजीएनपी नहर की क्षमता मात्र 11000 क्यूसेक्स पानी लेने की है। इससे ज्यादा इस नहर में पानी का प्रवाह नहीं हो सकता। पिछले भाजपा शासन में तत्कालीन सिंचाई मंत्री के प्रयासों से केन्द्र सरकार से आईजीएनपी नहर के पुनर्निर्माण, लाइनिंग एवं मरम्मत हेतु 3200 करोड़ रुपये का एमओयू हुआ था। एमओयू के मुताबिक पिछली बंदी में नहर के पुनर्निर्माण का कोई कार्य नहीं हुआ। हरिके बैराज से फिरोजपुर फीडर 168 आरडी का पूरा निर्माण कार्य अभी बाकी है। पुरानी बीकानेर कैनाल हुसैनीवाला हैड से 45 आरडी तक नहर की साफ-सफाई नहीं की गई है। उसके लिए गत वर्ष आपने एक करोड़ रुपये की घोषणा की थी, परंतु आज तक उसकी साफ-सफाई नहीं हुई है, न ही बजट लगा। इस वजह से बरसाती समय में गंग कैनाल के किसानों को पूरा पानी नहीं मिलता और यह पानी पाकिस्तान को छोड़ दिया जाता है। 45 आरडी से शिवपुरी हैड तक पूरी नहर की मरम्मत एवं साफ-सफाई बाकी है। इसमें पंजाब के किसानों द्वारा गंग नहर की बीकानेर कैनाल से सरेआम पानी चोरी किया जाता है, जिसकी रोकथाम के लिए सरकार द्वारा कोई उपाय नहीं किए गए। और तो और पंजाब सरकार ने जगह-जगह इस नहर पर अवरोधक खड़े कर दिए हैं और कई छोटे-मोटे माइनर भी नहर के बीचों-बीच निकाल दिए गए हैं।

पिछले वर्ष क्लोजर में अप्रैल माह में निम्न स्तर का जो निर्माण कार्य हो रहा था, जिसकी जागरूक किसानों द्वारा शिकायत की गई थी, उस शिकायत पर एसीबी ने छापा मारा व मुकदमा दर्ज किया गया, जिसकी अभी तक विभागीय कार्यवाही विचाराधीन है। वर्तमान में सरकार ने मार्च के अंतिम सप्ताह में 70 दिन की बंदी ली है। इस दौरान मेन कैनाल फीडर पर निर्माण एवं मरम्मत कार्य प्रस्तावित है। इसकी गुणवत्ता की सही मोनिटरिंग नहीं हुई। सरकार द्वारा निर्धारित मापदंड के अनुसार कार्य नहीं हुआ तो सरकार का पैसा खर्च होने के बावजूद भी किसानों को इसका लाभ नहीं मिलेगा। सभापति जी, आपके माध्यम से सरकार को निवेदन करता हूं कि बंदी के दौरान कार्य की गुणवत्ता की मोनिटरिंग करने हेतु एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया जाए। पिछले वर्ष भी नहरों की मरम्मत हेतु 40 दिन की बंदी ली गई थी। मुझे बेहद अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि 40 दिन की बंदी में मात्र 45 बुर्जे तक ही काम हुआ, बाकी का काम जस का तस रहा।

(श्री बलवीर सिंह लूथरा)

आपके माध्यम से मेरा सरकार से निवेदन है कि इस 70 दिन की बंदी में तय कार्यक्रम के अनुसार पंजाब की सीमा से 30 किलोमीटर तक एवं राजस्थान की सीमा में 43 किलोमीटर तक का कार्य पूरा करना प्रस्तावित है। कृपया सुनिश्चित कराएं कि तय सीमा में निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कार्य पूर्ण हो, जिससे किसानों को उनके हक का पूरा पानी मिल सके।

सभापति महोदय, सिंचाई विभाग का भी बुरा हाल है। मेरे विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर का अधिकांश हिस्सा सिंचित है, कुछ ही क्षेत्र बारानी है, जहां पानी नहीं लगता। सिंचाई, पानी से ही कृषि उत्पादन होता है परंतु किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिलता। समय पर नहरों की साफ-सफाई नहीं होती। नहरें पुरानी हो चुकी हैं। लेवल भी ऊंचा नीचा है। टेल यानी अंतिम छोर के किसानों को उनके हक का पूरा पानी नहीं मिलता, जिसमें गंगानगर की एफडी जीबी एफएफ की नहरों में पानी की मात्रा कम पहुंचती है। एफडी माइनर की डीपीआर तैयार है परंतु उसका निर्माण अभी तक शुरू नहीं हुआ।

इसी प्रकार एफएफबी माइनर का भी लेवल सही नहीं है। यह मात्र 30 बुर्जे यानी 10 किलोमीटर की छोटी नहर है, इसका भी निर्माण पुन: लेवल सही करवाकर करवाया जाए जिससे इस नहर के किसानों को सिंचाई हेतु पूरा पानी मिल सके।

इसी प्रकार खांटा माइनर, जो कि बारानी एरिया में बनना प्रस्तावित है, इसके लिए पानी भी रिजर्व में रखा हुआ है, इसका भी निर्माण करवाया जाए ताकि किसानों की असिंचित पड़ी भूमि सिंचित हो सके। इसी प्रकार श्यामगढ़ माइनर, जो आईजीएनपी की एमजेडपी शाखा से निकलने वाला है, इसकी भी हमारे क्षेत्र के किसान लंबे समय से मांग कर रहे हैं परंतु आज तक इस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। नहरों की देखरेख एवं रखरखाव के लिए बेलदारों की भी नियुक्ति की जाए, ताकि नहरों की सार संभाल व रखरखाव की ठीक ढंग से व्यवस्था हो सके।

मेरे क्षेत्र में निकलने वाली घग्घर नदी में बरसाती मौसम में पानी आता है परन्तु इसका लाभ मेरे क्षेत्र के किसानों को नहीं मिल पाता चूंकि केन्द्रीय कृषि फार्म सूरतगढ़ द्वारा इस पानी को रोक लिया जाता है। पीछे से पानी भी कम मात्रा में छोड़ा जाता है। सभापति महोदय, आपके माध्यम से मेरा सरकार से आग्रह है कि घग्घर नदी में कम से कम पांच हजार क्यूसेक्स

(श्री बलवीर सिंह लूथरा)

पानी छोड़ा जाए ताकि अनूपगढ़ के टेल बेडताल तक पहुंचे। मेरे क्षेत्र के किसान भी इस पानी से लाभान्वित हो सकें।

मेरे विधान सभा क्षेत्र में सिंचाई हेतु खाले अभी भी काफी संख्या में कच्चे पड़े हैं, उन्हें भी योजनाबद्ध तरीके से अथवा सीएडी विभाग द्वारा पक्के करवाए जाएं। सीएडी के नियमों में भी बदलाव किया जाए ताकि कम से कम 10 मुरब्बों वाली सीमा जो विभाग द्वारा लगायी हुई है उसे हटाकर जितने भी मुरब्बे का खाला कच्चा है, चाहे वह एक मुरब्बा का है, या दो मुरब्बे का खाला है अथवा इससे ज्यादा है, सीएडी विभाग के द्वारा पक्का करवाया जाए। जो एरिया रेतीला है, जहां गर्मियों में आंधी चलने से खाले रेत से भर जाती हैं, उनके ढंकने हेतु अलग से बजट उपलब्ध करवाया जाए।

मेरे विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में सिंचाई हेतु किसानों के खेतों में ट्यूबवैल लगे हुए हैं। किसानों ने ट्यूबवैलों के लिए विद्युत कनेक्शन एप्लाई कर रखे हैं मगर जनवरी 2012 के बाद विद्युत कनेक्शन एप्लाई करने वाले किसानों को बिजली के कनेक्शन नहीं मिल रहे हैं।

(20.45 बजे)

(श्री सी.पी. जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि विशेष अभियान चलाकर शीघ्र अति शीघ्र किसानों को ट्यूबवैल कनेक्शन दिए जाएं। इसी प्रकार सोलर पम्प एवं ड्रिप फव्वारा सिस्टम पर अनुदान राशि बढ़ाकर लघु सिंचाई को बढ़ावा दिया जाए।

अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर का कुछ हिस्सा रेतीला है व ऊंचे-नीचे टीबे हैं, कुछ एरिया ऊबड़-खाबड़ वाला है, वहां पर प्रोपर सिंचाई नहीं हो रही है। इसके लिए छोटे-छोटे खेतों में किसानों को अनुदान राशि देकर पक्के खाले बना दिए जाएं ताकि इन ऊंचे-नीचे टीबे वाले खेतों में किसानों को सिंचाई सुविधा मिल सके।

पेयजल, रायसिंहनगर शहर के वार्ड संख्या 10, 11, 12, 13, 14 में भी पेयजल की भारी समस्या है। पानी की सप्लाई समय पर नहीं होती, कुछ ही घरों में पानी पहुंचकर बंद हो जाता है। बाकी के घरों में लोग टैंकरों से पानी मंगवाते हैं, जिसकी उन्हें कीमत चुकानी पड़ती है। यहां की अधिकांश आबादी अनुसूचित जाति एवं गरीब लोगों की है। इन पांच वार्डों में पानी की सप्लाई की समुचित व्यवस्था के लिए ओवरहेड टैंक बनाकर पानी की सप्लाई

(श्री बलवीर सिंह लूथरा)

सही की जाए। क्योंकि रायसिंहनगर के वाटर वर्क्स का लेवल नीचा है और इन वार्डों की आबादी ऊंचाई पर बसी हुई है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य...

श्री बलवीर सिंह लूथरा (रायसिंहनगर): सर, एक मिनट।

श्री अध्यक्ष: नहीं, बिलकुल नहीं। हो गया। प्लीज समाप्त करें।

श्री बलवीर सिंह लूथरा (रायसिंहनगर): एक सैकण्ड।

श्री अध्यक्ष: नहीं बिलकुल नहीं। नौ बजे खतम करना है।

श्री बलवीर सिंह लूथरा (रायसिंहनगर): एक मिनट।

श्री अध्यक्ष: प्लीज, आप समाप्त करें।

श्री बलवीर सिंह लूथरा (रायसिंहनगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, हो गया प्लीज। अंकित नहीं होगा।

श्री बलवीर सिंह लूथरा (रायसिंहनगर): 000

श्री अध्यक्ष: खिलाड़ी लाल बैरवा।

श्री खिलाड़ी लाल बैरवा (बसेड़ी): अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 46, 27, 38 पर मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं तहे दिल से आपको बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, पेयजल, सिंचाई के लिए आज सुबह से इस सदन में चर्चा जारी है। हर माननीय विधायक ने अपने क्षेत्र की पीड़ा को बखूबी रखा है। मैं भी चंबल क्षेत्र से आता हूं। धौलपुर जिला, विधान सभा क्षेत्र बसेड़ी, चंबल हमारे क्षेत्र से होकर निकल रही है इसके बावजूद भी आज पूरा धौलपुर पानी के लिए परेशान है। महोदय, पानी भरतपुर जाता है, चंबल का पानी भीलवाड़ा जा रहा है, अजमेर जा रहा है, लेकिन प्रोपर धौलपुर के निवासी हैं, जिसमें बसेड़ी, बाड़ी, राजाखेड़ा के लोग आते हैं, उनको पेयजल नहीं मिल पा रहा।

महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पेयजल योजना, हमारा सैकण्ड फेज है, पार्वती डैम बना हुआ है, इसमें 96 गांवों को आंगई डैम से दिया हुआ है। बाकी के सैकण्ड फेज में 64 गांवों को पानी के लिए डीपीआर बनी हुई है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि उस योजना को तुरंत लागू करें जिससे धौलपुर ज़िले के जो 64 गांव बचे हुए हैं उनको पेयजल मिल सके।

मेरा दूसरा निवेदन और है कि चंबल में ओवरफ्लो पानी जाता है।

(श्री खिलाड़ी लाल बैरवा)

ओवरफ्लो से पानी का वेस्टेज होता है। अगर हमारी कालीतीर योजना के तहत उस पानी को ओवरफ्लो करके धौलपुर में डाले, पांचना और आंगई डैम से होता हुआ जगरबंध तक जाएगा तो करौली और धौलपुर दोनों ज़िलों को फायदा हो सकता है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पीएचईडी के लिए 2020-21 में 8 हजार 794 करोड़ 51 लाख का प्रावधान किया है, यह बहुत अच्छी बात है, मैं मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्लीज वाइंडअप।

श्री खिलाड़ी लाल बैरवा (बसेड़ी): मेरा एक निवेदन है, एक मिनट और दे दीजिए। पेयजल और सिंचाई योजना है, पेयजल योजना को महत्वपूर्ण रखें ताकि लोगों को पीने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी मिल सके। पिछले बजट में जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत 6 गांवों की डीपीआर बनी थी। मैं निवेदन करना चाहूंगा आंगई, मुरपुर, सलंगपुर, धोहरिया, खिडोरा, सिंगोरी, ग्राम हरजुपुरा, बरौली और बागतर, प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाए।

इसके साथ ही मैं निवेदन करना चाहूंगा कि ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट के तहत धौलपुर को शामिल किया गया है, हम मुख्य मंत्री जी के बहुत आभारी हैं। इसके साथ ही सीपेज व मैंटीनेंस होता है, नहरों में जब पानी ओवरफ्लो या सीपेज से बाहर चला जाता है, खेत भी खराब होते हैं, पानी टेल तक नहीं पहुंच पाता।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्लीज वाइंडअप।

श्री खिलाड़ी लाल बैरवा (बसेड़ी): महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि इस पर विशेष ध्यान दिया जाए। एक पाइंट और उठाना चाहूंगा कि 29.02.2020 को जो ओलावृष्टि हुई है, इसमें बाड़ी, बसेड़ी और धौलपुर के लोगों को जो तकलीफ हुई है, आज पूरा का पूरा क्षेत्र तबाह हो गया है, किसान बहुत परेशानी में है। मैं निवेदन करना चाहूंगा, उचित कार्यवाही करके उनको मुआवजा दिलवाया जाए। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद। श्री बलवान पूनियां।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मांग संख्या 27, 38 और 46 पर आज बोलने का जो लास्ट में आपने मौका दिया है, आपको धन्यवाद देना चाहूंगा।

आपणी योजना, जो पराई हो गई है, मैं मंत्री महोदय का ध्यान इंगित

(श्री बलवान पूनियां)

करना चाहूंगा कि आपणी योजना से मेरे विधान सभा क्षेत्र के नुआं, कणाऊ, कुंजी गोठड़ा, पट्टा गोठड़ा, खालसा, रामपुरा की पेयजल योजना को सुधारने के लिये कुंजी गांव में एक अलग से एस.आर. बना करके उनको पानी पिलाने का कष्ट करें। गोगामेड़ी, जो हमारे यहां बहुत बड़ा मेला भरता है, वहां लोग गंदा पानी पीते हैं। पूरे उत्तरी भारत से लोग आते हैं। राजस्थान सरकार की बड़ी बेइज्जती होती है। वहां अलग से पेयजल की व्यवस्था के लिये, चार किलोमीटर पीछे जी.जी.एम. माइनर से पाइप ले करके आएं, फिर वाटर वर्क्स में पानी दें। मेरा निवेदन है कि जोगीवाड़ा, नलखेड़ा, नेठराना, छानी बड़ी और पालिका कलाणा की पेयजल योजनाओं को वृहत् किया जाए।

अध्यक्ष महोदय, इसमें यह भी है कि 1993 के बाद आपने पी.एच.ई.डी. में कोई कर्मचारी नहीं लगाये हैं जिससे यह व्यवस्था ऊंची है लेकिन पैर नीचे नहीं बचे हैं। इसलिये पेयजल की शिकायतें आ रही हैं। हंसने की जरूरत नहीं है। जनता जल परियोजना में जो कर्मचारी लगे हैं उनकी तनख्वाह बढ़ाने का काम करें।

हमारे 14 बिरानी गांव, जिनके बारे में पिछली बार मुख्य मंत्री महोदय ने डी.पी.आर. की घोषणा की थी, उसमें 300 करोड़ रुपये और 200 क्यूसेक्स पानी की जरूरत है, उसमें हम चाहते हैं कि सरकार इसमें प्रावधान करे। जो 18500 क्यूसेक्स की इन्दिरा गांधी नहर है, उसमें मरम्मत के बाद जो पानी बचेगा, वह इस इलाके में सूक्ष्म सिंचाई योजना के तहत पानी दिया जा सकता है। 1954 में हमारे यहां अमरसिंह ब्रांच जैसाणा वितरिका के रूप में नहर आई। उस नहर से लगातार जो इलाका सरसब्ज हुआ, सिद्धमुख नहर आने के बाद, हमारे वहां कुछ गांव ऐसे थे जो अमरसिंह ब्रांच से सिंचित थे, वे अनकमांड हो गये, पटवा रामगढ़िया, जोगीवाड़ा, शेरपुरा, अध्यक्ष महोदय, ऐसी भी कोई योजना हो सकती है, जिसमें पहले 60 साल लोग कमांड रहने के बाद लोग अनकमांड हो गये हों।

सिद्धमुख नहर में पहले जो हमने बात उठाई थी, हमारा शेयर बढ़ा। आज भी हरियाणा हमें शेयर इसलिये पूरा नहीं दे रहा है क्योंकि बी.एम.एल. जो भाखड़ा मैन लिंक्स चैनल है वह टोहाणा पर आने के बाद, उसकी टेल के बाद जब हमारी सिद्धमुख नहर समानान्तर निकलती है, बराबर फतेहबाद ब्रांच है। अध्यक्षजी, एक मिनट और लूंगा। समानान्तर जो फतेहबाद ब्रांच है, काजला हैड पर आकर डैम बना दिया, जिससे हमारे हिस्से का पानी हमें नहीं

(श्री बलवान पूनियां)

दिया जा रहा है। सीपी चार पर आ करके फिर डैम बना दिया, जिससे नोहर का पानी नहीं मिल रहा है। नोहर, भादरा के पानी को इस तरीके से डिफाइन कर दिया गया, जो हिस्सा तय होने के बाद भी हरियाणा पहले दादागीरी करता है उसके बाद पंजाब दादागीरी करता है। उसकी वजह वे यह गिनाते हैं कि पंजाब से लेकर बी.एम.एल. कमजोर है, और बी.एम.एल. के बाद फतेहबाद ब्रांच और सिद्धमुख नहर कमजोर है, जिससे वे पूरा पानी नहीं ले पाती हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, कृपया।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे इलाके की जो सिद्धमुख नहर है, जो बीस साल पुरानी है, 1989 में राजीव गांधीजी ने उद्घाटन कर दिया था। यह जरूरी नहीं है कि उसमें सारी जगह पानी लग रहा, लेकिन आज भी उसका सेरड़ा माइनर, बार्डर माइनर, रतनपुरा माइनर, बोजला माइनर, पालड़ी माइनर पानी की बाट जोह रहे हैं, टेल पर पानी नहीं पहुंचा है। अध्यक्षजी, अभी भी खालों का काम कमप्लीट नहीं है। (व्यवधान) तटबंधी का काम कमप्लीट नहीं है।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद। श्री गोविन्द प्रसाद।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): इसलिये हम चाहते हैं कि हमारी इन योजनाओं को आप देखें और इनको पूर्ण कराएं। (व्यवधान) एक लास्ट में ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य। अंकित नहीं होगा। श्री गोविन्द प्रसाद। अंकित नहीं होगा।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): 000

श्री अध्यक्ष: श्री गोविन्द प्रसाद।

श्री गोविन्द प्रसाद (मनोहरथाना): माननीय अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 27, 38 और 46 पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया। इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, वे बोल रहे हैं।

श्री गोविन्द प्रसाद (मनोहरथाना): मेरा विधान सभा क्षेत्र मनोहरथाना तीन ब्लाक्स में स्थापित है। इसमें 65 ग्राम पंचायतें हैं। 65 ग्राम पंचायतों में से 30 ग्राम पंचायतें ऐसी हैं जो पठारी क्षेत्र में बसी हुई हैं। पठारी क्षेत्र में बसी होने के कारण मार्च से जून, जुलाई तक जो हैण्डपम्प लगे हुए हैं, वे हवा

(श्री गोविन्द प्रसाद)

फेंकने लग जाते हैं और वहां की जनता को पीने के लिये पानी नहीं मिल पाता है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि ब्लाक मनोहरथाना के 88 गांव, ब्लाक अकलेरा के 72 गांव और झालरापाटन के 33 गांव पेयजल से जुड़े हुए हैं। बाकी शेष रहे गांवों को ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट बनाकर जोड़ा जाए, जिससे समस्त विधान सभा क्षेत्र को पेयजल की व्यवस्था उपलब्ध हो सके।

मनोहरथाना विधान सभा क्षेत्र में कालीखाड़ बांध, गुलेण्डी बांध और छापी बांध, तीनों बांध भा.ज.पा. सरकार के द्वारा बनाये गये थे। तीनों बांधों से पेयजल एवं सिंचाई व्यवस्था आज भी होती है। इन बांधों से ये सारे गांव जुड़े हुए हैं। मैं सरकार से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि इन बाकी शेष रहे गांवों को इन बांधों से प्रोजेक्ट बनाकर आप ऐसा प्रोजेक्ट बनाएं जिससे समस्त गांवो को स्वच्छ पेयजल मिले और नहरों का सुदृढ़ीकरण करने के लिये इन नहरों को आगे बढ़ाएं। लहापसिया जो नहर है, गुलेण्डी बांध से उसको आगे बढ़ाएं, माइनर द्वारा धुंधलिया, उगेनी और रानीपुरा होकर लहासी गांव तक पहुंचाया जाए।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री गोविन्द प्रसाद (मनोहरथाना): और लहापसिया नहर से मोठ के ल्हास तक पहुंचाया जाए। मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करता हूं कि आप इस बात की ओर ध्यान देंगे। जय हिन्द, जय भारत।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती कृष्णा पूनियॉ।

श्रीमती कृष्णा पूनियॉ (सादुलपुर): धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय। समय की कमी के कारण मैं अपने क्षेत्र की बातों को उठाना चाहूंगी।

ग्राम रामपुरा एवं वेस्ली को घर-घर जल सम्बन्ध देकर लाभान्वित करने के लिये जल जीवन मिशन के तहत स्टेट लेवल स्कीम सैंक्शनिंग कमेटी की बैठक दिनांक 26 दिसम्बर, 2019 में राशि रुपये 1101.6 लाख की स्वीकृति जारी की गई, जिसकी तकनीकी स्वीकृति प्रक्रियाधीन है। ग्राम नेसल को घर-घर जल सम्बन्ध देकर लाभान्वित किया गया, जिसकी भी तकनीकी स्वीकृति प्रक्रियाधीन है।

इसके साथ-साथ राजगढ़ कस्बे में उपभोक्ताओं को पर्याप्त दबाव से पेयजल उपलब्ध कराने हेतु पेयजल योजना के पुनर्गठन हेतु राशि रुपये 47 करोड़ स्वीकृत करने के लिये माननीय मुख्य मंत्री महोदय का मैं हार्दिक

(श्रीमती कृष्णा पूनियां)

आभार व्यक्त करती हूं, जिन्होंने 27 फरवरी, 2020 को बजट घोषणा की और इस योजना हेतु 10 करोड़ का वित्तीय प्रावधान भी किया गया है।

सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, आपणी योजना के प्रथम चरण चूरू-बिसाऊ परियोजना एवं सरदारशहर के साथ गिराउं की योजना का डिजाइन वर्ष 2012 में पूर्ण हो जाने के कारण योजना के पुनर्गठन के लिये पेयजल की ड्राफ्ट विस्तृत योजना रिपोर्ट राशि रुपये 811...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपका यह लिखा हुआ मान लिया जाएगा। प्लीज, हो गया। मान लिया आपका।

श्रीमती कृष्णा पूनियॉ (सादुलपुर): प्लीज, एक बात कहना चाहूंगी, सर।

मैं सिद्धमुख वितरिका के बारे में जरूर बात करना चाहूंगी। मैंने समय-समय पर इस बात को उठाया भी है कि आज तक इस सिद्धमुख वितरिका का पानी टेल तक नहीं पहुंचा है। सम्माननीय राजीव गांधीजी ने सिद्धमुख कैनाल के नाम से इसका उद्घाटन किया था और 14 गांवों को लाभ पहुंचाने के लिये विशेष तौर पर इस वितरिका का उद्घाटन किया गया था, जो कि आज तक नहीं पहुंचा है।

साथ-साथ मेरा कहना है कि जो राजगढ़ ब्लाक है, वह डार्क जोन में है। इसके तहत जमीन का पानी हमारे पास नहीं है। बहुत सारे गांवों में किसान खेतों में बसे हुए हैं, उनके लिये पेयजल की पानी की व्यवस्था बहुत गम्भीर है। ऐसे विषय में मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि एक तो सिद्धमुख वितरिका के पानी की जो चोरी हो रही है कृपया करके उसे रोकने का काम करें। दूसरा, राजगढ़ विधान सभा क्षेत्र के अन्दर जो पेयजल की योजना का पानी है, वह कृपा करके, क्योंकि अभी भी, सर्दियों में भी हमें 3-4 दिन के अन्दर पानी मिला है, तो मैं समझ सकती हूं कि गर्मियों में कितने बुरे हालात होने वाले हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्रीमती कृष्णा पूनियॉ (सादुलपुर): आपने मुझे समय दिया, इसके लिये मैं आभार व्यक्त करती हूं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: एक मिनट में श्री नारायण सिंह देवल।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): टेबल करवा दें, माननीय अध्यक्ष महोदय।

लिखित वक्तव्य

श्री अध्यक्ष: हां। सभी माननीय सदस्यों से निवेदन, जो नहीं बोल पाये हैं, उन सबकी अपने क्षेत्र की जो समस्या है, वे टेबल पर रख दें।

(माननीय सदस्यों द्वारा मांग संख्या 27, 38 व 46 पर सदन पटल पर रखे गये लिखित वक्तव्यों के लिए कृपया परिशिष्ट-5 देखें)

माननीय मंत्रीजी आपसे ...(व्यवधान) प्लीज। माननीय मंत्रीजी से निवेदन है कि जिन सदस्यों ने कटमोशंस दिये हैं, उनके जवाब आ जाएं। जो माननीय सदस्य अपनी बात रखें, उनकी समस्या का निराकरण करने का भी आप सरकारी स्तर पर प्रयास करें।

माननीय मंत्रीजी।

(21.00 बजे)

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज 48 माननीय सदस्यों ने मांग संख्या-27 पेयजल, मांग संख्या-38 लघु सिंचाई एवं भूमि संरक्षण और मांग संख्या-46 सिंचाई के बारे में अपने महत्वपूर्ण सुझाव एवं कटमोशन के माध्यम से यहां पर बोले और उन्होंने काफी सकारात्मक सुझाव भी दिये और पेयजल, सिंचाई और लघु सिंचाई एवं भूमि संरक्षण के बारे में अपने-अपने क्षेत्र की समस्याओं को भी रखा।

मैं आपके माध्यम से उनको यह विश्वास दिलाता हूं कि अतिशीघ्र उनके कटमोशन के एक-एक माननीय सदस्य को शीघ्र जवाब भिजवा दिये जाएंगे और जहां तक हो सकता है, हमारे पास उपलब्ध बजट है उसके अनुसार जो-जो माननीय सदस्य, चाहे वह पक्ष के हों या चाहे विपक्ष के हों, जो काम हम कर सकते हैं, उनको हम करने का प्रयास करेंगे।

जल के बारे में मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि शुक्ल यजुर्वेद में यह कहा गया है कि- अग्निर्देवता वातो देवता, सूर्यो देवता, चन्द्रमा देवता, वसवो देवता, रुद्रा देवतादित्या देवता, मरुतो देवता, विश्वदेवा देवता, बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता, वरुणो देवता, वरुण जो है जल है, वह देवता समान है और हमारे प्रकृति के जो पांच तत्व हैं, इसमें भूमि, जल, आकाश, अग्नि और वायु, यह पांच तत्व जो हैं, इनसे प्रकृति बनती है।

जल जो है, इसके बारे में यह भी कहा गया है कि- पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि, जलमन्नं सुभाषितम्। मूढैः पाषाण खण्डेषु रत्न संज्ञा विधीयते।। इसका अर्थ यह है कि पृथ्वी पर तीन रत्न हैं, एक तो जल, एक अन्न और एक सुभाषित, इसका मतलब ज्ञान। पत्थर के जो हीरे, मोती, जवाहरात,

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

माणिक, पन्ना यह तो पत्थर हैं, मूढ़ लोग उनको रत्न कहते हैं लेकिन जो ज्ञानवान लोग हैं, वह जल को, अन्न को और सुभाषित यानी, ज्ञान को रत्न के रूप में मानते हैं।

हम कहने में यह कहते हैं कि जैसा पीए पानी, वैसी होए वाणी और जैसा खाए अन्न, वैसा रहे मन और जैसा सुने सुभाषित वैसा बने नागरिक। सुभाषित का मतलब यह है कि जैसे मैं आपको बताऊं- ''अभिवादन शीलस्य नित्यं वृद्धोवृद्धोपसेविन:। चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम।।'' अर्थात्, जो अपने से बड़ों का सम्मान करता है उसकी आयु, बुद्धि, यश और बल स्वत: ही बढ़ जाती है। यह सुभाषित है एक तरीके का, यह मैंने आपको उदाहरण दिया है।

जहां तक पेयजल योजनाओं का संबंध है, गत 20 वर्षों में 48 हजार करोड़ रुपये की योजनाएं राजस्थान में बनी हैं, इसमें आपका भी शासन रहा और हमारा भी शासन रहा और अनेक स्थानों पर गांवों में, शहरों में, 122 शहरों में और राजस्थान के अनेक गांवों और ढाणियों में पेयजल समस्याओं का समाधान किया गया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान को यदि हम क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो राजस्थान देश का सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र वाला राज्य है, जहां देश के क्षेत्रफल का 10.45 प्रतिशत हिस्सा आता है। यदि जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो हमारा देश में 5.5 प्रतिशत स्थान बनता है और यदि हम सरफेस वाटर को देखें तो राजस्थान का हिस्सा जो सरफेस वाटर में हमारे पास जो उपलब्ध है वह 1.16 है, बहुत कम है और एरिया इतना बड़ा है।

पेयजल योजनाओं को पहुंचाने के लिए हमारे पास आधारभूत ढांचे को विकसित करने के लिए बहुत बड़े संसाधन की आवश्यकता होती है और उन संसाधनों के लिए आप जानते हैं कि हमारे खास तौर से जो डेजर्ट का एरिया है वह दो तिहाई है, उसमें पानी पहुंचाने के लिए पचास-पचास किलोमीटर, चालीस-चालीस किलोमीटर, पैंतीस-पैंतीस किलोमीटर की दूरियां और उसमें भी फिर वह इतने फैले हुए मजरे और ढाणियां, उनमें पानी पहुंचाना herculean task है, बहुत ही मुश्किल काम है लेकिन इसके बावजूद भी हम लोग हमारे पास साधन उपलब्ध हैं, वैसे-वैसे यह काम करने की चेष्टा करते हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को यह जानकारी देना चाहता हूं कि राजस्थान में 92 प्रतिशत लवणता प्रभावित क्षेत्र

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

है, 57 प्रतिशत फ्लोराइड प्रभावित क्षेत्र है और 64 प्रतिशत नाइट्रेट प्रभावित क्षेत्र है। इसके बावजूद हमारी यह कोशिश रहती है कि हम गांव के लोगों को, शहर के लोगों को जहां तक हो सके शुद्ध पेयजल पहुंचाने की कोशिश करें। पहले हमारी योजनाएं 40 लीटर प्रति व्यक्ति के हिसाब से बनती थीं, अब हमारी योजनाएं 55 लीटर पर परसन के हिसाब से बन रही हैं।

मैं इस संबंध में खास तौर से पूरे सदन से यह आग्रह करना चाहता हूं कि इसमें आप कोई राजनीतिक भाव से न लें लेकिन मैं सदन को यह सत्य जानकारी देना चाहता हूं कि वर्ष 2013 से पहले राजस्थान को पेयजल योजनाओं में 90 प्रतिशत अनुदान केन्द्र सरकार की तरफ से मिलता था। मुझे यह कहते हुए दुःख है कि 2013 के बाद 60 परसेंट हुआ, फिर 50 परसेंट हुआ और आज की तारीख में जो जल जीवन मिशन योजना बनी है, उसमें पहाड़ी क्षेत्रों को और जो हमारे बर्फ और जहां एक तरीके से पानी है उन क्षेत्रों को और केन्द्र शासित प्रदेशों को केन्द्रीय सरकार द्वारा 90 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है जबकि राजस्थान जैसे रेगिस्तानी क्षेत्र में जहां पर पानी की अत्यन्त कमी है, बहुत ही एक्स्ट्रीम एरिडिटी है, यहां का flora fauna, यहां की ज्योग्राफिकल कंडीशन, यहां का रेगिस्तान और मरुस्थल को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि राजस्थान की बड़ी विकट परिस्थिति है। ऐसी स्थिति में, मैं इस पूरे सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि हम सब मिलकर, पक्ष और विपक्ष के भेदभाव को छोड़कर माननीय जल संसाधन मंत्रीजी, जो हमारे राजस्थान के ही हैं, जोधपुर से जीतकर जाते हैं, उनको यह आग्रह करें कि वह राजस्थान के बारे में पुनर्विचार करें और पुनर्विचार करके 90 परसेंट जो राशि हमको पहले केन्द्र की तरफ से मिलती थी, वह राशि हमें पूर्ण रूप से दें, तब ही हम इस जल जीवन मिशन को पूरा कर पाएंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह बताना चाहता हूं कि राजस्थान के प्रत्येक घर को जल उपलब्ध करवाने के लिए 1 लाख 50 हजार करोड़ रुपये की आवश्यकता है। यदि हमको 50 परसेंट पैसा देना पड़ता है तो हमको 75 हजार करोड़ रुपये की आवश्यकता सन् 2024 तक चाहिए और यदि हमको 10 परसेंट पैसा ही देना पड़े तो हमको मात्र केवल 15 हजार करोड़ रुपये ही देना पड़ेगा तो राजस्थान की वित्तीय स्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह बात बिलकुल सटीक और सही है कि हम 75 हजार करोड़ रुपये 2024 तक पेयजल योजनाओं के लिए नहीं दे सकते।

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

मैंने हमारे मंत्रियों की जो मीटिंग हुई थी उसमें और अभी जनवरी में माननीय श्री गजेन्द्र सिंहजी साहब यहां पर मैरियट होटल में पधारे थे, 19 जनवरी को यह मीटिंग हुई थी। उसमें भी मैंने उनसे यह आग्रह किया था कि राजस्थान की विशेष परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए आप इस क्राइटेरिया पर पुनर्विचार करें और राजस्थान को 90 परसेंट ग्रांट दें तभी हम हर घर को जल उपलब्ध करा पाएंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें एक लेकुना और है कि 10 प्रतिशत जन सहयोग, 10 प्रतिशत जन सहयोग में तो मैं यह समझता हूं कि मेरे अलावा वहां पर और भी राज्यों के मंत्री थे, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, ईवन उत्तरप्रदेश के मंत्रीजी मेरे पास आकर यह कहते हैं कि हम नहीं बोल सकते हैं, आप लोग जोर से उठाओ। दस राज्यों के मंत्रियों ने यह कहा कि यह 10 प्रतिशत जन सहयोग गांव के लोग नहीं दे पाएंगे इसलिए यह योजना थ्योरिटिकल है, इसको आप बदलिए, चेंज करिए तो जब सैशन खतम हुआ तो उसके बाद माननीय केन्द्रीय मंत्रीजी ने यह कहा कि यह बात तो सही है कि इतने लोग कह रहे हैं तो इसके ऊपर हम विचार करेंगे, लेकिन अभी तक इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

मैं आपके माध्यम से यह बताना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने भी केन्द्रीय मंत्रीजी को इस संबंध में पत्र लिखा है और यह आग्रह किया है कि राजस्थान को 90 परसेंट ग्रांट इस कार्य के लिए दी जाए। मैंने भी अभी दो दिन पहले राजस्थान के तमाम एम.पीज. को एक चिट्ठी लिखी है और उसमें उनका ध्यान आकर्षित किया है कि वह अपनी तरफ से माननीय केन्द्रीय जल संसाधन मंत्रीजी को यह बतायें कि राजस्थान की स्थिति को देखते हुए वह 90 परसेंट ग्रांट पेयजल योजनाओं के लिए स्वीकृत करें।

जहां तक जल जीवन मिशन का सवाल है, इस योजना को 2024 तक पूरा करना और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके लिए 1 लाख 50 हजार करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी और इसके लिए राज्य स्तरीय स्कीम सैंक्शनिंग कमेटी की मीटिंग 26 दिसम्बर, 2019 को हुई। इसमें वृहत् पेयजल योजना, तीन नवीन वृहत् पेयजल योजनाओं की स्वीकृति की, 139 एकल और क्षेत्रीय ग्रामीण जल योजनाओं की स्वीकृति की गयी, 8 लाख 60 हजार परिवारों को घरेलू जल संबंधों के माध्यम से पेयजल उपलब्ध करवाया जाएगा।

इसके अलावा, जो छठा संकल्प माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बजट में

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

पेश किया है, उसमें पानी, बिजली एवं सड़कों का मान था। हमारे विभाग ने भी पेयजल हेतु सात संकल्प बनाये हैं। उसमें पहला संकल्प है प्रत्येक घर को शुद्ध पेयजल, दूसरा है सतही स्रोतों से राज्य के अधिकतम भाग में पेयजल की आपूर्ति, तीसरा है लीकेज एवं जल छीजत नियंत्रण, चौथा है जल संरक्षण, अपशिष्ट जल का पुन:चक्रण, पुन: उपयोग को प्रोत्साहन, पांचवां है सूचना प्रौद्योगिकी, तकनीकी, नवाचार और सौर ऊर्जा का अधिकतम उपयोग, छठा है शिकायतों का त्वरित निवारण एवं सेवा स्तर में सुधार और सातवां है योजना के क्रियान्वयन तथा संचालन में सामुदायिक भागीदारी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, पेयजल हेतु इस बजट में 8,794 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसमें 4,550 करोड़ रुपये तो पेयजल योजनाओं हेतु और शेष राशि को हमने रख-रखाव, विद्युत बिल और अन्य प्रकार के संधारण खर्चों हेतु रखा हुआ है। हमारे पहले संकल्प के अन्तर्गत झुन्झुनूं, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, झालावाड़, डूंगरपुर, पाली, भीलवाड़ा, टोंक, जयपुर, नागौर, बारां, अजमेर, कोटा, बूंदी एवं करौली की 30 परियोजनाओं के कार्य हाथ में लिये जाएंगे, जिससे 4,327 गांवों में 9,159 ढाणियों के लगभग 9 लाख परिवारों को इस योजना का लाभ मिलेगा।

वृहत् पेयजल परियोजनाएं 1995 में बीसलपुर की पेयजल योजना शुरू की गयी। 1996 में इंदिरा गांधी नहर परियोजना के माध्यम से जोधपुर को और आस-पास के गांवों को पानी देने की योजना प्रारम्भ हुई। इन योजनाओं के माध्यम से आज जोधपुर जैसा शहर और उसके आस-पास के गांव पानी पी रहे हैं। उसका हम अगला स्टेज भी शुरू कर रहे हैं। बीसलपुर बांध से 3,067 गांव, 21 कस्बे, जवाई बांध से 785 गांव, 10 कस्बे और चम्बल नदी से हमने 5,334 गांव और 29 कस्बे, नर्मदा से 902 गांव और 3 कस्बे लाभान्वित किये हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा हमने वर्तमान में अभी हमारी सरकार आने के बाद अब तक दो वृहत् परियोजनाएं शुरू कीं। उसमें इन्द्रगढ़ पेयजल बूंदी 73.93 करोड़ की योजना चम्बल भीलवाड़ा विस्तार से चम्बल बूंदी क्लस्टर 80.80 करोड़ को हमने पूर्ण कर लिया है। मुझे सदन को बताते हुए खुशी होती है कि जिन पेयजल योजनाओं को हमने सरकार आने के बाद में हाथ में लिया, उसको लक्ष्य के अनुसार पूरा भी किया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा अनेक जिलों और गांवों में

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

हैण्डपम्प की मरम्मत करने का काम किया था। उसमें 2 लाख 14 हजार हैण्डपम्पों को हमने ठीक किया, नये नलकूप खोदे, नये हैण्डपम्प बनाये और कुल-मिलाकर कोशिश यह की कि लोगों के घरों में पानी पहुंचे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे याद है जुलाई का वह सैशन, जिसमें लोगों ने कहा था कि बरसात नहीं हो रही है, आप क्या करोगे? उससे दो दिन पहले हमने पाली में रेल के माध्यम से पानी पहुंचाया था। जगह-जगह हम टैंकर से पानी पहुंचा रहे थे। बीसलपुर खाली हो गया था और एकदम तला दिखने लग गया था। सब लोगों ने चिंता की लेकिन, माननीय अध्यक्ष महोदय, ईश्वर की कृपा से यहां पर मैंने जो भावना व्यक्त की, उसके अनुसार अगले ही दिन राजस्थान में झमाझम बारिश हुई और बीसलपुर ओवरफ्लो हो गया। इसके बाद आप देखोगे हमने राजस्थान में पानी की एक वर्ष में कोई कमी नहीं रखी। इस वर्ष भी मैं पूरे सदन को विश्वास दिलाता हूं कि हमने कंटींजेंसी प्लान बना लिया है। हमने गांवों के लिये 41 करोड़ रुपये और शहरों के लिये 24 करोड़ का प्रावधान किया है कि जहां कहीं भी पानी की कमी हो तो टैंकरों के माध्यम से, ट्रैक्टरों के माध्यम से, किसी भी तरीके से पानी की कमी नहीं रहने देंगे। पानी से किसी भी व्यक्ति को प्यासा नहीं रहने देंगे। जहां हैण्डपम्प की आवश्यकता होगी, हैण्डपम्प देंगे। जहां सोलर ट्यूबवैल की आवश्यकता होगी, सोलर ट्यूबवैल देंगे। जहां डी-फ्लोराइडेशन से संबंधित संयंत्र लगाना है, वहां डी-फ्लोराइडेशन के संयंत्र लगायेंगे। मुझे कई माननीय सदस्यों ने अलग अलग चूंकि अभी डी-फ्लोराइडेशन का मामला आया है और आर.ओ. का मामला आया है, इसमें कई माननीय सदस्यों ने चिंता व्यक्त की कि वह खराब है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सदन के माध्यम से मेरे अधिकारियों को यहीं से निर्देश देना चाहता हूं कि आगामी दो माह में जितने भी आरओ. लगे हुए हैं, डी-फ्लोराइडेशन के जितने भी संयंत्र लगे हुए हैं और जितने सोलर के संयंत्र लगे हुए हैं, उसकी जांच करके मुझे रिपोर्ट देंगे और जो-जो बंद हैं उनको तत्काल शुरू करेंगे और जिस ठेकेदार ने गलती की है, उसको दंडित करेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, पेयजल योजनाओं में खास तौर से दो बातों के लिये मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। आज का वक्त है जल की बचत का। जल की बचत हमको करनी है। मैंने पिछली बार भी यह बात सदन में कही थी। मुझे याद है जब मैं छोटा था तो लोहे की परात में नहाता था।

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

लोहे की परात में नहाने के बाद उसमें मेरे कपड़े धोता था और कपड़े धोने के बाद उस पानी से घर की सफाई होती थी और उसके बाद नाली की सफाई होती थी। यानी एक पानी का चार बार उपयोग होता था, लेकिन, माननीय अध्यक्ष महोदय, आजकल आप देखते हैं कि पानी का किस तरह दुरुपयोग होता है। आज बाथरूम में सबसे ज्यादा पानी का खर्च होता है। बाथरूम में, सिर्फ 200 एम.एल.एज. और हमारे विभाग के इंजीनियर्स ठान लें कि हमको तमाम राजस्थान के बाथरूम के डबल बटन की टंकी लगानी है, छोटी आवश्यकता होने पर छोटा बटन और बड़ी आवश्यकता होने पर बड़ा बटन दबाएंगे, तो एक परिवार में 200 लीटर पानी की बचत प्रतिदिन हो सकती है। आज अंदाज लगाओ कि प्रदेश में कितने पानी की बचत हो सकती है? हम पहले एक गिलास से कुल्ला करते थे, आज टोंटी चल रही है, कुल्ला हो रहा है। टोंटी चल रही है, शेविंग की ब्रुश चल रही है। इन छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहले लोग बर्तन राख और मिट्टी से मांजते थे, आज लोग बर्तन पानी से धोते हैं। पानी चल रहा है और बर्तन धुल रहे हैं। घरों में पानी का फिल्टर लगा हुआ है और फिल्टर में जितना पानी फिल्टर नहीं हो रहा है उससे ज्यादा पानी वेस्ट हो रहा है। उस पानी को वहां पर बाल्टी में अथवा भगोने में इकट्ठा करने की जरूरत है ताकि आप सिंचाई में काम में ले लो, कपड़े धोने में काम में ले लो और किसी काम में ले लो। आज पानी की बचत बहुत जरूरी है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जल का संरक्षण भी इतना ही जरूरी है। बरसात का पानी चाहे गांव में हो, चाहे शहर में हो, अपनी छत का पानी अपने घर के नीचे इकट्ठा करने के आदेश राज्य सरकार ने निकाले और उसमें 300 मीटर तक के मकान वाले आवश्यक रूप से जल संरक्षण, वाटर हार्वेस्टिंग का काम करेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस अवसर पर यह भी कहना चाहता हूं कि हमारे खास तौर से रेगिस्तान में और कई इलाकों में डी.डी.पी. योजना के अन्तर्गत जल कुण्ड बने थे। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप कभी जाकर जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और चूरू के गांवों में देखें तो हर खेत में जल कुण्ड बना हुआ है और कम से कम एक साल तक की आवश्यकता का पानी उसके जल कुण्ड में है। राजस्थान जल संरक्षण में पहले से ही बहुत सजग है। जैसे घी को रत्न मानते हैं वैसे ही पानी को रत्न मानते हैं। लोगों के यहां लोग

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

कहते हैं कि दूध मिल जाएगा, छाछ मिल जाएगी, पर पानी मत मांगना। इतना पानी को संजोकर रखते थे लेकिन धीरे-धीरे पानी का जितना वेस्टेज हुआ है, पहले लोग एक बाल्टी में नहाते थे, अब शावर से नहा रहे हैं। इन सब चीजों के ऊपर हम सबको मिलकर नियंत्रण करना होगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत-से माननीय सदस्यों ने यह कहा कि जल के कारण विश्व युद्ध होगा। यह बात सही है। बहुत से मनीषियों ने इस बात को कहा है कि जल का संकट ऐसा आ सकता है जिसके कारण विश्व युद्ध का खतरा है तो इसलिए हम लोग अपने प्रदेश में खास तौर से जल संरक्षण के काम को अधिक से अधिक ध्यान में दें। सिंचाई के लिये भी जो पानी उपयोग में लेते हैं, इजराइल पद्धति के माध्यम से फव्वारा कृषि, ड्रिप इर्रिगेशन, इसका यदि कोई ध्यान रखेगा तो निश्चित रूप से कम पानी में अच्छी खेती होगी। पंजाब के लोगों ने अधिक पानी का उपयोग किया तो वहां सेम की समस्या आ गयी और सेम की समस्या को हल करने के लिये उन्होंने करोड़ों रुपये की योजना बनायी है। ऐसे ही अधिक पानी में अधिक खेती नहीं होती। कम पानी में अधिक खेती हो सकती है। फसलों का स्वरूप बदलना होगा। क्रोपिंग पैटर्न यदि सही ढंग से कम पानी में अच्छी फसलें हों, कम पानी में व्यावसायिक खेती हो, इसके बारे में ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से हम पानी का सदुपयोग कर सकेंगे, पानी की बचत कर पाएंगे।

अध्यक्ष महोदय, मैं, आपके माध्यम से यह बताना चाहता हूं कि पिछले वर्ष हमने जो नये नलकूप बनाये उसमें 2450 नये नलकूप हमने बनाये, 3676 हैण्डपम्प निर्मित किये, 3913 आर.ओ. प्लांट स्वीकृत किये, उनमें से 3301 आर.ओ. प्लांट को हमने चालू कर दिया। 2020 तक 939 सौर ऊर्जा आधारित संयंत्र स्थापित हो चुके हैं। सौर ऊर्जा आधारित डी-फ्लोरिडेशन संयंत्र जहां-जहां फ्लोराइड है वहां 1960 संयंत्र हमने चालू कर दिये। जल शुद्धिकरण एवं पेयजल गुणवत्ता प्रभावी मानिटरिंग करने हेतु 33 जिलों में हमने प्रयोगशाला प्रारम्भ कर रखी हैं और 20 जिलों में सचल प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं। अध्यक्ष महोदय, इन प्रयोगशालाओं के माध्यम से 36 हजार 561 नमूने हमने रासायनिक परीक्षण के लिए भेजे, 76 हजार 824 जीवाणु परीक्षण के लिए भेजे, 1 लाख 25 हजार 523 अवशेष क्लोरीन परीक्षण के लिए भेजे, 33 हजार 935 सचल प्रयोगशालाओं द्वारा नमूनों का रासायनिक और जीवाणु परीक्षण किया गया।

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

शहरी पेयजल योजना, राज्य के सभी 222 शहरों में हमारे विभाग की तरफ से पेयजल योजनाएं चल रही हैं। उसमें 28 प्रतिशत शहरों में सतही जल, 50 प्रतिशत शहरों को भूजल से पानी, 22 प्रतिशत को सतही जल प्लस भूजल दोनों स्रोतों से हम दे रहे हैं। जो 15 हजार लीटर पानी का उपभोग करता है उसको हम नि:शुल्क पानी वितरित कर रहे हैं। बीसलपुर प्रथम स्टेज, चरण द्वितीय की स्वीकृति राशि 288.90 करोड़ मंजूर की गई। पृथ्वीराज नगर, जयपुर के लिए 563.93 करोड़ रुपये मंजूर किये गये। नागौर जिले के मेड़ता शहर के लिए 18.73 करोड़, डेगाना के लिए 11.86 करोड़, लाडनूं के लिए 14.41 करोड़ की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी गई है। इसके अलावा शहरी क्षेत्रों में पुरानी पाइप लाइन बदलने और वितरण पद्धति में सुधार करने के लिए 1072 कार्य हाथ में लिये गये। उसमें 1344.03 करोड़ रुपये की राशि खर्च की।

अमृत मिशन 29 शहरों में चल रहा है। इसके अंतर्गत 23 शहरों में 975.42 करोड़ रुपये की डी.पी.आर. स्वीकृत की गई, इसमें 438.74 करोड़ रुपये अब तक व्यय हो चुके हैं। आर.यू.आई.डी.पी. फेज थर्ड में श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, पाली, झुंझुनूं और टोंक को सम्मिलित किया गया है और किशनगढ़ की राज्य योजना मद से हम पेयजल की योजना बना रहे हैं।

जल संचयन और पारंपरिक जल के स्रोतों के पुनरुत्थान का कार्यक्रम भी चल रहा है जिसमें जो हमारे ट्रेडिशनल सोर्स हैं उनको हम पुनर्जीवित कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हमें जो ये पारंपरिक स्रोत विरासत में मिले हैं वो हमारे पानी के स्रोत के रूप में काम आते रहें।

इस अवसर पर मैं सदन को बताना चाहूंगा कि अफ्रीका में एक बार जल शून्य क्षेत्र बन गये, ऐसे ही हिंदुस्तान में तमिलनाडु में एक समय ऐसा आया कि तमिलनाडु जल शून्य हो गया। ऐसी स्थिति में हमारे राजस्थान में दो-तीन साल पहले एक योजना बनी, उसको भारत सरकार ने अटल भूजल योजना के माध्यम से अभी एक कार्यक्रम किया था, 1 अप्रैल, 2020 से यह लागू होगा। इसमें राज्य को 1189.65 करोड़ रुपये 17 जिलों की 22 पंचायत समितियों को मिलेंगे और 876 ग्राम इसमें जो सम्मिलित हैं, वहां जो अति दोहित जिले हैं, जिनको बोलचाल की भाषा में डार्क जोन के नाम से कहते हैं, इनमें जल स्रोत को ऊंचा उठाने की पूरी कोशिश की जाएगी।

अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने जो पेयजल से

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

सम्बन्धित घोषणाएं की थीं, उनके बारे में कुछ बताना चाहूंगा। पूरे प्रदेश के शहरों की तर्ज पर ग्रामीण परिवारों को घर में पेयजल उपलब्ध करवाना राज्य सरकार की प्रथम प्राथमिकता है। इसी कड़ी में प्रथम चरण में 16 जिलों को, जिनका मैंने पहले नाम बताया था, इनमें चूरू-बिसाऊ परियोजना, अलसीसर ब्लाक जिला झुंझुनूं, पोकरण-फलसुंड-बालोतरा-सिवाना जिला बाड़मेर, पैकेज एसपीआर 4-ए, पांचला-घेवरा-चेरई परियोजना, जिला जोधपुर, गागरीन पेयजल परियोजना, जिला झालावाड़, आसपुर-दोवड़ा एवं डूंगरपुर पेयजल परियोजना, जिला डूंगरपुर, जवाई क्लस्टर पेयजल परियोजना फोर, जिला पाली, चंबल-भीलवाड़ा क्लस्टर परियोजना, पैकेज सैकण्ड, तहसील मांडल जिला भीलवाड़ा, इन गांवों में जो मैं पूरा पढ़कर बताऊंगा तो 4327 गांवों एवं 9159 ढाणियों के 9 लाख परिवारों को इसका लाभ मिलेगा।

चंबल-भीलवाड़ा क्लस्टर परियोजना पैकेज फिफ्थ, तहसील शाहपुरा, चंबल -भीलवाड़ा क्लस्टर परियोजना, पैकेज सिक्स्थ, तहसील कोटड़ी, बीसलपुर-टोंक-उनियारा-देवली पेयजल परियोजना, जिला टोंक, बीसलपुर-चाकसू पेयजल परियोजना, जिला जयपुर, बीसलपुर-निवाई पेयजल परियोजना, जिला टोंक, बीसलपुर-नावां पेयजल परियोजना, जिला नागौर, बीसलपुर-फुलेरा पेयजल परियोजना, जिला जयपुर, सोनवा पेयजल परियोजना, जिला बारां, सायगढ़ पेयजल परियोजना, जिला बारां, फ्लोराइड नियंत्रण परियोजना, जवाजा जिला अजमेर, बीसलपुर-दूदू पेयजल परियोजना जिला जयपुर बीसलपुर-फागी पेयजल परियोजना, जिला जयपुर, बीसलपुर-बस्सी पेयजल परियोजना, जिला जयपुर, नागौर लिफ्ट परियोजना, फेज प्रथम, पैकेज फोर, जिला नागौर, बीसलपुर-नरेना पेयजल परियोजना, जिला जयपुर, अजमेर-पीसांगन पेयजल परियोजना के अंतर्गत पैकेज अजमेर क्लस्टर जिला अजमेर, नागदा-अंता-बलदेवपुरा पेयजल परियोजना, जिला कोटा, अटरू-शेरगढ़ पेयजल परियोजना, जिला बारां, रेवा पेयजल परियोजना, जिला कोटा, राजगढ़ पेयजल परियोजना, जिला झालावाड़, गरड़दा पेयजल परियोजना, जिला बूंदी, चंबल-सवाई माधोपुर-नादौती पेयजल परियोजना, पैकेज सैकण्ड, करौली-गंगापुर के 109 गांवों की क्लस्टर पेयजल परियोजना।

वर्ष 2020-21 में 4000 से कम आबादी वाले 250 गांव जहां पेयजल स्रोत उपलब्ध है, में नवीन सेवा स्तर मापदंड अनुसार नल से हर घर में पेयजल की आपूर्ति की योजनाओं के कुल 625 करोड रुपये की लागत के कार्य हाथ में लिए जाएंगे। इससे 1 लाख 10 हजार घर लाभान्वित होंगे।

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

मानननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा की गई घोषणा कि प्रदेश में 500 जनता जल योजनाओं के माध्यम से एक लाख घरों को मानदंड के अनुसार पेयजल से लाभान्वित करने हेतु कुल 750 करोड़ रुपये के पुनर्गठन के कार्य हाथ में लिए जाएंगे। जनता जल योजना के बारे में बहुत से लोगों ने चिंता व्यक्त की थी। मैं समझता हूं कि इसमें इसका उत्तर आ गया है।

जयपुर शहर में चारदीवारी एवं आसपास के क्षेत्र में उचित दबाव से पेयजल उपलब्ध करवाने हेतु वितरण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण किया जाएगा, जिसके तहत पांच उच्च जलाशयों के निर्माण के साथ नई मुख्य वितरण लाइन एवं पुरानी जीर्णशीर्ण पाइप लाइनों को बदलने का कार्य किया जाएगा। इस योजना पर 165 करोड़ रुपये का व्यय कर 9 लाख की आबादी को लाभान्वित किया जाएगा।

वर्ष 2019-20 में चंबल-भीलवाड़ा के आरोली वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से जोड़कर बूंदी जिले के हिंडोली सहित शेष रहे क्षेत्र को पेयजल पहुंचाने हेतु घोषित की गई डी.पी.आर. बन गई है। आगामी वित्तीय वर्ष में 970 करोड रुपये की इस योजना को शुरू कर बूंदी जिले के 287 गांवों एवं नैनवां कस्बे को पेयजल से लाभान्वित किया जाएगा।

धौलपुर जिले के राजाखेड़ा कस्बे की पेयजल समस्या के निदान के लिए नये स्रोत का निर्माण, स्वच्छ जलाशय का निर्माण, राइजिंग तथा वितरण पाइप लाइन इत्यादि कार्य कर पेयजल योजना का पुनर्गठन किया जाएगा। इस हेतु 15 करोड़ रुपये का व्यय संभावित है और इस वित्तीय वर्ष में 5 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

गत वर्ष राजसमन्द जिले के भीम क्षेत्र हेतु भीलवाड़ा जिले की चंबल पेयजल परियोजना से पानी पहुंचाने की योजना का परीक्षण करने की घोषणा की थी, अब परीक्षण उपरांत इस कार्य हेतु आगामी वर्ष में डी.पी.आर. बनाई जाएगी।

सिरोही जिले के 3 कस्बों सिरोही, स्वरूपगंज, पिंडवाड़ा के 33 गांव तथा 20 ढाणियों को बत्तीसा नाला द्वारा, जो आपने उठाया था, पेयजल से लाभान्वित करने के लिए परियोजना की डी.पी.आर. बनाई जाएगी। इस परियोजना से क्षेत्र की 2050 की अभिकल्पित तीन लाख आबादी को घर-घर पेयजल योजना से लाभान्वित किया जाएगा। सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने इस मांग को उठाया था।

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

उदयपुर शहर की वर्तमान जनसंख्या 5.78 लाख के लिए दैनिक जल मांग 114.5 मिलियन लीटर प्रतिदिन है। जयसमंद झील से उदयपुर शहर हेतु पानी की वर्तमान उपलब्धता को बढ़ाने के लिए पेयजल योजना पर 215 करोड़ रुपये का व्यय किया जाना प्रस्तावित है। माननीय प्रतिपक्ष के नेता महोदय, उक्त योजना के क्रियान्वयन के अनुसार उदयपुर शहर हेतु वर्तमान जल मांग की आपूर्ति की जा सकेगी। इस वर्ष 2020-21 में इस हेतु 30 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

जल योजना, राजगढ़, जिला चूरू में उपभोक्ता को पर्याप्त आवश्यक पेयजल उपलब्ध कराने हेतु पुनर्गठित योजना 46 करोड़ 75 लाख रुपये की बनाई गई है। इस योजना से कस्बे की वर्तमान 67 हजार आबादी पेयजल से लाभान्वित होगी। वर्ष 2020-21 में योजना के लिए 10 करोड़ रुपये का प्रावधान है।

वर्ष 2013 में नोखा से आने वाले माननीय सदस्य ने यह मांग उठाई थी। अभी मुकाम में माननीय मुख्य मंत्री जी गए थे, उनके सामने भी मांग आई थी। बीकानेर के 146 गांव, जिनमें नोखा तहसील के 137 गांव, बीकानेर तहसील के 9 गांव तथा नोखा एवं देशनोक कस्बे शामिल हैं। देशनोक जहां करणी माता का स्थान है, जहां नवरात्रि के वक्त में लक्खी मेला लगता है। गत सरकार द्वारा इस योजना को निरस्त कर दिया गया था। अब इस परियोजना को घर-घर जल कनेक्शन दिए जाने के प्रावधान के साथ 700 करोड़ रुपये की लागत आना संभावित है। इस परियोजना की नई डीपीआर बनाई जाएगी। इस योजना की क्रियान्विति से लगभग एक लाख शहरी आबादी तथा साढ़े 4 लाख ग्रामीण आबादी को लाभ मिलेगा। 76 हजार घर इससे लाभान्वित होंगे।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, 10 बजे खतम करना है। मैं आखिरी एक प्रश्न पूछ लेता हूं। पेयजल के संबंध में ही है। आप सुन लें।

आपने 7 नगरपालिकाओं में पेयजल की व्यवस्था करने का काम लोकल सैल्फ गवर्नमेंट को दे दिया। आपने न वहां संसाधन दिए और न वहां मैन पावर दी। इन सातों टाउनों में पीने के पानी की समस्या कठिन हो गई है। वहां न तो नगरपालिका के पास पैसा है और न ही व्यवस्था हो रही है। क्या सरकार उस पर पुनर्विचार कर, वहां पर पानी की व्यवस्था सुदृढ़ करने का काम करेगी?

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, संविधान के 74वें और 75वें संशोधन के बाद...

श्री अध्यक्ष: संविधान के संशोधन में कहीं यह नहीं लिखा हुआ है कि पैसा नहीं देंगे और मैन पावर नहीं देंगे।

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): यह बात आपकी सही है कि fund, function and functionaries के साथ ये ट्रांसफर होने थे। आपकी भावनाओं पर हम वित्त विभाग से राय कर इस पर पुनर्विचार करेंगे।

अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 46 सिंचाई के बारे में कई माननीय सदस्यों ने सुझाव दिए। इस संबंध में मैं यह बताना चाहता हूं कि हमारे यहां 2 तिहाई हिस्सा डैजर्ट है। औसत बरसात हमारे यहां बहुत कम है। यदि पश्चिमी राजस्थान की बात करूं तो यह 150 से 450 मिलीमीटर है। राजस्थान का औसत मात्र 531 मिलीमीटर है। राज्य में कुल 16 नदी बेसिन हैं। इसमें केवल माही और चंबल नदी ऐसी हैं जिसमें अधिशेष पानी है। बाकी बेसिन में इतना पानी नहीं है। बरसाती नदिया हैं, बरसात होती है तो पानी आता है।

जहां तक व्यर्थ बहकर जाने वाले वर्षा जल के संग्रहण की बात है, यह केवल माही और चंबल पर ही कुछ योजनाएं बन सकती हैं। संरक्षित जल का चरणबद्ध रूप में समेकित प्रबंधन करने हेतु योजनाएं बनाई जा रही हैं। राज्य की अंतरराज्यीय हिस्सेदारी 52.69 प्रतिशत है। राज्य में कुल कृषि योग्य भूमि 257 लाख हैक्टेयर है। इसमें 38.80 लाख हैक्टेयर भूमि सतही जल से और 72.28 लाख हैक्टेयर भूमि भू-जल से सिंचित होती है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट माननीय मुख्य मंत्री जी ने 37,247 करोड़ की लागत का बनाया है। मैं इस सदन को याद दिलाना चाहता हूं कि जब यहां पर प्रधान मंत्री जी आये थे तो उन्होंने राजस्थान की जनता को आश्वासन दिया था कि वे इस योजना को राष्ट्रीय योजना के रूप में विकसित करने का प्रयास करेंगे। मैं समझता हूं कि हम सब लोगों को मिलकर इस संबंध में प्रधान मंत्री जी से आग्रह करना चाहिए। जिस तरीके से इंदिरा गांधी नहर परियोजना को इंदिरा जी ने 100 प्रतिशत अनुदान दिया। उसके बाद राजीव जी ने भी इस परंपरा को कायम रखा। उन्होंने भी 100 प्रतिशत अनुदान इंदिरा गांधी नहर परियोजना को बनाने के लिए दिया। ऐसी परिस्थिति में 13 जिलों को इससे सिंचाई के साधन उपलब्ध होंगे, पेयजल उपलब्ध होगा। अनेक शहर और गांव इससे लाभान्वित होंगे। यहां सतही पानी केवल मात्र 1.16 प्रतिशत हो, वहां इस प्रकार की योजनाएं हमारे पास आएंगी तभी तो हम राजस्थान के गांवों को

(श्री बुलाकी दास कल्ला)
पीने का पानी दे सकेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं उम्मीद करता हूं कि हम सदन में मिलकर के इस बात का वातावरण बनाएं कि जो ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट है, जिससे 13 जिलों को पानी मिलने वाला है, सिंचाई के साधन उपलब्ध होने वाले हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): इस योजना पर मध्य प्रदेश सरकार ने सीडब्ल्यूसी में एतराज किया है कि आप बरसात का सरप्लस पानी हमारे कैचमेंट एरिये का यूज नहीं कर सकते हैं। वह तो ठीक करा लो। बातें ठोक रहे हो।

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): इसके संबंध में माननीय मुख्य मंत्री जी ने उनसे बात की है। माननीय जल संसाधन मंत्री जी से भी हमारी बात हुई है। उनका एतराज अधिशेष पानी के बारे में नहीं है। उनके जो भी सवाल थे, उनको माननीय मुख्य मंत्री जी ने और जल संसाधन मंत्री जी ने हल कर दिये हैं। कल ही कोटा में गजेन्द्र सिंह जी ने कहा है कि 3 बड़ी योजनाएं राज्य सरकार स्तर पर लंबित हैं। केन्द्र सरकार पर लंबित होंगी?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी। माननीय मंत्री जी।

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): देखिए, गजेन्द्र सिंह जी से मेरी खुद की बात हुई है। उन्होंने कहा है कि मैं इस संबंध में माननीय मुख्य मंत्री जी, मध्य प्रदेश और मुख्य मंत्री, राजस्थान के साथ बात करूंगा। यह योजना बहुत अच्छी है। हम चाहते हैं कि नदियों को जोड़ने की योजना आपके घोषणा पत्र में थी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): हम मना नहीं कर रहे लेकिन मध्य प्रदेश सरकार आपकी है। अध्यक्ष महोदय, उन्होंने सीडब्ल्यूसी में बेसिक एतराज प्रस्तुत किया है।

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): उन्होंने कोई एतराज नहीं किया है। उन्होंने केवल अधिशेष पानी के बारे में जानकारी मांगी है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): जानकारी मांगी है?

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): हां।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अध्यक्ष महोदय, यह रिकार्ड पर बात चली जाए। इस पर आप आधे घंटे की बहस रख लो। आप सदन को मिसलीड कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य। माननीय सदस्य। मंत्री जी ने Yield नहीं किया है। आप सीनियर आदमी हैं। मंत्री जी ने Yield नहीं किया है। माननीय मंत्री महोदय।

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): केन्द्रीय सरकार को ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट हमने भेजा हुआ है। अब बाल केन्द्र सरकार के पाले में है। अब आप बात को इधर-उधर डाइवर्ट मत करो। आप मिलकर के इस योजना को केन्द्र से मंजूर कराओ।

कुल मिलाकर के मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारे राजस्थान में 295 ब्लाक्स हैं। उसमें से 184 ब्लाक्स ऐसे हैं, जो अति दोहित हैं, जिनको हम डार्क जोन के रूप में हम मानते हैं। केवल 45 ब्लाक्स सुरक्षित में माने जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट जैसी योजना नहीं आएगी तो हम राजस्थान को पानी कैसे पिलाएंगे? कैसे हम घर-घर जल पहुंचाएंगे? यह एक विचारणीय प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय, 2020-21 में सिंचाई के लिए 4557.87 करोड़ की योजना मंजूर की गई है। मैं इस अवसर पर यह बताना चाहूंगा कि 2 लाख हैक्टेयर में इस ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट से सिंचाई का काम किया जाएगा, 46 बांधों को भरा जाएगा। इसके साथ-साथ इन जिलों के गांवों में पानी पहुंचाया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय, हमने ईसरदा बांध की मंजूरी दे दी। आज ईसरदा बांध बनना शुरू हो गया। इससे दौसा तथा आसपास के गांवों को पेयजल उपलब्ध होगा। राज्य सरकार अपने स्तर पर जो काम कर सकती है कर रही है लेकिन 37 हजार करोड़ से ऊपर के लागत की योजना, यह राज्य के बूते के बाहर है।

एक तरफ तो आप लोग और आपकी केन्द्र की सरकार कहती है कि हम नदियों को जोड़ेंगे। ब्राह्मणी नदी को भैंसरोडगढ़ से 113 किलोमीटर दूर बीसलपुर को क्यों नहीं जोड़ते? उसको जोड़ने से 6 हजार करोड़ के लगभग की योजना बनेगी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): इस पर भी मध्य प्रदेश की सरकार को एतराज है?

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): कोई एतराज नहीं है?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अगर नहीं हो तो इसको आप रिकार्ड पर ले लें। इसमें भी मध्य प्रदेश का एतराज है।

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): आप रिकार्ड पर लेकर के आओ।

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): आपने बोल लिया। अब मंत्री का जवाब सुन लो। डिसीप्लिन आप भी रखो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): आप कौन होते हैं मुझे कहने वाले?

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य। माननीय मंत्री, मंत्री जी। माननीय सदस्य, इधर चेयर की तरफ देखो। उधर मत देखो। आपके मित्र की तरफ मत देखो। हां, इधर देखो। माननीय मंत्री जी।

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, 503 करोड़ रुपये के काम 2020-21 में 18 बांधों के जीर्णोद्धार हेतु, उनके आधुनीकरण और सुरक्षा सम्बन्धी कार्य हाथ में लिये जायेंगे। बीसलपुर, माही, जवाई, जाखम, अम्बा, सोम कमला, छापरवाड़ा, मातृकुण्डिया, गम्भीरी, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर, कोटा बैराज, इनमें प्रमुख हैं।

राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना पर 245 करोड़ रुपये की लागत से हुए कामों से हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर जिले के टीबी, रावतसर, सूरतगढ़, अनूपगढ़, बीकानेर जिले के खाजूवाला तहसील के काश्तकारों को इसका लाभ मिलेगा। 44 किलोमीटर में री-लाइनिंग का काम होगा। माननीय सदस्यों ने इसके लिये चिंता व्यक्त की थी कि यह री-लाइनिंग का काम हो जाएगा। आगामी वर्ष में 378 करोड़ रुपये की राशि व्यय की जाएगी। राजस्थान फीडर व सरहिन्द फीडर की री-लाइनिंग हेतु जुलाई, 2019 में पंजाब के मुख्य मंत्री से माननीय मुख्य मंत्री राजस्थान मिले थे और उन्होंने न केवल राजस्थान फीडर के बारे में बल्कि बूढ़ा नाला जहां से प्रदूषित पानी आता है, इन सब चीजों के बारे में उनसे बात की और जाकर यह आश्वासन लिया कि वह राजस्थान फीडर की री-लाइनिंग का काम करेंगे।

आपको बताते हुए खुशी है कि 70 दिन की नहर बंदी ली जा रही है और उसके अंदर राजस्थान फीडर का रिनोवेशन होगा, पूरी नयी बनेगी। जब से बनी है तब से लेकर आज तक वह जर्जर हो गयी है और कभी भी एक तरीके से पानी अलग हो सकता है। ऐसी स्थिति में इसकी री-लाइनिंग बहुत जरूरी थी, इसका रिनोवेशन जरूरी था। माननीय मुख्य मंत्रीजी के प्रयत्नों से यह सारा काम हो रहा है। अभी मार्च में हम नहर बंदी लेने जा रहे हैं। बहुत से माननीय सदस्यों ने यह विचार दिया कि पीने के पानी की किल्लत हो जाएगी तो इसके लिये मैं सदन को बताना चाहता हूं कि सबसे पहले जो पानी लिया जाएगा, इसकी पहले से सूचना दी जाएगी कि वह 35 दिन का स्टाक अपने

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

यहां रख लें। उसके बाद दूसरी स्टेज में जब राजस्थान फीडर की लाइनिंग हो रही होगी, सरहिन्द फीडर की तरफ से फिर 35 दिन के लिये पानी नहरों में डाल दिया जाएगा ताकि 70 दिन तक इंदिरा गांधी नहर परियोजना से जिन-जिन शहरों में, गांवों में पानी पहुंचता है, वहां पानी की कोई कमी नहीं रहेगी। इसके बावजूद टेल एंड पर कहीं कोई कमी रहेगी तो हमारे ट्रैक्टर, हमारे ट्रक और हमारे कंटींजेंसी के प्लान हमने बनाये हैं, उसके माध्यम से हम कहीं भी पीने के पानी की कमी नहीं आने देंगे। 70 दिन की नहर की बंदी से इस राजस्थान की इंदिरा गांधी नहर परियोजना का जो रिनोवेशन होगा, उससे आने वाले पचास साल तक कम से कम इस कैनाल से हम अच्छे तरीके से किसान के खेतों में पानी पहुंचायेंगे। दूसरा फायदा इसका यह होगा कि अभी इस नहर से मात्र 11 हजार क्यूसेक्स पानी आता है, जब पूरी नहर का नवनिर्माण हो जाएगा तो हमारे यहां कम से कम इससे हम 16 हजार से 18 हजार क्यूसेक्स पानी ले पाएंगे।

अब कई माननीय सदस्यों ने कहा कि पानी पाकिस्तान जा रहा है। पानी पाकिस्तान जा रहा है तो इसको रोकने का काम तो केन्द्र सरकार का है या भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड का कार्य है। बरसों से मैं यह सुन रहा हूं, माननीय भूतपूर्व उप राष्ट्रपतिजी जब यहां विपक्ष के नेता थे, रोज इस मामले को उठाते थे कि फाटक ठीक नहीं हैं। हमने फाटक ठीक कराये और फिर खराब हो गये, उनको ठीक कौन करायेगा? वर्तमान केन्द्र सरकार की जिम्मेदारी है, तो जो वहां पर फाटक हैं, दो-तीन फाटक खराब हो गये हैं, उनका सिस्टम ठीक कराएंगे तो पाकिस्तान में पानी जाना बंद हो जाएगा लेकिन इसको जिम्मेदारी से करने की जिम्मेदारी तो केन्द्र सरकार की है, उसको आगे आकर काम करना चाहिये।

जहां तक काली सिन्ध नदी का अधिशेष जल बनास में अपवर्तित करने हेतु 602 करोड़ की नवनेरा बैराज का निर्माण कार्य प्रगतिरत है, इससे 54 एमसीएम पानी आगामी वर्ष में 175 करोड़ रुपये का प्रावधान करके इसका आगे काम पूरा किया जाएगा। गुडगांव मुख्य नहर की 23 माइनर का जीर्णोद्धार करने के लिये 70 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, 19.02.2020 को भारत सरकार ने सेंट्रल बोर्ड आफ इर्रिगेशन एण्ड पावर द्वारा प्रदेश को कुशल जल प्रबन्धन के लिये दो श्रेणियों में उत्कृष्ट पुरस्कार दिये हैं। इसके लिये मैं राजस्थान की जनता को और हमारे डिपार्टमेंट के लोगों को बधाई देता हूं।

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

इंदिरा गांधी नहर परियोजना, इसके बारे में विद्याधर नगर से आने वाले माननीय सदस्य ने कुछ प्रश्न उठाये थे। इससे पहले 8 मिलियन एकड़ फीट पानी मिलता था, अब 8.6 मिलियन एकड़ फीट पानी राजीव लोगोंवाल समझौते के अंतर्गत मिल रहा है। इराड़ी कमीशन का भी जिक्र किया। यह 0.6 मिलियन एकड़ फीट पानी इस कारण बढ़ा कि पिछले पन्द्रह-बीस सालों के जल प्रवाह को देखकर, अध्यक्ष महोदय, हमारे पानी का हिस्सा जल प्रवाह बढ़ गया, इसके कारण से हमारा हिस्सा बढ़ गया। लेकिन शुरू-शुरू में राजस्थान में हमारे पास उस पानी के उपयोग के लिये साधन नहीं थे। हमारे यहां नहरों का निर्माण होना था, तब तक उस पानी का उपयोग करने के लिये पंजाब को छूट दी गयी थी। उन्होंने प्रश्न यह भी उठाया कि राजस्थान में 8.6 मिलियन एकड़ फीट पानी नहीं लिया, यह बात असत्य है। मैं पिछले वर्षों के आंकड़ों को लेकर उपलब्ध करा सकता हूं कि दो-तीन बार कम से कम, जहां तक मेरी याद्दाश्त है, मैं इंदिरा गांधी नहर परियोजना का मंत्री भी रहा हुआ हूं राजस्थान को 8.6 मिलियन एकड़ फीट पानी मिला है किन्तु माननीय सदस्य ने कोट किया था कि 12 केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं, इसके कारण इस मामले पर मैं यह मानता हूं कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के इर्रिगेशन मंत्रियों के साथ केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री को बात करनी चाहिये। जो-जो डिस्प्यूट हैं, चाहे वे इंदिरा गांधी नहर परियोजना के हैं या यमुना नदी के हैं, यमुना नदी का पानी ताजेवाला हैड से हमको मिलने वाला है। इसके बारे में यदि मीटिंग करके यह समस्या के बारे में बातचीत करें तो जल संसाधन मंत्री समस्या का समाधान कर सकते हैं। इससे राजस्थान में ताजेवाला हैड से पानी मिलेगा तो हमारा शेखावाटी एरिया, चूरू, झुंझुनूं, सीकर और आज तो लोगों ने जयपुर ग्रामीण क्षेत्र की भी मांग की, जयपुर ग्रामीण क्षेत्र को इससे पानी उपलब्ध करवाया जाए अन्यथा हम ब्राह्मणी को बीसलपुर से जोड़ेंगे, तो उसमें जयपुर जिले के जो गांवों के क्षेत्र हैं, उनको हम निश्चित रूप से रूरल एरिया को कवर करेंगे ही करेंगे।

जहां तक अन्य इंटरस्टेट डिस्प्यूट हैं, उनके बारे में भी मेरी यही सोच है कि माननीय जल संसाधन मंत्रीजी को इस सम्बन्ध में तीनों पक्षों की मीटिंग करके इन समस्याओं का समाधान करना चाहिये।

माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे तो सभी माननीय सदस्यों के उत्तर मेरे पास लिखे हुए हैं, मुख्य रूप से एक तो छबड़ा से आने वाले माननीय

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

सदस्य ने यह कहा कि सौर ऊर्जा आधारित ट्यूबवैल लगने चाहिये, निश्चित रूप से जहां-जहां इसकी आवश्यकता है, उसको करेंगे और 2024 में जल जीवन मिशन में जहां-जहां हमारे पास सोर्स उपलब्ध हैं, वहां-वहां इसको प्राथमिकता देते हुए और साधन की उपलब्धता के अनुसार हम उन योजनाओं को क्रियान्वित कर पाएंगे।

उन्होंने एक बात और कही कि सिन्दूरिया योजना पेयजल स्रोत की उपलब्धता एवं फिजिबिलिटी उपयुक्त नहीं होने के कारण प्रस्तावित नहीं की जा सकती। इसके सभी 12 ग्राम प्रस्तावित परवन अकावद जल योजना में सम्मिलित कर लिये गये हैं। परवन अकावद योजना के बारे में उन्होंने छबड़ा विधान सभा क्षेत्र की ढाणियों को सम्मिलित करने की बात की। परवन अकावद पेयजल योजना का सर्वे कार्य लगभग पूर्ण कर लिया गया है। प्रारम्भिक स्तर पर यह योजना 35 लीटर के आधार पर बनी थी, अब इसको रिवाइज करके हम 55 लीटर के आधार पर बना रहे हैं। छबड़ा-छीपाबड़ौद के 363 गांवों एवं 96 चिन्हित मजरों और ढाणियों को सम्मिलित किया जाएगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, दस बजे समाप्त करना है। माननीय मंत्रीजी।

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मारवाड़ जंक्शन से आने वाले माननीय सदस्य ने तकनीकी त्रुटि बाबत जो बातें बतायीं, मैं उनको बताना चाहता हूं कि 41 गांव जवाई पेयजल योजना से जोड़ने की जो उन्होंने मांग की है, वर्तमान में विभिन्न भूजल आधारित योजनाओं से सुचारु पेयजल आपूर्ति की जा रही है और जवाई बांध में सीमित पेयजल उपलब्धता के कारण इनको सम्मिलित किया जाना वर्तमान में सम्भव नहीं है लेकिन इनको जल जीवन मिशन में लेने का प्रयास करेंगे।

श्री अध्यक्ष: बाकी जवाब माननीय सदस्यों को दे देना।

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): अभी तो 11 मिनट बाकी हैं।

श्री अध्यक्ष: बाकी समय में मांगों को पास भी तो करना पड़ेगा।

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो जो आप कहेंगे वैसा ही करूंगा। (व्यवधान)

मैं माननीय सदस्यों का आभारी हूं कि उन्होंने अपने उपयोगी सुझाव दिये और अंत में मैं यह कहना चाहता हूं, देखिए जल का कितना महत्त्व है, उसके लिए एक उदाहरण देना चाहता हूं। महाभारत का युद्ध चल रहा था और

(श्री बुलाकी दास कल्ला)
उस युद्ध में पांचों पाण्डव पानी की प्यास से त्रस्त थे। सबसे पहले सहदेव को भेजा। वह जब लोटा लेकर पानी पीने लगा तो उसके सामने एक यक्ष खड़ा हुआ और उसने कहा कि खबरदार, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया तो तू यहीं ढेर हो जाएगा। उसे तो पानी की प्यास लगी थी, उसने पानी पीया और वहीं ढेर हो गया। उसके बाद नकुल आया। नकुल के बाद भीम, अर्जुन और उसके बाद युधिष्ठिर स्वयं गये। वे तो चारों ही इसी तरह से ढेर हो गये।

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): यक्ष के मामले में चूरू की तरफ क्यों देख रहे हैं?

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): नहीं, मैं अध्यक्ष महोदय की तरफ देख रहा हूं। जब युधिष्ठिर स्वयं वहां पहुंचे तो उन्होंने जैसे ही पानी का लोटा भरा और पीने लगे तो यक्ष ने कहा, ठहरो, तुम बताओ, जल से पतला कौन, कौन भूमि से भारी, कौन अग्नि से तेज, कौन काजल से कारी। तो उसने पानी का लोटा रख दिया और कहा, जल से पतला ज्ञान और पाप भूमि से भारी, क्रोध अग्नि से तेज, कलंक काजल से कारी। उसका जवाब दिया तो यक्ष प्रसन्न हो गया और कहने लगा, बताओ, तुम्हारे इन चारों भाइयों में से किसके लिए जीवनदान चाहते हो? युधिष्ठिर बड़े बुद्धिमान थे, उन्होंने कहा कि मैं यदि मेरे भाइयों भीम और अर्जुन को जीवनदान देने के लिए कहूंगा तो ठीक नहीं रहेगा। उन्होंने कहा, आप सहदेव को जीवित कर दें। यक्ष ने इस पर कहा, सहदेव को क्यों? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, हम तो कुन्ती के पुत्र हैं और यह माद्री का पुत्र है। माद्री मुझे क्या कहेगी कि मेरे बच्चों को तुम लेकर गये थे, उन्हें कहां छोड़ आये? यक्ष ने यह सुनकर कहा, मैं बहुत प्रसन्न हूं तुम्हारे पांचों भाइयों को जीवित करता हूं।

जल का महत्त्व बहुत है। जल का महत्व समझें और सारे लोग मिलकर केन्द्र से आग्रह करें कि जल जीवन मिशन में 90 परसेंट ग्रांट दे, तभी हम गांव-गांव में पानी पहुंचा सकेंगे। आपका बहुतबहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 27- पेयजल योजना, मांग संख्या 46- सिंचाई एवं मांग संख्या 38- लघु सिंचाई एवं भूमि संरक्षण पारित की जाए।

अनुदान की मांग का पारण

मांग संख्या 27 - पेयजल योजना

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि मांग संख्या 27 - पेयजल योजना के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 74,50,38,14,000/- (अक्षरे रुपये चौहत्तर अरब पचास करोड़ अड़तीस लाख चौदह हजार मात्र) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 46 - सिंचाई

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 46 - सिंचाई के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 46,05,41,64,000/- (अक्षरे रुपये छियालीस अरब पांच करोड़ इकतालीस लाख चौसठ हजार मात्र) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 38 - लघु सिंचाई एवं भूमि संरक्षण

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 38 - लघु सिंचाई एवं भूमि संरक्षण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,32,02,87,000/- (अक्षरे रुपये एक अरब बत्तीस करोड़ दो लाख सत्यासी हजार मात्र) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

सदन की बैठक मंगलवार, दिनांक 03 मार्च 2020 के प्रात: 11:00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 21:54 बजे मंगलवार, दिनांक 03 मार्च 2020 के 11:00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न एवं उनके उत्तर

राजकीय महाविद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पद

270. श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में शिक्षकों के कितने पद स्वीकृत हैं? विषयवार एवं महाविद्यालयवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त महाविद्यालयों में 1 जनवरी, 2020 को कितने पद रिक्त हैं? विषयवार एवं महाविद्यालयवार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजकीय महाविद्यालयों में शिक्षकों के कुल 6925 पद स्वीकृत हैं, जिनकी विषयवार एवं महाविद्यालयवार सूची परिशिष्ट-01 पर संलग्न है।

(2) उक्त महाविद्यालयों में 01 जनवरी, 2020 की स्थिति में रिक्त पदों की विषयवार एवं महाविद्यालयवार सूची परिशिष्ट-01 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

रायसिंहनगर में पालनहार योजना के लम्बित प्रकरण

271. श्री बलवीर सिंह लूथरा (रायसिंहनगर): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में विधवा-विकलांग एवं अनाथ पालनहार योजना में जनवरी, 2019 से जनवरी, 2020 तक कितनी राशि सरकार द्वारा दी गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में उक्त योजनाओं के 31 दिसम्बर, 2019 तक की अवधि के लम्बित प्रकरणों के निस्तारण करने में कितनी राशि की आवश्यकता होगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त योजनाओं में कौन-कौन से प्रकरण किन-किन दस्तावेजों की कमी के कारण, कितने-कितने समय से लंबित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त लंबित प्रकरणों के निस्तारण हेतु आवश्यक राशि उपलब्ध कराने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में पालनहार योजना अन्तर्गत जनवरी 2019 से जनवरी 2020 तक दी गई राशि विवरण निम्नानुसार है:

(राशि लाखों में)

अन्य वर्ग	अनुसूचित जाति वर्ग	अनुसूचित जनजाति वर्ग	कुल
131.41	102.5	1.78	235.69

(2) विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में उक्त योजना के लम्बित आवेदन पत्रों के 31 दिसम्बर, 2019 तक की अवधि के निस्तारण हेतु निम्न राशि की आवश्यकता होगी:

(राशि लाखों में)

अन्य वर्ग	अनुसूचित जाति वर्ग	अनुसूचित जनजाति वर्ग	कुल
17.46	22.63	0.06	40.15

(3) उक्त योजनाओं मे लम्बित प्रकरणों की कारणों सहित सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(4) जी हां। सरकार द्वारा रायसिंहनगर विधान सभा क्षेत्र के लम्बित आवेदन पत्रों के भुगतान हेतु दिनांक 24.02.2020 को अन्य मद में 17.46 लाख एवं अनुसूचित जनजाति मद में 0.06 लाख का अतिरिक्त बजट आबंटन कर भुगतान किया जा रहा है। अनुसूचित जाति मद में बजट प्राप्त होने पर भुगतान कर दिया जाएगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में संचालित निजी मेडिकल कालेजों द्वारा वसूल की जा रही फीस पर नियन्त्रण की कार्ययोजना

272. श्री जगसी राम (रेवदर): क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि प्राइवेट मेडिकल कालेजों में एडमिशन व एडमिशन के बाद अध्यापन, प्रैक्टिकल के नियम अन्य प्रदेशों से भिन्न एवं महंगे हैं? यदि हां, तो क्यों?

(श्री जगसी राम)

(2) क्या यह भी सही है कि निजी मेडिकल कालेजों में एडमिशन से अध्ययन तक फीस पर सरकार का नियंत्रण नहीं होने के कारण प्रदेश के मेधावी मेडिकल स्टूडेंट्स चिकित्सा शिक्षा पाने से वंचित रह जाते हैं तथा अन्य राज्यों से कम योग्यता वाले मेडिकल छात्रों को एडमिशन मिल जाता है? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या यह भी सही है कि प्रदेश में कम अंक लाने वाले मेडिकल छात्रों को अन्य राज्यों की सरकारी, निजी मेडिकल कालेजों में एडमिशन नहीं मिलने से मेडिकल शिक्षा से वंचित रहना पड़ रहा है? यदि हां, तो क्यों?

(4) क्या सरकार निजी मेडिकल कालेजों के एडमिशन पर मनमर्जी की फीस वसूली जैसे मामलों में नियंत्रण करने का विचार रखती है? यदि हां, तो किस प्रकार? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सभी प्राइवेट मेडिकल कालेज मेडिकल कौंसिल आफ इण्डिया के द्वारा निर्धारित रेगुलेशन की न्यूनतम आवश्यकता के अन्तर्गत एडमिशन व एडमिशन के बाद अध्यापन, प्रैक्टिकल के नियम, रेगुलेशन आदि के अनुसार कार्य करते हैं। मेडिकल कालेजों में आधारभूत संरचना का स्तर एवं मानव संसाधन की लागत, गुणवत्ता, प्रदत्त चिकित्सा सुविधायें, विशेष शैक्षणिक प्रबंधन एवं अन्य मानकों के अनुरूप उच्चतम न्यायालय के निर्णय अनुसार गठित फीस निर्धारण समिति द्वारा प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों की फीस निर्धारित की जाती है, जो प्रत्येक मेडिकल कालेज के लिये भिन्न होती है। निजी विश्वविद्यालयों के अधीन संचालित मेडिकल कालेज में फीस निर्धारण के क्रम में प्रकरण माननीय उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है।

(2) निर्धारित मापदंडानुसार भारत के सभी राजकीय मेडिकल कालेजों की 15 प्रतिशत सीट अखिल भारतीय कोटे में शामिल कर इनके प्रवेश के लिये केन्द्रीयकृत काउंसलिंग की जाती है, जिसके लिये नीट मेरिट के अनुसार सम्पूर्ण भारत के विद्यार्थी भाग ले सकते हैं।

राजकीय मेडिकल कालेजों की शेष 85 प्रतिशत सीट एवं राज्य में स्थित समस्त निजी मेडिकल कालेजों की शत प्रतिशत सीट के लिये प्रवेश राज्य स्तरीय काउंसिलिंग के द्वारा नीट मेरिट के आधार पर दिया जाता है। काउंसिलिंग में उच्च मेरिट वाले छात्रों को मेरिट के आधार पर मेडिकल कालेज का आबंटन होता है। सामान्यत: उच्च मेरिट वाले छात्र राजकीय मेडिकल कालेजों

(चिकित्सा शिक्षा मंत्री)

को प्राथमिकता देते हैं। नीट में लोअर मेरिट वाले छात्र मेरिट के अनुसार उपलब्ध मेडिकल कालेज में प्रवेश प्राप्त करते हैं। सामान्यत: लोअर मेरिट वाले छात्रों को निजी मेडिकल कालेज में सीट उपलब्ध हो पाती है। माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय एवं एम.सी.आई. के रेगुलेशन के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया के तहत काउंसिलिंग के दो चरण एवं मॉप-अप राउंड पूर्ण होने के पश्चात् भी खाली रही सीटों पर प्रवेश हेतु राज्य की नीट मेरिट के अनुसार पंजीकृत छात्रों की सूची निजी मेडिकल कालेज को दी जाती है। राजस्थान राज्य के पात्र छात्रों की समस्त मेरिट लिस्ट समाप्त होने के बाद भी यदि मेडिकल कालेज में सीट खाली रह जाती है तो राज्य काउंसिलिंग बोर्ड में पंजीकृत राज्य के बाहर के छात्रों को मेरिट के अनुसार प्रवेश देने की अनुमति दी जाती है।

(3) राज्य के छात्रों को भी भारत के अन्य राज्यों में स्थित सरकारी मेडिकल कालेजों की 15 प्रतिशत केंद्रीय कोटे की सीटों पर प्रवेश के लिये नियत प्रक्रिया के तहत मौका मिलता है। इस प्रकार अन्य राज्यों में भी राज्य के अनुसार काउंसिलिंग के उपरांत भी खाली रही सीटों पर प्रवेश के लिये नीट की मेरिट के आधार पर सम्बन्धित राज्य के बाहर के छात्रों, जिनमें राजस्थान के छात्र भी शामिल हैं को मौका मिलता है।

(4) राज्य में स्थित दो प्राइवेट मेडिकल कालेज यथा अनन्ता इन्स्टीटयूट आफ मेडिकल साइन्सेज एण्ड रिसर्च सेन्टर, राजसमन्द एवं अमेरिकन इन्टरनेशनल इन्स्टीटयूट आफ मेडिकल साइन्सेज एण्ड रिसर्च सेन्टर, उदयपुर की फीस का निर्धारण एवं विनियमन माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस्लामिक एकेडमी बनाम कर्नाटक राज्य सरकार के प्रकरण में दिये गये निर्णय की अनुपालना में राज्य सरकार द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के रिटायर्ड न्यायाधीश की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय शुल्क निर्धारण समिति द्वारा किया जाता है। निजी विश्वविद्यालयों के अधीन संचालित मेडिकल कालेज में फीस निर्धारण के क्रम में प्रकरण माननीय उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है।

घाटे में चल रहे मिडवे व होटलों को पी.पी.पी. मोड पर देने की कार्ययोजना

273. श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(श्री अशोक लाहोटी)

(1) राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड के द्वारा संचालित कौन-कौनसी यूनिट मिडवे, होटल एवं अन्य पर्यटन सेवा केन्द्र लाभ-हानि में चल रहे हैं? वित्तीय वर्ष 2018 से यूनिटवाइज लाभ-हानि के विवरण सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि घाटे में चल रहीं इकाइयों को बन्द कर दिया गया है? यदि हां, तो कौन-कौनसी यूनिट को कितने-कितने घाटे के उपरान्त बन्द किया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त घाटे में चल रही यूनिटों को पी.पी.पी. मोड पर चलाया जाना प्रस्तावित है? यदि हां, तो किन-किन यूनिट का किन-किन संस्थाओं से MOU किया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि बन्द यूनिट की देखभाल की जा रही है? यदि हां, तो वित्तीय वर्ष 2018-19 से 2019-20 तक कितनी राशि बन्द यूनिटों पर व्यय की गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड के द्वारा संचालित इकाइयों का वित्तीय वर्ष 2018-19 से यूनिटवाइज लाभ-हानि का वर्षवार विवरण परिशिष्ट- "अ" पर संलग्न है। राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड द्वारा पर्यटन सेवा केन्द्र का संचालन नहीं किया जाता है।

(2) जी हां। वर्ष 2017 में 15 इकाइयों का संचालन बन्द किया गया, जो घाटे में चल रही थीं। जिनका विवरण परिशिष्ट - "ब" पर संलग्न है।

(3) राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड को आर्थिक दृष्टि से सुदृढ़ किये जाने हेतु निगम के अध्यधीन परिसम्पत्तियों को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किये जाने तथा इन सम्पत्तियों का मूल्यांकन कर इन्हें श्रेणीवार निस्तारित किये जाने के प्रस्ताव का मंत्रिमण्डल की आज्ञा संख्या 125/2015 द्वारा सैद्धान्तिक अनुमोदन किया गया था, जिसके क्रम में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(4) वित्तीय वर्ष 2018-19 व 2019-20 में बन्द यूनिटों पर व्यय की गई राशि का विवरण परिशिष्ट - "स" पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

मां-बाड़ी कर्मचारियों को स्थाई करने की योजना

274. श्री समाराम गरासिया (पिण्डवाड़ा-आबू): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

क्या सरकार मां-बाड़ी कर्मचारियों को स्थाई करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

मां-बाड़ी का संचालन ग्राम स्तरीय विकास समिति द्वारा किया जाता है तथा ग्राम विकास समिति द्वारा ही निर्धारित मानदेय पर कार्मिकों को लिया जाता है एवं इनका भुगतान ग्राम विकास समिति द्वारा ही किया जाता है। मां -बाड़ी में कार्यरत व्यक्तियों को स्थाई करने का प्रस्ताव नहीं है।

संस्कृत शिक्षा में पदोन्नति से वंचित विभिन्न संवर्गों के अधिकारी व कर्मचारी

275. श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): क्या संस्कृत शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही कि संस्कृत शिक्षा में प्रशासनिक पदों (प्रधानाध्यापक, प्रधानाचार्य) पर केवल संस्कृत विषय से सम्बन्धित अध्यापकों व अधिकारियों को ही नियुक्त किया जाता है? यदि हां, तो क्यों? क्या उक्त शिक्षा में अन्य विषयों के अध्यापकों व अधिकारियों को वरिष्ठ होते हुए भी नियुक्तियां क्यों नहीं दी गई? विगत पांच वर्षों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि संस्कृत शिक्षा में विगत पांच वर्षों में शारीरिक शिक्षकों, पुस्तकालय सहायकों, प्रयोगशाला सहायकों की नियुक्तियां एवं पदोन्नति प्रदान नहीं की गई हैं? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। वर्तमान में प्रचलित राजस्थान संस्कृत शिक्षा राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (विद्यालय शाखा) (संशोधन) नियम, 2018 के अनुसार प्रधानाचार्य व प्रधानाध्यापक प्रवेशिका के पद पर पदोन्नति/सीधी भर्ती के लिए विभिन्न विषयों में निर्धारित योग्यता व अनुभव रखने वाले अध्यापक पात्र हैं। तदनुसार रिक्ति वर्ष 2017-18 व 2018-19 के लिए पदोन्नति हेतु प्रस्ताव राजस्थान लोक सेवा आयोग को भिजवाए गए हैं।

(राज्य मंत्री, संस्कृत शिक्षा)

पूर्व में प्रचलित सेवा नियम, 2015 में उक्त पदों के लिए शास्त्री या संस्कृत माध्यम से समतुल्य पारम्परिक संस्कृत परीक्षा की न्यूनतम अर्हता का प्रावधान होने के कारण अन्य विषयों के अध्यापकों को पदोन्नति नहीं दी गई है। विगत 5 वर्षों का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। विगत पांच वर्षो में प्रयोगशाला सहायक ग्रेड-III की वरिष्ठ अध्यापक पद पर पदोन्नति की गई है। प्रयोगशाला सहायक की पदोन्नति एवं नियुक्ति के संबंध में विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक-II व पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड-II के पद पर पदोन्नति नहीं होने के संबंध में विवरण परिशिष्ट-3 व 4 पर संलग्न है।

शारीरिक शिक्षकों ग्रेड-II व ग्रेड-III एवं पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड-II व ग्रेड-III के पद पर सीधी भर्ती के संबंध में विवरण परिशिष्ट-5 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

चौहटन के बुनकर समाज को प्रोत्साहन देने की कार्ययोजना

276. श्री पदमाराम (चौहटन): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या सरकार हस्तकला उद्योग को प्रोत्साहन देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार चौहटन के हस्तकला कशीदाकारों को प्रोत्साहन हेतु नई योजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार बुनकर समाज को प्रोत्साहन देने हेतु कोई योजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राज्य सरकार के जन घोषणा पत्र, 2018 नीतिगत (दस्तावेज) के बिन्दु संख्या 3.4 व 14.16 में की गई घोषणा की अनुपालना में हस्तशिल्प एवं हाथकरघा निदेशालय के गठन की कार्यवाही प्रक्रिया में है। हस्तशिल्प एवं हाथकरघा निदेशालय के गठन के पश्चात् सुविधा केन्द्रों की स्थापना की जायेगी जो कारीगरों को नई डिजाइनों के विकास तथा उत्पादों के विपणन में सहायता प्रदान करेगी।

(उद्योग मंत्री)

राज्य सरकार के बजट घोषणा वर्ष 2020-21 के बिन्दु संख्या 203 में शिल्पकला के विकास हेतु हस्तशिल्प नीति लागू करने की घोषणा की गई है।

(2) राज्य सरकार द्वारा हस्तशिल्प एवं हाथकरघा निदेशालय के गठन के उपरांत स्थापित होने वाले सुविधा केन्द्रों से चौहटन के हस्तकला कशीदाकारों को भी नये डिजाइनों के विकास एवं उत्पादों के विपणन में प्रोत्साहन मिलेगा।

(3) राज्य सरकार द्वारा बुनकर समाज के प्रोत्साहन हेतु मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना दिनांक 19.12.2019 को अधिसूचित की गई है, जिसमें राज्य के बुनकरों के 1.00 लाख रुपये तक के ऋण के ब्याज का शत प्रतिशत पुनर्भरण अनुदान के रूप में राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।

इसके अतिरिक्त बुनकर समाज के उत्थान हेतु राज्य सरकार द्वारा बुनकर पुरस्कार योजना एवं उत्पाद विविधीकरण योजना पूर्व से ही संचालित की जा रही है।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

रामगंज मण्डी (कोटा) के औद्योगिक क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं का अभाव

282. श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) जिला कोटा के अंतर्गत विधान सभा क्षेत्र रामगंज मण्डी में कुदायला, अमरपुरा, फतेहपुर व सुकेत औद्योगिक क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं का विकास यथा सड़क, नालियां, पानी, डम्पिंग यार्ड और स्ट्रीट लाइट की सुविधा नहीं होने के उपरांत भी उक्त क्षेत्रों को किस आधार पर विकसित घोषित किया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त औद्योगिक क्षेत्रों में पीने के पानी, सड़कें, स्ट्रीट लाइट, गंदे पानी व औद्योगिक अपशिष्ट की निकासी हेतु ड्रेनेज नालियां, पार्को का समुचित विकास आदि सुविधाओं की कोई व्यवस्था की गई है? यदि हां, तो कब व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त औद्योगिक क्षेत्रों में जनवरी, 2014 से दिसम्बर, 2019 तक रीको द्वारा आबंटियों से प्राप्त किये गये सर्विस चार्ज, सर्विस चार्ज पर टैक्स, धारण शुल्क, धारण शुल्क पर टैक्स, भूखण्ड बहालीकरण शुल्क इत्यादि मदों में कितनी-कितनी राशि प्राप्त हुई और कितनी-कितनी राशियों के मांग-पत्र आबंटियों को जारी किये गये? उक्त अवधि में उक्त औद्योगिक क्षेत्रों के विकास एवं रखरखाव हेतु कितनी-कितनी राशि किस-किस मद में व्यय की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) रीको के नियमानुसार औद्योगिक क्षेत्र में सड़क, पानी, बिजली एवं पर्याप्त स्ट्रीट लाइट की उपलब्धता होने के पश्चात् औद्योगिक क्षेत्र को विकसित घोषित किया जाता है। औद्योगिक क्षेत्र को विकसित घोषित करने के लिए डम्पिंग यार्ड एवं नालियों का होना आवश्यक नहीं है।

कोटा जिले के अन्तर्गत रामगंज मण्डी विधान सभा क्षेत्र में रीको द्वारा औद्योगिक क्षेत्र रामगंज मण्डी प्रथम चरण (कुदायला) रामगंज मण्डी द्वितीय चरण (अमरपुरा), गुन्दी फतेहपुर व सुकेत औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किये गये हैं:-

(उद्योग मंत्री)

- औद्योगिक क्षेत्र रामगंज मण्डी प्रथम चरण (कुदायला) इस औद्योगिक क्षेत्र में सड़क, पानी, बिजली एवं पर्याप्त स्ट्रीट लाइट की सुविधा उपलब्ध करवा दी गयी थी। कालान्तर में पानी की उपलब्धता कम होने पर रीको द्वारा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के माध्यम से पानी की सुविधा द्वितीय चरण (अमरपुरा) के साथ संयुक्त रूप से जून 2006 में सुदृढ़ करवा दी गई। इस औद्योगिक क्षेत्र में लगभग 0.8 हैक्टेयर भूमि पर डम्पिंग यार्ड की व्यवस्था की गई।
- औद्योगिक क्षेत्र रामगंज मण्डी द्वितीय चरण (अमरपुरा)- इस औद्योगिक क्षेत्र में सड़क, बिजली एवं पर्याप्त स्ट्रीट लाइट की सुविधा उपलब्ध करवाकर दिनांक 01.04.2000 को अर्द्ध विकसित घोषित किया गया। तत्पश्चात् वर्ष 2004 में रीको द्वारा रुपये 55.54 लाख की राशि उपलब्ध करवाकर जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के माध्यम से पानी की सुविधा जून, 2006 में उपलब्ध करवा दी गई। इस औद्योगिक क्षेत्र में लगभग 2.05 हैक्टेयर भूमि पर डम्पिंग यार्ड की व्यवस्था की गई।
- औद्योगिक क्षेत्र गुन्दी फतेहपुर-यह एक नया औद्योगिक क्षेत्र है जिसमें विकास कार्य प्रगति पर हैं। विकास कार्य पूर्ण होने के पश्चात् निगम नियमानुसार सड़क पानी, बिजली एवं पर्याप्त स्ट्रीट लाइट की उपलब्धता होने के पश्चात् औद्योगिक क्षेत्र को विकसित घोषित किया जायेगा। इस औद्योगिक क्षेत्र में 9.91 हैक्टेयर भूमि डम्पिंग यार्ड के लिए चिन्हित की गई है।
- औद्योगिक क्षेत्र सुकेत-यह एक अविकसित औद्योगिक क्षेत्र है तथा भूखण्डों का आबंटन अविकसित आधार पर ही किया गया है। रीको द्वारा इस क्षेत्र में कोई आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवाई गई हैं।

(2) औद्योगिक क्षेत्र में उपलब्ध सुविधाओं के संबंध में:

औद्योगिक क्षेत्र रामगंज मण्डी प्रथम चरण (कुदायला) इस औद्योगिक क्षेत्र में सड़क, पानी, बिजली एवं पर्याप्त स्ट्रीट लाइट की सुविधा उपलब्ध करवा दी गयी थी। कालान्तर में पानी की उपलब्धता कम होने पर रीको द्वारा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के

(उद्योग मंत्री)

माध्यम से पानी की सुविधा द्वितीय चरण (अमरपुरा) के साथ संयुक्त रूप से जून 2006 में सुदृढ़ करवा दी गई। इस औद्योगिक क्षेत्र की प्रशासनिक स्वीकृति में नालियों एवं पार्क की सुविधा उपलब्ध कराने का प्रावधान नहीं होने के कारण इनकी व्यवस्था नहीं की गई है।

औद्योगिक क्षेत्र रामगंज मण्डी द्वितीय चरण (अमरपुरा)- इस औद्योगिक क्षेत्र में सड़क, बिजली एवं पर्याप्त स्ट्रीट लाइट की सुविधा उपलब्ध करवाकर दिनांक 01.04.2000 को अर्द्ध विकसित घोषित किया गया। तत्पश्चात् वर्ष 2004 में रीको द्वारा रुपये 55.54 लाख की राशि उपलब्ध करवाकर जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के माध्यम से पानी की सुविधा जून 2006 में उपलब्ध करवा दी गई। इस औद्योगिक क्षेत्र की प्रशासनिक स्वीकृति में नालियों एवं पार्क की सुविधा उपलब्ध कराने का प्रावधान नहीं होने के कारण इनकी व्यवस्था नहीं की गई है।

औद्योगिक क्षेत्र गुन्दी फतेहपुर-यह एक नया औद्योगिक क्षेत्र है इस औद्योगिक क्षेत्र में विकास कार्य (सड़क, पावर लाइन व पानी की लाइन आदि) प्रगति पर है। इस औद्योगिक क्षेत्र के विकास योजना में नालियों एवं पार्क की सुविधा का प्रावधान किया गया है।

औद्योगिक क्षेत्र सुकेत- यह एक अविकसित औद्योगिक क्षेत्र है तथा भूखण्डों का आबंटन अविकसित आधार पर ही किया गया है। रीको द्वारा इस क्षेत्र में कोई आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवाई गई हैं।

(3) उक्त औद्योगिक क्षेत्रों में जनवरी, 2014 से दिसम्बर 2019 तक निम्न मदों में राशि वसूली गई:-

(उद्योग मंत्री)

औद्योगिक क्षेत्र	**सर्विज चार्जेज**	**सर्विस चार्ज पर टैक्स**	**धारण शुल्क**	**धारण शुल्क पर टैक्स**	**बहालीकरण शुल्क**	**बहालीकरण पर टैक्स**
रामगंज मण्डी प्रथम व द्वितीय चरण (कुवायल / अमरापुरा)	3644149	0	673620	118357	0	0
सुकेत औद्योगिक क्षेत्र	0	0	61426	11057	310000	55800

उक्त औद्योगिक क्षेत्रों में जनवरी, 2014 से दिसम्बर, 2019 तक निम्न मदों में मांग की गयी राशि का विवरण:

औद्योगिक क्षेत्र	**सर्विज चार्जेज**	**सर्विस चार्ज पर टैक्स**	**धारण शुल्क**	**धारण शुल्क पर टैक्स**	**बहालीकरण शुल्क**	**बहालीकरण पर टैक्स**
रामगंज मण्डी प्रथम व द्वितीय चरण (कुवायल / अमरपुरा)	24334981	0	673620	118357	0	0
सुकेत औद्योगिक क्षेत्र	0	0	61426	11057	310000	55800

(उद्योग मंत्री)

गुण्दी-फतेहपुर औ. क्षे. रामगंज मण्डी

फतेहपुर औद्योगिक क्षेत्र में आबंटन की प्रक्रिया अभी शुरू नहीं हुई है। अत: मांग पत्र की सूचना शून्य है।

औद्योगिक क्षेत्र के आबंटियों के विरुद्ध बकाया राशि की सूचना समय-समय पर मांग पत्र के माध्यम से जारी की जाती रही है एवं उद्यमियों के संगठन को भी बकाया राशि की सूचना उपलब्ध करवाई जाती रही है। समय-समय पर रामगंज मण्डी में कैम्प लगाकर बकाया राशि की सूचना उद्यमियों को देना एवं वसूली की कार्यवाही की जाती रही है।

उक्त औद्योगिक क्षेत्रों में जनवरी, 2014 से दिसम्बर, 2019 तक निम्न मदों में व्यय की गई राशि:-

औद्योगिक क्षेत्र	**मरम्मत कार्य पर व्यय**	**स्ट्रीट लाइट के रखरखाव पर व्यय**	**विकास कार्य पर व्यय**
रामगंज मण्डी प्रथम व द्वितीय चरण कुदायला/अमरपुरा	1133047	3334594	0
गुण्दी-फतेहपुर औद्योगिक क्षेत्र रामगंजमण्डी	0	0	122667108

सुकेत अविकसित औद्योगिक क्षेत्र होने के कारण किसी मद में कोई व्यय नहीं किया गया।

भिवाड़ी (अलवर) की औद्योगिक इकाइयों द्वारा सी.एस.आर. के तहत व्यय राशि

283. श्री संदीप कुमार (तिजारा): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) विधान सभा क्षेत्र तिजारा के भिवाड़ी में कुल कितनी औद्योगिक इकाइयां सी.एस.आर. के दायरे में आती हैं?

(2) उक्त इकाइयों की राशि कहां-कहां व कब तथा किस कार्य में व्यय की गई? शेष राशि कब तक व्यय की जाएगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र तिजारा भिवाड़ी में संचालित 20 औद्योगिक इकाइयां कार्यालय में उपलब्ध सूचनानुसार सीएसआर के दायरे में आती हैं।

(2) उक्त इकाइयों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचनानुसार उनके द्वारा सीएसआर के तहत किये गये व्यय का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

यह उल्लेखनीय है कि सीएसआर के दायरे में आने वाली कम्पनियों को उनके विगत 3 वर्षों में अर्जित शुद्ध लाभ के औसत का 2 प्रतिशत विभिन्न कारपोरेट सामाजिक दायित्वों में कम्पनी की सीएसआर कमेटी द्वारा निर्धारित नीति अनुसार शिड्यूल-VII में सम्मिलित सीएसआर गतिविधियों पर ही व्यय किये जाने का प्रावधान है। सीएसआर व्यय की सूचना सीएसआर कम्पनियों द्वारा कारपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार को ही प्रेषित की जाती हैं तथा भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार सीएसआर फण्ड की मानिटरिंग हेतु राज्य सरकार को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

वाल्मीकि समुदाय के लिए संचालित छात्रावास

284. श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) प्रदेश में वाल्मीकि समुदाय के बच्चों के लिए कितने छात्रावास कहां-कहां पर संचालित किये जा रहे हैं? छात्रावासों के पते सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त समुदाय के लिए संचालित छात्रावासों में अध्ययन वाले बच्चों को क्या विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रावधान है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त समुदाय के छात्रावासों में कितने बच्चों को रखने की संख्या निर्धारित है तथा इसमें किस वर्ग के कितने-कितने बच्चे अध्ययनरत हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) वाल्मीकि समुदाय विशेष के उक्त छात्रावासों में उक्त समुदाय के कितने बालक-बालिकाएं कौन-कौनसी कक्षाओं में अध्ययनरत हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में वाल्मीकि समुदाय के बच्चों के लिए पृथक से कोई छात्रावास संचालित नहीं है। विभाग द्वारा 62 राजकीय अम्बेडकर/सावित्री बाई फुले (स्वच्छकार) छात्रावास संचालित हैं, जिनके माध्यम से वाल्मीकि समुदाय के बच्चों को भी लाभान्वित किया जा रहा है। उक्त छात्रावासों का पते सहित विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। राजकीय अम्बेडकर/सावित्री बाई फुले (स्वच्छकार) छात्रावासों में आवासरत बच्चों को पृथक से कोई विशेष सुविधाएं उपलब्ध करवाने का प्रावधान नहीं है। इन बच्चों को विभाग द्वारा संचालित अन्य श्रेणी के छात्रावासों में आवासरत छात्रों को दिये जाने वाली सुविधाओं के अनुसार ही सुविधाएं दिये जाने का प्रावधान है, जिनका विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(3) प्रदेश में संचालित छात्रावासों में वाल्मीकि समुदाय के बच्चों के लिए पृथक से संख्या निर्धारित नहीं है। छात्रावासों में विभाग की प्रवेश नीति के अनुसार प्रवेश दिया जाता है, जो परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

विभाग द्वारा संचालित राजकीय अम्बेडकर/सावित्री बाई फुले (स्वच्छकार) 62 छात्रावासों में 2715 बच्चों को रखने की संख्या निर्धारित है, जिसमें अनुसूचित जाति के 1418, अनुसूचित जनजाति के 335, अन्य पिछड़ा वर्ग के 449, विशेष पिछड़ा वर्ग के 90 व अन्य वर्ग के 59 बच्चे आवासरत हैं।

(4) उक्त छात्रावासों में अध्ययनरत वाल्मीकि समुदाय के बालक-बालिकाओं का कक्षावार विवरण परिशिष्ट-द पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बारां जिले की छबड़ा व छीपाबड़ौद तहसीलों में फसल खराबे का मुआवजा

285. श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): क्या आपदा प्रबन्धन एवं सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जिला बारां की छबड़ा व छीपाबड़ौद तहसील में वर्ष 2019-20 में सोयाबीन, मक्का, उड़द की फसल खराब हुई हैं? यदि हां, तो उक्त तहसीलों में कितने-कितने प्रतिशत फसल खराब हुई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री प्रताप सिंह)

(2) क्या उक्त अवधि व उक्त तहसीलों में खराब हुई फसल का मुआवजा दिया गया है? यदि हां, तो किन-किन किसानों को कितना-कितना मुआवजा दिया गया है? ग्राम पंचायतवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। छबड़ा व छीपाबड़ौद तहसील में वर्ष 2019-20 (संवत् 2076) में सोयाबीन, मक्का, उड़द की फसल बाढ़ से खराब हुई है। फसलवार खराबे के प्रतिशत का विवरण निम्नानुसार है:-

तहसील	फसल	खराबे का प्रतिशत
छबड़ा	सोयाबीन	39
	मक्का	40
	उड़द	80
छीपाबड़ौद	सोयाबीन	70
	मक्का	74
	उड़द	90

(2) प्रभावित कृषकों को कृषि आदान अनुदान भुगतान हेतु तहसील छबड़ा में 796 एवं छीपाबड़ौद में 376 किसानों के नाम डीएमआईएस पोर्टल पर अपलोड किये जा चुके हैं। शेष कृषकों के नाम अपलोड करने की कार्यवाही जारी है। उक्त तहसीलों में कृषि आदान अनुदान का भुगतान नहीं किया गया। अपलोड करने का कार्य होने पर एसडीआरएफ नोर्म्स अनुसार कृषि आदान अनुदान भुगतान की कार्यवाही की जा सकेगी।

कृषि आदान अनुदान भुगतान हेतु बारां जिले को 3.48 करोड़ रुपये का बजट आबंटन कर दिया गया है।

सागवाड़ा में वंचित व्यक्तियों को पेंशन सुविधा

286. श्री रामप्रसाद (सागवाड़ा): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र सागवाडा में वृद्धा, विधवा, नि:शक्तजन एवं अन्य योजनाओं के कितने पेंशनधारी हैं जिनको पूर्व में पेंशन मिल रही थी और वर्तमान में किसी कारणवश पेंशन बन्द हो गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में वृद्धा, विधवा, नि:शक्तजन एवं अन्य पेंशन योजनाओं की परिधि में कितने व्यक्ति आते हैं किन्तु उनकी पेंशन चालू नहीं हैं? उपखण्डवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री रामप्रसाद)

(3) क्या सरकार उक्त योजनाओं की परिधि में आने वाले व्यक्तियों की पेंशन एक अभियान चलाकर प्रारम्भ करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनान्तर्गत विधान सभा क्षेत्र सागवाड़ा में ऐसे पेंशनधारी जिन्हें पूर्व में पेंशन मिल रही थी परन्तु वर्तमान में पेंशन बन्द है, का संख्यात्मक विवरण निम्नानुसार हैः

विधान सभा क्षेत्र	**वृद्धावस्था पेंशन**	**विधवा पेंशन**	**विशेष योग्यजन पेंशन**	**लघु एवं सीमान्त वृद्धजन कृषक सम्मान पेंशन**
सागवाड़ा	55	19	03	03

पेंशन बन्द होने के कारण निम्नलिखित हैं:-

1. पेंशनर्स के वार्षिक भौतिक सत्यापन का अभाव।
2. पेंशनर्स के राजस्थान से बाहर स्थायी या अस्थायी रूप से प्रवास की दशा में।

(2) सामाजिक सुरक्षा पेंशन की परिधि में आने वाले व्यक्तियों के सम्बन्ध में कोई सर्वेक्षण नहीं करवाया जाता है, अतः ऐसी संख्या उपलब्ध नहीं है।

पेंशन नियमों के अन्तर्गत पात्रता रखने वाला व्यक्ति यदि पेंशन हेतु आवेदन करता है तो पेंशन स्वीकृति हेतु निर्धारित अवधि में उस आवेदन पत्र का निस्तारण कर दिया जाता है।

(3) जी नहीं। वर्तमान में पेंशन हेतु पात्र व्यक्ति द्वारा ई-कियोस्क, ई -मित्र/उपखण्ड अधिकारी/विकास अधिकारी/कोष कार्यालय/एसएसओ पोर्टल अथवा स्वयं के लॉग-इन, किसी भी प्रकार से पेंशन हेतु आवेदन किया जा सकता है। ऐसे पेंशन आवेदनों का निस्तारण निर्धारित अवधि में किये जाने का नियमों में प्रावधान होने के कारण इस हेतु किसी अभियान की आवश्यकता नहीं है।

किशनगढ़ में कार्यरत स्वयंसेवी संस्थाएं

287. श्री सुरेश टाक (किशनगढ़): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र किशगढ़ में कार्यरत तथा पंजीकृत एनजीओ

(श्री सुरेश टाक)

संस्थाओं के नाम, अध्यक्ष का नाम व सचिव के नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त संस्थाओं को सरकार द्वारा कोई आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई गई है? यदि हां, तो कितनी व कब? उक्त राशि से संस्था द्वारा क्या कार्य कराये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(स्थगित)

अजमेर के जवाहर लाल नेहरू अस्पताल में नर्सिंग कर्मियों के मूल दस्तावेज नहीं लौटाने वालों के विरुद्ध कार्यवाही

288. श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 2016 की सीधी भर्ती द्वारा चयनित लगभग 200 नर्सिंग कर्मियों के मूल दस्तावेज जवाहर लाल नेहरू अस्पताल प्रशासन द्वारा अब तक नहीं लौटाये गये हैं? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त कर्मियों के मूल दस्तावेज नहीं लौटाये जाने का कारण मूल पत्रावलियां खो जाना है? यदि हां, तो क्या सरकार दोषी अधिकारी व कार्मिकों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। जवाहर लाल नेहरू चिकित्सालय अजमेर में वर्ष 2016 में सीधी भर्ती द्वारा चयनित 187 नर्सिंग कर्मियों में से 165 के मूल दस्तावेज वैरिफिकेशन के पश्चात् लौटाए जा चुके हैं। 22 कार्मिकों के मूल प्रमाण-पत्र लौटाये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(2) जी नहीं। किसी भी कार्मिक के मूल दस्तावेज नही खोये हैं। अत: कोई कार्यवाही अपेक्षित नही है।

जयपुर में सेवानिवृत्त आयुर्वेद चिकित्सकों को पेंशन परिलाभ का भुगतान

289. श्री खुशवीरसिंह (मारवाड़ जंक्शन): क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) माह मई, 2018 में जिला जयपुर में कितने आयुर्वेद चिकित्सक सेवानिवृत्त हुए? सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री खुशवीरसिंह)

(2) क्या उक्त सभी सेवानिवृत्त चिकित्सकों को पेंशन परिलाभ का भुगतान नियत समयावधि में कर दिया गया है? यदि हां, तो कब? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि कई सेवानिवृत्त चिकित्सकों को विलम्ब से भुगतान करने पर नियमानुसार ब्याज का भुगतान किया जाना है? यदि हां, तो किस-किसको उक्त राशि का भुगतान कर दिया गया है? यदि नहीं, तो किस-किसको भुगतान किया जाना शेष है व अब उक्त का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) माह मई 2018 में एक आयुर्वेद चिकित्साधिकारी डा. कमलेश कुमार अग्रवाल राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालय विधान सभा से दिनांक 31.05.2018 को सेवानिवृत्त हुए।

(2) उक्त सेवानिवृत्त चिकित्सक को पेंशन विभाग द्वारा दिनांक 21.02.2019 को पी.पी.ओ. जी.पी.ओ. जारी कर दिए गए हैं।

(3) जी नहीं। आयुर्वेद विभाग जिला जयपुर के कार्यालय स्तर पर किसी प्रकार के मांग दावे का निस्तारण शेष नहीं है।

मुण्डावर के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में नि:शुल्क जांच की योजना

290. श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर के मुण्डावर सीएचसी में सभी जांचें नि:शुल्क की जाती हैं? यदि हां, तो कौन-कौनसी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त सीएचसी में सभी जांचों को नि:शुल्क करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, मुण्डावर, अलवर में मुख्यमंत्री नि:शुल्क जांच योजना के अन्तर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर हेतु निर्धारित 37 प्रकार की जांचें नि:शुल्क की जाती हैं, जिनकी सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। बिन्दु संख्या 1 में अंकित जांचों के अतिरिक्त अन्य जांच नि:शुल्क करने का प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

आर.पी.एस.सी. द्वारा चयनित चिकित्सा अधिकारियों को डी.ए.सी.पी. का परिलाभ

291. श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मात्र यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) आर पी एस सी से चयनित मेडिकल ऑफिसर की कब-कब डी.पी.सी व डी.ए.सी.पी. कराई गई तथा उसका परिलाभ कब-कब दिया गया विवरण सदन की मेज पर रखे।

(2) उक्त पदों के अभ्यर्थी, जो डेफर थे उनकी संख्या कितनी है तथा उनका डी.ए.सी.पी व डी.पी.सी का परिलाभ कब तक दे दिया जाएगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) जिन अभ्यर्थियों को डी.ए.सी.पी. का परिलाभ मिल चुका है, उनको 9500 या 10000 वाले ग्रेड पे में कब तक डी.ए.सी.पी. का परिलाभ दे दिया जाएगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(स्थगित)

डेगाना (नागौर) के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में ब्लड स्टोरेज केन्द्र का संचालन

292. श्री विजयपाल मिर्धा (डेगाना): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि डेगाना सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में ब्लड स्टोरेज केन्द्र स्वीकृत कर आवश्यक उपकरण उपलब्ध करवा दिये गये हैं? यदि हां, तो इनकी स्वीकृति व उपकरणों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त केन्द्र पर ब्लड स्टोरेज केन्द्र का संचालन प्रारम्भ नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्यों तथा अब कब तक प्रारम्भ कर दिया जाएगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। डेगाना सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में ब्लड स्टोरेज केन्द्र स्वीकृत है। आदेश की प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

संस्थान पर ब्लड स्टोरेज केन्द्र के लिये उपलब्ध कराये गये आवश्यक औजार, उपकरणों की सूची परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(2) उक्त केन्द्र पर ब्लड स्टोरेज केन्द्र का अनुज्ञापत्र दिनांक 25.04.2012 को जारी होने के पश्चात् वर्ष 2012 से 2014 तक संचालित

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

रहा, परन्तु केन्द्र पर रक्त खपत शून्य रही। ब्लड स्टोरेज केन्द्र का अनुज्ञापत्र दिनांक 25.04.2014 को अवधि पार हो जाने के कारण ब्लड स्टोरेज केन्द्र अक्रियाशील रहा। वर्तमान में अनुज्ञापत्र जारी कर ब्लड स्टोरेज केन्द्र को क्रियाशील कर दिया गया है। जिसके लाइसेंस की वैधता 25.02.2022 तक है। लाइसेंस की छायाप्रति परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(प्रतियां व सूची पुस्तकालय में रखी गयीं)

सवाई माधोपुर में पर्यटन स्थलों का विकास

293. श्रीमती इन्द्रा (बामनवास): क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) जिला सवाई माधोपुर में विगत दो वर्षों में पर्यटन स्थलों, पुरातत्व स्मारकों एवं संरक्षित स्थलों के विकास एवं सौन्दर्यीकरण हेतु कितनी-कितनी राशि, किस-किस स्थान के लिये केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा आबंटित की गई तथा किस-किस कार्य पर, कितनी-कितनी राशि व्यय की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्तमान में उक्त जिले में कौन-कौन से पर्यटन स्थलों के विकास एवं सौन्दर्यीकरण के कार्य प्रक्रियाधीन हैं तथा उक्त निर्माण कार्यों में किस-किस निर्माण कार्य पर कितना-कितना व्यय किया जाना प्रस्तावित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये कोई ठोस नीति बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सवाई माधोपुर जिले में विगत दो वर्षों में राज्य सरकार द्वारा कराये गये पर्यटन विकास कार्यों का विवरण परिशिष्ट-अ पर एवं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से कराये गये कार्यों का विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(2) सवाई माधोपुर जिले में वर्ष 2019-20 में स्वीकृत पर्यटन विकास कार्यों का विवरण परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(3) जी हां। विभाग द्वारा नवीन पर्यटन नीति का प्रारूप तैयार किया गया है। स्वीकृति प्राप्त होते ही नीति को लागू कर दिया जाएगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

चितौड़गढ़ के ऋषिमंगरी पर्यटन स्थल का विकास

294. श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति चित्तौड़गढ़ में ऋषिमंगरी नाम से प्रसिद्ध पर्यटकों को लुभाने वाला सैकडों वर्ष प्राचीन धार्मिक स्थल विद्यमान है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि पूर्व में पर्यटक स्वागत केन्द्र, चित्तौड़गढ़ द्वारा उक्त धार्मिक स्थल को पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण विकसित करने की मांग सरकार से की गई है? यदि हां, तो कब? उक्त के संबंध में भेजे गये पत्रों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त प्राचीन दर्शनीय स्थल का पर्यटन की दृष्टि से विकास करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। ग्राम पंचायत बडौदिया, पंचायत समिति चित्तौड़गढ़ स्थित ऋषिमंगरी पर पुराना शिव मंदिर स्थित है।

(2) जी हां। पर्यटक स्वागत केन्द्र, चित्तौड़गढ़ से ऋषिमंगरी को विकसित करने हेतु विभाग को प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। संबंधित पत्राचार की प्रतिलिपि परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(3) विभाग में बजट उपलब्धता एवं प्राथमिकता के आधार पर विकास कार्यो हेतु युक्तियुक्त निर्णय लिया जाता है।

(प्रतिलिपि पुस्तकालय में रखी गयी)

डीडवाना में ओलावृष्टि से पीड़ित किसानों को मुआवजा

295. श्री चेतन सिंह चौधरी (डीडवाना): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 2020 में विधान सभा क्षेत्र डीडवाना में ओलावृष्टि से किसानों की फसल को हुए नुकसान का आंकलन पूर्ण कर लिया है? यदि हां, तो पटवार हलकावार, पंचायतवार हुए नुकसान का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि ओलावृष्टि से पीड़ित किसानों को

(श्री चेतन सिंह चौधरी)

मुआवजा देने की कार्यवाही अपूर्ण है? यदि हां, तो किस स्तर पर? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त क्षेत्र के ओलावृष्टि से पीड़ित किसानों को कब तक मुआवजा राशि दे दी जाएगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि इस वर्ष दिनांक 12.12.2019 को ओलावृष्टि से डीडवाना विधान सभा क्षेत्र में किसानों की फसल को हुए नुकसान का आंकलन पूर्ण कर लिया गया है। तहसील क्षेत्र के कुल 9 ग्रामों में हुई ओलावृष्टि की सूचना पटवार हलकावार, पंचायतवार, किसानवार मय ओलावृष्टि के समय हुए नुकसान का पूर्ण विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। दिनांक 12.12.2019 को ओलावृष्टि के समय उक्त 9 ग्रामों में फसलें शिशु अवस्था में थीं। तत्पश्चात् ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान का प्रारम्भिक आंकलन किया गया, जिसमें फसलों में अनुमानित 20 प्रतिशत नुकसान हुआ। वर्तमान में की गई गिरदावरी के अनुसार सभी फसलें अच्छी स्थिति में हैं।

(3) भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देश क्रमांक 32-7/2014-एन डी एम-1 दिनांक 08.04.2015 में निर्धारित मापदण्डों के अन्तर्गत 33 प्रतिशत या इससे अधिक खराबा होने पर ही प्रभावित काश्तकारों को आदान-अनुदान वितरण किये जाने का प्रावधान है। एन.डी.आर.एफ. के दिशा-निर्देशों की प्रति परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(विवरण व प्रति पुस्तकालय में रखे गये)

बिलायतीपुरा ग्राम (टोंक) में श्मशान के रास्ते पर अतिक्रमण

296. श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) प्रदेश में राजस्व रिकार्ड में दर्ज श्मशान में जाने वाले गैर मुमकिन रास्तों पर अतिक्रमण करने पर क्या कार्यवाही की जाती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा ग्राम बिलायतीपुरा पटवार हलका गहलोद तहसील पीपलू जिला टोंक में स्थित श्मशान में जाने वाले गैर मुमकिन रास्ता खसरा

(श्री निर्मल कुमावत)

नम्बर 123/126 रकबा 5 बिस्वा भूमि पर किये गये अतिक्रमण को अब तक कितनी बार किन-किन अधिकारियों की मौजूदगी में हटाया गया तथा अतिक्रमी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा अतिक्रमी के विरुद्ध उचित कार्यवाही नहीं करने के कारण उसी अतिक्रमी ने उक्त गैर मुमकिन रास्ते पर पुन: अतिक्रमण कर फसल करके रास्ता बन्द कर दिया है? यदि हां, तो गैर मुमकिन रास्ते से कब तक अतिक्रमण हटा दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) सरकार द्वारा श्मशान में जाने वाले गैर मुमकिन रास्ते पर बार-बार अतिक्रमण कर काश्त करके रास्ता बन्द करने वाले अतिक्रमी के विरुद्ध अब कब तक कार्यवाही कर दी जायेगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिले में राजस्व रिकार्ड में दर्ज शमशान में जाने वाले गै.मु. रास्तों पर अतिक्रमण करने पर अतिक्रमियों के विरुद्ध भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही की जाती हैं।

(2) ग्राम बिलायतीपुरा पटवार हल्का गहलोद तहसील पीपलू में स्थित शमशान में जाने हेतु सिवाय चक भूमि ख.नं. 103/123 रकबा 1.11 बीघा किस्म बंजड़ का उपयोग किया जाता था। उक्त सिवाय चक भूमि पर अतिक्रमण करके श्मशान का रास्ता अवरुद्ध करने पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दिनांक 07.12.2017 को मौके से अतिक्रमण हटाकर रास्ता चालू कर दिया गया था। तत्पश्चात् सिवाय चक खसरा नं. 103/123 रकबा 1.11 बीघा में से 0.05 बीघा भूमि को जिला कार्यालय के आदेश क्रमांक 1513 दिनांक 16.02.2018 द्वारा सिवायचक बंजड़ से गै.मु. रास्ता दर्ज करने के आदेश की पालना में जरिये नामान्तरण संख्या 126 दिनांक 15.03.2018 दर्ज होकर नया खसरा नं. 103/126 रकबा 0.05 बीघा किस्म गै.मु. रास्ता दर्ज रिकार्ड हुआ है। उक्तानुसार गै.मु. रास्ता खसरा नं. 103/126 रकबा 0.05 बीघा पर अतिक्रमण करने पर उक्त अतिक्रमण को पहली बार दिनांक 24.01.2019 को भौतिक रूप से हटाया गया है, जिसमें निम्न अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण उपस्थित रहे:- (1) श्री बद्रीलाल जाट भू.अ.नि. (2) श्री सीताराम लक्षकार, भू.अ.नि. (3) मोहम्मद कलीम पटवारी हलका जौंला (4) श्री भरत मीणा पटवारी हलका बगडी (5) श्री सत्यनारायण पारीक ग्राम विकास अधिकारी (6) श्रीमती आशा कानि. 103

(राजस्व मंत्री)

थाना पीपलू (7) कानि. नं. 1206 (8) हैड कानि. की मौजूदगी में अतिक्रमण हटाया गया तथा अतिक्रमी को उक्त भूमि से बेदखल किया गया है।

प्रश्न के इस बिन्दु में अंकित गै.मु. रास्ते के खसरा नं. 123/126 अंकित है, जबकि ग्राम बिलायतीपुरा के राजस्व रिकार्ड में प्रकरणाधीन रास्ते के खसरा नं. 103/126 है।

(3) अतिक्रमी के विरुद्ध दिनांक 24.01.2019 को उचित कार्यवाही करके बेदखल करने के बाद पुन: अतिक्रमी ने उक्त गै0मु0 रास्ते पर दुबारा अतिक्रमण नहीं किया है।

(4) श्मशान में जाने वाले गै.मु. रास्ते पर वर्तमान में कोई अतिक्रमण नहीं है एवं वर्तमान में उक्त गै.मु. रास्ता चालू है।

मैड़ (विराटनगर) ग्राम के मंदिरों की भूमि का जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम के तहत अधिग्रहण

297. श्री सतीश पूनियां (आमेर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र विराटनगर स्थित ग्राम मैड़ के कुछ मंदिरों की भूमि जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम के तहत अधिग्रहीत की गई थी? यदि हां, तो मंदिरों की सूची मय अधिग्रहीत की गई भूमि सदन की मेज पर रखें।

(2) ग्राम मैड़ स्थित मंदिरों के संबंध में जारी भूमि अधिग्रहण आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र विराटनगर स्थित ग्राम मैड़ में साबिक एवं हाल राजस्व रिकार्ड बंदोबस्त संवत् 2012-2027 व संवत् 2037-2056 एवं वर्तमान जमाबंदी के आधार पर ग्राम मैड़ के मंदिरों की कोई भूमि जागीर रिजम्प्शन एक्ट के तहत अधिग्रहीत नहीं की गई है।

(2) ग्राम मैड़ स्थित मंदिरों के संबंध में जारी भूमि अधिग्रहण आदेशों की सूचना शून्य है। विस्तृत विवरण बिन्दु संख्या-1 में अंकित है।

गोगुन्दा में संचालित छात्रावास

298. श्री प्रताप लाल भील (गमेती) (गोगुन्दा): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा में सरकार द्वारा कुल कितने छात्रावास संचालित किये जा रहे हैं?

(2) उक्त छात्रावासों में कितने छात्र व छात्राएं निवास करती हैं? छात्रावासवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा गोगुन्दा विधान सभा क्षेत्र में 7 आश्रम छात्रावासों एवं 1 एकलव्य माडल रेजिडेन्शियल स्कूल संचालित है और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा 4 छात्रावासों का संचालन किया जा रहा है।

(2) छात्रावासवार निवासरत छात्र-छात्राओं की सूचना परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(सूचना पुस्तकालय में रखी गयी)

बस्सी के माडा योजना के तहत चयनित गांव

299. श्री लक्ष्मण मीणा (बस्सी): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) विधान सभा क्षेत्र बस्सी में माडा योजना एवं बिखरी हुई जनजाति योजना के अन्तर्गत कौन-कौन से गांव चयनित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विगत पांच वर्षों में उक्त योजना के अन्तर्गत कितने विकास कार्य हुए हैं तथा उन पर कहां-कहां कितनी राशि व्यय की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बस्सी में माडा क्षेत्र एवं बिखरी हुई जनजाति क्षेत्र के अन्तर्गत चयनित गांवों की सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र बस्सी वर्ष 2015-16 से वर्ष 2019-20 में माडा एवं बिखरी योजनान्तर्गत स्वीकृत विकास कार्यों एवं व्यय राशि का विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(सूची व विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

डूंगरपुर के श्री भोगीलाल पण्ड्या महाविद्यालय के भवन का नवीनीकरण

300. श्री गणेश घोघरा (डूंगरपुर): क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

क्या सरकार जिला डूंगरपुर में श्री भोगीलाल पण्ड्या महाविद्यालय का वर्तमान भवन जो कि जर्जर अवस्था में है, के नवीनीकरण का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। इस हेतु आयुक्तालय के पत्रांक 629 दिनांक 26.02.2020 द्वारा प्राचार्य, श्री भोगीलाल पण्ड्या राजकीय महाविद्यालय, डूंगरपुर से महाविद्यालय के भवन की मरम्मत एवं नवीनीकरण कार्य का तकमीना सार्वजनिक निर्माण विभाग से तैयार करवाकर भिजवाने हेतु निर्देशित कर दिया गया है। प्रस्ताव प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

कोटा के वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय में बालिकाओं को नि:शुल्क शिक्षा की योजना

301. श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या सरकार ने उच्च शिक्षा में बालिकाओं की शिक्षा को पूरी तरह से निःशुल्क कर दिया है? यदि हां, तो कौन-कौन से पाठ्यक्रमों में? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सरकार के उक्त आदेश वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा में लागू होते हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या उक्त योजना के तहत सरकार वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा में भी बालिकाओं और महिलाओं की शिक्षा को निःशुल्क करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) शिक्षा (ग्रुप-3) विभाग के आदेश क्रमांक प. 6(3)शिक्षा/ग्रुप-3/2019 दिनांक 05.03.2019 के अनुसरण में शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग के पत्र क्रमांक प. 22(2)शिक्षा-4/2019 दिनांक 04.06.2019 द्वारा विश्वविद्यालयों

(राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा)

की सभी वर्गों की समस्त छात्राओं/महिलाओं से प्रवेश के समय ली जाने वाली विश्वविद्यालय निधि कोष/समकक्ष कोष की राशि को माफ किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। पत्र की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा में बालिकाओं और महिलाओं की शिक्षा को निःशुल्क करने का प्रावधान नहीं है। विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की जाने वाली शिक्षा दूरस्थ शिक्षा पद्धति पर आधारित है जिसके अन्तर्गत प्रवेश प्रक्रिया से लेकर अध्ययन सामग्री, प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट वर्क, आन्तरिक मूल्यांकन, अध्ययन केन्द्रों पर कक्षाओं का संचालन, परीक्षा आयोजित करना, परीक्षा परिणाम के उपरान्त विद्यार्थियों को उनके पते पर अंकतालिकाएं प्रेषित करने आदि पर विश्वविद्यालय की आय का बहुत बड़ा हिस्सा व्यय हो जाता है। विश्वविद्यालय को नियमित विश्वविद्यालय की भांति सम्बद्धता शुल्क के रूप में कोई आय प्राप्त नहीं होती है। केवल मात्र विद्यार्थियों से प्राप्त शुल्क ही मुख्य आय का स्रोत है। यदि बालिकाओं और महिलाओं को नि:शुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है तो इससे विश्वविद्यालय में कार्यरत शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टाफ के वेतन भत्तों सहित अन्य आवश्यक कार्यों के लिए बजट की व्यवस्था में अत्यधिक परेशानी का सामना करना होगा।

(3) जी नहीं। इस विश्वविद्यालय की प्रकृति अन्य विश्वविद्यालयों से भिन्न (दूरस्थ शिक्षा पद्धति) होने के कारण राज्य सरकार की छात्राओं/महिलाओं की नि:शुल्क शिक्षा की योजना को इस विश्वविद्यालय में लागू नहीं किया गया है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

अजमेर में सामूहिक अवकाश पर रहे महाविद्यालय शिक्षक

302. श्री सुरेश सिंह रावत (पुष्कर): क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या राजकीय सेवा नियमों में एक ही दिवस पर महाविद्यालय में कार्यरत शिक्षकों में से आधे से अधिक शिक्षकों को एक साथ अवकाश देने का प्रावधान है? यदि हां, तो नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) जिला अजमेर में 28 जनवरी, 2020 को सभी राजकीय महाविद्यालयों में आकस्मिक अथवा अन्य अवकाश पर रहे शिक्षकों व मुख्यालय छोड़ने की अनुमति प्राप्त करने वाले शिक्षकों की सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजकीय महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को अवकाश स्वीकृत किये जाने के संबंध में राजस्थान सेवा नियमों में पृथक से कोई प्रावधान विहित नहीं है।

(2) अजमेर जिले में स्थित राजकीय महाविद्यालयों में दिनांक 28 जनवरी, 2020 को आकस्मिक अवकाश व अन्य अवकाश एवं मुख्यालय से बाहर रहे शिक्षकों की सूची परिशिष्ट-01 पर संलग्न है।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

मकराना के संस्कृत विद्यालयों में रिक्त पद

303. श्री रूपा राम (मकराना): क्या संस्कृत शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) विधान सभा क्षेत्र मकराना के ग्रामीण क्षेत्र में कितने राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय हैं? स्थानवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालयों में राजकीय मानदण्डों के अनुसार स्वीकृत पदों पर शिक्षक कार्यरत हैं? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त में से कौन–कौन से विद्यालयों में स्वीकृत पदों के अनुसार शिक्षक कार्यरत नहीं है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) सरकार उक्त विद्यालय में रिक्त पदों को कब तक भरने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र मकराना के ग्रामीण क्षेत्र में 7 राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय हैं। स्थानवार सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। विभाग में विभिन्न पद संवर्गों में रिक्तियां होने के कारण विधान सभा क्षेत्र मकराना के ग्रामीण क्षेत्र के राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालयों में सभी स्वीकृत पदों पर शिक्षक कार्यरत नहीं हैं। सीधी भर्ती/पदोन्नति प्रक्रिया पूर्ण होने पर रिक्त पदों को भरा जाना सम्भव है।

(3) विधान सभा क्षेत्र मकराना के ग्रामीण क्षेत्र के राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालयों में शिक्षकों के स्वीकृत पदों के विरुद्ध रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(राज्य मंत्री, संस्कृत शिक्षा)

(4) जी हां। विभाग में वरिष्ठ अध्यापक के विभिन्न विषयों के 718 पदों पर राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा प्रतियोगी परीक्षा का परिणाम घोषित किया जाकर पात्रता जांच काउंसिलिंग का कार्य किया जा रहा है।

वरिष्ठ अध्यापक के 177 पदों को भरने हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा वर्तमान में 718 पदों की भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् अर्थना भिजवाने के निर्देश दिये गये हैं।

अध्यापक (लेवल-I व लेवल-II) के 226 पदों पर भर्ती की कार्यवाही रीट परीक्षा के आयोजन के उपरान्त की जानी है।

वरिष्ठ अध्यापक के पदोन्नति से भरे जाने वाले पदों पर विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित किये जाने के लिये प्रस्ताव राजस्थान लोक सेवा आयोग को भिजवाये गये हैं। सीधी भर्ती/पदोन्नति प्रक्रिया पूर्ण होने पर रिक्त पदों को भरा जाना सम्भव है।

(सूची व विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

परिशिष्ट 1

नियम 295 के तहत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं जिन्हें पढ़ा हुआ माना गया

चम्बल नदी में बढ़ता प्रदूषण

महोदय,

मैं राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 विशेष उल्लेख के तहत सदन का ध्यान एक अत्यन्त गंभीर और लोक हित के मुद्दे की ओर आकर्षित कर ये निवेदन करना चाहता हूं कि चम्बल नदी कोटा के लिए एक वरदान है। इसका असीमित जल भण्डार कोटा के कृषि उद्योगों के संचालन, पेयजल तथा पर्यटन को आर्थिक सक्षमता प्रदान करता है। इसके तट पर कई धार्मिक और तीर्थ स्थल स्थित होने से चम्बल नदी को कोटा क्षेत्र के लोग गंगा की तरह पावन मानते हैं लेकिन कोटा में बढ़ते औद्योगीकरण, बढ़ती जनसंख्या व सरकार की उदासीनता के चलते चम्बल नदी लगातार प्रदूषित और जहरीली होती जा रही है। भीतरिया कुण्ड से चम्बल नदी में गंदे नाले तथा डाइवर्जनल चैनल का बिना ट्रीट किया हुआ पानी और मलबा आकर गिरता है। चम्बल नदी में 22 नाले लगातार इसके अन्दर गिर रहे हैं, जो चम्बल नदी को दूषित कर रहे हैं। चम्बल का ये जहरीला पानी नदी में रहने वाले जीव जन्तु और कोटावासियों के लिए जानलेवा सिद्ध हो रहा है। 2010 में चम्बल नदी में गिर रहे नालों के पानी को शुद्ध करने के लिए 150 करोड़ की लागत से चम्बल शुद्धीकरण योजना बनाई गयी। इसके साथ ही 21 वर्षों में 3 योजनाओं के तहत लगभग 227 करोड़ रुपये खर्च किये गये, जिसमें बालिता, साजीदेहडा और धाकडखेड़ी में ट्रीटमेन्ट प्लान्ट लगाये, जिनमें 2 प्लान्ट धाकडखेड़ी और साजीदेहडा तकनीकी रूप से फेल हो गये तथा बालिता वाला प्लान्ट तो पूरी तरह से बन्द है।

चम्बल शुद्धीकरण परियोजना पूरी तरह से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी और इतनी राशि लगाने के बाद भी चम्बल में गन्दे और प्रदूषित नालों का पानी गिर रहा है। एनजीटी ने चम्बल नदी के प्रति गंभीर होते हुए सरकार को फटकार सुनाई परन्तु सरकार के कानों पर जूं तक नही रेंगी। चम्बल की डाउन स्ट्रीम में 400 करोड़ की लागत से चम्बल रिवर फ्रन्ट योजना बनाई जा रही है लेकिन अभी हालात ये हैं कि वहां पर लोग गन्दे नालों की दुर्गन्ध के कारण

खड़े भी नहीं हो सकते। सरकार चम्बल नदी के पर्यावरण और शुद्धीकरण को लेकर गंभीर हो, दूषित नालों को चम्बल में गिरने से रोके। नदी किनारे प्राचीन और धार्मिक स्थलों को सहेजे, इसमें पर्यावरण की संभावनाओ को खोजे, नदी किनारे अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में सघन वृक्षारोपण कराएं, डायवर्जन चैनल से बाढ़ में निकलने वाले मलबे को रोकने की कार्ययोजना बने। मेरा विनम्र निवेदन है कि क्षेत्रवासियों की इस अगाध श्रद्धा की नदी को गंदा और दुर्गन्ध युक्त नाला बनने से रोके।

संदीप शर्मा

(कोटा दक्षिण)

माण्डलगढ़ में हाईवे पर कंजर बस्ती में अवैध शराब कारोबार एवं वेश्यावृत्ति

महोदय,

मेरे विधान सभा क्षेत्र माण्डलगढ़ में रेलवे स्टेशन के सामने हाईवे पर कंजर बस्ती है उसमें वैश्यावृत्ति, अवैध शराब का कारोबार व अनैतिक कार्य जोरों पर चल रहा है। यहां पर कच्ची शराब, कम आयु की लड़कियां तथा वैश्यावृत्ति करने, असामाजिक तत्व तथा चोरी के वाहन आदि सभी अनैतिक कार्य हो रहे हैं।

कम आयु की बच्चियों को मानव तस्करी करके अन्य जिलों से लाया जा रहा है। फिर बाईपास माण्डलगढ़ कंजर बस्ती में उनसे मारपीट कर उन्हें वैश्यावृत्ति के लिए तैयार किया जाता है। बाईपास पर शराब की दुकान, किराने की दुकान व अवैध शराब की ब्रान्च वैश्यावृत्ति के लिए दलाली करते हैं तथा लड़कियां भड़कीले कपड़े पहनकर राहगीरों को रुकने का इशारा करती हैं। स्थानीय पुलिस कभी कभार छापेमारी कर धारा 151 CRPC में बन्द कर देती है, मगर वह अस्थायी इलाज है।

माण्डलगढ़ DYSP तथा उच्चाधिकारी PETA ACT की कार्यवाही में सक्षम हैं, पर वे कार्यवाही के आदेश नहीं देते। पंजाब, हरियाणा व मारवाड़ से आने वाले अफीम डोडा भी यहां शरण लेते हैं। इससे न केवल नाबालिग बच्चों का जीवन बर्बाद होता है बल्कि नशा/प्रवृत्ति, अनैतिक, चोरी, लूट, तस्करी भी पनपती है तथा माण्डलगढ़ का नाम भयंकर तरीके से बदनाम हो रहा है।

गोपाल लाल शर्मा

(माण्डलगढ़)

हुरड़ा (आसीन्द) में हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड में अनियमितता

महोदय,

निवेदन है कि मेरी विधान सभा क्षेत्र आसीन्द हुरड़ा में-

1. हिन्दुस्तान जिंक लि. रामपुरा आगूचा खान व प्लान्ट का विस्तार हेतु रीको द्वारा भूमि अवाप्ति प्रक्रिया विधाराधीन है लेकिन कम्पनी द्वारा उक्त प्रक्रिया का उल्लंघन करते हुए अपने अधिकारियों के नाम पर एक किसानों को बरगलाकर भूमि अवाप्त किए बिना ही भूमि खरीद कर रही है जो कि भूमि अधिग्रहण कानून का पूर्णतया उल्लंघन है और यह बताते कि किस आधार पर यह अपने अधिकारियों के नाम रजिस्ट्री करवा रही है जबकि कम्पनी एक्ट के अनुसार हिन्दुस्तान जिंक को केवल खनन एवं एक्सप्लोरेशन का ही लाइसेंस है। इस प्रकार भूमि अधिग्रहण करके संविधान की धज्जियां उड़ा रही है। कृपया जांच कमेटी बनाकर उक्त प्रकरण की निष्पक्ष जांच की जाए।
2. भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत भारतवर्ष में किसी भी कम्पनी द्वारा खनन कार्य हेतु अवाप्त भूमि के कुल क्षेत्रफल का 33.33 (यानी 1/3) भाग पर पर्यावरण हेतु वृक्षारोपण करना कानूनन अनिवार्य है परन्तु हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा आंशिक निजीकरण सन् 2002 में करने के बाद केन्द्र सरकार द्वारा सरकारी उपक्रम के समय ग्रीनबैल्ट पर वैस्ट मिट्टी डालकर समूल पर्यावरण नष्ट कर दिया गया है।
3. हिन्दुस्तान जिंक के अधिकारियों द्वारा P.M. मोदी मिशन द्वारा 75 प्रतिशत लोकल व्यक्तियों को रोजगार देना तय है परन्तु यहां के अधिकारी अपने प्रभाव का प्रयोग करते हुए अपने क्षेत्र के व अपने सगे सम्बन्धियों को लगातार लगा रहे हैं, जिसकी जांच कराई जाये।
4. भारत सरकार के पर्यावरण नियमानुसार किसी भी कारखाने को अवाप्त जमीन के 1/3 भाग पर पौधारोपण करना अनिवार्य है परन्तु हिन्दुस्तान जिंक द्वारा कानून की खुली धज्जियां उड़ाई जा रही हैं।
5. किसानों की जमीन बिना अवाप्त किए भूमिगत खनन कर अयस्क निकाला जा रहा है और जिससे किसानों के कुएं सूख गये हैं। खेत के

नीचे से खनन करने से जमीन धंस रही है। किसानों में भय व्याप्त है, तुरन्त जांच कराई जाये।

6. सम्पूर्ण पानी समाप्त होने से किसान बेरोजगार हो गया है तथा जानवरों को चारा-पानी व पशु-पक्षियों का जीवन संकटमय हो गया है।
7. जिंक अधिकारियों द्वारा मिलीभगत के द्वारा बिना लीज की जमीन खरीद फरोख्त की जा रही है।
8. अवाप्ति की प्रक्रिया जारी होने के बावजूद जिंक ने डम्पिंग की ऊंचाई 30 मीटर बढ़ाने की अनुमति पर्यावरण विभाग द्वारा इस प्रक्रिया को सुपरशीड करते हुए अवैध रूप से अनुमति ली गई जिससे इसकी ऊंचाई बढ़ने से हवा क्रास नहीं होने से किसानों की फसल व आसपास के वातावरण डस्टमय हो रहा है। अभी तक लगातार ऊंचाई बढ़ रही है। जांच कराएं।
9. DGMS द्वारा प्राप्त जल-विधेयक की स्वीकृति से कई गुणा ज्यादा भूमि में बोरवेल द्वारा पानी रात-दिन निकालकर पहले से डार्कज़ोन एरिया को सुखा दिया है। जलस्तर काफी नीचे जाने से इस एरिये के किसानों की भूखे मरने के हालत पैदा कर दी है। अत: मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि इन सभी गंभीर अनियमितताओं की उच्च स्तरीय कमेटी द्वारा जांच कराकर सभी किसानों व मजदूर वर्ग के लोगों को राहत प्रदान कराएं।

इसी आशा व विश्वास के साथ प्रस्ताव प्रस्तुत है।

जब्बर सिंह सांखला

(आसीन्द)

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एक्ट की निष्कासन श्रेणी से कृषि भूमि व आवासीय भवन की शर्त का अपलोपन

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि राजस्थान में कृषि भूमि संयुक्त परिवार के मुखिया के नाम दर्ज होती है जबकि परिवार के अन्य सदस्यों के राशन कार्ड अलग-अलग होते हैं व मौके पर कृषिधारिता भी पारिवारिक सदस्यों के पास बहुत कम होती है, मगर परिवार के बुजुर्ग मुखिया के नाम कृषि भूमि

की धारिता लघु कृषक की सीमा (बारानी 2 हैक्टेयर व नहरी 1 हैक्टेयर-कुछ जिलों में) से अधिक होने के कारण परिवार खाद्य सुरक्षा से वंचित है।

इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्र या शहरी क्षेत्र में कई परिवार पुश्तैनी मकान में एक साथ रहते हैं मगर उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है। मकान संबंधी क्षेत्रफल अनुसार निष्कासन श्रेणी के कारण परिवार खाद्य सुरक्षा से वंचित है। खाद्य सुरक्षा से बाहर होने के कारण कई परिवार स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ प्राप्त नहीं कर पाते हैं, जिससे गंभीर बीमारियों में समय पर इलाज नहीं हो पाता है। कृषक के पास बारानी भूमि में खाने लायक अनाज नहीं हो पाता, तो ऐसे परिवार के सदस्यों को गंभीर बीमारी में सरकारी सहायता से वंचित रखना गलत है।

अतः मेरा सदन के माध्यम से निवेदन है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एक्ट (एनएफएसए) में निष्कासन श्रेणी में से कृषि भूमि व आवासीय भवन की शर्त को शीघ्रातिशीघ्र हटाया जाये जिससे किसानों को खाद्य सुरक्षा योजनाओं का उचित लाभ मिल सके तथा गंभीर बीमारियां होने पर उन्हें सरकारी सहायता राशि मुहैया की जा सके।

सादर।

कृष्णा पूनियाँ

(सादुलपुर)

जैठाना (नसीराबाद) में बाईपास का अपूर्ण कार्य

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में नसीराबाद स्थित जैठाना बाईपास का निर्माण कार्य आधे से अधिक हो चुका है परन्तु वर्तमान में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कार्य रोक दिया गया है। इससे बाईपास से गुजरने वाले वाहन गांवों के बीच में से होकर गुजर रहे हैं, जहां पर अस्पताल व स्कूलों आदि में बच्चों व ग्रामीणों में आना-जाना दूभर हो गया है, जिससे कि आये दिन दुर्घटनाएं होने का सदैव अंदेशा रहता है। वर्तमान में आमजन व ग्रामीण जनता को भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। गांवों में से होकर गुजरते वाहनों से पूरे क्षेत्र में धूल के गुब्बारे उत्पन्न हो जाते हैं। इस धूल से क्षेत्र के निवासियों को कई बीमारियों ने जकड़ना शुरू कर दिया है। इससे ग्रामवासियों को अपने दैनिक कार्यों के लिए बाहर निकलने और स्कूल आने-जाने वाले स्टाफ व विद्यार्थियों का आवागमन में बाधा उत्पन्न हो रही है।

अतः मैं उक्त समस्याओं को सदन के माध्यम से जल्द से जल्द पूर्ण करवाने हेतु सरकार से निवेदन करता हूं।

इसी आशा व विश्वास के साथ प्रस्ताव प्रस्तुत है।

रामस्वरूप लाम्बा

(नसीराबाद)

मदरसों में कार्यरत शिक्षा सहयोगियों तथा पंचायत सहायकों के मानदेय में बढ़ोतरी

महोदय,

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय का ध्यान विविध चरणों में नियुक्त मदरसा शिक्षा सहयोगियों की समस्याओं की ओर आकर्षित करना चाहूंगा।

महोदय, प्रदेश के मदरसों में अध्ययनरत बच्चों को शिक्षा प्रदान करने हेतु समय-समय पर मदरसा शिक्षा सहयोगी लगाये गये थे। विविध चरणों में लगाये गये शिक्षा सहयोगी जो 10-10, 15-15 सालों से लगातार मदरसों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, इनमें अधिकतर बी.ए./एम.ए./बी.एस.टी.सी./बी.एड. योग्यताधारी हैं। यह शिक्षा सहयोगी काफी समय से नियमित होने की आशा में लगे हुए हैं, इसी तरह पंचायतों में सहायक लगाये गये थे। पंचायत सहायकों एवं मदरसा शिक्षा सहयोगियों द्वारा समय-समय पर नियमित करने एवं मानदेय बढ़ाने की मांग की जाती रही है परन्तु सरकार द्वारा न तो इनका मानदेय बढ़ाया गया है तथा न ही इन्हें नियमित किया गया है।

अतः अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि प्रदेश में कार्यरत मदरसा शिक्षा सहयोगियों, पंचायत सहायकों एवं संविदा कर्मियों को नियमित किया जाये तथा जब तक नियमित नहीं किया जाता है, तब तक इन्हें सम्मानजनक मानदेय दिये जाने के आदेश प्रदान कर इन मदरसा शिक्षा सहयोगियों, पंचायत सहायकों एवं संविदा कर्मियों को न्याय दिलाने की कृपा करें।

हाकम अली खां

(फतेहपुर)

चौहटन में अनुसूचित जनजाति के किसानों को कृषि कनेक्शन में प्राथमिकता

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि मेरा विधान सभा क्षेत्र चौहटन, जो सीमावर्ती क्षेत्र है यहां पर रहने वाले अनुसूचित जनजाति के किसान गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे है। सीमावर्ती क्षेत्र के यह अनुसूचित जनजाति के किसान अति पिछड़े हुए हैं तथा इन अनुसूचित जनजाति के किसानों के बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने हेतु विशेष टाडा माडा योजना के तहत कोई सुविधा नहीं दी जा रही है। मेरा सरकार से निवेदन है कि विधान सभा क्षेत्र चौहटन के अनुसूचित जनजाति के किसानों को कृषि कुओं हेतु विशेष योजना के तहत विद्युत कनेक्शन दिलवाये जायें जिससे अनुसूचित जनजाति के किसानों को अपने बच्चों व बच्चियों को पढ़ाई करवाने के लिये एवं अपने जीवन स्तर का सुधार करने के लिये उपयोगी साबित होगी तथा मेरा सरकार से निवेदन है कि सीमावर्ती क्षेत्र चौहटन विधान सभा क्षेत्र में रहने वाले अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को टाडा माडा योजना के तहत छात्रवृति और आवासीय विद्यालय की सुविधा दिलाने हेतु निवेदन करता हूं।

इन अनुसूचित जनजाति के लोगों का जीवन आदिवासी लोगों के समान है। कच्चे झूंपों में निवास करते हैं और गर्मी के मौसम में आगजनी होने पर पूरा सामान जलकर राख हो जाता है। मेरा सरकार से निवेदन है कि अनुसूचित जनजाति के लोगों का जीवन स्तर सुधारने हेतु नई योजना सीमावर्ती क्षेत्र मानते हुए लागू कराएं।

पदमाराम

(चौहटन)

फोरेंसिक साइंस लैबों में रिक्त पदों के चलते जांचों में विलम्ब

महोदय,

निवेदन है कि प्रदेश में दर्ज मामलों की वैज्ञानिक जांच के मकसद से सातों संभागों में फोरेंसिक साइंस लैब खोली गई, लेकिन रिक्त पदों के कारण जांच नहीं हो पा रही है। लैबों में जांच के लिए न पर्याप्त उपकरण है और न ही साइंटिस्ट हैं।

फोरेंसिक लैबों में 422 पद स्वीकृत हैं इनमें से केवल 208 पद भरे

हुए हैं। स्वीकृत स्टाफ में से आधे से कम स्टाफ ही काम कर रहे हैं। वर्ष 2018 में 9947 एवं वर्ष 2019 में 14141 प्रकरण लम्बित हैं। जयपुर में 2019 में 19232 जांचें आई, 2018 की 4582 जांचें लम्बित थीं। कुल 23814 जांचें जयपुर फोरेंसिक लैब के पास आई, सातों संभागों में से केवल जयपुर में ही साइबर फोरेंसिक, डीएनए, बैलेस्टिक, एक्प्लोसिव तथा नारकोटिक्स की जांच होती है। इसलिए जयपुर में लम्बित प्रकरणों की संख्या अधिक है। यदि शेष संभागों में भी उक्त जांचों की सुविधा उपलब्ध कराई जाए एवं पर्याप्त स्टाफ तथा उपकरण समय पर खरीद कर लैबोट्रीज में पहुंचा दिए जायें तो जयपुर में आने वाली जांचों की संख्या में कमी लायी जा सकती है। वर्तमान में केवल पाक्सो के मामलों की जांच रिपोर्ट भी 15 दिनों में उपलब्ध हो पा रही है। कई मामलों में तो जिला पुलिस अधीक्षक अनेकों बार लिख चुके हैं मगर काम का बोझ ज्यादा होने से जांचें समय पर उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं।

अनिता भदेल

(अजमेर दक्षिण)

पंचायत समितियों में ग्राम पंचायतों के प्रथम चरण के स्थगित चुनाव

महोदय,

राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम-295 के तहत प्रदेश की काफी पंचायत समितियों के ग्राम पंचायतों के सरपंच व वार्ड पंच के प्रथम चरण के चुनाव निर्धारित हो जाने के उपरान्त स्थगित किये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर पंचायती राज मंत्री जी का ध्यान आकर्षित कर रहीं हूं।

श्रीगंगानगर जिले की अनूपगढ़, घड़साना ओर सूरतगढ़ की पंचायत समितियों की ग्राम पंचायतों के सरपंच व वार्ड पंच के नामांकन 08 जनवरी, 2020 को भरे गये व नामांकन पत्र की समीक्षा 09 जनवरी को सम्पन्न होने के बाद योग्य उम्मीदवारों को चुनाव चिह्न भी आबंटित किये गये। 17 जनवरी को इन ग्राम पंचायतों में चुनाव सम्पन्न होने थे लेकिन इन ग्राम पंचायतों में चुनाव स्थगित होने से ग्राम पंचायत के सरपंच व वार्ड पंच के उम्मीदवार चुनाव निशान लेकर अभी भी घूम रहे हैं और चुनाव की समय-सीमा भी निश्चित नहीं है और कुछ पंचायत समितियों में तो लाटरी प्रक्रिया भी प्रशासन ने दुबारा की है, जिससे उसमें आरक्षित सामान्य/महिला उम्मीदवार

भी प्रभावित हुए हैं और परिवर्तन हुआ है। ऐसी स्थिति में अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण की 'स्थिति भी स्पष्ट नहीं हो सकी हैं। ऐसे लगता है कि ग्राम पंचायतें भी राजनीति की शिकार हो रही हैं। जिन पंचायत समितियों के चुनाव स्थगित हुए हैं वहां ग्राम पंचायत स्तर पर प्रशासक नियुक्त किये गये हैं। क्या यह न्याय संगत है? ग्राम पंचायतों के जन प्रतिनिधियों को दरकिनार किया गया है। मैं सदन के माध्यम से पंचायती राज मंत्री जी का ध्यान शीघ्र ही शेष रहीं पंचायत समितियों में ग्राम पंचायतों के चुनाव सम्पन्न कराये जाने की ओर ध्यान आकर्षित कर रही हूं।

सधन्यवाद।

श्रीमती संतोष

(अनूपगढ़)

जयपुर-दिल्ली रेल मार्ग के समानान्तर जयपुर से बस्सी तक सेक्टर रोड

महोदय,

मेरा विधान सभा क्षेत्र बस्सी जो कि जयपुर महानगर का सब-अरबन (Sub-urban) क्षेत्र है, जिसमें से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 21 जयपुर-आगरा तथा स्टेट हाईवे संख्या 24 गुजरते हैं। इन दोनों राज मार्गों पर वाहनों का भारी दबाव रहता है, आये दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। जयपुर के विभिन्न भागों में जाने वाले वाहनों को जयपुर-आगरा मार्ग से आना पड़ता है। इस समस्या के समाधान के लिए जयपुर-दिल्ली की रेलवे लाइन के समानान्तर बस्सी कस्बे तक जयपुर विकास प्राधिकरण एक सेक्टर रोड का निर्माण करवा देती है तो क्षेत्र का तीव्र गति से विकास होगा। साथ ही करौली, सवाई माधोपुर, लालसोट तथा धौलपुर की तरफ से आवागमन के वाहनों को जयपुर की तरफ सुगम मार्ग मिलेगा, क्षेत्र का विकास होगा, साथ ही आगरा रोड पर दबाव कम होने से दुर्घटनाएँ कम होंगी। डीजल व समय की बचत होगी।

मैं इस समस्या के समाधान हेतु माननीय नगरीय विकास मंत्री जी का इस विशेष उल्लेख के जरिये जयपुर-दिल्ली रेलवे लाइन के समानान्तर सैक्टर रोड तथा बस्सी कस्बे में नव निर्माणाधीन ओवरब्रिज के पास से बस्सी बाईपास बनवाने की मांग करता हूं। कृपया अनुमति प्रदान करें।

लक्ष्मण मीणा

(बस्सी)

राजर्षि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय द्वारा पीएचडी एंट्रेस टेस्ट का समय पर आयोजन

महोदय,

आग्रह है कि राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 295 के तहत अलवर जिले की अलवर शहर विधान सभा से जुड़ी एक अहम समस्या की ओर मैं राजस्थान सरकार व उच्च शिक्षा मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करते हुए निवेदन करता हूं कि अलवर शहर विधान सभा क्षेत्र में स्थित राजर्षि भर्तृहरी मत्स्य विश्वविद्यालय से 16 विषयों में रिक्त पीएच.डी. के विषयों पर शोध करने के इच्छुक करीब 1800 विद्यार्थियों को दूसरे विश्वविद्यालयों में जाने पर मजबूर होना पड़ रहा है क्योंकि मत्स्य विश्वविद्यालय प्रशासन वर्ष 2018-19 के लिए पीएचडी एन्ट्रेन्स टैस्ट (एमपेट) आयोजित ही नहीं करवा सका। मई-जून 2019 तक आयोजित होने वाली एमपेट परीक्षा माह फरवरी 2020 के दूसरे सप्ताह तक भी नहीं हो सकी है जबकि 7 माह पहले जुलाई, 2019 में विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा विद्यार्थियों से पीएच.डी. कोर्स के लिए आवेदन करा लिए गए थे, परन्तु परीक्षा नहीं होने और प्रवेश नहीं मिलने के कारण विद्यार्थियों का भविष्य खतरे में हो गया है। जिले के युवा उच्च शिक्षा प्राप्त कर शोध करना चाहते हैं लेकिन उन्हें निराशा हाथ लग रही है।

विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा पीएच.डी. में प्रवेश के लिए गत सप्ताह विद्यार्थियों से इस सन्दर्भ में दुबारा आवेदन आमंत्रित किए गए थे लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन ने उक्त जानकारी को सिर्फ विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर ही अपलोड किया, जिसके चलते विद्यार्थियों को इसका पता ही नहीं चल सका। इससे पहले भी विश्वविद्यालय प्रशासन ने 2 बार पीएच.डी. एन्ट्रेन्स के लिए तिथि घोषित की थी, लेकिन टैस्ट नहीं कराया गया। जिले के विभिन्न स्नातकोत्तर कालेजों में करीब 40 से अधिक ऐसे व्याख्याता हैं जो शोध कार्यों के लिए गाइड बनने की योग्यता रखते हैं लेकिन शोध कार्य शुरू नहीं होने से उनमें भी निराशा का माहौल है। वहीं इस सन्दर्भ में विद्यार्थियों द्वारा राजस्थान विश्वविद्यालय सहित अन्य विश्वविद्यालयों में जाकर जाकर पी.एच.डी. में दाखिला लेने की बात कहते हैं तो उन्हें अपने जिले से सम्बन्धित राजर्षि भृर्तहरि मत्स्य विश्वविद्यालय से सम्पर्क करने को कहा जाता है।

अतः श्रीमान् मैं सदन के माध्यम से मांग करता हूं कि मूलभूत सुविधाओं के अन्तर्गत युवाओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में आ रही इस समस्या के निवारण हेतु राजर्षि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय प्रशासन को निर्देशित करने की कृपा करें।

संजय शर्मा

(अलवर शहर)

जायल में पेयजल समस्या का निराकरण

महोदय,

निवेदन है कि जायल विधान सभा क्षेत्र में जायल के अतिरिक्त मूण्डवा ब्लाक में भी जायल विधान सभा क्षेत्र के गांव शामिल हैं एवं उपरोक्त दोनों ब्लाकों में पानी की बहुत ज्यादा समस्या है। वर्तमान में दोनों ब्लाकों में सहायक अभियन्ता जन स्वास्थय अभियांत्रिकी विभाग के कार्यालय स्थित हैं जिनका खण्ड कार्यालय नागौर है। खण्ड कार्यालय नागौर के अधीनस्थ 5 ब्लाक (जायल, मूण्डवा, खींवसर, नागौर ग्रामीण, नागौर सिटी) कार्यालय है। 5 ब्लाक नागौर खण्ड के अधीन होने के कारण कार्य समय पर संपादित नहीं होता है। इस कारण से पानी की समस्या के लिए ग्रामीण जनता को नागौर जाना पड़ता है, जो जायल से करीब 53 किलोमीटर दूर है। वर्तमान में जायल में कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता जन स्वा.अभि. विभाग पीएमसी, खण्ड प्रथम जायल स्थित है, जो सिर्फ परियोजना के कार्यो की देखरेख का कार्य करता है।

अतः माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि उपरोक्त खण्ड कार्यालय में परिवर्तित करवाने एवं उपरोक्त खण्ड कार्यालय के अन्तर्गत कार्यालय सहायक अभियन्ता जन स्वा.अभि. विभाग उपखण्ड जायल व मूण्डवा को शामिल किया जाएं जिससे कार्यकुशलता बढ़ेगी और जनता का कार्य भी तेज गति से सम्पादित होने में आसानी होगी।

धन्यवाद।

श्रीमती मंजु देवी

(जायल)

हथियार लाइसेंस प्रक्रिया का सरलीकरण

महोदय,

आज प्रदेश में हालात इस प्रकार के बन गये हैं कि किसी भी व्यक्ति को अपनी सुरक्षा के लिए हथियार की आवश्यकता है, तो उसे हथियार का

लाइसेन्स बिना ऊंची सिफारिश के मिलना संभव ही नही है। इतना ही नहीं, उसे अपने हथियार के लाइसेन्स का नवीनीकरण करवाना भी सहज नहीं है। किसी आर्म्सधारी की मृत्यु पर उसके वारिस द्वारा नवीन लाइसेन्स के आवेदन करने पर एक साल का समय गुजरने के बाद भी नवीन लाइसेन्स नहीं मिलता है। यह सरकार की 0 Harressment सोच से परे है। इसके विपरीत असामाजिक लोगों के लिए अवैध हथियार प्राप्त करना परचूनी की दुकान से सामान खरीद करने जितना सहज है। प्रदेश में विगत एक वर्ष में जहां 6129 अवैध हथियार खरीद के प्रकरण दर्ज किए गये हैं, वहीं वैध हथियार प्राप्त करने वालों की संख्या मात्र 490 ही हैं। हम जनता को क्या संदेश दे रहे हैं? अपनी सुरक्षा हेतु यदि हथियार प्राप्त करना है तो उसे खुले बाजार से सस्ते दाम पर अवैध हथियार बेचने वाले से खरीदें? यही कारण है कि बेरोजगारी के इस युग में अवैध हथियार बनाना व बेचना कौशल विकास व स्वरोजगार का जरिया बन गया है। गृह विभाग के माननीय मंत्री जी गंभीरता के साथ इस पर चिन्तन करें।

भरत सिंह कुन्दनपुर

(सांगोद)

अनापुरा, वासड़ा एवं गांधीनगर (रेवदर) के विद्यालयों का क्रमोन्नयन

महोदय,

राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियमों के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख के जरिये सरकार से निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र रेवदर के ग्राम अनापुरा, वासडा (जैतावाड़ा) एवं गांधीनगर (आबूरोड) में उच्च माध्यमिक स्तर के सरकारी स्कूलों की कमी लम्बे समय से महसूस हो रही है। छात्र एवं अभिभावक एवं स्थानीय सामाजिक संगठन इस बाबत निरन्तर मांग करते आ रहे हैं। यही हालत रेवदर के सोरडा पंचायत मुख्यालय की है। लगभग 8 किलोमीटर के रेडियस में फैली इस पंचायत में बच्चियों को माध्यमिक स्तर की सरकारी बालिका विद्यालय की सुविधा उपलब्ध नहीं है। इस बाबत पंचायत प्रतिनिधि से लेकर अभिभावकगण बार-बार सरकार से गुहार लगाते आ रहे हैं। अतः मेरे विधान सभा क्षेत्र की राजकीय माध्यमिक विद्यालय अनापुरा, अमरापुरा), राजकीय माध्यमिक विद्यालय गांधीनगर (आबूरोड) राजकीय माध्यमिक विद्यालय वासड़ा (जैतावाड़ा) को उच्च माध्यमिक स्तर तक एवं राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय सोरडा को माध्यमिक स्तर तक आगामी शैक्षिक सत्र से पहले ही करवाकर अनुगृहीत कराएं।

जगसी राम

(रेवदर)

अजमेर उत्तर की ग्राम पंचायतों में गैर आबादी भूमि का वन आबादी भूमि में परिवर्तन

महोदय,

अजमेर उत्तर विधान सभा क्षेत्र में 03 ग्राम पंचायतें हाथीखेड़ा, अजयसर व माकड़वाली स्थित है जिनमें सम्मिलित गांव बोराज, काजीपुरा, हाथीखेड़ा, अजयसर, खरेखड़ी, माकड़वाली व लोहागल में वर्षों से निवास करने वाले परिवारों की भूमि को आबादी भूमि में परिवर्तित नहीं किये जाने व उनके मकानों के पट्टे नहीं मिलने से ग्रामवासी बहुत परेशान हैं। आबादी विस्तार के लिए उन्होंने पूर्व में कई बार आंदोलन किये हैं, धरने-प्रदर्शन के साथ ही पंचायत मुख्यालय पर लगने वाले विभिन्न शिविरों का बहिष्कार तक किया है, परन्तु प्रशासन द्वारा कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाये गये हैं।

इस सम्बन्ध में वर्तमान विधान सभा के द्वितीय सत्र में मेरे द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 6461 के जवाब में बिन्दु संख्या 2 में बताया गया है कि उक्त ग्राम पंचायतों के लगभग 1700 परिवार जहां निवास कर रहे हैं उस भूमि को आबादी भूमि में परिवर्तित किया जा सकता है तथा बिन्दु सं. 3 में बताया गया कि उक्त ग्राम अजमेर विकास प्राधिकरण की पैरीफेरी क्षेत्र में स्थित होने से कार्यवाही प्राधिकरण स्तर पर अपेक्षित है। साथ ही बिन्दु संख्या 5 के अनुसार गैर आबादी भूमि को आबादी भूमि में सेट-अपार्ट की कार्यवाही जिला कलेक्टर द्वारा किये जाने का भी उल्लेख किया गया है, परन्तु न तो अजमेर विकास प्राधिकरण द्वारा और न ही जिला कलक्टर अजमेर द्वारा आज दिनांक तक कोई अपेक्षित कार्यवाही की गई है, जबकि समय-समय पर अजमेर विकास प्राधिकरण द्वारा ग्रामवासियों को अतिक्रमण के नाम पर नोटिस जरूर थमाये जाते हैं।

अतः मेरा सरकार से आग्रह है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र की उक्त ग्राम पंचायतों के निवासी ग्रामवासियों को राहत प्रदान करने के लिए वहां की गैर आबादी भूमि को आबादी भूमि में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में सकारात्मक कार्यवाही शीघ्र करवाई जाए।

सधन्यवाद।

वासुदेव देवनानी

(अजमेर उत्तर)

परिशिष्ट 2

मांग संख्या 27-पेयजल योजना पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 27- पेयजल योजना के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाये, इस आशय के प्रस्ताव निम्नांकित सदस्य प्रस्तुत करेंगे/ करेंगी कि:-

श्री अमीन खां (शिव):

1. बाड़मेर जिले की तहसील रामसर व गडरा रोड के 205 ग्रामों में स्वीकृत नर्मदा स्कीम के तहत 601 करोड़ रुपये की योजना से 06 वर्ष से अब तक एक भी गांव में पानी नहीं पहुंचने के संबंध में चर्चा के लिये।
2. नर्मदा नहर से चौहटन तहसील की पंचायत उपरला, ढोंक, धारासर, रतासर, जैसार, मलेकला, देदूसर, नवार तला, शोभाला, रमजानकी ग्राम, भोजा रीया, बैलनोर के गांवों को पेयजल स्वीकृत कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
3. बाड़मेर जिले की तहसील गडरा रोड के गांव देतांनी में हर घर को कनेक्शन द्वारा पानी दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
4. बाड़मेर जिले की तहसील रामसर गडरा रोड में नर्मदा प्रोजेक्ट के ठेकेदार 06 सालों में एक भी गांव में पानी नहीं पहुंचाये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।
5. बाड़मेर जिले की तहसील चौहटन के ग्राम ढोक की पेयजल योजना स्वीकृत न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा):

6. विधान सभा क्षेत्र छबड़ा में कछावन पेयजल योजना को चालू करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री खिलाड़ी लाल बैरवा (बसेड़ी):

7. विधान सभा क्षेत्र बसेड़ी की 62 गांवों की पेयजल योजना के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़):

8. हनुमानगढ़-श्रीगंगानगर जिले के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में पेयजल

व्यवस्था ग्रीष्म ऋतु में पूर्ण सुचारु रूप से करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री संजय शर्मा (अलवर शहर):

9. अलवर शहर में अमृत जल योजना के अन्तर्गत बकाया 12500 नल कनेक्शन दिये जाकर पेयजल व्यवस्था सुचारु करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर):

10. विधान सभा क्षेत्र बानसूर के रायली गांव में पाइप लाइन बिछाने के लिए नई सड़कों को तोड़ दिया, उन्हें दुबारा से P.H.E.D. द्वारा बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
11. विधान सभा क्षेत्र बानसूर में पेयजल पाइप लाइन स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
12. विधान सभा क्षेत्र बानसूर की वंचित पंचायतों में पेयजल सर्वे करवाकर पेयजल योजना से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बलवान पूनियां (भादरा):

13. आपणी योजना के अन्तर्गत नुंआ, कणाऊ, कुजी, घोटड़ा पट्टा, घोटड़ा खालसा, रामपुरा की पेयजल योजना को सुधारने तथा ग्राम कुजी में अलग से उच्च जलाशय का निर्माण करवाया जाकर व्यवस्था करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
14. भादरा शहर की पेयजल योजना के विस्तार के लिए प्रस्तावित योजना को मंजूरी दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
15. पेयजल योजना में जनता जल योजना के कर्मचारियों को स्थायी कर 24,000/- रुपये मासिक वेतन देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
16. भादरा की जोगीवाला, मलखेड़ा, नेठराना, छानी बड़ी, परलीका, कलाना की पेयजल योजना के लिए बजट स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू):

17. चूरू जिले में जनता जल योजना को पुन: संचालित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
18. चूरू तहसील में आपणी योजना से वंचित सभी गांवों में पेयजल उपलब्ध करवाये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

19. चूरू शहर में पेयजल के लीकेज हेतु कार्यरत एजेंसी की जांच किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बाबूलाल (कठूमर):

20. विधान सभा क्षेत्र कठूमर में बजट 2019 की घोषणा में चम्बल का पानी कठूमर-खेरली में भेजने हेतु पाइप लाइन बिछाने के लिए 100 एच.पी. देने हेतु तथा ग्राम रोनीजा थाने में पेयजल योजना बनाने के संबंध में चर्चा के लिये।

21. सहायक अभियन्ता, PHED कठूमर द्वारा कठूमर क्षेत्र में पेयजल हेतु भिजवाई गई योजनाओं को स्वीकृति हेतु तथा अधीक्षण अभियन्ता का कार्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

सुश्री दिव्या मदेरणा (ओसियां):

22. विधान सभा क्षेत्र ओसियां में भेड़-हरलाया, पांचला-छेबडा में पेयजल हेतु हर घर को नल से पानी पहुंचाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री विजयपाल मिर्धा (डेगाना):

23. डेगाना क्षेत्र में पेयजल की भारी समस्या को दृष्टिगत रखते हुए पेयजल की सुचारु व्यवस्था करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जगदीश चन्द्र (सादुलशहर):

24. विधान सभा क्षेत्र सादुलशहर के पुराने वाटर वर्क्स कार्यालय की मरम्मत, दो ओवर हैड टैंक का निर्माण तथा विभाग में JEN व AEN की शीघ्र नियुक्ति की जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री चेतन सिंह चौधरी (डीडवाना):

25. विधान सभा क्षेत्र डीडवाना के ग्रामीण क्षेत्र में नहरी परियोजना से पेयजल उपलब्ध नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू):

26. बीसलपुर-दूदू पेयजल योजना के क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना में पचेवर-मालपुरा जिला टोंक की तहसील मौजमाबाद के 13 राजस्व गांवों को क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना दूदू में शामिल कर जल जीवन मिशन योजना में स्वीकृति प्रदान कर पेयजल की व्यवस्था करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सुरेश मोदी (नीमकाथाना):

27. नीमकाथाना क्षेत्र को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (सांगोद):

28. विधान सभा क्षेत्र सांगोद में पीएचईडी द्वारा परवन नदी से प्रस्तावित पेयजल योजना से गांवों को पेयजल प्रदान करने के कार्य में विलम्ब होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

29. विधान सभा क्षेत्र सांगोद के समस्त गांवों का क्लस्टर बनाकर कालीसिंध व परवन नदी से पेयजल आपूर्ति करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

30. विधान सभा क्षेत्र सांगोद की हरीपुरा पेयजल योजना का कार्य प्रारम्भ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री धर्मेन्द्र कुमार (पीलीबंगा):

31. धन्नासर आपणी योजना का विस्तार खोडा, हरदासवाली, डेह, राईका वाली ढाणी, लालपुरा, रामपुल, किंकरालिया JBD 2CCL एवं वंचित ग्रामीण ढाणियां क्षेत्र को पेयजल सुविधा उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

32. कस्बा रावतसर में K.W.D. नहर से पेयजल की आपूर्ति खुले नाले से करने, जिसमें गन्दा पानी जिंमिग मिलों से डाला जाता है, पाइप लाइन डालकर शुद्ध पेयजल की व्यवस्था हेतु बजट का प्रावधान करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

33. विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा में सहायक अभियंता एवं कनिष्ठ अभियंताओं के रिक्त पदों को भरने एवं पीलीबंगा में सहायक अभियन्ता ग्रामीण कार्यालय की स्वीकृति दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

34. विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा के ग्राम गोलुवाला, पीलीबंगा गांव, रामपुरा, रंग महल, अमरपुरा ढाणी 12 PBN, 14 PBN, 16 PBN, सुन्दर सिंह वाला पीलीबंगा खण्ड 10 KWD भाखरा वाली, 22 AG सरदारपुरा, 8KM व धवालिया, नहेरा वाली ढाणी 1 RWM बिरारणीया वाली खण्ड रावतसर में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सुभाष पूनिया (सूरजगढ़):

35. विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ के चार हजार से अधिक आबादी वाले गांवों में नवीन सेवा स्तर मापदण्ड अनुसार पेयजल की आपूर्ति किये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

36. विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ के ग्रामीण परिवारों को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए जल जीवन मिशन योजनान्तर्गत गांवों को प्राथमिकता दिये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

37. झुंझुनूं जिले के गिरते जल स्तर और नासा द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार पेयजल की स्थिति के संबंध में चर्चा के लिये।

38. विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ में जनता जल योजना के पुनर्गठन, जीर्ण-शीर्ण पाइप लाइन की मरम्मत करवाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी):

39. विधान सभा क्षेत्र रामगंज मण्डी के सभी निवासियों को नल से जल उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द):

40. विधान सभा क्षेत्र राजसमंद के गांव फियावडी, सापोल, गांगास, पीपलांत्र, सोगठ, पीपरडा में घर-घर पाइप से पानी पहुंचाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

41. विधान सभा क्षेत्र राजसमंद की सभी पंचायतों में जल जीवन मिशन से जोड़कर घर-घर नल कनेक्शन के माध्यम से पानी नहीं पहुंचाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

42. राजसमंद झील में पानी की पर्याप्त आवक के लिए देवास परियोजना से जल उपलब्ध करवाने के संबंध में चर्चा के लिये।

43. विधान सभा क्षेत्र राजसमंद में पानी की भयंकर किल्लत होने के बावजूद एक भी हैण्डपम्प स्वीकृत नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री खिलाड़ी लाल बैरवा (बसेड़ी):

44. पेयजल हेतु 64 गांव पार्वती बांध के IInd Phase को स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी):

45. रामगंज मण्डी क्षेत्र की सभी बसावटों, मजरे मौहल्लों, वार्डों में सार्वजनिक नल अतिशीघ्र लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन):

46. सहायक अभियंता, कपासन का पद लम्बे समय से रिक्त है, कनिष्ठ अभियंता राशमी व कपासन में रिक्त पद पर पदस्थापन शीघ्र कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

47. उप खण्ड मुख्यालय राशमी में सहायक अभियंता का कार्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

48. जनता जल योजना के विद्युत बिल सरकार द्वारा जमा कराने तथा प्रत्येक घर को नल कनेक्शन उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

49. प्रत्येक गांव व ढाणी तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने के लिए बजट उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

50. शहरी पेयजल योजना कपासन के विस्तार के लिए बजट उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर):

51. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में 93 गांवों को जयसमन्द झील से जल आरक्षित कर शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

52. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में ईटाली खेड़ा डूंगर सहित 15 गांवों में सोम कमला आम्बा से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

53. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर नगरपालिका सलूम्बर अण्डर ग्राउण्ड पाइप लाइन कार्य व 04 उच्च जलाशय टंकी का शीघ्र निर्माण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

54. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के प्रत्येक राजस्व गांव में सोलर संचालित पनघट लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

55. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के तहसील सलूम्बर, सराड़ा, सिमारी, जयसमन्द, गिगला, झल्लारा को शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री प्रताप लाल भील (गमेती) (गोगुन्दा):

56. बिखरी आबादी को शुद्ध पेयजल योजना से जोड़े जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

57. हैण्डपम्पों को सुधार करने के लिए नये हैण्डपम्प मिस्त्रियों की भर्ती करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

58. टीएसपी लगने के बाद नई पेयजल योजना बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

59. बाघेरी योजना से वंचित गांवों को पेयजल योजना बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

60. विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा में बड़े गांव, ओबरा, सेमराल, भमावडी, पानेर, सुआवतों का गुडा, सांमल, बासलिया, निकोर, घणावस पलासमा आदि गांवों हेतु पेयजल योजना बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री लाखन सिंह (करौली):

61. पेयजल हेतु चम्बल लिफ्ट परियोजना जो प्रगतिरत है, उसमें कार्य को गति प्रदान कर शेष रहे जिले के गांवों एवं कस्बों को जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री पदमाराम (चौहटन):

62. विधान सभा क्षेत्र चौहटन को नर्मदा नहर पेयजल योजना से जोड़ने तथा क्षेत्र के पुराने ट्यूबवैल का नवीनीकरण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री समाराम गरासिया (पिण्डवाड़ा आबू):

63. पिण्डवाड़ा नगरपालिका में पानी का बहुत अभाव होने के कारण नई टंकी व बोरिंग पाइप लाइन सहित बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा):

64. विधान सभा क्षेत्र सराड़ा में नये राजस्व ग्रामों में पेयजल चम्बल योजना से जल उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

सुश्री सिद्धी कुमारी (बीकानेर पूर्व):

65. विधान सभा क्षेत्र बीकानेर (पूर्व) के रामपुरा, पटेल नगर, गांधी

कालोनी, इन्दिरा कालोनी, चौधरी कालोनी, भीनासर आदि क्षेत्रों के पेयजल से वंचित स्थानों में पानी की पाइप लाइन डलवाने का कार्य करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

66. विधान सभा क्षेत्र बीकानेर (पूर्व) के इन्दिरा कालोनी, सुभाषपुरा, तिलक नगर आदि क्षेत्रों में केन्द्र अथवा राज्य सरकार की योजना के तहत पानी की पाइप लाइन डाली गई है, जिसको मैन लाइन से जोड़ा जाये तथा पाइप लाइन डालने के पश्चात् इन्दिरा कालोनी, सुभाषपुरा, तिलक नगर क्षेत्र में क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामलाल मीणा (प्रतापगढ़):

67. प्रतापगढ़ ग्रामीण क्षेत्र वृहत् पेयजल योजना 918 करोड़ की स्वीकृति के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री धर्मेन्द्र कुमार (पीलीबंगा):

68. विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा के अन्तर्गत जल योजना 14 जे.आर. के वाटर वर्क्स कन्वेस का सुदृढ़ीकरण का कार्य हेतु प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति राशि 93.35 लाख जारी करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कान्ति प्रसाद (थानागाजी):

69. विधान सभा क्षेत्र थानागाजी के ग्रामीण क्षेत्र की समस्त पेयजल योजनाओं की मरम्मत रख-रखाव व अन्य सुधार तथा जल जीवन मिशन के तहत प्रत्येक परिवार को नल से पेयजल उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री जब्बर सिंह सांखला (आसीन्द):

70. विधान सभा क्षेत्र आसीन्द के हुरड़ा के सभी ढाणियां व मजरे को चम्बल परियोजना से नहीं जोड़ा गया है, वहां पीने के पानी की किल्लत होने के कारण शीघ्र नॉन रेवेन्यू विलेज गांवों को चम्बल से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

71. विधान सभा क्षेत्र आसीन्द के हुरड़ा पंचायत समिति के गांवों को चम्बल के पानी से अतिशीघ्र जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़):

72. विधान सभा क्षेत्र चित्तौड़गढ़ में पेयजल के स्थायी संसाधनों से वंचित इलाकों में पेयजल के स्थायी समाधान कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

73. चित्तौड़गढ़ शहर में पेयजल की क्षतिग्रस्त पाइप लाइनों को दुरुस्त कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती कृष्णा पूनियॉ (सादुलपुर):

74. विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर में पेयजल समस्या से निजात दिलवाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री रामकेश (गंगापुर):

75. चम्बल गंगापुर नादौती पेयजल योजना के गतिरोध के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री खुशवीरसिंह (मारवाड़ जंक्शन):

76. विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन में नये हैण्डपम्प लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

77. विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन में फ्लोराइडयुक्त गांवों में डी-फ्लोराइडेशन प्लांट व सोलर पम्प सैट लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

78. विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन में J.J.M. से जोड़ने व जवाई पेयजल योजना के अधिकरियों की त्रुटि से वंचित गांवों को जोड़ने व जवाई पेयजल योजना जल वितरण सुचारु रूप से नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

79. पाली जिले की जवाई पेयजल पुनर्भरण योजना के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण):

80. उदयपुर ग्रामीण क्षेत्र की ग्राम पंचायत बेडवास की कालोनियों को पानी दिलवाने के लिए जिंक स्मेल्टर को मानसी वाकल के पानी की डील वर्ष 2020 में समाप्त हो रही है, इससे आम जनता को राहत प्रदान करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

81. उदयपुर ग्रामीण क्षेत्र में ट्राइबल एरिया में पेयजल उपलब्ध करवाने के

लिए जनता जल योजना द्वारा आम जनता को राहत दिलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

82. उदयपुर ग्रामीण क्षेत्र की ग्राम पंचायत बड़ी के 06 गांवों को बड़ी तालाब से पानी दिलवाने के संबंध में इस वित्तीय वर्ष में बजट का आबंटन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

83. उदयपुर ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत तीतरडी को जयसमन्द झील से पीने का पानी फिल्टर प्लांट द्वारा उपलब्ध कराये जाने तथा इसकी क्षमता बढ़ाकर आम जनता को राहत प्रदान करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गजेन्द्र सिंह शक्तावत (वल्लभनगर):

84. विधान सभा क्षेत्र वल्लभनगर में हैण्डपम्पों पर फ्लोराइड युक्त संयंत्रों की स्थापना की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

85. विधान सभा क्षेत्र वल्लभनगर के ग्राम मेनार, अडिन्दा, नवानिया, महाराज की खेड़ी में पेयजल हेतु टंकियों का निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अविनाश (जैतारण):

86. विधान सभा क्षेत्र जैतारण के स्वीकृत जवाई जल परियोजना जो अभी बन्द है, इसे पुन: शुरू करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

87. जनता जल योजना (JJY) बन्द को पुन: चालू कर ग्राम पंचायतों में पेयजल सप्लाई PHED द्वारा करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

88. विधान सभा क्षेत्र जैतारण क्षेत्र में PHED विभाग द्वारा अधिकारियों की कमी एवं लापरवाही की वजह से पानी की पूर्ण उपलब्धता के बावजूद पेयजल सप्लाई समय पर नहीं किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

89. विधान सभा क्षेत्र जैतारण में PHED विभाग में रिक्त पदों को शीघ्र भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

90. विधान सभा क्षेत्र जैतारण में खराब पड़े हैण्डपम्पों को शीघ्र ठीक करने एवं नये हैण्डपम्प की स्वीकृति जारी करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर):

91. विधान सभा क्षेत्र ब्यावर में बीसलपुर परियोजना का कार्य पूर्ण होने को है, क्षेत्र में जल जीवन मिशन योजना के तहत हर घर जल कनेक्शन दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा):

92. विधान सभा क्षेत्र पचपदरा में उम्मेद सागर पेयजल योजना से कल्याणपुर के ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल उपलब्ध करवाने एवं योजना में अभियन्ताओं के रिक्त पद शीघ्र भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

93. विधान सभा क्षेत्र पचपदरा में नये सौर ऊर्जा आधारित हैण्डपम्प एवं ट्यूबवैल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

94. विधान सभा क्षेत्र पचपदरा में पोकरण-फलसूण्ड-बालोतरा-सिवाना पेयजल योजना से ग्रामीण क्षेत्र में पानी पहुंचाने एवं रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

95. विधान सभा क्षेत्र पचपदरा में जनता जल मिशन योजना से बड़े कस्बों एवं गांवों में पाइप लाइन से घर-घर पानी पहुंचाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

96. विधान सभा क्षेत्र पचपदरा के कल्याणपुर में सहायक अभियन्ता कार्यालय खोलने एवं कार्यक्षेत्र के पुनर्गठन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री धर्मनारायण जोशी (मावली):

97. पेयजल योजना से वंचित राजस्व गांवों व ढाणियों में हैण्डपम्प और पनघट की व्यवस्था करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

98. मावली क्षेत्र की वंचित पंचायतों के गांवों के लिये पेयजल योजना शीघ्र बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

99. मावली तहसील के गांवों को बाघेरी का नाका से पेयजल उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

100. वर्ष 2020 में उदयसागर से जिंक को पानी उपलब्ध कराने का अनुबंध समाप्ति के पश्चात् मावली की पंचायतों को पानी उपलब्ध करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

101. बागोलिया बांध को भरकर पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा):

102. विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा में 4000 से अधिक आबादी वंचित ग्राम पंसेरी, पावली, करवाड़ा एवं धानोल को पाइप लाइन से पानी उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

103. विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा के गांवों को फ्लोराइडमुक्त पेयजल उपलब्ध कराने एवं नर्मदा डी.आर. प्रोजेक्ट के अधूरे कार्य को शीघ्र पूर्ण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

104. विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा के गांवों में नवीन हैण्डपम्प स्वीकृत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

105. विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा के गांवों में नवीन ट्यूबवैल स्वीकृत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

106. नर्मदा ई.आर./एफ.आर. प्रोजेक्ट का कार्य शीघ्र पूर्ण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हरेन्द्र निनामा (घाटोल):

107. विधान सभा क्षेत्र घाटोल में सभी पंचायत मुख्यालय पर जनता जल योजना लागू करने एवं हैण्डपम्प लगाने तथा पं.स. पीपलखूंट क्षेत्र में निर्माणाधीन पेयजल योजना को शुरू कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री ओमप्रकाश हुड़ला (महवा):

108. विधान सभा क्षेत्र महवा में जल जीवन मिशन योजना के तहत पेयजल योजना स्वीकृत करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (झुंझुनूं):

109. विधान सभा क्षेत्र झुन्झुनूं के विभिन्न गांवों को घरों में नल से पानी के कनेक्शन देकर पेयजल उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

110. इन्दिरा गांधी नहर (कुम्भाराम लिफ्ट) योजना पर आधारित पेयजल योजना से झुन्झुनूं जिले की चिड़ावा तहसील के गांवों एवं चिड़ावा शहर को लाभान्वित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

111. विधान सभा क्षेत्र झुन्झुनूं में संचालित जनता जल योजनाओं को विभाग के अधीन संचालित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

112. विधान सभा क्षेत्र झुन्झुनूं में इन्दिरा गांधी नहर पर आधारित जल योजना का समुचित लाभ दिलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गोपाल लाल मीना (जमवारामगढ़):

113. बीसलपुर परियोजना को TM-2 डिजाइन में जमवारामगढ़ को जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

114. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ को बीसलपुर परियोजना से पेयजल उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना):

115. सिवाना क्षेत्र की पोकरण-फलसूण्ड-बायतु-बालोतरा-सिवाना को वर्ष 2003 से अब तक पानी नहीं मिल पाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

116. सिवाना एवं समदड़ी कस्बों को विभाग द्वारा शहरी क्षेत्र मानकर 30 वर्षों से पानी का बिल जारी किया जा रहा है, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में अप्रैल, 2019 से बिल माफ कर दिये गये हैं, इस समस्या से निजात पाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

117. ग्रीष्म ऋतु में सिवाना एवं सिणधरी कस्बे में पानी उपलब्ध नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

118. सिणधरी क्षेत्र में 150 नये हैण्डपम्प स्वीकृत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

119. सिवाना क्षेत्र में गांवों की संख्या के आधार पर कनिष्ठ अभियंता का पद एवं सिवाना में अधीक्षण अभियंता कार्यालय, पूर्व संचालित पादरू में कनिष्ठ अभियंता कार्यालय को वापस शुरू करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती कल्पना देवी (लाडपुरा):

120. विधान सभा क्षेत्र लाडपुरा में नई कालोनियों में पेयजल की लाइन नहीं डालने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

121. विधान सभा क्षेत्र लाडपुरा में DCM, प्रेम नगर क्षेत्र में पानी का प्रेशर बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

122. विधान सभा क्षेत्र लाडपुरा के ग्राम मवासा और ढाणी मवासा में पानी की टंकी के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

123. विधान सभा क्षेत्र लाडपुरा के मंडाना कस्बे के वार्ड 10 के बस स्टैण्ड के पास पानी की टंकी के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

124. विधान सभा क्षेत्र लाडपुरा के कैथून के वार्ड नं. 10 व 11 में पानी की पाइप लाइन डलवाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री छगनसिंह (आहोर):

125. विधान सभा क्षेत्र आहोर में 30 वर्ष से बंद पाइप लाइन को बदलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

126. हरजी, पीछावाडी, सियाणा, भेटाला, बागरा बीबलसर में उच्च जलाशय बनाने के संबंध में चर्चा के लिये।

127. बागरा सियाणा, बीबलसर, मेडा (नीचला), भेटाला में नवीन ट्यूबवैल स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

128. नर्मदा पेयजल योजना के ER क्लस्टर की स्वीकृति देने के संबंध में चर्चा के लिये।

129. विधान सभा क्षेत्र आहोर को पेयजल के लिए जवाई पेयजल योजना से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जितेन्द्र सिंह (खेतड़ी):

130. प्रदेश में पेयजल योजनाएं सरफेस वाटर से जोड़ने हेतु वाटर हार्वेस्टिंग योजना बनाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री महेन्द्र बिश्नोई (लूणी):

131. ग्राम पंचायत लूणी में पेयजल समस्या से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री मोहन राम चौधरी (नागौर):

132. नागौर शहर की पेयजल व्यवस्था को नागौर नगर परिषद् से हटाकर जलदाय विभाग नागौर शहर के अधीन करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

133. विधान सभा क्षेत्र नागौर के क्षतिग्रस्त CWR व GLR का मरम्मत कार्य करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही):

134. शिवगंज तहसील के समस्त गांवों में पेयजल संकट से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

135. सिरोही तहसील के समस्त गांवों में पेयजल संकट से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

136. जवाई बांध से शिवगंज तहसील को पेयजल देने के लिए डीपीआर बनाने का कार्य एक साल बाद भी पूर्ण न होने के संबंध में चर्चा के लिये।

137. शिवगंज नगर में नई पाइप लाइन बिछाने के संबंध में चर्चा के लिये।

138. सिरोही नगर में नई पाइप लाइन बिछाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री रूपाराम (जैसलमेर):

139. विधान सभा क्षेत्र जैसलमेर के शेष रहे ग्रामों/ढाणियों को पेयजल हेतु इन्दिरा गांधी नहर से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

140. विधान सभा क्षेत्र जैसलमेर के ग्रामों में घरेलू जल संबंध देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

141. विधान सभा क्षेत्र जैसलमेर में तकनीकी कर्मचारियों की कमी को देखते हुए योजनाओं के संधारण का कार्य आउट सोर्सिंग से कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

142. विधान सभा क्षेत्र जैसलमेर के अधीन विभिन्न स्रोतों/बूस्टिंग स्टेशनों पर विद्युत आपूर्ति सुचारु करने हेतु डायरेक्ट फीडरों से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री लक्ष्मण मीणा (बस्सी):

143. विधान सभा क्षेत्र बस्सी की जनता जल योजनाओं के संचालन में आ रही समस्याओं के समाधान हेतु ग्राम कानोता, बांसखोह, तूंगा, माधोगढ़, जटवाड़ा में पेयजल आपूर्ति की लाइनों को बदलवाने तथा पेयजल हेतु आवश्यकतानुसार सिंगल फेज नलकूप स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

144. विधान सभा क्षेत्र बस्सी में जल जीवन मिशन के तहत घर-घर नल से पानी पहुंचाने वाली योजना के क्रियान्वयन तथा सरकारी खर्चे से बने सिंगल फेज नलकूपों के बकाया बिजली के बिल ग्राम पंचायतों द्वारा समय पर भुगतान नहीं करने से उत्पन्न समस्या के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़):

145. विधान सभा क्षेत्र डूंगरगढ़ में जलदाय योजनाओं में कर्मचारियों के रिक्त पद भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

146. विधान सभा क्षेत्र डूंगरगढ़ के गांव अभयसिंहपुरा, रिडी (02 ट्यूबवेल) कुंतासर (02 ट्यूबवैल) धीरदेसर चोटियान, कितासर बितावतान दुसारणा, कल्याणसर पुराना, सोनियांसम मिठिया, सोनियासर शिवदान सिंह, सोनियासर गोदरान बांपेड (पुरोहितान), राजेडू, लिखमीसर उतरादा, लिखमीसर दिखणादा, सांवतसर, टेऊ, दुलचासर, सैरूण, पुनरासर में नलकूप निर्माण व पाइप लाइन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

147. विधान सभा क्षेत्र डूंगरगढ़ में खराब पड़े ट्यूबवैलों को गर्मी से पहले सुधरवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

148. इन्दिरा गांधी नहर परियोजना से पानी अलॉट करवाकर विधान सभा क्षेत्र डूंगरगढ़ के शहर और गांवों को मीठा पानी उपलब्ध करवाने के लिए डी.पी.आर. बनाकर परियोजना को स्वीकृत करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण):

149. विधान सभा क्षेत्र कोटा दक्षिण में पाइप लाइन बिछाने के कार्य में भ्रष्टाचार की जांच के संबंध में चर्चा के लिये।

150. कोटा दक्षिण में कई कालोनियों में कम दबाव से हो रही जलापूर्ति की समस्या के समाधान करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

151. विधान सभा क्षेत्र कोटा दक्षिण में उच्च क्षमता का फिल्टर प्लान्ट बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कन्हैया लाल (मालपुरा):

152. विधान सभा क्षेत्र मालपुरा के पंचायत मुख्यालय पारली, आवडा, कलमण्डा, गनवर, दतोब, मान्दोलाई, बोटून्दा एवं दाबडदूम्बा में पेयजल हेतु घर-घर नल कनेक्शन हेतु बजट आबंटित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

153. विधान सभा क्षेत्र मालपुरा की नगरपालिका मालपुरा व टोडारायसिंह में नवीन विकसित आवासीय कालोनियों में पेयजल पाइप लाइन डालने हेतु बजट आबंटित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

154. विधान सभा क्षेत्र मालपुरा के ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ी हुई आबादी में पीएसपी पाइन्ट बनाने हेतु बजट आबंटन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन):

155. विधान सभा क्षेत्र केशोरायपाटन में पूर्व में स्वीकृत पेयजल योजना को चालू करने व योजनाओं का कार्य पूर्ण नहीं होने तक ट्यूबवैल, हैण्डपम्प, पानी की टंकिया स्वीकृत कर जनता को पेयजल उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

156. विधान सभा क्षेत्र केशोरायपाटन में स्थित आर.ओ. प्लांट से जनता को नि:शुल्क पेयजल उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

157. विधान सभा क्षेत्र केशोरायपाटन के अनेक गांवों में फ्लोराइडयुक्त (खारा) पानी के स्थान पर शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

158. विधान सभा क्षेत्र केशोरायपाटन के सभी शहरों व गांवों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

159. चम्बल भीलवाड़ा पेयजल योजना में नैनवां हिण्डौली के समस्त पंचायत समिति के गांवों को जोड़कर पेयजल उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा):

160. विधान सभा क्षेत्र राजाखेड़ा के गांव मानियां के लिए जो स्कीम मंजूर हुई है उसके टेण्डर करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हाकम अली खॉ (फतेहपुर):

161. फतेहपुर में पेयजल योजना का कार्य पूर्ण करने एवं घरों में कनेक्शन देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जे.पी. चन्देलिया (पिलानी):

162. विधान सभा क्षेत्र पिलानी के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों को चौधरी कुम्भाराम लिफ्ट कैनाल से पेयजल उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

163. विधान सभा क्षेत्र पिलानी के ग्रामीण क्षेत्र को जल जीवन मिशन योजना के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा):

164. मनिया योजना (पेयजल योजना) कब तक लागू होगी, के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री पानाचन्द मेघवाल (बारां-अटरू):

165. विधान सभा क्षेत्र बारां-अटरू के अटरू कस्बे में और कवाई कस्बे में पानी की पाइप लाइन डलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

166. विधान सभा क्षेत्र बारां-अटरू के ग्राम मून्डला में उच्च जलाशय का निर्माण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

167. विधान सभा क्षेत्र बारां-अटरू के ग्राम मन्डोला, आटोन पटना, पिपलोद में उच्च जलाशय (टंकी) निर्माण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गोविंद राम (खाजूवाला):

168. नहरों में जहां भी गन्दा पानी आ रहा है, वहां प्राथमिकता से पानी फिल्टर करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

169. पेयजल की पंचायतों से व्यवस्था बदलकर जलदाय विभाग के अन्तर्गत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सुरेश टाक (किशनगढ़):

170. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में हैण्डपम्प तथा ट्यूबवैल विभागीय प्रस्तावानुसार स्वीकृत करने के संबंध में चर्चा के लिये।

171. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ में जनता जल योजना तथा ओपन वैल के साथ प्राप्त प्रस्तावों को शीघ्र स्वीकृत करने के संबंध में चर्चा के लिये।

172. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ के तिहरी, खण्डाच, कदम्बपुरा, बालापुरा, मण्डावरिया, काढा, चुरली, खेड़ा, इन्दोली, अलमास, भारला, मुण्डोती, हरपुरा, भवसा, जुगलीपुरा, गुन्दली, सान्दोलिया, रील, केलानिया, भोगाड़ित गांवों में नई पाइप लाइन डालकर पेयजल आपूर्ति किये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़):

173. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में यमुना नदी से नहर द्वारा पेयजल उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

174. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में वर्तमान में स्थापित बीयर फैक्ट्रियों द्वारा पानी के अत्यधिक दोहन से भू-जल खतम होने से पेयजल समस्या से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

175. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ के ढीकवाड़ (नीमराना) में कानावास में सब-मर्सिबल नई पाइप लाइन डालकर ढीकवाड़ में पानी पहुंचाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

176. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ के खूंदरोट (नीमराना) गांव में विजयनगर की तरफ से सब-मर्सिबल पानी उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

177. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ के विभिन्न गांवों में ट्यूबवैल एवं हैण्डपम्पों के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा):

178. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में सांभर, किशनगढ-रेनवाल, नरैना कस्बों तथा ग्रामों में पेयजल सप्लाई की मात्रा में बढ़ोतरी करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अमित चाचाण (नोहर):

179. विधान सभा क्षेत्र नोहर के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की व्यवस्था सुचारु रूप से करने के संबंध में चर्चा के लिये।

180. पेयजल से वंचित प्रत्येक गांवों में घर-घर पेयजल कनेक्शन देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

181. विधान सभा क्षेत्र नोहर के सभी गांवों में नि:शुल्क पेयजल उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

182. शहरी क्षेत्र में बढ़ रही आबादी को देखते हुए जल भण्डारण व्यवस्था में वृद्धि करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गुरदीप सिंह (संगरिया):

183. पेयजल योजना 06B GP-A का मरम्मतीकरण एवं आधुनीकरण के कार्य हेतु राशि रुपये 93-94 लाख की स्वीकृति के संबंध में चर्चा के लिये।

184. पेयजल योजना 17 MJD से चक 25 AMP एवं 27 AMP की पेयजल आपूर्ति हेतु पाइप लाइन के कार्य राशि रुपये 23.83 लाख की स्वीकृति के संबंध में चर्चा के लिये।

श्रीमती गंगा देवी (बगरू):

185. नगरपालिका बगरू के वार्ड संख्या 35 को बीसलपुर पेयजल योजना से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

186. पंचायत समिति सांगानेर के 31 गांवों को बीसलपुर पेयजल योजना से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी):

187. विधान सभा क्षेत्र रामगंज मण्डी में पेयजल हेतु सभी मौहल्लों बसावटों, मजरों में गांव की जनसंख्या के अनुपात में सार्वजनिक नल लगाने के बावजूद भी कई मौहल्ले बसावट, मजरे पेयजल से वंचित होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालोर):

188. प्रदेश में कार्यरत जनता जल योजना एवं स्वजल धारा योजना जैसी योजनाओं को नई जनता जल मिशन (JJM) में समाहित किए जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

189. विधान सभा क्षेत्र जालोर में भारत सरकार द्वारा घोषित जनता जल मिशन (JJM) के अन्तर्गत ढाणियों, खेतों एवं बेरों पर निवास कर रहे लोगों को नल से जल उपलब्ध करवाये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

190. नर्मदा पेयजल योजना के FR प्रोजेक्ट से लाभान्वित गांवों को पूर्णरूप से नर्मदा जल उपलब्ध करवाने की बजाय नलकूपों का फ्लोराइडयुक्त पानी मिलाकर दिए जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

191. नर्मदा पेयजल योजना के भाग FR प्रोजेक्ट की प्रस्तावित डिग्गी का निर्माण नहीं किए जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

192. विधान सभा क्षेत्र जालोर में नर्मदा पेयजल योजना के एक भाग ER प्रोजेक्ट के अन्तर्गत 21 गांवों के क्लस्टर का पेयजल उपलब्ध करवाने के संबंध में विभागीय उदासीनता पर चर्चा के लिये।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर):

193. पानी की योजना आगरा रोड जामडोली, सुमेल व बगराना को बीसलपुर योजना को अप्रैल, 2020 से पहले पूर्ण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

194. विधान सभा क्षेत्र आदर्श नगर में आदर्श नगर, जनता कालोनी, जवाहर नगर, सिन्धी कॉलोनी, आमागढ, वन विहार जवाहर नगर कच्ची बस्ती, घाटगेट व पहाड़गंज खटीक मण्डी आदि सम्पूर्ण में पानी की सप्लाई हेतु स्टेशन स्थापित करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर):

195. विधान सभा क्षेत्र खींवसर में जनता जल योजना की मानिटरिंग व बजट आबंटन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

196. विधान सभा क्षेत्र खींवसर में बन्द पड़े नलकूपों को पुन: चालू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

197. विधान सभा क्षेत्र खींवसर में वन्य जीवों हेतु पेयजल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

198. विधान सभा क्षेत्र खींवसर में आर.ओ. प्लांट व डी-फ्लोराइड संयंत्रों के निर्माण व रख-रखाव की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

199. विधान सभा क्षेत्र खींवसर के गांवों व ढाणियों में इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के तहत पेयजल से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा):

200. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के नरैना में नई जल प्रदाय योजना स्वीकृत कर पेयजल उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

201. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के सांभर, फुलेरा, किशनगढ-रेनवाल तथा नरैना कस्बे में पेयजल की जर्जर लाइनों के स्थान पर नई पाइप लाइन डालने के संबंध में चर्चा के लिये।

202. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के विभिन्न ग्रामों में पेयजल व्यवस्था हेतु 100 हैण्डपम्प तथा 50 सोलर पम्प (ट्यूबवैल) स्वीकृत करने के संबंध में चर्चा के लिये।

203. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के विभिन्न पेयजल कार्यालयों में रिक्त पदों

को शीघ्र भरने तथा अधिकारियों को मुख्यालय पर रहने हेतु पाबन्द करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर):

204. विधान सभा क्षेत्र अजमेर उत्तर में नई बसी आवासीय कालोनियों में पेयजल वितरण व्यवस्था हेतु पाइप लाइन बिछाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

205. सरकार की घोषणानुसार अजमेर शहर में 24 घण्टे के अन्तराल से नियमित पेयजल आपूर्ति प्रारम्भ कराये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

206. बीसलपुर बांध में पानी की आवक बढ़ाने व अजमेर जिले की पेयजल व्यवस्था हेतु स्वीकृत ब्राहमणी नदी योजना का कार्य शीघ्र प्रारम्भ कराये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

207. विधान सभा क्षेत्र अजमेर उत्तर में कई स्थानों पर की जा रही कम दबाव से जल आपूर्ति तथा गन्दे पानी के वितरण की व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

208. विधान सभा क्षेत्र अजमेर उत्तर में शहर की पैरीफेरी में स्थित गांवों में भी शहर की भांति नियत अन्तराल (48 घण्टे) से पेयजल आपूर्ति किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली):

209. पाली जिले के उप खण्ड रोहट में जिस-जिस गांव में जी.एल.आर. निर्मित है, उसके पश्चात् भी पाइप लाइन से नहीं जोड़े जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

210. पाली जिले के उप खण्ड रोहट के जिन-जिन गांवों में उच्च जलाशय है, उन गांवों में गली तक पेयजल पहुंचाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

211. मंडली, जैनपुर पुख्तारी स्वीकृत पेयजल की योजना के प्रथम चरण का कार्य पूर्ण होने पर भी द्वितीय चरण की स्वीकृति जारी करने में हो रही देरी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

212. पाली जिले के उप खण्ड रोहट से गांव पांचपदरिया में भी कई वर्षों से हो रहे पेयजल संकट को दूर करने हेतु मांडावास से पांचपदरिया तक सीधी पाइप लाइन बिछाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

213. पाली जिले की रोहट तहसील के गांव फेकरिया में कई वर्षों से हो रहे पेयजल संकट को दूर करने के लिये मांडावास से सीधी पाइप लाइन फेकरिया तक बिछाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री पुखराज (भोपालगढ़):

214. विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ़ में विभिन्न तकनीकी एवं अभियांत्रिकी पदों की रिक्तता को पूर्ण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

215. विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ़ में अनुसूचित जाति/जनजाति बहुल क्षेत्र में पेयजल व्यवस्था मुहैया करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

216. विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ़ में विद्यमान योजनाओं से वंचित आबादी के चिन्हित स्थानों पर हैण्डपम्प व ट्यूबवैल स्वीकृति एवं खोदने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जोगिन्दर सिंह अवाना (नदबई):

217. विधान सभा क्षेत्र नदबई में पानी में फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने से लोगों में बीमारी होने के संबंध में चर्चा के लिये।

218. विधान सभा क्षेत्र नदबई में चम्बल पेयजल परियोजना के तहत पेयजल उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर):

219. विधान सभा क्षेत्र सांगानेर के रामपुरा रोड (वार्ड 35) क्षेत्र की पेयजल से त्रस्त कालोनियों में पानी की टंकियां बनाकर पाइप लाइन से घरों तक पेयजल उपलब्ध करवाकर स्थायी समाधान कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

220. विधान सभा क्षेत्र सांगानेर के मदरामपुरा/शिकारपुरा (वार्ड 36) की पेयजल से त्रस्त कालोनियों में पानी की टंकियां बनाकर पाइप लाइन से घरों तक पेयजल उपलब्ध करवाकर स्थायी समाधान कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

221. विधान सभा क्षेत्र सांगानेर के भांकरोटा क्षेत्र में पेयजल से त्रस्त कालोनियों में पानी की टंकियां बनाकर पाइप लाइन से घरों तक पेयजल उपलब्ध करवाकर स्थायी समाधान कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

222. विधान सभा क्षेत्र सांगानेर के टिब्बा टोल टैक्स, कृषि नगर की आस-

पास की समस्त कालोनियों में पानी की टंकियां बनाकर पाइप लाइन से घरों तक पेयजल उपलब्ध करवाकर स्थायी समाधान कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

223. सांगानेर कस्बा/प्रताप नगर क्षेत्र की आस-पास की समस्त कालोनियों में पानी की टंकियां बनाकर पाइप लाइन से घरों तक पेयजल उपलब्ध करवाकर स्थायी समाधान कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्रीमती शोभा चौहान (सोजत):

224. विधान सभा क्षेत्र सोजत के गांवों में पानी की सप्लाई नियमित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

225. विधान सभा क्षेत्र सोजत के पश्चिमी क्षेत्र की 16 ग्राम पंचायतों व 50 राजस्व गांवों में पानी की व्यवस्था दांतीवाडा परियोजना से पानी उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

226. विधान सभा क्षेत्र सोजत के ग्राम पंचायत रेदड़ी, सोजत रोड, खारीया सोढा, भैसाणा, सियाट, खोखरा को जवाई जल योजना से जोड़कर पेयजल की आपूर्ति करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

227. विधान सभा क्षेत्र सोजत की ग्राम पंचायतों बोयल, अटपड़ा, चन्दावलरटे हरियामाली, करमावास पट्टा में घर-घर पेयजल आपूर्ति करने के संबंध में चर्चा के लिये।

228. सोजत की पश्चिमी ग्राम पंचायत धाकड़ी, धीनावास, बिलावास, चौपड़ा सरदारसमंद, राजौला, सुपेलाव, गागुड़ा, सुरायना, मेव, खारिया नीव को दांतीवाडा जल परियोजना से जोड़कर जल आपूर्ति करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती इन्द्रा (बामनवास):

229. विधान सभा क्षेत्र बामनवास के फ्लोराइडयुक्त/खारे पानी की समस्या से ग्रस्त गांवों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

230. विधान सभा क्षेत्र बामनवास में आर.ओ. प्लांट स्वीकृत करने के संबंध में चर्चा के लिये।

231. विधान सभा क्षेत्र बामनवास में खराब पड़े हैण्डपम्पों को ठीक करवाये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री रूपा राम (मकराना):

232. मकराना बोरावड बिदियाद के पास में बसी कालोनियों में पाइप लाइन द्वारा जल आपूर्ति करने के संबंध में चर्चा के लिये।

233. विधान सभा क्षेत्र मकराना में बन्द पड़े आर.ओ. प्लांट के संबंध में चर्चा के लिये।

234. विधान सभा क्षेत्र मकराना में ग्रामीण क्षेत्रों में 50 से 100 जनसंख्या वाली ढाणियों का सर्वे कर नागौर लिफ्ट परियोजना से जल आपूर्ति के संबंध में चर्चा के लिये।

235. विधान सभा क्षेत्र मकराना के ग्रामीण क्षेत्र में नागौर लिफ्ट परियोजना से जल आपूर्ति करने के संबंध में चर्चा के लिये।

236. विधान सभा क्षेत्र मकराना में ग्रामीण क्षेत्र में जनता जल योजना एवं विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना में निर्मित ट्यूबवैलों के रख-रखाव व विद्युत बिल भरने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री सुमित गोदारा (लूणकरणसर):

237. विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर के खारी, कुजती, सहजरासर गांव में नई DI पाइप लाइन डालकर घीरेरा स्टेशन तक पानी पहुंचाने के संबंध में चर्चा के लिये।

238. विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर के रावांसर गांव को कबिया गांव से जो पेयजल सप्लाई हो रही है, उसमें नई पाइप लाइन डालने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

239. विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर के नाथवाना, राजपुरा हुड्डान, किसनासर गांव में नहरी पानी हेतु पेयजल योजना बनाकर राहत प्रदान करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

240. विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर के मालासर, लाडेरा, मलोनिया करणीसर बीकाण गांवों को नहरी पानी से जोड़ने हेतु पेयजल योजना बनाकर राहत देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

241. विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर के शेखसर, खोडाल गांव में जल आपूर्ति हेतु नई पाइप लाइन डालकर नहरी परियोजना से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री इन्द्राज सिंह गुर्जर (विराटनगर):

242. विधान सभा क्षेत्र विराटनगर के बरवाड़ा, रामसिंहपुरा, आमलोदा, मेड़, छापड़ा कलां, छापड़ा खुर्द, गोविन्दपुरा धाभाई, चौबाला, दादा का बास, तेवड़ी, रामपुरा व अन्य गांवों में व्याप्त पेयजल की समस्या के निराकरण हेतु पेयजल योजना बनाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री सुरेश सिंह रावत (पुष्कर):

243. विधान सभा क्षेत्र पुष्कर के तीर्थराज पुष्कर में धार्मिक श्रद्धालुओं व पर्यटकों को पीने का शुद्ध पानी मिले, इसके लिए एक्वागार्ड की सुविधा बस स्टैण्ड पर करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

244. विधान सभा क्षेत्र पुष्कर के सभी गांव-कस्बों के मुख्य स्थानों पर वाटर कूलर लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

245. विधान सभा क्षेत्र पुष्कर में बंद पड़े हैण्डपम्प की मरम्मत, सरकारी कुओं की सफाई, सरकारी ट्यूबवैलों की सफाई/मरम्मत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

246. विधान सभा क्षेत्र पुष्कर में बनी पानी की टंकियों की मरम्मत करने के साथ ही उनकी साफ-सफाई कर लोगों को शुद्ध पीने का पानी उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

247. विधान सभा क्षेत्र पुष्कर के सभी गांव व ढाणियों को घर-घर पीने के पानी से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर):

248. विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर में नये हैण्डपम्प व सौर ऊर्जा वाले हैण्डपम्प लगाने के संबंध में चर्चा के लिये।

249. विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर में बढ़ रही पेयजल की किल्लत से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

250. विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर में फ्लोराइडयुक्त पेयजल के समाधान के लिए आर.ओ. लगाने के संबंध में चर्चा के लिये।

251. विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर में सभी सरकारी विद्यालयों में जल आपूर्ति अधिक दबाव से दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

252. विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर में पेयजल योजनाओं से वंचित गांवों को योजनाओं से जोड़ने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री हरीश चन्द्र मीना (देवली-उनियारा):

253. विधान सभा क्षेत्र देवली-उनियारा में उनियारा शहर की पुरानी जर्जर पाइप लाइन को बदलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

254. विधान सभा क्षेत्र देवली-उनियारा के समस्त राजस्व ग्रामों व शहरी क्षेत्रों को बीसलपुर बांध से पेयजल उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर):

255. विधान सभा क्षेत्र सूरसागर में उच्च जलाशयों एवं पेयजल पाइप लाइनों के बिछाने का लम्बित कार्य विशेष प्राथमिकता से पूर्ण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

256. राजीव गांधी नगर एवं रामराज नगर चौखा जोधपुर में पेयजल वितरण पाइप लाइन बिछाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

257. जोधपुर के लिफ्ट कैनाल में क्लोजर के कारण होने वाली पेयजल वितरण समस्याओं के निदान का स्थायी समाधान करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

258. जोधपुर के भू-जल रिसाव समस्या निदान के लिए निकाले जा रहे अमूल्य भू-जल का उपयोग निकट के ग्रामीण क्षेत्र में भू-जल रीचार्ज के रूप में करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

259. जोधपुर विकास प्राधिकरण से एप्रूव्ड आवासीय परियोजनाओं में पेयजल वितरण तंत्र विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सतीश पूनियां (आमेर):

260. विधान सभा क्षेत्र आमेर को बीसलपुर पेयजल योजना से जोड़े जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

261. विधान सभा क्षेत्र आमेर में खराब पड़े आर.ओ. प्लांटस को ठीक कर चालू करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

262. विधान सभा क्षेत्र आमेर के ग्रामीण क्षेत्रों को बीसलपुर परियोजना से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

263. आमेर की बीसलपुर पेयजल परियोजना को शीघ्र पूर्ण किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती संतोष (अनूपगढ़):

264. अनूपगढ़ तहसील के 20LM लूणिया, 18P, 11P और 2PGM ग्राम पंचायतों में पेयजल की आपूर्ति सही ढंग से नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

265. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ की जनता जल योजना की वर्ष 2019 में निविदाएं जारी होने के बाद कार्य रोका गया, इससे उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

266. ग्राम पंचायत 21 LLD (365 हैड) में नया वाटर वर्क्स कार्यालय नहीं बनाये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

267. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ के बोर्डर एरिया के सभी पंचायतों व ढाणियों में नहरबंदी से पहले पेयजल की समुचित व्यवस्था नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

268. अनूपगढ़ तहसील की ग्राम पंचायत 18P के ग्राम 14R में BADP द्वारा मिनी वाटर वर्क्स मंजूर होने के बाद भी अधिकारियों द्वारा निविदा जारी नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री सुरेश टाक (किशनगढ़):

269. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ के अरांई ब्लाक में रिक्त पदों को शीघ्र भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

270. किशनगढ़ (अजमेर) की शहरी जल योजना में हुए भ्रष्टाचार की जांच कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्रीमती इन्दिरा देवी (मेड़ता):

271. विधान सभा क्षेत्र मेड़ता के विभिन्न कार्यालयों में रिक्त पदों को शीघ्र भरने तथा अधिकारियों को मुख्यालय पर रहने हेतु पाबन्द करने के संबंध में चर्चा के लिये।

272. विधान सभा क्षेत्र मेड़ता में नई जल प्रदाय योजना स्वीकृत कर पेयजल उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

273. विधान सभा क्षेत्र मेड़ता के रियांबड़ी, जसनगर, गोठन व मेड़ता व पादू कलां कस्बे में पेयजल की जर्जर लाइनों के स्थान पर नई पाइप डालने के संबंध में चर्चा के लिये।

274. विधान सभा क्षेत्र मेड़ता के विभिन्न ग्रामों में पेयजल व्यवस्था हेतु

100 हैण्डपम्प तथा 50 सोलर पम्प (ट्यूबवैल) स्वीकृत के संबंध में चर्चा के लिये।

275. विधान सभा क्षेत्र मेड़ता में जनता जल योजना की मानिटरिंग व बजट आबंटन किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामस्वरूप लाम्बा (नसीराबाद):

276. विधान सभा क्षेत्र नसीराबाद के पीसांगन कस्बे की आस-पास की ढाणियों को बीसलपुर योजना से पेयजल उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

277. पीसांगन सहायक अभियंता (कार्यालय) बीसलपुर योजना को बंद करके अन्यत्र स्थानान्तरित किये जाने से क्षेत्र में हो रही उत्पन्न समस्या के संबंध में चर्चा के लिये।

278. विधान सभा क्षेत्र नसीराबाद के झडवासा ग्राम पंचायत मुख्यालय पर बीसलपुर योजना से पानी (पेयजल) उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बिहारीलाल (नोखा):

279. नोखा तहसील के समस्त गांव, ढाणियों एवं कस्बों को जल जीवन मिशन के तहत नहरी परियोजना से जोड़ने हेतु रिवाइज्ड डीपीआर (700 करोड़ से अधिक) बनाने की घोषणा की त्वरित गति से क्रियान्वयन के संबंध में चर्चा के लिये।

280. नोखा के नहरी प्रोजेक्ट में समस्त गांवों व नोखा शहर के साथ-साथ समस्त ढाणियों को भी शामिल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

281. नोखा के पांचू, ढींगसरी, काहिरा, हिंयादेसर, थावरिया, सिंजगुरू, पिथरासर की जल जीवन मिशन योजना के तहत घर-घर नल से जल बनी स्कीमों को त्वरित गति से स्वीकृत करने के संबंध में चर्चा के लिये।

282. नोखा शहर के जलदाय विभाग को नगरपालिका के संचालन से मुक्त कर पुन: जलदाय विभाग के अधीन लेने तथा शहरी क्षेत्र के जलदाय विभाग पर नगरपालिका के अधीन आने से लेकर अब तक बिजली विभाग के 09 करोड़ के लगभग बकाया का भुगतान नगरपालिका से करवाने एवं जलदाय विभाग के जिला ग्रामीण खण्ड प्रथम बीकानेर के

नोखा विधान सभा क्षेत्र के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों के रिक्त पद भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

283. विधान सभा क्षेत्र नोखा में बीकानेर जिले में नये ट्यूबवैल निर्माण के टेण्डर जारी करके नये ट्यूबवैलों के निर्माण की स्कीमों को स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जोराराम कुमावत (सुमेरपुर):

284. सेई बांध की 6½ किलोमीटर लम्बी सुरंग को चौड़ी कर सेई बांध से ओवरफ्लो होकर गुजरात जा रहे पानी को पेयजल हेतु जवाई बांध में लाने की 92 करोड़ की योजना स्वीकृत करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

285. विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर में पावा ग्राम की डुंगानाथ की ढाणी, मोरठन की ढाणी व नोवीढाणी में पेयजल उपलब्ध करवाने हेतु योजना की स्वीकृति करवाने के संबंध में चर्चा के लिये।

286. जवाई पुनर्भरण योजना की DPR पूर्ण करवाकर योजना को स्वीकृत करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

287. विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर के सिन्दरू, धनापुरा, जाखौड़ा व अन्य गांवों में जहां पेयजल की समस्या है, वहां पेयजल हेतु ट्यूबवैल व हैण्डपम्प खोदने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

288. विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर के ग्राम गिरादडा, जवडिया, केरला, दयालपुरा मुलीयावास साकदडा, सुन्देलाव, भावनगर, डरी, पेणावा, गौरी भाखरी बाला, कानदरा, सोडावास गुडा नारखान, बुधवाडा, आहीचिया को जल जीवन मिशन योजना में प्राथमिकता से पेयजल उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री वाजिब अली (नगर):

289. विधान सभा क्षेत्र नगर में चम्बल पेयजल योजना की पाइप लाइन डालने से क्षतिग्रस्त हुई सड़कों की मरम्मत नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

290. विधान सभा क्षेत्र नगर में संचालित R.O. Plant में आई खराबी के कारण पानी की गुणवत्ता कम होने से परेशानी के संबंध में चर्चा के लिये।

291. विधान सभा क्षेत्र नगर के करबा नगर व सीकरी में जिन मौहल्लों में पानी के कनेक्शन व पाइप लाइन नहीं है, वहां शीघ्र पानी के कनेक्शन उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

292. विधान सभा क्षेत्र नगर में चम्बल पेयजल परियोजना के तहत सर्वे में छूटे हुए गांव व मौहल्लों को जोड़ने के संबंध में चर्चा के लिये।

परिशिष्ट 3

मांग संख्या 38-लघु सिंचाई एवं भूमि संरक्षण पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 38 लघु सिंचाई एवं भूमि संरक्षण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाये, इस आशय के प्रस्ताव निम्नांकित सदस्य प्रस्तुत करेंगे/करेंगी कि:-

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा):

1. विधान सभा क्षेत्र छबड़ा में सिंचाई हेतु नई लघु परियोजना स्वीकृत करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द):

2. राजसमन्द जिले की अधिकतर तहसीलें डार्क जोन में हैं। अत: बरसाती पानी को बचाकर भूमिगत जल स्तर बढ़ाने हेतु योजना बनाई जाकर उसे लागू करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर):

3. विधान सभा क्षेत्र बानसूर के पानी भराव वाले क्षेत्रों में बांध/एनिकट बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बलवान पूनियां (भादरा):

4. भादरा नोहर के सिंचाई से वंचित गांवों को लघु सिंचाई योजना से जोड़कर लाभान्वित करने पर चर्चा के लिये।
5. रेतीले धोरों को लगातार बढ़ने से रोकने की कार्ययोजना बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

सुश्री दिव्या मदेरणा (ओसियां):

6. नई लघु सिंचाई परियोजना के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू):

7. विधान सभा क्षेत्र दूदू के हिंगोनिया बांध, नया सागर बांध, मौजमाबाद, हनुमान सागर बांध, गागरडू सिंचाई परियोजनाओं की आवक क्षमता बढ़ाने व नहरों की मरम्मत का कार्य कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (सांगोद):

8. विधान सभा क्षेत्र सांगोद की उन समस्त लघु सिंचाई परियोजना,

जिनमें पानी का रिसाव हो रहा है, को रोककर बांधों में पानी स्टोर करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री धर्मेन्द्र कुमार (पीलीबंगा):

9. पीलीबंगा विधान सभा क्षेत्र के सेम से ग्रस्त एरिया होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री सुभाष पूनिया (सूरजगढ़):

10. झुंझुनूं जिले में नरेगा के तहत किसानों के खेतों मेंमेड़बन्दी कराने के लिये 3 लाख रुपये तक करवाने हेतु सभी वर्गों के लिये नियमोंमें संशोधन की आवश्यकता के संबंध में चर्चा के लिये।

11. भूमि सुधार योजना के तहत झुंझुनूं जिले में ऑरगेनिक खाद का उपयोग किये जाने की आवश्यकता के संबंध में चर्चा के लिये।

12. झुंझुनूं जिले में लघु सिंचाई के लिए किसानों को अनुदान पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने के संबंध में चर्चा के लिये।

13. प्रदेश में लघु सिंचाई के लिये सोलर, ड्रिप, फव्वारा, डिग्गी हेतु अनुदान के संबंध में चर्चा के लिये।

14. झुंझुनूं जिले के किसानों के खेतों में फसलों की सुरक्षाहेतु तारबंदी में सब्सिडी देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी):

15. कोटा जिले में निर्माणाधीन ताकली बांध की डूब में आ रहे गांवों के निवासियों को मुआवजा देने के संबंध में चर्चा के लिये।

16. बारां तहसील की ग्राम पंचायत सम्बलपुर में स्थित कल्याणपुरा में मुख्य सड़क पर स्थित मंदिर के सामने पार्वती नदी के किनारे टूटने से हो रहे खेतों के कटाव को रोकने पर चर्चा के लिये।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन):

17. प्रदेश की लघु सिंचाई व भूमि संरक्षण के लिए छोटे-छोटे तालाब व नदी नालों पर एनिकट बनाकर भूमिगत जलस्तर को बढ़ाने पर चर्चा के लिये।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी):

18. रामगंज मण्डी तहसील के क्षेत्र में नदी किनारे भूमि के कटाव को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर):

19. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में झाझरी नदी पर विभिन्न स्थानों पर जीरो लेवल के एनिकटों के निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

20. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में भूमि कटाव को रोकने के लिये जगह-जगह मेड़बंदी/एनिकटों का निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

21. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के भूमि संरक्षण व लघु सिंचाई के विभिन्न स्थानों पर एनिकटों के निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

22. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में लघु सिंचाई एवं भूमि संरक्षण के लिये स्वीकृतशुदा एनिकट मूलेश्वर, उपला, लेम्बजिया, अलना, पावटी का कार्य जारी कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

23. प्रदेश में छोटे-छोटे तालाब, एनिकट व नाड़ियों का निर्माण कराकर सिंचाई की व्यवस्था कराने तथा भूमि की उर्वरा शक्ति पर चर्चा के लिये।

श्री प्रताप लाल भील (गमेती) (गोगुन्दा):

24. कोटड़ा क्षेत्र में कुओं पर मोटर हेतु कृषि कनेक्शन जारी करने की कार्य योजना पर चर्चा के लिये।

25. गोगुन्दा क्षेत्र में टीएसपी लगने के बाद जमा डिमाण्ड राशि वाले कृषि कनेक्शन पर चर्चा के लिये।

26. सौर ऊर्जा से लघु सिंचाई करने हेतु कार्य योजना बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

27. चुली का नाका पडावली एवं सेनवाड़ा में एनिकट निर्माण हेतु चर्चा के लिये।

श्री समाराम गरासिया (पिंडवाडा-आबू):

28. छोटे-छोटे एनिकट बनाकर पानी को रोककर सिंचाई व भूमि संरक्षण हेतु एनिकट से उपयोग करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री रामलाल मीणा (प्रतापगढ़):

29. प्रतापगढ़ जिले में सर्वाधिक बारिश से वर्षा जल को रोककर लघु बांधों की स्वीकृति पर चर्चा के लिये।

श्री गोपी चन्द मीणा (जहाजपुर):

30 बीसलपुर बांध व भूमिगत जल स्तर को बढ़ाने के लिए बनास नदी पर जीरो लेवल के एनिकट निर्माण करने पर आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री खुशवीर सिंह (मारवाड़ जंक्शन):

31. ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित बांधों के मछली ठेके की राशि संबंधित ग्राम पंचायत को दी जाने पर चर्चा के लिये।

32. विधान सभा क्षेत्र मारवाड़-जंक्शन में छोटे-छोटे एनिकटों के निर्माण पर चर्चा के लिये।

33. ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित बांधों के रख-रखाव व नहरों की सुदृढ़ीकरण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

34. विधान सभा क्षेत्र मारवाड़-जंक्शन में भूमि संरक्षण हेतु एल.एस.सी.डी., चरागाह व औरण भूमि में मेड़बंदी कार्य पर चर्चा के लिये।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण):

35. उदयपुर ग्रामीण क्षेत्र में लघु सिंचाई के लिए जनजाति के किसानों को फव्वारा सिंचाई योजना का लाभ दिलाकर उन्नत खेती पर चर्चा के लिये।

36. उदयपुर ग्रामीण क्षेत्र में सिंगल फेज कनेक्शन का आदेश देकर छोटे किसानों की मदद पर चर्चा के लिये।

37. उदयपुर ग्रामीण क्षेत्र में उबड़-खाबड़ जमीन को समतलीकरण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा):

38. विधान सभा क्षेत्र पचपदरा में रेतीले धोरों का स्थिरीकरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

39. विधान सभा क्षेत्र पचपदरा में क्षारीय क्षेत्र को उपजाऊ बनाने हेतु उपायों की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

40. विधान सभा क्षेत्र पचपदरा में पहाड़ी क्षेत्र से फैलने वाले बरसाती पानी

से कृषि भूमि के कटाव की रोकथाम हेतु योजना बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

41. विधान सभा क्षेत्र पचपदरा में लूणी नदी में बाढ़ के पानी एवं बरसाती पानी के संरक्षण हेतु पहाड़ी क्षेत्र में बांध बनाकर सिंचाई हेतु उपयोग करने पर चर्चा के लिये।

श्री धर्मनारायण जोशी (मावली):

42. विधान सभा क्षेत्र मावली में चरागाह व बिलानाम भूमि पर भूमि संरक्षण हेतु वृक्षारोपण की योजना पर चर्चा के लिये।

43. विधान सभा क्षेत्र मावली में नदी-नालों पर एनिकट निर्माण व उनसे सिंचाई व्यवस्था पर चर्चा के लिये।

44. विधान सभा क्षेत्र मावली में लघु सिंचाई के नये प्रोजेक्ट बनाने पर चर्चा के लिये।

45. गांवों के तालाब व नाड़ियों की क्षतिग्रस्त पाल व दीवारों की मरम्मत पर चर्चा के लिये।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा):

46. विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा में सांवलावास से सांचौर रोड तक सागी व खारी नदी के बहाव क्षेत्र में कृषि भूमियों, आम रास्तों व गांवों में हुए भूमि कटाव को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

47. विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा के गांवों में वर्ष 2019 में हुई अत्यधिक बारिश से हुए भूमि कटाव को रोकने हेतु विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

48. विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा के जल संरक्षण को बढ़ाने हेतु सुंधा पर्वत क्षेत्र एवं जसवंतपुरा के पहाड़ी क्षेत्रों में एनिकट/चैक डैम निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हरेन्द्र निनामा (घाटोल):

49. पंचायत समिति घाटोल के लाम्बाघाटा गांव में लिफ्ट लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना):

50. भूमि कटाव को रोकने के लिए सिवाना क्षेत्र के भाखरड़ा बैल्ट में चैकडैम, एनिकट, बांध निर्माण किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

51. हेमावास, जवाई बांध के अधिशेष पानी को सिवाना क्षेत्र तक दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

52. सिवाना क्षेत्र में सिंचाई के लिए पानी नगण्य हो गया है, वर्तमान में भूमिगत जल स्तर रसातल में चला गया है, इससे उत्पन्न विकट परिस्थिति को लेकर विशेष प्रबंधन किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

53. बाड़मेर, जैसलमेर जिले में गर्मी के दिनों में तेज हवा चलने से भूमि का अपरदन होता है, इसको बचाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

54. भूमि सुधार कार्यक्रम को नरेगा के साथ जोड़कर भूमि संरक्षण कार्य में व्यक्तिगत खेतों में कार्य करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री छगनसिंह (आहोर):

55. जवाई नदी में खड़े बबूल के पेड़ों को कटवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

56. भैंसवाड़ा डायवर्जन, जहां पर गादेन से वादनवाडी तक के लिए सुरक्षा दीवार के साथ आगे बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

57. मायलावास में एनिकट बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही):

58. पोचाल में लघु सिंचाई योजना स्वीकृत करने के बारे में चर्चा के लिये।

59. भेप में लघु सिंचाई योजना स्वीकृत करने के बारे में चर्चा के लिये।

60. जोयला में लघु सिंचाई योजना स्वीकृत करने के बारे में चर्चा के लिये।

61. आलपा में माइक्रो सिंचाई योजना स्वीकृत करने के बारे में चर्चा के लिये।

श्री रूपाराम (जैसलमेर):

62. राजस्थान राज्य में पारंपरिक जलस्रोतों, कुओं, बावड़ियां, तालाबों एवं बेरियों इत्यादि को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

63. विधान सभा क्षेत्र जैसलमेर में बरसाती पानी के संरक्षण हेतु नये उपायों की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

64. विधान सभा क्षेत्र जैसलमेर में पानी की कमी को देखते हुए फसलों के प्रकार एवं सिंचाई की पद्धति को तय करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

65. विधान सभा क्षेत्र जैसलमेर में भूमि के कटाव को देखते हुएसुधार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

66. विधान सभा क्षेत्र जैसलमेर में जलवायु को देखते हुए जैविक खेती, फलदार, इमारती लकड़ी, मेडिसनल प्लांट इत्यादि जल को बचाने हेतु चर्चा के लिये।

श्री लक्ष्मण मीणा (बस्सी):

67. विधान सभा क्षेत्र बस्सी में ड्रिप एवं फव्वारा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए सरकारी अनुदान में बढ़ोतरी के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़):

68. भूमि संरक्षण के कार्य हेतु मनरेगा के श्रमिकों को शामिल करने की नीति की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कन्हैया लाल (मालपुरा):

69. विधान सभा क्षेत्र मालपुरा की ग्राम पंचायत लावा के सभी तालाबों की मरम्मत एवं सुदृढ़ीकरण कार्य पर चर्चा के लिये।

70. विधान सभा क्षेत्र मालपुरा की ग्राम पंचायत कलमण्डा के तालाबों की मरम्मत एवं सुदृढ़ीकरण कार्य पर चर्चा के लिये।

71. ग्राम पंचायत लक्ष्मीपुरा (धाकड़ान) के तालाबों की मरम्मत एवं सुदृढ़ीकरण कार्य पर चर्चा के लिये।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन):

72. विधान सभा क्षेत्र केशोरायपाटन में स्थित खनन क्षेत्रों में वेस्ट पानी को एनिकट व बांध बनाकर रोकने व उस पर लघु सिंचाई परियोजना बनाकर किसानों को कृषि कार्य हेतु पानी उपलब्ध कराने व भूमि संरक्षण प्रदान करने पर चर्चा के लिये।

73. विधान सभा क्षेत्र केशोरायपाटन में स्थित मेज नदी पर छोटे-छोटे बांध बनवाकर सिंचाई हेतु लघु सिंचाई परियोजनाएं बनाकर भूमि संरक्षण का कार्य करने पर चर्चा के लिये।

74. विधान सभा क्षेत्र केशोरायपाटन में स्वीकृत लिफ्ट परियोजना का अधूरा कार्य शीघ्र पूर्ण कर कृषि हेतु सिंचाई का पानी उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

75. विधान सभा क्षेत्र केशोरायपाटन में स्थित मोतीपुरा बांध की मरम्मत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

76. विधान सभा क्षेत्र रामगंज मण्डी के निर्माणधीन तकली बांध मध्यम सिंचाई परियोजना का शेष कार्य शीघ्र पूर्ण करने एवं प्रभावित ग्रामीण किसान विस्थापितों के प्रत्येक परिवार को दस लाख अनुग्रह राशि देने पर चर्चा के लिये।

श्री छगनसिंह (आहोर):

77. बांध की वितरिकाओं को पक्का करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

78. बाकली बांध के किसानों के लिए वितरिका को पक्की नहर बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली):

79. पाली जिले की रोहट तहसील के गांव वायद के वायद बांध की दोनों दीवारों की ऊंचाई एक समान करने एवं इसके कैचमेंट के आये अवरोधों को हटवाने के संबंध में चर्चा के लिये।

80. पाली जिले की रोहट तहसील के गांव खाडी का तालाब, जिसकी क्षमता काफी अच्छी है एवं कुछ समय बाद पानी खारा होकर अनुपयोगी हो जाता है, इस पानी का उपयोग लघु सिंचाई हेतु करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

81. पाली जिले की रोहट तहसील के वर्षों से क्षतिग्रस्त एनिकट, खडीन, धोरे आदि की मरम्मत करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

82. पाली जिले की रोहट तहसील के गांव राणा का बड़ा तालाब जिसकी जल भराव क्षमता ज्यादा है, का उपयोग सिंचाई हेतु करने के लिये सर्वे कराकर नहरों का निर्माण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

83. पाली जिले की रोहट तहसील के गांव जैतपुर का लाम्बा बांध का पानी सिंचाई में कम और तबाही ज्यादा करता है। इस बांध में फाटक सिस्टम बनाकर इसके आगे के खेतों को पानी देने एवं बांध के कैचमेंट में आये पानी को समय पर खाली कर कैचमेंट में आई भूमि को भी खेती योग्य बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर):

84. विधान सभा क्षेत्र खींवसर की मृदा स्वास्थ्य के संबंध में आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

85. प्रदेश में भूमि की उर्वरकता को कम करने वाले विलायती बबूल एवं अन्य जंगली पौधों के संबंध में आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालोर):

86. विधान सभा क्षेत्र जालोर में बहने वाली जवाई आकोली नदी के दोनों किनारों पर आबादी एवं कृषि भूमि को सुरक्षित करने की दृष्टि से तटबंधों का निर्माण किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

87. ग्राम चवरछा की सीमा में बने छोटे बांध का खारा पानी जवाई नदी में छोड़े जाने के कारण आहोर से लेकर केशवणा तक के नलकूपों का पानी खारा होने के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री रूपा राम (मकराना):

88. प्रदेश में किसानों को खेती हेतु कुओं एवं ट्यूबवैलों पर सिंगल फेज विद्युत कनेक्शन देकर लघु सिंचाई को बढ़ावा देने के संबंध में चर्चा के लिये।

89. विधान सभा क्षेत्र मकराना में सिंचाई के लिए तालाबों के पाल (दीवार) निर्माण एवं जोहड़-पायतनों पर हो रहे अतिक्रमण को हटाने के संबंध में चर्चा के लिये।

90. विधान सभा क्षेत्र मकराना में भूमि संरक्षण कटाव को रोकने के लिए छोटे नदी-नालों पर एनिकटों का निर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री पुखराज (भोपालगढ़):

91. विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ़ में बरसाती पानी के कृषि योग्य भूमि के कटाव को रोकने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

92. विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ़ में बरसाती पानी को कृषक के खेत में संचित करने के संबंध में चर्चा के लिये।

93. विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ़ में बरसाती पानी के संरक्षण हेतु एनिकटों के निर्माण के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री रूपा राम (मकराना):

94. विधान सभा क्षेत्र मकराना के किसानों के खेतों में पूर्व निर्मित कुओं को गहरा करवाने पर अनुदान देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

95. प्रदेश में भूमि सुधार योजना में रासायनिक खाद को बंद कर देशी खाद (जैविक) का उपयोग किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर):

96. विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर के कुण्ड, तालाब के जीर्णोद्धार के संबंध में चर्चा के लिये।

97. विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर के तालाब एवं बावड़ियों के मरम्मत के संबंध में चर्चा के लिये।

98. विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर में एनिकटों के निर्माण के संबंध में चर्चा के लिये।

श्रीमती इन्दिरा देवी (मेड़ता):

99. विधान सभा क्षेत्र मेड़ता के किसानों के लघु सिंचाई के लिए स्वीकृत तलाई खुदाई की राशि समय पर नहीं जमा होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

100. प्रदेश में भूमि की उर्वरकता को कम करने वाले विलायती बबूल एवं अन्य जंगली पौधों से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिये।

101. विधान सभा क्षेत्र मेड़ता के किसानों के खेतों के मेड़बंदी करवाये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

102. विधान सभा क्षेत्र मेड़ता के ग्रामीण क्षेत्र में पुराने लघु बांधों की मरम्मत करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

103. विधान सभा क्षेत्र मेड़ता के ग्रामीण क्षेत्र में नये वाटर शैड बनाये जाकर स्वीकृत किये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री सुमित गोदारा (लूणकरणसर):

104. प्रदेश में भूमि सुधार योजना के तहत आर्गेनिक खाद का उपयोग किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

105. बीकानेर जिले में सिंचाई के लिए किसानों को अनुदान पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती संतोष (अनूपगढ़):

106. रावलामंडी तहसील की बार्डर क्षेत्र की काफी पंचायतों में लघु सिंचाई की योजना का लाभ नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

107. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ में भूमि संरक्षण में आ रही परेशानी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

108. घड़साना तहसील के 5 एमएलडी, 17 एमएलडी व 12 एमएलडी में भूमि कटाव ज्यादा होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

109. अनूपगढ तहसील के बार्डर क्षेत्र के रेतीले क्षेत्र में फव्वारा खेती की योजना का लाभ नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

110. प्रदेश में भूमि सुधार योजना के तहत आर्गेनिक खाद का उपयोग किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सुमित गोदारा (लूणकरणसर):

111. विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर में ड्रिप व स्प्रिंकलर सिस्टम से किसानों को प्रोत्साहन हेतु अनुदान बढ़ाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

112. विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर में सिंचाई के लिए तालाबों की सफाई, खुदाई एवं जोहड़ पायतन को पुन: शुरू करने के संबंध में चर्चा के लिये।

113. लघु सिंचाई परियोजना से फ्लड इर्रिगेशन नहीं कर भू-रीचार्ज कर पेयजल भू-जल से सिंचाई करने पर चर्चा के लिये।

श्री बिहारीलाल (नोखा):

114. जर्जर हो चुकी कृषि डिग्गी व जलहौज की रिपेयरिंग हेतु अनुदान एवं आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

115. वर्ष 2018-19 में निर्मित जलहौज, खेत-तलाई तथा डिग्गियों, फव्वारा तथा पाइप लाइन की बकाया देनदारी से निपटने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

116. मेड़बंदी हेतु 3 कृषकों के समूह के निर्माण की अनिवार्यता खतम करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जोराराम कुमावत (सुमेरपुर):

117. बूंद-बूंद सिंचाई पद्धति में पाइप लाइनों व अन्य सामग्री में सब्सिडी बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

118. किसानों को मजबूत करने हेतु कृषि कुओं के अनुरूप सिंचाई हेतु कृषि कनेक्शन 2018 तक देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

119. विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर के सभी किसानों को अपनी कृषि भूमि के मृदा कार्ड बनाने हेतु सरकार द्वारा कार्ययोजना बनाकर कैंप लगाकर बनवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

परिशिष्ट 4

मांग संख्या 46-सिंचाई पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 46-सिंचाई के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाये, इस आशय के प्रस्ताव निम्नांकित सदस्य प्रस्तुत करेंगे/करेंगी कि:-

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा):

1. विधान सभा क्षेत्र छबड़ा में सिंचाई के लिए ज्यादा से ज्यादा एनिकट बनाने की चर्चा के लिये।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़):

2. जिला हनुमानगढ़ एवं श्रीगंगानगर में पक्के खालों का निर्माण एवं वितरिका माइनरों की मरम्मत करवाये जाने पर चर्चा के लिये।

श्री संजय शर्मा (अलवर शहर):

3. ईस्टर्न कैनाल योजना को शीघ्र स्वीकृत कराने पर चर्चा के लिये।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द):

4. राजसमन्द जिले में सिंचाई विभाग में स्वीकृत पद खाली रहने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिये।
5. राजसमन्द बांध से निकल रही दायीं एवं बायीं कैनाल की 40 वर्षों से मरम्मत नहीं करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिये।
6. राजसमन्द की खारी फीडर को चौड़ी नहीं करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिये।
7. राजसमन्द की नंदसमंद एवं राजसमंद से निकलने वाली बड़ी एवं छोटी नहरों के सुदृढ़ीकरण की योजना नहीं बनाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।
8. राजसमन्द जिला डार्क जोन में होने से वहां पर जो भी तालाब या बांध उपलब्ध है, उनमें से निकल रही कच्ची नहरों को पक्की करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री बलवान पूनियां (भादरा):

9. भादरा के 14 बिरानी गांवों की बनी DPR के अनुसार नहर बनाने की योजना के संबंध में चर्चा के लिये।

10. सिद्धमुख नहर के बकाया खाला निर्माण के लिए राशि उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

11. नहरों के मोघा निर्माण हैडवर्क्स व मरम्मत के लिए राशि उपलब्ध कराये जाने पर चर्चा के लिये।

12. शेरड़ा, चनाण, नत्युवानिया, पालड़ी माइनर, गदरा माइनर, डोबी माइनर, सिद्धमुख वितरिका के पुनर्निर्माण व मरम्मत की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

13. सभी नहरों के हैडवर्क्स पर आटोमैटिक गेजरीडर लगाने तथा नहरों की साफ-सफाई की योजना बनाये जाने पर चर्चा के लिये।

श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (सांगोद):

14. भवरांसा बांध सिंचाई परियोजना के द्वितीय चरण का कार्य आरंभ करवाने के संबंध में चर्चा के लिये।

15. परवन सिंचाई प्रथम चरण के कार्य पूर्ण करने के बाद ही द्वितीय चरण के कार्य को प्रारम्भ करने पर चर्चा के लिये।

16. विधान सभा क्षेत्र सांगोद में समस्त पुराने एनिकटों की देखरेख करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

17. विधान सभा क्षेत्र सांगोद में कालीसिंध नदी पर धूलेट के यहां पुरानी रपट पर एनिकट बनाने पर चर्चा के लिये।

18. हरिशचन्द्र सागर सिंचाई परियोजना की नहरों की मरम्मत कराने पर चर्चा के लिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू):

19. यमुना जल समझौते के अनुसार चूरू जिले में सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध करवाये जाने पर चर्चा के लिये।

20. सरकार द्वारा घोषित कुम्भाराम लिफ्ट कैनाल में सिंचित क्षेत्र के विस्तार नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

21. इंदिरा गांधी नहर परियोजना में समझौते की अनुपालना में 0.6 MAF पानी पंजाब द्वारा उपलब्ध नहीं करवाये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिये।

सुश्री दिव्या मदेरणा (ओसियां):

22. विधान सभा क्षेत्र ओसियां में नई सिंचाई परियोजना के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री अशोक डोगरा (बूंदी):

23. ग्राम खडीवारा, ग्राम केसपुरा, ग्राम पंचायत खटकड़, ग्राम लोइली, ग्राम पंचायत अजेया, ग्राम वगली, ग्राम पंचायत रिहाणा, पंचायत समिति बून्दी को लिफ्ट योजना से जोड़े जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री जगदीश चन्द्र (सादुलशहर):

24. भाखड़ा सिंचाई परियोजना में राज्य के हिस्से का 1872 क्यूसेक्स पानी पूरा लिये जाने पर चर्चा के लिये।

श्री चेतन सिंह चौधरी (डीडवाना):

25. विधान सभा क्षेत्र डीडवाना में सिंचाई के संसाधनों की उपलब्धता के अभाव में उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू):

26. वृहत् सिंचाई परियोजना छापरवाड़ा बांध, कालख बांध का जीर्णोद्धार, आधुनीकरण तथा सुरक्षा संबंधी कार्य करवाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री सुरेश मोदी (नीमकाथाना):

27. नीमकाथाना क्षेत्र में सिंचाई व्यवस्था सुदृढ़ करने पर चर्चा के लिये।

श्री धर्मेन्द्र कुमार (पीलीबंगा):

28. इंदिरा गांधी नहर परियोजना भाखड़ा नहर, गंग कैनाल में पक्के खालों का निर्माण/पुन: निर्माण करवाने के संबंध में चर्चा के लिये।

29. सेम समस्या के निराकरण हेतु सेम नाले की सिल्ट सफाई करवाना, बडोपल 99 RD में स्थापित पम्पों से सेम निकासी हेतु समुचित व्यवस्था किये जाने पर चर्चा के लिये।

30. विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा के अन्तर्गत घग्घर नदी के मध्य काजवे का निर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सुभाष पूनिया (सूरजगढ़):

31. विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ में बरसात के पानी को रोकने, एनिकट बनवाने व उसका उपयोग सिंचाई के लिये किये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

32. विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ में सिंचाई संसाधन उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

33. चौधरी कुम्भाराम लिफ्ट नहर से गांवों को जोड़े जाने की डी.पी.आर. बनाकर लाभान्वित करने के संबंध में चर्चा के लिये।

34. सूरजगढ़ विधान सभा क्षेत्र के गांवों को राजस्थान वाटर सेक्टर रीस्ट्रक्चरिंग प्रोजेक्ट इन डेजर्ट एरिया से नहीं जोड़े जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर):

35. परवन वृहत् सिंचाई परियोजना में डैम व नहरों का समय सीमा में निर्माण पूर्ण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन):

36. मातृकुण्डिया बांध की मरम्मत के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध करवाने के संबंध में चर्चा के लिये।

37. मातृकुण्डिया बांध के पानी को मेजा बांध को नहीं देकर मेरे क्षेत्र के किसानों के लिए उपलब्ध करवाने पर चर्चा के लिये।

38. कपासन तालाब, भोपालसागर तालाब व धमाना तालाब को भरने वाली बनास नदी की फीडरों की मरम्मत पर चर्चा के लिये।

39. बड़गांव बांध की मुख्य नहर व वितरिकाओं की मरम्मत, भोपालसागर तालाब, कपासन तालाब तथा धमाना तालाब की मुख्य नहर व वितरिकाओं को पक्का बनाने व मरम्मत करने पर चर्चा के लिये।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी):

40. पार्वती नदी पर अटरू तहसील क्षेत्र में एक बांध बनाकर सिंचित क्षेत्र बढ़ाने के लिए चर्चा के लिये।

41. विधान सभा क्षेत्र रामगंज मण्डी में सिंचाई क्षेत्र नहीं बढ़ाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर):

42. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में सलूम्बर सैरिंग तालाब सहित सभी तालाबों का सुदृढ़ीकरण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

43. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में थूरघाटी (चावण्ड) से कातन बाड़ा, चावण्ड, लालपुरिया, डायली नहर का सुदृढ़ीकरण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

44. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में केजड बांध से कैनाल संख्या 4 को ढाकरडा, कोलर सुरखण्ड खेड़ा, काली घाटी बढ़ाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

45. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में हरचन्द से नावड़ा तक नहरों का निर्माण तथा अदवास से जावद नईकर से भाल तक कैनाल निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

46. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में जयसमन्द झील से निकलने वाली नहरों का सुदृढ़ीकरण, मुख्य नहरें, वृहत् नहरें, छोटी नहरें, धोरे, साइड पटरी पुलिया आदि का कार्य घटिया होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री प्रताप लाल भील (गमेती) (गोगुन्दा):

47. सुखेर, बुझ का नाका, अन्य तालाबों के नहरों को सुधारने हेतु चर्चा के लिये।

48. अमर चन्दीया तालाब की पाल का लीकेज ठीक करने हेतु चर्चा के लिये।

49. काली बोर बांध से पिपला, रिवडिया नहरों का कार्य जल्द कराने पर चर्चा के लिये।

50. मदार तालाब के सिंचाई हेतु नहर का सुधार करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री लाखन सिंह (करौली):

51. करौली जिले में भद्रावती नदी जो पूर्व में बारहमासी थी, उसके पुनर्जीवन हेतु कार्ययोजना बनाकर कार्य करने के संबंध में चर्चा के लिये।

52. पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ERCP) के Alignment पर संशोधन पर चर्चा के लिये।

श्री पदमाराम (चौहटन):

53. नर्मदा नहर से वंचित विधान सभा क्षेत्र चौहटन के किसानों को सिंचित क्षेत्र में शामिल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा):

54. देवली, गाडरमाला अधूरी फीडर का कार्य पूर्ण कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री रामलाल मीणा (प्रतापगढ़):

55. प्रतापगढ़ जिले में पूर्व में बने बांधों की कच्ची नहरों को पक्का बनाने पर चर्चा के लिये।

श्री जब्बर सिंह सांखला (आसीन्द):

56. विधान सभा क्षेत्र आसीन्द के खारी बांध पर सिंचाई विभाग का डाक बंगला (गेस्ट हाउस) पूरी तरह से जीर्ण-शीर्ण व टूटा हुआ है के स्थान पर नवीन भवन बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

57. विधान सभा क्षेत्र आसीन्द के सिंचाई के स्रोत खारी बांध की नहरों की मरम्मत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

58. विधान सभा क्षेत्र आसीन्द में बदनोर उपखण्ड में भोजपुरा फीडर के शेष कार्य को शीघ्र पूर्ण करवाकर क्षेत्र के गांवों को राहत प्रदान करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़):

59. चित्तौड़गढ़ में महत्वाकांक्षी सांकेड़ा बांध के रुके हुए कार्य को जल्द पूरा कर किसानों को राहत दिलाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्रीमती कृष्णा पूनियॉ (सादुलपुर):

60. सिद्धमुख कैनाल से मिलने वाले पानी की चोरी रोकने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री अमीन खां (शिव):

61. जिला जैसलमेर की सुथार मंडी 16 बीडी खालों को पक्का बनाने पर चर्चा के लिये।

62. इन्दिरा गांधी नहर को बाड़मेर जिले की गडरा रोड तहसील में लाने पर चर्चा के लिये।

श्री गोपी चन्द मीणा (जहाजपुर):

63. सिंचाई विभाग के बांधों की नहर का निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

64. लुहारी कला छगा का झौपड़ा बांध की मरम्मत तथा भैरू सागर (मैड़िया) बांध की नहर स्वीकृत करने पर चर्चा के लिये।

65. मेज नदी शक्करगढ़ के ऊपर एनिकट निर्माण करवाकर पानी को सिंचाई हेतु बनास नदी में डालने पर चर्चा के लिये।

66. देवा की झोपड़िया तथा रजवाज व गेस्ठा के बीच एनिकटों का निर्माण करवाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री खुशवीरसिंह (मारवाड जंक्शन):

67. पाली जिले में सिंचाई हेतु चम्बल नदी के अतिरिक्त पानी को भीलवाड़ा, देवगढ़ से राष्ट्रीय राजमार्ग-8 की डी.पी.आर. बनाने की मांग पर चर्चा के लिये।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण):

68. विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण की ग्राम पंचायत डूणा के तालाब की खराब पड़ी नहरों को ठीक करवाकर पुन: चालू करवाकर जनजाति परिवारों को राहत प्रदान करने के संबंध में चर्चा के लिये।

69. उदयपुर ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत बारां में तालाब से सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध करवाने पर चर्चा के लिये।

70. विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में जितने भी एनिकट हैं, को ठीक करवाकर सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध करवाने पर चर्चा के लिये।

71. विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में पानी का लेवल बढ़ाने की कार्ययोजना पर चर्चा के लिये।

श्री गजेन्द्र सिंह शक्तावत (वल्लभनगर):

72. विधान सभा क्षेत्र वल्लभनगर के ग्राम मोडी, बाठेडा, अडिन्दा, बाठेड़ाखुर्द खरसामण, खेरोदा व अमरपुरा के उदयसागर बांध में सिंचाई का पानी उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

73. वाना व मेनार बांध का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अविनाश (जैतारण):

74. प्रदेश में नदियों को नदियों से जोड़कर किसानों को फसलों की सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

75. जैतारण में उपखण्ड मुख्यालय पर पंचायत समिति में सिंचाई कार्यालय का भवन बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

76. प्रदेश के किसानों को बूंद-बूंद, फव्वारा योजना, नहरों के माध्यम से, सौर ऊर्जा के माध्यम से सिंचाई के लिए विशेष छूट प्रदान करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

77. कृषकों की कृषि भूमि पर सिंचाई हेतु पूर्व में स्थित कुओं को खुदाई एवं बोरिंग द्वारा गहरा करवाने पर ऋण उपलब्ध करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

78. ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई के समय विद्युत आपूर्ति अपर्याप्त एवं असामयिक होने से उत्पन्न स्थिति पर काबू पाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर):

79. ब्यावर क्षेत्र की राताभाटा नहर का कार्य शीघ्र पूर्ण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कन्हैया लाल (मालपुरा):

80. विधान सभा क्षेत्र मालपुरा की ग्राम पंचायत मोरला, बागडी (रोज्या खाल), मोतीपुरा (भोपत्या खाल), बावड़ी (सोडा बावड़ी) (मासी नदी पहले खाल में), नमूकिया (टोरडी सागर बांध की चादर के नाले में) में एनिकट निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

81. बीसलपुर बांध की भराव क्षमता में वृद्धि करने की कार्ययोजना को अमल में लाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

82. विधान सभा क्षेत्र मालपुरा की क्षतिग्रस्त नहरों एवं एनिकटों की मरम्मत करवाये जाने पर चर्चा के लिये।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण):

83. अजमेर की आनासागर झील से निकलने वाले एस्कैप चैनल के रखरखाव की आवश्यक व्यवस्था किये जाने पर चर्चा के लिये।

84. अजमेर के धोलाभाटा क्षेत्र में स्थित रामदेव मन्दिर के पहाड़ों से आने वाले बारिश के पानी को रोकने हेतु एनीकट निर्माण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

85. बीसलपुर बांध के ओवरफ्लो होने पर छोड़े जाने वाले पानी को व्यर्थ बहने से बचाने के लिये बांध की भराव क्षमता बढ़ाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर):

86. टाटगढ़ उपखण्ड में आने वाले कोटा बांध के जीर्णोद्धार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

87. विधान सभा क्षेत्र ब्यावर की सुरेद्वारा फीडर के निर्माण की वित्तीय स्वीकृति जारी किये जाने पर चर्चा के लिये।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा):

88. विधान सभा क्षेत्र पचपदरा में लूणी नदी के पानी एवं बरसाती पानी के संरक्षण हेतु पहाड़ी क्षेत्र में बांध बनाकर सिंचाई हेतु उपयोग करने पर चर्चा के लिये।

89. नर्मदा नहर परियोजना का विस्तार कर डबल क्राप क्षेत्र तहसील सिवाना एवं पचपदरा के किसानों को सिंचाई हेतु जल उपलब्ध करवाने पर चर्चा के लिये।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा):

90. धौलपुर लिफ्ट योजना को समय पर पूर्ण करवाने हेतु कार्ययोजना बनाने की चर्चा के लिये।

श्री धर्मनारायण जोशी (मावली):

91. मावली के नाथेला व हेमसागर तालाब सहित सभी तालाबों की पाल का सुदृढ़ीकरण व सौंदर्यीकरण के संबंध में चर्चा के लिये।

92. माही बांध से पानी मावली व वल्लभनगर तहसीलों में लाने की डी.पी.आर. बनाने को मंजूरी देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

93. उदयसागर की नहर से जुड़ी कच्ची वितरिकाओं को पक्का कराने पर चर्चा के लिये।

94. बडगांव, बागोलिया सहित मावली तहसील के बांधों व तालाबों पर निर्माण व रखरखाव पर हुए व्यय के संबंध में चर्चा के लिये।

95. उदयसागर से बागोलिया बांध भरने की बनी डी.पी.आर. को स्वीकृत करने पर चर्चा के लिये।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा):

96. विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा के जसवन्तपुरा उपखण्ड में वन क्षेत्र के समीप स्थित गांवों में सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध कराने के लिए वन क्षेत्र में एनिकट निर्माण की स्वीकृति दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

97. जालौर जिले में जल संसाधन विभाग के रिक्त पदों को शीघ्र भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

98. विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा के वणधर बांध में नर्मदा का पानी लाकर सिंचाई हेतु किसानों को उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

99. विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा के क्षतिग्रस्त बांध राजीकावास की मरम्मत/ जीर्णोद्धार कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

100. विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा के गांवों को नर्मदा का पानी सिंचाई हेतु उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हरेन्द्र निनामा (घाटोल):

101. माही डैम से हाई लेवल कैनाल पीपलखूंट क्षेत्र में निकालने पर चर्चा के लिये।

श्री लाखन सिंह (करौली):

102. करौली जिले में गंभीर नदी पर करकड़-खण्डीय के पास क्षतिग्रस्त एनिकट का पुन: निर्माण करवाने पर चर्चा के लिये।

श्री ओम प्रकाश हुड़ला (महवा):

103. विधान सभा क्षेत्र महवा के हुड़ला, कोट, महवा और रौतहडिया के बांधों में पानी की आवक हेतु नहरों का निर्माण करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (झुंझुनूं):

104. यमुना जल में राजस्थान के हिस्से के पानी को झुंझुनूं एवं चूरू जिले में लाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गोपाल लाल मीना (जमवारामगढ़):

105. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ के जमवारामगढ़ बांध में पानी लाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना):

106. गांव सिणेर, नाल, धारणा, कुण्डल गांवों की पहाड़ियों से निकलने वाले व्यर्थ पानी को रोककर एनिकट-चैकडैम बांध का निर्माण किया जाकर सिंचाई की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

107. विधान सभा क्षेत्र सिवाना में जल संरक्षण के लिये पूर्व में D.P.R. एवं स्वीकृत कार्यों को नहीं करवाये जाने पर चर्चा के लिये।

108. नर्मदा नहर का पानी बाड़मेर जिले के कुछ हिस्से को सिंचाई के लिए

दिया जा रहा है, उसी को आगे बढ़ाकर सिणधरी क्षेत्र तक पानी दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

109. सिवाना का नानेरी बांध जिसमें कंटीली झाड़िया एवं रेत भराव से क्षमता कम हो रही है, इसमें कार्य करवाकर वापस वही स्वरूप दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

110. पाली जिले में सिंचाई विभाग द्वारा निर्मित नेहड़ा बांध की वर्तमान स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री गोविन्द प्रसाद (मनोहर थाना):

111. गुलेण्डी बांध की ल्हापसिया नहर से माइनर द्वारा दुंधलिया वाया रानीपुरा ल्हासी गांव तक पानी पहुंचाये जाने की आवश्यक्कता पर चर्चा के लिये।

112. कालीखाड़ बांध की नहरों को ठीकरिया रिछड़ी से आगे पट्टी समरोल तक बढ़ाकर सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

113. गुलेण्डी बांध से ल्हापसिया से मोठ का माल ल्हास तक नयी नहर का निर्माण करवाये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री जितेन्द्र सिंह (खेतड़ी):

114. खेतड़ी-झुंझुनूंमें स्टेट टाइप के बांधों का जीर्णोद्धार एवं यमुना नहर को खेतड़ी झुंझुनूं सेजोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री छगनसिंह (आहोर):

115. कटकेश्वर महादेव के टूटे एनिकट का पुन: निर्माण पर चर्चा के लिये।

116. बांकली बांध की वितरिकाओं को पक्का निर्माण करवाकर सेम समस्या से निजात पाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

117. जवाई बांध सिंचाई योजना के Tail (पूंछ) क्षेत्र के लिए पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करवाने के संबंध में चर्चा के लिये।

118. जवाई बांध सिंचाई परियोजना से आहोर तहसील के अन्य गांवों को भी जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

119. जवाई बांध पुनर्भरण की योजना लागू करने पर चर्चा के लिये।

श्री ललित कुमार ओस्तवाल (बड़ी सादड़ी):

120. बागन बांध डूंगला से निकलने वाली दोनों नहरों की पूर्ण मरम्मत करने के संबंध में चर्चा के लिये।

121. पंचायत समिति डूंगला स्थित शनिदेव एनिकट को पूर्ण कर रपट व पाल ऊंची कराने पर चर्चा के लिये।

122. विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी के उमरीया नाला पर रतीचन्द जी का खेडा में नया तालाब निर्माण करने पर चर्चा के लिये।

123. कूड़ीया बांध नारायणखेड़ा पंचायत समिति धमोतर के पास नये बांध निर्माण करने पर चर्चा के लिये।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही):

124. बत्तीसा नाला सिंचाई परियोजना का काम ठप होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिये।

125. जवाई बांध से शिवगंज तहसील के 11 गांवों के सर्वे के अनुसार सिंचाई योजना स्वीकृत करने के संबंध में चर्चा के लिये।

126. जवाई पुनर्भरण योजना स्वीकृत कर एक हजार एम.सी.एफटी. पानी सिरोही जिले को देने के बारे में चर्चा के लिये।

127. माही ब्यास का सरप्लस पानी सिंचाई हेतु सिरोही जिले को देने के संबंध में चर्चा के लिये।

128. नर्मदा का पानी सिरोही जिले को सिंचाई हेतु देने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री रूपाराम (जैसलमेर):

129. जैसलमेर जिले में नलकूपों के पानी से हो रही खेती में सुधार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

130. जैसलमेर जिले में व्यर्थ बह रहे बरसाती पानी को रोकने पर चर्चा के लिये।

131. जैसलमेर जिले में सिंचाई हेतु इन्दिरा गांधी नहर की प्रणाली में हो रही छीजत को कम करने हेतु नए उपायों पर चर्चा के लिये।

132. जैसलमेर जिले हेतु इन्दिरा गांधी नहर से आबंटित जल कम मात्रा में मिलने से किसानों को हो रही परेशानी पर चर्चा के लिये।

श्री लक्ष्मण मीणा (बस्सी):

133. विधान सभा क्षेत्र बस्सी में सिंचाई का क्षेत्र बढ़ाने हेतु पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को स्वीकृत करवाकर क्रियान्विति करने के संबंध में चर्चा के लिये।

134. विधान सभा क्षेत्र बस्सी के सभी बड़े तालाबों तथा एनिकटों की मरम्मत तथा रखरखाव का कार्य सिंचाई विभाग को देकर सिंचाई का क्षेत्र बढ़ाने पर चर्चा के लिये।

135. विधान सभा क्षेत्र बस्सी में स्थित सिंचाई के बांध कानोता दूबली, पाटन तथा दामोदरबास की मरम्मत तथा इनके बहाव क्षेत्र के अतिक्रमण को हटाने पर चर्चा के लिये।

श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़):

136. विधान सभा क्षेत्र श्रीडूंगरगढ़ के गांवों में सिंचाई के लिए कंवरसेन लिफ्ट से पानी लेकर गांवों में सिंचाई की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कन्हैया लाल (मालपुरा):

137. विधान सभा क्षेत्र लाडपुरा (कोटा) में सिंचाई विभाग से निर्मित एनिकटों के मरम्मत कार्य करवाने के संबंध में चर्चा के लिये।

138. बीसलपुर बांध के ओवरफ्लो पानी को टोरडीसागर व अन्य बांधों में डलवाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन):

139. कोटा संभाग में नहरों, माइनरों, डिस्ट्रीबूटरी आदि को पक्का सी.सी. का करने एवं साफ-सफाई करवाने की कार्ययोजना पर चर्चा के लिये।

140. कोटा बैराज में प्रारम्भ होने वाली दायीं व बायीं नहरों का पानी टेल क्षेत्रों तक पहुंचाने पर चर्चा के लिये।

141. बून्दी व कोटा जिलों में स्थित दायीं व बायीं मुख्य नहरों को पूर्ण रूप से पक्का सी.सी. गिट्टी सीमेन्ट से कर पानी की छीजत को रोकने पर चर्चा के लिये।

142. विधान सभा क्षेत्र केशोरायपाटन से पूर्व में स्वीकृत सिंचाई परियोजना का कार्य शीघ्र पूर्ण कर किसानों को कृषि में सिंचाई का पानी उपलब्ध कराने पर चर्चा के लिये।

143. विधान सभा क्षेत्र केशोरायपाटन में स्थित मेज नदी व अन्य छोटे-छोटे बरसाती नालों पर क्षमता अनुसार एनीकटों का निर्माण कर सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध कराने पर चर्चा के लिये।

श्री गोविंद राम (खाजूवाला):

144. खाजूवाला नहरों के टेल पर होने के कारण सिंचाई का पूरा पानी नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़):

145. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में यमुना से नहर द्वारा सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री अमित चाचाण (नोहर):

146. सिंचाई हेतु हरियाणा से प्राप्त होने वाले 850 क्यूसेक्स पानी से कम मिलने से सिद्धमुख बांध, अमरसिंह बांध व नोहर फीडर में प्रवाह नहीं बनने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

147. सिद्धमुख नहर परियोजना की रसलाना वितरिका, अमरसिंह ब्रान्च एवं नोहर फीडर नहरों की मरम्मत एवं सफाई करवाने पर चर्चा के लिये।

148. साहवा लिफ्ट नहर के अन्तर्गत सूई ब्रान्च सिस्टम का निर्माण पूर्ण करवाकर सिंचाई सुविधा से वंचित हनुमानगढ़, चूरू व बीकानेर जिले के 44 गांवों को सिंचाई पानी दिलवाने के संबंध में चर्चा के लिये।

149. नोहर-भादरा के असिंचित 29 गांव क्षेत्र को सिंचित करने हेतु पुन: DPR बनाने पर चर्चा के लिये।

150. सिद्धमुख नहर परियोजना के रसलाना वितरिका में पानी चोरी को रोकने में नाकाम लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही व पानी चोरी रोकने में सख्त नियमों के बनाने पर चर्चा के लिये।

श्री गुरदीप सिंह (संगरिया):

151. संगरिया में सिंचाई विभाग की कालोनी की 15-20 बीघा जमीन को वाटर वर्क्स की नई योजना को सुचारु रूप से चलाये जाने हेतु आबंटित करने पर चर्चा के लिये।

152. राजस्थान सिंचाई तथा जल निकास अधिनियम-1955 के नियम-11 में विद्यमान उप नियम (2) (3) और (4) में राज्य सरकार द्वारा दिनांक 17 मई, 2010 को जारी की गई अधिसूचना के संबंध में चर्चा के लिये।

153. भाखड़ा व इंदिरा गांधी नहर के अंतर्गत आने वाले चकों के अन्दर पक्के खालों का निर्माण करने पर चर्चा के लिये।

154. घग्घर नदी के अन्दर भूमिगत पानी के लिए हरियाणा और ओटू डैम की तर्ज पर डैम बनाने अथवा बोरवेल करके पानी का लेवल ऊंचा करने पर चर्चा के लिये।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी):

155. रामगंज मण्डी तहसील क्षेत्र में बह रही नदियों नालों पर बरसाती पानी को रोकने हेतु एनिकट बनाने पर चर्चा के लिये।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली):

156. पाली के खारडा बांध जो सामान्य वर्षा में भी पूर्णतया भर जाता है, की ऊंचाई एवं भराव क्षमता बढाने पर चर्चा के लिये।

157. पाली के हेमावास बांध की ऊंचाई बढाने एवं जल भराव क्षमता को बढ़ाने पर चर्चा के लिये।

158. पाली के सरदार समंद बांध के कैचमेंट में किये गये निर्माण कार्य जो पानी की आवक में बाधा उत्पन्न कर रहे है, पर चर्चा के लिये।

159. विधान सभा क्षेत्र पाली के रोहट गांव के पास की रेडिया नदी के व्यर्थ बहने वाले पानी के डायवर्जन कर उपयोग में लेने के संबंध में चर्चा के लिये।

160. पाली शहर स्थित लोडिया बांध के कमांड क्षेत्र की बहुत बड़ी भूमि में बसी आवासीय बस्तियों के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालोर):

161. जवाई पुनर्भरण योजना को लागू करने में सरकारी असमर्थता के कारण उत्पन्न व्यापक जन असंतोष के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा):

162. जयपुर जिले के कालख बांध में पानी की आवक बढ़ाने पर चर्चा के लिये।

163. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा की ग्राम पंचायत नरैना तथा चैनपुरा के तालाबों से सिंचाई का सम्पूर्ण अधिकार क्षेत्र ग्राम पंचायतों को देने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर):

164. अजमेर की फायसागर झील में पानी की आवक के रास्तों से अतिक्रमण हटाए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

165. प्रदेश में बूंद-बूंद सिंचाई सिस्टम को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

166. प्रदेश में खेत का बरसाती पानी खेत में संग्रहित कर सिंचाई में उपयोग करने की पद्धति को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

167. प्रदेश में विलुप्त होती जा रही नदी/नहरों को पुन: जीवंत कर उनका पानी सिंचाई में काम लेने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री पुखराज (भोपालगढ़):

168. विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ़ में बरसाती पानी का संरक्षण कर बांध बनाने एवं सिंचाई हेतु उपयोग में लेने पर चर्चा के लिये।

169. विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ़ के भू-गर्भ में पानी की मात्रा कम होने से सिंचाई हेतु नहरी परियोजना से पानी पहुंचाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री रूपा राम (मकराना):

170. विधान सभा क्षेत्र मकराना में बरसात का पानी रोकने बाबत पूर्व निर्मित एनिकटों की मरम्मत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

171. विधान सभा क्षेत्र मकराना में ग्रामीण क्षेत्र में जल हौज निर्माण के संबंध में चर्चा के लिये।

172. विधान सभा क्षेत्र मकराना, परबतसर, नावां, डीडवाना में पुराने समय में जल संरक्षण हेतु बावड़ियों, कुओं और तालाबों को संरक्षित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

173. विधान सभा क्षेत्र परबतसर में अरावली पर्वतमाला के फिजूल में बहने वाले पानी को रोककर खारिया तालाब पर एक बड़ा बांध बनाकर सिंचाई हेतु काम लेने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती संतोष (अनूपगढ़):

174. IGNP के काश्तकारों को एक सिंचाई हेतु अतिरिक्त पानी नहीं देने से फसल खराब होने की स्थिति के संबंध में चर्चा के लिये।

175. इंदिरा गांधी नहर परियोजना की नहरों में फसल चक्र के अनुसार चार में से दो ग्रुप का रेगुलेशन नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिये।

176. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ के कच्चे खालों को पक्के बनाने के संबंध में काश्तकारों को हो रही परेशानी के संबंध में चर्चा के लिये।

177. इंदिरा गांधी नहर की प्रस्तावित 70 दिन की नहरबंदी को 40 दिन की नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिये।

178. अनूपगढ़ शाखा के जीर्णोद्धार का कार्य सही नहीं होने से काश्तकारों में रोष होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर):

179. जयपुर में स्थित रामगढ़ बांध के पुन: उत्थान के संबंध में चर्चा के लिये।

श्रीमती इन्द्रा (बामनवास):

180. विधान सभा क्षेत्र बामनवास में मौरैल डैम से सिंचाई हेतु नई नहरों का निर्माण करवाये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

181. विधान सभा क्षेत्र बामनवास में नए एनिकट बनाकर सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री सुरेश सिंह रावत (पुष्कर):

182. अजमेर जिले के किसानों को इंदिरा गांधी नहर परियोजना से जोड़कर सिंचाई के लिए पानी देने के संबंध में चर्चा के लिये।

183. पवित्र सरोवर पुष्कर में इंदिरा गांधी नहर का पानी छोड़ने की जरूरत पर चर्चा के लिये।

184. अजमेर जिले के सूखे पड़े बांधों को भरने के लिए बीसलपुर बांध का ओवरफ्लो पानी इन बांधों में छोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

185. अजमेर जिले के सभी बांधों के जीर्णोद्धार के साथ ही बांधों की खुदाई की आवश्यकता के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर):

186. विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर के किसानों को खुशहाल करने के लिए नदियों से जोड़े जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

187. विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर में बन रही पानी के अकाल की समस्या से निपटने के लिए सिंचाई से जोड़े जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

188. विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर में वृहत् चम्बल योजना जिसकी D.P.R. बन गयी थी, उसको चालू करवाने के संबंध में चर्चा के लिये।

189. विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर को नदियों से जोड़े जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री हरीश चन्द्र मीना (देवली-उनियारा):

190. विधान सभा क्षेत्र देवली-उनियारा में नहरों से वंचित ग्रामों में नवीन नहरों के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

191. विधान सभा क्षेत्र देवली-उनियारा में नहरों के पानी को उपयुक्त समय पर टेल तक पहुंचानेके लिए उपाय करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती सूर्यकांता व्यास (सूरसागर):

192. पड़ौसी राज्यों से हुए समझौतों के अनुरूप प्रदेश के हिस्से का पूर्ण जल प्राप्त करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

193. प्रदेश में सौर ऊर्जा के पम्पों द्वारा बूंद-बूंद सिंचाई पद्धति को प्रदेश के सिंचित क्षेत्रों में अनिवार्यता से लागू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

194. प्रदेश में वर्षा जल संरक्षण हेतु अभियानपूर्वक कार्य करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

195. जोधपुर की लूणी नदी के पुन: उत्थान की कार्ययोजना लागू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

196. प्रदेश के सभी सरकारी भवनों में वर्षा जल पुनर्भरण संरचना का निर्माण अनिवार्यता से करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सतीश पूनियां (आमेर):

197. विधान सभा क्षेत्र आमेर के समस्त कृषकों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

198. बांडी नदी को यमुना नदी से जोड़े जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

199. पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को शीघ्र स्वीकृत करवाये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्रीमती इन्दिरा देवी (मेड़ता):

200. प्रदेश में किसानों को सिंचाई हेतु कुएं व ट्यूबवैल के कृषि कनेक्शन एवं बिजली मुफ्त दिये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री सुमित गोदारा (लूणकरणसर):

201. विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर में काश्तकारों के चकों में कच्चे खालों को पक्का करने के संबंध में चर्चा के लिये।

202. विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर में कंवरसेन लिफ्ट कैनाल की मरम्मत कराये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

203. विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर के बंधा माइनर की मरम्मत कराने व माइनर व उसके खालों का कार्य पूर्ण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

204. विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर के अनेक गांवों को लाभ देने के लिए सूई माइनर का कार्य प्रारम्भ कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

205. विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर के कंवरसेन लिफ्ट कैनाल व खालों से सेलर नहीं निकालने से टेल के किसानों को पूरा पानी नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्रीमती जाहिदा खान (कामां):

206. पड़ौसी राज्य से हुए समझौते के अनुसार सिंचाई हेतु पानी की पूरी मात्रा लेने के संबंध में चर्चा के लिये।

207. विधान सभा क्षेत्र कामां की पहाड़ी डिस्ट्रीब्यूटरी व गुड़गांव कैनाल को सीकरी बांध तक बढ़ाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री रामस्वरूप लाम्बा (नसीराबाद):

208. विधान सभा क्षेत्र नसीराबाद के एनिकट एवं बांधों की मरम्मत एवं नवीनीकरण कार्य कराये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

209. गोविन्दगढ़ बांध के भर जाने पर किसानों को सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध कराये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री बिहारीलाल (नोखा):

210. इंदिरा गांधी नहर फीडर की 18500 क्यूसेक्स क्षमता है परन्तु वर्ष 1955 में पंजाब ने छलपूर्वक गेटों का निर्माण 15000 क्यूसेक्स क्षमता का किया, शेष 3500 क्यूसेक्स के लिए जनवरी, 2011 में राजस्थान विधान सभा की जन लेखा समिति के साथ हुई वार्ता के बाद बीबीएमबी ने हरिके पर गुरुद्वारे से पूर्व में गेट एवं लिंक नहर बनाकर इंदिरा गांधी फीडर से शीघ्र जोड़ने का वादा किया था जो अभी तक पूरा नहीं किया गया है। नहरबंदी के समय हरिके का पोंड लेवल कम करना ही होगा, उस समय बीबीएमबी को 3500 क्यूसेक्स का नया लंबित गेट बनवाने हेतु पाबंद किये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

211. भाखड़ा ब्यास प्रबंधन निगम इन तीनों नदियों (रावी, व्यास व सतलुज) से प्राप्त पानी व पानी का वितरण, प्रबंधन, रखरखाव ये समस्त कार्य इसी निगम के पास हैं, लेकिन पंजाब सरकार ने आज तक माधोपुर, रोपड़ हरिके एवं फिरोजपुर हैडवर्क्स का नियंत्रण भाखड़ा ब्यास प्रबंधन निगम को नहीं सौंपा है, जो कि गैर कानूनी है, जबकि पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 अनुच्छेद 79 के प्रावधान के अन्तर्गत इन चारों हैडवर्क्स का नियंत्रण इसी निगम के पास होना चाहिए, पर चर्चा के लिये।

212. री-मोडलिंग कर इन्दिरा गांधी फीडर को 20000 क्यूसेक्स का बनवाया जाए तथा हरिके पर नया गेट 5000 क्यूसेक्स का बनवाया जाए ताकि बरसात में फालतू पानी जो पाकिस्तान चला जाता है, को रोककर फीडर में डाला जा सके ताकि राजस्थान के एस्केप, घग्घर, सूरतगढ़ शाखा एवं अनूपगढ़ शाखा में पानी का सदुपयोग हो सके, पर चर्चा के लिये।

213. बीबीएमबी को 3500 क्यूसेक्स का नया लंबित गेट बनवाने हेतु पाबंद किया जाए और इस पानी को भूमिगत पाइपलाइन द्वारा राजस्थान लाने की योजना बनाना सुनिश्चित किये जाने पर चर्चा के लिये।

214. नहर बंदी से पहले खाजूवाला में एक बड़ा जलस्रोत शीघ्र बनवाये जाने पर चर्चा के लिये।

श्री जोराराम कुमावत (सुमेरपुर):

215. विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर में जवाई बांध के कमाण्ड क्षेत्र में किसानों के खेतों तक जाने वाले कच्चे खालियों को पक्का करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

216. विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर के कमाण्ड क्षेत्र में सम्पूर्ण किसानों को सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध कराने के लिए जवाई पुनर्भरण योजना को स्वीकृत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

217. विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर के बाणियावास बांध की नहरों का अधूरा कार्य शीघ्र पूर्ण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

218. विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर में ढारिया बांध से कमाण्ड एरिया बढ़ाकर खौड, जेतपुरा, डिंगाई, कल्याणपुरा के किसानों को सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

219. विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर में जवाई बांध का पानी गेज मेन्टेन करने हेतु सिन्दरू बांध में डालते हैं, सिन्दरू बांध लीकेज बांध है व बांध के भराव क्षेत्र में किसानों के खातेदारी खेत हैं। अत: जवाई बांध का पानी सिन्दरू बांध में नहीं भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री वाजिब अली (नगर):

220. विधान सभा क्षेत्र नगर के सीकरी बांध का पानी रूपारेल नदी से नहीं मिलने के संबंध में चर्चा के लिये।

221. विधान सभा क्षेत्र नगर में गुड़गांव कैनाल का पानी सीकरी बांध में डालने की आवश्यकता के संबंध में चर्चा के लिये।

परिशिष्ट-5

अनुदान की मांग संख्या 27-पेयजल मांग संख्या 38-लघु सिंचाई एवं भूमि संरक्षण तथा मांग संख्या 46-सिंचाई पर माननीय सदस्यों के सदन पटल पर रखे गये लिखित वक्तव्य

श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर)

खानपुर विधान सभा क्षेत्र में पूर्व सरकार के मंत्री द्वारा काली सिंध नदी में राजपुरा के पास 6 करोड़ का एनिकट बनाने की घोषणा की थी वर्तमान में क्या स्थिति है?

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़)

1. माननीय अध्यक्ष महोदय, साखेडा बांध का काम बन्द पड़ा है। उसको चालू कराएं। चित्तौड़गढ़ तहसील में है।

2. चित्तौड पं.स. में 11 पंचायतें सतपुड़ा, घोसूण्डा, तूम्ड़ीया, नेतावल, महाराज, भाडून्द, कश्मोर, नारेजा पाण्डोली, बड़ोदिया, रोजाहैड़ा, धनेत इन पंचायतों को घोसूण्डा बांध से पानी दिया जाए।

श्री राजकुमार रोत (चौरासी)

1. चौरासी विधान सभा क्षेत्र में सभी छात्रावासों व विद्यालयों में पीएचईडी व टीएडी की संयुक्त योजना बनाकर सोलर पावर प्लांट वाला शुद्ध पानी उपलब्ध करवाया जाए।

2. कालुसैडा बांध की वित्तीय स्वीकृति निकलने के बावजूद कार्य नहीं करवाया जा रहा है, इस कार्य को शीघ्र शुरू करवाएं।

3. चौरासी विधान सभा में घोड़ियों का नाका बांध की नहरों का जीर्णोद्धार करवाया जाए।

4. भैका नाका बांध की नहरों के कार्य में हो रही घटिया सामग्री का उपयोग।

5. डिमिया बांध में माण्डेला व चखर चुणिया ग्राम पंचायतों को लिफ्ट द्वारा सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध करवायें।

6. कडाणा बैक वाटर से गैजी घाटा तक भील प्रदेश पेयजल परियोजना बनाने का कार्य करवायें। इस परियोजना से दो विधान सभा के लोगों का फायदा होगा।

श्री जोगिन्दर सिंह अवाना (नदबई)

सिंचाई विभाग

1. वर्तमान सरकार द्वारा कृषि विभाग के लिए कुल 3420 करोड़ 6 लाख रुपये का प्रावधान किया है।

2. वर्तमान सरकार के कार्यकाल में कृषि के लिए भूमिगत जल स्तर को बढ़ाने के लिए वर्षा जल को संग्रहित कर सिंचित क्षेत्र को बढ़ाने के लिए 12500 फार्म पौण्डों का निर्माण करवाया जायेगा। इस पर 150 करोड़ रुपये का व्यय किया जायेगा।

3. वर्तमान सरकार द्वारा 30 हजार हैक्टेयर अतिरिक्त भूमि को सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली के तहत लाया जायेगा, राशि रुपये 91 करोड़।

4. वर्तमान सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र में सोलर पम्पों की अपार सम्भावनाओं को देखते हुए 25 हजार सोलर पम्प लगाये जायेंगे, राशि रुपये 267 करोड़।

5. प्रदेश के सभी किसानों को खेती की सिंचाई के लिए सभी जिलों में दो ब्लाकों में विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जायेगी।

6. वर्तमान सरकार द्वारा 1 लाख 31 हजार कृषि कनेक्शन जारी किये गये हैं।

7. वर्तमान सरकार द्वारा बूंद-बूंद सिंचाई पद्धति हेतु 50 हजार कृषि कनेक्शन जारी किये जायेंगे।

जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग दिनांक 02.03.2020

वर्तमान सरकार के कार्यकाल में पेयजल सम्बन्धित कार्यों का विवरण:

- 30 नग हैण्डपम्प निर्माण कार्य राशि रुपये 37.50 लाख।

- 10 नग सोलर आधारित बोरवेल पम्पिंग प्रणाली के कार्य राशि रुपये 92.60 लाख के स्वीकृत हुए हैं। निविदा आमंत्रित की जा चुकी है।

- 17 नल सूखे नलकूपों के स्थान पर 200 एमएम नवीन नलकूप निर्माण कार्य मय पाइपलाइन राशि रुपये 195.40 लाख।

- 15 नग आरओ प्लान्ट के सूखे नलकूपों के स्थान पर 150 एमएम नवीन नलकूप निर्माण कार्य राशि रुपये 37.92 लाख।

- ग्रामीण जल योजना लखनपुर पर स्वच्छ जलाशय, पम्प हाउस एवं बाउन्ड्रीवाल का निर्माण कार्य राशि रुपये 36.87 लाख।

- पुराने पम्प सैट, केबल इत्यादि बदलने का कार्य राशि 23.55 लाख।

- नवीन नलकूप एवं डीआई पाइप लाइन पाइप्ड योजना उच्चैन का कार्य राशि रुपये 38 लाख।

चम्बल-धौलपुर-भरतपुर परियोजना

- चम्बल-धौलपुर-भरतपुर परियोजना के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र नदबई के तहसील रूपवास, उच्चैन एवं भरतपुर के कुल 135 गांव सम्मिलित।

- परियोजना के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र नदबई के स्वीकृत 135 गांव में से 51 गांव लाभान्वित किये जा चुके हैं।

- वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 17 गांव लाभान्वित किये गये।

- शेष समस्त गांवों को दिसम्बर 2020 तक लाभान्वित किया जाना संभावित।

जलदाय विभाग

1. उच्चैन में कार्यालय सहायक अभियन्ता पीडब्ल्यूडी एवं सहायक अभियन्ता विद्युत विभाग संचालित है। उच्चैन तहसील मुख्यालय होने के कारण यहां जलदाय विभाग के सहायक अभियन्ता का कार्यालय होना अति आवश्यक है। यहां के लोगों को जलदाय विभाग से सम्बन्धित कार्यों के लिए 25 किलोमीटर दूर रूपवास जाना पड़ता है। अतः उच्चैन में सहायक अभियन्ता पीएचईडी कार्यालय खोला जाये।

2. जब कभी पांचना बांध (करौली) से ओवरफ्लो पानी छोड़ा जाता है व गंभीर नदी में आता है, जो महावीरजी से बयाना होते हुए रूपवास बोकोली हैड से मेरे विधान सभा क्षेत्र खानवा होते हुए उत्तर प्रदेश की यमुना नदी में निकल जाता है। यदि बोकोली हैड की सपाटों की मरम्मत कर ऊंचा कर दिया जाये तो ये पानी मेरी विधान सभा व लगी हुई विधान सभा बयाना के किसानों के लिए जीवनदायिनी हो सकता है, क्योंकि यहां पानी रूकने से वाटर लेवल ऊपर आ जायेगा व किसानों को कृषि की सिंचाई में काम आयेगा।

3. उच्चैन में पहले सिंचाई विभाग का उपखण्ड स्तर का कार्यालय था जो कि पिछली सरकार के समय बन्द कर दिया गया जहां JEN व AEN बैठते थे। बारिश के दिनों में बांधों व एनिकटों की देखभाल होती थी, अब कार्यालय बन्द होने से बांधों व एनिकटों की देखभाल समय पर नहीं हो पा रही है। अतः यहां पर उक्त कार्यालय को पुनः खोला जाये।

4. मेरे विधान सभा क्षेत्र नदबई में चम्बल का पानी उपलब्ध करवाया जाये, इसकी लाइन बिछायी जा चुकी है और पानी की टंकी भी बनी हुई है लेकिन जलापूर्ति शुरू नही हुई है, इससे आमजन को पानी की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में खारे पानी के जलस्रोत हैं, इसलिए मेरी विधान सभा के लिए चम्बल का मीठा पानी उपलब्ध करवाया जाये।

5. गंभीर नदी किसानों के लिए लाइफलाइन थी लेकिन दो दशक से इसमें पानी नही आ रहा है। इस कारण यहां के जल स्रोत काफी नीचे पहुंच चुके हैं, इस कारण किसानों की स्थिति खराब है और फसलों से लागत भी नहीं निकल पा रही है। इसका कारण 1998 में गंभीर नदी पर करौली में पांचना बांध बनाकर गंभीर नदी के पानी को रोक दिया गया। अगर पांचना बांध से गंभीर नदी में पानी छोड़ा जाये तो यहां के जलस्तर में सुधार से किसानों की स्थिति में भी सुधार होगा।

6. बाणगंगा नदी जयपुर से दौसा व भरतपुर सीमा के कमालपुरा होती हुई मेरे विधान सभा क्षेत्र के उच्चैन तक आती है, हलैना कैनाल से नदबई के लिए निकलती है लेकिन दौसा में चांदराणा बांध तक ही पानी आता है, जिसे रोक लिया गया है, जिससे भरतपुर तक पानी नहीं आ पाता है। अतः चांदराणा बांध से पानी को खोला जाये ताकि भरतपुर क्षेत्र में पानी पहुंच सके।

7. ईस्टर्न कैनाल के तहत रामगढ़ बांध में चम्बल का पानी लिफ्ट करने की योजना को लागू किया जाये, जिससे क्षेत्र को पानी मिल सके।

8. मेरे विधान सभा क्षेत्र नदबई की ग्राम खानवा की बांध की बेस्ट वेयर से गंभीर नदी क्रोस होती हुई उत्तर प्रदेश को जाती है। खानवां बाँध के बेस्ट वेयर का लेवल और खेतों का लेवल एक समान हो गया है। इसलिए खानवा बांध की बेस्ट वेयर और मोरा को लगभग दो फीट ऊंचा उठाने का लगभग 554.62 लाख का तकमीना जल संसाधन विभाग, भरतपुर द्वारा बनाकर राज्य सरकार को भेजा था। उक्त कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दिनांक 15.06.2018 को जारी हो चुकी है। यह कार्य नाबार्ड से स्वीकृत है, किन्तु नाबार्ड द्वारा अभी तक स्वीकृति प्राप्त नही हुई है।

9. गंभीर नदी पांचना बांध से प्रारम्भ होकर खानवा बांध से होकर उत्तर प्रदेश को जाती है और सपाट व खेतों का लेवल समान होने के कारण नदी का पानी खानवा बांध में नहीं रूक पाता है, जिसके कारण पानी का लेवल

काफी नीचे जा चुका है। किसानों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए उक्त कार्य को नाबार्ड से बजट उपलब्ध करवाये जाने की कृपा करें जिससे किसानों को पानी की समस्या से निजात मिल सके।

10. मेरे विधान सभा क्षेत्र नदबई के ब्लाक शिक्षा अधिकारी रूपवास के अधीन 15 विद्यालय पेयजल विहीन हैं अतः इन विद्यालयों में पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित करवायें।

कार्यालय :- मुख्यालय ब्लाक शिक्षा अधिकारी रूपवास		
पेयजल विहीन विद्यालय		
क्र.सं.	**विद्यालय**	**पानी की वर्तमान स्थिति**
1.	राउमावि नगला तेरहिया	सुविधा नहीं है
2.	राप्रावि नगला तोता बंजारा	सुविधा नहीं है
3.	राउमावि बरिघा	हैण्डपम्प में पानी खतम
4.	राउमावि जिन्दपुरा	हैण्डपम्प में पानी खतम
5.	रामावि ककरोआ	सुविधा नहीं है
6.	राप्रावि इन्द्रा आवास कुन्देर	सुविधा नहीं है
7.	रामावि फतेहपुर	सुविधा नहीं है
8.	राप्रावि नगला काचेरा	पानी पीने योग्य नहीं है
9.	रामावि जयचौली	सुविधा नहीं है
10.	राउप्रावि लखनपुर	हैण्डपम्प में पानी खतम
11.	राप्रावि चक खरका	हैण्डपम्प नहीं है
12.	राप्रावि नगला सीर	हैण्डपम्प नहीं है
13.	राउमावि बारहमाफी	हैण्डपम्प नहीं है
14.	राउमावि गहलऊ	हैण्डपम्प नहीं है
15.	राउमावि अंधियारी	हैण्डपम्प नहीं है

11. विधान सभा नदबई के गांव बरोली छार में एक नहर है जिसमें बरसात के समय पानी आता है। इस नहर से धनीपुरा, खवासपुरा, गाजीपुर आदि गांव के लिए एक लिंक नहर जोड़ी गयी है जिससे बरसात के समय इन गांवों को सिंचाई के लिए पानी मिल पाता है लेकिन इस लिंक नहर पर लोगों ने जगह- जगह अतिक्रमण कर रखा है। इसकी जांच करवायी जाकर मरम्मत कार्य करवाया जाये जिससे इन गांवों को सिंचाई के लिए पानी मिल सके।

12. गांव बरोली छार में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के पीछे जल स्वावलम्बन योजना के तहत तालाब का निर्माण कराया गया। वह पूर्णरूपेण सूख गया है एवं उसकी दीवार भी गिर चुकी है अतः कोई डीप बोर लग जाये तो वहां पानी की आवक हो सकेगी जिससे पशु-पक्षियों को पानी मिल सकेगा और उसकी दीवार की मरम्मत करवायी जाएं, जिससे उसमें पानी एकत्रित हो सके।

13. मेरे विधान सभा क्षेत्र के करीली गांव मे मन्दिर के पीछे जल स्वावलम्बन योजना के तहत तालाब का निर्माण, चारदीवारी व डीप बोर लगाकर कराया जाये।

श्री महेन्द्र विश्नोई (लूणी)

1. जब इन्दिरा गांधी नहर की सफाई व रख-रखाव के लिये क्लोजर लिया जाता है उसमें हमारे ग्रामीण क्षेत्र में एक दिन का शट-डाउन लेते हैं तो उससे गांवों में तीन दिन की पानी की सप्लाई प्रभावित होती है जबकि शहरी क्षेत्र के पानी में कोई कटौती नहीं की जाती जबकि ग्रामीण क्षेत्र में ऐसा क्यों?

2. जो कुंडी-होद, पम्प हाउस है उसके अन्दर जो पम्प लगे हुए हैं वो 30 साल से ज्यादा पुराने हो चुके हैं। जोधपुर शहर के पूरे ग्रामीण क्षेत्र की सप्लाई कुंडी-होद से होती है अतः उन्हें बदलना चाहिए। उन्हें बदलकर नये पम्प लगाएं जिससे ग्रामीण क्षेत्र में पानी की सप्लाई अच्छे तरीके से हो सके। ग्रामीण क्षेत्र की पाइप लाइनें भी काफी पुरानी व जर्जर हैं, उन्हें भी बदलना चाहिये।

3. ग्रामीण क्षेत्र में जो पानी प्रति व्यक्ति दिया जाता है वो शहरी क्षेत्र से कम है जबकि गांवों में मनुष्य के साथ-साथ मवेशियों को भी पानी पिलाने हेतु चाहिए होता है इसलिये ग्रामीण क्षेत्र का प्रति व्यक्ति पानी बढ़ाया जाये।

4. मेरे क्षेत्र के बड़े कस्बे/ग्राम पंचायत लूणी, सतलाना, धुन्धाडा, केरू, जांलीयाली, हेमनगर, बम्बोर व चिचड़ली से बड़े कस्बे हैं। इनके अन्दर पानी की समस्या है, इन पंचायतों की पानी की समस्या हल की जाये।

5. मेरे क्षेत्र में जोधपुर ग्रामीण विकास प्राधिकरण/राजस्थान आवासन मण्डल की कालोनियां काटी गई हैं, उन कालोनियों के अन्दर अभी तक पेयजल के कनेक्शन नहीं दिये गये हैं और पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं है।

6. गांवों के अन्दर जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के कर्मचारी नहीं होने की वजह से जो ठेके पर लगे हुए हैं वो सही तरीके से कार्य नहीं करते हैं और अपनी मनमर्जी से वार्ड वाइज पानी देते हैं उसमें कोई समय का ध्यान नहीं रखा जाता है कि कितने समय पानी दिया गया और इनके द्वारा कोई अवैध कनेक्शन नहीं काटे जाते तथा अवैध कनेक्शनों की वजह से पानी की सही सप्लाई नहीं हो पाती इसलिये अवैध कनेक्शन काटे जायें।

श्री ओम प्रकाश हुड़ला (महवा)

मुझे माननीय अध्यक्ष महोदय ने आज दिनांक 2/03/2020 की मांगों पर बोलने का मौका नहीं दिया और यह निर्देश दिया कि जो सदस्य नहीं बोल पाये हैं वह अपनी मांग टेबल कर दें।

1. मेरे विधान सभा क्षेत्र महुवा में निम्न गांवों में आरओ. लगा दिया गया है लेकिन वे ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, अतः इन्हें सुचारु रूप से चालू कराने का श्रम करें:-

समलेटी, कीर्तिनंगला, ढण्ड, शीशवाड़ा, हांडली, सिकन्दरपुर, नाहेडा साहिडा, खेडलाबुजुर्ग, गगवाणा, पानी, रशीदपुर, पाखर, भौण्डीगुर्जर, भौण्डीमीणा, गाजीपुर, भौपर, नौरंगपुरा, किशोरपुर, मौजपुर और टीकरीकलानौत।

2. मेरे विधान सभा क्षेत्र महुवा में निम्न गांवों में आरओ. स्वीकृत कर दिए गए हैं लेकिन कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है-

बीरपुर, बनावड, हुडला, केसरी, मौसमपुर पट्टी, केसरा, खेडलीनारायण सिंह, ग्वारिकी, गढी पट्टी, साथा, ओण्डगुर्जर।

3. मेरे विधान सभा क्षेत्र महुवा में निम्न गांवों में पानी की गुणवत्ता बहुत खराब है। अतः कैमिकल लैब से सैम्पल चैक कराकर आईएमआईएस साइट पर अपलोड करने का श्रम करें:-

महुखुर्द पातरखेड़ा, बालाहेडा, बडावास, कोठीन, ढिगारिया भीम, ढिगारिया कपूर, बैजूपाडा, हिगोंटा, बावडीखेडा, टिगरिया, कानेटी, हाडोली, नांगलमेव, कोट, मुनापुरा, हल्देना, नांगल कोलारा, रिदली, गट हिम्मतसिंह, टहलडी, ऊकरूंद, जटवाडा, नांगल सुमेरसिंह, सरावली, खेडलीखुर्द एवं कला, पाडला, पालोदा, बिरासना, राजपुर, बहडखो, खोकलां, गोपालगढ़, रायपुर, पीलवा, सिंधुकी, सालिमपुर, भोपरटप्पा, टिकरीजाफरान, खेडलागदाली, अन्छापुरा, राजगढ़, बेरखेडा, धुलापुरा, बलीन, कमालपुर, पीपलखेड़ा, बिड़ोंदा,

सायपुर, चुरखेडा, खाँचपुरी, पलानहेडा, मोहनपुर, बाडाबुजुर्ग, नौगांव, कुतुकपुर, खोहरामुल्ला, बडागाव, सलेमपुर, जलालपुर, तालचिड़ी, समसपुर, बरीतकी, नयागांव, साथाखोहरा, नांदना, बिरगांव, कोंडला, अमरपुर, जहाजपुर. नांगललोटवाडा, कंचनपुरा आदि।

4. मेरे विधान सभा क्षेत्र महुवा में निम्न गांवों को जल जीवन मिशन योजना में शामिल करने का श्रम करें:

महुखुर्द बालाहेडा, ढिगारिया भीम, ढिगारिया कपूर, बैजूपाडा, हिगोंटा, बावडीखेडा, अलीपुर, कोट, गढ़हिम्मतसिंह, ऊकरूंद, जटवाडा, टुडियाना, सालिमपुर, पाली, हुडला, कमालपुर बालीन, बालाहेडी, गगवाणा, समलेटी, रामगढ़, रोतहडिया, गाजीपुर, पावटा, धौलखेडा, खौचपुरी, ठेकडा, गहनोली, पलानहेडा, खेडलाबुजुर्ग, सलेमपुर, तालचिड़ी, ढण्ड, खानपुर, पीपलखेडा, मण्डावर महवा, रिंदली, रशीदपुर, पाखर, ओण्डमीना, सांथा, खोहरामुल्ला आदि गांव 2 हजार से ज्यादा आबादी के हैं। अतः इन गांवों को जल जीवन मिशन योजना के तहत स्कीम बनाकर स्वीकृत करने की कृपा करें।

श्री जे.पी. चन्देलिया (पिलानी)

महोदय,

निवेदन है कि मेरे पिलानी विधान सभा क्षेत्र में पेयजल की गंभीर समस्या है। पूरा क्षेत्र ड्राई जोन है। अत: कृपया-

1. पिलानी विधान सभा के ग्रामीण व शहरी क्षेत्र को चौधरी कुम्भाराम लिफ्ट कैनाल से पानी दिया जाए। अत्यन्त आवश्यक है।

2. जल जीवन मिशन से पिलानी विधान सभा क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्र के हर घर को जोड़ा जाए।

3. सभी काश्तकारों/किसानों को M-Narega के माध्यम से जल कुण्ड स्वीकृत किया जाए ताकि वे वर्षा जल संचित कर अपनी प्यास बुझा सकें।

पिलानी विधान सभा क्षेत्र में पेयजल की गंभीर समस्या है।

श्री वाजिब अली (नगर)

1. चम्बल योजना के कार्य को नगर विधान सभा में गति मिले, लाइन डालते वक्त जो गांव की सड़कों को तोड़ा गया है, उन्हें जल्द सही करवाया जाये। जो गांव या ढाणी बच गये उन्हें चम्बल योजना से जोड़ा जाये।

2. R.O. Plant की क्वालिटी की जांच हो, पानी सही नहीं है।

3. विधान सभा नगर के कस्बा नगर, सीकरी में PHED की पाइप लाइन को बाकी के मोहल्लों में भी पहुंचाया जाये।

गुड़गांव कैनाल का पानी सीकरी बांध में डाला जाये।

विधान सभा नगर के सीकरी को आने वाली रूपारेल नदी पर बना घाट खूटेटा बांध को हटाकर रूपारेल नदी में पानी छोड़ा जाये।

सीकरी दोमोरा नहर की सफाई करवाकर और अतिक्रमण हटवाकर मरम्मत करवाई जाये।

हाकम अली खां (फतेहपुर)

आदरणीय अध्यक्ष महोदय आपने मुझे मांग संख्या 27 - पेयजल योजना पर बोलने का अवसर दिया जिसके लिये धन्यवाद।

महोदय,

मैं आपके माध्यम से मेरे विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर की पेयजल व्यवस्था की ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहूंगा।

फतेहपुर एवं लक्ष्मणगढ़ की जनता को फ्लोराइड से मुक्ति दिलाने के लिये 832 करोड़ की फतेहपुर-लक्ष्मणगढ वृहद पेयजल परियोजना बनाकर हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा अपने पिछले कार्यकाल में इसका शिलान्यास किया जाकर कार्य शुरू करवाया गया था, जिसका कार्य प्रगति पर है तथा जल्द ही क्षेत्र की जनता को नहर का मीठा पानी उपलब्ध होगा, यह आशा की जा रही है।

मैं बताना चाहूंगा कि उस समय जो डीपीआर बनाई गई थी उसमें कई कमियां रह गईं, जिसके कारण इस परियोजना से पूर्ण क्षेत्र को इसका लाभ नहीं मिलेगा, जैसे मेरे विधान सभा क्षेत्र के कस्बा रामगढ़ शेखावाटी जिसमें दो उच्च जलाशय हैं परन्तु उसमें से मात्र एक उच्च जलाशय को इस परियोजना की पानी सप्लाई से जोड़ा गया है, जिससे रामगढ़ कस्बे के मात्र 20 प्रतिशत क्षेत्र में ही पानी सप्लाई होगी, शेष 80 प्रतिशत लोगों को इस पानी की सप्लाई नहीं होगी। अतः अध्यक्ष महोदय, मै आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि रामगढ़ कस्बे के दूसरे उच्च जलाशय को भी इससे जोड़ा जाये तथा दो और नये उच्च जलाशयों का निर्माण करवाया जाकर नहर की पाइप लाइन से जोड़ा जाये ताकि सभी रामगढ़वासियों को इस योजना का लाभ मिले तथा सभी को नहर का मीठा पानी उपलब्ध हो सके।

अध्यक्ष महोदय, मैं दूसरा निवेदन करना चाहूंगा कि गांवों में कुछ टंकियों को इस सप्लाई से जोड़ा गया है तथा कुछ को नहीं जोड़ा गया है। जैसे किसी गांव में चार पांच टंकिया हैं तो उनमें से दो को जोड़ दिया, बाकी को नहीं जोड़ा गया, जिसके कारण गांवों के जिन क्षेत्रों की टंकियो को नहीं जोड़ा गया है, उस क्षेत्र में पानी सप्लाई कैसे होगी, यह सोचने का विषय है। इसलिये मै निवेदन करना चाहूंगा कि गांवों की ऐसी बकाया सभी टंकियों को भी इस योजना की पाइप लाइन से जोडा जाये।

महोदय, इस योजना के तहत गांवों में सार्वजनिक चौकों में पानी के पाइंट/टूंटी लगाई जा रही है, जहां से पानी भर कर ले जाना होगा।

अध्यक्ष महोदय, इस उन्नति के जमाने में भी गांव की औरतें सर पर रखकर पानी लायेंगी, यह हमारे लिये शोभा नहीं देता है इसलिये मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि इस परियोजना के पानी की सप्लाई पूरे क्षेत्र में पाइप लाइन डलवाकर घर-घर पानी की सप्लाई की जाये।

महोदय, इस योजना का काम पूरा होने तथा पानी सप्लाई शुरू होने में अभी समय लगेगा तथा गर्मी का सीजन आने वाला है, तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि जब तक नहर के पानी की घर-घर सप्लाई शुरू नहीं होती है तब तक पेयजल आपूर्ति हेतु नये ट्यूबवैल खुदवाये जायें।

इसके साथ ही मैं यह भी निवेदन करना चाहूगा कि कई ग्रामीण क्षेत्रों में पुराने कुएं/ओपन वेल बने हुए हैं, जिनसे पानी सप्लाई की जा रही है। ओपन वैल कुए में किसी भी प्रकार की खराबी होने पर उसे ठीक करने में कई दिन लग जाते हैं क्योंकि उन कुओं में उतरने के लिये कोई मिस्त्री अपनी जान जोखिम में डालकर कुएं में उतरना नहीं चाहते हैं, जिसके कारण जनता को पानी के लिये काफी परेशानी उठानी पडती है, इसलिये जहां-जहां गांवों में ओपन वैल हैं, उनके स्थान पर भी ट्यूबवैल खुदवाकर पानी सप्लाई की जाये।

महोदय, मेरा क्षेत्र रेगिस्तानी क्षेत्र है, जहां पानी की बहुत समस्या रहती है। क्षेत्र में कई ढाणियां ऐसी हैं जहां पानी का कोई सोर्स नहीं है। खेतों में ढाणियों में बसे लोगों को पानी की समस्या से निजात दिलाने के लिये हैण्डपम्प भी स्वीकृत करवाये जायें।

महोदय, मैं आपके माध्यम से सम्माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि ग्रामीण क्षेत्र में जो जनता जल योजना में पेयजल

के स्रोत हैं, जैसे ट्यूबवैल, कुएं इनका बिजली का बिल ग्राम पंचायतों द्वारा जमा कराया जा रहा है। बहुत-सी ग्राम पंचायतों के सरपंच एवं ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा समय पर जमा नहीं करवाये जाते हैं। बजट का अभाव होने का बहाना बनाते हैं। इससे विद्युत विभाग द्वारा बहुत बार कनेक्शन काट दिया जाता है, जिससे ग्रामीणों को पेयजल समस्या का सामना करना पड़ता है। अतः निवेदन करना चाहूंगा कि इस योजना का बिजली बिल भी PHED विभाग द्वारा ही जमा किया जाये, ऐसे प्रावधान किये जायें।

इन्हीं शब्दों के साथ, अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया उसके लिये धन्यवाद।

जय हिन्द, जय भारत।

श्री संजय शर्मा (अलवर शहर)

1. 4718 करोड़ रुपये राशि की चम्बल योजना की डी.पी.आर. बन चुकी है। डी.पी.आर. टैक्नीकल कमेटी से स्वीकृत हो चुकी है। फाइनेन्स विभाग में अटकी हुई है।

2. 2016 में स्वीकृत 90.62 करोड़ रुपये राशि की अमृत जलम योजना अप्रैल 2019 तक पूरी होनी थी, जिसके अन्तर्गत 8 टंकियां, 5 CWR, 5 पम्प हाउस बनकर तैयार हैं। योजनान्तर्गत 12500 नल कनेक्शन जारी करने थे जो अभी तक पेंडिंग हैं।

3. सरकार बनने के बाद विभाग द्वारा 3 बार प्रस्ताव बनाकर भेजे -

(1) 10 ट्यूबवैल (राशि 94.78 लाख) दि. 19.06.19

(2) 10 ट्यूबवैल (राशि 98.72 लाख) दि. 26.08.19

(3) 5 ट्यूबवैल (राशि 57.81 लाख) दि. 27.09.19

जो स्वीकृत होकर आ चुके हैं। कार्य पूर्ण हो चुका है।

4. 35 ट्यूबवैल, कुल राशि 456 लाख के प्रस्ताव दिसम्बर माह में भेजे गए जो अभी तक स्वीकृत नहीं हुए हैं।

5. विभाग के पास लीकेज व पम्प सैट रिपेयर कराने के लिए स्पेशल बजट नहीं है। जेईएन व एईएन अपनी जेबों से खर्च कर सही कराते हैं।

6. विभाग के पास लीकेज से सम्बन्धित पाइप, जाइन्टस आदि पार्ट्स एवं मोटरों से सम्बन्धित पार्ट्स, फ्यूज वायर आदि उपलब्ध नहीं हैं।

7. पम्प हाउसों में मोटरों पर हवा की व्यवस्था नहीं है जिससे मोटरें आए दिन गर्म होकर जल जाती हैं। पम्प हाउसों पर रोशनी की व्यवस्था नहीं है जिसके चलते आए दिन सामान चोरी हो जाने की शिकायतें प्राप्त होती हैं।

8. गर्मियों में टैंकरों की वैकल्पिक व्यवस्था करने के लिए एस.डी.एम. व पटवारी से वैरिफाई कराने हेतु चक्कर लगाने पड़ते हैं।

9. एम.पी. व विधायक निधि से खुदे हुए ट्यूबवैलों के बिजली कनेक्शन तीन माह से पेन्डिंग पड़े हुए हैं। दिनांक 26.8-19 को स्वीकृत।

10. वाल्व मैन व पम्प ड्राइवरों की लापरवाही के चलते पेयजल वितरण में असमानता की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं।

1. विधायक निधि से स्वीकृत ट्यूबवैल विवरण-

शहर अलवर :- थ्री फेज-12, सिंगल फेज-14

ग्रामीण अलवर:- थ्री फेज-4, सिंगल फेज-2

बोरिंग हो गई लेकिन बिजली कनेक्शन के अभाव में आज तक शुरू नहीं हुए।

2. ट्यूबवैल लगाने की राशि में असमानताएं

शहर:- थ्री फेज	शहर:- सिंगल फेज
वर्ष 2018 - 7.42 लाख वर्ष 2019 9.45 लाख ग्रामीण:- थ्री फेज वर्ष 2018-.....लाख वर्ष 2019 - 6.10 लाख	वर्ष 2018 - 3.51 लाख वर्ष 2019 - 4.70 लाख ग्रामीण:- सिंगल फेज वर्ष 2015 - ......लाख वर्ष 2019 - 3.25 लाख

श्री महादेव सिंह (खण्डेला)

माननीय जलदाय मंत्री महोदय,

निवेदन है कि मेरे खुद के ग्राम दुलहेपुरा (खण्डेला जिला सीकर) में 15 साल से बनी ऊपर की टंकी में आज तक पानी नहीं डाला गया हैं। अत: पानी की टंकी को भरवाकर गांव की जनता को पानी उपलब्ध करवाने की कृपा करें।

श्री लाखन सिंह (करौली)

भद्रावती नदी परियोजना हेतु अनुदान बाबत

माननीय सभापति महोदय, मैं आपका ध्यानाकर्षण नदियां जो विलुप्त होती जा रही हैं, उस ओर दिलाना चाहता हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत जल संसाधन विभाग का वृहत् बांध पांचना करौली में स्थित है। पांचना बांध में पांच नदियां समावेशित होती हैं। उनमें से एक भद्रावती नदी है जिसकी लम्बाई लगभग 32 कि.मी. है। यह नदी 30-35 वर्ष पहले 12 मास बहती रहती थी। हर मौसम में स्थानीय लोग एवं मवेशियों को पानी उपलब्ध रहता था परन्तु वर्तमान में यह नदी वर्षाकाल में ही बहती है।

अतः मैं आपके माध्यम से एवं सदन की ओर से माननीय जल संसाधन मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि विभिन्न विभागों एवं यथा सिंचाई, कृषि, भू-संरक्षण, राजस्व तथा वन विभागों की समन्वय कमेटी बनाकर इस प्रकार की दीर्घकालीन योजना बनाई जाये जिससे भद्रावती नदी में पूर्व की तरह वर्षाकाल के पश्चात् भी पानी बहता रहे।

विषय:- पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ERCP) का प्रवाहित मार्ग, एलाइनमेंट (Alignment) संशोधन करने बाबत।

महोदय,

1. उपरोक्त विषयान्तर्गत अनुरोध है कि नदियों को परस्पर जोड़ने एवं अधिशेष जल डाइवर्जन संबंधित, एक महत्वपूर्ण परियोजना जिसका नाम पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (Eastern Rajasthan Canel Project (ERCP) विचाराधीन है।

2. इस परियोजना का क्रियान्वयन/प्रारूप सम्बन्धी कार्य जल संसाधन विभाग, राजस्थान द्वारा किया जा रहा है। जहां तक मुझे जानकारी प्राप्त हुई है उसके अनुसार इस परियोजना की Hydrology एवं Feasibility सम्बन्धी डी.पी.आर. केन्द्रीय जल आयोग (cwc) नई दिल्ली में Scrutining में परीक्षणाधीन है।

3. इस परियोजना द्वारा बारां, झालावाड़, कोटा, बून्दी जिले की विभिन्न नदियों द्वारा वर्षाकाल में व्यर्थ बहकर जाने वाले जल को, जगहों पर बैराज बनाकर कम/न्यून बहाव वाली पूर्वी राजस्थान की नदियों में प्रवाहित कर जल संग्रहित किया जाना प्रस्तावित है।

4. प्रस्तावित परियोजना प्राकृतिक बहाव (gravity flow) एवं Pump-

ing द्वारा लिफ्ट बहाव मिलाकर कुल लम्बाई लगभग 1268 किमी प्रस्तावित है।

5. वर्तमान परिप्रेक्ष्य एवं पूर्वी राजस्थान की भौगोलिक दृष्टि से यह प्रस्तावित परियोजना जीवनदायिनी साबित होगी।

6. इस परियोजना की परिकल्पना, Alignment/प्रस्तावित मार्ग, उपयोगिता, उद्गम एवं समापन स्थल आदि सभी संरचनायें गत भा.ज.पा. सरकार के समय ही तय की गयी थीं, जो यदि ठीक तरह से अध्ययन या मनन किया जाये तो इस प्रकार की महत्वपूर्ण परियोजना में भी गत सरकार की निजी स्वार्थवश एवं क्षेत्रीयवाद तथा जातिवाद जैसी द्वेष भावना प्रतीत हो रही है।

7. महोदय, इसके प्रस्तावित मार्ग के अध्ययन से स्पष्ट हो रहा है कि परियोजना के प्रथम फेज में हाड़ौती क्षेत्र के जल बाहुल्य नदियों का Surplus water का Diversion बनास नदी द्वारा सवाई माधोपुर में डूंगरी स्थल पर संग्रहण किया जाता है तथा यहां से चम्बल नदी के समान्तर तह. सपोटरा के एक मात्र बांध कालीसिल, तत्पश्चात् तह. करौली के एक मात्र पांचना बांध को स्पर्श करते हुए सीधी यह ERCP नहर जिला-धौलपुर में समावेश कर जाती है।

8. जिला-धौलपुर में स्थित सभी बड़े बांधों को पुनः जलभरण किया जाकर वहां स्थित कमाण्ड क्षेत्र का विस्तार किया जाता है।

9. आपका ध्यानाकर्षण करना उचित होगा कि इस प्रस्तावित ERCP नहर द्वारा नया कमाण्ड क्षेत्र अधिकांशतः धौलपुर में ही open किया जाना प्रस्तावित है, कुल 2.0 लाख है0 कमाण्ड क्षेत्र में से 1.20 लाख है0 कमाण्ड धौलपुर जिले में open किया जाना प्रस्तावित है।

10. मै यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि वर्तमान Alignment जो Ist-phase का है, उसको स.मा., करौली, दौसा एवं अलवर जिले में होते हुए निर्धारण किया जाना चाहिये था क्योंकि चम्बल किनारे ले जाकर और फिर धौलपुर में सभी तालाबों/बांधों को पुनः जलभरण करना राजनैतिक एवं जातिवाद द्वेषता है।

11. धौलपुर में तो इस परियोजना की आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि वहां "धौलपुर सिंचाई/पेयजल लिफ्ट परियोजना निर्माणाधीन है" तथा वहां के गांवों एवं खेतों में Water Table तुलनात्मक दृष्टि से बेहतर है। प्रत्येक तहसील में नहरों का कमाण्ड क्षेत्र है।

12. जबकि पूर्वी राज. के स.मा. करौली, दौसा, अलवर जिलों में वर्तमान में सिंचाई/पेयजल का कोई स्थायी जल स्रोत नहीं है, बड़े बांध/ तालाब नहीं हैं। गांवों के तालाब सूखे पड़े हैं, बगैर सिंचाई के जमीन वीरान हो रही है। ग्रामीण जनता को पीने को पानी नही है। मवेशियों को चारा-पानी का अभाव है। खेती का मुख्य धन्धा चौपट हो जाने से जनता रोजगार के लिये शहरों की ओर पलायन कर रही है। यदि राज्य सरकार द्वारा 2/3 वर्षों में पेयजल एवं सिंचाई साधन मुहैया नहीं कराया गया तो इन जिलों में भयावह स्थिति उत्पन्न हो सकती है।

13. महोदय, इन परिस्थितियों के मध्यनजर मैं आग्रह करूंगा कि इस महत्वपूर्ण परियोजना, जो पश्चिमी राजस्थान में इन्दिरा गांधी नहर की तरह, पूर्वी राजस्थान के लिये यह जीवनदायिनी हो सकती है, उसका प्रस्तावित मार्ग (Alignment) पर पुन: विचार किया जाए। इस विचार के लिये एवं संशोधन के लिये स्थानीय जन प्रतिनिधियों की कमेटी गठित की जाये।

14. परियोजना का Alignment इस तरह निर्धारित किया जाये जो सभी गांवों/कस्बों के तालाबों तथा सिंचाई विभाग के बांधों में जल संग्रहण किया जाये। निर्धारण में किसी तरह का राजनैतिक/जाति/क्षेत्रीय भेदभाव नहीं हो।

15. परियोजना के 1st phase में अधिकांशतः जिलों के तालाबों/ बांधों का जल संग्रहण का उद्देश्य हो। Ist phase में बारां/झालावाड़/कोटा/बूंदी की नदियों से स.मा./करौली/दौसा/अलवर के सभी नदियों में जलप्रवाह द्वारा उनके सभी तालाब/बांधों में पानी भरा जाये तथा इन जिलों में 2.0 लाख है. प्रत्येक में नया कमाण्ड क्षेत्र सृजन किया जाए। मुझे आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि गत भाजपा सरकार द्वारा किये गये भेदभावपूर्ण इस परियोजना का पुनः मार्ग निर्धारण का संशोधन करने के लिये जनहित में आदेश जारी करेंगे।

चम्बल सवाई माधोपुर नादौती परियोजना

माननीय सभापति महोदय,

1. जिला सवाई माधोपुर एवं करौली की पेयजल समस्या के दीर्घकालीन समाधान हेतु सतही जल स्रोत चम्बल नदी (मण्डरायल) से सम्बल-सवाई माधोपुर पेयजल परियोजना की स्वीकृति वर्ष 2004 में 478.91 करोड़ को जारी की गई थी।

2. उक्त परियोजना कार्य दो चरणों में पूर्ण किया जाना था।

3. परियोजना के प्रथम चरण में करौली जिले के 510 ग्रामों से 384 ग्रामों को पेयजल से लाभान्वित करना था।

4. उक्त परियोजना से करौली तहसील के 100 ग्रामों को प्रथम चरण में पेयजल उपलब्ध कराना था लेकिन आज तक करौली तहसील के एक गांव को उक्त परियोजना के पानी का लाभ नहीं पहुंचाया गया है।

माननीय सभापति महोदय में सदन के माध्यम से माननीय मंत्री महोदय जी से कहना चाहूंगा कि करौली जिला डांग क्षेत्र में आता है। इस क्षेत्र में पीने के पानी की विकट समस्या है। गर्मियों में पेयजल की किल्लत के कारण लोग यहां से पलायन कर जाते हैं। इस विकट समस्या के दीर्घकालीन निदान हेतु उक्त प्रोजेक्ट का कार्य पूर्ण करवाया जाना अति-आवश्यक है जिससे करौली जिले में पेयजल की समस्या का स्थायी रूप से समाधान हो सके।

मवेशियों को सतही जल की उपलब्धता के साथ ही भू-जल स्तर में भी सुधार होगा। आस-पास के क्षेत्रों में मिट्टी का कटाव रूक जायेगा। वनस्पति पेड़-पौधों का विकास होगा।

मैं मंत्री महोदय को अवगत कराना चाहूंगा कि इस नदी के आसपास क्षेत्र में "सैंड स्टोन" (करौली स्टोन) की प्रचुर उपलब्धता है। सतही एवं भू-जल उपलब्ध नहीं होने के कारण ज्यादातर लोग पत्थर का काम करते हैं जिससे कारीगर/मजदूरों को "सिलिकोसिस" की भयानक बीमारी हो रही हैं यदि भद्रावती नदी में जल उपलब्धता की कार्य योजना बनाई जाती है तो स्थानीय लोगों का खेती का धंधा बढ़ जायेगा जिससे जीवन स्तर सुधार होगा।

अतः मैं मानीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि भद्रावती नदी, जो लुप्तप्राय हो गई है, उसको पुनः बारह मासी बनाने हेतु कार्ययोजना बनाई जाये। यदि ये सार्थक हो जाती है तो अन्य नदियों पर इस प्रकार की लाभदायक दीर्घकालीन योजना बनाई जाये।

धन्यवाद।

श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर)

सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 27, 38 और 46 पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद। गर्मी का सीजन बढ़ता जा रहा

है। गांवों में सभी जगह पानी की कमी आती जा रही है। मेरा मंत्री महोदयजी से अनुरोध है कि जिन गांवों में पहले बोरिंग चालू थी, वह सूख गई है, तो उन्हें पहले कराने की कृपा करें तो उनको तो कंटीन्जेसी में लेकर, किसी न किसी योजना में आप जल्दी से जल्दी कराने का कष्ट करें। सिंगल फेज की बोरिंग के लिए एस.सी. बस्ती के लिए प्रपोजल भिजवाये हुए हैं उन्हें भी आप जल्दी से जल्दी कराएं ताकि गर्मी का सीजन आये, उससे पहले पानी शुरू हो जाए।

कुछ गांवों में पानी है, टंकी भी बनी हुई है लेकिन पाइप लाइन या बोरिंग के अभाव में कई गांव और ढाणी पानी के लिए 3-3, 4-4 किलोमीटर 5 -5, 6-6 किलोमीटर से पानी लाने पर मजबूर हैं। अगर यह पाइप लाइन या बोरिंग जल्दी से स्वीकृत हो जाए तो आठ-दस ढाणियों को फायदा मिल जाएगा। कई महीनों से जो पाइप लाइन टूटी हुई है, लीकेज है, जीर्ण-शीर्ण है, पुरानी है, उनमें लोहे की लाइन के लिए भी प्रपोजल भेजे हुए हैं तो मंत्री महोदय, उन्हें भी जल्दी से जल्दी स्वीकृत कराने की कृपा करें।

मैं यहां यह आशा रखता हूं कि मंत्री महोदय, अलवर में सिर्फ मेरे हैण्डपम्पों की स्वीकृति जारी नहीं हुई है तो उसे भी जल्दी से जल्दी करेंगे। मैं उम्मीद रखता हूं कि आप इसमें भेदभाव नहीं करेंगे।

जो सरकारी विद्यालय हैं, जिनमें पानी की बहुत कमी हैं, जलस्तर नीचे चला गया है, हैण्डपम्प सूख गये हैं, उनके प्रपोजल भी मैंने दिये हुए हैं पी.एच.ई.डी. विभाग में भिजवाये हैं। बैकवर्ड हैं, जो पहाड़ के आसपास हैं तो उनमें जल्दी से जल्दी पानी के हैण्डपम्प या सिंगल फेज बोरिंग स्वीकृत कराने की कृपा करे। जल योजना से जो गांव और ढाणी बचे हुए हैं उन्हें भी आप जल्दी से जल्दी जुड़वाने का कष्ट करें। कर्मचारियों की थोड़ी-बहुत कमी है, एक -दो इधर-उधर से कहीं सैट करें, जिससे कि गर्मियों में पानी की दिक्कत नहीं आये।

सिंचाई के उपर मैं इतना कहना चाहूंगा कि अलवर जिले में पानी का जलस्तर घटता जा रहा है। जयसमंद बांध है, उसके पानी के रास्ते थे। नटणी का बारां होते हुए नदी जाती है, उस नदी पर अतिक्रमण कर लिया गया है, रोक लिया गया। इससे अतिक्रमण के कारण जयसमंद बांध भर नही पाता है। कृपया उनको हटवाएं, जिससे अलवर जिले का जल स्तर बढ़ेगा।

ऐसी जगह जहां पर बारिश का पानी इकट्ठा हो सकता है, बहकर

पहाड़ों से निकल जाता है, ऐसी जगह एनिकट और बांध बनवाएं। अपनी मुण्डावर तहसील के लिए कई जगह ऐसी हैं जहां पर पानी रोककर यह जलस्तर को बढ़ाने में सहायता करेगा। अगर मै बात करूं बने हुए एन्किट की तो कुछ में तो लीकेज हो रही है और पानी को रोकने के लिए रिपेयर मांग रहे हैं।

काश्तकार को लघु सिंचाई के लिए, भूमि संरक्षण के लिए, बूंद-बूंद सिंचाई के लिए ऐसे प्रशिक्षण शिविर लगाएं जाएं जिससे उनको प्रोत्साहन मिल सके।

1. विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर के कस्बा मुण्डावर, शाहजहांपुर, नीमराणा की एनसीपीबीआर (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परियोजना) के तहत पेयजल हेतु बनायी गयी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को वर्तमान में जल जीवन मिशन के तहत स्वीकृत कर कार्य प्रारंभ करने के क्रम में।

अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर के क़स्बा मुण्डावर, शाहजहांपुर, नीमराणा में औद्योगिक क्षेत्र और उपखंड मुख्यालय होने के कारण उक्त तीनों कस्बों में आबादी विस्तार तेजी से हो रहा है जिससे उक्त कस्बों में पेयजल की गंभीर समस्या उत्पन्न हो गयी है और यहां के निवासी लगातार पेयजल के लिए आन्दोलन कर रहे हैं, जिससे उक्त कस्बों की पेयजल योजना मंजूर करना अति आवश्यक हो गया।

मेरी जानकारी अनुसार विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर के कस्बा मुण्डावर, शाहजहांपुर, नीमराणा की मुण्डावर, शाहजहांपुर, एनसीपीबीआर (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परियोजना) के तहत जन स्वा. अभियांत्रिकी विभाग द्वारा वर्ष 2019 में पेयजल उपलब्ध कराने हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनायी गयी थी। वर्तमान में सम्पूर्ण राजस्थान में जल जीवन मिशन के तहत पेयजल हेतु कार्य स्वीकृत किये जा रहे हैं अतः उक्त कस्बों की पेयजल योजनाओं को जल जीवन मिशन के तहत मंजूर कर तत्काल कार्य आरम्भ करने का श्रम करें।

2. विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर के सभी ग्रामों की पेयजल योजना को जल जीवन मिशन के तहत मंजूर कर घर-घर जल सम्बन्ध के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

अध्यक्ष सहोदय, केंद्र सरकार द्वारा की बजट घोषणा के अनुसार वर्तमान में सम्पूर्ण भारत में 2024 तक घर-घर जल संबंधों के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराया जाना है, जिसमें 50 प्रतिशत हिस्सेदारी केंद्र सरकार

की तथा 50 प्रतिशत हिस्सेदारी राज्य सरकार की है। इस योजना को लागू हुए 06 माह से अधिक हो गया है तथा राजस्थान सरकार द्वारा काफी योजनाओं की मंजूरी दी भी जा चुकी है। अध्यक्ष महोदय जी, जैसा कि आप जानते हैं कि इस बार पूरे प्रदेश में इस बार वर्षा सामान्य से अधिक हुई है लेकिन सम्पूर्ण अलवर जिले में इस बार बहुत ही कम बारिश हुई है लेकिन खेद का विषय है कि प्रदेश में जहां बारिश खूब हुई वहां तो जल जीवन मिशन के तहत जल योजनाएं मंजूर कर दी गयीं लेकिन अलवर जिले में पेयजल की गंभीर समस्या के बावजूद एक भी योजना जल जीवन मिशन के तहत मंजूर नहीं की गयी। अध्यक्ष महोदय, अभी गर्मी की शुरुआत भी नहीं हुई है और सम्पूर्ण अलवर जिले में जगह-जगह रोड जाम होने लग गए हैं और जनता पानी के लिए सड़कों पर आ गयी है और पुलिस प्रशासन का मुख्य काम रोड जाम खुलवाना ही हो गया है। अतः अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन इतना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में मुण्डावर के 146 तथा नीमराणा के 36 ग्राम आते हैं, चूंकि केंद्र और राज्य सरकार के लक्ष्य के अनुसार आगामी 5 वर्षों में सभी घरों को पेयजल उपलब्ध कराना है अतः उस हिसाब से 25 प्रतिशत ग्रामों में हर वर्ष जल जीवन मिशन के तहत योजनाएं मंजूर करनी आवश्यक हो गयी हैं। अतः अध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर के समस्याग्रस्त 45 ग्रामों में तत्काल पेयजल हेतु योजना जल जीवन मिशन के तहत मंजूर करने की कृपा करें।

अध्यक्ष महोदय, मै मंत्री महोदय से एक उम्मीद करता हूं कि आप किसी भी तरीके से किसी से कोई भेदभाव नहीं रखेंगे और जल्दी से जल्दी वित्तीय स्वीकृतियां निकालकर हमें अनुग्रहीत करेंगे और मेरी जनता तक पानी पहुंचेगा। धन्यवाद, साहब। राम-राम, साहब।

श्री जगसी राम (रेवदर)

जनता जल योजना

1- ग्राम पंचायतें जनता जल योजना का सुचारु संचालन नहीं कर पा रही हैं, जनता जल योजना को जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को सुपुर्द किया जाकर संधारण किया जाए।

2- पूर्ववर्ती सरकार ने जिन छोटे गांव-ढाणियों में पेयजल समस्या के

तत्काल समाधान के लिये 100-100 हैण्डपम्प प्रत्येक माननीय सदस्यवार दिये लेकिन वर्तमान सरकार ने जनवरी, 2019 से अब तक ऐसी कोई घोषणा, व्यवस्था नहीं की है।

3- भैंसासिंह बांध परियोजना आबूरोड, आबूरोड शहर व आसपास के गांवों के लिये स्वीकृत है। विभाग द्वारा आवश्यक उचित कार्यवाही के अभाव में आज दिनांक तक परियोजना पर कार्य किया जाना लम्बित है।

सिंचाई

1- सांगरली हडमतिया बांध अनादरा रेवदर स्वीकृत हुआ, टेण्डर जारी हुए, वर्क आर्डर हुआ, अतिक्रमियों की आपसी लड़ाई में मुआवजा पेंडिंग था, मुआवजे की राशि बढ़ाई जा चुकी है, इस बांध की पुनः स्वीकृति जारी करते हुए प्रकरण का निस्तारण किया जावे।

2- वर्ष 2017 में अतिवृष्टि में क्षतिग्रस्त अधिकांश एनीकट, रपट का पुनः निर्माण कराया जा चुका है। सरकार बदलते ही जो बकाया कार्य प्रोसेस में थे, वे आज दिनांक तक लम्बित पड़े हैं, इन्हें पूर्ण कराया जाए।

3- सुकली-सेलवाडा बांध परियोजना की जर्जर नहरों की रिपेयर की जाए ताकि कमाण्ड एरिया के किसानों को बांध से सिंचाई का लाभ मिल सके।

4- बगैरी बांध

5- धवली क्यारिया बांध का ओवरफ्लो जब बांध का निर्माण किया गया उससे पूर्व में DPR सही नहीं बनाई गई, बारिश के समय पानी धवली गांव में भर जाता है।

6- रेवदर मुख्यालय पर 2 करोड़ की लागत से पेयजल पाइप लाइन बिछाने के लिए टेंडर जारी होने के उपरान्त भी आज तक वर्तमान सरकार ने पेयजल सप्लाई की अतिआवश्यक योजना को लम्बित रखा हुआ है।

5- ग्राम पंचायत मण्डार पंचायत समिति रेवदर का सबसे बड़ा घनी आबादी वाला कस्बा है, यहां एस आर टैंक व पाइप लाइन के लिये राशि रुपये 3 करोड़ की स्वीकृति हुई थी। इसमें खराबी आने पर क्षेत्र में पेयजल सप्लाई ठप हो जाती है अतः इसमें स्टैण्ड बाय मोटर अर्थात् वाटर सप्लाई को अबाधित रूप से सुचारु करने हेतु वैकल्पिक व्यवस्थार्थ अतिरिक्त सप्लाई सर्किट बनाया जाना चाहिये।

8. विधान सभा क्षेत्र रेवदर की पेयजल स्कीमों के सुचारु संचालन हेतु वर्तमान में टैक्निकल स्टाफ, हैण्डपम्प मिस्त्री एवं योजनाओं के आपरेटर के पद रिक्त चल रहे हैं, इन्हें भरा जाए।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा)

माननीय अध्यक्ष/सभापति महोदय, मांग संख्या 27, 46 एवं 38 पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

1. जल संसाधन एवं सिंचित क्षेत्र विकास के लिए सरकार ने पिछले बजट में कुल 4 हजार 6 सौ 75 करोड़ रुपये का प्रावधान किया था।

2. जिसमें से आप आधे से भी कम बजट खर्च कर पाये हो।

3. दिसम्बर 2019 तक मात्र 2 हजार 44 करोड़ 98 लाख रुपये ही खर्च कर पाये हो। लगभग 43.74 प्रतिशत मात्र।

4. वर्ष 2020-21 के बजट में जल संसाधन एवं सिंचित क्षेत्र विकास के लिए 4 हजार 5 सौ 57 करोड़ का प्रावधान किया है। 2019-20 के मुकाबले 118 करोड़ रुपये की कटौती कर दी।

5. पेयजल के लिए 2019-20 में 8 हजार 4 सौ 45 करोड़ का प्रावधान किया था।

6. जबकि हमारी सरकार ने पेयजल के लिए 2014-15 में 10 हजार 6 सौ 75 करोड़ 12 लाख का प्रावधान किया था जिसमें हमने लगभग 90 प्रतिशत राशि खर्च भी कर दी थी। 9 हजार 6 सौ 99 करोड़ 89 लाख खर्च कर दिये थे। जबकि आपने 2019-20 में, हमारे 2014-15 के बजट से 2 हजार 2 सौ 30 करोड़ रुपये कम दिया है। करीब 25 प्रतिशत तक की कटौती कर दी।

हमारा देश, कृषि प्रधान देश है और हमारे देश की अर्थव्यवस्था में कृषि का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है। कृषि को भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता था।

आजादी के बाद 1950-51 में देश की GDP में कृषि का शेयर 59.2 प्रतिशत था। वर्तमान में 17 प्रतिशत ही रह गया है।

कृषि भी एक व्यवसाय है, लेकिन इस व्यवसाय में मुनाफे की

अनिश्चितता के कारण किसानों का इससे मोहभंग हो रहा है और अगर हालात ऐसे ही रहे तो, वो दिन दूर नहीं जब पूरी दूनिया के सामने भुखमरी का संकट पैदा हो जायेगा।

आज भी हमारे देश में अगर कुछ राज्यों को छोड़ दें तो बाकी अधिकतर राज्यों में हर साल सूखा पड़ता है।

1. देश के लगभग 70 फीसदी किसानों को खेती के लिए आज भी मानसून पर निर्भर रहना पड़ता है।

हमारे देश में कई ऐसी नदियां हैं, जो मानसून के समय कई राज्यों में बाढ़ रूपी तबाही मचाती हैं या फिर उनका पानी बहकर समुद्र में बेकार चला जाता है। इसके लिए पूर्व प्रधानमंत्री स्व. श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देश की नदियों को आपस में जोड़ने का विचार किया। परन्तु 2004 के लोक सभा चुनावों में वाजपेयी जी की सरकार नहीं बनी। इस कारण उनकी योजना भी आगे नहीं बढ़ पाई।

2. राजस्थान में 85 लाख किसान परिवार हैं जो आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर हैं।

जब से राजस्थान का गठन हुआ है तब से लेकर अब तक केवल 7-8 साल ही ऐसे निकले हैं जब प्रदेश में मानसून की अच्छी बारिश हुई है। अधिकतर समय अकाल ही रहा है। अकाल को देखकर किसान पर क्या बीतती है, ये मैं बताता हूं -

"खाली पड़िया खेतड़ा, आंधी चाले घाव,

हरा जिण दिन होवसी, इन्द्र बरसण आव।

बरसेला कद बादली, किसान करे पुकार,

मोळा पडिया मोरिया, पड़सी कीकर पार।

मेरा विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा, सांचौर से बिल्कुल सटा हुआ है और नर्मदा का पानी सांचौर के हाड़ेतर में स्टोरेज डैम तक आया हुआ है। हाड़ेतर से रानीवाड़ा 20-25 किलोमीटर दूर है। इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूं कि रानीवाड़ा तक सब माइनर या डिस्ट्रीब्यूट्रीज के द्वारा पानी लाकर किसानों को सिंचाई के लिए दिया जाये। मैं सरकार से मांग करता हूं। सांचौर के जिन गांवों में पानी आ रहा है उनसे सटे 35 रानीवाड़ा विधान सभा की 13 पंचायतों के गांवों को खेती का पानी दिया जाए। सांचौर तहसील में नर्मदा के पानी से कई

गांवों में सेम (खारेपन) की समस्या हो गई है एवं बहुत से खेत खराब हो गये हैं। किसान खेती नहीं कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में नर्मदा का सरप्लस पानी रानीवाड़ा विधान सभा की सांचौर पंचायत समिति की वंचित 13 ग्राम पंचायतें, जो अब नवसृजित पंचायत समिति सरनाऊ में आ गई हैं, इन पंचायतों के पास से नर्मदा परियोजना की वितरिकाएं निकल रही है, उनको केवल आगे बढ़ाने की आवश्यकता है।

मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आज सिंचाई के लिए अनुदान की मांग पर सरकार की ओर से जवाब देते समय नर्मदा परियोजना के लिए बजट में प्रावधान करके रानीवाड़ा तक सिंचाई का पानी लाकर मेरे विधान सभा क्षेत्र के किसानों पर कृपा करें और संभव नहीं हो तो कम से कम सांचौर पंचायत समिति की 13 पंचायतें, जो मेरे विधान सभा क्षेत्र में आती हैं, उन तक तो सिंचाई का पानी पहुंचायें।

सरकार को बताना चाहता हूं गुजरात का दांतीवाड़ा बांध जो गुजरात में है, लगभग 60 से 65 प्रतिशत पानी राजस्थान से आता है। दांतीवाड़ा बांध से रानीवाड़ा तहसील के गांवों को कमाण्ड में लेकर सिंचाई हेतु पानी (ड्रिप पद्धति से) दिया जाये तो हजारों किसानों को लाभ मिल सकेगा। हवाई सर्वे (सीधा) में दांतीवाड़ा बांध से रानीवाड़ा विधान सभा के बडगांव क्षेत्र के कई गांव मात्र 35 किलोमीटर ही पड़ते हैं।

सुजलाम-सुफलाम नर्मदा कच्ची नहर का पानी जो गुजरात प्रदेश के नेनावा गांव तक आ रहा है (गुजरात के गांव नेनावा और रानीवाड़ा विधान सभा के गांव दुगावा, खापरोल, पांचला की एक ही सीमा है), उन कच्ची नहरों को राजस्थान में प्रवेश कराकर आगे सांचौर, रानीवाड़ा सहित पूरे जालौर जिले को जोड़ा जाये तो किसानों को सिंचाई के लिये पर्याप्त पानी मिल सकता है।

राजीकावास बांध, जो 2017 की अतिवृष्टि (बाढ़) में क्षतिग्रस्त हो गया था, उसके जीर्णोद्धार के लिए वर्ष 2018-19 में नाबार्ड के सहयोग से 14 करोड़ 42 लाख रुपये स्वीकृत हुए थे, परन्तु इस सरकार ने स्वीकृति को निरस्त कर दिया है। मेरी माननीय मंत्री जी से मांग है कि इस बारे में एक बार फिर से सोचकर मेरे क्षेत्र के किसानों को सिंचाई के लिए पानी मिल सके, इसलिए राजीकावास बांध के जीर्णोद्धार के लिए 14 करोड़ जो आपके लिए बहुत छोटी सी राशि है, स्वीकृत करने की कृपा कराएं।

मेरे विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा के वणधर व जैतपुरा बांधों से किसानों को सिंचाई के लिए नहर बनाकर व्यवस्था की जाये।

मेरे विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा के ग्राम दांतवाडा, मेडा, पूरण, डोरडा, पंसेरी, कीबला, मनोहर जी का वास, काडिया (पहाडपुरा) में बरसात का व्यर्थ बहकर जाने वाले पानी को बांध या एनिकट बनाकर रोका जाये, जिससे किसानों को सिंचाई के लिए पानी मिल सके।

2017 की अतिवृष्टि से सागी व खारी नहीं के बहाव क्षेत्र में आने वाले मेरे विधान सभा क्षेत्र मे रानीवाड़ा के सावलास वणदर व भीनमाल विधान सभा के कई गांव खेत कर गये हैं किसानों ने आन्दोलन भी किया। तत्कालीन मंत्री ने भीनमाल जाकर आवश्यक पिचिंग कार्य करवाये।

सागी व खारी नदी के बहाव क्षेत्र में आने वाले मेरे विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा के सांवलावास, वणधर भीनमाल विधान सभा के कई गांव खेत कट गये हैं, इसलिए वहां पर नदी मार्ग में से मिट्टी निकालकर पिचिंग का कार्य करवाया जाये और बाढ़ बचाओ कार्य करवाये जायें ताकि भविष्य में भी संभावित जन-माल की हानि से बचा जा सके।

जालौर एवं सिरोही के किसान लम्बे समय से सिंचाई के लिए माही का पानी लाने की मांग कर रहे हैं। माही बजाज सागर की कुल भराव क्षमता 56.142 T.M.C. है जिसमें से 40 T.M.C. पानी गुजरात के लिये और 16.142 T.M.C. पानी राजस्थान के लिए रिजर्व रखा गया। वर्ष 1966 में गुजरात और राजस्थान के मध्य एक समझौता तय हुआ कि गुजरात में नर्मदा का पानी प्राप्त होने के बाद, माही बजाज में गुजरात के हिस्से का 40 T.M.C. पानी राजस्थान द्वारा उपयोग किया जायेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अब गुजरात में नर्मदा का पानी पहुंच चुका है। सरकार को इस ओर ध्यान देने की जरूरत है।

कडाणा और माही बांध के निर्माण से वर्षों पहले केन्द्र सरकार द्वारा खोसला कमेटी का गठन हुआ था और इस कमेटी ने पश्चिमी राजस्थान, जिसमें जालौर जिला आता है, को पानी देने की रिपोर्ट केन्द्र सरकार को भेजी थी।

माही- बजाज सागर का जल स्तर 285 मीटर पर है। माही बेसिन से अनास तथा सोम नदियां एवं साबरमती बेसिन की वाकल, पायरी, साबरमती और कई नदियों पर स्टोरेज डैम बनाकर 259 किलोमीटर लम्बी सुरंग के माध्यम से डूंगरपुर जिले के टिमरोआ गांव से ग्रेविटी फ्लो के माध्यम से

जालौर जिले की भीनमाल तहसील के गांव विशाला तक यह पानी आ सकता है।

भीनमाल विधान सभा के विशाला गांव की समुद्र तल से ऊंचाई 94.50 मीटर है और डूंगरपुर के टिमरोआ गांव की ऊंचाई 130.50 मीटर है। ग्रेविटी फ्लो से यह पानी आ सकता है। इस बारे में हमारी पूर्ववर्ती सरकार 2003-2008 तक के समय में वर्ष 2005 में तत्कालीन मुख्य अभियंता, माही परियोजना ने भी इसकी अनुशंषा की थी।

जालोर जिले में माही का पानी आने से 6 लाख एकड़ भूमि की सिंचाई हो सकती है। इसलिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी, जो जल संसाधन विभाग के मंत्री भी हैं, उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि माही-बजाज सागर परियोजना की D.P.R. तैयार कराने के आदेश दें और इसके लिए इसी बजट में वित्तीय प्रावधान भी करें ताकि लम्बे समय से जालोर जिले के लोगों की ये अधूरी मांग पूरी हो सके। इसके लिए मैं और जालौर जिले की जनता आपकी बहुत आभारी रहेगी।

जबकि कई राज्यों ने तीसरी व चौथी किस्त ले ली है। चूंकि ये भारत सरकार की योजना है और सफल हो गई तो शाबासी भारत सरकार को जायेगी। इसलिए आप जान बूझकर रूचि नहीं लेकर राज्य की जनता के साथ अन्याय कर रहे हैं।

केन्द्र सरकार का जनता जल मिशन (JJM)

हर घर को नल से जल देने की बात केन्द्र सरकार ने की है। इस योजना में 50 प्रतिशत केन्द्र सरकार व 40 प्रतिशत राजस्थान सरकार व 10 प्रतिशत जन सहयोग का कहा गया है।

केन्द्र सरकर ने राज्य सरकार को लगभग 550 करोड़ दे दिया है।

राज्य सरकार ने इस योजना में लगभग 10 करोड़ दिया है, जो ऊंट के मुंह में जीरा समान है।

चूंकि ये भारत सरकार की योजना है और सफल हो गई तो शाबासी भारत सरकार को जायेगी इसलिए आप जान बूझकर रूचि नहीं ले रहे हैं।

जबकि कई राज्यों ने तीसरी व चौथी किस्त ले ली है।

पेयजल

माननीय अध्यक्ष/सभापति महोदय, इंसान खाये बिना तो फिर भी 10-

20 दिन जिन्दा रह सकता है लेकिन पानी के बिना तो एक दिन भी जिन्दा नहीं रह सकता। इस पर मुझे रहीम जी का दोहा याद आ गया।

"रहिमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून।

पानी गए ना ऊबरे, मोती, मानस चून।"

माननीय अध्यक्ष/सभापति महोदय, केन्द्रीय भूजल आयोग की 2010 की रिपोर्ट के मुताबिक मेरे विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा में भूजल का औसत स्तर 33 मीटर था जो वर्तमान में बढ़कर 45 मीटर हो चुका है। पीने के अलावा सिंचाई और अन्य कार्यों में लगातार हो रहे भूजल दोहन के कारण आज हालात विकट हो गये हैं। अभी गर्मियां शुरू भी नहीं हुई हैं कि रानीवाड़ा के अखबारों में पेयजल की किल्लत की खबरें छपना शुरू हो गया है और रही सही कसर जलदाय विभाग के A.En, J.En. के पद पिछले एक साल से खाली चलने से पूरी हो रही है। पिछले सत्र में भी मैंने तारांकित प्रश्न के माध्यम से खाली पदों को भरने की मांग की थी, लेकिन अभी तक नहीं भरे गये। जसवन्तपुरा Sub-Division में 1 A.En और 2 J.En. की पोस्ट Sanction है, जो सबकी सब पिछले एक साल से खाली पड़ी हैं। सरकार बदलते ही सारे पद खाली कर दिये। रानीवाड़ा Sub-Division में 1 A.En. और 3 J.En. की पोस्ट Sanction है, जिसमें से केवल 1 J.En. की पोस्ट भरी हुई है बाकी 1 A.En. और 2 J.En. की पोस्टें पिछले एक साल से खाली चल रही हैं। केवल 1 J.En. इतने बड़े क्षेत्र को कैसे संभाल सकता है।

इसी प्रकार सांचौर खण्ड में आने वाली 13 ग्राम पंचायतें जो Sub-Division - Rural IInd में आती है, उसकी भी कुछ यही तस्वीर है।

• सभी पद खाली चल रहे हैं। इस कारण न तो नई स्कीम बन रही है और MLALAD के पानी के काम भी 6 महीने से पेंडिंग चल रहे हैं। मौसम बदल रहा है। सर्दी खत्म होने को है और गर्मी अपने तेवर दिखाने लग गई है। पीने के पानी की मांग अचानक से बढ़ने वाली है और मेरे विधान सभा क्षेत्र से अभी से ही रोज अखबारों में पीने के पानी की किल्लत की खबरें आ रही हैं।

अभी 4-5 दिन पहले अखबार में छपा कि रानीवाड़ा बैल्ट में चारा, कागमाला और आस-पास के कई गांवों में पेयजल आपूर्ति गड़बड़ा गई है जबकि चारा गांव में दो महीने पहले ही PHED ने नया ट्यूबवैल खोदा है, लेकिन उसका बिजली कनेक्शन नहीं हुआ। इस चक्कर में वो काम नहीं आ

रहा है। ऐसी ही स्थिति मेरोप नाडी में है अभी से ये हाल हैं तो मई, जून में क्या होगा।

इसी तरह पिछले साल दो फेज में रानीवाड़ा विधान सभा क्षेत्र के सांचौर डिवीजन के गांवों में 8 ट्यूबवैल स्वीकृत किये गये, जिनमें से एक भी ट्यूबवैल से सप्लाई चालू नहीं हुई है क्योंकि उनके बिजली के कनेक्शन ही नहीं हो पाये हैं।

संवेदनशील सरकार के कुछ उदाहरण दूंगा।

जलदाय विभाग के ट्यूबवैलों की मोटरें जल जाती हैं, 10 से 15 दिन तक नहीं बदला जाता है तो आपके पास उनको रिप्लेस करने के लिए स्टाक में मोटरें नहीं होती हैं। वो जली हुई मोटर वाइन्डिंग के लिए जाती हैं, तो वाइन्डिंग में हल्की क्वालिटी का तार यूज करते हैं, वो मोटर डालने के दो-चार दिन बाद फिर से जल जाती है।

पम्प चालक, फिटर और दूसरे तकनीकी कर्मचारी लगातार रिटायर हो रहे हैं। नई भर्ती हो नहीं रही है। कई जगह एवजी कर्मचारी लगा रखे हैं जिनको 4000 से 4500 रुपये देते हैं, वो खाली नल खोलने का काम करते हैं। उनके खिलाफ किसी भी तरह की कार्यवाही नहीं कर सकते हैं न उनकी कोई जवाबदारी समझते हैं।

R.O. लगाये हैं परन्तु अधिकांश खराब पड़े हैं, कई बार अवगत करवाया। परन्तु क्या हुआ ढाक के तीन पात।

अगर कोई छोटी-मोटी गड़बड़ी हो जाये तो वो एवजी कर्मचारी उसको ठीक नहीं कर सकता है।

Ex.En. office में सामान नहीं होता है। मोटर, वाल्व, पाइप जैसे छोटे-छोटे सामान भी जयपुर चीफ आफिस से ही खरीदने का सिस्टम है। इसलिए इस सिस्टम को बदला जाये और एक्सईएन आफिस को खरीदने के लिए अधिकृत किया जाये।

अब मैं बात करता हूं माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अपने पिछले बजट भाषण 2019-20 में घोषणा की थी कि प्रदेश में 4 हजार से अधिक आबादी वाले ऐसे गांव जिनमें पेयजल पाइप लाइन योजना नहीं है, उनको पाइप लाइन से जोड़ा जायेगा। ऐसे 390 गांव आपने वंचित बताये थे और 2019-20 में आपने 25 गांवों को जोड़ने की घोषणा की थी। परन्तु 390 में से केवल 25 गांव आप एक साल में जोड़ते हो तो पांच साल में केवल 125 गांव ही जुड़ेंगे। इसलिए अबकी कम से कम 100 गांवों को तो जोड़ो।

मेरे रानीवाड़ा के केवल 4 गांव पंसेरी, पावली, करवाड़ा और धानोल की आबादी 4 हजार से अधिक है और ये पाइप लाइन से नहीं जुड़े हुए हैं। इनको भी पाइप लाइन से जोड़ दो।

मेरे विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा में डी.आर. प्रोजेक्ट चल रहा है। जिसमें कुल 138 गांव जुड़ने थे, 17 सांचौर के और 121 रानीवाड़ा के। कम्पनी को कार्य पूर्ण करने का दो बार समय बढ़ा दिया है, अभी जून 2020 तक अवधि बढाई गई है।

अभी तक रानीवाड़ा विधान सभा के केवल 58 गांवों को आंशिक रूप से जोड़ा जा सका है। आंशिक इसलिए क्योंकि मैन हैबीटेशन में S.L.R. तो बना दिये, लेकिन उन S.L.R. को मेन लाइन से नहीं जोड़ा गया है और जिनको जोड़ा है वो लीकेज हो रहे हैं। प्रोजेक्ट के तहत S.L.R. से P.S.P. (सार्वजनिक नल) और C.W.T. (पशु खेली) को जोड़कर लोगों को पीने का पानी (सार्वजनिक नल से और पशुओं के लिए पशु खेली से पानी पिलाने की व्यवस्था करनी है, लेकिन अभी तक खाली S.L.R. बनाए गए हैं, न तो P.S.P. बनाए गए हैं और न ही C.W.T. मंत्री जी आप अधिकारियों के साथ जालौर मीटिंग करें, तभी काम हो पायेगा।

इसके अलावा प्रोजेक्ट के तहत केवल मैन हैबीटेशन (मुख्य आबादी) को जोड़ने का प्रावधान है जबकि मेरा विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा पूर्णरूप से ग्रामीण क्षेत्र होने के कारण अधिकांश लोग छोटी-छोटी ढाणियों में रहते हैं। उन ढाणियों तक पीने का पानी कैसे पहुंचायेंगे? इसके लिए कोई प्रावधान नहीं है तो मेरी मांग है कि S.L.R. से पाइप लाइन के माध्यम से उन ढाणियों तक पानी पहुंचाने के लिए भी स्कीम बनाई जाये। जिन गांवों मे नर्मदा का पानी आ गया है वहां आप टयूबवैल की जगह पाइप लाइन से पानी पहुंचाये।

प्रोजेक्ट में 63 गांव अभी भी जुड़ना बाकी हैं। यानी आधे से ज्यादा काम अधूरा है। अब कंपनी को कार्य पूर्ण करने की अवधि जून, 2020 तक बढ़ाई गई है लेकिन जिस हिसाब से काम हो रहा है और पिछले दो-तीन महीने से परियोजना के लिए सरकार पैसा नहीं दे रही है, उस हिसाब से लगता नहीं है कि ये काम जून, 2020 तक पूरा हो सकेगा। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय जलदाय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि सबसे पहले तो परियोजना के लिए पैसा दिया जाये और अनुबंधित कंपनी और परियोजना अधिकारियों को बुलाकर उनको जून, 2020 तक काम पूरा करने के लिए

पाबन्द किया जाये। हालांकि मुझे नहीं लगता कि डी.आर. प्रोजेक्ट का काम जून, 2020 तक पूरा हो सकेगा।

इसी तरह भीनमाल शहर सहित करीब 256 गांव और 1053 ढाणियों को नर्मदा का पानी उपलब्ध कराने के लिए ई.आर. प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। मैन लाइन का करीब 66 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है। अभी तक गांवों और ढाणियों को जोड़ने के लिए क्लस्टर ही स्वीकृत नहीं किये गये हैं। क्लस्टर निर्माण के लिए करीब 500 करोड़ रुपये के प्रस्ताव स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को भिजवाये हुए हैं लेकिन अभी तक कोई स्वीकृति जारी नहीं हुई है। मेन लाईन के काम की अवधि भी दिसम्बर, 2020 तक बढ़ाई गई है। पर जिस हिसाब से मौके पर काम हो रहा है और पिछले दो-तीन महीने से सरकार से पैसा नहीं मिल रहा है उसको देखते हुए मुझे नहीं लगता कि दिसम्बर तक भी काम पूरा हो सकेगा और यदि मेन लाइन का काम पूरा हो भी जायेगा तो भी क्लस्टर वाले 500 करोड़ रुपये की स्वीकृति जब तक जारी नहीं होगी और जब तक क्लस्टर नहीं बनेंगे, तब तक इस परियोजना का कोई लाभ एक भी गांव या ढाणी को नहीं मिलेगा। इसलिए मेरा आपके माध्यम से माननीय जलदाय मंत्री जी से निवेदन है कि क्लस्टर के लिए 500 करोड़ रुपये की स्वीकृति जारी की जाये और मैन लाइन का काम दिसम्बर, 2020 तक पूरा कराने के लिए अधिकारियों और कंपनी पर दबाव बनाया जाये।

रानीवाड़ा विधान सभा क्षेत्र के गांवों में नये ट्यूबवैल और हैण्डपम्प स्वीकृत किये जायें। इसलिए मेरा माननीय जलदाय मंत्री जी से निवेदन है कि जल्दी से जल्दी ट्यूबवैल और हैण्डपम्प स्वीकृत कर उनको खुदवाने की व्यवस्था कराएं ताकि गर्मियों में संभावित पेयजल संकट को टाला जा सके। हमारी सरकार थी तो चाहे भाजपा का विधायक हो या कांग्रेस का, सब विधायकों की अनुशंषा पर सौ-सौ हैण्डपम्प हर साल देते थे। आपकी सरकार ने इसमें भी भेदभाव करना शुरू कर दिया है। पानी पिलाने में तो कम से कम भेदभाव मत करो।

श्रीमती जाहिदा खान (कामां)

माननीय सभापति जी, आपके द्वारा मैं अपनी संवेदनशील सरकार से आग्रह करना चाहूंगी कि आगजनी, ओलावृष्टि एवं वर्षा से किसान का जो भी नुकसान हुआ हो उसके मुआवजे देने की वर्तमान नीति बिलकुल ही वास्तविकता से परे है।

अध्यक्ष महोदय, 29 फरवरी को मेरे विधान सभा क्षेत्र कामां में भारी तूफान के साथ बरसात हुई इसकी वजह से तेज हवा चली एवं गेहूं की फसल पूरी तरह से खराब हो गई एवं किसानों को भारी नुकसान हुआ। प्रशासन द्वारा जो गिरदावरी करवाई गई उसमें इस नुकसान को नजरअंदाज किया गया है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन करूंगी कि वह हमेशा से किसानों के लिए संवेदनशील रहे हैं और हमारी सरकार संवेदनशील सरकार कहलाती है इसलिए यह जो किसानों का नुकसान हुआ है इसका दोबारा से सर्वे कराया जाए और किसानों को जो नुकसान हुआ है उसकी क्षतिपूर्ति की जाए। वर्तमान में फसलों के नुकसान की भरपाई के लिए सरकार द्वारा बहुत कम मुआवजा दिया जाता है जबकि किसानों की फसलों के खराबे की वास्तविक कीमत बतौर मुआवजा किसानों को दिया जाना चाहिए।

अतः मैं सरकार से यह दरख्वास्त करती हूं कि जो भी नुकसान किसानों का हुआ है उस नुकसान की शत-प्रतिशत भरपाई सरकार करे और इस तरह की नीति मुआवजे के लिए सरकार बनाए। इसी तरह ओलावृष्टि एवं आगजनी में हुए नुकसान के लिए मुआवजा देने की वर्तमान नीति बिल्कुल ही वास्तविकता से परे है। मैं एक उदाहरण अपने विधान सभा क्षेत्र में हुए हादसे का देना चाहती हूं।

पिछले साल एक गरीब किसान की संपूर्ण फसल आग लग जाने की वजह से जल गई एवं उसके घर और घर का सामान भी काफी मात्रा में जल गया। उसका लगभग चार लाख का नुकसान हुआ जबकि प्रशासन द्वारा उसको मात्र 4000 रुपये सहायता के रूप में दिए गए। जब भी ऐसे हादसे होते हैं, जो सरकार के मुआवजे के नियम बिलकुल भी वास्तविकता से बहुत परे हैं तथा नुकसान के मुकाबले में उसकी क्षतिपूर्ति की राशि इतनी कम होती है कि उसको देने में भी खुद को मायूसी होती है। इसलिए सरकार से मेरा आग्रह है कि वह आगजनी में होने वाले नुकसान के बारे में भी मुआवजे के लिए नई नीति एवं नियम बनाए जिससे गरीबों, किसानों के इस तरह की घटनाओं में हुए नुकसान का शत प्रतिशत मुआवजा सरकार दे, जिससे गरीब आदमी को राहत मिले।

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, भारत को वर्तमान में जलवायु परिवर्तन पर International Intergovernmental Panel on climate change द्वारा जल की कमी वाले देश के रूप में आईडेंटिफाई किया गया है क्योंकि वर्तमान में प्रति व्यक्ति उपयोग करने योग्य मीठे पानी की मात्रा इंटरनेशनल पैरामीटर से बहुत कम है। तेजी से बढ़ती आबादी एवं शहरीकरण और इंडस्ट्रिलाजेशन के कारण तथा भूजल पर भारी निर्भरता एवं वर्षा की कमी और पानी की बढ़ती मांग के कारण जल प्रबंधन पर काफी जोर दिया जाना चाहिए। इस सिनेरियो में वाटर कंजर्वेशन अत्यंत महत्वपूर्ण है। वाटर कंजर्वेशन के लिए रैगुलर सिस्टम को रिवाइज करना एवं ट्रेडिशनल वाटर रिसोर्सेज को रिवाइव करना बहुत प्रमुख कार्य हैं।

भारत सरकार ने यह घोषणा की है कि जल जीवन मिशन के तहत 2024 तक प्रत्येक घर में नल का कनेक्शन दिया जाएगा और पानी पहुंचाया जाएगा।

आज के हालात में राजस्थान स्टेट में नल से कनेक्शन मात्र 12 प्रतिशत ही हैं तथा यह अनुमानित है कि टारगेट को अचीव करने के लिए अगले 4 वर्षों में लगभग 80 लाख नए कनेक्शन दिए जाने की जरूरत होगी। इस लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु लगभग एक लाख करोड़ रुपये से अधिक के बजट की जरूरत पड़ेगी। केन्द्र एवं राज्य के वर्तमान संसाधन आबंटन की प्रणाली के तहत इस कार्य के लिए 50-50 प्रतिशत है लेकिन संसाधन के वर्तमान आबंटन फार्मूले के द्वारा राजस्थान जैसे स्टेट के लिए यह टारगेट अचीव करना नामुमकिन है।

राजस्थान जो अधिक पानी की कमी वाला स्टेट है, जहां पर दूर-दूराज रिहायशी इलाके हैं, डेजर्ट है तथा भौगोलकि स्थितियां की वजह से घर घर में पानी दिए जाने जैसी बुनियादी सुविधा देने के लिए केंद्र को एक विशेष दर्जा राजस्थान को देना होगा एवं संसाधन आबंटन को संशोधित कर 90:10 का रेशो करने का मैं आग्रह करती हूं जिससे वर्ष 2024 तक इस लक्ष्य को पूरा किया जा सके ताकि राजस्थान को एक जल सकारात्मक राज्य बनाया जा सके।

सभापति जी, मेरी विधान सभा क्षेत्र में तकरीबन 90 प्रतिशत खारा पानी है। सभी कस्बे जैसे कामां, जुरहरा, पहाड़ी, गोपालगढ में भी खारा पानी है इसलिए ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र में टैंकरों से पानी सप्लाई होता है। लोग खरीद कर पानी पीने के लिए मजबूर हैं।

सभापति जी, हमारी सरकार ने पिछले कार्यकाल में चम्बल परियोजना स्वीकृत की थी जिससे 2014 में मेरी विधान सभा को जो पानी मिलना था, वो मार्च, 2020 तक भी नहीं मिला है। गत भाजपा सरकार ने इतने महत्वपूर्ण योजना की भी इम्प्लीमेन्टेंशन & monitoring भी नहीं की। अब जब से हमारी सरकार आई है। तब से चम्बल प्रोजेक्ट पर रेपिड स्पीड से काम हो रहा है।

मैं आपके द्वारा संवेदनशील सरकार से आग्रह करना चाहूंगी कि जब तक गांवों व कस्बों में चम्बल का पानी नहीं आता तब तक टैंकरों से पानी की सप्लाई करवाएं जिससे गरीब आदमी को राहत मिले।

जनता जल योजना- तकरीबन बन्द है। बिजली बिल काफी बाकी है इसलिए कनेक्शन काट दिया है। सभापति जी, आपके द्वारा मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगी कि आप माननीय उप मुख्यमंत्री जी के साथ मिलकर कोई हल निकालें जिससे ग्रामीणों को पीने का पानी मिल सके।

सिंचाई

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, कामां विधान सभा क्षेत्र में सिंचाई के लिए पानी की समस्या को देखते हुए 14 फरवरी, 2001 को आदरणीय मुख्य मंत्री अशोक गहलोत साहब एवं मरहूम चौधरी तैय्यब हुसैन जी व सिंचाई मंत्री श्रीमती कमला बेनीवाल जी के द्वारा पहाड़ी के धीमरी गांव में डिस्ट्रीबूटरी की आधारशिला रखी गई जिससे गुडगांव कैनाल का पानी पहाड़ी उपखण्ड के किसानों को मिल सके। पहाड़ी डिस्ट्रीब्यूटर एवं गुडगांवा कैनाल से 36 कच्ची वितरिकाओं के माध्यम से खेतों में पानी पहुंचता है। इन 36 कच्ची वितरिकाओं की स्थिति खराब होने के कारण पानी की छीजत ज्यादा होती है। काफी पुरानी होने के कारण इनकी गहराई बहुत कम हो गई है इससे पानी किसानों तक पूरी मात्रा में पानी नहीं पहुंच पाता।

अध्यक्ष महोदय, सन 2008 में जब मैं कामां से एमएलए बनी, पहाड़ी डिस्ट्रीबूटरी को पक्का करने के लिए माननीय मुख्य मंत्री द्वारा 13 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की थी। इस राशि से पहाड़ी डिस्ट्रीबूटरी को पक्का करवाया गया जिससे पानी ग्रहण करने की क्षमता में वृद्धि हुई एवं पहाड़ी उपखण्ड के ज्यादा से ज्यादा किसानों तक पानी पहुंचा, लेकिन 36 डिस्ट्रीबूटरी कच्ची ही रह गई।

माननीय सभापति जी, आपके द्वारा मैं माननीय मुख्य मंत्री जी की शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने इस बजट में 25 डिस्ट्रीबूटरी को पक्का करने के लिए

budget में घोषणा की है लेकिन शायद गलती से 11 डिस्ट्रीबूटरी रह गई। मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करती हूं कि इन 11 डिस्ट्रीबूटरी को भी पूरक रिप्लाई में सैंक्शन कर दिया जाए।

भारतीय जनता पार्टी की सरकार में विगत 5 साल इन नहरों में पानी नहीं आया व किसान सिंचाई के लिए पानी को तरसता रहा, जिससे उनको काफी नुकसान उठाना पड़ा। वर्तमान सरकार के आने पर नहरों में पूरी क्षमता से पानी आ रहा है व किसानों को सिंचाई करने में मदद मिल रही है। करोड़ों रुपये का फायदा किसानों को हुआ है।

कामां विधान सभा क्षेत्र के किसानों को अन्तिम छोर तक पानी मिलने में आसानी होगी तथा इसी के साथ यदि पहाड़ी डिस्ट्रीब्यूटरी को सीकरी बांध से मिला दिया जाता है तो आफ सीजन में पानी को सीकरी बांध में स्टोर किया जा सकता है तथा इस बांध से निकलने वाली वितरिकाओं के माध्यम से पानी का पूरा उपयोग पूरे वर्ष सिंचाई के लिए किया जा सकता है। पहाड़ी डिस्ट्रीब्यूटरी को सीकरी बांध से मिलाने पर बृज मेवात क्षेत्र के हजारों हैक्टेयर भूमि में अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी, किसानों को महंगे डीजल और बिजली से चलने वाले पम्पों का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा जिससे उनको आर्थिक लाभ भी मिलेगा। मरहूम चौधरी तैय्यब हुसैन साहब का यह सपना था कि संपूर्ण मेवात के प्रत्येक किसान के खेत तक पानी पहुंचे जिससे किसान पूरे वर्ष बिना किसी परेशानी के खेती का कार्य कर सके।

अंत में मैं आपसे गुजारिश करती हूं कि कामां विधान सभा क्षेत्र में गुडगांव कैनाल एवं पहाड़ी डिस्ट्रीब्यूटरी से निकलने वाली समस्त 31 कच्ची वितरिकाओं को पक्का करवा दिया जाए और K. P. drain को खुदाई कर गहरा किया जाए जिससे पड़ौसी राज्य से प्राप्त पानी का पूरी क्षमता के साथ सिंचाई के क्षेत्र में उपयोग हो सके व वह प्राप्त पानी किसान के अंतिम खेत तक पहुंच सके।

श्री गोपी चन्द मीणा (जहाजपुर)

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे माग संख्या-27, 38, 46 पर बोलने का अवसर दिया, जिसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।

पेयजल:- हमारे लोकप्रिय यशस्वी प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने शुद्ध पेयजल घर-घर ढाणी को देने की योजना बनाई, जिसमें गांव के गरीब किसानों के जीवन में सुधार होगा।

(1) माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर में पेयजल की बहुत विकट समस्या है। चम्बल पेयजल परियोजना से जनवरी, 2020 तक पेयजल उपलब्ध करवाना था लेकिन अभी तक जहाजपुर तहसील के एक भी गांव को पानी नहीं मिल पाया।

(2) माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि इस योजना से बड़े गांवों को जोड़ा गया लेकिन राजस्व ग्राम की सम्पूर्ण आबादी मजरों, ढाणियों को भी शीघ्र जोड़ा जाए ताकि गरीबों को शुद्ध पेयजल मिल सके।

(3) चम्बल पेयजल ग्राम योजना द्वारा पाइप लाइन सड़कों की पटरियों पर डालने से सड़क टूट जाती है।

(4) चम्बल पेयजल परियोजना में पानी के बिलों का भुगतान गांव के सामूहिक बिल आने से कनेक्शन काट दिये जाते हैं। अतः मेरा अनुरोध है कि कनेक्शन नहीं काटे जाएं, इसकी व्यवस्था की जानी चाहिए। व्यक्तिगत कनेक्शन दिलायें।

(5) पानी की टंकिया खेल निर्माण सड़क के पट्टी में अव्यवस्था हो रही है।

माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में पीएचईडी विभाग में एईएन, जेईएन व अन्य कर्मचारियों के रिक्त पद होने से अव्यवस्था हो रही है। अतः अनुरोध है कि रिक्त पद भरे जाएं।

भीलवाड़ा जिले में अच्छी वर्षा होने के कारण जिले का डार्क जोन समाप्त किया जाये किसानों को Open Well व ट्यूबवेल खोदने की स्वीकृति प्रदान की जाए।

बनास नदी पर भीलवाड़ा शहर से दूषित पानी डालने से कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं।

सिंचाई: माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में जहाजपुर में तालाबों में पानी भरा है, लेकिन नहर नहीं होने से किसानों के खेत तक पानी नहीं दिया गया, नहरें स्वीकृत की जाएं। निम्न बांध है- 1. रावत खेड़ा बांध 2. नागदी बांध की अपूर्ण नहर 3. नवरत्न सागर राजपुरा 4. सांकड़ा बांध कोटड़ी नहर 5. रतनसागर अमरगढ़ 6. बिलेटा तालाब की नहर 7. भैरू सागर बांध मेडिया। बांधों की मरम्मत की जाए - (1) देवनारायण जमेलिया बांध (बाकरा) (2) गोरूणा बांध (टीपेडा) (3) छगाका झोंपड़ा बांध (4) गंजैर बाध।

माननीय सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र में अरावली पहाड़ की बीच में भूमि असिंचित रहती है। जल संरक्षण व जलस्तर को बढ़ाने के लिए मेरा अनुरोध है कि एनिकट चैक डेम बनाकर जलस्तर बढ़ाने हेतु एनिकट स्वीकृत किया जाए। प्रस्तावित (1) भुवार एनिकट (2) देवा की झोपड़िया (3) रजवास बगेरूठा की बीच खाली पर एनिकट निर्माण।

माननीय सभापति महोदय, भूमि का जलस्तर बढ़ाने के लिए बीसलपुर बांध के ऊपर बनास नदी पर तीन चार जगह ओ लेवल के नदी पर एनिकट निर्माण किया जाए, ताकि बीसलपुर बांध का जलस्तर व भूमि का जलस्तर बढ़ सके। इसके लिए बनास नदी पर घाटाराणी से जामोली घाटे पर अभयपुर से वागुदार घाटे पर और चैनपुरा से असावरी घाटे पर एनिकट निर्माण किया जाए।

सिचाई विभाग अनुदान बजट आबंटन कराएं। कृषि विभाग द्वारा मेरे विधान सभा क्षेत्र कोटड़ी, जहाजपुर में फव्वारा सैट, पाइप लाइन व कृषि यंत्रों के उपकरणों के प्रकरण लम्बित हैं।

माननीय सभापति महोदय, प्रदेश की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना बीसलपुर बांध का जलस्तर बढ़ाने के लिए नदी से जोड़ने का सरकार द्वारा प्रस्तावित कार्य को अतिशीघ्र स्वीकृत करना चाहिये। मेज नदी व बाण गंगा नदी व गंभीरी नदी व चम्बल नदी के पानी डालने का कार्य अतिशीघ्र करना चाहिये, जिससे भूमिगत जलस्तर बढ़ेगा एवं प्रदेश की सबसे बड़ी बीसलपुर पेयजल परियोजना में सदाबहार पानी रहेगा, जिससे सम्पूर्ण प्रदेश को शुद्ध पेयजल उपलब्ध होगा।

नदी से निम्न बांधों को जोड़ा जाए व निम्न बांधों व सिंचाई विभाग काछोला बांध, भगुनगर बांध, खजूरी बांध, अमरगढ़ बांध, पीपलूद उलेला बांध व सरसिया भवानीपुरा नागदी बांध, रावतखेड़ा बांध इनको नदी या नहर से जोड़ा जाए, ताकि किसानों को सिंचाई हेतु पानी मिल सके।

श्री गोविन्द प्रसाद (मनोहरथाना)

मेरा विधान सभा क्षेत्र मनोहरथाना जिला झालावाड़ के तीन उपखण्ड एवं तीन ब्लाकों में स्थापित है, तीनों ब्लाकों को मिलाकर कुल 65 ग्राम पंचायत है। ब्लाक मनोहरथाना की 27 ग्राम पंचायतों में से 13 ग्राम पंचायतें व ब्लाक अकलेरा में 31 ग्राम पंचायतों में से 15 ग्राम पंचायत व झालरापाटन ब्लाक की 7 ग्राम पंचायतों में से 2 ग्राम पंचायतें पठारी क्षेत्र में बसी हुई हैं। यहां पर गर्मी के दिनों में उनको पीने का पानी भी नसीब नहीं होता है। कई गांवों को पूर्व सरकार द्वारा कालीखाड़ बांध से ब्लाक मनोहरथाना के 88 गांव एवं गुलेण्डी बांध तथा छापी बांध से ब्लाक अकलेरा के 72 गांवों तथा झालरापाटन ब्लाक के 33 गांवों को पेयजल से जोड़ा गया था, उन गांवों को आज स्वच्छ पेयजल उपलब्ध हो रहा है। शेष रहे गांवों के लिए एक बड़ा प्रोजेक्ट बनाकर ऐसी योजना बनाई जाए जिससे विधान सभा क्षेत्र के समस्त

गांवों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध हो सके तथा पेयजल की समस्या से हमेशा के लिए निजात मिल सके।

राजस्थान का झालावाड़ जिला चेरापूंजी कहा जाता है लेकिन झालावाड़ जिले का मनोहरथाना विधान सभा क्षेत्र सिंचाई के क्षेत्र में काफी पिछड़ा हुआ क्षेत्र माना जाता है क्योंकि अधिकतर क्षेत्र पठारी होने के कारण पानी का जल स्तर ऊंचा एवं भराव नहीं हो पाता है, जिसके कारण रबी की फसलें नहीं हो पाती हैं तथा अधिकतर किसानों को केवल एक ही फसल खरीफ पर ही निर्भर रहना पड़ता है। वो भी यदि वर्षा अच्छी होती है तो फसल की पैदावार होगी तथा अगर वर्षा नहीं हुई तो फसल की पैदावार नहीं होती जिसके कारण अधिकतर लोगों को पलायन करने पर मजबूर होना पड़ता है तथा गरीब मजदूर लोगों को मजदूरी कर अपने परिवार का पालन-पोषण करना पड़ता है।

मेरा विधान सभा क्षेत्र अत्यधिक पिछड़ा होने के कारण एवं जल संसाधन के अभाव से लोगों के स्तर को ऊंचा करने के लिए पठारी क्षेत्र में माइक्रोडैम तथा एनीकट तथा खाड़ बांध, गुलेण्डी बांध एवं छापी बांध की नहरों का भी सुदृढ़ीकरण करने एवं नहरों को आगे नव-निर्माण की आवश्यकता है, जो निम्न प्रकार हैः-

1. कालीखाड़ बांध की नहर का सुदृढ़ीकरण एवं ठीकरिया से पट्टी, समरोल तक एवं गांगाहोनी से जालमपुरा होती हुई मनोहरथाना, गोरियाखेड़ा तक बढ़ायी जाए।

2. गुलेण्डी बांध की नहर को ल्हापसिया से मोढ़ के माल ल्हास तक तथा ल्हापसिया नहर माइनर द्वारा उगेनी, धूंधलिया वाया रानीपुरिया होकर ल्हासी तक।

विधान सभा क्षेत्र मनोहरथाना में

नये माइक्रोडैम स्वीकृति प्रदान करवाने बाबत			
क्र.सं.	**ग्राम पंचायत**	**गांव का नाम**	**कार्य**
1	पिण्डोला	गुवाड़ी	गुवाड़ी में
2	कोलूखेड़ी कलां	डेकडियाखेड़ी	पीपलावाड़ा खोयरा में
3	खेरखेड़ा	टोड़ा खेड़ा	चमरगढ़ का खोयरा में
4	खेरखेड़ा	टोड़ा खेड़ा	श्मशान के पास में
5	बांसखेडी मेवातियान	घड़ावली	लाम्बी खो के खोयरा में
6	लसुड़िया	चारखेड़ा	रेल का डैम का निर्माण करवाना है
7	बोरखेड़ी गुजरान	रोज्या	डेडी नदी पर

क्र.सं.	**ग्राम पंचायत**	**गांव का नाम**	**कार्य**
8	बोरखेड़ी गुजरान	बोरखेड़ी गुजरान	भैंस का खोयरा में
9	उमरिया	उमरिया	सार की खोयरी में
10	भालता	भालता	नाला रोड पर
11	बिन्दाखेड़ा	पाड़लिया लोढ़ान	सलोतिया खोयरा में
12	बोरबन्द	देवरी मन्दिर	बड़े वाला खोयरा में
13	सरखण्डिया	देवरी देव	टोड़ा का खाल में
14	सरखण्डिया	जामुनिया कला	सुण्डा के खोयरा में
15	नयापुरा	नयापुरा	जिन्दा खोह का खोयरा में
16	कोलूखेड़ी कलां	बामलाबेह	बामलाबेह के खोयरा में
17	चन्दीपुर	पछेटा	तेन्दुवाला खोयरा

विधान सभा क्षेत्र मनोहरथाना में

नये एनीकट की स्वीकृति प्रदान करवाने बाबत			
क्र.सं.	**ग्राम पंचायत**	**गांव का नाम**	**कार्य**
1	खेरखेड़ा	खानपुरिया	पटपटी वाला खाल में
2	डूंगरगांव	डूंगरगांव	मोड़पुरिया के नीचे
3	भालता	भालता	छापी नदी में सरखेड़ा घाट के किनारे पर
4	आसलपुर	गरडा	डेंडी नदी पर
5	बोरखेड़ी गुजरान	भीलखेड़ा	नाका का खाल में
6	उमरिया	उमरिया	चमरिया डाबरा पर

श्रीमती कृष्णा पूनियाॅ (सादुलपुर)

भारत वर्तमान में जलवायु परिवर्तन पर अन्तरराष्ट्रीय संस्था द्वारा जल की कमी वाले देश के रूप में चिह्नित किया गया है। चूंकि वर्तमान में प्रति व्यक्ति उपभोग करने योग्य मीठे पानी की मात्रा अन्तरराष्ट्रीय मानकों से बहुत कम है। भारत के संदर्भ में राजस्थान में जल परिदृश्य सबसे चुनौतीपूर्ण है। राजस्थान को जल पर्याप्त राज्य बनाने के लिये हितग्राहियों और राज्य सरकार दोनों की समान रूप से महत्वपूर्ण भूमिका एवं जिम्मेदारी है।

राजस्थान प्रदेश देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 10.4 प्रतिशत है। देश की 5.5 प्रतिशत से अधिक आबादी और पशुधन का लगभग 18.70 प्रतिशत का पालन करता है। इसके विपरीत राजस्थान राज्य के पास देश के कुल सतही पानी का केवल 1.16 प्रतिशत और कुल भूजल का मात्र 1.6 प्रतिशत

उपलब्ध है। पानी की महत्वता को मानते हुए राजस्थान की राज्य जल नीति 2010 में बनाई गई।

जल सुरक्षा के लिए काम करने वाले सभी विभागों, जैसे जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, भूजल, जल संसाधन, कृषि, पंचायती राज, ग्रामीण विकास विभाग आदि के बीच समन्वय/(2010 राज्य जल नीति के तहत लिया गया) के लिए।

2024 तक जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल 50/50 प्रतिशत भागीदारी।

सुझाव

1. प्रत्येक घर में बारिश का पानी संग्रहण के लिये कुण्ड निर्माण अनिवार्य करना व इसके लिये अनुदान के लिये राशि भी दी जाये।

2. जल संचय का कार्य नरेगा के तहत किया जाये।

3. कुएं, बावड़ी, तालाब आदि पुराने जल स्रोत हैं, उनको दुरुस्त किया जाये।

4. समुदाय को पानी के उपभोग शुल्क हेतु तैयार करना, देने के लिए तैयार भी हैं।

5. जल स्रोतों के प्रदूषण से बचाव प्लास्टिक।

6. बाढ़ के पानी की उचित निकासी।

7. अच्छी बारिश के कारण (बीसलपुर बांध का ओवर फ्लो)।

8. बहाव क्षेत्र की बजाय दूसरे बांध में पानी संचय करना।

9. पेड़ तो लगाए जाते हैं पर मोनीटरिग भी की जाए।

10. वाटर रिसाइकल छोटे शहरों में लागू करने की।

1. ग्राम रामपुरा एवं भैंसली को घर-घर जल सम्बन्ध देकर लाभान्वित करने के लिये जल जीवन मिशन के तहत स्टेट लेवल स्कीम सैक्शनिंग कमेटी की बैठक दिनांक 26 दिसम्बर, 2019 में राशि रुपये 1101.60 लाख की स्वीकृति जारी की गई है। तकनीकी स्वीकृति प्रक्रियाधीन है।

2. ग्राम नेसल को घर-घर जल सम्बन्ध देकर लाभान्वित करने के लिये जल जीवन मिशन के तहत स्टेट लेवल स्कीम सैंक्शनिंग कमेटी की बैठक दिनांक 26 दिसम्बर, 2019 में राशि रुपये 423.23 लाख की स्वीकृति जारी की गई। तकनीकी स्वीकृति प्रक्रियाधीन है।

3. राजगढ़ कस्बे में उपभोक्ताओं को पर्याप्त दबाव से पेयजल उपलब्ध करवाने हेतु पेयजल योजना के पुनर्गठन हेतु राशि रुपये 47 करोड़ स्वीकृत करने के लिये माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा दिनांक 27 फरवरी, 2020 को बजट घोषणा की जा चुकी है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में इस योजना हेतु 10 करोड़ का वित्तीय प्रावधान किया गया है।

4. आपणी योजना के प्रथम चरण, चूरू-बिसाऊ परियोजना एवं सरदारशहर के 60 ग्रामों की योजना का डिजाइन वर्ष 2012 में पूर्ण हो जाने के कारण योजना के पुनर्गठन के लिये पेयजल की ड्राफ्ट विस्तृत परियोजना रिपोर्ट राशि रुपये 811.00 करोड़ की तैयार करवाई गई है। उक्त डी.पी.आर. में सादुलपुर विधानसभा क्षेत्र के 37 ग्राम एवं चिह्नित ढाणियां सम्मिलित हैं। जल जीवन मिशन के मानदण्ड अनुसार प्रत्येक घर में जल सम्बन्ध देने हेतु इसी परियोजना की संशोधित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करवाई जानी है, जो कि प्रक्रियाधीन है।

5. ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति में सुधार हेतु 2 कार्य (पुराने पम्प सैटों को बदलना, पुरानी पाइप लाइन को बदलना इत्यादि) कार्य लागत राशि रुपये 16.95 लाख के स्वीकृत किये गये हैं।

2024 तक "जल जीवन मिशन" हर घर पानी - 50-50 भागीदारी भूमिगत जल की कमी (डार्क जोन)

'पानी 3 दिन में सप्लाई, भूमिगत जल है नहीं।''

भैंसली, नवा, गुडाण, बास गोविन्द सिंह, बास मामराज, नुहन्द, थिरपाली, सुलखणीया, नोरंगपुरा ठिमाऊ, एक चादंगोठी खेत में बस गये। जहां पीने का पानी नहीं है।

सिद्धमुख परियोजना का उदघाटन माननीय पूर्व प्रधान मंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने विशेष तौर पर सिद्धमुख तहसील के 14 गांवों को सिंचाई के लिये सौगात दी थी। सिद्धमुख वितरिका आज तक पानी टेल तक नहीं पहुंचा। आज वहां के किसानों की स्थिति दयनीय है। डार्क जोन, वर्षा की कमी। अपने हक के लिए समय-समय पर धरना प्रर्दशन करते रहते है। लेकिन उनकी तकलीफ को आज तक किसी ने भी नहीं सुनी। हमारे संवेदनशील मुख्य मंत्री जी से मेरा विशेष अनुरोध है कृपया पानी चोरी के लिये ठोस कदम उठायें ताकि वहां किसानों की स्थिति को सुधारा जा सके।

14 गांव गालड़, रेजड़ी, धानोटी छोटी, ताम्बाखेडी, रामसराताल,

टुन्डाखेड़ी, बासड़ा, भीमसाना, रजपुरिया, धोलिया, धागड़ा, डाणी बड़ी, सादपुरा, सिद्धमुख, ठाणी छोटी।

मैं सदन के माध्यम से बताना चाहती हूं कि मैं जिस चूरू जिले से आती हूं उसी जिले से बड़े किसान नेता दौलतराम सारण 4 बार सांसद रहे हैं। उनके नाम से सरकारी स्कूल कालेज, किसान सेवा केन्द्र का नामांकन किया जाये या कोई पेयजल योजना का उनके नाम पर नामांकन करने का कष्ट करें।

श्री गोपाल लाल मीना (जमवारामगढ़)

माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे आज मांग संख्या 27-पेयजल योजना, मांग संख्या-46 सिंचाई एवं मांग संख्या 38 लघु सिंचाई एवं भूमि संरक्षण पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, यह सही है कि संसार में सर्वप्रथम जीवन की उत्पत्ति जल से ही हुई है। जल की महत्ता को रहीम दास जी ने सच ही कहा है

"रहिमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून

पानी बिना न उबरे, मोती मानुष, चून"

जल प्रकृति का उपहार है, धरती का श्रृंगार है, जीव-जंतु और पशु-पक्षी सबका यही पालनहार है।

माननीय सभापति महोदय, आज राजस्थान में सबसे ज्यादा कोई समस्या है तो वह पेयजल को लेकर है। आज पूरे देश में भू-भाग की दृष्टि से देखा जाए तो राजस्थान देश में सबसे बड़ा राज्य है और पानी की दृष्टि से सबसे कम पानी राजस्थान में है।

माननीय सभापति महोदय, इसमें मैं इस अवसर पर कहना चाहूंगा कि इस गंभीर पेयजल की समस्या को तब तक दूर नहीं किया जा सकता है जब तक कि हम नदियों को आपस में जोड़ नहीं दें। इसलिए नदियों को आपस में जोड़ने की योजना बनाने की आज महती आवश्यकता है। माननीय सभापति महोदय, मैं तो यही कहना चाहूंगा कि

"जल ही जीवन है, जल है तो कल है।"

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान भूजल संकट के कगार पर है। राज्य में भूजल के 295 ब्लॉक में से 184 अतिदोहित श्रेणी में आ चुके हैं। मतलब आधे से ज्यादा राज्य में जमीनी पानी कभी भी समाप्त हो सकता है।

आज भूजल की स्थिति बहुत ही दयनीय है। राजस्थान का क्षेत्रफल भारतवर्ष का 10.45 प्रतिशत है जबकि भूजल की उपलब्धता केवल 1.75 प्रतिशत है।

हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि -

''पानी रे पानी, तेरा रंग कैसा।''

जिसका कोई रंग नहीं हो, जिसके बिना जीवित नहीं रह सकते और जिसको पैदा नहीं कर सकते, वह पानी है, जिसके द्वारा सिंचाई भी होती है।

माननीय सभापति महोदय, जल के बिना न तो मनुष्य का जीवन सम्भव है और न ही वह किसी कार्य को संचालित कर सकता है। जल मानव की मूल आवश्यकता है। यूं तो धरातल का 70 प्रतिशत से अधिक भाग जल से भरा है किन्तु इनमें से अधिकतर हिस्से का पानी खारा अथवा पीने योग्य नहीं है। पृथ्वी पर मनुष्य के प्रयोग हेतु कुल जल का मात्र 0.6 प्रतिशत भाग ही मृदु जल के रूप में उपलब्ध है।

वर्तमान समय में इस सीमित जलराशि का बड़ा भाग प्रदूषित हो चुका है, फलस्वरूप पेयजल की समस्या उत्पन्न हो गई है। जिस अनुपात में जल प्रदूषण में वृद्धि हो रही है, यदि यह वृद्धि यूं ही जारी रही, तो वह दिन दूर नहीं जब अगला विश्व युद्ध पानी के लिए लड़ा जाए।

माननीय सभापति महोदय, मेरा माननीय मुख्य मंत्रीजी और सिंचाई मंत्रीजी से निवेदन है कि पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना राजस्थान प्रदेश की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। सरकार द्वारा इसकी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट भी तैयार की गई है। इस परियोजना को जल्दी से जल्दी अमलीजामा दें। यह परियोजना 13 जिलों के लोगों के लिए जीवनदायिनी साबित होगी और इन जिलों में पेयजल व सिंचाई के लिए पानी की समस्या हमेशा के लिए खतम हो जाएगी।

माननीय सभापति महोदय, जमवारामगढ़ बांध मेरे पूरे विधान सभा क्षेत्र के साथ ही जयपुर के लिए भी पेयजल रूप में जीवन रेखा का काम करता था। उक्त बांध में पानी लाने हेतु आदरणीय मुख्य मंत्री श्री अशोक गहलोत जी की पूर्ववर्ती सरकार में 1068 करोड़ रुपये की योजना स्वीकृति कर मेज नदी से अधिशेष पानी लाने की योजना की बजट में घोषणा की थी। लेकिन आज मुझे बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि बीजेपी की सरकार ने उस योजना को ठण्डे बस्ते में डाल दिया। मैं सरकार से पुनः मांग करता हूं कि

उक्त योजना को पुनः स्वीकृत करते हुए जमवारामगढ़ बांध में पानी लाया जाए।

बीसलपुर परियोजना की मुख्य ट्रांसमिशन पाइप लाइन-द्वितीय (Tm-2) की डिजाइन में जमवारामगढ़ को जोडने के संबंध में।

बीसलपुर परियोजना की मुख्य ट्रांसमिशन पाइन लाइन जो कि 2021 तक की डिमाण्ड के लिये डिजाइन की गयी थी, जिसका निकट भविष्य में ओगमन्टेशन किया जाना प्रस्तावित है। वर्तमान में जमवारामगढ़ में पानी की व्यवस्था भू-जल पर आधारित है परन्तु भू-जल का स्तर लगातार गिरता जा रहा है, जिससे पानी की गुणवत्ता भी खराब होती जा रही है। जिस कारण से जमवारामगढ़ निवासियों को भी शुद्ध एवं पर्याप्त पेयजल उपलब्ध करवाने हेतु बीसलपुर की (Tm-2) में जमवारामगढ को भी जोड़ा जाए।

माननीय सभापति महोदय, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना 13 जिलों के लिए बनाई जा रही है। यह परियोजना पूर्वी जिलों के लिए वैसी ही जीवनदायिनी हो सकती है जैसी पश्चिमी जिलों के लिए इंदिरा गांधी नहर परियोजना है। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करता हूं कि इस परियोजना को केन्द्र से जल्दी से जल्दी अमलीजामा पहनाने की कोशिश करें। इसमें मेरा यह भी निवेदन है कि मेरे जमवारामगढ़ का बांध भी इस परियोजना में शामिल हो ताकि मेरे विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ की सिंचाई और पेयजल की समस्या को दूर किया जा सके।

माननीय सभापति महोदय, जैसा कि आपको विदित है कि जमवारामगढ़ विधान सभा क्षेत्र में स्थित प्राचीन ऐतिहासिक रामगढ़ बांध, जो पूर्व में न केवल जयपुर जिले बल्कि पड़ौसी जिले अलवर, दौसा, भरतपुर की भी जीवन रेखा के रूप में कृषि, सिंचाई, पेयजल आपूर्ति एवं जल स्तर को बनाये रखने के साथ प्राकृतिक जैविक संतुलन का प्रमुख स्रोत रहा है। यहां तक कि वर्ष 1982 में एशियाड खेलकूद प्रतियोगिता में नौकायन प्रतियोगिता का आयोजन भी रामगढ़ बांध में किया गया था।

वर्तमान में कृषि, सिंचाई, पेयजल व्यवस्था पर्यावरण संतुलन की समस्या से न केवल राजस्थान बल्कि भारत देश एवं समग्र संसार जूझ रहा है। रामगढ़ बांध के पुराने स्वरूप, वैभव एवं जलाशय की उपयोगिता को पुनर्जीवित करने के लिये आपकी गत सरकार के शासन काल में 1068 करोड़ की मेज नदी से पानी लाने की योजना प्रस्तावित की गयी थी। जिस पर बजट स्वीकृत करते हुए डीपीआर स्वीकृत कर दी गयी थी लेकिन इस अति

महत्वपूर्ण योजना को गत भाजपा शासन काल में कांग्रेस शासन की अन्य कई महत्वपूर्ण योजनाओं की भांति ठण्डे बस्ते में डालकर उपेक्षित कर दिया गया था।

हमारी आपसे सादर पुरजोर अपील एवं मांग है कि गत कांग्रेस शासन के समय जमवारामगढ़ बांध के लिये शुरू की गयी 1068 करोड़ की योजना को पुनः अमलीजामा पहनाकर जमवारामगढ़ बांध में इसी शासन में पानी की आपूर्ति की व्यवस्था कर जनता की अभिलाषा को पूरा किया जाए। रामगढ़ बांध में पानी की व्यवस्था होने से न केवल जिले की पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित होगी अपितु जयपुर, अलवर, दौसा, भरतपुर जिले में पानी का स्तर बढ़ेगा, कृषि खुशहाल होगी, प्राकृतिक संतुलन होगा व प्रदेश के आर्थिक विकास में सरकार की विकास योजना का एक नया इतिहास जुड़ेगा जिससे हमारी सरकार का यह कार्य कई पीढ़ियों के लिये वरदान साबित होगा।

अतः पुनः इस कार्य को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में लेते हुए पूरा करने की सादर प्रार्थना करता हूं।

वर्तमान सरकार के कार्यकाल में पेयजल सम्बन्धित कार्यों का विवरण

ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल सुधार हेतु 5 ग्रामीण योजनाओं लागत रु. 408.91 लाख की स्वीकृत कर इनमें 8 नलकूपों का निर्माण कार्य पूर्ण, पाइप लाइन का कार्य प्रगति पर है। नलकूपों पर विद्युत सम्बन्ध लेकर इन्हे चालू किया जा रहा है।

पुराने पम्पसैटों एवं पैनलों को बदलने हेतु राशि रु. 88.53 लाख के कार्य को पूर्ण कर दिया गया है।

ग्रामीण क्षेत्र में 50 हैण्डपम्पों का निर्माण पूर्ण किया गया।

10 नग सौलर ऊर्जा आधारित नलकूप निर्माण कार्य राशि रु. 112.90 लाख के स्वीकृत किये गये। निविदा अनुमोदन कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

ग्राम भानपुरकलां-टीकमपुरा के लिए राशि रु. 259.15 लाख की योजना को स्वीकृत किया गया, जिसका कार्य वर्तमान में प्रगति पर हैं। योजना को माह अक्टूबर, 2020 तक पूर्ण किया जाना सम्भावित है।